एकादश माला, खंड 10, अंक 19

मंगलवार, 18 मार्च, 1997
27 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(भाग-एक)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 10, चौथा सत्र (भाग-एक) 1997/1918 (शक)

अंक 19, मंगलवार, 18 मार्च, 1997/27 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
सऊदी अरब के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 327	1-69
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 328 से 340	69-101
अतारांकित प्रश्न संख्या 3566 से 3777	101-390
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	390-392
सभा पटल पर रखे गए पत्र	392-398
राज्य सभा से संदेश	398-399
लोक लेखा समिति	399
पांचवां और छठा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	400-402
नई खोज अनुज्ञापन नीति (एनईएलपी)	
श्री टी० आर० बालू	
नियम 377 के अधीन मामले	425-428
(एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री रमेश बैस	425
(दो) पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मंगत राम शर्मा	426
(तीन) पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र में पेय जल योजनाओं के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री हाराधन राय	426
(चार) केरल और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे के लिए पांडियार-पुन्नमपूझा नदी परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम० रामनाथन	427

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) देश में भूमिहीन बेरोजगार लोगों को फालतू भूमि का आबंटन करने की योजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामसागर	427-428
भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प - वापस लिया गया	428-492
भारतीय दूरसंचार विनियामक और प्राधिकरण विधेयक - पारित विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	428-429, 429-431
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	429, 477-486
कर्नल राव राम सिंह	432-437
श्री अनादि चरण साहू	437-442
श्री वी॰ वी॰ राघवन	442-443
डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	443-446
श्री रूप चन्द पाल	446-448
श्री रामसागर	448-450
श्री सुरेश प्रभु	450-454
श्री के॰ पी॰ सिंह देव	455-464
श्री राजीव प्रताप रूडी	464-466
श्री पी॰ नामग्याल	466-470
श्रीमती रजनी पाटिल	470-471
श्री जार्ज फर्नांडीज	471-475
प्रो॰ रासा सिंह रावत	475-477
खंड 2 से 40 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव	488-492
राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत	
राष्ट्रीय राजमार्ग विधि और (संशोधन) विधेयक, - पारित - राज्य सभा द्वारा यथापारित	492-513
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	493-496
श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन	496-498, 511-512
श्री वी॰ धनन्जय कुमार	498-503
श्री राजेश पायलट	503-506
श्री अजय चक्रवर्ती	506-508

विषय कालम

श्री सुब्रत मुखर्जी 508-509

श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल 509-510

खंड 2 से 10 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव 512-513

ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन
किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प - वापस लिया गया
और
ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) विधेयक - पारित — 513-533

राज्यसभा द्वारा यथापारित
विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राम नाइक 513-518

श्री एस॰ आर बोम्मई 518-519, 529-530

श्री गिरधारी लाल भार्गव 519-522

श्री जार्ज फर्नांडीज 522-525

श्री रमेश चेन्नित्तला 525-526

श्री उधव बर्मन 526-527

वैद्य दाऊ दयाल जोशी 528-529

श्री सुरेश प्रभु 529

खंड 2 से 16 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव 532-533

सामान्य बजट, 1997-98 - सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1997-98

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1996-97
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95 533-584

डॉ॰ गिरिजा व्यास 533-543

श्री निर्मल कांति चटर्जी 543-555

श्री सुरेश प्रभु 555-564

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला 566-571

श्री आई॰ डी॰ स्वामी 571-577

श्री दत्ता मेघे 577-584

लोक सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 1997/27 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

सऊदी अरब के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्व प्रथम एक घोषणा करनी है।

मुझे, अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से सऊदी अरब के मज़लिस अल शोरा के चेयरमैन महामहिम शेख-बिन-इब्राहिम बिव-जुबैर तथा सऊदी अरब के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का जो इस समय हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल के अन्य सदस्य हैं :

1. डॉ॰ मनसूर बिन मोहम्मद अल नूझा
2. श्री अबदुल्ला बिन ताहिर अल दब्बाग
3. डॉ॰ अब्दुल अजीज़ बिन इब्राहिम अल फैयाज
4. डॉ॰ फसैल बिन अहमद जैदान
5. मेजर जनरल (रिटायर्ड) कमाल बिन सिराजुद्दीन अल मरघलानी

यह शिष्टमंडल 16 मार्च 1997 रविवार को दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष बाक्स में विराजमान हैं। उनका यहां ठहरना सुखद तथा लाभदायक हो हम इसकी कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से दोनों पवित्र मस्जिदों के रखवालों महामहीन राजा फहद बिन अब्दुल अजीज सलाहकार समिति तथा सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

अपराह्न 11.02 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आम, लीची, केला और मक्का आधारित उद्योगों की स्थापना

***321. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार में 'नेफेड' के माध्यम से मुख्यत: आम, लीची, केला और मक्का आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, फलों के लिए प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिएं शीर्षस्थ मंत्रालय है। लेकिन कृषि और सहकारिता विभाग (बागवानी प्रभाग) तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कार्यक्रम के अलावा सहकारी/निजी क्षेत्रों में प्रसंस्करण एककों को सहायता करने के लिए योजनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित एककों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास कई योजनाएं हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध-I और II दिया गया है। कृषि और सहकारिता विभाग (बागवानी प्रभाग) की योजनाओं और उसके अधीन बिहार को दी गई सहायता का ब्यौरा अनुबंध-III पर है। लेकिन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देता है। योजना तथा यूनिट, जिन्हें सहायता दी गई का ब्यौरा, अनुबंध-IV और अनुबंध-V में दिया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वर्ष 1993-94 (25.50 लाख रु॰), 1994-95 (54.22 लाख रु॰) और 1995-96 (24.15 लाख रु॰) के दौरान बिहार राज्य में फलों के प्रसंस्करण के लिए योजनाओं को सहायता दी है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाएं अनुबंध VI पर हैं।

अनुबंध-I

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

8वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए निरूपित प्लान स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं॰	प्लान स्कीम का नाम
1	2
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों संबंधी योजना।

1	2
2.	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों तथा सहकारी समितियों को सहायता संबंधी योजना।
3.	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के बैकवर्ड लिंकेजों को मजबूत बनाने संबंधी योजना।
4.	मशरूम की खेती तथा प्रसंस्करण के लिए आधारभूत ढांचे के विकास संबंधी योजना।
5.	हॉप्स के विकास तथा प्रसंस्करण संबंधी योजना।
6.	प्रसंस्करण खाद्य के जेनेरिक एडवरटाइजिंग तथा विपणन सहायता प्रदान करने संबंधी योजना।
7.	खाद्य तथा सब्जी प्रसंस्करण के संबंध में अनुसंधान तथा विकास संबंधी योजना।
8.	फल तथा सब्जी उत्पादों के आधारभूत ढांचे के लिए सहायता (1993-94 से)

अनुबंध-II

फल तथा सब्जी उत्पाद प्लान योजना के अंतर्गत 1992-93 से 1996-97 (28.10.96 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को दी गई सहायता की स्थिति

संगठन का नाम	सहायता प्राप्त परियोजना	निर्गमित धनराशि (लाख रुपए)					वर्तमान स्थिति
		92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	
1	2	3	4	5	6	7	8
असम							
1. कृषि विभाग, असम सरकार गुवाहाटी	10 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰		30.00				ये एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰ अभी कार्यात्मक नहीं हुए हैं।
2. तमालपुर सांचली कुमारीकाटा (के॰ वी॰ आई॰ सी॰ के माध्यम से)	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰		3.00				—तदैव—
3. तोमानान्वी स्वैच्छिक संगठन गुवाहाटी	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			3.00			—तदैव—
4. मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग कॉपरेटिव सोसाइटी लि॰, गुवाहाटी	3 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			9.00			कार्यान्वित
5. —तदैव—	2 एफ॰ एवं वी॰ पी॰ यूनिटें		37.00	12.10			कार्यान्वित
6. महिला कल्याण समिति, गुवाहाटी	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			3.00			अभी कार्यान्वित नहीं हुई
7. मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग कॉपरेटिव सोसाइटी लि॰ गुवाहाटी	जेनेरिक एडवरटाइजिंग			3.35			कार्यान्वित
8. पिछड़ा क्षेत्र विकास समिति गुवाहाटी	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰				2.70		अभी कार्यान्वित नहीं हुई
9. ग्रामीण विधवा व बेरोजगार युवा कल्याण सोसाइटी, गुवाहाटी	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰				2.85		अभी क्रियान्वित नहीं
10. फल व सब्जी प्रसंस्करण सो॰ गुवाहाटी	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰				3.00		क्रियान्वित

1	2	3	4	5	6	7	8
11. आधुनिक खाद्य प्रस॰ सह॰ सो॰ लि॰ गुवाहाटी	2 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰				6.00		क्रियान्वित
12. शान्ती साधना आश्रम गुवाहाटी	मसरूम परि॰				20.91		अभी क्रियान्वित नहीं
13. आधुनिक खाद्य प्रसं॰ सह॰ सो॰ लि॰ गुवाहाटी	3 वर्षों के लिए पश्च सम्पर्क			1.224 2.047	4.09		क्रियान्वित
14. असम कृषि विश्व विद्यालय जोरहाट	गुणवत्ता नियंत्रण लैब				25.56		अभी क्रियान्वित नहीं
15. फल व सब्जी प्रसं॰ सो॰ गुवाहाटी	2 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰ (बहुउत्पाद)					18.00	हाल ही में निर्मुक्त
अरुणाचल प्रदेश							
अरुणाचल बागवानी प्रसंस्करण लि॰ निगमोई	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰		2.29			3.05	हाल ही में निर्मुक्त
मणिपुर							
1. वैंजिम टैन्था किसानं विकास संघ, थौंबल	1 मसाला एकक पोटाटों चिप्स एकक				6.159	6.621	कार्यान्वयन के अग्रिम चरणों में
2. कियजंन हजारी लकई युवा बेरोजगार सदस्य संघ इम्फाल							
मेघालय							
1. असम रेजीमेन्टल सैंटर, शिलांग	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰				2.29		अभी क्रियान्वित नहीं
मिजोरम							
1. मिजोरम खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड (के॰ वी॰ आई॰ सी॰ के माध्यम से)	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰		3.00				—तदैव—
2. मिफको, एजल	6 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	15.060					क्रियान्वित
3. —तदैव—	मशरूम	29.80					—तदैव—
4. —तदैव—	2 एफ एंड वी पी यूनिट	70.00 (90–92)	142.02		24.28		—तदैव—
नागालैण्ड							
1. निदेशक बागवानी नागालैंण्ड सरकार, कोहिमा	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰ यूनिट		22.82				—तदैव—
2. —तदैव—	मशरूम परि॰		6.00				—तदैव—
3. —तदैव—	—तदैव—						क्रियान्वित की जानी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
4. निदेशक उद्योग, नागालैण्ड सरकार कोहिमा	2 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰						—तदैव—
5. नागालैण्ड कृषि एवं बागवानी व केटीजी बहुउद्देशीय सह॰ सो॰ लि॰ दीमापुर	मशरूम परि॰				26.60		—तदैव—
त्रिपुरा							
1. त्रिपुरा खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड (के॰ वी॰ आई॰ सी॰ के माध्यम से)	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰		3.00				—तदैव—
2. त्रिपुरा लघु कुटीर उद्योग निगम लि॰ अगरतला	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰						—तदैव—

1992-93 से 1996-97 (28.10.96 तक) के दौरान सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थिति
(उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर -एफ एंड वी पी एंड सेक्टर)

क्र॰ सं॰	संगठन का नाम	सहायता प्राप्त परियोजना	जारी धनराशि (लाख रुपए में)					स्थिति
			92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश								
1.	गिरीजन सहकारी नि॰ लि॰ विशाखापट्टनम		25.65	—	—	—	—	अभी तक लागू नहीं
2.	गिरीजन सहकारी नि॰ लि॰ विशाखापट्टनम		17.21	—	—	—	—	—तदैव—
3.	ताजे विपणन सह॰ समिति लि॰, हैदराबाद	पूर्व प्रशासन प्रणाली/ उन्नयन	—	7.00	—	—	—	—लागू—
4.	वामसी श्रीकृष्ण फल संसाधन उद्योग, रेड्डीगुण्डम	1991-92 से 1993-94 के लिए बैकवार्ड लिंकेज	—	16.14	—	—	—	प्रतिपूर्ति
5.	ए पी आई डी सी, हैदराबाद	2 एफ॰ एंड वी॰ सी॰ इकाइयों की स्थापना	104.00	—	—	—	—	अभी तक लागू नहीं
6.	अलंकार खाद्य उत्पाद, बोरा वाचा गांव, कृष्णा जिला	1992-93 से 93-94 बैकवर्ड लिंकेज	—	—	3.139	11.531	—	प्रतिपूर्ति
7.	ताजा विपणन सह॰ समिति लि॰ हैदाराबाद	आर एंड डी सोलर रेफ्रिजरेशन	—	—	5.00	—	—	लागू
8.	श्री सूर्या फल एवं सब्जी उत्पादक तथा विपणन समिति, जगयापेटा कृष्णा जिला	फसलोपरांत तथा कोल्ड चैन सुविधाएं	—	11.70	—	—	—	अभी तक लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	विनभकरी फल प्रौद्यो॰ लि॰ तिरुपति	फल स्थापना	—	—	—	25.00	—	हाल में जारी
10.	ए पी आई डी सी-संयुक्त क्षेत्रीय सुगम एग्रोटेक लि॰, हैदराबाद	मशरूम की खेती	—	—	—	—	25.00	—तदैव—
11.	ए पी आई डी सी-संयुक्त क्षेत्रीय रीजेंट एग्रो प्रोडक्ट लि॰	समेकित नारियल	—	—	—	90.00	—	क्रियान्वित
बिहार								
1.	ग्रामीण औद्यो॰ समिति, रांची	बी ई पी टी सी (का) आई एफ पी टी सी	9.00	0.35				क्रियान्वित
2.	बिहार उद्योग संघ, रांची	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला		9.50				—तदैव—
3.	आदिवासी लोक साहित्य सांस्कृतिक उत्थान समिति	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			2.31			—तदैव—
4.	सामुदायिक विकास महिला सर्व विकास उद्योग सह॰ समिति लि॰ जमशेदपुर	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			2.34			—तदैव—
5.	कठजोर आदर्श महिला विकास सह॰ समिति लि॰, चन्दील, जमशेदपुर	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			2.092			—तदैव—
6.	भंडारा लैम्स लि॰ भंडारा	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			2.25			—तदैव—
7.	बिरसा पर्यावरण कृषि अनु-संधान अध्ययन तथा अनुप्रयोग चक्रधरपुर	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			2.23			—तदैव—
8.	पर्वतीय अनुसूचित जनजाति कल्याण परिषद, आशनोला	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			2.35			—तदैव—
9.	महिला तथा विकास केन्द्र तोरपा, रांची	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰			2.015			—तदैव—
10.	बिहार रेजीमेंटल सेंटर, दानापुर कैंट, पटना	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰					3.00	हाल ही में जारी
11.	इचापिडी प्रिया टोला पडल सब्जी उत्पादक सहयोग समिति इचापिडी	डिहाइड्रेशन एंड प्रजाइवेशन यूनिट			4.50			क्रियान्वित
12.	सिक्ख रेजीमेंटल सेंटर, रामगढ़ कैण्ट	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰				2.37		अभी लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	कर्मा बडरिया आदिवासी उद्योग सह॰ समिति लि॰, झरिया	मशरूम इस्पान उत्पादन ईकाई			1.30			क्रियान्वित
14.	छोटानागपुर आदिवासी सह॰ सब्जी विपणन संघ लि॰ रांची	मशरूम के विपणन के लिए आदिवासी प्रचार			3.88			अभी लागू नहीं
15.	तारा महिला उद्योग कल्याण समिति, पटना	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰				2.55		अभी लागू नहीं
16.	ग्रामीण औद्योगिक समिति, रांची	समेकित खाद्य संसाधन		12.00				अभी लागू नहीं
17.	कृषि ग्राम विकास केन्द्र, रांची	मदर स्पान यूनिट			1.00			अभी लागू नहीं
		दिल्ली						
1.	राजपुताना राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर, दिल्ली कैंट	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	5.60		क्रियान्वित
2.	अखिल भारतीय सामाजिक न्याय संगठन, बुराड़ी	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	3.00		अभी लागू नहीं
3.	नेफेड	रेफ्रिजेर्टस वैन	40.00	—	—	—	—	क्रियान्वित
4.	खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र, नई दिल्ली	गुणवत्ता नियंत्रण का प्रयोगशाला का उन्नयन	—	1.88	—	11.643		क्रियान्वित
5.	अपेडा, नई दिल्ली	"आहार" फेयर	34.00	—	—	—	—	क्रियान्वित
6.	अपेडा, नई दिल्ली	वेपर-हिट ट्रीटमेंट प्लांट	—	25.00	—	—	—	क्रियान्वित
7.	अन्य संगठन		55.18	12.392	—	—	—	क्रियान्वित
हिमाचल प्रदेश								
1.	हिमाचल उत्पादक परिषद शिमला	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	4.00	6.00				क्रियान्वित
2.	लाहौल हाप्स एंड चिकोरी उत्पादक सहकारी विपणन सह-संसाधन समिति लाहौल स्पीति	हाप्स का विकास व संसाधन	40.00	33.00				क्रियान्वित
3.	खाद्य एवं पुष्प समिति, हि॰ प्र॰ पालपमुर	खाद्य संसाधन एवं आवश्यक तेल उत्पादक ईकाई		28.44				अभी लागू नहीं
4.	लाहौल आलू उत्पादक सह॰ विपणन संसाधन समिति लि॰ कूल्लू	मशरूम विस्तार उत्पादन ईकाई				23.65		क्रियान्वित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	एच पी एस आई डी सी-संयुक्त क्षेत्रीय हिमाचल अंतर्राष्ट्रीय लि०	एफ एंड वी पी यूनिट			100.00			क्रियान्वित
6.	शिवालिक खारी आश्रम, उन्ना	एफ एंड वी पी यूनिट			20.00 (अनुदान अंशतः जारी)			लागू नहीं
7.	एच पी एम सी, शिमला	तेतरा पैक असेप्टिक प्लांट, परवानू			22.07	127.93		अंशतः क्रियान्वित
8.	एच पी एम सी, शिमला	पोस्ट हारवेस्ट एंड कोल्ड वैन फैसलिटीज मैंगों पल्प			150.00	60.00		अंशतः क्रियान्वित
9.	एच पी एम सी, शिमला	सोलन				60.00	15.00	अंशतः क्रियान्वित
10.	एच पी ए आई सी-संयुक्त क्षेत्रीय हिमाचल सब्जी फल लि०, परवानू	विभिन्न फल एवं सब्जियों का संसाधन				20.00		क्रियान्वित
11.	इंडकेयर चेरीटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	2 एफ० पी० टी० सी०					6.00	हाल ही में जारी
12.	एच पी ए आई सी-सयुक्त क्षेत्रीय डुगोडवाला उद्योग लि०	खाद्य इस्टंगम एंड सह उत्पाद आदि					30.00	हाल ही में जारी
13.	14, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, सुभातु, शिमला हिल्स	1 एफ० पी० टी० सी०				6.00		हाल ही में जारी
हरियाणा								
1.	हरियाणा कृषि उद्योग नि० लि० चंडीगढ़	6 एफ० पी० टी० सी०	3.00	15.00	—	—		अभी तक क्रियान्वित नहीं
2.	श्री निकेतन भुवनेश्वरी गुड़गांव	एफ० पी० टी० सी०	3.00	—	—	—	—	क्रियान्वित
3.	हरियाणा कृषि उद्योग नि० लि० चंडीगढ़	समेकित खुंभी परियोजना मुरथाल	—	14.00	—	—	—	अभी तक क्रियान्वित नहीं
4.	भारतीय दिल्ली संस्थान, नई दिल्ली	एफ० पी० टी० सी०	—	—	3.00	.4866	—	क्रियान्वित
जम्मू व कश्मीर								
1.	जम्मू व कश्मीर ग्राम बोर्ड श्रीनगर	एफ० पी० टी० सी०	—	3.00	—	—	—	अभी तक क्रियान्वित नहीं
2.	कृषि और ग्रामीण विकास विभाग जम्मू व कश्मीर सरकार श्रीनगर	5 एफ० पी० टी० सी०	—	—	15.00	—	—	
3.	शिव ग्राम उद्योग मंडल कठुआ	एफ० एंड वी० पी० यूनिट	—	—	20.00	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक								
1.	खुदी ग्राम सहकारी उत्पादक संघ लि॰, हल्दी, जिला-बेलगांव	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	3.00	—	—		अभी तक क्रियान्वित नहीं
2.	कर्नाटक कृषि उद्योग नि॰ लि॰ बंगलौर	8 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	12.00	—	12.00		4 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰ क्रियान्वित
3.	मराठा लाइट इंफैंट्री रेजिमेंटस सेन्टर बेलगांव	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	5.3125		अभी तक नहीं
4.	यूनिकार्न एग्रोटेक लि॰ बंगलौर	बैकवर्ड लिंकेज 94-95	—	—	—	6.06		प्रतिपूर्ति क्रियान्वित
5.	बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन और प्रसंस्करण समिति लि॰ बंगलौर	एफ एंड वी॰ पी॰ यूनिट	50.00	—	—	—		क्रियान्वित
6.	कूर्ग संतरा उत्पादक सहकारी विपणन समिति लि॰ गोनीकोपल	फल एवं सब्जी उत्पादन एकक का विस्तार और आधुनिकीकरण	—	15.50	—	—		क्रियान्वित
7.	प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, बंगलौर	चारा प्रसंस्करण संयंत्र	—	7.50	7.50	—		आंशिक क्रियान्वित
8.	प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, बंगलौर	उत्पाद विकास प्रयोगशाला	—	—	12.00	—		आंशिक क्रियान्वित
9.	प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, बंगलौर	कटाई उपरांत कोल्डचेन	—	—	24.00	—		आंशिक क्रियान्वित
10.	कर्नाटक कृषि उद्योग नि॰ लि॰ बंगलौर	कटाई पश्चात् भंडारण	—	13.00	—	—		क्रियान्वित
11.	माकफेड, बंगलौर	रेफ्रिजरेड स्टोरेज	—	44.00	—	—		क्रियान्वित
12.	रिटजेल इंडिया लि॰, बंगलौर	बैकवार्ड लिंकेज	—	—	3.22	—		प्रतिपूर्ति
13.	सी एफ॰ टी॰ आर॰ आई॰, मैसूर	अनुसंधान और विकास	—	—	65.00	—		आंशिक क्रियान्वित
केरल								
1.	केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरुअनन्तपुरम।	जातीय प्रगति	—	10.00	—	—	—	क्रियान्वित
2.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, केरल	2 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	3.76	—	—	आंशिक क्रियान्वित
3.	केरल क्षेत्रीय कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, कन्नौर।	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	2.977	—	—	—तदैव—
4.	अखिल केरल महिला शिक्षा और सेवाएं, कालीकट	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	2.86	—	अभी नहीं
5.	चंगनचेरी सामाजिक सेवा समिति, चंगनचेरी	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	3.00	—	—	—	—तदैव—
6.	केरल कृषि फल उत्पाद, अरमपुत्रा	एफ॰ एण्ड वी॰ पी॰	—	—	13.83	—	—	क्रियान्वित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	केरल क्षेत्रीय कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, कन्नौर	जातीय प्रगति	—	—	—	6.75	—	हाल में निर्मुक्त
उड़ीसा								
1.	सर्वोदय समिति, गांधी नगर, कोरापुट	एफ० पी० टी० सी०	—	2.70	—	—	—	अभी क्रियान्वित नहीं
2.	उड़ीसा कृषि उद्योग निगम, लिमिटेड भुवनेश्वर	29 एफ० पी० टी० सी०	—	78.36	11.60	—	—	10 एफ० पी० टी० सी० क्रियान्वित
3.	युवा कार्य हेतु जन ग्रामीण पुनर्निमार्ण उद्योग, जिला-बालासौर	1 एफ० पी० टी० सी०	—	—	—	2.36	—	क्रियान्वित
4.	कमजोर तथा अन्य पिछड़ों के लिए विकास समिति देवीद्वारा	1 एफ० पी० टी० सी०	—	—	—	2.36	—	विकेन्द्रीकृत
5.	सहगामी कार्य अनुसंधान हेतु जन संस्थान (पाइपर) जिला धेनकनाल	1 एफ० पी० टी० सी०	—	—	—	2.40	—	—तदैव—
6.	रेलियाबल स्पॉन कल्चर, कटक	मशरूम स्पॉन प्रोडक्शन यूनिट	—	—	—	5.00	—	—तदैव—
7.	पंडा स्पाइसेज (पी०) लि०, संयुक्त क्षेत्र ओ० ए० आई० सी०	स्पाइस एण्ड ओलियोरेसिन परि०	—	—	—	5.00	—	क्रियान्वित
8.	बिलाटी (उड़ीसा) लि०, संयुक्त क्षेत्र ओ० ए० आई० सी०	टौमेटो एण्ड ट्रापिकल फ्रूट पल्प कंसेन्ट्रेक्स	—	—	—	70.00	—	—तदैव—
9.	न्यू इंडिया कल्चरल स्पॉन एण्ड मशरूम, भुवनेश्वर	मशरूम उत्पादन	6.00	—	—	—	—	अभी क्रियान्वित नहीं
10.	कयिलाश एग्रो प्रोडयूसर्स पी० एम० सी० एस० विस्वंतपुर	1 एफ० पी० टी० सी०	—	—	—	—	2.96	विकेन्द्रीकृत
पंजाब								
1.	अपर उपायुक्त (विकास), पंजाब सरकार, होशियारपुर	एफ० पी० टी० सी०	2.00	—	—	2.00	—	हाल में निर्मुक्त
2.	प्राचार्य, थापर पोलिटेक्निक, पटियाला	एफ० पी० टी० सी०	—	—	—	2.50	—	—तदैव—
3.	पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पो० लि०, चण्डीगढ़	एफ० एवं बी० पी० इकाई की स्थापना	63.00	100.00	—	—	—	कार्यान्वित
4.	पेप्सी फूड्स लि०, होशियारपुर	बैकवर्ड लिंकेज	—	10.00	—	—	—	प्रतिपूर्ति
5.	निज्जेर एग्रो फूड्स लि०, नई दिल्ली	बैकवर्ड लिंकेज	—	9.66	10.00	—	—	—तदैव—
6.	पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि०, चण्डीगढ़	जेनेरिक एडवरटाइजिंग	17.50	—	—	—	—	कार्यान्वित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान								
1.	महिला गृह उद्योग प्रतिष्ठान, उदयपुर	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	2.70	—	—	—	अभी कार्यान्वित नहीं
2.	जिला समाहर्ता, उदयपुर	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	2.51	—	—	—	अभी कार्यान्वित नहीं
महाराष्ट्र								
1.	डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान, त्रिम्बक, विद्या मंदिर, नासिक	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	—		अभी क्रियान्वित नहीं
2.	कारपेन्टरी तथा वर्कशाप, धानू, नासिक	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	3.00	—	—	—	—तदैव—
3.	शिक्षा मण्डल, वरधा	एफ॰ पी॰ टी॰	—	2.84	—	—	—	—तदैव—
4.	सैराजा फल व खाद्य प्रसंस्करण प्रा॰ लि॰,	एफ एण्ड वी॰ पी॰ यूनिट	—	5.40	—	—	—	कार्यान्वित
5.	प्रकाश कोआपरेटिव एग्रो इन्डस्ट्रीज सो॰ लि॰ संगलवती	एफ एण्ड वी॰ पी॰ यूनिट	—	50.00	—	—	—	—तदैव—
6.	संजीवनी एग्रो-प्रोड्यूसर सह॰ विपणन सो॰ लि॰, कोपारगांव	एफ एण्ड वी॰ पी॰ यूनिट	—	12.00	—	—	—	—तदैव—
7.	महाराष्ट्र राज्य कृषि बोर्ड पूणे	महाग्रेप्स परि॰	50.00	—	—	—	—	—तदैव—
8.	ब्लूफॉक्स पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रा॰ लि॰	कटाई पश्चात उपचार सुविधाएं	—	—	—	11.70	—	—तदैव—
9.	कृषि विकास सहकारी संथा लि॰ शोलापुर	प्रशीतन पूर्व तथा शीतागार सुविधाएं	—	—	—	10.00	—	—तदैव—
10.	शुयापद्र शिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान, केन्द्र खारवाड़ स्वाई	मशरूप खेती तथा प्रसंस्करण	—	—	—	47.62	—	हाल ही में कार्यान्वित
11.	महाराष्ट्र राज्य कृषि संवर्धन विपणन बोर्ड, पूणे	महामैंगो परि॰	—	—	—	36.90	—	—तदैव—
12.	अभिनव ग्रेप्स ग्रोवर्स सह॰ सो॰ लि॰ अंगर, पूणे	प्रशीतन पूर्व तथा शीतागार	—	—	—	7.47	52.53	—तदैव—
13.	विगेनाहर ग्रेप्स ग्रोवर्स सह॰ सो॰ लि॰ नारायनगांव, पूणे	प्रशीतन पूर्व तथा शीतागार	—	—	—	7.50	52.50	—तदैव—
14.	सिंगोट संसाधित खाद्य प्रा॰ लि॰ अहमदनगर	पश्च सम्पर्क		5.48	4.23			प्रतिपूर्ति
15.	शिवसारूति पालूतपाडक, सह॰ संघ जिला-सोलापुर	एफ एण्ड वी॰ पी॰ की बुनियादी संरचना	—	—	8.00	—	—	क्रियान्वित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	बारामती तालुका सह० फलोटपडक संघ लि० बारामती	एफ एण्ड वी० पी० की बुनियादी संरचना	—	—	8.00	—	—	—तदैव—
17.	पनधारी प्रसाद साल उत्पादक सह० संस्था मर्यादित सोलापुर	एफ एण्ड वी० पी० की बुनियादी संरचना	—	—	8.00	—	—	—तदैव—
18.	जयकिशन भाजी पाला व फल उत्पादक सरकारी सह० सो० लि० औरंगाबाद	एफ एण्ड वी० पी० की बुनियादी संरचना	—	—	8.00	—	—	—तदैव—
19.	प्रवर शाले भालीपाले सह० बिक्री संस्थान लि०, नासिक	एफ एण्ड वी० पी० की बुनियादी संरचना	—	—	8.00	—	—	—तदैव—
20.	परशरी फल व भीजी पाला सह० बिक्री संस्था लि० नासिक	एफ एण्ड वी० पी० की बुनियादी संरचना	—	—	8.00	—	—	—तदैव—
21.	त्रिमूर्ति ग्रेप्स ग्रावर्स सह० सो० लि० जमखेड़, अहमदनगर	एफ एण्ड वी० पी० पूर्व प्रशीतन अवसंरचना	—	—	8.00	—	—	—तदैव—
22.	महाराष्ट्र राज्य कृषि संवर्धन विपणन बोर्ड पूणे (महाराष्ट्र)	कटाई पश्चात प्रौद्यो० संस्थान	—	—	44.50	—	—	हाल ही में निर्मुक्त
23.	संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट्स विपणन सो० लि० अहमदनगर	पश्च सम्पर्क	—	—	—	—	5.64	प्रतिपूर्ति
मध्य प्रदेश								
1.	एम० पी० राज्य खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भोपाल	1 एफ० टी० टी० सी०	—	3.00	—	—	—	अभी तक नहीं
2.	महार रेजीमेंटल सेंटर, सौगोर	1 एफ० टी० टी० सी०	—	—	—	3.00	—	—तदैव—
3.	ग्रेडियर्स रेजीमेंटल सेंटर, जबलपुर	1 एफ० टी० टी० सी०	—	—	—	6.00	—	—तदैव—
4.	जम्मू व कश्मीर राइफल्स रेजीमेंटल सेंटल जबलपुर	1 एफ० टी० टी० सी०	—	—	—	3.00	—	—तदैव—
5.	सतपुड़ा समेरित ग्रामीण विकास संस्थान, भोपाल	2 एफ० टी० टी० सी०	—	3.00	—	—	—	कार्यान्वित
6.	महिला चेतना, मंच, भोपाल	मशरूम शेती व स्पान उत्पादन	—	5.90	—	—	—	—तदैव—
7.	सतपुड़ा समेकित ग्रामीण विकास संस्थान, भोपाल	स्पान उत्पादन	2.585	—	5.00	—	—	—तदैव—
8.	मारफेड, इन्दौर	शीतागार	—	72.00	—	—	—	—तदैव—
तमिलनाडु								
1.	सत्यमूर्ति सेंटर फार डेमोक्रेटिक स्टडीज, मद्रास	1 एफ० पी० टी० सी०	—	1.62	—	—		कार्यान्वित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	तमिलनाडु, के॰ वी॰ आई॰ बी॰, मद्रास	—तदैव—	—	3.00	—	—		अभी तक नहीं
3.	गांधी आश्रम पोस्ट, गांधी आश्रम तिरूचेनगोड, जिला, सालेम	—तदैव—	—	2.54	—	—		—तदैव—
4.	22, गांधीग्राम, के॰ वी॰ आई॰ पब्लिक चैर्टिबल ट्रस्ट, गांधीग्राम मदुरई	—तदैव—	—	2.34	—	—		—तदैव—
5.	तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज, मद्रास	—तदैव—	—	—	—	11.20		1 एफ॰पी॰ टी॰ सी॰ कार्यान्वित
6.	ग्राम महालीर नलम काकुम समुखा नला, नारपानी, मंडराम, मेलूर, मदुरई	—तदैव—	—	—		2.84		—तदैव—
7.	मद्रास लाइट इन्फैन्टरी रेजीमेंटल सेंटर, वेलिंगटन (नीलगिरि)	—तदैव—	—	—	—	4.81		अभी तक नहीं
8.	मदहारी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस साइंस मदुरई	—तदैव—	—	—	—	2,87285		—तदैव—
9.	ग्रामीण शिक्षा व आर्थिक विकास संघ	2 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	4.00		—तदैव—
10.	एन॰ ई॰ आर॰ डी॰ सोसाइटी, कोयम्बटूर	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	—		हाल ही में निर्मुक्त
11.	वील संगठन, मुड्डूकोर्ट	—तदैव—	—	—	—	—	4580	निर्मुक्त
12.	इंडियन ट्रापिकल एग्रो-प्रोडक्ट्स, टूटीकोरिन	बैकवर्ड लिंकेज	—	—	—	10.00		प्रतिपूर्ति
13.	डच राम एग्रो फूड्स लि॰, ज्वाइंट सेक्टर, टी॰ एन॰ ए॰ आई॰ सी॰	मशरूम की खेती व प्रसंस्करण	6	—	—	20.00	43.00	हाल ही में निर्मुक्त
14.	तानफेड, मद्रास	शीतागार	—	52.00	—	—	—	कार्यान्वित
उत्तर प्रदेश								
1.	एम॰ डी॰ टी॰ सी॰ हल्द्वानी	1 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	3.00	—	—	—	अभी नहीं
2.	जी॰ आर॰ शर्मा पुरातत्व सोसायटी, इलाहाबाद	5 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	6.00	—	6.00	—	3.00	कार्यान्वित (हाल ही में निर्मुक्त)
3.	बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	16 एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	48.00	—	—	—	—	अभी कार्यान्वित नहीं किया गया
4.	बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	जेनेरिक एड॰	5.00	—	—	—	—	कार्यान्वित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	नारी उत्थान समिति सुल्तानपुर	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	3.00	—	—	—तदैव—
6.	पीपल ग्रेमोद्योग सेवा संस्था, इलाहाबाद	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	3.00	—	हाल ही में निर्मुक्त
7.	सीमाराम ग्रामोद्योग आश्रम विहार, इलाहाबाद	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	3.00	—	कार्यान्वित
8.	गढ़वाल राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर, लैण्ड्सडाउन	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	4.95	0.50	—तदैव—
9.	कुमाऊं रेजीमेंटल सेंटर रानीखेत	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	3.00	—	हाल ही में निर्मुक्त
10.	दि जाट रेजीमेंटल सेंटर, बरेली	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	2.80	—	हाल ही में निर्मुक्त
1.	दि राजपूत रेजीमेंटल सेंटर, फतेहगढ़	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	5.75	—	—तदैव—
2.	11, गोरखा राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर, लखनऊ	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	5.50	—	—तदैव—
13.	डोगरा रेजीमेंटल सेंटर, फैजाबाद	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	5.52	—	—तदैव—
14.	पुष्पांजली ग्रामोद्योग संस्था, प्रतापगढ	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	3.00	—	कार्यान्वित
15.	अवध ग्राम्य विकास संस्था जिला - गौण्डा	एफ॰ पी॰ टी॰ सी॰	—	—	—	2.57	—	हाल ही में निर्मुक्त
16.	स्तुति ग्रामोद्योग सेवा संस्था, इलाहाबाद	—तदैव—	—	—	—	3.00	—	—तदैव—
17.	विकास ग्रामोद्योग संस्था जिला - सोनभद्रा	—तदैव—	—	—	—	3.00	0.93	—तदैव—
18.	सीता राम ग्रामोद्योग आश्रम जिला - प्रतापगढ़	—तदैव—	—	—	—	3.00	—	—तदैव—
19.	राजीव गांधी बंजर भूमि एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पलिया, गौरीगंज, सुल्तानपुर	—तदैव—	—	2.75	—	—	—	कार्यान्वित
20.	राजा अवधेश सिंह मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी, प्रतापगढ़	—तदैव—	—	—	—	—	3.00	—तदैव—
21.	पिकप-संयुक्त क्षेत्र-महान फूड्स लि॰	दुग्ध उत्पाद परियोजना	—	100.00	100.00	—	—	—तदैव—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	पीपल गांव उद्योग सेवा संस्था, इलाहाबाद	मशरूम संसाधन एवं अवसंरचना	—	—	—	17.25	—	कार्यान्वित
23.	लगनेश इंजीनियरिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी	बहु-जिंस शीतागार	—	—	—	25.00	—	हाल ही में निर्मुक्त
24.	तराई फूड्स लिमिटेड, नई दिल्ली	बैकवार्ड लिंकेज 1992-93 से 1994-95	—	4.04	10.00	10.00	—	प्रतिपूर्ति
25.	जी. आर. शर्मा आर्केऑलोजिकल सोसाइटी, इलाहाबाद	संसाधित खाद्य पर विज्ञापन	—	—	—	5.98	—	कार्यान्वित
पश्चिम बंगाल								
1.	डायमण्ड शिल्क खादी समिति, मालदा	एफ. पी. टी. सी.	—	3.00	—	—	—	क्रियान्वित नहीं
2.	एफ. पी. आई. डिपार्टमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	एफ. पी. टी. सी.	22.29	—	—	—	—	क्रियान्वित
3.	इचापुर जनकलयन प्रसाद, इचापुर, 24 नार्थ परगना	एफ. पी. टी. सी.	—	—	—	2.925	—	हाल ही में जारी
4.	मोदुलर कंसलटैंटस प्राइवेट लि., कलकत्ता	खाद्य संसाधन उद्योग पार्क	—	—	—	75.00	—	—तदैव—
5.	कल्याण कृषि विज्ञान, केन्द्र, बोंगाबारी	एफ. पी. टी. सी.	—	—	—	—	3.00	हाल ही में जारी
6.	दार्जिलिंग गोरखा हिल्स कौंसिल दार्जिलिंग	मशरूम संसाधन तथा खेती	—	30.00	—	—	—	क्रियान्वित
7.	बेनफिश कलकत्ता	जेनरिक एडवर्टीजमेंट प्राक्सेसेड फूड	4.50	—	—	—	—	—तदैव—
8.	डॉ. सुभाष मुखर्जी मेमोरियल रिर्पोडक्टिव रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	रिसर्च एंड डिलोपमेंट एंड टवीन सोलर कूकर	8.98	—	—	—	11.00	क्रियान्वित (हाल ही में जारी)

अनुबंध-III

बागवानी संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत बिहार को प्रदत्त सहायता

(लाख रुपए)

योजना का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	
मशरूम का विकास	30.50	23.00	3.00	0.00	1.00	

1	2	3	4	5	6	7
नारियल का विकास	21.00	17.48	19.00	20.62		
समशीतोष्ण, शुष्क तथा उष्णकटिबंधीय फलों का विकास	84.34	63.26	100.88	0.00	71.14	
मूल तथा कंद फसलों का विकास	8.40	6.40	3.40	0.00	—	
मसालों का विकास	11.40	11.47	15.91	0.40	10.00	
सब्जियों का विकास	47.76	46.51	32.50	0.00	1.00	
कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	58.30	43.72	111.13	0.00	42.00	
पान की बेल का विकास	1.35	1.35	1.50	0.00	0.90	
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना	—	27.51	—	54.22	—	24.15
औषधीय तथा सुगंधित पौधों का विकास	—	—	—	—	0.75	0.75

अनुबंध-IV

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाएं

1. बागवानी उत्पाद के विपणन के लिए सहकारी समितियों को मार्जिन मनी सहायता।
2. फल तथा सब्जी विपणन समितियों के शेयर पूंजी आधार को मजबूत बनाना।
3. फल तथा सब्जी सहकारी समितियों द्वारा वाहनों की खरीद के लिए सहायता।
4. सहकारी समितियों द्वारा फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने के लिए सहायता।
5. फल तथा सब्जी सहकारी समितियों द्वारा भण्डारग्रहों/शैडों के निर्माण हेतु सहायता।
6. सहकारी समितियों द्वारा शीतागारों की स्थापना।

अनुबंध-V

एन॰ सी॰ डी॰ सी॰ द्वारा स्थापित एवं सहायता प्राप्त राज्यवार सहकारी प्रसंस्करण एकक (31.3.96 की स्थितिनुसार)।

क्रम॰ सं॰	राज्य	सहायता प्राप्त एकक	स्थापित एकक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	1
2.	असम	1	1
3.	हिमाचल प्रदेश	5	5
4.	कर्नाटक	1	1
5.	केरल	10	7
6.	महाराष्ट्र	2	2
7.	मणिपुर	1	1
8.	उड़ीसा	1	1
9.	पंजाब	1	1
10.	राजस्थान	2	2
11.	तमिलनाडु	5	5
12.	उत्तर प्रदेश	1	1
13.	पश्चिम बंगाल	2	1
14.	नैफेड	1	1
		35	30

अनुबंध-VI

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के विकास कार्यक्रम

1. बागवानी फसलों की कटाई पश्चात् अवसंरचना संबंधी समेकित परियोजना।

2. सरल ऋण सहभागिता के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास।

3. बागवानी फसलों की मण्डी आसूचना सेवा।

4. बागवानी में नयी प्रौद्योगिकी तथा अवधारणाओं को लागू करना।

5. बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन सर्वेक्षण।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में पौषणिक उद्यानों की स्थापना।

7. बागवानी किसानों के प्रशिक्षण तथा दौरों के माध्यम से प्रौद्यागिकी अंतरण।

8. नागालैण्ड में बागवानी विकास के माध्यम से झूम खेती को समाप्त करना।

9. मध्य प्रदेश में अनन्नास की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार।

10. राजस्थान (सीकर जिले में) में समेकित बागवानी विकास।

11. फ्रूट जूस/फल आधारित पेयों के विपणन के लिए वैकल्पिक ढांचा।

12. बागवानी विकास के लिए व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करना।

13. फलस उत्पादकता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में मंत्री महोदय ने सूचना दी है कि इनके अधीन जो राष्ट्रीय स्तर का बागवानी बोर्ड बना हुआ है उसके कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए है। लेकिन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के विकास कार्यक्रम में क्रम संख्या आठ, नौ और दस में नागालैंड में बागवानी विकास, मध्य प्रदेश में अनान्नास की खेती और राजस्थान इस सूची में हैं, लेकिन बिहार नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं बिहार में आम, लीची और केले का उत्पादन होता है, उसके आधार पर छोटे-छोटे उद्योग खोलने के लिए जो किसान आगे बढ़ रहे हैं, क्या सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के विकास कार्यक्रम में बिहार को भी सूचीबद्ध करके सहायता देना चाहेगी?

श्री चतुरानन मिश्र : जो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है, वहां पर जो लोग योजनाएं बनाते हैं, कोआपरेटिव सेक्टर से हम उनको मदद पहुंचाते हैं। बिहार में इस तरह की कोशिश हो रही है। मैं हाल ही में बिहार गया था। पांच सेक्टर ऐसे बनाए गए हैं जिसमें वहां की राज्य सरकार के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। लेकिन जो अत्यंत पिछड़े इलाके हैं जैसे नार्थ-ईस्ट और कश्मीर, उनको ज्यादा प्राथमिकता देकर कराना चाहते हैं। क्योंकि उनके यहां पोटेंशिलिटी ज्यादा है। बिहार या उत्तर प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उनको प्राथमिकता दी गई है, इतना ही फर्क है।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अनुबंध तीन में भी सूची दी गई है। एन॰ सी॰ डी॰ सी॰ द्वारा स्थापित एवम् सहायता प्राप्त राज्यवार सहकारी प्रसंस्करण एकक जो हैं, इसमें 13 राज्य हैं।

इस सूची में भी बिहार की उपेक्षा की गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, एन॰सी॰डी॰सी॰ के द्वारा क्या बिहार में कोई सहायता देने वाली इकाई स्थापित करना चाहते हैं? इसी प्रश्न में दिया है, मकई की खेती देश में सबसे ज्यादा बिहार में होती है और बिहार में भी सबसे ज्यादा बेगुसराय, खगरिया और समस्तीपुर में। मकई की खेती से संबंधित निदेशालय दिल्ली में है, जबकि यहां एक भी पौधा नहीं लगता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार बिहार में बेगुसराय में इस निदेशालय की स्थापना करना चाहती है?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस निदेशालय को दिल्ली से नहीं हटायेंगे, क्योंकि देश के दूसरे भू-भाग को भी देखना होता है, लेकिन बिहार में एक रीजनल इंस्टीच्यूट बनाने के पक्ष में विचार कर रहे हैं। जहां तक एन॰सी॰डी॰सी॰ का ताल्लुक है, अगर को-आपरेटिव सैक्टर में बिहार काम करे, तो मुझे प्रसन्नता होगी। इसके लिए बिहार सरकार फारवर्ड करे, क्योंकि समर्थन तो सरकार ने ही देना है। बिहार के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन बिहार अपनी उपेक्षा अपने-आप कर रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी॰ एम॰ सईद : महोदय, मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हालांकि मुख्य प्रश्न से सीधा जुड़ा नहीं है। माननीय मंत्री जी प्रश्न के क्षेत्र से आगे बढ़ गए हैं।

आपने मेरे चुनाव क्षेत्र का दौरा किया है। आप जानते हैं कि देश में सर्वोत्तम किस्म का पपीता काफी मात्रा में लक्षद्वीप में पैदा होता है। वे जमीन से जुड़े आदमी हैं। वे मेरे साथ लक्षद्वीप जाने पर सहमत हो गए हैं क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार लक्षद्वीप को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वहां पपीता के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सके।

श्री चतुरानन मिश्र : खाद्य प्रसंस्करण का मामला मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी मैं अपने मित्र से इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप उन्हें अधिक पपीता उपजाने में मदद कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में नाफैड की एक ऐसी संस्था है, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रही है। इसके द्वारा टोमैटो-चीप्स या कैचअप बनाया जाता है। इसका चलन देश भर में है और माल विदेशों में भी जाता है, किन्तु यह कारखाना बहुत पुराना है। कारखाना बहुत पुराना होने के कारण जितना उत्पादन वहां किया जा सकता है, उतना उत्पादन वह नहीं कर पा रही है। इसके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरी जानकारी के अनुसार नाफैड ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उनको जमीन उपलब्ध

कराई जाए, उनके पास पैसा है। जमीन उपलब्ध होने पर जितना कैचअप बनता है, उसकी तुलना में वे सहकारिता क्षेत्र में ठीक ढंग से काम कर सकेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इससे सहकारिता के क्षेत्र को भी लाभ होगा। इस प्रकार की उनकी योजना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या वे स्वीकृति देकर जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई करवायेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जमीन उपलब्ध केन्द्रीय सरकार नहीं कराती है, वह राज्य सरकार कराती है। लेकिन हम आपके सवाल को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए एन॰ सी॰ डी॰ सी॰ से कहेंगे। हम जमीन उपलब्ध नहीं कराते हैं, वह तो राज्य सरकार कराती है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा आदिवासियों द्वारा भूमि की बिक्री

***322. श्री भक्त चरण दास :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा आदिवासियों को अपनी भूमि बेचने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उड़ीसा में, विशेष तौर पर कालाहांडी जिले में उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा आदिवासियों संबंधी आंकड़े हैं, जिन्हें स्वयं की भुखमरी से बचाने के लिए अपनी भूमि बेच देनी पड़ी;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा बेची गई भूमि के क्षेत्रफल सहित तत्संबंधी ब्यौरार क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आदिवासी भूमिहीन हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए तथा उनके विकास/पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियमन, 1956 (1956 का विनियम 2) की धारा 3 (1) के अंतर्गत और उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम 1980 की धारा 22, 23 और 23-ए के माध्यम से सक्षम प्राधिकरण/राजस्व अधिकारी को अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों की भूमि के हस्तान्तरण के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति का कोई सदस्य जो अपनी कोई अचल सम्पत्ति किसी गैर अनुसूचित जनजाति/गैर अनुसूचित जाति को हस्तान्तरित करना चाहता हो, सक्षम प्राधिकरण/राजस्व अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा और लिखित रूप में उसकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा। उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किए गए हस्तान्तरण के मामले में, सक्षम प्राधिकरण/राजस्व अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, आवेदन प्राप्त होने पर अथवा अपनी ओर से उक्त हस्तान्तरण को अवैध घोषित कर सकता है और हस्तान्तरण करने वाले अथवा उसके उत्तराधिकारी को भूमि पर फिर से स्वामित्व प्रदान कर सकता है और ऐसी प्रति एकड़ सम्पत्ति के लिए प्रति वर्ष 200/- रुपए अथवा उसके किसी भाग के लिए जिसके दौरान गैर कानूनी स्वामित्व जारी रहता है, जुर्माना लगा सकता है। इन दोनों ही अधिनियमों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की किसी अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण अथवा अन्य प्रकार से अप्राधिकृत कब्जे को हटाने तथा उन व्यक्तियों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को उस सम्पत्ति पर पुनः स्वामित्व प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।

(ख) भूखमरी से स्वयं को बचाने के लिए उनके द्वारा भूमि बेचने संबंधी कोई भी उदाहरण सरकार के ध्यान में नही आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था और उसका जो जवाब आया है उसमें डनअन्ट एराइज लिखा है। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मेरा पहला प्रशन यह था।

[अनुवाद]

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा आदिवासियों को अपनी भूमि बेचने की अनुमति दी है।

मेरे कहने का मतलब था कि क्या भारत सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जमीन बेचने की अनुमति देने के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति है। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया जबकि प्रश्न के भाग (ख) का जो उड़ीसा से संबंधित था उत्तर दिया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जमीन बेचने की अनुमति किए जाने संबंधी कोई नीति है अथवा नहीं?

अचल संपत्ति हस्तान्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1) तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी अथवा उप-समाहर्ता अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जमीन बेचने की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होते हैं। इस संबंध में कड़े सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया प्रश्न पूछें।

श्री भक्त चरण दास : अनेक प्रतिबंधों की व्यवस्था है लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। केवल 31 दिनों का नोटिस दिया

जाता है। इसमें आर० आई० की रिपोर्ट मांगी जाती है और तत्पश्चात् उप-समाहर्ता द्वारा जमीन बेचने की अनुमति दी जाती है। इसमें एक विशिष्ठ मानदण्ड अपनाया जाता है वह यह है कि सहायक जिला कल्याण अधिकारी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिये। आपको कानून का विश्लेषण नहीं करना है। मंत्री महोदय को कानून की जानकारी होगी।

श्री भक्त चरण दास : बिना सहायक जिला कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट मांगे तथा बिना स्थानीय तौर पर पूछताछ किए उड़ीसा में ऐसे हजारों अनुमति दिए जाने के मामले हुए हैं। मैंने विशेषतौर पर कालाहांडी जिले की बात पूछी थी जो उड़ीसा में स्थित है। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह की अनियमितताएं क्यों हुई। माननीय मंत्री जी ने कहा है, "प्रश्न ही नहीं उठता"।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको कुछ नहीं पूछना है तो मैं दूसरे सदस्यों को मौका देता हूं।

श्री भक्त चरण दास : मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस तथ्य को स्वीकार करेगी और क्या उन दोषी अधिकारियों को सजा देने के लिए जांच का आदेश दे भी जिन्होंने नियमों का बिना पालन किए ही उक्त अनुमति प्रदान कर दी।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : चूंकि भूमि राज्य सरकार का विषय है इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को जमीन बेचने की अनुमति देना उड़ीसा सरकार का काम है। चूंकि माननीय सदस्य ने उड़ीसा से संबंधित प्रश्न पूछा है अत: मैंने उड़ीसा राज्य के अधिनियमों अथवा कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री भक्त चरण दास : कालाहांडी में इतना अकाल पड़ा है। आप जानते ही हैं कि कालाहांडी, बोलांगीर और वेस्टर्न उड़ीसा में लोग पागलों की तरह शहर छोड़ कर भाग रहे हैं। करीब ढाई लाख लोग मेरी कांस्टीट्यूएंसी छोड़ करके भारत के विभिन्न शहरों में काम की तलाश में चले गए हैं। वे अपनी जमीन बेच कर जा रहे हैं। जमीन बेचने के लिए और गांव छोड़ने के लिए सब-कलेक्टर से परमिशन दी है। सात-आठ से लेकर 36 एकड़ तक कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के धर्मगढ़ सब-डिवीजन में-

[अनुवाद]

उप-समाहर्ता ने अनुमति दे दी है। उसने बहुत लोगों से घूस लिया है।

[हिन्दी]

एक साल में एक हजार एकड़ जमीन बेचने की परमिशन दी है, जोकि पिछले पांच साल में नहीं हुआ।

[अनुवाद]

इस प्रकार अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग भूमि विहीन हो गये हैं। इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में जांच का आदेश देगी।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मुझे लगता है कि माननीय सदस्य के पास समुचित आंकड़े नहीं हैं। कई मामले...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास : प्रत्येक प्रश्न उत्तर में उन्होंने कहा है "प्रश्न नहीं उठता" अत: मैं और क्या कह सकता हूं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं कालाहांडी के बारे में उत्तर दे रहा हूं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जमीन बेचने की अनमुति देने के मामले 88 स्थानों पर हुए और इसमें 192 एकड़ भूमि जुड़ी थी। बिना अनुमति के जमीन के अंतरण किए जाने के 516 मामले हुए। उड़ीसा भूमि (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत जमीन देने वाले को इसे पुन: वापस किए जाने के संबंध में कार्यवाही शुरू की गई है।

श्री शरत पटनायक : आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह समिति का गठन करने जा रही है ताकि उड़ीसा के पिछड़े जिलों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों द्वारा जमीन बेचे जाने के मामलों की जांच करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिया जा सके।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही गंभीर मामला है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। लेकिन यह मामला उड़ीसा राज्य सरकार का है।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद : यह समस्या पूरे देश में है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, लेकिन यह प्रश्न केवल उड़ीसा से जुड़ा है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : जहां तक समिति गठित करने का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई भी समिति गठित करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह अश्वासन देता हूं कि उड़ीसा में लोगों को भूमि बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए मैं कोई भी कोर कसर बांकी नहीं छोड़ूंगा।

श्री पी० एम० सईद : आप इस विषय पर कृपया आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें। यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। जनजाति क्षेत्र में पृथकता का मामला है। इस पर कभी चर्चा नहीं हो पायेगी। त्रिपुरा में भी अधिकांश समस्या जनजातिय भूमि की पृथकता से उत्पन्न है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह केवल उड़ीसा का मामला नहीं है। यह समस्या सर्वत्र है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चूंकि यह सरकार अध्यादेश पारित करने में काफी निगुण है, इसलिए इसमें उचित तो यही होगा कि सरकार एक अध्यादेश लाए और फिर एक विधेयक लाया जाए और उस पर

चर्चा हो। यही एक रास्ता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाइए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराना बेहतर समझता हूं। आधे घंटे की चर्चा काफी नहीं होगी।

श्री मधुकर सरपोतदार : मुझे पता नहीं कि श्री निर्मल कांति चटर्जी सरकार को अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है लेकिन मुझे संदेह है कि अवकाश के बाद इस पर चर्चा करने के लिए समय बचेगा अथवा नहीं। अवकाश के बाद कुछ समय मिलेगा।

[हिन्दी]

बाल सुधार

\+
*323. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

डॉ. वाई एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बाल सुधार गृह हैं और इनमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अलग-अलग रखे गए बालकों और बालिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन गृहों में रखे गए बच्चों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन गृहों से बच्चों के भाग जाने की घटनाएं भी हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) देश में किशोर सुधार केन्द्रों के संबंध में सूचना तथा वहां अलग-अलग रखे एक लड़कों तथा लड़कियों की संख्या राज्य वार-संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I तथा II में दिया गया है।

(ख) और (ग) कुछ गृहों के बारे में उपलब्ध सूचना से पता लगता है कि इन गृहों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके कारणों में खराब अवसंचरना स्टाफ की कमी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोरंजक सुविधाओं का अभाव शामिल हैं।

(घ) और (ङ) इन केन्द्रों से बच्चों के भाग जाने की घटनाएं हुई हैं। इसके कारणों में खराब अवसंरचना सुविधाएं तथा अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंध सम्मिलित हैं।

(च) इन गृहों की स्थिति सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(क) इन गृहों के रखरखाव के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना,

(ख) इन गृहों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को बार-बार पत्र लिखे गए हैं,

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कल्याण सचिवों की बैठक में यह मामला उठाया गया तथा इस पर विचार-विमर्श किया गया।

अनुबंध-I

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रेक्षण गृह	किशोर गृह	विशेष गृह	उत्तरवर्ती देखभाल	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	9	5	2	1	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	—	2
3.	असम	7	25	1	1	34
4.	बिहार	10	8	5	2	25
5.	गोवा	2	2	2	—	6

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	25	5	2	14	46
7.	हरियाणा	3	3	1	1	8
8.	हिमाचल प्रदेशं	—	1	1	—	2
9.	कर्नाटक	22	19	—	11	52
10.	केरल	12	5	2	—	19
11.	मध्य प्रदेश	22	2	3	1	28
12.	महाराष्ट्र	45	101	3	3	152
13.	मणिपुर	1	2	1	—	4
14.	मेघालय	1	—	—	—	1
15.	मिजोरम	3	3	—	—	6
16.	नागालैंड	—	1	1	—	2
17.	उड़ीसा	12	2	—	—	14
18.	पंजाब	7	2	1	2	12
19.	राजस्थान	11	4	1	—	16
20.	सिक्किम	1	—	—	—	1
21.	तमिलनाडु	14	17	3	3	37
22.	त्रिपुरा	1	1	—	—	2
23.	उत्तर प्रदेश	59	10	1	—	70
24.	पश्चिम बंगाल	7	19	4	6	36
25.	अंडमान निकोबार	—	—	—	—	0
26.	चंडीगढ़	1	1	1	—	3
27.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—
28.	दमन व द्वीव	—	—	—	—	—
29.	दिल्ली	3	11	—	—	14
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
31.	पाण्डिचेरी	1	1	1	1	4
	कुल :	280	251	36	46	613

अनुबंध-II

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी संस्थाओं की कुल क्षमता		
		लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1825	185	2010
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	150	100	250
4.	बिहार	1050	290	1340
5.	गोवा	125*	—	125
6.	गुजरात	1773	470	2243
7.	हरियाणा	250	150	400
8.	हिमाचल प्रदेश	70	—	70
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	3640	—	3640
11.	केरल	1325	425	1750
12.	मध्य प्रदेश	1250	350	1600
13.	महाराष्ट्र	7470	6925	14395
14.	मणिपुर	175	—	175
15.	मेघालय	40	—	40
16.	मिजोरम	45	—	45
17.	नागालैंड	20	10	30
18.	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—
19.	पंजाब	350	400	750
20.	राजस्थान	675	—	675
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—
23.	त्रिपुरा	75	—	75
24.	उत्तर प्रदेश	3450	—	3450
25.	पश्चिम बंगाल	800	765	1565

1	2	3	4	5
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार	—	—	—
2.	चंडीगढ़	30	—	30
3.	दादर और नागर हवेली	—	—	—
4.	दमन व द्वीव	—	—	—
5.	दिल्ली	1240	500	1740
6.	लक्षद्वीप	—	—	—
7.	पाण्डिचेरी	130	—	130
	कुल	25958	10570	36528

नोट :

* गोवा के मामले में गृहों की स्थिति लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए है।

— उपरोक्त विवरण संस्थाओं की स्थिति दर्शाता है। रखे जा रहे संवासियों की वास्तविक संख्या बारम्बार अंतर पर निर्भर है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज जो मैंने मंत्री जी से किशोर बंदियों और किशोर सुधार गृह के बारे में प्रश्न पूछा है, वह काफी गंभीर प्रश्न है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जितने भी मैंने प्रश्न पूछे थे, उन सब का उत्तर उन्होंने स्वीकार किया और मान लिया कि ये-ये चीजें यहां हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये किशोर बंदी गृह अपराध गृह में बदले जा रहे हैं और इनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसके बारे में मुझे सरकार से पहला प्रश्न यह पूछना है कि 1986 का जो ज्यूवैनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके बारे में जो गाइडलाइन्स तैयार की गई, क्या उनकी केन्द्र सरकार को जानकारी है? देश पें इस समय जितने भी बंदी गृह है, उनमें 36 हजार 528 लड़के और लड़कियां हैं। क्या केन्द्र सरकार को इसकी जानकारी है कि इस एक्ट की जो कुछ आवश्यकताएं हैं, वे सब जगह लागू हो रही हैं। इसके बारे में सरकार को पूरी रिपोर्ट है, जानकारी है और इसको जांचने के लिए केन्द्र में कोई समिति या सेल गठित किया हुआ है जिससे वह नियमित रूप से जानकारी ले रहे हैं?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड्ज़ और जुवेनाइल कोर्ट्स और 1986 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं। उसके मुताबिक जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड्ज़ और जुवेनाइल कोर्ट्स ठीक काम कर रहे हैं। अभी तक जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि 36528 किशोर बंदी इन गृहों में हैं, जेलों में नहीं है। अभी तक मोनीटरिंग की जो बात उन्होंने पूछी है, बाकायदा मेरे मंत्रालय में क्वार्टरली मोनीटरिंग की जाती है। कोई बहुत गंभीर मामला अभी तक नोटिस में नहीं आया है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मंत्री जी ने कहा है कि अभी तक कोई गंभीर मामला नोटिस में नहीं आया है। जबकि उन्होंने स्वयं माना है कि वहां व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है और किशोर सुधार गृहों से लड़के-लड़कियों के भागने की घटनाएं भी हुई हैं। ये सारी घटनाएं उनकी दृष्टि से गंभीर नहीं हैं, मेरी दृष्टि से गंभीर हैं। इसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं मुझे नहीं मालूम।

मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, वह कहते हैं कि इन गृहों के रख-रखाव के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तयी सहायता उपलब्ध कराएंगे। उनको क्या वित्तीय सहायता दी गई और कितनी दी गई, इस बारे में मत्री जी का क्या जवाब है? इन गृहों की कार्य-प्रणाली में सुधार के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को बार-बार पत्र लिख रहे हैं। इससे यह स्थिति जाहिर है कि बार-बार पत्र लिख रहे हैं लेकिन कोई उत्तर उनको नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने क्या पत्र प्रदेशों को लिखे हैं और कितनी वित्तीय सहायता दी है, इसकी जानकारी दें। क्योंकि वित्तीय सहायता के अभाव में ही किशोर सुधार गृहों की व्यवस्था खराब हो रही है। वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, यौन-शोषण हो रहा है। इस तरह की घटनाएं बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेशों को जो बातें लिखी हैं उसका क्या जवाब आया है? उनके पास क्या जानकारी है और कितनी वित्तीय सहायता दी गई है यह बताएं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल शर्मा जी बहुत शुक्रमंदी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने मेरी तरफ से या मेरे विभाग के सचिव की तरफ से बार-बार चिट्ठी

लिखने की बात पूछी है। उनको तो तारीफ करनी चाहिए कि मैं सोया हुआ नहीं हूं, मैं काम कर रहा हूं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : चिट्ठी लिखना कोई काम नहीं है। चिट्ठी का जवाब न आने की बात मैं कर रहा हूं। आप यह नहीं बताते कि आपने कितनी चिट्ठियां लिखीं और उनका क्या जवाब आया। वह आप बताइए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : चिट्ठी का जवाब न देना उनकी कमी है, मेरी नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मेघे, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : उन्होंने पूछा है कि कितने फंड्ज़ दिए गए हैं। मेरे पास इसकी डीटेल नहीं है। अगर मैं पढ़ने लगूं तो बहुत लंबी डीटेल है। मैं कह सकता हूं कि एक करोड़ सत्रह लाख तक 21 फरवरी तक चले गए।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : इसका भी स्टेटमेंट ले लिया है तो इसका भी ले कर देते।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं अब ले कर दूंगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : सभापति महोदय, क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कृपया जारी रखें।

श्रीमती कृष्णा बोस : सभापति महोदय, बाल सुधार गृह बाल अपराधियों के सुधार के लिए हैं लेकिन हमारे देश में बाल अपराध खतरनाक ढ़ंग से बढ़ रहा है। हम सभी लोग यह जानते हैं। उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना होगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि इन गृहों में पर्याप्त संख्या में मनोचिकित्सक, चिकित्सा कर्मचारी और शिक्षाविद् हैं या नहीं। मैं यह इसलिए जानना चाहती हूं कि बाल सुधार गृह का काम भोजन और शरण मात्र देना नहीं है। बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य उनमें सुधार लाना है। क्या आपके पास यह करने के लिए आधारभूत ढ़ांचा है? क्या आपके पास मनोचिकित्सक, चिकित्सा कर्मचारी और शिक्षाविद् हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत ही अच्छा प्रश्न है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : जी महोदय, हमारे पास आधारभूत ढांचा है।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने यह संदेह व्यक्त किया कि इस विशेष प्रयोजन के लिए नियतित धन का समुचित ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक विषय है। ये सभी बाल सुधार संस्थाएं ठीक से नहीं चल रही हैं जिसके कारण ही मंत्रालय ने इन सभी संस्थाओं को कई पत्र लिखे हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री ने देश के किसी कोने में स्थिति ऐसे किसी केन्द्र का दौरा किया है? मैं समझता हूं कि संबंधित मंत्री ने दौरा किया होगा। उन्होंने यह पाया कि इन सभी संस्थाओं में अनियमितताएं चल रही हैं। इस पर माननीय मंत्री का क्या विचार है मैं यह जानना चाहता हूं। सिर्फ पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। हम लोग उनके लिए कितना धन आबंटित कर रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सभी संस्थाओं की गतिविधियों की जांच-पड़ताल के लिए उनके पास कोई तंत्र है या नहीं ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अभी तक मैंने बाल सुधार गृहों का दौरा नहीं किया है। लेकिन जैसे ही सत्र समाप्त होगा मैं इनका दौरा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है।

श्री तिरुची शिवा : उन बाल सुधार गृहों से बाहर आने वाले बच्चों को सामान्यतः अपराधी समझा जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में समाज द्वारा उन्हें नकार दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे बच्चों को नौकरियों में विशेष महत्व देगी ताकि वे दूसरों की ही तरह बिना किसी भेदभाव के समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : बाल अपराध अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष तक के लड़कों और 18 वर्ष तक की लड़कियों की जिम्मेदारी सरकार पर है। कई उपाय और प्रावधान हैं जिनके जरिए बच्चों को सामान्य जीवन यापन योग्य बनाया जा सकता है। हमारे पास कुछ अन्य माध्यम भी हैं जिनके सहारे हम ऐसे बच्चों को स्वरोजगार मुहैय्या कराते हैं।

लौंग उत्पादन

***324 श्री पी॰ सी॰ थॉमस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पैदा होने वाली लौंग अच्छी किस्म की होती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार लौंग के कुल उत्पादन, घरेलू आवश्यकता और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) सन् 1985 तथा इससे आगे लौंग के घरेलू मूल्य का वार्षिक ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने लौंग की खेती करने वाले किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) (i) अद्यतन उपलब्ध कच्चे अनुमानों के अनुसार लवंग का राज्यवार उत्पादन इस प्रकार है :

(मीटरी टन में)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
केरल	734	750	750	750	750
तमिलनाडु	690	674	650	822	830
कर्नाटक	75	75	75	75	75
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.17	1.39	1.62	1.88	1.92
कुल :	1500	1500	1477	1649	1657

(ii) वर्ष 1991-92 से वर्ष 1995-96 तक प्रति वर्ष आयातित लवंग की मात्रा इस प्रकार है :

वर्ष	आयातित (मीटरी टन)
1991-92	1594.35
1992-93	2924.46
1993-94	4503.87
1994-95	2523.17
1995-96	3305.45

(iii) लवंग की वार्षिक स्वदेशी खपत लगभग 5,000 मीटरी टन है।

(ग) वर्ष 1985-86 से 1996-97 तक (जनवरी, 1997 तक) कोट्टायम और त्रिचुर में लवंग (अनिष्कर्षित) के मूल्य इस प्रकार हैं :

(मूल्य (रुपए/कि॰ग्रा॰)

वर्ष	कोट्टायम	त्रिचुर
1	2	3
1985-86	189	189
1986-87	186	188
1987-88	222	216
1988-89	172	160
1989-90	151	146
1990-91	207	199
1991-92	257	245
1992-93	233	175
1993-94	165	110
1994-95	145	83
1995-96	142	95
1996-97 (जनवरी, 1997 तक)	148	94

(घ) लवंग के किसानों को 125 करोड़ रुपए के परिव्यय से आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किए जा रहे केन्द्रीय प्रायोजित समेकित मसाला विकास कार्यक्रम के अधीन सहायता दी जा रही है। लवंग हेतु कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) राजसहायता प्राप्त दरों पर पौधों का उत्पादन और वितरण; और

(ii) प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना। इसके अलावा लवंग सहित मसालों की उन्नत किस्मों के संकलन और बहुलीकरण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में प्रदर्शन-सह-संतति उद्यानों की स्थापना की जा रही है।

इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के अधीन ड्रिप सिंचाई के उपयोग

के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 70 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा अनुसंधान संस्थाओं में उनके वृहत् पैमाने पर बहुलीकरण और किसानों को वितरित करने के लिए 40 उत्तम जड़ और मानकीकृत वानस्पतिक प्रवर्धन तकनीकों को अभिज्ञात किया है। कृमि और रोगों के लिए उर्वरक अनुसूची और नियंत्रण उपायों को भी मानकीकृत किया गया है जिन्हें किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, उत्तर के अनुसार भारत में लौंग की पैदावार ज्यादा नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि किसानों को इससे बहुत लाभ नहीं हो रहा है, हालांकि भारत को विश्व का सर्वोत्तम लौंग पैदा करने का गौरव हासिल है।

हम उत्तर में यह देखते हैं कि दस वर्षों पूर्व अर्थात् 1985-86 में इसका मूल्य 189 रु० प्रति किलो था जबकि 1996-97 में इसका मूल्य मात्र 94 रु० प्रति किलो है जबकि उत्पादन लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। क्या माननीय मंत्री इसे गंभीरता से लेंगे और यह देखेंगे कि किसानों को उनके लागत के अनुरूप मूल्य दिलाकर कैसे बचाया जाये और विशेषकर जबकि वे विश्व के सर्वोत्तम लौंगों का उत्पादन कर रहे हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : यह सत्य है कि हम किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा विश्व का सर्वोत्तम लौंग पैदा करते हैं। लौंग के आयात के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1995-96 में इकाई मूल्य 29. 16 रु० प्रति किलो था। घरेलू लौंग का मूल्य 98 रु० से 142 रु० प्रति किलो तक रहता है। यह काफी गंभीर मामला है और उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए हम अभी भी लौंग के आयात की अनुमति प्रदान कर रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं उसके बारे में गंभीर हूं तथा मैंने मंत्रालय से इतनी कम उत्पादकता का कारण पता करने को कहा है। इसके बारे में जांच-पड़ताल होनी चाहिए।

पौधों और टिश्यू कल्चर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के विस्तार में जाना चाहिए।

जहां तक उच्च पैदावार लागत का प्रश्न है हमें यह बताया गया है कि यह 200 रु० प्रति किलो है। हालांकि अभी तक कोई सरकारी निर्धारण नहीं किया गया है मैंने मंत्रालय से इस मामले के विस्तार में जाने को कहा है ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के व्यापार में उतर सके।

श्री पी. सी. थामस : एक दूसरा पहलू भी है जो किसानों की आशाओं पर पानी फेर देता है। माननीय मंत्री ने कहा है कि उत्पादन लागत 220 रु० प्रति किलो के लगभग है जबकि इसका मूल्य 94 रु० प्रति कलो तक गिर गया है और आयात बढ़ रहा है। लकिन इन सबके अलावा कुछ देशों से बड़े पैमाने पर तस्करी भी की जा रही है। हम पाते हैं कि अन्य माध्यमों के द्वारा लौंग कुछ बंदरगाहों पर आते हैं जहां से वे सड़क मार्ग द्वारा ले जाते हैं और जब सड़क मार्ग से ये ले जाए जाते हैं तो उस समय उनकी तस्करी होती है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मंत्रालय के नोटिस में आया है या नहीं और यदि आया है तो इन अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या गंभीर कार्रवाई की जाएगी ताकि भारतीय किसानों को बचाया जा सके।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, गैर सरकारी रिपोर्ट यह है कि यह आ रहा है जब मूल्य में अंतर इतना ज्यादा है तो यह समझा जा सकता है कि तस्करी होगी फिर भी बाहर से आयातित लौंग पर आयात शुल्क वसूल किया जाता है और यह 32 प्रतिशत तक है।

निःसंदेह, हमने सरकार से और अन्य विभागों से अधिक सतर्क रहने और कुछ करने के लिए कहा है। लेकिन समस्या का वास्तविक हल तो हमारी अपनी उत्पादकता को सुधारने में है। मैं इस मामले को देखूंगा।

श्री वी. धनन्जय कुमार : महोदय, कर्नाटक देश का तीसरा सबसे बड़ा लौंग उत्पादक राज्य है। यदि हम उत्पादन दर देखें तो यह 1991 से 1994-95 तक बिल्कुल स्थिर रहा। यह केवल 72 मीट्रिक टन है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रदर्शन भूखंडों और प्रदर्शन-सह-संतति बगीचों की स्थापना जैसे कुछ कदम उन्होंने उठाए हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कार्यक्रम कर्नाटक सहित परंपरागत रूप से लौंग का उत्पादन कर रहे क्षेत्रों में भी शुरू किए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है। वर्ष 1995-96 तक के आयात संबंधी आंकड़ें दिए गए हैं। वर्ष 1995-96 में 3,305.45 मीट्रिक टन लौंग का आयात किया गया था। इसका मतलब यह है कि 50 करोड़ रु० से अधिक के लौंग का आयात किया गया। इस प्रकार आयात पर उतना अधिक विदेशी मुद्रा खर्च हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लौंग का उत्पादन कर रहे किसानों को अधिक सुविधा देकर लौंग उत्पादन के परम्परागत क्षेत्रों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को और विस्तुत करने का विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में लौंग का पौधा तो बड़ा होता है लेकिन फूल होता ही नहीं। हमने इसकी जांच के लिए कहा है कि ऐसे क्या कारण है जिससे कि उनके यहां फूल नहीं लगता। केरल में फूल लगता है, तमिलनाडु में नही लगता लेकिन इनके यहां ज्यादा नहीं लगता। हम इसकी जांच ही करवा सकते हैं और हमने इस पहलू को देखने के लिए, विचार करने के लिए कह दिया है।

[अनुवाद]

डॉ. के. पी. रामालिंगम : अभी भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है। अत्यधिक उत्पादन होने पर भी किसान लौंग उत्पादन के इच्छुक नहीं हैं। क्या आपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से संकर जाति के उत्पादन के लिए कोई योजना बनाई है? अभी तक कोई अनुसंधान किया गया है। क्या आपने लौंग की संकर जाति के उत्पादन का कोई विचार किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह लौंग के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या वहां के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम है ? क्या मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पहला प्रश्न उससे संबंधित था। मंत्री जी, क्या गैर-परंपरागत क्षेत्रों की खोज के लिए आपके पास कोई योजना है?

श्री चतुरानन मिश्र : जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं पहला विचार यह देखने का है कि उत्पादन में कैसे वृद्धि ही जाए और इसके लिए मौसम की दृष्टि से अनुकूल क्षेत्रों को खोज निकालने का है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह निश्चय ही परम्परागत क्षेत्रों में से एक है लेकिन कर्नाटक जैसे अन्य क्षेत्रों में भी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और जैसा कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि वहां गड़बड़ी है। इसलिए निश्चय ही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। सबसे पहले, संकर या टिश्यू कल्चर या कुछ इसी प्रकार की चीज कैसे खोजी जाए? यदि इसका निर्णय हो जाता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं।

डॉ. के. पी. रामालिंगम : अभी तक संकर जाति पर अभी तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संक्षेप में, यह स्थिति सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी प्रकाश डालती है। मुझे एक प्रश्न करने दीजिए। सर्वप्रथम, मोटे आकलन के अनुसार हम कहें कि आयातित और घरेलू लौंग का मूल्य अंतर 30 करोड़ रुपये है। तब कौन आयात करता है और कौन लाभ कमाता है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह हैं। आपने 32 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया हुआ है। आयात शुल्क को घटाने की बजाए इसे क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता है जिससे कि सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है। आपने मात्रात्मक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है? ऐसा इसलिए कि जब आप सुधार करना शुरू करेंगे उससे पहले ही वे लौंग के आयात से अलग हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि यह घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए कुछ संरक्षण की आवश्यकता है। साथ ही गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना आवश्यक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के द्वारा ऐसा दृष्टिकोण अपनाना संभव है या नहीं।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, सवाल यह है कि लौंग का आयात पड़ौसी देशों जैसे श्री लंका और अन्य स्थानों से हो रहा है। हम लोग इतना ज्यादा शुल्क नहीं लगाना चाहते हैं जो कि हमें प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे।

माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि दक्षेस देशों के लिए हम इसमें कमी करने जा रहे हैं। यह हमारी उस नीति के प्रतिकूल होगा जिसे हमे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम स्वयं अपने उत्पादन को बढ़ाकर उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम उत्तर पूर्व जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपसे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के बारे में कहा था। ऐसा करके और न कि आयात शुल्क बढ़ाकर हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह वांछनीय नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि हमारा उनके साथ अच्छा संबंध है। लेकिन यही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। यदि ये देश विकसित देश होते तो मैं मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर भी विचार करता। लेकिन हमें हमारे पड़ौसियों के साथ व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाना है। मैं नहीं सोचता कि यह उचित है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लाभ कौन कमाता है ? आयातक कौन है ?

श्री चुतरानन मिश्र : मैं आपको आयातकों के नाम नहीं दे सकता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सरकारी उपक्रम नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र : क्या हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत अब सरकारी क्षेत्र के लिए है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं आपसे इसकी पुष्टि चाहता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं नहीं सोचता हूं कि कम्युनिस्टों को इस संबंध में कोई भ्रम है। कम्युनिस्टों को हमारे देश की दिशा के बारे में कोई भ्रम नहीं है।

[हिन्दी]

बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति

***325. श्री रामशकल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में किसानों को उर्वरक और बीज समय पर नहीं मिल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) आजकल यूरिया ही ऐसा उर्वरक है, जो सांविधिक मूल्य, संचलन तथा वितरण नियंत्रण के अंतर्गत है, जबकि फास्फेट वाले तथा पोटाश वाले उर्वरक 25.8.1992 से विनियन्त्रित हैं। यद्यपि, देश के सभी भागों में उर्वरकों और बीजों की सप्लाई बेहतर करने के प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी वर्तमान में मांग सप्लाई से अधिक है। इस मांग को पूरा करने के लिए लगभग 20-30 प्रतिशत यूरिया और डी॰ ए॰ पी॰ का आयात किया जाता है, जबकि एम॰ ओ॰ पी॰ के मामले में, सम्पूर्ण आवश्यकता आयात के ही जरिए पूरी की जा रही है।

किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य निजी डीलरें सहित विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से किसानों के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के वितरण की व्यवस्था करते हैं। किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों में राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा सहायता की जाती है।

उर्वरक और बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादन, अधिप्राप्ति, संचलन तथा वितरण के उत्तरदायी विभिन्न अभिकरणों में परस्पर सम्पर्क रखा जाता है। इस साल, फॉस्फेट वाले तथा पोटाश वाले उर्वरकों पर काफी हद तक रियायत देकर तथा जम्मू-कश्मीर तथा दूरस्थ क्षेत्रों में सप्लाई की स्थिति को बेहतर बनाने की दृष्टि से सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में परिवहन राजसहायता देकर सरकार ने ठीक समय पर उर्वरक नीति की घोषणा की है। विनियंत्रित और डी-कैनेलाइज उर्वरकों की उपलब्धता को और अधिक बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए यथावश्यक उर्वरकों की 25 प्रतिशत आवश्यकता को आयात द्वारा पूरा किए जाने का प्रावधान रखा गया है। उर्वरकों की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई प्लान को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता रहा है तथा समीक्षा की जाती रही है।

श्री रामशकल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि देश के सभी भागों में उर्वरकों और बीजों की सप्लाई बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वर्तमान में मांग और सप्लाई इससे अधिक है। मेरा इस विषय में यह कहना है कि जब किसान इन समितियों के केन्द्रों पर पहुंचता है तो पता चलता है कि बीज और खाद पहुंचे हो नहीं हैं अगर बीज और खाद समय से आये भी हैं तो बड़े किसान और काश्तकार रातों-रात अधिकारियों की मिली-भगत से उसे उठा लेते हैं। सीमांत किसान चक्कर लगाता रहता है लेकिन उसे समय से बीज और खाद नहीं मिल पाता। क्या मंत्री जी को इस विषय में जानकारी है? सीमांत किसानों और जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनको लाभ मिले, ऐसी कोई व्यवस्था आप करेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की आलोचना से सहमत हूं कि छोटे किसानों के पास, गरीब किसानों के पास खाद और बीज नहीं पहुंच पाता है। यह समस्या है। राज्य सरकारों ने एक एसेसमैंट करके भेजा है कि इतना हमको चाहिए तो उसके मुताबिक हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। वह एसेसमैंट जाने पर ऐसा लगता है कि तमाम लोगों की खेती का वह एसेसमैंट नहीं है। सीड की और खाद की जरूरत कहीं ज्यादा हो जायेगी। कोई ऐसा रास्ता निकालने के लिए मैंने मंत्रालय से भी कहा है और मैं खुद भी सोच रहा हूं कि कैसे हम छोटे किसानों के पास डायरैक्टली उनको पहुंचा दें।

जो अभी कदम उठाए जा रहे हैं वे यह हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक-एक गोदाम फर्टीलाइजर का बनाया जाए, खासकर उन जिलों में, उन इलाकों में जो फर्टीलाइजर प्लांट्स से बहुत दूरी पर हैं और आफ-सीजन में ही वहां पर स्टाक जमा कर दिया जाए। दूसरा काम यह करने जा रहे हैं कि हरेक जिले में जो हमारे नेशनल सीड कार्पोरेशंस हैं, उन लोगों के दफ्तर, एजेंसी हर जगह दें। हर डिस्ट्रिक्ट में और बाद में सभी प्रखंडों में इसे हम खोल दें ताकि उनके घर के नजदीक जाएं और अगर केरल की तरह हर जगह पंचायत सिस्टम अच्छा हो जाए, तो पंचायत लैवल पर भी इसको ले जाया जा सकता है।

श्री रामशकल : अध्यक्ष महोदय, किसानों को बीज और खाद समय पर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इनको समय पर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय खाद निगम द्वारा सहायता की जाती है। इस संबंध में मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो समितियां हैं, इनको क्या आप पंचायत के स्तर तक ले जाएंगे ताकि सामान्य किसान को भी वहां पर समय पर बीज और खाद उपलब्ध हो सके क्योंकि प्राय: यह देखने में आता है कि ये चीजें किसानों को गांवों में समय पर सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं जिसके कारण उन्हें प्राइवेट दुकानों से खरीदकर अपना काम चलाना पड़ता है। यदि मैं यह कहूं कि यदि प्राइवेट दुकानें न होतीं, तो किसान अपनी खेती भी नहीं कर पाते, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी? इसके बारे में मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : सर, मैंने तो इसका जवाब अभी दे दिया है कि हम हर जिले में इसकी कोशिश कर रहे हैं।

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद बीज और खाद की समस्या का अनुभवी हूं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज से पांच साल पहले जिस गेहूं के बीच से बाली उगती थी उसमें एक बाली में 80 से 90 दाने होते थे और आजकल जो गेहूं बोया जाता है उसकी बाली में 50 से 60 दाने निलकते हैं। इसका अभिप्राय क्या यह है कि अब बीज घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है, यदि हां, तो किसानों को बढ़िया क्वालिटी का बीज मिले और पहले जैसा बीज सप्लाई किया जा सके जिससे उत्पादन ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

दूसरी बात यह है कि जैसी माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की, गांवों में खाद और बीज समय पर नहीं मिलता है और जब समय निकल जाता है और बारिश आ जाती है, तो बीज आता है जबकि किसान बारिश आने से पहले ही बोना चाहेगा। इसलिए उसे बाजार से लाकर अपना काम चलाना पड़ता है। इसी प्रकार से गेहूं की फसल के लिए भी बीज समय पर नहीं मिलता है और जब किसान बाजार से लेकर बो देता है, तब आपका बीज गोदामों में पहुंचता है। इसके लिए आप

क्या कर रहे है जिससे उनको बीज और खाद समय पर मिल सकें?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि समय पर इन चीजों को देने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिपो खुले और फिर आगे चलकर ब्लाक में भी खोलने का प्रयास करेंगे, यह मैंने अभी कहा।..*(व्यवधान)* हमने यह नहीं कहा है कि आलरेडी खोल दिए हैं। हमने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम फिर कहना चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले हम उन माननीय सदस्य का जवाब दे दें, जिन्होनें हमसे प्रश्न पूछा है। पहले दाना ज्यादा लगता था अब दाना कम लग रहा है। इसमें यह होता है कि चार पांच साल के बाद जो उन्नत बीज हम लोग अपने अनुसंधान केन्द्रों में बनाते हैं, उसको बदलना पड़ता है। अगर नहीं बदलेंगे और नेशनल बीज की तरह से वह रखेंगे, तो होगा नहीं। इसलिए हर चार-पांच साल के बाद बदलना पड़ता है और इसीलिए ऐसा हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कहीं यह ऐसा तो नहीं है कि बाजार से जो बीज लाकर बोते हैं उनमें नहीं होता है और सरकारी गोदामों बीजों में ऐसा होता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान : यह एक व्यावहारिक तथ्य है कि उर्वरकों के विनियंत्रण के पश्चात् कृषकों को उवर्रक न तो पर्याप्त मात्रा में और न ही उचित दामों पर प्राप्त हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कम से कम एक अवयव, फास्फेट तथा पोटाश वाले उर्वरक तथा उसके मूल्य को विनियंत्रित करेगी। किसानों को राजसहायता बिक्री मूल्य के उपभोक्ता स्तर की होनी चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं यूरिया तो नियंत्रित है परन्तु डी॰ ए॰ पी॰ विनियंत्रित है। जब सम्पूर्ण देश विनियंत्रण की ओर जा रहा है, तो मैं एक ही वस्तु को नियंत्रित कैसे कर सकता हूं। मुझे इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि सदन चाहे तो मैं वैसा कर सकता हूं। मैं तो केवल यह कार्य करने में दृढ़ विश्वास रखता हूं परंतु देश विनियंत्रण की ओर उन्मुख है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि बीज देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।...*(व्यवधान)*

श्री चतुरानन मिश्र : हमने यह नहीं कहा।

श्री अनंत गुढ़े : मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा जो बीज दिए जाते हैं, उनके ऊपर केन्द्र सरकार का कोई दबाव है। जो बीज दिए जाते हैं, वे बेकार निकलते हैं जिनकी वजह से कई फसलें बेकार हो जाती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे बीज देने की वजह से किसानों की जो फसले बेकार हो जाती हैं, क्या उनके लिए केन्द्र सरकार कोई मुआवजा देती है? इस प्रकार के मुआवजे कई बार मांगे गए हैं लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यदि नेशनल सीड्स कार्पोरेशन ने ऐसा किया है, उसकी रसीद आज दे दें तो हम उनको हर्जाना देने के लिए कहेंगे। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि कानून में ही सीड्स एक्ट में परिवर्तन किया जाए ताकि जो भी स्पूरियस यानी नकली किस्म का बीज दे, उस पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं होगा बल्कि उसे कम्पैनसेशन भी पे करना पड़ेगा। हमने अपने मंत्रालय को यह लैजिसलेशन इनीशिएट करने के लिए कह दिया है। इस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं...*(व्यवधान)* यह तो आप जब तक कर देंगे। हम तो बिल लाकर दे देंगे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आपकी खाद में भी पत्थर मिलते हैं।..*(व्यवधान)*

श्रीमती रजनी पाटिल : अध्यक्ष महोदय, जो बीज दिए जाते हैं, वे घटिया किस्म के होने के कारण किसानों को जो हानि पहुंचती है, उसके बारे में माननीय सदस्यों ने अभी कहा। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो घटिया किस्म के बीज देते हैं, क्या उनको प्रतिबद्ध करने के लिए कोई कदम उठाया गया है? कम्पैनसेशन नहीं चाहिए क्योंकि एक बार ही देंगे। किसान को फसल उगाने के बाद पता लगता है कि बीज खराब था। हम किसान हैं इसलिए जान सकते हैं कि जब बाद में पता लगता है कि हम फंस गए हैं तो बहुत परेशानी होती है। क्या ऐसी कंपनियों के लिए आपने कोई क़दम उठाया है?

खाद के बारे में हमेशा यह प्रैक्टिस रही है, खास तौर से महाराष्ट्र में जब बारिश हो जाती है, सब काम हो जाता है तब हमारे गोदाम में खाद आती है। उसके लिए आपने कहा है कि हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो सप्लायर्स हैं, वे भी ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं, किसानों को लूटते हैं और खाद टाइम पर नहीं देते। जो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दो हिस्से में हैं। पहला हिस्सा तो सीड्स के मुताल्लिक है। जहां तक बीज का क्रिमिनल आस्पैक्ट है, वह तो लॉ में आलरैडी हैं इसलिए मुकदमा चलाना वहां की सरकार और आपकी जिम्मेदारी है। हमसे कहेंगे तो हम भी मदद कर देंगे। लेकिन वह लॉ में आलरैडी प्रोवाइडेड है। जो प्रोवाइडेड नहीं है, वह यह है कि उनको कम्पैनसेशन मिले। कम्पैनसेशन के लिए हम इनीशिएट करवा रहे हैं। जहां तक टाइमली नहीं पहुंचने की बात है, हमने इस आलोचना को स्वीकार किया है और इसलिए हम नए इंतजाम कर रहे हैं। आपसे भी कहते हैं कि यदि समय पर नहीं पहुंचे और आप समय पर ही खबर करें तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पहुंचा दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरदार सुरजीत सिंह बरनाला।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे भूतपूर्व कृषि मंत्री को अवसर देना है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, मेरा प्रश्न उर्वरकों से संबंधित है। माननीय मंत्री द्वारा उर्वरकों के संबंध में दिया गया उत्तर है : "कि इस समय मांग आपूर्ति से अधिक है।"

उर्वरकों की मांग आपूर्ति से अधिक है। अब यूरिया के मूल्य दस प्रतिशत बढ़ा दिए गए हैं। वे कहते हैं कि यूरिया की कुछ मात्रा का आयात किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी इस संबंध में प्रयत्न किया गया था जिसके अंतर्गत हमें 133 करोड़ रु० के घपले का पता चला जिसमें एक बोरी भी यूरिया भारत में नहीं आया जब कि धन का भुगतान कर दिया गया था।

अब मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहूंगा। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में उर्वरकों की कम आपूर्ति के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दो मिलियन टन गेहूं का आयात करना पड़ा। हम, इस स्थिति में इतनी अधिक मात्रा में गेहूं का आयात कर रहे हैं। यदि उर्वरकों की आपूर्ति में कमी जारी रहती है तो देश में अगले वर्ष भी खाद्यान्नों की आपूर्ति में कमी होने की संभावना है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। क्या माननीय मंत्री इस बात का उत्तर देंगे कि क्या सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : जी हां, महोदय। यथासंभव इसकी योजना बनाई जा रही है...*(व्यवधान)* हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गोदाम

***326. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम कहां-कहां स्थित हैं और इनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के उन जिलों में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय/गोदाम स्थापित करने का है जहां वे नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (ढके हुए और खुले) के स्थान और क्षमता के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I और II पर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम किसी राज्य के प्रत्येक राजस्व जिले में आवश्यक रूप से कार्यालयों/गोदामों की स्थापना नहीं करता है बल्कि यह आवश्यकता और व्यवहार्यता के आधार पर कार्यालय/गोदाम स्थापित करता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 62 राजस्व जिलों में भारतीय खाद्य निगम के पास गोदामों की सुविधा है।

निम्नलिखित राजस्व जिलों में नए गोदामों का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है :

(1) पडरौना

(2) पिथौरागढ़

(3) मुजफ्फरनगर

(4) रामपुर

(5) शाहजहांपुर

अनुबंध-I

1.2.97 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता (ढकी) (अपनी और किराये की) बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

केन्द्र का स्थान	कुल ढकी हुई भण्डारण क्षमता (अपनी व किराये की)
1	2
आगरा	54.98
शिकोहाबाद	24.20
कड़हल	0.71
मैनपुरी	13.35
बहेड़ी	8.00
बरेली	39.51
पारसखेड़ा	49.17
बिलसांडा	4.00
बिलासपुर	9.10
पीलीभीत	23.53

1	2
पूरनपुर	11.91
बुलंदशहर	36.68
खुर्जा	36.10
श्यामनगर	8.79
बाराबंकी (नया)	55.00
बाराबंकी (पुराना)	17.50
फैजाबाद	43.73
सुल्तानपुर	9.00
बस्ती	6.37
गोरखपुर	35.34
नाखा	0.01
पुरन्दरपुर	2.50
डुमरियागंज	0.53
हापुड़	76.15
लोनी	50.00
जंजठी	2.00
मेरठ	2.00
प्रतापपुर	29.50
अलमोड़ा	3.00
बाजपुर	10.00
गदरपुर	15.00
गुलरभोज	4.20
हल्दूचूर	30.00
हल्द्वानी	4.90
जसपुर	5.70
कमलुआगंज	3.60
काशीपुर	12.40
खटीमा	12.20

1	2
रामनगर	1.00
रुद्रपुर	52.10
सितारगंज	8.30
टनकपुर	3.00
किच्छा	0.90
पिथौरागढ़	2.50
बिलासपुर	25.00
रामपुर	18.20
उरई	29.50
झांसी	21.96
ललितपुर	6.53
इटावा	26.33
जसवंत नगर	2.78
फरूखाबाद	5.00
चंदेरी (बिंस)	72.00
चंदेरी (एफ० एस० डी०)	130.98
नौबस्ता	0.32
पुखरायां	2.47
रायबरेली	40.00
जायस	3.90
महाराजगंज	1.25
दरोगाखेड़ा	3.75
लखनऊ	58.17
बांगरमऊ	5.71
उन्नाव	6.03
बदायूं	5.00
उझानी	8.56
बिजनौर	0.65

1	2
नगीना	2.50
अमरोहा	3.55
चंदौसी	13.00
मुरादाबाद	23.34
ठाकुरद्वारा	2.80
बामनहाड़ी	45.00
सहारनपुर	16.91
पिलखनी	35.00
जौनपुर	3.34
मिर्जापुर	11.81
राबर्टगंज	4.00
वाराणसी	71.00
व्यासनगर	25.00
देहरादून	11.00
ऋषिकेश	4.17
विकासनगर	3.00
उत्तरकाशी	1.28
अलोपीबाग	9.00
इलाहाबाद	5.00
करचाना	23.00
नैनी	51.97
फतेहपुर	39.34
प्रतापगढ़	5.00
आजमगढ़	22.30
देवरिया	5.00
मऊ	0.70
अटारा	13.84
बांदा	14.56
महोबा	10.00
बलिया	2.75
जंगीपुर	5.63
बहराइच	6.47
गोंडा	30.00
प्रसादपुर	5.00
पवायां	2.00
रोजा	30.00
शाहजहांपुर	13.83
हरदोई	11.92
संडीला	23.92
लखीमपुरखीरी	14.73
पलिया	8.60
तिकुनिया	2.82
सीतापुर	25.79
ज्वालापुर	5.31
रुड़की	5.31
श्रीनगर	5.00
कोटद्वार	7.80
अलीगढ़	16.07
हरदुआगंज	82.20
हाथरस	13.34
सिकन्दरा राव	5.00
इटा	11.89
कासगंज	9.16
कोशीकलां	55.30
मथुरा	13.22
जोड़ (ढकी हुई क्षमता)	2180.14

अनुबंध-II

1.2.1997 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता (अपनी और किराए की), कैप (खुली) बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

केन्द्र का स्थान	कैप भंडारण क्षमता (अपनी और किराए की)
1	2
आगरा	16.01
बरेली	3.00
पीलीभीत	4.50
बिलासपुर	34.00
बुलंदशहर	1.40
खुर्जा	1.40
लालपुर	57.50
श्मामनगर	1.40
बाराबंकी	21.30
बस्ती	2.50
गोरखपुर	2,30
हापुड़	7.80
हल्द्वानी	3.50
खटिमा	3.00
रुद्रपुर	2.20
बिलासपुर	7.50
धमोरा	65.00
झांसी	9.40
चंदेरी	14.00
तालकटोरा	8.40
रायबरेली	25.00
मुरादाबाद	1.66
व्यासनगर	13.34
मिर्जापुर	1.12
नैनी	9.50
आजमगढ़	4.62
अतरा	2.40
महोबा	2.60
बांदा (एम॰वाई॰)	12.00
पोयां	20.00
रोजा	40.00
शाहजहांपुर	10.00
हरदोई	3.25
संडिला	20.00
लखीमपुरखीरी	16.80
सीतापुर	1.10
हर्दुआगंज	3.15
हाथरस	0.84
	453.57

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : इनके जो खुले गोदाम हैं, जहां गेहूं और अन्य समान रखते हैं, उनमें प्रति वर्ष कितने लाख रुपये की क्षति होती है? जितनी क्षति होती है क्या उस क्षति से नए गोदाम नहीं बनाए जा सकते?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, उस क्षति से बनाए जाएं या. दूसरे तरीके से बनाए जाएं...

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्षति का बताएं।

श्री चतुरानन मिश्र : किस गोदाम की क्षति का, क्या सारे भारत का पूछ रहे हैं?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : जी नहीं, सिर्फ बुंदेलखंड के चार जिलों का बता दें?

श्री चतुरानन मिश्र : उसके लिए अलग से सूचना दीजिए, उसमें बता देंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : केवल चार जिलों का बता दें या पूरे

उत्तर प्रदेश का बता दें कि खुले गोदामों में लाखों टन जो आपका माल रखा जाता है उसमें प्रति वर्ष कितने लाखों रुपये की क्षति होती है?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जितने गोदाम हैं, वहां क्षमता के मुताबिक भंडारण नहीं हो रहा है। वहां दो मिलियन टन की क्षमता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट उतनी नहीं हो रही है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि क्षमता के मुताबिक नहीं है, वहां क्षमता से ज्यादा गोदाम हैं। लेकिन किस गोदाम में कितना वेस्टेज हुआ है, उसकी सूचना हमारे पास अभी नहीं है। उसमें लेबर ट्रिब्युनल के चलते 29 जिलों के अंदर जो बंद गोदाम हैं, वहां 87,000 टन के करीब माल पड़ा हुआ है। चूंकि उसमें डिस्प्यूट है ट्रेड यूनियन का और दूसरों का इसलिए उसको नहीं निकाला गया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं खुले गोदामों की बात कर रहा हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : उनकी संख्या बता सकता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्षति कितनी होती है?

श्री चतुरानन मिश्र : वेस्टेज का हम तुरंत नहीं बता सकते, उसका पूरा फिगर अभी नहीं दे सकते।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मेरा सवाल यह है कि......

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया, अब दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अभी पहले प्रश्न का ही उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरा पूरक प्रश्न कर रहा हू। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं दिया है। मैंने यह जानकारी चाही थी कि आज उत्तर प्रदेश में जितने खुले गोदाम इनके बने हुए हैं....

अध्यक्ष महोदय : दस दिन का समय देने के बाद आप सही जवाब मांगेंगे तो कैसे करेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : लाखों की क्षति हो रही है। उत्तर प्रदेश में खुले गोदामों में जहां इनका माल पड़ा है वहां कितनी क्षति हुई, अगर अभी जवाब नहीं है तो लिखकर भिजवा दें।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कहा है कि अभी जानकारी नहीं है, हम भिजवा देंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अब मेरा दूसरा सवाल है।

श्री चतुरानन मिश्र : सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही जानकारी चाहिए?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : जी हां, उत्तर प्रदेश की ही चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : चलिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी, मेरा दूसरा सवाल है कि ललितपुर जिले में जो केवल झांसी से तीस किलोमीटर है, वहां खुला गोदाम है और झांसी जिले में मोरानीपुर में जो आपका गोदाम था, उसको आपने हटाकर उसका स्टाफ आपने गोरखपुर भेज दिया। इधर तो आपका खुले गोदाम में टनों माल खुला रह जाता है, फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थानों पर गोदाम को हटाया जा रहा है? एफ० सी० आई० की कौन सी ऐसी राजनीति है, कौन सी ऐसी विभागीय नीति बनाई गई है कि ऐसे गोदामों को खाली कराया जा रहा है, जो कभी उन्होंने किराये पर लिए हुए थे और उसके स्थान पर खुले मैदान पर आपका खाद्य निगम टनों माल रख रहा है, इसका क्या कारण है?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, स्पेसेफिक जो उन्होंने कहा है, उसकी तो हम जांच करवा देंगे, लेकिन नई जगहों में जहां गोदाम खोलने के लिए विचार कर रहे हैं, वह सूची हमने आपको दे दी है और यह देखा जा रहा है कि दो जगह से ज्यादा दिक्कत आ रही हैं चमोली में जो दूर पड़ता है, पहाड़ी इसका है, उसको अभी हम श्रीनगर, हलद्वानी वगैरह से देते हैं, लेकिन वह दूर पड़ता है। दूसरे टिहरी गढ़वाल का है, उनका भी दूर पड़ता है। उसके विषय में मैंने विभाग से विचार करने के लिए कहा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : जवाब नहीं आया, माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल सुन लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : जरा सुनिए भी तो सही।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्निहोत्री, आप इस प्रकार से निरंतर व्यवधान नहीं डाल सकते। कृपया माननीय मंत्री की बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मंत्री जी सवाल नहीं सुनना चाहते हैं और फिर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : सुनिए न आप। झांसी के बारे में अलग से आप कह रहे हैं कि स्टाफ को ट्रांसफर किया गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी, मेरा यह सवाल नहीं है। ललितपुर में आपका खुला गोदाम जब है, उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर आपने खुले गोदाम बना रखे हैं, ललितपुर में आपका खुला गोदाम है। लेकिन झांसी में मोरानीपुर में जो आपके गोदाम थे, उनको खाली कराकर आप उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक जगह तो आप खुले गोदाम बना रहे हैं और दूसरी जगह जो आपके पास गोदाम थे, उनको आप खाली कर रहे हैं तो इसका क्या कारण है?

श्री चतुरानन मिश्र : हमको तो सूचना दी गई है कि ललितपुर में ओपन गोदाम नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जांच करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप जरा इसको देख लीजिए।

[अनुवाद]

झींगा पालन

+

***327. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के उच्चतम न्यायालय के 11 दिसम्बर, 1996 के निदेशों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के खण्ड (3) के अंतर्गत एक प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार झींगा पालन पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं;

(घ) इस निर्णय के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के अर्जन में कुल कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या सरकार प्रभावित मछुआरों का पुनर्वास करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 6.2.97 की अधिसूचना (सं॰ एस॰ ओ॰ ४४ ई॰) के द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.12.96 के निर्णय के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत एक "जल कृषि प्राधिकरण" का गठन किया। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे तथा उसमें कृषि, वाणिज्य, पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों के लिए गए सदस्य और पर्यावरण संरक्षण, जल कृषि तथा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्राधिकरण के कार्यों में दिनांक 11.12.96 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार झींगी पालन कार्य-कलापों को शुरू करने के लिए अनुमोदन जारी करना, "एहतियाती सिद्धांतों" तथा "प्रदूषक द्वारा भुगतान" सिद्धांतों का कार्यान्वयन झींगी पालन उद्योगों में लगे श्रमिकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करना; तटवर्ती क्षेत्रों से संबंधित पर्यावराणिक मामलों का संचालन आदि शामिल है।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने, 11.12.96 को दिए गए अपने निर्णय में तटवर्ती क्षेत्र में झींगी पालन पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि :

(i) तटवर्ती निचले इलाकों में परम्परागत तथा उन्नत प्रकार की प्रौद्योगिकियों के फार्मों को छोड़कर तटवर्ती विनियमन क्षेत्र के भीतर किसी झींगी पालन तालाब का निर्माण नहीं किया जा सकता अथवा स्थापित नहीं किया जा सकता। यह सभी समुद्रों, खाड़ियों, नदीमुखों, संकरी खाड़ियों, नदियों और अप्रवाही जल क्षेत्रों पर लागू होगा।

(ii) तटवर्ती विनियमन क्षेत्र की अधिसूचना के तहत परिभाषित तटवर्ती वियिनमन क्षेत्र में चल रहे स्थापित किए गए सभी जल कृषि उद्योगों/झींगी पालन उद्योगों/झींगी पालन तालाबों को 31 मार्च, 1997 से पहले कथित क्षेत्र से समाप्त किया जाएगा तथा हटाया जाएगा।

(iii) चिल्का झील तथा पुलकट झील (पक्षी विहारों, यथा - युदुरापट्टु तथा नेल्लापट्टु सहित) के 1000 मीटर क्षेत्र के भीतर कोई जल कृषि उद्योग/झींगी पालन उद्योग/झींगी पालन तालाब का निर्माण नहीं होगा/स्थापित नहीं किया जाएगा।

(iv) झींगी मछली पालन के लिए कृषि भूमि, लवणीय भूमि, समुद्र तटीय बागवानी, नम भूमि, 'वन भूमि ग्राम भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा या उन्हें इसमें परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(v) "प्राधिकारी" की पूर्व अनुमति से तटवर्ती विनियमन क्षेत्र के बाहर परंपरागत और उन्नत परंपरागत के अलावा मछली पालन उद्योग/झींगी पालन पोखरों की स्थापना/निर्माण किया जाना चाहिए।

(घ) इस अवस्था में विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.12.96 के निर्णय की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की है, जिसे अभी सूची में नहीं लाया गया है। इस पुनर्विचार याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पुनर्स्थापना का प्रश्न यदि कोई, हो, उठेगा। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : अध्यक्ष महोदय, हाल ही के अपने अभूतपूर्व निर्णय के उच्चतम न्यायालय ने तटवर्ती विनियमन क्षेत्र में कृषि उद्योगों को 31 मार्च, 1997 से पूर्व समाप्त करने और हटाने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों के अनुसार उक्त कृषि उद्योग पेय जल को प्रदूषित करने के अतिरिक्त उसे खारा बनाते हैं उसमें तलछट पैदा करते हैं तथा बीमारियां पैदा करते हैं।

इन परिस्थितियों के अंतर्गत मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ के अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है? यदि नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे देश की पारिस्थिति की तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले

कुप्रभावों का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन करने का विचार रखती है?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। परंतु उच्चतम न्यायालय तो उच्चतम न्यायालय ही है। इसलिए हमें उनके निर्णय का पालन करना चाहिए। हम इस संबंध में किसी प्रकार का विधान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि सदन सहमत हो जाए तो उसे पारिस्थितिकी तथा किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या हमारे देश में पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों का पता लगाने के लिए आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ के अंतर्गत कोई अध्ययन किया गया है।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ ने समग्र रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से किया है। कुछ अन्य संगठनों ने किया है और उसी के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, हम सभी जानते हैं कि उक्त कृषि उद्योगों की स्थापना के कारण हमारे तटीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी को भारी क्षति हुई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास भूमि की पारिस्थितिकी क्षति में सुधार लाने के लिए कोई ठोस योजनाएं अथवा प्रस्ताव है? यदि हां, तो वे प्रस्ताव कौन से हैं? क्या माननीय मंत्री उन ठोस प्रस्तावों का ब्यौरा देंगे?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री चुतरानन मिश्र : महोदय, यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। मैं इन्हें ब्यौरा नहीं दे सकता। उन्हें आदेश देने दीजिए। केवल तभी मैं इस संबंध में कुछ कह सकता हूं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : परन्तु क्या आपके पास पारिस्थितिकी क्षति को सुधारने की कोई योजना है?

श्री चतुरानन मिश्र : मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य में कृषि उद्योग स्थापित करते हुए अन्य बातों को छोड़कर सर्वप्रथम पारिस्थितिकी पक्ष पर ध्यान दिया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नकदी फसलों की नई किस्म

***328. डा॰ एम॰ जगन्नाथ:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में नकदी फसलों के कुछ नई किस्म के बीज विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में इस नई किस्म के बीजों का उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे कितनी पैदा-वार होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशु पालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कपास की पूसा बी-6 किस्म की पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पछेती बुआई की दशाओं के लिए पहचान की गई है।

उत्तरी भारत में अंगूर की संकर किस्म "पूसा नवरंग" विकसित की गई है। यह जूस और रंगीन मदिरा बनाने के लिए उपयुक्त है।

भिण्डी की "ओकरा ए.4" किस्म, जो पीले शिरा वाले चित्तीरोग विषाणु की प्रतिरोधी है, पूरे देश के लिए जारी की गई है।

ग्लेडियोलस की चार किस्में; नामतः नीलम, सूर्यकिरण, धनवन्तरि तथा संगेरवनी तथा गुलाब की पांच किस्में, नामत: मदर टेरेसा, नेहरु सेंटेनरी, डा॰ एस. एस. भटनागर, लहर तथा चित्रा हाल ही में जारी की गई हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा देश भर में फैले इसके संस्थानों द्वारा विभिन्न नकदी फसलों की अनेक किस्में/संकर विकसित करके सामान्य रूप से उगाये जाने के लिए जारी किए गये हैं।

(घ) उपरोक्त किस्में इन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मद्द करेंगी जिसके चलते किसानों को बहुत लाभ होगा।

खाद्यान्नों की उत्पादकता दर

***329. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य:**

श्री नवल किशोर राय:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जहां खाद्यान्नों की उत्पादकता दर राष्ट्रीय उत्पादकता दर से कम है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं तथा उनमें गेहूं, चावल, दालों, तिलहनों तथा अन्य खाद्यान्नों की उत्पादकता दरें क्या हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर बनाई गई प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) उन राज्यों के लिये जिनकी उत्पादकता दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, गेहूं, चावल, दालें, तिलहन तथा अन्य खाद्यान्नों के मामले में 1995-96 को समाप्त होने वाली त्रैवार्षिक अवधि के लिए औसत उत्पादकता को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) खाद्यान्नों तथा तिलहनों के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये सरकार विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें क्रियान्वित कर रही है; यथा

(i) चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम;

(ii) गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम;

(iii) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना;

(iv) मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम;

(v) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

इन योजनाओं के माध्यम से धान तथा मोटे अनाजों की संकर किस्मों सहित स्थान विशिष्ट अधिक पैदावार देने वाले बीजों के उपयोग, उन्नत फार्म व पौध रक्षण उपकरण ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई सेटों, जैव-उर्वरकों, समेकित कीट प्रबन्ध पद्धति अपनाने, क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित करने तथा किसानों के प्रशिक्षण के लिये सहायता दी जाती है।

विवरण

उन राज्यों के लिए जिनकी उत्पादकता दर राष्ट्रीय औसत उत्पादकता स्तर से कम है, 1995-96 को समाप्त होने वाली त्रैवार्षिक अवधि के लिए चयनित फसलों की औसत उत्पादकता

(कि.ग्रा./हैक्टेयर)

गेहूं		चावल		दालें		तिलहन		मोटे अनाज	
राज्य	पैदावार	राज्य	पैदावार	राज्य	पैदावार	राज्य	पैदावार	राज्य	पैदावार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	1222	अरुणाचल प्रदेश	1102	आंध्र प्रदेश	423	असम	507	असम	610
बिहार	2062	असम	1345	असम	534	बिहार	626	गुजरात	858
गुजरात	2342	बिहार	1323	गुजरात	575	गुजरात	829	हरियाणा	924
हिमाचल	1375	गुजरात	1466	हिमाचल प्रदेश	303	जम्मू व कश्मीर	490	मध्य प्रदेश	788
जम्मू व कश्मीर	1446	हिमाचल प्रदेश	1314	जम्मू व कश्मीर	532	कर्नाटक	629	महाराष्ट्र	869
कर्नाटक	735	मध्य प्रदेश	1152	कर्नाटक	420	केरल	596	उड़ीसा	779
मध्य प्रदेश	1661	महाराष्ट्र	1616	महाराष्ट्र	538	महाराष्ट्र	762	राजस्थान	466
		मेघालय	1124	उड़ीसा	509	उड़ीसा	530		
महाराष्ट्र	1379	मिजोरम	1530	राजस्थान	428	राजस्थान	766		
राजस्थान	2230								
सिक्किम	1801	नागालैण्ड	1315	तमिलनाडु	417	पश्चिम बंगाल	780		
उत्तर प्रदेश	2422	उड़ीसा	1418						
पश्चिम बंगाल	2324	राजस्थान	988						
		सिक्किम	1316						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		त्रिपुरा	1843						
		उत्तर प्रदेश	1875						
		पांडिचेरी	1590						
अखिल भारत	2478	अखिल भारत	1885	अखिल भारत	586	अखिल भारत	831	अखिल भारत	936

टिप्पणी : 10,000 मीटरी टन से कम उत्पादन वाले राज्यों पर विचार नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च उत्पादकता वाले राज्य

पंजाब	3993	पंजाब	3342	केरल	1069	तमिलनाडु	1458	पश्चिम बंगाल	2198
दिल्ली	3769	तमिलनाडु	3234	हरियाणा	1008	हरियाणा	1355	पंजाब	2008
हरियाणा	3663	आन्ध्र प्रदेश	2581	उत्तर प्रदेश	840	पंजाब	1258	हिमाचल प्रदेश	1967
		हरियाणा	2576	पंजाब	833	मध्य प्रदेश	843	बिहार	1578
		कर्नाटक	2379	बिहार	729	उत्तर प्रदेश	639	जम्मू व कश्मीर	1556
		पश्चिम बंगाल	2059	मध्य प्रदेश	659	आंध्र प्रदेश	832	उत्तर प्रदेश	1283
		केरल	1963	पश्चिम बंगाल	623			तमिलनाडु	1203
								कर्नाटक	1192

गेहूं का भंडार

***330. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

श्री सुरेश यादव :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1997 को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में केवल दो मिलियन टन गेहूं का भंडार उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या नौवें दशक के पिछले वर्षों की तुलना में यह गेहूं का सबसे कम भंडार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है कि बिना कोई और विलम्ब के गेहूं का पर्याप्त भंडार बनाया जाए ताकि खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हो सके?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1.4.97 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का संभावित स्टाक 2.72 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 1996-97 में दो मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय किया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टीना से 16.75 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए ठेका पहले ही कर लिया गया है। गेहूं का पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने के लिए किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :

(1) 1997-98 के दौरान वसूली के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना;

(2) वसूली मौसम को 1.4.1997 की बजाए अगेती रूप में अर्थात् 17.3.1997 से शुरू करना;

(3) 1996-97 के दौरान गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात के लिए नए पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण-पत्र जारी करने अथवा पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण-पत्र का पुन: वैधीकरण करने पर प्रतिबंध लगाना;

(4) 1997-98 के लिए निर्यात नीति में गैर-डुरूम गेहूं की कोई निर्यात सीमा घोषित न करने का निर्णय करना;

(5) जब कभी आवश्यक हो, 1997-98 में गेहूं का आयात करना।

सरकार उपयुक्त अतिरिक्त उपाय करने के लिए गेहूं की स्टाक स्थिति, संभावी उत्पादन, प्रत्याशित वसूली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यकता, खुले बाजार में मूल्यों आदि की निरंतर समीक्षा करती है।

[अनुवाद]

सोयाबीन की खेती के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल

***331. डॉ॰ रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1996 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने हैक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की खेती की गई;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती में वृद्धि की बड़ी संभावना है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में कितनी अतिरिक्त भूमि पर सोयाबीन की खेती किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1994-95 से 1996-97 तक सोयाबीन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। देश के विभिन्न राज्यों, खासतौर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

क्षेत्र के अनुसार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। लेकिन, आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, राजस्थान के कोटा तथा बूंदी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी भाग, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों एवं ग्वालियर तथा मुरैना संभागों को कवर करते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सोयाबीन के क्षेत्र में विस्तार करने की काफी गुंजाइश है।

(घ) सोयाबीन की खेती के तहत और अधिक क्षेत्र लाने एवं इसके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदानों के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है :

क्र॰सं॰	घटक का नाम	सहायता की दर
1	2	3
1.	प्रजनक बीजों की खरीद	सम्पूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति दी जाएगी और केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा 75:25 आधार पर वहन की जाएगी।
2.	आधारी बीजों का उत्पादन	200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से
3.	प्रमाणित बीजों का उत्पादन (बीज ग्राम योजना के तहत)	200 रुपए प्रति क्विंटल
4.	प्रमाणित बीजों का वितरण	300 रुपए प्रति क्विंटल
5.	बीज मिनिकिटों का वितरण	किसानों को निःशुल्क
6.	नई खुदरा बिक्री दुकानें	5000 रुपए तक मुश्त अनुदान
7.	आधारभूत ढ़ाचें का विकास	राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर
8.	प्रखण्ड प्रदर्शन	आदानों की लागत का 50 प्रतिशत
9.	बीज उपचार	रसायन की लागत का 50 प्रतिशत
10.	समेकित कीट प्रबंध	1500 रुपए प्रति हैक्टेयर
11.	रूट ग्रुब कंट्रोल	500 रुपए प्रति हैक्टेयर
12.	फेरोमोन ट्रैप्स	2 है॰ में प्रदर्शन के लिए 500 रुपए
13.	सूक्ष्म पोषक तत्व	100 रुपए प्रति है॰
14.	उन्नत कृषि उपस्कर	लागत का 50% अथवा 1500 रु॰ उपकरण
15.	जिप्सम/पाइराइट्स का वितरण	200 रुपए प्रति है॰
16.	छिड़काव यंत्रों का वितरण	(1) छोटे तथा सीमांत किसानों, अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ तथा महिला किसानों को सैट की लागत का 90% अथवा 25,000/-रु॰ प्रति है॰, जो भी कम हो (2) किसानों के अन्य वर्गों को लागत का 70% अथवा 25,000/-रु॰ प्रति है॰ जो भी कम हो।
17.	कृषक प्रशिक्षण	10,000/-रु॰ प्रति प्रशिक्षण
18.	स्टाफ एवं आकस्मिक निधि	आवश्यकतानुसार
19.	राइजोबियम कल्चर एवं/अथवा फास्फेट विलायक बैक्टिरिया	लागत का 50% अथवा 25 रुपए प्रति है॰

1	2	3
20.	आवर्ती मूल्यांकन के लिए कृषि वित्त निगम को अनुदान	आवश्यकतानुसार
21.	अग्रणी प्रदर्शन के लिए आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ को सहायता	आवश्यकतानुसार
22.	बीज संबंधी घटकों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम को सहायता	निर्धारित सहायता दर का शत-प्रतिशत
23.	पौध संरक्षण उपस्करों की आपूर्ति	हस्तचालित उपस्करों के लिए उपस्कर की लागत का 50%, अधिकतम 600 रु॰ प्रति उपस्कर/पावर स्प्रेयरों तथा डस्टरों के लिए अधिकतम सीमा 1500 रु॰ प्रति उपकरण है।

विवरण

सोयाबीन के क्षेत्र के अनुमान

(000 हैक्टेयर)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97 (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6.2	6.1	9.0
अरुणाचल प्रदेश	2.2	2.6	2.0
गुजरात	19.9	12.9	7.0
हिमाचल प्रदेश	0.8	0.8	0.8
कर्नाटक	53.8	41.2	65.0
मध्य प्रदेश	3225.2	3703.8	3925.0
महाराष्ट्र	560.5	635.4	685.0
मेघालय	0.9	0.9	0.8
मिजोरम	1.3	0.9	0.8
नागालैण्ड	4.0	4.0	4.0
उड़ीसा	0.1	नगण्य	4.0
राजस्थान	403.3	427.7	479.0
सिक्किम	3.9	3.8	3.6
उत्तर प्रदेश	35.2	44.8	73.0
पश्चिम बंगाल	0.6	2.3	3.0
समस्त भारत	4317.9	4887.2	5262.0

[हिन्दी]

उर्वरकों की मांग और पूर्ति

***332. श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में यूरिया सहित विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की वास्तविक मांग और आपूर्ति कितनी थी और कम मात्रा में इनकी आपूर्ति यदि कोई हो, के क्या कारण थे;

(ख) क्या इस कमी का खरीद और रबी की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटने और राज्य सरकार को उसकी आवयकता के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो इस समय सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत है। 25.8.1992 से सभी फास्फेट युक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी 25.8.1992 से 9.6.1994 तक मूल्य नियंत्रण के तहत रहे। विनियंत्रित उर्वरकों की मांग और आपूर्ति (स्वदेशी और आयातित दोनों) मण्डी को प्रभावित करने वाले घटकों पर निर्भर होती है। वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अन्य उर्वरकों के संबंध में यूरिया की अनुमानित मांग, आपूर्ति और खपत तथा मांग और खपत की संभावना संलग्न विवरण में है। यूरिया की उपलब्धता (स्वदेशी और आयातित दोनों) जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है कुछ राज्य सरकारों द्वारा बताए गए कमी वाले इलाकों को छोड़कर कुल मिलकार संतोषजनक थी। इन स्थितियों पर काबू पाने के लिए वैकल्पिक स्रोतों द्वारा यूरिया को ले जा कर सुधारक उपाए किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विभिन्न राज्यों में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित

करने हेतु उत्पादन, खरीद, लाने-ले जाने तथा वितरण के लिए उत्तरदायी संगठनों के बीच परस्पर संपर्क कायम किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सुधारात्मक उपाय करने के लिए बिक्री और उपलब्धता की समीक्षा हेतु सामयिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण

(लाख टन)

क्र० सं०	उत्पाद	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	यूरिया	अनुमानित मांग	163.54	172.52	189.09	204.75
		आपूर्ति	182.7	187.17	210.26	195.20 (28.2.97 तक)
		खपत	158.1	171.12	179.09	200.96 (संभावित)
2.	डी० ए० पी०	संभावना मांग	44.77	45.79	46.86	48.18
		खपत	34.8	35.86	34.51	46.45 (संभावित)
3.	एम० ओ० पी०	संभावना मांग :	13.55	15.5	16.46	18.17
		खपत :	10.52	12.7	13.92	17.28 (संभावित)
4.	एस० एस० पी०	संभावना मांग :	29.7	33.04	36.52	37.2
		खपत :	23.52	26.26	29.83	33.22 (संभावित)
4.	मिश्रित	संभावना मांग :	39.63	40.72	51.79	50.63
		खपत :	31.59	39.74	38.51	46.22 (संभावित)
पोषक तत्व						
1	एन	मांग/संभावना मांग :	94.2	99.39	108.72	115.28
		खपत :	87.89	95.07	98.23	112.48 (संभावित)

1	2	3	4	5	6	7
2	पी०	मांग/संभावना	34.13	35.29	38.57	39.23
		मांग :				
		खपत :	26.69	29.32	28.98	37.00 (संभावित)
3	के०	मांग/संभावना	12.04	13.15	14.21	15.35
		मांग :				
		खपत :	9.08	11.25	11.56	14.65 (संभावित)
4.	एन+पी+के	मांग/संभावना	140.37	147.83	161.5	169.86
		मांग :				
		खपत :	123.66	135.64	138.77	164.22 (संभावित)

डी० ए० पी० डी० ए० = अमोनियम फास्फेट, एम० ओ० पी० = म्यूरिएट ऑफ पोटाश

एस० एस० पी० = सिंगल सुपर फास्फेट, एन = नाइट्रोजन, पी = फास्फेट, के = पोटाश

[अनुवाद]

कपास परीक्षण प्रयोगशालाएं

***333. श्री के० सी० कोंडय्या :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर कपास परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या कपास का उत्पादन करने वाले किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में विशेषकर बेलारी, कर्नाटक में कपास की और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान नामक एक प्रयोगशाला है, जिसका मुख्यालय बंबई (महाराष्ट्र) में है तथा लुधियाना, हिसार, सिरसा, श्रीगंगानगर, सूरत, इंदौर, अकोला, नागपुर, राहुरी, नान्डाड, धारवाड़, गुंटूर तथा कोयम्बटूर में इसके 13 क्षेत्रीय एकक हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटसन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

***334. श्री राजकेशर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कुल कितने क्षेत्रफल भूमि पर पटसन की खेती की जा रही है;

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलना में प्रत्येक राज्य में इसमें कितनी वृद्धि/कमी हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पटसन की खेती के अंतर्गत भू-क्षेत्र में यदि कोई कमी हुई हो तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पटसन की खेती के अंतर्गत भू-क्षेत्र में कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) 1995-96 के दौरान समग्र देश में पटसन के तहत क्षेत्र, 1994-95 के 738 हजार हैक्टे० के लगभग रहा है, जबकि इसमें 1993-94 की अपेक्षा 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1994-95 एवं 1993-94 की तुलना में 1995-96 के दौरान पटसन के तहत क्षेत्र में राज्यवार परिवर्तन की प्रतिशतता संलग्न विवरण-I में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) जैसा कि विवरण में देखा जा सकता है, देश में पटसन के तहत क्षेत्र में कोई विशेष कमी नहीं हुई है, इसलिए इस

अवस्था में कोई सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। फिर भी पटसन की फसल के तहत क्षेत्र में अंतरराज्यीय भिन्नताएं, मौसम की भिन्न परिस्थितियों के कारण हैं। पटसन के मूल्य सामान्यतया अनुकूल रहे हैं जैसा कि संलग्न विवरण-II से देखा जा सकता है।

विवरण-I

1994-95 तथा 1993-94 की तुलना में 1995-96 के दौरान पटसन के तहत क्षेत्र के राज्य-वार अनुमान

	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			निम्नलिखित की अपेक्षा 1995-96 में प्रतिशत वृद्धि/कमी (-)	
	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
असम	76.2	90.9	88.6	16.3	−2.5
बिहार	121.3	126.3	119.8	−1.2	−5.1
मेघालय	4.3	4.2	4.2	−2.3	0.0
नागालैण्ड	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
उड़ीसा	15.6	7.4	8.1	−48.1	9.5
त्रिपुरा	1.5	1.7	1.1	−26.7	−35.3
उत्तर प्रदेश	0.4	0.1	0.1	−75.0	0.0
पश्चिम बंगाल	475.2	507.9	515.8	8.5	1.6
अखिल भारत	694.7	738.7	737.9	6.2	−0.1

विवरण-II

कच्चा पटसन के थोक मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)

राज्य/केन्द्र	किस्म	वर्ष	निम्नतम समर्थन मूल्य	अगस्त	अक्टूबर	दिसम्बर	फरवरी	अप्रैल	जून	वार्षिक औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिम बंगाल	(डब्ल्यू-5)	1992-93	411.00	435	385	—	440	460	645	456.50
कलकत्ता		1993-94	466.00	515	575	795	805	800	800	710.41
		1994-95	483.50	585	670	705	780	865	1225	816.16
		1995-96	506.50	895	1205	1365	1430	1550	1630	1340.83
		1996-97	532.50	800	890	850	930			
	(टी डी-5)	1992-92	431.00	470	410	—	500	515	610	492.50
		1993-94	491.00	655	595	815	825	830	830	745.83
		1994-95	513.50	615	700	735	815	900	1260	854.00
		1995-96	536.50	920	1240	1400	1480	1610	1690	1382.50
		1996-97	562.50	860	950	910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम	(टी डी-5)	1992-93	400.00	370	340	270	270	270	410	312.92
नवगांव		1993-94	450.00	510	600	700	720	750	750	658.75
		1994-95	470.00	550	600	630	680	—	—	623.33
		1995-96	490.00	—	—	1225	1450	1500	1650	1459.29
		1996-97	510.00	750	830	750				
बिहार	(डब्ल्यू डी-5)	1992-93	403.50	390	340	335	390	480	530	410.83
पूर्णिया		1993-94	476.00	490	700	760	770	820	760	693.33
		1994-95	498.50	550	630	675	750	825	1050	723.33
		1995-96	519.00	810	1100	1300	1400	1400	1450	1238.33
		1966-97	541.00	570	825	775	850			

सूचित नहीं किया गया।

गुजरात की सीमा को सील करना

***335. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से पाकिस्तान के साथ लगी राज्य की सीमा को सील करने का प्रस्ताव किया है ताकि घुसपैठ और हथियार, शस्त्र एवं नशीले पदार्थों की तस्करी बंद हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पाकिस्तान से लगी सीमा को सील करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ) सरकार इस बात को जानती है कि पंजाब और राजस्थान की सीमाएं सील कर दिए जाने के बाद से आतंकवादी/तस्कर घुसपैठ, हथियारों एवं गोलीबारूद तथा अन्य प्रतिबंधित सागान की तस्करी करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में गुजरात सीमा का प्रयोग करने का प्रयास करते रहे हैं। स्थिति पर नियंत्रण हेतु, संकरी खाड़ियों सहित कच्छ के रन की स्थ सीमा पर पर्याप्त संख्या में सीमा सुरक्षा बल तैनात किया गया है। संकरी खाड़ी और तटीय क्षेत्रों सहित सीमा पर समुचित निगरानी रखने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) ऊंट सवारों तथा ट्रेक्टरों सवारों द्वारा गश्त लागई जा रही है।

(ii) प्रेक्षण चौकी टावर खड़े किए गए हैं।

(iii) गश्त/नाके बढ़ा दिए गए हैं। राज्य पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के प्रयासों के सम्पूरक के रूप में भुज में उप महानिरीक्षक (सीमा) की कमान के अधीन, सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा होम गार्डस भी तैनात किए हैं

(iv) सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए दूरबीनें, चश्मे, जुडवां दूरवीक्षण यंत्र, पी एन वी दूरबीनें तथा हाथ में पकड़ी जाने वाली सर्च लाइटें उपलब्ध कराई गई हैं।

(v) अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संकरी खाड़ी क्षेत्र की हवाई निगरानी के लिए हैलीकाप्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(vi) संकरी खाड़ी क्षेत्र में गश्त के लिए नावें/मोटर बोट उपलबध कराई गई हैं।

(vii) तटरक्षक/भारतीय नौसेना, तटीय क्षेत्र की गश्त लगाती है। राज्य पुलिस तथा सीमा शुल्क विभाग भी किराए के ट्रालरों द्वारा तट के निकट के उथले समुद्र में संयुक्त रूप से गश्त लगा रहे हैं।

2. मौसमी आप्लावन के कारण कच्छ के रन में बाड़ लगाना संभव नहीं है तथापि, खाई-एवं-बंध और ऐसी स्थलाकृति के लिए उपयुक्त संशोधित किस्म की सीमा बाड़ लगाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किए जा रहे हैं। बाड़ पर संभावित व्यय का पता, बाड़बंदी कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही चल सकेगा।

कृषक संघर्ष को मान्यता

***336. श्री टी॰ गोविन्दन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा काय्यूर-मोराज-पुन्नप्परा-वायालार कृषक संघर्ष को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर केरल सरकार से

विचार विमर्श करने के बाद इस संबंध में तत्परतापूर्वक कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) राज्य सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत के बाद इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संघर्ष को मान्यता प्रदान करने के बारे में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ) मामले पर केरल सरकार के साथ परामर्श करके सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक एककों को पारिस्थितिकी स्वीकृति

***337. श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक एककों के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित पारिस्थितिकी स्वीकृति प्रदान करने के मानदंडों और प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और इन्हें संशोधित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा इस प्रक्रिया में क्या मुख्य परिवर्तन किया गया है ?

पर्यावरण और मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) औद्योगिक परियोजनाओं की पर्यावरण निकासी को अनुमति के लिए मानदण्डों एवं प्रक्रिया का विनियमन पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत किया जाता है जिसमें साथ-साथ विशेषज्ञ समितियों के साथ परामर्श तथा परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ विचार-विमर्श करके पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने की भी व्यवस्था है।

सरकार ने हाल में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जन सुनवाई को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण स्थापित किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

***338. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी :**

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध दर्ज किए गये अपराध के मामलों की राज्यवार संख्या और न्यायालय में दायर किये गये ऐसे मामलों की राज्यवार प्रतिशतता क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन न्यायालयों द्वारा कितने मामले निपटाए गए?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों तथा अन्य अपराधों की राज्यवार घटना अनुबंध में दी गई है। वर्ष 1995 और 1996 के दौरान न्यायालयों को भेजे गए मामलों की प्रतिशतता का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड को छोड़कर) ने इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की न्यायिक जांच के लिए प्रत्येक जिले के लिए विशेष न्यायालय के रूप में एक सत्र-न्यायालय को विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य के लिए क्रमशः 3, 3, 4, 10 और 16 अनन्य विशेष न्यायालयों की भी स्थापना की है।

(ग) वर्ष 1995 और 1996 के लिए सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपराध				1996 के लिए आंकड़े
		1995		1996		
		अनुसूचित जाति	अनु॰ज॰जा॰	अनसूचित जा॰	अनु॰ज॰जा॰	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1764	165	1339	196	नवम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	5	सितम्बर

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	0	0	0	0	सितम्बर
4.	बिहार	747	232	शून्य	शून्य	
5.	गोवा	4	0	1	0	
6.	गुजरात	1724	486	1764	369	सितम्बर
7.	हरियाणा	82	0	49	1	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	82	5	66	3	
9.	जम्मू और कश्मीर	25	8	8	5	अगस्त
10.	कर्नाटक	1171	96	983	171	दिसम्बर
11.	केरल	696	185	576	115	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	3979	1690	4041	1466	
13.	महाराष्ट्र	1622	505	1352	337	
14.	मणिपुर	1	2	0	0	
15.	मेघालय	2	2	0	0	
16.	मिजोरम	0	0	0	0	
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	
18.	उड़ीसा	329	143	266	92	जुलाई
19.	पंजाब	8	4	9	1	जुलाई
20.	राजस्थान	5197	1784	5110	1143	अक्टूबर
21.	सिक्किम	33	40	14	46	
22.	तमिलनाडु	1293	40	1656	85	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	
24.	उत्तर प्रदेश	14285	105	10158	307	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	सितम्बर
26.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	
28.	दादर और नगर हवेली	0	3	0	1	
29.	दमन और दीव	2	1	शून्य	शून्य	
30.	दिल्ली	6	0	11	0	
31.	लक्षदीप	0	0	0	0	अक्टूबर
32.	पांडिचेरी	24	0	13	0	
	कुल	32996	5498	27416		

स्रोत मासिक अपराध सांख्यिकी-राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो गृह मंत्रालय

टिप्पणी : आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं जिन्हें अनन्तिम माना जा सकता है।

कीटनाशक दवाइयां

***339. प्रो॰ ओमपाल सिंह 'निडर'** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फसलों के लिए नुकसानदेह कीट-पतंगों की रोकथाम हेतु राज्य सरकार को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में कीट-पतंगों की रोकथाम करने में काफी सफलता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार उन कीटों तथा कृमियों पर नियंत्रण करने लिए, जो फसलों के लिए हानिकारक हैं, राज्यों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दे रही है।

1. तकनीकी सहायता

(i) चावल, कपास, सब्जियों, तिलहनों तथा दलहनी फसलों में किसानों द्वारा समेकित कीट प्रबंध पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा अपनाने के लिए तकनीकी सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम में समेकित कीट प्रबंध प्रौद्योगिकी में विस्तार कर्मचारियों तथा किसानों को प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया है। राज्यवार उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत विभिन्न संस्थानों द्वारा सतत अनुसंधान करके चावल, कपास, दालें, तिलहन, गन्ना, बागवानी तथा रोपण फसलों में प्रमुख कीटों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समेकित कीट प्रबंध पद्धति का विकास किया गया है।

2. वित्तीय सहायता

1. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में समेकित कृमि प्रबंध प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाने के लिए राज्य जैव वैज्ञानिक नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है (ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है)

2. कपास, गेहूं, चावल और मोटे अनाजों पर विभिन्न फसल उत्पादनोंमुख योजनाओं के अधीन कृमियों और कीटों पर काबू पाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है (राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है)

3. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अधीन हानिकारक कृमियों और कीटों पर नियंत्रण पाने के लिए तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन वित्तीय सहायता दे रहा है। (ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है)।

4. बागवानी फसलों की कृमियों और रोगों पर नियंत्रण के लिए आवश्यकता के अनुसार सहायता भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सरकार ने देश में कृमियों के प्रकोप पर नियंत्रण पाने में अच्छी प्रगति की है। इस प्रकार बहुत हद तक फसल की क्षति को कम से कम करते हुए कृमियों और रोगों के संक्रमण की बड़ी घटनाओं को रोका गया है।

विवरण-I

क्रम॰ सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या			
		1994-95		1995-96	
		विस्तार	किसान	विस्तार	किसान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	390	3204	760	4560
2.	असम	276	1680	620	3120
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	40	3120
4.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12	103	5	240
5.	बिहार	340	2040	340	2040
6.	गोवा	40	265	16	240
7.	गुजरात	196	1200	400	1320

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	120	720	360	2160
9.	हिमाचल प्रदेश	39	210	40	240
10.	जम्मू व कश्मीर	80	480	160	960
11.	कर्नाटक	269	1849	660	3960
12.	केरल	180	1020	100	600
13.	मध्य प्रदेश	280	1680	511	3360
14.	महाराष्ट्र	354	2160	1438	8640
15.	मिजोरम	37	240	33	480
16.	मणिपुर	—	—	80	480
17.	नागालैंड	40	2240	32	480
18.	उड़ीसा	245	1560	160	960
19.	पंजाब	179	1080	540	3240
20.	पांडिचेरी	60	360	60	360
21.	राजस्थान	80	480	336	2880
22.	सिक्किम	21	240	—	—
23.	तमिलनाडु	139	850	180	1080
24.	उत्तर प्रदेश	620	3780	720	4320
25.	पश्चिम बंगाल	157	960	360	2160
	कुल :	4435	28151	7851	47965

विवरण-II

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार	10.00	20.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	20.00
3.	बिहार	20.00	—
4.	गोवा	5.00	—
5.	गुजरात	20.00	—
6.	हरियाणा	20.00	15.00
7.	हिमाचल प्रदेश	20.00	10.00

1	2	3	4
8.	जम्मू व कश्मीर	20.00	5.00
9.	कर्नाटक	20.00	10.00
10.	केरल	20.00	10.00
11.	लक्षद्वीप	5.00	25.00
12.	मध्य प्रदेश	20.00	10.00
13.	मणिपुर	10.00	20.00
14.	मेघालय	10.00	20.00
15.	मिजोरम	10.00	20.00
16.	नागालैण्ड	10.00	20.00
17.	उड़ीसा	20.00	10.00
18.	पांडिचेरी	—	25.00
19.	पंजाब	20.00	5.00
20.	राजस्थान	20.00	5.00
21.	सिक्किम	10.00	20.00
22.	तमिलनाडु	—	17.50
23.	त्रिपुरा	10.00	—
24.	उत्तर प्रदेश	30.00	—
25.	पश्चिम बंगाल	20.00	—
	कुल :	360.00	287.50

विवरण-III

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95				1995-96			
		समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मौटे अनाज	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मौटे-अनाज	समेकित अनाज विकास अनाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	27.00	एनएस	एनएस	35.99	27.00	एनएस	एनएस	63.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.50	एनएस	एनएस	एनएस	4.50	एनएस	एनएस	एनएस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	16.88	एनएस	एनएस	एनएस	16.88	एनएस	एनएस	एनएस
4.	बिहार	49.50	एनएस	एनएस	एनएस	49.50	एनएस	एनएस	एनएस
5.	गोवा	0.90	एनएस	एनएस	एनएस	0.90	एनएस	एनएस	एनएस
6.	गुजरात	एनएस	एनएस	1.80	9.18	एनएस	एनएस	6.75	9.19
7.	हरियाणा	एनएस	4.13	एनएस	19.87	एनएस	12.38	एनएस	23.63
8.	हिमाचल प्रदेश	एनएस	9.00	एनएस	एनएस	एनएस	9.00	एनएस	एनएस
9.	जम्मू व कश्मीर	एनएस	11.25	एनएस	एनएस	एनएस	11.25	एनएस	एनएस
10.	कर्नाटक	एनएस	एनएस	6.75	13.86	एनएस	एनएस	5.00	14.81
11.	केरल	12.38	एनएस	एनएस	एनएस	12.38	एनएस	एनएम	एनएस
12.	मध्य प्रदेश	20.25	एनएस	5.63	6.65	20.25	एनएस	5.67	6.98
13.	महाराष्ट्र	एनएस	एनएस	8.10	70.31	एनएस	एनएस	8.32	59.86
14.	मणिपुर	2.70	एनएस	एनएस	एनएस	2.70	एनएस	एनएस	एनएस
15.	मेघालय	2.70	एनएस	एनएस	एनएस	2.70	एनएस	एनएस	एनएस
16.	मिजोरम	1.80	एनएस	एनएस	एनएस	1.80	एनएस	एनएस	एनएस
17.	नागालैंड	2.70	एनएस	एनएस	एनएस	2.70	एनएस	एनएस	एनएस
18.	उड़ीसा	25.88	एनएस	एनएस	3.60	25.88	एनएस	एनएस	6.00
19.	पंजाब	एनएस	15.75	एनएस	27.37	एनएस	15.75	एनएस	58.12
20.	राजस्थान	एनएस	2.25	4.50	5.68	एनएस	0.72	0.90	25.59
21.	सिक्किम	एनएस	एनएस	0.22	एनएस	एनएस	एनएस	0.36	एनएस
22.	तमिलनाडु	31.50	एनएस	एनएस	73.87	31.50	एनएस	एनएस	85.50
23.	त्रिपुरा	1.80	एनएस	एनएस	एनएस	1.80	एनएस	एनएस	एनएस
24.	उत्तर प्रदेश	40.50	40.50	एनएस	1.20	40.50	45.00	एनएस	0.54
25.	पश्चिम बंगाल	28.13	एनएस	एनएस	एनएस	28.13	एनएस	एनएस	एनएस
26.	पाण्डिचेरी	0.90	एनएस	एनएस	एनएस	0.90	एनएस	एनएस	एनएस
	योग :	270.02	87.38	27.00	267.18	270.02	94.1	27.00	353.23

एनएस – कोई योजना नहीं

विवरण-IV

(रू० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित	1994-95		1995-96	
		तेल उत्पाद कार्यक्रम	राष्ट्रीय दलहन कार्यक्रम	तेल उत्पादन कार्यक्रम	राष्ट्रीय दलहन कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	185.851	11.00	202.17	11.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.351	—	0.315	—
3.	असम	5.214	2.00	15.00	1.00
4.	बिहार	3.166	13.00	2.975	12.67
5.	गुजरात	122.15	10.00	41.75	8.00
6.	हरियाणा	9.658	7.00	8.500	2.67
7.	हिमाचल प्रदेश	0.158	1.00	0.75	1.00
8.	जम्मू व कश्मीर	0.946	1.00	3.50	1.00
9.	कर्नाटक	112.222	5.00	110.00	12.67
10.	केरल	0.728	1.50	0.725	1.50
11.	मध्य प्रदेश	61.308	25.00	84.050	25.00
12.	महाराष्ट्र	76.012	14.00	57.50	16.00
13.	मणिपुर	0.075	0.50	0.075	0.50
14.	मेघालय	0.158	0.50	0.158	2.50
15.	नागालैंड	—	1.50	0.155	1.50
16.	उड़ीसा	40.994	4.00	30.00	7.00
17.	पंजाब	3.047	1.00	3.40	1.00
18.	राजस्थान	154.443	14.00	107.00	17.33
19.	सिक्किम	0.294	—	0.40	—
20.	तमिलनाडु	92.446	11.00	91.786	11.00
21.	त्रिपुरा	0.158	—	0.158	—

1	2	3	4	5	6
22.	उत्तर प्रदेश	56.805	20.00	74.00	25.33
23.	पश्चिम बंगाल	8.990	1.50	12.00	1.15
24.	गोवा	—	0.50	—	—
	कुल :	935.74	145.00	846.367	159.82

चीनी उद्योग के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी

***340. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने चीनी उद्योग से प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और गन्ना उत्पादन में सुधार संबंधी कार्य करने का आग्रह किया है ताकि नौवीं योजना के दौरान चीनी की अनुमानित मांग को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो चीनी उद्योग में अब तक उपयोग में लाई गई उन्नत प्रौद्योगिकी संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) चीनी क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

प्रधानमंत्री ने विभिन्न अवसरों पर, चीनी उद्योग से गन्ने की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कहा है ताकि 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्रक्षिप्त मांग को पूरा किया जा सके। चीनी उद्योग में उपयोग की जा रही वर्तमान प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के लिए उपयुक्त आधुनिकीकरण उपाय आरंभ करने के महत्व पर भी उन्होंने बल दिया।

(ख) से (च) चीनी उद्योग में, प्रौद्योगिकी उन्नयन की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए तथा प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन चीनी प्रौद्योगिकियों का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। विभिन्न चीनी फैक्ट्रियों में कई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ रस निकालने के लिए कम दाब निष्काषन पद्धति, गन्ना विलगन पद्धति, वैक्युम फिल्ट्रेट ट्रीटमेंट पद्धति आदि। इसके अतिरिक्त देश में कई उद्यमियों ने विभिन्न विदेशी कंपनियों के साथ भारतीय चीनी उद्योग में नवीनतम प्रौद्यागिकी लगाने के लिए सहयोग स्थापित किया है। कुछ मामलों में नई प्रौद्योगिकी, विदेशी कंपनियों से संयंत्रों एवं जानकारी की खरीद के द्वारा सीधे प्राप्त कर ली गई है।

सरकार चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए चीनी विकास निधि से रियायती शर्तों पर ऋण भी प्रदान करती है।

धार्मिक स्थल के चारों ओर कंटीले तारों की बाड़ का लगाया जाना

3566. श्री मंगल राम प्रेमी :

श्री हरपाल सिंह साथी :

श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा :

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिनमें दिल्ली के ऊपर रिज रोड पर स्थिति धार्मिक स्थल के चारों ओर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के कारण मुसीबत के समय श्रद्धालुओं की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा समुचित सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नागरिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) रविन्द्र रंगशाला के सामने सेन्ट्रल रिज में 196 फुट x 198 फुट भूमि का एक टुकड़ा श्री आशाराम बापू आश्रम को आबंटित किया गया है। रिज के संरक्षण के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आश्रम के चारों तरफ के क्षेत्र में बाड़ लगा दी गई है। रिज रोड से आश्रम तक 6 फुट का रास्त उपलब्ध कराया गया है। भक्तगणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों तथा विधवाओं को पेंशन

3567. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी उत्तरांचल क्षेत्र में नव पंजीकृत विधवाओं, बेसहारा तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मांगी गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निपटाए गए मामले

3568. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह** मंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा निपटाए गए मामले के बारे में 26 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामलेवार, कितने मामलों में अभी आरोपत्र दाखिल किये जाने हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा चुकी है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने भी दिनांक 4 मार्च, 1997 के अपने ज्ञापन संख्या 361/1/97-ए वी डी-III 26.11.1996 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 565 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संख्या 361/1/97 - ए वी डी-III

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

4 मार्च, 1997, नई दिल्ली

विषय : केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा निष्पादित मामलों के संबंध में

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही द्वारा दिनांक 26.11.1996 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 565 के उत्तर में दिया गया आश्वासन।

मुझे, उपरोक्त विषय पर संसदीय कार्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने तथा ऊपर उल्लिखित प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनुबंध-I के रूप में प्रत्येक की 15 प्रतियां संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

2. यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस आश्वासन की पूर्ति के लिए 26.2.1997 के बाद 4.3.1997 तक अवधि बढ़ाने हेतु सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति की मंजूरी प्राप्त की जाए।

इसे राज्य मंत्री (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह०

(जसवंत सिंह)

अवर सचिव (वी-III)

सेवा में,

संसदीय कार्य मंत्रालय

80, संसद भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि = संसद अनुभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सूचनार्थ प्रेषित।

अनुबंध-I

ग्याहरवीं लोक सभा 1996 का तीसरा सत्र

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) पूर्ति की तारीख 4.3.1997

प्रश्न संख्या तारीख सांसद का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूर्ति की गई	टिप्पणी
लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 565 दिनांक 26.11.1996 श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा निपटाए गए मामले पूछा गया कि : (क) गत दो वर्षों के दौरान सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा निपटाए गए मामलों के ब्यौरे, अपराध वार, क्या हैं; (ख) इनमें से ऐसे मामलों की संख्या एवं ब्यौरे जिनमें अभियोग पत्र अभी दाखिल किए जाने हैं; और (ग) अभियोग पत्र दाखिल करने में देरी के कारण मामला-वार।	(क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, गत दो वर्षों के दौरान अर्थात् 1994, 1995 और 30.9.1996 तक अपराध-वार ब्यौरे दर्शाने वाले संलग्न विवरण के अनुसार कुल 5287 मामले निपटाए गए और इनकी जांच-पड़ताल की गई (अनुबंध-II) (ख) उपरोक्त 5287 मामलों में से कुल 3509 मामलों का निष्पादन या तो कानूनी न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल करके, या विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करके अथवा बंद करके किया है। 30.9.96 की स्थिति के अनुसार शेष 1778 मामलों में जांच-पड़ताल अभी लंबित थी। (ग) जांच-पड़ताल पूरी करने में हुई देरी का मुख्य कारण अभियोग-पत्र का देर से दाखिल होना है। मामलों की जटिल प्रकृति, विशेषज्ञों को भेजे गए संदर्भों, विभिन्न देशों, जिनके पास भिन्न-भिन्न प्रकार की कानूनी पद्धतियां हैं, को भेजे गए अनुरोध पत्रों तथा अनेक राज्यों से जांच-पड़ताल के कार्य के फैले होने के कारण जांच पड़ताल में देर होती है। कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने के कारण भी देरी होती है।	केन्द्रीय जांच ब्यूरों से जांच-पड़ताल से संबंधित सूचना अपेक्षित थी।

अनुबंध-II

अपराध का नाम	1.1.1994 की स्थिति के अनुसार जांच पड़ताल के लिए लंबित मामले।	1994	1995	1996 (30.9.1996)
1	2	3	4	5
घात के मामले	39	245	275	161
अनुपातहीन संपत्तियां	107	49	43	67

1	2	3	4	5
अपराधिक दुरुपयोग	194	229	150	166
गैर कानूनी आर्थिक लाभ	383	309	266	298
विभागीय कदाचार	92	208	326	282
ए सी डी अन्य मामले	10	3	5	12
हत्या	32	19	13	15
संदिग्ध दहेज मृत्यु	7	4	5	5
टाडा मामले	6	2	—	—
धोखाधड़ी	193	169	141	87
पासपोर्ट के मामले	10	6	4	1
आयात एवं निर्यात मामले	54	16	8	8
नशीले एवं और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम मामले	6	7	9	5
अपहरण के मामले	4	6	9	9
एस सी डी के अन्य मामले	94	115	147	72
बम विस्फोट के मामले	7	—	1	1
ई ओ डब्ल्यू के अन्य मामले	—	2	36	33
कुल	1238	1389	1438	1222

दुग्ध क्रांति

3569. श्री ए. सी. जोस : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध क्रांति का विस्तार केरल में सभी जिलों में कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं तो उक्त योजना के अंतर्गत अभी तक किन-किन जिलों को शामिल नहीं किया गया; और

(ग) केरल सरकार को 1995-96 और 1996-97 के दौरान उक्त योजना के लिए कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) केरल में, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम त्रिवेन्द्रम्, क्विलोन, अल्लेपी, पथनामथिता, कोट्टायम, एर्णाकुलम, इदुकी तथा त्रिचुर जिलों में क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा, कन्नूर, कोझीकोड, मालापुरम, पालघाट, विनाद तथा कासरकोड जिलों में डेयरी विकास के लिए स्विस सहायता से एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) 1995-96 तथा 1996-97 में ऑपरेशन फ्लड तथा स्विस सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत केरल को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

लाख रुपये में (अनन्तिम)

		1995-96	1996-97
(i)	ऑपरेशन फ्लड-3	401.16	54.43
(ii)	स्विस सहायता प्राप्त उत्तरी केरल डेयरी परियोजना	109.89	200.62

दून घाटी में प्रवासी पक्षी

3570. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने दून घाटी के पश्चिम भाग में प्रवासी पक्षियों के नये शीतकालीन आवास का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रवासी पक्षियों के इस नये शीतकालीन आवास के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ख) भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने देहरादून घाटी में असन जलाशय को प्रवासी पक्षियों के एक वासस्थल के रूप में पहचान की है। जलाशय में जल पक्षियों की 36 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इनमें से 15 प्रवासी, 12 आवासीय तथ 9 आवासीय प्रवासी हैं।

(ग) यह मंत्रालय अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है और असन जालशय को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक एकक

3571. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित उन औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है जो "मास्टर प्लान" के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदंडों का पालन कर रहे हैं; और

(ख) उक्त औद्योगिक एकक कहां-कहां स्थित हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) दिल्ली सरकार के अनुसार कुल 1.35 लाख उद्योगों में से लगभग 24,000 उद्योग अनुकूल क्षेत्रों में स्थिति हैं। ये उद्योग दिल्ली के 28 औद्योगिक क्षेत्रों में हैं।

कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव

3572. चौधरी रामचन्द्र बेंदा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गर्भवती महिलाओं पर कीटनाशक दवाइयों के प्रभाव से संबंधित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अध्ययन किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशु पालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) ऐसे कोई महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़े नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि महिलाएं कृमिनाशियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं अथवा ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिससे स्पष्ट हो कि कृमिनाशी अवशेष अंतर्ग्रहण और मातृक अथवा भ्रूण संबंधी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के बीच आकस्मिक साहचर्य है। ऐसी कुछ ही रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक कृमिनाशी आरक्षितता से गर्भपात, समयपूर्व जन्म, गर्भ संबंधी समस्याएं, भ्रूण का अनियमित विकास और वृद्धि में कमी जैसी प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई हों। विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने गर्भवती महिलाओं पर डी॰ डी॰ टी॰ के कृमिनाशी अवशेषों पर अध्ययन कराया है जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि माताओं के दूध, माताओं के रक्त, प्लेसेन्टल रक्त और प्लेसेन्टा में कृमिनाशी की उपस्थिति पाई जाती है।

विवरण

(1) इफेक्ट ऑफ आकुपेशनल कटैक्ट विद् पेस्टिसाइड ऑन फंक्शन ऑफ द फेटोप्लेसेन्टल सिस्टम, अब्दुर एखमानोव एम॰ के॰ अकुश जिनेकाल (मोस्क) रूप (1993), खण्ड-I पृष्ठ 46-69।

110 महिलाएं कपास उगाने में लगी हुई थीं। व्यावसायिक अरक्षित गर्भा धान तथा प्रसव पीड़ा, प्रसूति तथा मूलाधार (पेरिनैटल) विसंगतियों से जुड़ी हुई थीं।

(2) प्रिवैलेन्स ऑफ एडवर्स रिप्रोडक्टिव आउटकम एन ए पापुलेशन आकुपैशनली एक्सपोज्ड टू पेस्टिसाइड इन कोलम्बिया। रेस्ट्रेपो एम॰ एस्कैड जे॰ वर्ग एन्व॰ हैल्थ (1990), खण्ड 16 (4) पृ॰ 232-8।

8867 व्यक्तियों (2951 पुरुष और 5916 महिलाएं) की आबादी 127 विभिन्न प्रकार की कृमिनाशियों से अरक्षित थे। गर्भपात समयपूर्व जन्म, मालफार्मेशन आदि का अनुमान लगाया गया था। मामूली वृद्धि देखी गई।

[अनुवाद]

इमारती लकड़ी की तस्करी

3573. श्री द्वारका नाथ दास : क्या पर्यावरण और वन मंत्री इमारती लकड़ी की तस्करी के बारे में 27 अगस्त, 1996 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 3029 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिजोरम के मैराबी रेलवे स्टेशन से गुजरात के कोंग कोरिया रेलवे स्टेशन के लिए बुक की गई 15 वैगन कीमती इमारती लकड़ी के उस वज़न की जानकारी है जो पहुंचते-पहुंचते असम के करीमगंज जिले के बदरपुर रेल जंकशन पर पहुंची थी;

(ख) क्या लगभग 5 करोड़ रुपए की कीमत की इमारती लकड़ी की असम के हैलाकाण्डी जिले से तस्करी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तस्करी की इस समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, असम से प्राप्त फैक्स संदेश के अनुसार कथित माल कन्कारिया में रेलवे पुलिस द्वारा रोका गया है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि असम के एक वन अधिकारी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि रोका गया माल कानूनी रूप से प्राप्त पाया गया।

(ख) और (ग) असम सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्टॉक रखने की सीमा

3574. श्री राम नाइक : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1997 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" के "बिड टू स्ट्रीमलाइन पी डी एस फन्कशनिंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व कुछ राज्य सरकारों को यह आश्वासन दिया था कि गेहूं के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए वह स्टॉक रखने की सीमा तथा अन्य संबंधित कानूनों को लागू नहीं करेगी;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उन कानूनों का ब्यौरा क्या है जिनका पालन उनके द्वारा नहीं किया जाता है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन राज्यों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) "दि टाइम्स ऑफ इंडिया", दिनांक 23 जनवरी, 1997 (नई दिल्ली संस्करण) में इस शीर्षक से कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) दिसम्बर, 1996 में केन्द्रीय सरकार ने गेहूं और गेहूं के उत्पादों पर लाइसेंसिंग शुरू करने और इन पर स्टाक सीमाएं भी लागू करने का निर्णय किया था ताकि खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका जा सके। तदनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया था। दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को राज्य सरकारों ने गेहूं और इसके उत्पादों को लाइसेसिंग के दायरे के अंतर्गत किया है और इन वस्तुओं पर स्टाक सीमाएं भी लागू की हैं। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर की राज्य सरकारों और चंडीगढ़ प्रशासन ने गेहूं को लाइसेसिंग के दायरे में किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गेहूं पर स्टाक सीमाएं भी लागू की हैं। इस संबंध में अन्य राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी उत्तर प्राप्त होना है।

[हिन्दी]

वाहन प्रदूषण

3575. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वाहन प्रदूषण का मुख्य कारण सीसायुक्त पेट्रोल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात में सीसायुक्त पेट्रोल के कारण होने वाले प्रदूषण के संबंध में कोई जांच की है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सीसायुक्त पेट्रोल के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) देश में वाहन प्रदूषण मुख्यत: पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1987 तथा 1994 में दो बड़े सर्वेक्षण किए थे जिनके अंतर्गत गुजरात में अहमदाबाद सहित देश के 12 महानगरों को शामिल किया गया था।

(ग) वाहन-प्रदूषण के कारण अहमदाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर 1987 में 243.94 टन प्रतिदिन से बढ़कर 1994 में 292.94 टन प्रतिदिन हो गया है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा, सीसायुक्त पेट्रोल के कारण हो रहे पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं/की योजना है :

(i) 1.6.1994 से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, तथा चेन्नई चार महानगरों में 0.15 ग्राम प्रति लीटर कम सीसायुक्त पेट्रोल शुरू किया है जबकि 1.1.97 से इसे सारे देश में शुरू किया गया है।

(ii) देश में सीसा रहित पेट्रोल शुरू करने का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार 1.4.1995 से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, तथा चेन्नई चार महानगरों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे पेट्रोल चालित चार पहिया वाहनों के लिए सीसारहित पेट्रोल शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के 1.1.99 से शुरू होने वाले अगले चरण में देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों तथा प्रमुख शहरों को शामिल किए जाने की योजना है। सारे देश में 1.4.2000 से चुनिंदा खुदरा पेट्रोल पम्पों के माध्यम से सीसा रहित पेट्रोल सप्लाई किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

पुष्प कृषि

3576. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पुष्प कृषि को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस समय कुल कितनी भूमि पर पुष्प कृषि की जा रही है तथा गत दो वर्षों की तुलना में इस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई हैं;

(ग) किन-किन देशों को कितने फूलों का निर्यात किया जा रहा है और नौवीं योजना अवधि के दौरान कितने फूल निर्यात करने की संभावना है; और

(घ) देश से इस समय कितनी मात्रा में मसालों का निर्यात किया जा रहा है और नौवीं योजना अवधि के दौरान इसके निर्यात की क्या संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चुतरानन मिश्र) : (क) भारत सरकार 14.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वाणिज्यिक पुष्पकृषि संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना आधार पर पुष्प कृषि संबंध समेकित परियोजनाओं के लिए उदार ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा, अपेडा (वाणिज्य मंत्रालय) को भी निर्यात के लिए पुष्प परियोजनाओं के लिए अवसंरचनात्मक विकास तथा बाजार सहायता संबंधी योजनाएं हैं।

(ख) फिलहाल, पुष्प कृषि के तहत आने वाले क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध 1992-93 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पुष्प कृषि के तहत कुल क्षेत्र 50,351 हैक्टेयर था, जो कि 1991-92 के क्षेत्र की तुलना में 19,442 हैक्टेयर अधिक था।

(ग) पुष्प संवर्धन निर्यात के लिए मात्रावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 1995-96 के दौरान पुष्प कृषि उत्पादों के निर्यात के गंतव्य देश तथा मूल्य का विवरण संलग्न है।

नौवीं योजना के दौरान, पुष्प कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने की आशा है।

(घ) वर्तमान वर्ष (फरवरी, 1997 तक) के दौरान मसालों का कुल निर्यात 193205 मी॰ टन है जिसका मूल्य 1017.40 करोड़ रुपए है। 1995-96 के दौरान कुल निर्यात 202197 मी॰ टन था जिसका मूल्य 785.89 करोड़ रुपए था। नौवीं योजना के दौरान (1997 से 2002) कुल निर्यात 1142065 मी॰ टन होने का अनुमान है।

विवरण

पुष्प कृषि का निर्यात

(मूल्य रुपए लाख में)

देश	1995-96
1	2
संयुक्त राज्य अमरीका	1778.05
नीदरलैण्ड	1280.02
जर्मनी	774.74
जापान	609.40
यूनाइटेड किंगडम	532.59
इटली	208.15
श्रीलंका	50.50
फ्रांस	84.22
यूनाइटेड अरब अमीरात	71.21
स्पेन	65.97
सऊदी अरबिया	62.08
आस्ट्रेलिया	42.05
हांगकांग	40.07
आयरलैण्ड	37.25
बैल्जियम	36.94
चाइनीज ताइपी	26.42
इज़राइल	25.27
मिस्र	24.95
मलेशिया	22.34
न्यूजीलैण्ड	22.04
रशिया	21.37
कनाडा	21.17
सिंगापुर	15.85
डेनमार्क	13.79
ग्रीस	12.70

1	2
हंगरी	12.79
साऊथ अफ्रीका	11.05
थाइलैण्ड	9.90
स्विट्जरलैण्ड	8.78
कुवैत	8.35
स्वीडन	8.33
आस्ट्रिया	8.30
नेपाल	7.36
मालदीव	7.09
कतर	5.19
ओमान	4.59
इन्डोनेशिया	3.43
बहरान	3.25
चीन	2.83
कीनिया	2.47
पुर्तगाल	2.14
लेबनान	1.89
पाकिस्तान	0.70
चीली	0.63
चाड	0.49
जीबोती	0.36
फेड॰ रिपब्लिक आफ घाना	0.28
तुर्की	0.22
नाइजीरिया	0.17
अमेरिकन सामोस	0.09
चेकोस्लोवाकिया	0.04
हान्डुरस	0.03
कुल उत्पादन	6014.16

वानिकी मंजूरी

3577. श्री गिरिधर गमांग : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भिन्न-भिन्न परियोजनाओं को वानिकी मंजूरी के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मंजूरी दिये जाने हेतु सौंपी गई शक्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के परिणामों तथा दिशानिर्देश के संबंध में कोई समीक्षा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने संबंधी राज्य सरकार को दिशानिर्देश जारी किए हैं। तथापि, राज्य सरकारों को ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में अपराध

3578. श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में पिछले छह महीने से अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तिहाड़ जेल में अपराधों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में अपराध पर काबू पाने के लिए उठाये गए कदमों में शामिल हैं :

(i) न्यायालय/अस्पताल/साक्षात्कारों के लिए जाते तथा वहां वापस आते समय कैदियों की जमा-तलाशी।

(ii) खूंखार अपराधियों को सामान्य अपराधियों से अलग करना।

(iii) वार्डो की नियमित तलाशी।

(iv) शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम

आदि जैसी सुधारात्मक गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित करना।

(v) योग तथा मननशील पाठ्यक्रमों का आयोजन, तथा

(vi) नशीली दवाइयों से छुटकारा दिलानें एवं पुनर्वास हेतु सुविधाओं की व्यवस्था करना।

[अनुवाद]

मछुआरों को राजसहायता

3579. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय परम्परागत मछुआरों को 10 अश्व शक्ति वाले मोटर बोट के लिए स्वीकार्य राजसहायता की राशि क्या है;

(ख) क्या सरकार का राजसहायता की राशि बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मछुआरों और को-ऑपरेटिव की मोटर बोट और हिस्से-पुर्जों के आयात के लिए आयात शुल्क से छूट दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) "तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत पारम्परिक नौकाओं के मोटरीकरण के संबंध में पारम्परिक मछुआरों को 10 अश्व शक्ति तक की "आउट बोर्ड मोटर" की लागत पर 10,000/- रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। लेकिन, आउट बोर्ड मोटरों के विनिर्दिष्ट हिस्सों को आधारभूत उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जाती है, यदि उनका आयात राज्य मात्स्यिकी निगमों अथवा संबंधित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त मात्स्यिकी सहकारी परसिंघ द्वारा किया गया हो।

वन भूमि पर कब्जा

3580. श्री अमर राय प्रधान : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री वन भूमि पर कब्जा के बारे में 3.9.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 444 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी सिक्किम में वन खास भूमि पर कब्जा, अवैध हस्तांतरण तथा उसी बिक्री किये जाने तथा संरक्षित भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भुवनेश्वर की रिपोर्ट पर सिक्किम सरकार की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) मुख्य वन संरक्षक, भुवनेश्वर की रिपोर्ट के आधार पर सिक्किम सरकार ने सूचित किया है कि वन विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट नार्थ सिक्किम के न्यायालय ने वन भूमि की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया है और विनिर्दिष्ट अधिनियमों और नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

चरित्र सत्यापन संबंधी मामले

3581. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास सरकारी नौकरियों के लिए चयनित आवेदकों के चरित्र सत्यापन इत्यादि संबंधी कई मामले लंबे समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मामले एक माह से अधिक समय से लंबित हैं;

(घ) ऐसे मामलों के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ङ) इस मामले पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस (विशेष शाखा) के पास चरित्र सत्यापन का कोई भी मामला एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं पड़ा है। स्थाई अनुदेशों के अनुसार, सत्यापन की प्रक्रिया छह से आठ सप्ताह में पूरी की जानी अपेक्षित है। तथापि, दिल्ली पुलिस द्वारा सत्यापन के मामलों को सामान्यत: तीन से चार सप्ताह में ही निपटा दिया जाता है।

[हिन्दी]

चीनी निर्यात

3582. श्री छत्रपाल सिंह : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में हो रहे उत्पादन की तुलना में प्रत्येक चीनी मिल को कितनी मात्रा में चीनी के निर्यात हेतु निर्यात लाइसेंस जारी किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने गत दो माह में चीनी का निर्यात नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार को इससे कितनी हानि हुई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) उत्तर

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों सहित, देश में किसी भी चीनी मिल को अभी तक चीनी के निर्यात का लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) सरकार चीनी का कोई निर्यात नहीं करती। तथापि, यह चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 जो कि निरस्त किया चुका है, के अंतर्गत निर्यात एजेंसियों के अनुरोधों पर निर्यात हेतु रिलीज आदेश तथा चीनी निर्यात संवर्द्धन (निरस्त) अध्यादेश, 1997 (1997 की संख्या 4) के अनुसार डिकैनेलाइजेशन (असरणीबद्ध) होने के पश्चात् कृषि तथा प्रसंस्कारित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) द्वारा जारी पंजीकरण-आबंटन प्रमाण पत्र जारी करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संकटापन्न प्रजातियां

3583. डॉ॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेड़-पौधे तथा जीव-जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संकटापन्न प्रजातियों का महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक प्रयोजनार्थ भी प्रयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने कई संकटापन्न एवं खतरे में पड़ी जैव प्रजातियों का स्तर अध्ययन किया है तथा इन पर 3 वाल्यूम प्रकाशित किए गए हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने भी वनस्पतिजात पर सर्वेक्षण आयोजित कराए हैं तथा उनके द्वारा भारत के दुर्लभ और संकटापन्न पौधों के बारे में 3 वाल्यूम प्रकाशित किए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई भी उदाहरण देखने में नहीं आया है। वन्यजीव क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत जानवरों पर प्रयोग के नियंत्रण एवं निरीक्षण के प्रयोजन के लिए एक समिति बनाई है जोकि ऐसे मामलों की जांच करेगी और उपर्युक्त कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगी।

[हिन्दी]

बिहार में नये उर्वरक उद्योग

3584. श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिलों में रसायन और उर्वरकों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसायन और उर्वरक आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सहकारी समिति की ओर से बिहार के गिरिडीह कोडरमा तथा हजारीबाग जिलों में रासायनिक अथवा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है।

(ख) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समिति द्वारा कार्यान्वयन अथवा कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित उर्वरक और रसायन परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में कार्यान्वयनाधीन उर्वरक एवं रसायन परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र॰ सं॰	सरकारी उपक्रम/ सहकारी समिति का नाम	स्थान	अनुमानित लागत (रु॰ करोड़)	परिकल्पित उत्पादन क्षमता (लाख मी॰ टन प्रतिवर्ष)	शून्य तारीख	आरंभण की अनुमोदित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	इफको	काण्डला (गुजरात)	212.20	एनपीके 3.70 डीएपी 2.27	22.1.97	22.10.98
2.	इफको	कलोल (गुजरात) (विस्तार)	119.08	यूरिया 1.50	01.3.95	01.9.97

1	2	3	4	5	6	7
3.	इफको	फूलपुर (यू॰ पी॰) (विस्तार)	993.00*	यूरिया 7.26	20.4.95	20.1.98
4.	एन एफ एल	विजयपुर	987.30**	यूरिया 7.26	30.9.93	30.9.96** 31.3.97 को आरंभ होने की संभावना है।
5.	एम एफ एल	मनाली (मद्रास) (विस्तार)	487.47***	यूरिया 0.76	01.1.93 पूर्ण होने की नई तारीख 7.5.97	30.6.96
6.	आर सी एफ	थाल (महाराष्ट्र)				
		फेस-I	49.00	यूरिया 1.65	07.3.94	07.10.96
		फेस-II (अमोनिया रेट्रोफिट प्लांट)	93.00	यूरिया 1.10	01.11.95	01.11.97 30.9.97 को आरंभ होने की आशा है।
7.	फैक्ट	उद्योगमंडल (केरल) (अमोनिया) प्रतिस्थापन संयंत्र)	618.00@	अमोनिया 2.97	10.5.93	30.6.97 31.8.97 को तक आरंभ होने की संभावना है।
8.	एच ओ सी	कोचीन (केरल)	—	हाइड्रोजन पैरोक्साइड	0.05	

* 1031.00 संशोधित होने की संभावना है।

** 1034.00 संशोधित होने की संभावना है।

*** 518.50 संशोधित होने की संभावना है।

@ 642.36 संशोधित होने की संभावना है।

सरकार के विचाराधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समिति के एककों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव

क्र॰ सं॰	सरकारी उपक्रम/ सहकारी समिति का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रु॰ करोड़)	परिकल्पित उत्पादन क्षमता (लाख मी॰ टन) (प्रतिवर्ष)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कृभको	हजीरा, गुजरात (वर्तमान स्थल पर तीसरा अमोनिया-यूरिया स्ट्रीम)	1096.00	यूरिया 7.26	पीआईबी द्वारा प्रथम चरण की मंजूरी के लिए प्रस्तुत।

1	2	3	4	5	6
2.	कृभको	गोरखपुर, उ० प्र० (एफसीआई के वर्तमान स्थल पर नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र)	1289.73	यूरिया 7.26	डीएफआर तैयार करने के लिए सं. पी आई बी की प्रथम चरण मंजूरी के लिए प्रस्तुत।
3.	इफको	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश (ग्रासरूट परियोजना)	1568.70	यूरिया 7.26	पी आई बी की प्रथम चरण मंजूरी दी जा चुकी है। दूसरे चरण की पी आई बी की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है।
4.	आर सी एफ	थाल, मुंबई (नियस्थल पर अमोनिया-यूरिया की तीसरी स्ट्रीम)	1157.33	यूरिया 726	पी आई बी की प्रथम चरण मंजूरी के लिए प्रस्तुत।
5.	एच आई एल	अलवाय (केरल)	5.40	कीटनाशक	
6.	एच ओ सी	रसायनी महाराष्ट्र	386.73	एमडीआई	

[अनुवाद]

बंगलादेश में आए शरणार्थी

3585. श्री आर० बी० राई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश से आए शरणार्थियों की संख्या जो 1971 के युद्ध में भारत आए थे;

(ख) उनमें से कितने शरणार्थी बंगलादेश वापस चले गए हैं; और

(ग) भारत में बसे शरणार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर बसे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1971 में बंगला देश से करीब 9.9 मिलियन शरणार्थी भारत में आए थे। 25 मार्च, 1972 तक सभी शरणार्थी असल में बंगलादेश लौट गए थे।

[हिन्दी]

मूर्तियों की तस्करी

3586. श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1997 के "दैनिक जागरण" में "मूर्तियों के तस्कर अब राजनयिकों का इस्तेमाल करते हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय ने राजनयिक मिशनों को सलाह दी है कि उनके सामान के साथ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत किए गए ऐऐ पुरावशेषों के अलावा और कोई पुरावशेष नहीं होने चाहिए जो 100 साल से अधिक पुराने हों। सरकार, आसूचना और प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित आधुनिकीकरण और मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर भी बल देती है, ताकि वे, पुरावशेषों/मूर्तियों इत्यादि की देश से बाहर तस्करी को रोकने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठा सकें।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त औषध

3587. श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के बजट में अधिसूचना सं॰ 4/97 की सूची-एक में कतिपय औषध उत्पाद शुल्क और सी॰ वी॰ डी॰ से छूट प्राप्त है;

(ख) क्या इसी अधिसूचना की सूची-दो में एक मध्यम जिसका उपयोग सूची-एक के औषधों के उत्पादन में होता है, को भी उत्पाद शुल्क और सी॰ वी॰ डी॰ से छूट प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या 2-सेनोपायराजाइड जो पायराजैनिमाइड के निर्माण में मध्यम है, का सूची-दो में उल्लेख नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीशराम ओला) : (क) और (ख) अधिसूचना संख्या 4/97 दिनांक 1.3.97 के अधीन सूची-1 में यथा उल्लिखित 21 विनिर्दिष्ट प्रपुंज औषधें और सूची 2 में यथा उल्लिखित उनकी विनिर्मिति में प्रयुक्त केवल 24 विनिर्दिष्ट वस्तुओं में कुछ भी उत्पाद शुल्क नहीं लगता है।

(ग) और (घ) अधिसूचना सं॰ 4/97 दिनांक 1.3.97 के अधीन सूची 2 के अंतर्गत सूची 1 में उल्लिखित प्रपुज औषधों के निर्माण में प्रयोग करने वाली सभी वस्तुएं शामिल नहीं हैं लेकिन केवल ऐसी वस्तुएं जिस मामले में सरकार ने शून्य दर पर उत्पाद शुल्क लगाने का निर्णय किया है।

प्रथम सूचना रिपोर्टों की जांच

3588. श्री जय प्रकाश हरदोई : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे मामलों की रिपोर्टें मिली हैं जिनमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा करने और साक्ष्य एकत्र करने के बिना ही प्राथमिक सूचना रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस के बारे में ऐसे किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

टिहरी बांध से प्रदूषण

3589. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध पर निर्माण कंपनियों द्वारा खुदाई के दौरान निकलने वाली धूल के कारण वन पेड़-पौधों, वन्य जीव जन्तुओं, मानव और पशु जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा पर्यावरण और पुनर्वास पहलुओं के संबंध में गठित हनुमंत राव विशेषज्ञ समिति को लोगों ने दिसम्बर, 1996 में अपनी शिकायतें भेजी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने दिसम्बर, 1996 में परियोजना स्थल का दौरा किया था। समिति के दौरे के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने टिहरी बांध स्थल के संवहन मार्ग पर चलने वाले वाहनों के कारण धूल की समस्या का उल्लेख किया। परियोजना प्राधिकारियों ने संवहन मार्ग पर वाहनों के चलने से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर बार पानी का छिड़काव कर उस पर नियंत्रण के उपाए किए हैं।

[अनुवाद]

सुंदर वन

3590. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुंदर वन का एक बड़ा क्षेत्र रिहायशी स्थल में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभयारण्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि विकास वित्त कंपनियां

3591. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में राज्य स्तर की कृषि विकास वित्त कंपियों की स्थापना की जा रही है;

(ख) क्या राज्य स्तर की इन कंपनियों की स्थापना किये जाने की घोषणा वित्त मंत्री ने वर्ष 1996-97 के बजट में की थी;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां अभी तक ये कंपनियां स्थापित की गई हैं; और

(घ) इन राज्य स्तर की कंपनियों की स्थापना से वांछित परिणाम कहां तक प्राप्त हुए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां,। राज्य स्तरीय कृषि विकास वित्त कंपनियां आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में स्थापित की गेई हैं।

(ख) जी, हां। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने 1996-97 के बजट अभिभाषण में घोषणा की कि राज्य स्तरीय कृषि विकास वित्त कंपनियां स्थापित की जाएंगी, जिनकी मुख्य प्रोत्साहक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) होगा।

(ग) और (घ) अब तक केवल तीन कंपनियां तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में स्थापित की गई हैं और उन्हें अपना कारोबार अभी शुरू करना है।

[हिन्दी]

हिरण के मांस की तस्करी

3592. प्रो० ओमपाल सिंह "निडर" : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिरण तथा नीले सांढ़ (ब्लू बुल) के मांस की भारत से पाकिस्तान को तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों से उक्त मांस की तस्करी होती है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त तस्करी पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है तथापि वन्यजीवों एवं वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के पहले से अनुसूची में शामिल किए गए वन्यजीवों के शिकार पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
2. इस मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें सभी प्रमुख प्रवर्तन संगठनों के प्रतिनिधि जैसे : सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, केन्द्री अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल तथा विदेशी डाकघर, ट्रैफिक इंडिया एवं वन्यजीव प्राधिकारी शामिल हैं जोकि कारगर अंतर्विभागीय सहयोग एवं समन्वय करते हैं जिससे वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार में आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके।
3. वर्ष 1995 से और 1996 के दौरान सभी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए वन्यजीव और अन्य संबंधित कानूनों के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किए गए हैं।
4. जब कभी भी वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना प्राप्त होती है, अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से यदि आवश्यक हुआ तो वन्यजीव अधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।
5. वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन में भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है जिसके अंतर्गत संकटापन्न प्रजातियों एवं उनके भागों और उनसे निर्मित वस्तुओं को सख्ती से विनियमित किया जाता है।
6. वन्यजीवों उत्पादों और उनके अवैध व्यापार तथा तस्करी के संबंध में सूचना एकत्र करने वाले मुखबिरों को पुरस्कार दिए जाते हैं।
7. मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है जोकि वन्यजीव एवं वन्यजीव उत्पादों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करती है। समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट उपायों के संबंध में सुझाव दिए हैं और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों से कहा जा रहा है।
8. वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों में मुख्य रूप से स्थापित किए गए हैं जोकि वन्यजीवों उत्पादों के अवैध व्यापार एवं तस्करी को रोकेंगे।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की तैनाती

3593. डॉ० बलिराम : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों और इकाइयों का ब्यौरा क्या है जहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों की सुरक्षा ड्यूटी हेतु तैनात किया गया है;

(ख) इन सुरक्षा कर्मियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ता है; और

(ग) आठ घंटे से ऊपर कार्य करने पर सुरक्षा कर्मियों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) एक

विवरण संलग्न है।

(ख) सुरक्षा कार्मियों को प्रतिदिन 8 घंटे के लिए लगातार ड्यूटी पर तैनात किया जाता है।

(ग) सुरक्षा कार्मियों को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम करने के लिए जलपान भत्ता दिया जाता है।

विवरण

1. राजकीय अफीम और क्षारोद फैक्ट्री, गाजीपुर।
2. भारतीय टेलीफोन उद्योग, नैनी, इलाहाबाद।
3. भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर।
4. टेलीफोन उपकरण फैक्ट्री, नैनी।
5. भारत पंप एवं कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी।
6. भारतीय तेल निगम, मथुरा।
7. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी।
8. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार।
9. भेल, सेन्ट्रल फाउड्री एंड फोर्ज प्लांट, हरिद्वार।
10. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मोस्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश।
11. सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, शक्तिनगर।
12. पारिचा थर्मल पावर स्टेशन, झांसी।
13. हरिद्वार गंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कासिमपुर।
14. ओब्रा हाइडल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मिर्जापुर।
15. पंकी थर्मल पावर स्टेशन, कानपुर।
16. एच॰ एम॰ टी॰ रानी बाग।
17. रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मिर्जापुर।
18. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, रायबरेली।
19. अनपाड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मिर्जापुर।
20. टंडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फैजाबाद।
21. आई॰ टी॰ आई॰ मानकपुर।
22. नरौरा ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट, नरौरा।
23. ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ देहरादून।
24. भेल, जगदीशपुर।
25. कनकपुर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बनबासा।
26. रिहन्द हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट, पिपरी।
27. फिरोजगांधी उंचाहार थर्मल पावर, प्रोजेक्ट, रायबरेली।
28. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी।
29. औरिया गैस बैरड पावर प्रोजेक्ट, इटावा।
30. एन॰ टी॰ सी॰ थर्मल पावर प्रोजेक्ट गाजियाबाद।
31. टेहरी हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट।
32. इफमो अनोला।
33. इफको फूलपुर, इलाहाबाद।
34. यू॰ पी॰ पैट्रोकैमिकल्स कंपलैक्स, पाटा।

[अनुवाद]

औषधि मूल्य और नियंत्रण आदेश में संशोधन

3594. श्री शतर पटनायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औषधि (मूल्य एवं नियंत्रण) आदेश में संशोधन करने और एक राष्ट्रीय परिषद् प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के लिए कीमत निर्धारण प्रक्रिया तथा अनुवीक्षण तंत्र को सुप्रवाही बनाने के लिए और इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जैसा कि "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में परिकल्पना की गई है, राष्ट्रीय भेषज कीमत निर्धारण प्राधिकरण (एम॰ पी॰ पी॰ ए॰) स्थापित किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसके प्रकार्य मूलक बन जाने की उम्मीद है। इसके लिए डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰, 95 में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है जो "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रख्यापित किया गया है।

विस्थापित परिवारों के लिए भूमि आबंटन

3595. श्री मंगत राम शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के युद्ध के दौरान जम्मू और कश्मीर से कुल कितने परिवार विस्थापित हुए थे;

(ख) जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक परिवार को उनके पुनर्वास हेतु कितनी भूमि का आबंटन किया जाएगा;

(ग) भूमि आबंटन के निर्धारित पैमाने के अनुसार कुल कितनी भूमि कम पड़ती है;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त कमी की भरपाई हेतु 5000 रु० प्रति कनाल की दर से नकद प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई गयी है;

(ङ) इस योजना में कुल कितनी धनराशि अंतरर्ग्रस्त है तथा विस्थापितों व्यक्तियों को दिए जाने हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई है और शेष धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान जम्मू व कश्मीर में करीब 3800 परिवार विस्थापित हो गए थे। विस्थापित हुए परिवारों में से विस्थापित कृषक परिवार, 4 एकड़ (ए वी) अथवा 6 एकड़ (खुस्की) की दर से भूमि पाने के पात्र थे चूंकि राज्य सरकार पूरी दरों के अनुसार कृषक परिवारों को भूमि आबंटित करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए, आबंटित की जाने वाली भूमि की दर में कमी, राज्य सरकार द्वारा यथा सत्यापित, बदले नकद मुआवजा, जिसकी अधिकतम राशि 5000/रु० प्रति कनाल है, देने के लिए भारत सरकार ने 1990 में एक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी और यह अधिकतम दर केवल उन परिवारों को देय थी जिनके क्षेत्र में भूमि की दर 5,000 रु० या अधिक प्रति कनाल थी। लाभान्वित होने वाले कुल परिवारों की संख्या 699 से अधिक नहीं हो सकती थी, जो कि राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई मूल संख्या थी। भूमि की कमी के बदले मुआवजे का भुगतान करने के दावों को जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, इस योजना के अधीन राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। चालू वर्ष के दौरान 1.00 करोड़ रुपये की राशि का दूसरा दावा प्राप्त हुआ है, जिसे प्रोसेस किया जा रहा है। निर्धारित दर सं० के अनुसार भूमि की कुल कमी तथा इसके लिए दिए जाने वाले मुआवजे की कुल राशि, जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में हिन्दी का प्रयोग

3596. श्री रवीन्द्रकुमार पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिन्दी के भाषण तैयार करने और देश के प्रतिनिधियों और राजाध्यक्षों द्वारा हिन्दी में भाषण दिए जाने के संबंध में कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राजभाषा हिन्दी को उचित स्थान देने के संबंध में कुछ आदेश जारी किए गए हैं तथापि इस विषय पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

वन्य पशुओं का शिकार

3597. श्री दादा बाबू राव परांजपे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेर, चीता और अन्य पशुओं का अवैध रूप से शिकार करने और उनकी खाल और उनके अंगों की कालाबाजारी में संलिप्त किसी गिरोह को बालाघाट के जंगलों और भांडारा सीमा पर गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) राज्य सरकार के अनुसार जबलपुर जिले के कटनी उप-प्रभाग में 26 और 27 दिसम्बर, 1996 को वन्यजीव वस्तुओं के अवैध व्यापार के तीन मामलों का पता लगा और उन्हें दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए तीन व्यक्तियों से तेंदुए की चार खालें और दो जालें बरामद हुई और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इन मामलों में संलिप्त अन्य व्यक्ति कथित रूप से भाग गए हैं।

[अनुवाद]

यूरिया की कीमत

3598. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रातिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत निजी, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादकों के लिए यूरिया का क्या थोक मूल्य निर्धारित किया गया है तथा वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान उनमें से प्रत्येक ने यूरिया का कितना उत्पादन किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयात किए गए यूरिया का देश में पहुंचने तक लागत क्या रहती है; और

(ग) क्या सरकार ने संपूर्ण राजसहायता को समाप्त करने अथवा कुछ और करने की दृष्टि से एककों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई प्रोत्साहन दिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) यूरिया का प्रतिधारण मूल्य नियामक क्षमता उपयोग और विभिन्न लागत तत्वों तथा खर्चों के संबंध में मानकों तथा वास्तविक के मिश्रण के आधार पर एकक-वार निर्धारित किया जाता है। प्रतिधारण मूल्य में 12% के कर पश्चात् लाभ के अनुरूप शुद्ध पूंजी पर कर-पूर्व लाभ शामिल किया जाता है। वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान यूरिया के एककवार उत्पादन तथा प्रतिधारण मूल्य से संबंधित वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 (फरवरी 1997 तक अनंतिम रूप से अनुमानित) के दौरान आयात किये गये यूरिया की औसत सी एण्ड एफ लागत क्रमशः 7510/रु० और 7308/-रु० प्रति टन थी।

(ग) घरेलू यूरिया उद्योग के नवीकरण, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं :

(i) घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(ii) उर्वरक संयंत्रों में फीड स्टाक तथा ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले तरल पैट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रियायती मूल्य पर की जाती है।

(iii) नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए तथा विद्यमान संयंत्रों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए भी आवश्यक पूंजीकरण सामानों के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(iv) पूंजीगत सामानों पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क की वापसी तथा 1.1.1991 को अथवा इसके पश्चात् चालू किए गये संयंत्रों के संबंध में आवधिक ऋणों पर ब्याज में 3% रियायत की एक स्कीम स्वीकृत की गई है।

(v) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत सामानों के स्वदेशी आपूर्तिकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली पद्धति के तहत ऐसी आपूर्ति करने पर निर्यात सम लाभों के पात्र हैं।

विवरण

1995-96 के दौरान यूरिया का एककवार उत्पादन एवं प्रतिधारण मूल्य

ब्यौरे	उत्पादन 1995-96 (लाख/मी॰ट॰)	1.1.96 को प्रतिधारण मूल्य	उत्पादन 1996-97 (31.1.97 तक) (लाख/मी॰टन)	28.2.97 को प्रतिधारण मूल्य (रु॰/मी॰टन)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र				
फैक्ट- कोचीन	2.67	5943	1.86	5943
एफसीआई-सिंदरी	2.25	5477	2.06	5477
एफसीआई-रामागुण्डम	1.07	8562	0.42	8562
एफसीआई-तालचर	1.19	7957	1.04	7957
एचएफसी-बरौनी	0.56	8155	0.38	8155
एचएफसी-नामरुप-I तथा II	0.00	3628	0.00	3628
एचएफसी - नामरुप - III	1.40	3652	1.86	3652
नवेली - लिग्नाइट	1.04	6519	0.94	6519
एनएफएल - भटिण्डा	5.31	6974	2.87	6580
एनएफएल - नंगल	3.72	5614	2.74	6307
एनएफएल - पानीपत	5.33	5418	3.57	6010
एनएफएल - विजयपुर	8.58	4523	7.02	4534
आरसीएफ - थाल	14.76	3863	9.59	3863
आरसीएफ - ट्राम्बे - I	0.00	7730	0.00	7733
आरसीएफ - ट्राम्बे - V	2.41	4721	2.49	4588
सहकारी क्षेत्र				
इफको - आंवला	8.82	4850	6.71	4850

1	2	3	4	5
इफको - आंवला (विस्तार)		0		5590
इफको - फुलपुर	5.82	5523	4.56	5523
इफको - कलोल	4.55	3928	3.39	3928
कृभको	17.22	3866	12.88	3866
निजी/संयुक्त क्षेत्र				
चंबल फर्टिलाइजर्स	8.94	6547	7.24	6547
जीएनएफसी	6.91	5114	5.25	5114
जीएसएफसी - बडौदा	2.87	5207	2.67	5207
आईसीआई (डंकन्स)	7.12	6724	5.91	6724
इण्डो-गल्फ	8.96	4926	5.32	4926
मद्रास फर्टिलाइजर्स	2.79	6329	1.81	6329
एमसीएफएल	2.33	5230	2.91	6321
एनएफसीएल	7.08	8640	5.91	8640
ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	2.09	6547	6.62	6547
श्रीराम	3.94	5149	3.31	5149
एसपीआईसी	6.75	5743	5.01	5743
टाटा फर्टिलाइजर्स	8.40	6500	7.80	6500
जुआरी एग्रो	4.10	5323	2.87	5323

कल्याण योजनाएं

3599. श्री एन. एस. वी. चित्थन : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण एवं आंशिक रूप से वित्तपोषित गरीबों, वृद्धों, विधवाओं और बेसहारा लोगों के कल्याण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार इन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ पहुंचा;

(ग) इन योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई थी; और

(घ) इन योजनाओं के लिए किस राज्य को अधिकतम अनुदान दिया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

3600. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान बहु अभिकरण प्रणाली के अंतर्गत छोटे तथा सीमांत किसानों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए वित्तीय तथा वास्तविक तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धि हुई है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार ऋण किस ब्याज दर पर दिया जा रहा है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) छोटे तथा सीमांत किसानों को रियायती दर के ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए अलग से वित्तीय व वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, वर्तमान नीति के अनुसार अंतिम रूप से उधार लेने वाले के लिए ब्याज की दर का निर्धारण जारी की गई ऋण की राशि क आधार पर किया जाता है, किसानों की श्रेणी के आधार पर नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज

3601. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री द्वारा देश में आज तक अपने दौरों के दौरान घोषित पैकेजज का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पैकेजेज के कार्यान्वयन के लिए तरीके सुझाने के लिए कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 7,000 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा कब की गई थी; और

(घ) इन पैकेजज की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) दो विवरण I और II जिनमें से पहला पूर्वोत्तर से संबंधित है और दूसरा जम्मू एवं कश्मीर से संलग्न है।

विवरण-I

(क) से (घ) प्रधानमंत्री ने 22 से 27 अक्टूबर, 1996 तक पूर्वोत्तर के सातों राज्यों का दौरा किया था। यात्रा की समाप्ति पर प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुछ नई पहलों की घोषणा की थी। नई पहलों की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :

1. समस्त केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत, पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रम के लिए आरक्षित करेंगे।
2. चल रही परियोजनाओं का समग्र वित्त पोषण।
3. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए केन्द्र से शतप्रतिशत अनुदान मिलेगा।
4. रोजगार गारंटी योजना, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी प्रखण्डों में लागू की जाएगी।
5. पूर्वोत्तर राज्यों को धन की उपलब्धता में वृद्धि।
6. दूरसंचार और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूर्वोत्तर को पूरा कवरेज दिया जाना।
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार की जाएगी।
8. एक समेकित पर्यटन विकास योजना तैयार की जाएगी।
9. कुल 6100 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर प्रत्येक राज्य के लिए परियोजनाओं का एक पैकेज घोषित किया गया।
10. इन परियोजनाओं का सघन प्रबोधन गृह मंत्रालय (पूर्वोत्तर प्रभाग) और प्रधानमंत्री कार्यालय में सृजित एक विशेष सैल-दोनों के द्वारा किया जा रहा है।

इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है और 9वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इसे पूरी तरह लागू कर दिए जाने की आशा है।

विवरण-II

13-14 फरवरी, 1997 को जम्मू एवं कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर में विकास तथा सामान्य स्थिति बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपायों की घोषणा की थी :

— राज्य का वर्ष 1996-97 का वार्षिक योजना परिव्यय बढ़ाकर 1250 करोड़ रु० किया गया।

— राज्य सरकार को 9वीं पंचवर्षीय योजना में युक्तियुक्त परिव्यय के लिए समर्थ बनाया जाएगा।

— 1997-98 की वार्षिक योजना में और वृद्धि की जाएगी तथा इसीलिए यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित योजना परिव्यय संरक्षित रहे और संसाधनों में गैर योजनागत अंतर की पूर्ति के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाए, आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

— उग्रवाद के कारण क्षतिग्रस्त हो गए मूलभूत ढांचे की बहाली के लिए केन्द्र रकार अतिरिक्त सहायता उपलबध कराएगी। 9वीं योजना में ग्राम्य विकास एवं आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 1500 करोड़ रु० उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार, क्षतिग्रसत मूलभूत ढांचे की बहाली पर खर्च की गई राशि, इस खाते से लेने के लिए अधिकृत होगी।

— राज्य के और अधिक नगरों को प्रधानमंत्री समेकित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन लाया जाएगा।

— राज्य में बिजली की कमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए केन्द्रीय परियोजनाओं से विद्युत आबंटन 600 मेगावाट से बढ़ाकर 876 मेगावाट कर दिया जाएगा।

— डल एवं अन्य महत्वपूर्ण झीलों के संरक्षण और विकास, घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बाहरी सहायता सहित विशेष वित्तपोषण तंत्र और

गंगा कार्य योजना की भांति ही झेलम के नौवहन एवं पर्यावरणीय पहलुओं में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

— जम्मू एवं कश्मीर में उर्वरकों के परिवहन पर शत प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

ये घोषणाएं, 23.7.1996 और 02.08.1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री द्वारा गई अन्य घोषणाओं के अलावा हैं।

उपर्युक्त घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है और प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

मछलियों के मरने की घटना

3602. कुमारी उमा भारती :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित मनसर झील में लाखों मछलियों के मरने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार, मानसर झील पूजास्थल से जुड़ी है, और एक धार्मिक जल निकाय के तौर पर वर्गीकृत की गई है। राज्यके मात्स्यिकी विभाग का झील पर अधिकार या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। 1-2 ग्राम के औसत वजन वाली कुछ जातियों की छोटी मछलियां बड़ी संख्या में मरी हैं। थर्मल स्तरीकरण तथा अनुपयुक्त प्रकाश संश्लेषण के कारण झील में ऑक्सीजन की कमी के कारण मेघाच्छादन मछलियों की मृत्यु का मुख्य कारण था। मछलियों की श्वसन-तंत्र की सहायक प्रणाली वाली प्रजातियां अधिक प्रभावित नहीं हुई। कोई हानि पहुंची प्रतीत नहीं होती है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार के शेयर धारक

3603. श्री दत्ता मेघे : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार के शेयर धारकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या शेयर धारकों को कोई लाभांश दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना लाभांश दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार शेयर धारकों को सुपर बाजार से वस्तुओं की खरीदारी करने पर किसी प्रकार का नकद प्रोत्साहन देती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28.2.1997 को सुपर बाजार के शेयर होल्डरों की संख्या 34127 है।

(ख) से (घ) सुपर बाजार शेयर होल्डरों को लाभांश का भुगतान कर रहा है और पिछले तीन सालों के दौरान दी गई लाभांश की राशि इस प्रकार है :

1992-93 — 5,138.00 रु०

1993-94 — 20,59,526.77 रु०

1994-95 — 9,59,537.40 रु०

(ङ) से (छ) सुपर बाजार, दिल्ली विशिष्ट मदों पर 2% की छूट और कमी के दौरान वस्तुओं की आपूर्ति में सदस्यों को प्राथमिकता देता है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन

3604. श्री पी० आर० दासमुंशी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता की 50वीं सालगिराह पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जा रही पेंशन तथा अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने संबंधी कार्यक्रम पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) फिलहाल, ऐसे कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नही हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों की संख्या

3605. श्री अनन्त कुमार : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों

की राज्य-वार स्वीकृत संवर्ग संख्या क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1996 को उन अफसरों की संख्या कितनी है जो संवर्ग-वार तथा राज्य-वार केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) या गृह मंत्रालय के संबंध या अधीनस्थ कार्यालय में या अर्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्ति पर है; और

(ग) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति रिजर्व तैयार करते समय विभिन्न राज्यों के बीच संवर्ग संख्या के अनुपात में संतुलन बनाए रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख)

31.12.1996 के अनुसार

राज्य	भा०पु० सेवा के अधिकारियों की संस्वीकृत संवर्ग संख्या	31.12.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) अथवा गृह मंत्रालय के किसी संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय में अथवा अर्धसैनिक बलों में प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों की संख्या।
1	2	3
आंध्र प्रदेश	183	6
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ शासित क्षेत्र	162	15
असम-मेघालय	136	18
बिहार	250	17
गुजरात	133	5
हरियाणा	109	6
हिमाचल प्रदेश	72	6
जम्मू और कश्मीर	94	1
कर्नाटक	147	8
केरल	121	8
मध्य प्रदेश	278	16
महाराष्ट्र	205	10
मणीपुर-त्रिपुरा	105	27
नागालैण्ड	49	—
उड़ीसा	151	6
पंजाब	144	3
राजस्थान	146	6
सिक्किम	21	3
तमिलनाडु	189	10
उत्तर प्रदेश	395	32
पश्चिम बंगाल	254	20

(ग) प्रतिनियुक्ति रिजर्व तैयार करते समय सरकार विभिन्न राज्यों के बीच संवर्ग संख्या के अनुपात में संतुलन बनाए रखने का हर प्रयास कर रही है परन्तु विभिन्न कारणों, जैसे कि राज्यों की प्रशासनिक आवश्यकताओं, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक और उपयुक्त अधिकारियों की उपलब्धता की वजह से इसे सदैव बनाए रखना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण

3606. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नि:शस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक स्थापना में रिक्तियों की ऐसी प्रतिशतता जो तीन प्रतिशत से कम नहीं होगी, नियुक्त करेगी तथा जिनमें विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों में (1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (2) श्रवण विकृति (3) चलन संबंध विकलांगता या प्रमस्तिष्काघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत आरक्षण होगा। क्योंकि यह अधिनियम केवल हाल ही में अधिनियमित किया गया है अत: धारा 33 सहित इसके उपबंधों में कोई संशोधन पर विचार करना काफी समय पूर्व होगा।

प्रवाल भित्तियों का नष्ट होना

3607. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि कच्छ समुद्री तट पर समुद्र में छोड़े जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ के कारण प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कच्छ तट पर प्रवाल भित्तियों को औद्योगिक बहिस्रावों को समुद्र में गिराकर नष्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि कच्छ के तटीय क्षेत्र में आशोधित बहिस्रावों को गिराए जाने की अनुमति नहीं है।

पी॰ ए॰ सी॰ कर्मियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमें

3608. श्री मुखतार अनीस : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में हाशिमपुर में युवकों की हत्या किए जाने के लिए सी॰ आई॰ डी॰ द्वारा अभ्यारोपित किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पी॰ ए॰ सी॰ कर्मियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी॰ आई॰ डी॰ ने कुछ अन्य कर्मियों को अभ्यारोपित किया था जिन पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मियों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस पद पर हैं तथा उन्हें छोड़ दिए जाने के कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूध, मक्खन इत्यादि का आयात

3609. श्री एस॰ पी॰ जायसवाल : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध, मक्खन, ऊन, बालों और मिल्क पाउडर के आयात में निरंतर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों में आयात किए गए दुग्ध चूर्ण, बटर, कच्ची ऊन तथा बालों की मात्रा तथा कीमत।

मात्रा मीट्रिक टन में

कीमतें करोड़ रुपए में

मद	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
दुग्ध चूर्ण	2559	16.7	944	5.7	5013	36.6
बटर	123	0.7	4389	25	4010	25
कच्ची ऊन	57220	370.7	36575	345.7	45547	485
बाल तथा कड़ा बाल	305	4.3	,696	11.3	455	10

कृषि विश्वविद्यालय

3610. श्री सोहनबीर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन विश्वविद्यालयों में किए गए अनुसंधान तथा विकास कार्यों से किसानों को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोजने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश में 33 कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य कृषि विश्वविद्यालय	28
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	1
विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय	4

(ख) विश्वविद्यालयों के कार्य आदेश राज्य की कृषि जलवायु के

अनुकूल, स्थान विशिष्ट, प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है, जहां वे स्थित हैं। विभिन्न फसलों, मृदा से संबंधित समस्याओं, पोषण, प्रबंध, फसल उत्पाद तथा संरक्षण से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के जरिए उन्हें सहायता दी जाती है।

विश्वविद्यालय द्वारा खाद्य फसलों, दलहनों, तिलहनी फसलों, सब्जियों, बागवानी फसलों की बहुत सी उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के सिंचित क्षेत्रों के लिए कारगर फसल प्रणाली हेतु प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी हरियाणा में बाजरा-गेहूं-लीबिया (चारा); उत्तरी गुजरात में अण्डी-बाजरा; पंजाब में चावल-गोभी, सरसों, मूंग-दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश में बाजरा, सरसों, सूरजमुखी; पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल, गेहूं, ज्वार तथा लोबिया (चारा); मध्य प्रदेश में सोयाबीन, गेहूं, मुंग, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चावल, सरसों; रीवा क्षेत्र में कपास-चना तथा ज्वार-गेहूं; महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कपास-चना तथा ज्वार-गेहूं, मराठावाड़ा क्षेत्र में कपास-मूंगफली तथा ज्वार-सूरजमुखी, मूंगफली; पश्चिमी महाराष्ट्र मे अरहर-गेहूं; आन्ध्र प्रदेश के तेलंगना क्षेत्र में चावल-मक्का-मूंग; कर्नाटक के भद्रा कमान क्षेत्र में मक्का-कंगनी; उड़ीसा के हीराकुंड कमान क्षेत्र में चावल -सरसों-मूंगफली, सोयाबीन में चावल-मूंगफली तथा मूंगफली तथा तमिलनाडु के तंजावुर डेल्टा क्षेत्र में मृगफली चावल-तिल।

विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करके किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान 6717 प्रशिक्षण तथा 2714 विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें क्रमशः 1.40 लाख तथा 2.18 लाख किसानों को लाभ मिला। इन्हें हाल ही की विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार बेहतर पैदावार तथा अधिक आय द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशुपालन विकास

3611. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा अन्य राज्य सरकारों ने राज्य में पशुपालन विकास संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

3612. डॉ॰ रमेशचन्द्र तोमर :

श्री देवी बख्श सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गजियाबाद तथा उन्नाव जिलों में हड्डी तथ चमड़ा उद्योग से फैलाने वाला प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) क्या कानपुर स्थिति चर्मशोधनशाला को उन्नाव जिले की कृषि भूमि पर स्थानांतरित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आबादी वाले क्षेत्र से उक्त उद्योगों को स्थानांतरित किये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम क्षेत्र के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन

3613. श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री दिनशा पटेल :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में हाल ही में पश्चिम क्षेत्र में खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा क्या सुझाव दिए गए; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन 14.2.1997 को अहमदाबाद में आयोजित हुआ था।

(ग) और (घ) बैठक में इस क्षेत्र में खाद्यान्नों की अधिकतम वसूली और लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू करने के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई थी। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि वे लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए

जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई योजना का आम तौर पर राज्यों ने स्वागत किया था।

खुली बिक्री पर प्रतिबंध

3614. श्री संतोष मोहन देव :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम ओर निजी व्यापारियों तथा मिल मालिकों द्वारा जमाखोरी और काला-बाजारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों को ध्यान में रखकर खुली बिक्री के गेहूं के आबंटन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को यह निर्णय लेने के लिए कि कितने प्रतिशत गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिया जाना चाहिए और कितना गेहूं मिलों/खुली बिक्री के लिए दिया जाना चाहिए की अनुमति देने के लिए भारतीय खाद्य निगम को भी अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या देश में गेहूं की स्थिति के बारे में जनवरी, 1997 में राज्यों से रिपोर्ट मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में खुले बाजार में गेहूं की बिक्री 31 मार्च, 1997 तक वैध है।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 96 में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया था कि वह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला कार्यालयों के माध्यम से वितरण के लिए गेहूं की खुली बिक्री की राज्यवार सीमा सूचित करें। आबंटियों का चयन करने की पूर्व की प्रणाली केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जारी रहेगी जो इस योजना को अपनाने के इच्छुक नहीं थे।

(घ) जी हां। राज्यों से केन्द्रीय पूल हेतु रखे गए स्टाक की स्थिति प्राप्त की गई है।

(ङ) जनवरी, 1997 के अंत में केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टाक 50.80 लाख टन होने का अनुमान था जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए रखा गया स्टाक क्रमश: 23.42 लाख टन और 3.78 लाख टन था।

[हिन्दी]

चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा-नियम

3615. श्री सत्य पाल जैन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा-नियम बनाने से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभवना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) 13 जनवरी, 1992 की गृह मंत्रालय की अधिसूचना में निहित वर्तमान निर्देशों के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तें, इस निमित्त राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी अन्य प्रावधान के अधीन, ठीक वहीं होंगी जो कि पंजाब सिविल सेवा के तदनुरूपी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की होंगी और उन पर वहीं नियम एवं आदेश लागू होंगे जो इस समय बाद वाली श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू हैं।

[अनुवाद]

मृतकों के परिवारों को मुआवजा

3616. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

श्री बलाई चन्द्र राय :

डॉ. असीम बाला :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री हाराधन राय :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के दौरान मारे गये बेकसूर बस यात्रियों के परिवारजनों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त मामले और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विचारार्थ भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने आतंकवादी आंदोलन के इन पीड़ितों के लिए एक योजना तैयार की है और इस योजना के अनुसार, आतंकवादी आंदोलन में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सबंधी को 1,00,000/-रु.

(पहले यह राशि 50,000/-रु. थी) का सहायतानुदान दिया जाना था। मृत व्यक्तियों की विधवाओं को भी तब तक 1500 रु॰ प्रतिमाह का गुजारा भता दिया जाता है जब तक कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती। घायल व्यक्तियों को भी अस्पताल में रहकर उपचार कराने पर हुए व्यय की कुल राशि की प्रतिपूर्ति के साथ 5000/-रु॰ का सहायतानुदान दिया जाता है। 100% अशक्तता के मामले में 50,000/-रुपये एक मुश्त अनुदान अदा किया जाता है।

मारे गए व्यक्ति की पुत्री और बहन की शादी के लिए 10,000/-रु॰ का विवाह-अनुदान अदा किया जाता है। रियायती दरों पर ऋण तथा आतंकवादी आंदोलन के शिकार हुए व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं भी दी जाती हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यमुना-पार क्षेत्र के लिए अलग निगम

3617. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में बेहतर नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए यमुना-पार क्षेत्र के लिए अलग निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक के लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

हिमाचल क्षेत्र का विकास

3618. श्रीमती शीला गौतम :

श्री शिवराज सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हिमालय क्षेत्र के चहुंमुखी विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत इस क्षेत्र वाले राज्यों को राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या हिमालय क्षेत्र में पेड़-पौधे और वन्यजीव की देखभाल करने हेतु एक राष्ट्रीय जैव-विविधता संरक्षण बोर्ड की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण विकास और वनों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र के राज्यों को आबंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लाख रुपयों में

क्र॰सं॰	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	शामिल राज्य	प्रदान की गई वित्तीय सहायता			
				93-94	94-95	95-96	96-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बाघ परियोजना	बाघों की सक्षम आबादी सुनिश्चित करना।	अरुणाचल प्रदेश	32.01	34.54	35.87	26.00
			असम	36.38	42.35	55.65	37.43
			मिजोरम	—	—	13.45	8.36
			उत्तर प्रदेश	91.71	90.55	96.64	106.21
			प॰ बंगाल	84.31	87.54	90.16	104.68
2.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	अरुणाचल प्रदेश	30.87	31.44	7.30	30.02
			असम	103.97	—	—	—
			हिमाचल प्रदेश	84.73	84.22	61.23	12.10

1	2	3	4	5	6	7	8
			जम्मू कश्मीर	15.58	2.70	27.31	13.02
			मणिपुर	15.15	19.30	25.29	23.01
			मेघालय	19.81	19.03	26.25	—
			मिजोरम	15.84	25.05	7.46	4.60
			नागालैंड	2.62	—	5.01	4.31
			सिक्किम	29.90	33.42	23.93	15.29
			त्रिपुरा	9.75	3.44	24.72	—
			उत्तर पदेश	75.55	75.10	68.34	56.00
			प॰ बंगाल	41.26	63.24	70.53	39.31
3.	रिजर्व क्षेत्रों में चारों ओर पारि-विकास	आरक्षित क्षेत्रों के हिस्सों में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका स्रोत प्रदान करना	अरुणाचल प्रदेश	6.75	7.93	10.88	7.50
			असम	11.25	—	—	8.80
			हिमाचल प्रदेश	12.20	35.78	15.75	5.05
			जम्मू कश्मीर	13.05	—	—	5.00
			मणिपुर	4.45	—	—	5.00
			मेघालय	6.54	—	3.78	—
			मिजोरम	—	2.33	9.32	—
			नागालैंड	—	2.75	—	10.00
			सिक्किम	10.30	13.95	4.35	18.16
			उत्तर प्रदेश	25.27	12.00	24.01	35.61
			प॰ बंगाल	53.51	57.17	51.02	67.25
4.	समेकित वनीकरण और पारि-विकास स्कीम	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा देना	अरुणाचल प्रदेश	59.52	92.53	106.87	74.32
			असम	—	28.00	54.00	34.90
			हिमाचल प्रदेश	205.65	313.28	220.35	80.42
			जम्मू कश्मीर	287.10	296.45	428.17	294.88
			मणिपुर	83.75	155.15	374.00	261.50
			मेघालय	170.00	222.02	45.00	16.31
			मिजोरम	140.00	139.28	78.14	81.50
			नागालैंड	57.05	40.15	29.10	—
			सिक्किम	253.07	315.63	246.45	179.65
			उत्तर प्रदेश	230.16	389.50	369.36	244.46
			प॰ बंगाल	98.49	69.54	46.68	81.20
5.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी और चारा स्कीम	ईंधन की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति बढ़ाना	अरुणाचल प्रदेश	8.83	7.50	11.50	12.23
			असम	119.84	94.01	135.00	120.66
			हिमाचल प्रदेश	118.95	121.64	125.00	125.00
			जम्मू कश्मीर	15.00	—	40.00	72.01
			मणिपुर	130.05	112.11	60.00	146.82
			मेघालय	89.24	50.00	40.00	74.46
			मिजोरम	294.20	355.60	335.00	275.00
			नागालैंड	—	15.15	—	10.00
			सिक्किम	70.00	66.00	74.00	52.25
			उत्तर प्रदेश	278.39	195.00	340.78	360.47
			प॰ बंगाल	118.49	129.06	139.95	151.64

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी उत्पाद	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती उत्पाद उगाना	अरुणाचल प्रदेश	19.00	26.00	21.51	25.84
			असम	7.00	11.20	6.33	15.00
			हिमाचल प्रदेश	59.71	183.25	103.36	83.08
			जम्मू कश्मीर	16.00	101.65	85.00	100.00
			मणिपुर	10.00	19.25	61.50	71.76
			मेघालय	111.37	110.00	—	—
			मिजोरम	37.60	31.68	18.00	8.50
			नागालैंड	—	17.85	—	10.00
			सिक्किम	70.00	65.50	119.50	69.00
			उत्तर प्रदेश	1.53	7.46	—	—
			प॰ बंगाल	54.94	43.61	79.45	61.65
7.	बीज विकास	गुणवत्ता बीजों के लिए अवसंरचना का विकास	अरुणाचल प्रदेश	30.05	6.51	5.00	5.53
			असम	—	10.07	18.28	—
			हिमाचल प्रदेश	—	11.79	9.98	8.83
			जम्मू कश्मीर	20.00	45.88	22.00	11.00
			मणिपुर	6.95	11.00	5.50	5.50
			मेघालय	—	—	6.08	—
			मिजोरम	15.00	—	—	—
			सिक्किम	4.31	8.50	9.51	7.70
			उत्तर प्रदेश	10.00	6.50	—	6.90
			प॰ बंगाल	4.93	7.35	5.87	4.34
8.	नमभूमियों का संरक्षण	नमभूमियों की सुरक्षा एवं पुनः तैयार करना	असम	—	4.20	4.20	—
			हिमाचल प्रदेश	5.00	5.75	13.00	8.00
			जम्मू कश्मीर	—	—	31.20	34.00
			मणिपुर	—	41.00	60.25	110.00
9.	जीवमंडल रिजर्व	जीवमंडल रिजर्वों की स्थापना	असम	—	—	13.50	47.00
			मेघालय	3.77	15.00	6.79	5.08
			उत्तर प्रदेश	48.26	20.90	43.15	47.00
10.	पर्यावरण वाहिनी	पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	अरुणाचल प्रदेश	0.34	—	—	7.44
			असम	0.68	—	—	—
			हिमाचल प्रदेश	1.36	—	1.90	—
			मणिपुर	0.34	—	—	—
			मेघालय	0.34	—	—	—
			मिजोरम	0.34	034	0.48	—
			उत्तर प्रदेश	2.04	—	—	6.52
11.	हाथी परियोजना	हाथियों की सक्षम आबादी सुनिश्चित करना	अरुणाचल प्रदेश	11.17	19.12	7.52	26.50
			असम	3.00	51.15	—	—
			मेघालय	288.60	24.50	20.95	2.39
			नागालैंड	—	7.10	—	6.08
			उत्तर प्रदेश	21.48	58.40	47.76	81.80
			प॰ बंगाल	39.74	50.10	62.06	62.76

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	आदिवासी विकास के लिए लाभोन्मुख	रिलोकेशन योजना के अंतर्गत आदि-वासी परिवारों का पुनर्वास	मिजोरम	—	39.16	—	—
			नागालैंड	15.00	—	—	—
			प॰ बंगाल	23.94	—	—	—
13.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	दावानल से वनों की सुरक्षा	हिमाचल प्रदेश	19.73	12.00	—	—
			उत्तर प्रदेश	—	—	—	18.01
14.	राष्ट्रीय नदी कार्य योजना	नदी जल के प्रदूषण का उपशमन	उत्तर प्रदेश	—	—	—	30.25
15.	सहायतानुदान स्कीम	वनीकरण और वृक्षारोपण	हिमाचल प्रदेश	2.42	0.93	3.09	2.67
			जम्मू कश्मीर	—	1.80	—	—
			मेघालय	—	—	—	4.44
			उत्तर प्रदेश	22.44	12.78	21.50	35.40
			प॰ बंगाल	17.43	15.40	15.40	34.19
16.	केन्द्रीय चिड़िया-घर प्राधिकरण	चिड़ियाघरों का उन्नयन	अरुणाचल प्रदेश	2.85	2.38	6.35	—
			असम	6.67	11.05	2.50	—
			हिमाचल प्रदेश	1.98	7.55	—	—
			जम्मू कश्मीर	—	—	22.69	—
			मणिपुर	4.30	13.46	—	4.52
			मिजोरम	2.00	2.75	—	—
			नागालैंड	—	10.02	—	—
			सिक्किम	—	6.28	9.67	—
			त्रिपुरा	—	—	25.50	—
			उत्तर प्रदेश	—	16.00	14.50	15.00
			प॰ बंगाल	26.55	13.42	17.05	15.23
17.	गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान	हिमाचल क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय समस्याओं का ध्यान रखना		435.00	485.00	439.00	252.00
18.	हिमालय क्षेत्र के लिए समेकित कार्योन्मुख अनुसंधान प्रदर्शन एवं विस्तार परियोजनाएं	हिमालय के संसाधन प्रबंधन की समस्याओं के लिए स्थान विशिष्ट अनुसंधान आयोजित करना।		34.00	39.00	39.00	39.00

* निधियां संस्थान को बंटित किए जाते हैं, राज्यवार बंटन नहीं किए जाते।

कीटनाशक

3619. श्री [illegible] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" (मुंबई संस्करण) में "प्रमोशन ऑफ इंडियाज पोटेंशियल बोग्गड डाउन बाई कंटरीज रेड टेपीज्म-बेलेटिड अडल्टेशन फॉर पुणे साईंटिस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समाचार "इण्डियारा" नामक आयुर्वेदिक कीटनाशी के बारे में है जिसका अंगूरों में लगने वाले प्रमुख फफूंद रोगों पर नियंत्रण करने का दावा है यह एक आयुर्वेदिक सत्व है जिसमें डाई सलाइल, डाई सल्फाइड एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड और एलाइल आइसोथापोसाइनेट पाये जाते हैं। इसे कीटनाशी अधिनियम की सूची में शामिल किया गया है।

कोई भी रसायन या पदार्थ जोकि कीटनाशी अधिनियम की सूची में शामिल है और जिसे एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाना है, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। "इण्डियारा" के पंजीकरण के लिए पंजीकरण समिति के पास कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

बच्चों को अवैध रूप से बाहर भेजने का धंधा

3620. श्री विजय हाण्डिक :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भीख मांगने और ऊंट दौड़ के प्रयोजन के अवैध रूप से बच्चों को खाड़ी देशों में भेजने के धंधे की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो जांच में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भंडारण तथा परिवहन के लिए कार्य बल का गठन

3621. श्री येल्लैया नंदी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बेहतर भंडारण तथा परिवहन सुविधाओं के लिए योजना आयोग के अंतर्गत एक कार्य बल गठित किया है ताकि एक पायलट परियोजना शुरू की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य बल के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या इस कार्यबल द्वारा भंडारण तथा परिवहन में सुधार हेतु कोई ठोस प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या कार्य बल द्वारा इस संबंध में कोई सिफारिश की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कार्य बल को चोरी/खाद्यान्नों को खराब होने से रोकने में किस हद तक सफलता मिली है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन

3622. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव कल्याण के कार्यों में लगे गैर-मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता दिए जाने के लिए उनसे वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से अब तक कितने संगठनों को मान्यता दी जा चुकी है; और

(ग) लंबित आवेदनों के बारे में शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय की सहायता योजनाओं के अंतर्गत मान्यतारहित स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त आवेदनों पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नकली सीमेंट

3623. श्री आई. डी. स्वामी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नकली सीमेंट विनिर्माण के मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नकली सीमेंट बनाने वाले माफिया के साथ सरकारी अधिकारियों/दिल्ली पुलिस की मिलीभगत का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान। वर्ष 1996 तथा 1997 (28.2.97 तक) के दौरान

दिल्ली में मिलावटी सीमेंट तैयार करने के 8 मामलों का पता चला है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। इस मामले की सतर्कता जांच से पुलिस की मिलीभगत के आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वन उत्पाद

3624. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग हर राज्य में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं और गरीब लोगों तथा आदिवासियों को वन उत्पाद और ईंधन भी नहीं लेने दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सबसे अधिक पीड़ित बिहार के आदिवासी हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में आदिवासियों जिन्हें जलाने के लिए वन उत्पादों के संग्रह की अनुमति नहीं है, के लिए ईंधन की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रोन्नतियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

3625. श्री काचरू भाऊ राउत : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछले वर्ग के अभ्यर्थी सरकारी नौकरी पाने में आरक्षण के पात्र हैं तथा प्रोन्नति में नहीं, जैसा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले मे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में अपने निर्णय में कहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है।

उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना

3626. श्री डी. पी. यादव : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कोई स्वरोजगार योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक इस योजना के अंतर्गत युवकों को कितनी धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की गई है; और

(ग) वर्ष 1997-98 हेतु कितनी धनराशि के आबंटन का प्रावधान किया जायेगा?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम उत्तर प्रदेश में राज्य माध्यम एजेंसी के माध्यम से स्व-रोजगार योजना का कार्यान्वयन रियायती ऋण के माध्यम से कर रहा है।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा पहचान किए गए लाभार्थियों को वितरित करने के लिए राज्य माध्यम एजेंसी (उत्तर प्रदेश) को वर्ष 1996-97 के दौरान 70.45 लाख रुपए की कुल धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा धनराशि का राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, यह निगम राज्य माध्यम एजेंसियों को उनकी मांग और उनके द्वारा शर्तों को पूरा करने तथा निगम के पास उपलब्ध धनराशि के अनुसार मंजूर की गई योजनाओं के लिए ऋण वितरित करता है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम प्रशिक्षण संस्थान

3627. डॉ. अरविन्द शर्मा : क्या **खाद्य** मंत्री 1 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2454 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित तिथि के अनुसार गुड़गांव में भारतीय खाद्य निगम के प्रशिक्षण परिसर के निर्माण का 31 दिसम्बर, 1996 को पूरा हो जाने वाला कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण संस्थान को वहां से स्थानांतरित न किए जाने के कारण हैं; और

(ग) इस प्रशिक्षण संस्थान को गुड़गांव में कब तक स्थानांतरित कर दिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के गुड़गांव स्थिति प्रशिक्षण काम्प्लैक्स का निर्माण कार्य पूरा होने की प्रक्रिया में है और उसके पहली अगस्त, 1997 तक कब्जा लेने के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है। उसके तत्काल बाद प्रशिक्षण केन्द्र को नई दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट कर दिया जाएगा।

लद्दाख में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना

3628. श्री पी. नामग्याल : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर की जाति-वार जनसंख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर की कुछ जातियों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए अभ्यावेदन दिए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) भारत सरकार दस वर्ष में एक बार जनगणना करती है। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर) के संबंध में पिछली जनगणना वर्ष 1991 में की गई थी। इसलिए, दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) जी, हां। जम्मू और कश्मीर के संबंध में बाल्टी, बेडा, नोट, बोटो ब्रोकपा, ट्रोकपा, दर्द, शिन, चांगपा, गर्रा, मोन, पुरिगपा, गुजियार, बकरवाल, गद्दी तथा सिप्पी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

जलसंभर और कृषि केन्द्रों के लिए प्रबंधन केन्द्र

3629. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जलसंभर और कृषि केन्द्र के लिए भारत प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

बाक्साइट खनन

3630. श्री के॰ पी॰ सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी तथा कोरापुर जिले इन्द्रावती नदी के बेसिन में बाक्साइड खनन के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) इंजीनियर्स इंडिया लि॰ ने वर्ष 1994 में इन्द्रावती नदी बेसिन, जिसका अधिकांश भाग उड़ीसा के अविभाजित कोरापुत जिले तथा आंशिक भाग कालाहांडी जिले में पड़ता है, में मसर्स उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल (प्रा॰) लि॰ के लिए बाक्साइट खनन का पर्यावरण प्रभाव मूल्याकन कार्य किया।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मेसर्स उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल (प्रा॰) लि॰ को बफ्लीमली बाक्साइट खनन परियोजना के लिए, सितम्बर, 1995 में पर्यावरण निकासी की मंजूरी प्रदान की है।

जाजपुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

3631. श्री अंचल दास : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जाजपुर के जे॰ के॰ रोड स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किस तारीख से इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) इसे उपयोग में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) उड़ीसा के जाजपुर जिले की जे॰ के॰ रोड पर भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औषधि क्षेत्र में निवेश

3632. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से औषधि रसायन के क्षेत्र में निवेश हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विचाराधीन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा अब तक मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा औषधि क्षेत्र में निवेश के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ङ) विचाराधीन नीतिगत परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) जी हां, 1994 में घोषित संशोधित औषध नीति के आधार पर, स्वत: आधार पर 51% तक की विदेशी इक्विटी

प्रस्तावों पर स्वीकृति दी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंधित 51 प्रतिशत से ज्यादा के प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रपुंज औषध, उनके मध्यवर्ती तथा सूत्रयोगों के लिए विद्यमान नीति में 51% तक का विदेशी निवेश का प्रावधान है। 51 प्रतिशत से ज्यादा के निवेश पर मामला दर मामला के आधार पर किया जाएगा जहां प्रपुंज औषध का उत्पादन मूल स्तर पर है तथा जहां पहले से निवेश प्राप्त नहीं है।

विवरण

क्र॰सं॰	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी कंपनी का नाम	विदेशी इक्विटी (% में)	कारण
1	2	3	4	5
1.	—	मेसर्स वारनार लेमर्वाट कंपनी, यू॰ एस॰ ए॰	100%	कैंसर तथा डायबटिज के उपचार के लिए भारत में 100 प्रतिशत सहायता के साथ औषध तैयार करने हेतु कंपनी को 12.12.94 का अनुमोदन पत्र जारी किया गया।
2.	—	मे॰ अमेरिकन सिनामिड कंपनी	100%	कंपनी को भेषज उत्पादों के साथ-साथ रसायन उत्पादों के उत्पादन के लिए 18.8.94 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया।
3.	—	मे॰ आसट्रा-ए॰ बी॰ स्वीडेन	100%	कंपनी को उत्पादन तथा अनुसंधान के लिए तथा भेषज सेक्टर के लिए 13.2.95 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया।
4.	—	मे॰ सीबा गाईगी लि॰, स्वीटजरलैंड	100%	कंपनी को 20.12.95 को होल्डिंग कंपनी स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र दिया गया जिसे भारतीय कंपनियों के साथ जाएंट वेंचर में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यह अनुमोदन इस शर्त पर होगा कि आगे कोई जाएंट वेंचर स्थापित करने से पूर्व इन्हें भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
5.	—	मे॰ हेक्सट ए॰ जी॰ जर्मनी	100%	(1) तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए (2) फाइवर, हाई परफारमेन्स प्लास्टिक तथा एच डी पी के उत्पादन के लिए जाएंट वेंचर कंपनी स्थापित करने के लिए भारत में पूर्णत: निजी कंपनी स्थापित करने के लिए 16.1.95 को अनुमोदन पत्र दिया गया। इन अनुमोदन के लिए यह शर्त है कि डाउनस्ट्रीम कार्यकलापों के लिए जाएंट वेंचर स्थापित करने के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
6.	—	मे॰ मेडस लि॰, जर्मनी	100%	100 प्रतिशत निर्यात के लिए साईलीयन वीज तथा सेन्ना पतीयों से लेक्सेटिम सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए 15.4.96 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5
7.	—	मे॰ नाल ए॰ जी॰ जर्मनी	100%	वेरापेमील एच सी एल तथा आईबूफेन के उत्पादन के लिए 7.10.96 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया।
8.	—	मे॰ सेंडोज, स्वीटजरलैंड	100%	निम्नलिखित पांच उत्पादनों के उत्पादन के लिए कंपनी को 18.10.96 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया : (1) लेक्टोबायोलिक एसिड, (2) केल्सीब्रोनेट, (3) सल्फाट्रेक्साजोल (4) मेपीरेमीन मेलीट, तथा (5) कीटनाशक उत्पाद।
9.	—	(1) मे॰ मर्क केजीएए जर्मनी	50%	(1) बुटाफेनाल, (2) केलशियन डान्साइलेट इत्यादि जैसे औषधियों के उत्पादन के लिए
		(2) मे॰ मर्क जेनेरिकत, यू॰ के॰	50% (100%)	कंपनी के प्रस्ताव को एफ आई पी बी द्वारा 11.1.97 को स्वीकृति प्रदान की गई।
10.	—	मे॰ हक्वट रसेल वेट लि॰ जर्मनी	100%	भारत में नई औषधियों का उत्पादन करने के लिए कंपनी के प्रस्ताव का एफ आई पी बी द्वारा 22.2.97 को अनुमोदन प्रदान किया गया।
11.	मे॰ सीबी-सी के डी बायोकेम लि॰	1. सीबा गाईगी लि॰ स्वीटजर-लैंड	98:·%	राईफामपीसीन प्रपुंज औषध तथा इसके मध्यवर्तियों के उत्पादन के लिए 31.10.94 में कंपनी को
		2. कांग कुंग डांड कार्पोरेशन दक्षिण कोरिया	49.00%	अनुमोदन पत्र जारी किया गया।
12.	मे॰ राजेन्द्र ए साह एंड डी डी चोपड़ा	मे॰ टाइगर मेडिकल लि॰ सिंगापुर	60.00%	टाइगर बाम जैसे भेषज उत्पादन के लिए कंपनी को 19.1.96 में अनुमोदन पत्र जारी किया गया।
13.	मे॰ बन्यान केमिकल प्रा॰ लि॰	मे॰ इन्वावेड आई एन सी यू॰ एस॰ ए॰	95.00%	100% निर्यात के लिए सियुड एफेड्रीन, हाईड्रो क्लोराइड/सल्फेड तथा टेरफेनेडाइन के लिए क्लोराइड/सलफेड तथा टेरफेनेडाइन के लिए 5/12.1.95 को अनुमोदन पत्र जारी किया गया।
14.	मे॰ बेहरिंगर मेनेभ (इंडिया) लि॰	मे॰ बेहरिंगर मेनेम (फार ईस्ट) पी टी ई लि॰ सिंगापुर	37.47 से 63.36%	प्रपुंज भेषज, रसायन तथा सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए कम्पनी को 9-2-95 में अनुमोदन पत्र जारी किया गया। एस आई ए अनुमोदन संख्या एफ सी 2 : 502 (96)/205 (96) दिनांक 20.7.96 के जरिए विदेशी इक्विटी को 74% तक संशोधित किया गया।
15.	मे॰ हेक्सट मेरिन (इंडिया) रसेल लि॰	मे॰ होकेस्ट ए जी जर्मनी,	50.1% से 56.1%	नए उत्पादों के अनुसंधान तथा विकास के लिए कंपनी को दिनांक 30.9.96 का अनुमोदन पत्र संख्या एफ सी 2 : 795 (96)/620 (96) जारी किया गया।

सहकारी संस्थाएं

3633. श्री राम सागर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं में बारह सौ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस धोखाधड़ी की जांच करने और इसमें संलिप्त व्यक्तियों को दंडित करने के लिए विचार कर रही है;

(ग) उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सहकारी संस्थाएं हैं और कितनी संस्थाओं के खातों की लेखा परीक्षा की गई है;

(घ) शेष संस्थाओं के खातों की लेखा परीक्षा न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन संस्थाओं के खातों की लेखा-परीक्षा में की गई मुख्य टिप्पणियां और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ) "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है। यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अतः इसके पास इस संबंध में कोई सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। फिर भी, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार से यह सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय राज्य फार्म

3634. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थानवार कौन-कौन से केन्द्रीय राज्य फार्म कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये फार्म लाभ में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान इन फार्मों में विभिन्न खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ङ) क्या सरकार की इन फार्मों के कार्यकरण में सुधार लाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डयेरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) फिलहाल, देश के विभिन्न भागों में भारतीय राज्य फार्म निगम के 12 फार्म स्थित हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 1995-96 के दौरान सरदारगढ़, जेतसर, रायबरेली, रायचूर तथा चेंगम स्थित 5 फार्मों को छोड़कर सभी फार्मों को लाभ प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय राज्य फार्मों द्वारा वहन किये गये सकल लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इन फार्मों के कुल उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) फार्मों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के तहत निगम को वित्तीय, प्रचालनात्मक तथा संगठनात्मक पुनर्व्यवस्था के लिए सहायता दी गई थी।

विवरण-I

भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्म

क्र० सं०	फार्म का नाम	जिला	राज्य
1.	सी० एस० एफ० सूरतगढ़	श्रीगंगानगर	राजस्थान
2.	सी० एस० एफ० सरदारगढ़	—तदैव—	—तदैव—
3.	सी० एस० एफ० जैतसर	—तदैव—	—तदैव—
4.	सी० एस० एफ० हिसार	हिसार	हरियाणा
5.	सी० एस० एफ० लाडोवाल	लुधियाना	पंजाब
6.	सी० एस० एफ० बहराइच	बहराइच	उत्तर प्रदेश
7.	सी० एस० एफ० रायबरेली	रायबरेली	उत्तर प्रदेश
8.	सी० एस० एफ० कोकिलाबारी	बारपेट्टा	असम
9.	सी० एस० एफ० बारपेट्टा	बारपेट्टा	असम
10.	सी० एस० एफ० रायचूर	रायचूर	कर्नाटक
11.	सी० एस० एफ० चेंगम	टी० वी० एम० शम्बूवारायर	तमिलनाडु
12.	सी० एस० एफ० अरालम	कन्नूर	केरल

सी० एस० एफ० - केन्द्रीय राज्य फार्म

विवरण-II

(रुपए लाख में)

फार्म का नाम	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	
सी० एस० एफ०, सूरतगढ़	(+)	69.72
सी० एस० एफ०, सरदारगढ़	(-)	0.35
सी० एस० एफ०, जैतसर	(-)	2.17
सी० एस० एफ०, हिसार	(+)	163.50
सी० एस० एफ०, लाडोवाल	(+)	14.26
सी० एस० एफ०, बहराइच	(-)	23.17
सी० एस० एफ०, रायबरेली	(-)	101.18
सी० एस० एफ०, रायचूर	(-)	10.55
सी० एस० एफ०, चेंगम	(-)	45.31
सी० एस० एफ०, अरालम	(+)	10.24
सी० एस० एफ०, कोकिलाबाड़ी (बारपेटा सहित)	(+)	1.57

सी० एस० एफ० - केन्द्रीय राज्य फार्म

विवरण-III

(उत्पादन क्विंटल में)

क्र० सं०	फार्म का नाम	1994-95	1995-96
1.	सी० एस० एफ०, सूरतगढ़	81,894	1,14,248
2.	सी० एस० एफ०, सरदारगढ़	49,937	39,035
3.	सी० एस० एफ०, जैतसर	27,671	24,263
4.	सी० एस० एफ०, हिसार	1,24,999	1,50,890
5.	सी० एस० एफ०, लाडोवाल	26,865	49,173
6.	सी० एस० एफ०, बहराइच	1,85,462	1,68,154
7.	सी० एस० एफ०, रायबरेली	1,542	2,434
8.	सी० एस० एफ०, कोकिलाबाड़ी	19,595	21,684
9.	सी० एस० एफ०, बारपेटा	962	803
10.	सी० एस० एफ०, रायचुर	7,414	4,473
11.	सी० एस० एफ०, चेंगम	5,750	2,848
		5,32,091	5,78,005

सी० एस० एफ० - केन्द्रीय राज्य फार्म

12. अरालम : जहां तक अरालम फार्म का संबंध है, उत्पादन मुख्यतया रोपण फसलों का है तथा इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र० सं०	फसलें	1994-95		1995-96	
(क)	नारियल	22,32	लाख नग	20.93	लाख नग
(ख)	काजू	4164	क्विंटल	4046	क्विंटल
(ग)	रबर	1083	क्विंटल	1280	क्विंटल
(घ)	कोको	1368	क्विंटल	2000	क्विंटल
(ङ)	काली मिर्च	73	क्विंटल	165	क्विंटल
(च)	सुपारी	517	क्विंटल	761	क्विंटल
(छ)	आम	16	क्विंटल	51	क्विंटल
(ज)	काफी	27	क्विंटल	9	क्विंटल
(झ)	अन्य	497	क्विंटल	—	

चीनी के निर्यात का विसरणीकरण

3635. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

श्री तारीक अनवर :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग और अन्य उद्योगों ने शिकायत की है कि चीनी निर्यात का जल्दबाजी में विसरणीकरण करने और फिर इसे लागू करने में हुए आसाधारण विलम्ब से लोगों में भारी असंतोष फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो यह भी बताया गया है कि चीनी के विसरणीकरण में जालसाजी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के खिलाफ लगाये गये मुख्य आरोप क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकार से यह मांग की गई है कि चीनी निर्यात से संबंधित लोगों से परामर्श किए बिना चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 को निरस्त न किया जाए।

(ख) और (ग) असरणीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क भेजे गए हैं, अर्थात :

(1) उक्त अधिनियम का निरसन सुविचारित नहीं था और यह गलत समय पर किया गया है। इस निर्णय की घोषणा से अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कोई भी प्राइवेट व्यापारी अथवा व्यक्तिगत रूप से चीनी मिल चीनी निर्यात करने में सक्षम नहीं हो सकेगा।

(2) प्राइवेट पार्टियां बाजार तलाश नहीं कर पाई।

(3) कि असरणीकरण के विचार से निर्यात में वृद्धि नहीं होगी।

(घ) चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) अध्यादेश, 1997 दिनांक 15.1.97 को प्राख्यापित किया गया है जिससे चीनी निर्यात असरणीबद्ध हुआ है। इससे चीनी फैक्ट्रियों, कंपनियों, व्यक्तियों और फर्मों को भारतीय चीनी और सामान्य उद्योग आयात निर्यात निगम लिमिटेड के साथ समान रूप से चीनी निर्यात करने की अनुमति होगी जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और इसके परिणामस्वरूप देश से समूचे निर्यात का निष्पादन बेहतर ढंग से हो सकेगा।

"अपेडा" द्वारा 17.2.97 को दी गई "टेंडर इंक्वायरी" में पहले ही प्राइवेट पार्टियों ने भाग ले लिया है।

अनुसूचित जनजाति की सूची में और जातियों को सम्मिलित करना

3636. श्री सुखराम : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में लबाना समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 24 मई, 1994 के पत्र में लबाना समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

संघ राज्य क्षेत्रों हेतु विधान सभायें

3637. श्री वी॰ प्रदीप देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों ने विधान सभाओं की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन संघ राज्य क्षेत्रों ने इस तरह की मांग की है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा विधान सभाएं बनाने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) इस समय विधान सभा रहित पांच संघ शासित क्षेत्र हैं अर्थात्

(i) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

(ii) चंडीगढ़

(iii) दमण और द्वीव

(iv) दादरा और नगर हवेली, और

(v) लक्षद्वीप

जहां तक संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संबंध है, "अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र सरकार विधेयक 1996" नामक एक प्राइवेट मेम्बर विधेयक, जिसमें विधान सभा सृजित करने और मंत्री परिषद के प्रावधान के लिए व्यवस्था है, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था तथापि, संबंधित सदस्य को यह आश्वासन देने के बाद कि मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी उन्होंने यह विधेयक वापस ले लिया। तथाकथित सर्वदलीय बैठक बाद में 12 मार्च, 1997 को आयोजित की गई। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र के भावी ढांचे संबंधी मामले पर सरकार तदनुसार ही ध्यान दे रही है।

"संविधान (संशोधन) विधेयक 1997" नामक एक प्राइवेट मेम्बर विधेयक ही में लोक सभा में पेश किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ के लिए विधान सभा और मंत्रि परिषद का प्रावधान है। दमण और दीव और दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रों को मिलाकर, पांडिचेरी की तरह की एक लघु विधान सभा बनाने की मांग हाल ही में उठाई गई है। लक्षद्वीप के प्रशासन से विधान सभा के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

गेहूं चावल और चीनी का खरीद मूल्य

3638. श्री शिवराज सिंह :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

श्री के॰ परसुरामन :

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान गेहूं, चावल तथा चीनी के खरीद मूल्य क्या थे;

(ख) हर बार इनमें वृद्धि होने के क्या कारण थे;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान गेहूं, चावल तथा चीनी की खरीद संतोषजनक थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) विपणन मौसम 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान गेहूं और धान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थ मूल्य निम्नानुसार हैं :

(रुपये प्रति क्विंटल)

	1994-95	1995-96	1996-97
गेहूं	350	360	380
धान			
साधारण	340	360	380
बढ़िया	360	375	395
उत्तम	380	395	415

पिछले तीन खरीफ विपणन मौसमों के लिए लेवी चावल के वसूली मूल्यों को बनाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

पिछले तीन चीनी मौसमों के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों को बताने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी स्वरूप के होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए हैं जो उत्पादक की लागत, किसानों को उचित लाभ, आदि जैसे-जैसे अनेक तथ्यों को ध्यान में रखता है।

लेवी चावल के वसूली मूल्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य, सांविधिक करों और लेवी, मिलिंग प्रभारों और अन्य प्रासंगिक प्रभारों, धान से चावल प्राप्ति का अनुपात आदि का ध्यान में रखने के बाद निर्धारित किए जाते हैं।

गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि होने के कारण तथा रूपातंरण लागत के परिणामस्वरूप लेवी चीनी के निकासी मूल्य में वृद्धि होती है।

(ग) से (ङ) मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं, और धान की वसूली किसानों के लिए स्वैच्छिक स्वरूप की होती है। इसी प्रकार, लेवी योजना के अधीन चावल का एकत्रण मिल मालिकों द्वारा खरीदी गई धान पर निर्भर करता है। अतः गेहूं और चावल की वसूली के लिए ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विपणन मौसम 1994-95 से केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

	1994-95	1995-96	1996-97 (12.3.97 को स्थिति के अनुसार)
गेहूं	118.69	123.27	81.82
चावल	134.03	99.49	95.86

1994.95 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन लगभग 146.43 लाख टन था और 1995-96 के दौरान यह लगभग 164.29 लाख टम था। प्रोत्साहनों को घटाकर उत्पादन का 40 प्रतिशत सरकार द्वारा लेवी के रूप में लिया जाता है।

वसूल की गई उपर्युक्त मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम 1994-95 के लिए
लेवी चावल के वसूली मूल्य

राज्य	साधारण 1994-95	बढ़िया 1994-95	उत्तम 1994-95
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	565.45	596.95	628.45
2. असम	545.25	584.30	615.10
3. बिहार	—	—	—
4. गुजरात	—	—	—
5. हरियाणा	579.80	630.30	668.50
6. दिल्ली	553.85	602.05	638.50
7. कर्नाटक	538.35	568.25	598.50
8. मध्य प्रदेश	546.05	576.40	606.75
9. उड़ीसा	576.15	608.30	640.40
10. राजस्थान	566.15	611.10	653.10
11. पंजाब	582.55	633.40	671.85
12. उत्तर प्रदेश	556.35*	587.20*	631.90*
12. पश्चिम बंगाल	531.95	575.55	605.85
13. महाराष्ट्र	546.30	576.60	606.85
14. पांडिचेरी	—	—	—
16. चंडीगढ़	566.35	615.70	653.05

*उत्तर प्रदेश में 15.12.1994 तक चावल के लेवी मूल्य ऊपर दिए गए हैं और 16.12.94 से लेवी मॅल्य निम्नानुसार होंगे :

साधारण - 558.85 रुपये

बढ़िया - 589.85 रुपये

उत्तम - 634.75 रुपये

1995-96 और 1996-97 (अक्टूबर-सितम्बर) के लिए लेवी चावल (रा और सैला) के वसूली मूल्य

	राज्य	साधारण				बढ़िया				उत्तम			
		1995-96		1996-97		1995-96		1996-97		1995-96		1996-97	
		रॉ	सैला	रॉ	सैला	रॉ	सैला	रॉ	सैला	रॉ	सैला	रॉ	सैला
1.	आंध्र प्रदेश	596.30	599.45	676.90	680.60	619.90	622.60	701.50	704.80	651.20	653.50	734.40	737.20
2.	असम	585.60	588.85	637.30	641.50	608.70	611.55	660.30	664.20	639.40	641.85	691.00	694.50
3.	हरियाणा/दिल्ली	620.20	622.90	671.70	675.50	644.50	646.25	696.10	699.50	677.15	679.05	728.70	731.60
4.	कर्नाटक	580.20	583.55	625.90	630.30	603.10	606.05	648.50	652.60	633.50	636.05	678.60	682.30
5.	मध्य प्रदेश	574.90	578.25	625.90	630.30	597.50	600.00	648.50	652.50	627.60	630.25	678.60	682.30
6.	महाराष्ट्र	576.10	579.50	627.10	631.50	598.70	601.75	649.70	653.80	628.80	631.45	679.80	683.40
7.	उड़ीसा	601.70	604.75	654.20	658.30	625.50	628.10	677.90	681.60	657.10	659.30	709.60	712.80
8.	पंजाब	626.40	629.05	678.30	681.90	651.10	653.35	702.90	706.30	684.00	685.80	735.90	738.70
9.	राजस्थान	609.00	611.90	663.30	667.20	633.00	635.55	687.40	690.90	665.00	667.15	719.50	722.60
10.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	609.00	611.90	659.90	663.80	632.90	635.50	683.80	687.40	664.90	666.95	715.80	719.00
11.	उत्तर प्रदेश	600.90	603.95	651.40	655.50	624.50	627.50	675.00	678.70	656.00	658.25	706.50	709.80
12.	पश्चिम बंगाल	572.15	575.60	623.00	527.50	594.65	597.80	645.65	649.70	624.65	627.35	675.50	679.20

*उत्तर प्रदेश में यदि धान 4 प्रतिशत की बाजार पीस के अध्यधीन हो तो मूल्य निम्नानुसार होंगे।

	1995-96		1996-97	
	रॉ	सैला	रॉ	सैला
साधारण	611.70	614.55	652.70	666.60
बढ़िया	635.75	635.25	686.80	690.30
उत्तम	667.80	669.85	718.90	722.00

**खरीफ मौसम 1995-96 के लिए आंध्र प्रदेश में लेवी चावल के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रतिशत की दर से आर॰ डी॰ सी॰ हिसाब में लेकर पुनः निर्धारित किए गए हैं और मूल्य 30.12.95 से प्रभावी हैं तथा निम्नानुसार है :

साधारण		बढ़िया		उत्तम	
रॉ	सैला	रॉ	सैला	रॉ	सैला
623.20	625.90	647.80	650.20	680.70	682.50

विवरण-II

लेवी चीनी के निकासी मूल्य बताने वाला विवरण
सभी भा॰ ची॰ मा॰ ग्रेड्स

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र॰ सं॰	जोन	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	800.51	937.73	1071.60
2.	असम, नागालैण्ड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	815.67	1039.88	1420.07

1	2	3	4	5
3.	बिहार (उत्तरी) @	840.92	940.69	1140.37
4.	बिहार (दक्षिणी) @	942.25	1034.70	—
5.	गुजरात (दक्षिणी)	746.60	852.14	938.58
6.	गुजरात (सौराष्ट्र)	778.05	940.93	1055.69
7.	हरियाणा	762.56	861.56	985.43
8.	उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक	751.63	851.05	970.70
9.	शेष कर्नाटक	746.80	889.66	1001.84
10.	केरल, गोवा व	805.62	931.75	1127.08
	तटीय कर्नाटक	792.58		
11.	मध्य प्रदेश	812.70	981.36	1112.02
12.	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	804.75	847.68	976.52
13.	महाराष्ट्र (उत्तरी)	801.51	873.27	983.33
14.	महाराष्ट्र (मध्य)	763.60	824.24	958.33
15.	पंजाब	773.90	871.04	1084.04
16.	राजस्थान	903.16	945.39	1110.45
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	782.46	937.38	1049.04
18.	उत्तर प्रदेश (मध्य)	795.62	881.03	994.05
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	846.30	938.50	1038.74
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	796.80	898.62	981.81

@ उत्तरी और दक्षिणी बिहार के जोनों के मूल्य क्रय-कर आदि के संबंध में न्यायालय के अंतिम आदेशों की शर्त के अध्यधीन है। यदि बिहार के उपर्युक्त जोनों में फैक्ट्रियों से कोई राशि वसूल की जानी है तो इसे संबंधित चीनी फैक्ट्री द्वारा चीनी मूल्य समीकरण निधि में जमा कराना होगा।

रसायन और उर्वरकों पर राजसहायता

3639. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता राशि में वर्ष 1990-91 में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1996-97 के बजट में कितनी राजसहायता दी गई;

(ग) क्या स्वदेशी उर्वरकों की तुलना में आयातित उर्वरकों पर राज सहायता में अत्यधिक वृद्धि की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो 1990-91 और 1996-97 के दौरान स्वदेशी उर्वरकों और आयातित उर्वरकों पर कितनी राजसहायता दी गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) 1990-91 से 1996-97 तक की अवधि के दौरान सांविधिक मूल्य नियंत्रण के तहत आने वाले स्वदेशी तथा आयातित उर्वरकों पर प्रदत्त राजसहायता की राशि निम्नलिखित है :

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	प्रदत्त राजसहायता		
	स्वदेशी	आयातित	कुल
1	2	3	4
1990-91	3729.73	659.33	4389.06
1991-92	3500.00	1299.60	4799.60
1992-93	4800.00	996.11	5796.11
1993-94	3800.00	598.97	4398.97
1994-95	4075.00	1166.00	5241.00
1995-96	4300.00	1935.00	6235.00
1996-97 (अनुमानित)	4743.00	1350.00	6093.00

(ङ) 1990-91 से 1996-97 की अवधि के दौरान सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन आने वाले उर्वरकों के खुदरा मूल्यों का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं॰	उर्वरक का नाम	(मूल्य रु॰ प्रति मी॰ टन में)				दिनांक से	
		31/1/86	25/7/91	14/8/91	25/8/92	10/6/94	21/2/97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	यूरिया (45% एन)	2350	3300	3060	2760	3320	3660
2.	अमोनियम सल्फेट (20.6%एन)	1650	—%		1920+	××	
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25% एन)	1700	—%		+2000+	××	
4.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (26% एन)	1770	—%		2080+	××	
5.	म्यूरेट आफ पोटाश (60% के)	1300	1820	1700	%%		
6.	सल्फेट ऑफ पोटाश (50% के)	2100	—		%%		
7.	डाई अमोनियम फास्फेट (18:46:0)	3600	5040	4680	%%		
8.	एन पी के (17:17:17)	2600	3640	3380	%%		
9.	एन पी के (15:15:15)	2100	2940	2740	%%		
10.	एन पी के (19:19:19)	2950	4140	3840	%%		
11.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20:20:0)	2600	3640	3380	%%		
12.	नाइट्रो फास्फेट (20:20:0)	2400	3360	3120	%%		
13.	नाइट्रो फास्फेट (23:23:0)	2930	4120	3800	%%		
14.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (16:20:0)	2300	3220	3000	%%		
15.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (24:24:0)	3050	4280	3960	%%		
16.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (28:28:0)	3600	5040	4680	%%		
17.	एन पी के (14:20:0)	3050	4280	3960	%%		
18.	एन पी के (14:35:14)	3400	4760	4420	%%		

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	एन पी के (10:26:26)	2950	4140	3840	%%		
20.	एन पी के (12:32:16)	3250	4560	4220	%%		
21.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (46%पी$_2$ओ$_5$) (ग्रेनुलर)	2600	3640	3380	%%		
22.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (पावडर)	2400	3360	3120	%%		
23.	सिंगल सुपर फास्फेट (पावडर) (14% पी$_2$ओ$_5$)	820	1160	1000	%%		
24.	सिंगल सुपर फास्फेट (पावडर) (16% पी$_2$ओ$_5$)	950	1340	1240	%%		
25.	सिंगल सुपर फास्फेट (ग्रेनुलर) (16% पी$_2$ओ$_5$)	1100	1540	1440	%%		
26.	अमोनियम क्लोराइड (25% एन)	1700	—%	—	2000+	××	
27.	अनहाइड्रोस अमोनिया	3770	5280	4900	4420+	5300	5840
28.	जिंकेटेड यूरिया				3940+	4480	4800

\+ 25.8.92 से सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया।

% 25.7.91 से सांविधिक मूल्य नियंत्रण से बाहर कर दिया गया।

%% 25.8.92 से सांविधिक मूल्य नियंत्रण से बाहर कर दिया गया।

×× 10.6.94 से सांविधिक मूल्य नियंत्रण के बाहर कर दिया गया।

[अनुवाद]

मिर्च नियामक निकाय

3640. श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मिर्च उत्पादक किसानों तथा मिर्च के उत्पादों के व्यापारियों और निर्यातकों को सहायता देने और सलाह देने के लिए एक नियामक निकाय का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अच्छे बीज और नियंत्रित कीटनाशकों का उपयोग करने की सलाह देने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसानों को विस्तार कार्यक्रमों, सेमिनारों, क्षेत्र दिवसों आदि जैसे जन अभियान के जरिए अच्छे बीज और आवश्यकता पर आधारित कृमिनाशी उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। उत्पादकों को सहायता देने खासतौर पर निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रबंध के क्षेत्रों में तथा कटाई उपरांत मिर्च के भण्डारण के प्रबंध के लिए मसाला बोर्ड गुंटूर में एक कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है। सरकार मिर्च का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान कर रही है, तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा मसाला बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों की खाद्यान्न आवश्यकता

3641. श्री बादल चौधरी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक वितरण

प्रणाली/काम के लिए अनाज आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं हेतु कितने चावल और गेहूं/आटा की आवश्यकता और आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की दृष्टि से खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाने हेतु केन्द्र सरकार से काफी समय से मांग करते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं की मासिक मांग लगभग 1.33 लाख टन चावल और 0.89 लाख टन गेहूं है। जनवरी, 1997 में चावल और गेहूं का मासिक आबंटन क्रमशः 1.22 लाख टन और 0.37 लाख टन था। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्यान्नों के आबंटन उनकी सापेक्ष आवश्यकताओं; केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, उठान की प्रवृत्ति आदि पर आधारित होते हैं और ये अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों के आबंटन किए जाते हैं और ये कुल मिलाकर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए नोडल मंत्रालयों/विभागों को सौंपे जाते हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान (जनवरी, 1997 तक) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विभिन्न अन्य योजनाओं के लिए गेहूं और चावल के आबंटन और उठान को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य इस क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त बफर स्टाक रखने की मांग करते रहे हैं ताकि पूरे वर्ष के खाद्यान्नों की आवश्यकता पूरी की जा सके।

(घ) 31 जनवरी, 1997 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास 1.90 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक था जिसमें 0.15 लाख टन गेहूं और 1.75 लाख टन चावल था जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों को फरवरी, 1997 के लिए 1.63 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए थे जिसमें 0.40 लाख टन गेहूं और 1.23 लाख टन चावल थे। विभिन्न बाधाओं अर्थात— लुमडिंग में बड़ी लाइन से छोटी लाइन के लिए वैगन बदलने, वर्ष में छः महीने से अधिक अवधि में भारी वर्षा होने, बार-बार बंद घोषित करने, अधिकांश राज्यों में कठिन और पहाड़ी क्षेत्र होने, पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी होने और ट्रकों की सीमित उपलब्धता होने के बावजूद, भारतीय खाद्य निगम उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाक भेजने में सक्षम हुआ है। पिछले 3 वर्षों के दौरान भेजे गए स्टाक का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(हजार टन में)

वर्ष	उत्तर से भेजा गया कुल स्टाक		
	रेल द्वारा	सड़क द्वारा	जोड़
1993-94	1376.1	92.7	1468.8
1994-95	1028.1	175.4	1203.5
1995-96	1747.0	104.6	1851.6
1996-97	1834.0	27.5	1861.5
(फरवरी 97 तक)			

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी जोन (अंतः जोन/क्षेत्र) के अंदर किए गए सड़क संचलन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(हजार टन में)

1993-94	452.0
1994-95	186.9
1995-96	361.3
1996-97	356.7
(दिसम्बर, 1996 तक)	

विवरण

1996-97 (जनवरी, 97 तक) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन आबंटन/उठान का ब्यौरा

प्रचालन में आंकड़े
अनंतिम आंकड़े हजार टन में

गेहूं

राज्य	सा.वि.प्र. सं.सा.वि.प्र.		मिड-डे मील		ज.रो.यो.		पो.का.		अ.जा./अ.ज.जा.		गरीबी रेखा से नीचे		मा.कू.ई.लि.		फ्रेनथाइण्ड यूनिट		जोड़	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
असम	295.6	270.4	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.7	0.2	299.2	270.9
अरुणा. प्रदेश	6.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मणिपुर	27.0	26.6	—	—	0.3	—	4.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	32.3
मेघालय	24.5	24.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	24.1
नागालैंड	7.2	7.5	—	—	0.5	0.6	6.0	4.1	—	—	—	8.1	—	—	—	—	18.3	20.4
मिजोरम	19.7	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	18.7
त्रिपुरा	18.0	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	13.3
चावल																		
असम	513.7	427.1	62.3	12.3	5.7	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	572.2	443.7
अरुणा॰ प्रदेश	88.0	81.7	2.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	91.9	82.9
मणिपुर	100.0	46.7	4.1	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.6	47.3
मेघालय	156.0	149.5	6.6	4.0	0.8	—	—	—	—	2.4	—	0.2	—	—	—	—	163.4	156.1
नागालैंड	67.0	75.9	3.0	2.7	1.0	1.0	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	71.0	92.0
मिजोरम	76.0	72.1	2.9	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.3	73.9
त्रिपुरा	162.0	122.0	11.4	8.6	1.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.0	131.9

मि॰डे॰मी॰	मिड-डे मील	ग॰रे॰नी॰	गरीबी रेखा से नीचे
ज॰रो॰यो॰	जवाहर रोजगार योजना	सा॰वि॰प्र॰	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पो॰का॰	पोषाहार कार्यक्रम	मा॰फ॰इं॰लि॰	मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	फ्रे॰यू॰	फ्रेन्चाइन्ड यूनिट
		सं॰सा॰वि॰प्र॰	सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली
	अन्य पिछड़े वर्ग के होस्टल		

कृषि विकास के लिए धनराशि

3642. श्री मुरलीधर जेना : क्या कृषि मंत्री कृषि विकास के लिए सहायता के बारे में 3 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1600 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अतारांकित प्रश्न सं॰ 1600 के उत्तर में 3.12.1996 को लोक सभा में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए क्रियान्वन रिपोर्ट की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

ग्यारहवीं लोक सभा का तीसरा सत्र, 1996 कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग

आश्वासन पूरा करने की तारीख : 21.01.96

प्रश्न सं० तारीख तथा सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
श्री मुरलीधर जैना द्वारा दिनांक 3.12.96 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं० 1600	**कृषि विकास हेतु सहायता** पूछा गया प्रश्न : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और राज्य-वार कृषि विकास हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई (ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष में अधिक सहायता मांगी है और इसके लिए कुछ प्रस्ताव भी भेजे हैं; (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और (घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?	(क) से (घ) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यों को कृषि के विकास हेतु प्रदत्त सहायता का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। (ख) से (घ) तक : राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, विभाग के बजट में कुल आबंटन और किसी विशेष राज्य को पूर्व में की गई निर्मुक्त राशि में से शेष अप्रयुक्त राशि के आधार पर ही उन्हें धनराशि निर्मुक्त की जाती है। उपरोक्त घटकों के आधार पर 1996-97 के दौरान (30.10.96) तक विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।	मांगी गई सूचना का संबंध विस्तृत जानकारी से था जिसे कई स्थानों से एकत्रित किया जाना था।

अनुबंध-I

केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कृषि के विकास के लिए निधियों की राज्य-वार निर्मुक्तियां

(रु० लाख में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6933.59	5594.55	6453.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	174.31	316.21	472.85
3.	असम	839.90	1251.67	861.00
4.	बिहार	1737.49	766.02	1537.13
5.	गोवा	156.65	189.29	219.34

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	3822.12	3247.27	2852.42
7.	हरियाणा	2157.17	1992.42	3113.22
8.	हिमाचल प्रदेश	1130.33	1648.91	1400.71
9.	जम्मू व कश्मीर	640.43	603.13	1219.51
10.	कर्नाटक	7326.85	5502.01	5271.14
11.	केरल	3365.59	3381.32	2904.05
12.	मध्य प्रदेश	5845.91	4661.31	5973.27
13.	महाराष्ट्र	6123.35	8562.26	11249.26
14.	मणिपुर	116.82	583.46	1033.77
15.	मेघालय	208.95	254.99	159.59
16.	मिजोरम	537.77	724.94	501.07
17.	नागालैंड	407.52	774.62	737.61
18.	उड़ीसा	3167.72	3078.82	3774.39
19.	पंजाब	3348.31	1859.57	2966.50
20.	राजस्थान	5525.22	5872.99	8595.70
21.	सिक्किम	425.69	384.81	424.90
22.	तमिलनाडु	5774.15	5140.71	5698.12
23.	त्रिपुरा	250.61	307.16	308.31
24.	उत्तर प्रदेश	9198.12	9773.35	11023.32
25.	प॰ बंगाल	1347.21	1507.20	2475.25
26.	अ॰ व नि॰ द्वीपसमूह	93.15	81.14	99.93
27.	चंडीगढ़	44.23	11.33	5.39
28.	दा॰ व नागर हवेली	49.48	15.81	42.08
29.	दमन व दीव	36.80	20.38	29.34
30.	दिल्ली	63.21	41.60	68.35
31.	लक्षद्वीप	39.03	28.50	22.47
32.	पांडिचेरी	96.73	37.24	84.53
	योग :	70984.41	68215.35	81577.92

अनुबंध-II

विभिन्न राज्यों को कृषि के विकास के लिए दी गई धनराशि की निर्मुक्ति

(रू० लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1996-97 निर्मुक्त धनराशि*
1.	आंध्र प्रदेश	2421.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	72.91
3.	असम	108.55
4.	बिहार	24.53
5.	गोवा	3.89
6.	गुजरात	953.53
7.	हरियाणा	725.23
8.	हिमाचल प्रदेश	413.98
9.	जम्मू एवं कश्मीर	208.03
10.	कर्नाटक	1684.03
11.	केरल	995.62
12.	मध्य प्रदेश	1889.10
13.	महाराष्ट्र	4447.66
14.	मणिपुर	74.70
15.	मेघालय	125.15
16.	मिजोरम	159.51
17.	नागालैंड	217.23
18.	उड़ीसा	424.89
19.	पंजाब	974.83
20.	राजस्थान	2690.20
21.	सिक्किम	39.96
22.	तमिलनाडु	1414.35
23.	त्रिपुरा	35.05
24.	उत्तर प्रदेश	4952.92
25.	पश्चिम बंगाल	249.74
	योग :	25306.93

*30.10.96 तक

निधियों का दुरुपयोग

3643. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद— (कपार्ट) उन बहुत स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाल दिया है जो एफ० सी० आर० ए० के अंतर्गत पंजीकृत हैं और विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या एफ० सी० आर० ए० के अंतर्गत ऐसे संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे संगठनों के नाम और पते क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ) कुछेक संगठनों के लेखा-खातों का निरीक्षण किया गया है। इन निरीक्षणों के फलस्वरूप, दो संगठनों को पूर्व-अनुमति श्रेणी में रखा गया है। ये दो संगठन, केन्द्र सरकार की पूर्व-अनुमति प्राप्त किए बगैर अब विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकते।

प्लास्टिक अपशिष्ट की पुनः खरीद संबंधी योजना

3644. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों को प्लास्टिक अपशिष्ट की पुनः खरीद शुरू करने के लिए निर्देश देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य बल द्वारा इन कम्पनियों को कोई निर्देश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नीति से शीतल पेयों के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) इस इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

शिकारी पशु

3645. श्री एल॰ रमना : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लगभग तीन दशक पूर्व लुप्त प्राय: प्रजाति के शिकारी और शिकार पशुओं की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या विशेषरूप से मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शिकारी पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) पारिस्थितिकीय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए मार्ग-निर्देश क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) लगभग तीन दशक पहले से बाघ और मध्य भारतीय स्वाम्प डियर की आबादी घटकर बहुत कम रह गई है परन्तु ये जीव लुप्त होने के कगार पर नहीं थे।

(ख) जी, हां। देश में प्रमुख परभक्षियों की गणना वाले वर्षों में इनकी तुलनात्मक आबादी निम्नवत हैं :—

	आबादी/वर्ष	आबादी/वर्ष
बाघ	1827/1972	3750/1993
तेन्दुआ	4744/1984	6828/1993
सिंह	177/1968	304/1995

मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और तैन्दुआ की तुलनात्मक आबादी निम्नवत है :—

बाघ	43/1972	97/1996
तेन्दुआ	60/1992	62/1996

(ग) पारि-विकास स्कीम के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्ग-निर्देशों का ध्येय बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के समीप के गांवों के सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु मुख्य रूप से जलाऊ लकड़ी, चारा और छोटी इमारती लकड़ी की आपूर्ति बढ़ाकर, पशुधन और कृषि उत्पादकता सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा, पारिस्थितिकी के अनुकूल आय अर्जक कुटीर उद्योगों, शिक्षा और परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सहायक उपाय करना है। कार्यक्रमों के चयन हेतु महत्वपूर्ण मानदण्ड हैं कि वे संरक्षित क्षेत्र की संरक्षण जरूरतों के अनुरूप हों और संरक्षण में स्थानीय समुदायों का सहयोग सुनिश्चित कर सकें।

प्रशिक्षण कैंप

3646. श्री मोहन रावले : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत विद्रोहियों द्वारा बांग्लादेश में कुछ प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन कैम्पों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में हथियार की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन कैम्पों को बन्द किए जाने के लिए बांग्लादेश सरकार को इन कैम्पों की एक सूची पेश की है; और

(ङ) इस पर बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में ऐसे शिविर हैं जिनका प्रयोग पूर्वोत्तर के विद्रोहियों ग्रुपों द्वारा सुरक्षित आश्रय, शरण स्थल और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। सरकार को पूर्वोत्तर से सक्रिय विद्रोही ग्रुपों द्वारा बांग्लादेश के क्षेत्र का दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है।

(घ) और (ङ) जी हां। श्रीमान। बांग्लादेश सरकार ने आश्वास्त किया है कि वे हमारे हितों के प्रतिकूल गतिविधियां चलाने के लिए अपने राज्य क्षेत्र का उपयोग नकारात्मक तत्वों को नहीं करने देंगे।

डेरी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां

3647. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन॰ डी॰ आर॰ आई॰ में पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित पशु उत्पादों और डेरी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से किसानों और उद्यमियों ने कितनी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया है और उनके अंतर्गत क्या उपलब्धियां रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वक्फ बोर्डों को अनुदान

3648. श्री दिलीप संघानी :

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में कार्यरत वक्फ बोर्डों को अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वक्फ बोर्ड को दी गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्लास्टिक का उपयोग

3649. श्री चिन्तामन वानगा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 हेतु "प्लास्टिक के उपयोग" योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 हेतु इस योजना का कुल परिव्यय क्या है; और

(घ) सहायता प्रदान करने का स्वरूप क्या है और इसके लाभार्थियों की राज्यवार कुल संख्या क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) ड्रिप संस्थापना, ड्रिप प्रदर्शन, पादपधर, प्लास्टिक मल्च, शैडिंग नैट्स, एन्टी हेल नैट्स, एन्टी बर्ड नैट्स, निम्न नालिका (लो टयनैल) तथा कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए प्लास्टिक योजना के अधीन सहायता दी जाती है।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए इस योजना के अधीन वर्तमान परिव्यय 68.36 करोड़ रुपये है।

(घ) विभिन्न घटकों के लिए दी जाने वाली सहायता का प्रतिमान निम्नवत् है :—

ड्रिप संस्थापना :—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, छोटे/सीमान्त और महिला किसानों के लिए लागत का 90 प्रतिशत, अन्य किसानों के लिए लागत का 70 प्रतिशत और 25,000/- रु०/है०, जो भी कम हो।

ड्रिप प्रदर्शन :—1 हैक्टेयर की क्षेत्र सीमा के लिए लागत का 75 प्रतिशत अथवा 22,500 रु०/है०, जो भी कम हो।

पादपधर :—निम्न लागत, मध्यम लागत और उच्च लागत के लिए क्रमशः लागत का 50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अथवा 62.50 रु०/वर्ग मी०, 200/वर्ग मी० और 200/वर्ग मी०।

प्लास्टिक मल्च :—1 हैक्टेयर की क्षेत्र सीमा के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा 5000 रु०/है० जो भी कम हो।

शैडिंग नैट :—500 वर्ग मी० की क्षेत्र सीमा के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा 14.0 रु० प्रति वर्ग मी० जो भी कम हो।

एन्टीहेल नैट :—प्रति लाभार्थी 20 वृक्ष की सीमा के लिए लागत का 50 प्रतिशत या 500 रु० प्रति वृक्ष।

एन्टी बर्ड नैट :—प्रति लाभार्थी 1 है० की सीमा क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा 2,000 रुपए प्रति हैक्टेयर।

लो ट्युनैल :—प्रति लाभार्थी 800 वर्ग मीटर की क्षेत्र सीमा के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा 12.5 रु० प्रति वर्ग मीटर, जो भी कम हो।

कृषि उत्पादों को सुखाना :—प्रति लाभार्थी 48 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा के लिए लागत का 50 प्रतिशत या 22.5 रु० प्रति वर्ग मीटर, जो भी कम हो।

लाभार्थियों की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

फल/सब्जियों का निर्यात

3650. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फल और सब्जियां का निर्यात करने के लिए कोई निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सब्जियों और फलों के निर्यात संबंधी कार्य के लिए किसी निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फलों और सब्जियों के निर्यात संबंधी कार्य के लिए सरकार ने पहले ही, एक कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) की स्थापना की है।

वन जीवों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा

3651. श्री ललित उरांव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीवों द्वारा मारे गये व्यक्ति अधिकतर वनों में रहने वाले निर्धन व्यक्ति होते हैं तथा मुआवजे के रूप में उन्हें थोड़ी सी धनराशि दी जाती है;

(ख) या ऐसे मामलों में दी गयी मुआवजे की राशि, विमान, सड़क तथा रेल दुर्घनाओं में दी गयी राशि से बिल्कुल भिन्न होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन असामयिक मृत्यु के लिए दी गई मुआवजा राशि में समानता लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) जी, हां। वनों में और उनके आस-पास रहने वाले अधिकांश लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार औसतन निर्धन कहा जा सकता है। बाघ परियोजना और हाथी परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत बाघ रिजर्वों और हाथियों वाले क्षेत्रों में और उनके आस-पास वाले क्षेत्रों में वन्य प्राणियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकंपा राहत दी जाती है। अब इस प्रावधान को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों वाली स्कीम पर भी लागू किया गया है। जीवन क्षति के लिए प्रतिपूर्ति/राहत के रूप में न्यूनतम 20,000 रुपये की धनराशि का भुगतान की सिफारिश की जाती है। तथापि, कुछ राज्यों में प्रतिपूर्ति/राहत भुगतान की राशि कम है। गुजरात सरकार द्वारा शेरों द्वारा मारे गए लोगों के लिए अधिकतम एक लाख रुपए की अधिकतम प्रतिपूर्ति/राहत दी जाती है, इस प्रकार राहत राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है और वह भी हवाई जहाज, रेल और सड़क दुर्घटना के मामले में दी जाती है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रतिपूर्ति/राहत के भुगतान की न्यूनतम धनराशि में एकरूपता लाने के ध्येय से पर्यावरण और वन मंत्रालय में वन्य प्राणियों द्वारा जीवन की क्षति के प्रत्येक मामले में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को 1990 में कम से कम 20 हजार रुपये की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की है।

सीमा सुरक्षा बल के लिए विमान की खरीद

3652. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के लिए खरीदा गया "एअर किंग बी-200" विमान तकनीकी खराबी के कारण मुम्बई विमानपत्तन स्थित "इंडोरमर" कम्पनी के हेमर में खड़ा है; और

(ख) यह विमान कब खरीदा गया तथा इसकी कीमत कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। यह एयरक्राफ्ट सीमा सुरक्षा बल को सन्तोषजनक सेवा उपलब्ध कर रहा है।

(ख)	खरीद की तारीख	—	18.7.1995
	कीमत	—	12.5 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

कृषि वित्त निगम

3653. श्री तारीक अनवर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि वित्त निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं की असुरक्षा

3654. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डेल्हीज़ रोम वीमेन मोस्ट अनसेफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समाचार दिल्ली राज्य महिला आयोग की हाल की रिपोर्ट पर आधारित है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की अन्य क्या टिप्पणियां हैं; और

(घ) इन टिप्पणियों को देखते हुए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ का बंद किया जाना

3655. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ इकाइयों की संख्या क्या है;

(ख) रुग्ण और बंद होने की संभावना वाली इकाइयों की संख्या क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक प्रभावित होंगे;

(घ) इनके लिए उपयुक्त रोजगार मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ के तीन संयंत्र हैं जो एक-एक ऋषिकेश में उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में और हरियाणा में गुड़गांव में हैं। आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा चेन्नई में आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ (तमिलनाडु) तथा मुजफ्फरपुर (बिहार) में बिहार ड्रग्स और आर्गेनिक केमिकल्स लि॰, भी हैं। आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ संयंत्रों तथा एककों में उत्पादन मुख्यत: वित्तीय अड़चनों

के कारण अक्टूबर, 1996 से बन्द हो गया है। तथापि गुड़गांव संयंत्र में तथा चेन्नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में मामूली प्रचालन हो रहा है। आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ के तीन संयंत्रों तथा पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियों में कुल कार्मिकों की सं॰ 8138 है।

(घ) और (ङ) आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ की आई॰ एफ॰ आर॰ से पंजीकृत एक रुग्ण कंपनी है। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी, आई॰ डी॰ बी॰ आई॰, मुम्बई में आई॰ डी॰ पी॰ एल की तकनीकी आर्थिक व्यावहार्यता पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आई॰ डी॰ पी॰ एल॰॰ के भविष्य के संबंध में अन्तिम निर्णय अभी सरकार द्वारा किया जाना है।

जनजातीय लोगों पर अत्याचार

3656. श्री के॰ प्रधानी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1997 के "स्टेट्समेन" (नई दिल्ली संस्करण) में" ट्राइबल कपल स्ट्रिप्पड़ बाई क्लिजर्स" शीर्षक मे प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) जी हां। सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

3657. श्री राजेन्द्र सिंह राणा : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम किन-किन जगहों पर हैं तथा उनकी क्षमता क्या है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने गोदाम किराये पर लिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में गुजरात में नए डिवीजन कार्यालय/गोदाम खोलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो ये कहां-कहां स्थित हैं तथा इनकी भण्डारण क्षमता क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) 1.2.1997 को स्थिति के अनुसार गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों (अपने और किराए के/ढके और कैप) के ब्यौरे बताने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) 1.2.1997 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात में किराए पर लिए गए 25 गोदाम हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1.2.1997 को स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध की हुई भंडारण क्षमता (अपनी और किराए की) बताने वाला विवरण।

(आंकड़े हजार टन में)

भा॰ खा॰ नि॰ के जिलों के नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	ढकी हुई भंडारण क्षमता
1	2	3	4
बड़ौदा	खेडा	भरूच	9.00
		मैरीडा	7.60
		पालाना	9.00
		आनन्द	1.33
		नाडियाड	0.29
बड़ौदा	पंचमहल	भोमैया	30.00
		गोधरा	25.00
बड़ौदा	बड़ौदा	बड़ौदा	15.99
		छानी	4.20
		दशरथ	1.07
		रनोली	1.83
बडौदा	बलसाड	बलसाड	10.00
राजकोट	भावनगर	भावनगर	20.78
राजकोट	जामनगर	जामनगर	34.23
राजकोट	जूनागढ़	वेरावल	3.11
राजकोट	राजकोट	राजकोट	8.22
		वंकनेर	10.00
राजकोट	सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर	10.00
		थानगध	32.00
साबरमती	अहमदाबाद	साबरमती	108.04
		तारागाड	17.36
		वीरामगाम	85.00

1	2	3	4
—वही—	बसंकांथा	पालनपुर	39.50
—वही—	गांधीनगर	अदालज	103.75
		शाहलम	0.44
—वही—	मेहसाणा	मेहसाणा	12.18
जे॰ एम॰ (पो॰ आ॰)	कच्छ	गाधीधाम	55.18
कच्छ		कांडला	93.36
गुजरात राज्य का जोड़			749.26

विवरण-II

1.2.1997 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कैप (खुली) भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की) बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

भारतीय खाद्य जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	कैप भण्डारण क्षमता
1	2	3	4
बड़ौदा	खेड़ा	मारिडा	32.20
		अहमदाबाद	25.00
		नाडियाड	30.00
	पंच महल	भोमैया	25.00
		गोधरा	1.83
राजकोट	राजकोट	राजकोट	1.14
		वांकनेर	18.53
	सुरेन्द्र नगर	दुधरज (सुरेंद्र नगर)	140.00
		सुरेंद्र नगर	0.75
	जामनगर	जामनगर	11.18
साबरमती	अहमदाबाद	वीरागाम	26.00
	गांधीनगर	अदालज	15.12
जे.एम. (पो.आ.)	कच्छ	गांधीधाम	42.00
कांडला		कांडला	20.00
जोड़ (कैप) भण्डारण क्षमता			388.75

प्रजनन संबंधी नीति

3658. **श्री सुनील खान** : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पशु नस्ल के संरक्षण हेतु उनके प्रजनन संबंधी कोई नीति तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) देशी नस्लों के लिए प्रजनन नीति यह है कि चयन के माध्यम से आनुवंशिक स्टॉक में वृद्धि करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले फार्म जैसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम जैसी योजनाएं हैं जो देशी नस्ल परिरक्षण की दिशा में योगदान देती हैं।

नेल्लोर में उर्वरक फैक्ट्री का निर्माण

3659. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इफको द्वारा आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के राचारलापाद् में स्थापित की जाने वाली उर्वरक फैक्ट्री की परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) प्रतिवर्ष कितनी यूनिया के उत्पादन का अनुमान है;

(ग) उर्वरक संयंत्र को चालू करने के संबंध में इसके निर्माण कार्य को पूरा किए जाने की क्या समय-सीमा है; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) 7.26 लाख मीट्रिक टन यूनिया प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में इफको की प्रस्तावित उर्वरक परियोजना की पूंजी लागत के 1568.70 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार की मंजूरी की तारीख से 39 महीनों के भीतर परियोजना के पूर्ण होने की आशा है।

(घ) निवेश अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अधीन परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी॰ एफ॰ आर॰) तैयार करने के लिए प्रथम चरण की मंजूरी इफको को दी जा चुकी है। फिलहाल डी॰ एफ॰ आर॰ को मूल्यांकन एजेंसियों में परिचालित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मक्का का आयात

3660. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मक्का के आयात के लिए अमरीका के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या मक्का के आयात के लिए कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस आयात के कारण मक्का उत्पादकों को कोई नुकसान न हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

म्यांमार से आए शरणार्थियों का पुनर्वास

3661. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार से भारत भेजे गये शरणार्थियों के पुनर्वास के मामले गत दस वर्षों से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें कम-से-कम आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार ने पुनर्वास उपाय के अंतर्गत 1980 के बाद म्यांमार से आये भारतीय शरणार्थियों को कृषि, व्यापार, आवास निर्माण हेतु दिये गये ऋण को माफ कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन शरणार्थियों को ऋण माफी प्रमाणपत्र प्रदान किये गए हैं/प्रदान करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) बर्मा से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के फायदे के लिए भारत सरकार इस समय दो स्कीमों को कार्यान्वित कर रही हैं। ये हैं :—गृह निर्माण और कारोबार/छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देना। ये स्कीमें राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं और प्रत्यावर्तित व्यक्तियों में वितरण के लिए ऋण राज्य सरकारों को दिया जाता है। प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को राज्य सरकारों को आवेदन करना होता है। राज्य सरकारें आवेदन पत्रों की जांच करती हैं और पात्र प्रत्यावर्तित के मामलों को पुनर्वास सहायता स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार को अग्रेषित करती हैं। बर्मा से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को इस प्रकार की सहायता स्वीकृत करने के लिए, किसी भी राज्य सरकार से कोई अनुरोध इस समय भारत सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा है।

(घ) से (च) 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(i) 1.4.1985 की स्थिति के अनुसार, 1974 से पहले इस विभाग द्वारा पुनर्वास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों को दिये गये ऋण की सभी बकाया राशि (समेकित पुनर्वास ऋण) अर्थात् पुनः ऋण पर देने और सीधा ऋण देने के लिए 1.4.74 से पूर्व राज्य सरकारों को दिया गया ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

(ii) 1.4.74 से 31.3.84 के दौरान पुनर्वास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों को आगे ऋण देने के लिए अग्रिम रूप से दिए गए ऋण और 1.4.85 को बकाया ऋण को भी बट्टे में डाल दिया जाएगा।

(iii) 1.4.74 से 31.3.84 के दौरान पुनर्वास प्रयोजनों के लिए स्वीकृत सीधे ऋण की अदायगी संबंधित स्वीकृतियों की शर्तों के अनुसार शामिल की जाती रहेगी और राज्य सरकारें तदनुसार ही केन्द्र सरकार को अदायगी करती रहेगी।

इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को 13 मई, 1995 को आदेश जारी किए गए थे।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

3662. डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के संबंध में निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने 13.2.96 को राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रदूषण फैलाने वाले 5 उद्योगों यथा, मै॰ हिन्दुस्तान एग्रोकैमिकल्स लिमि॰, मै॰ सिल्वर कैमिकल्स, मै॰ राजस्थान मल्टी फर्टीलाइजर्स, मै॰ फास्फेट इंडिया तथा मै॰ ज्योति कैमिकल्स, के मामले में फैसला दिया है। आदेशानुसार इन उद्योगों के कारण 350 हैक्टेयर क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से क्षति पहुंची है तथा एच-एसिड के उत्पादन से मल-जल के निपटान और सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र से निकलने वाले बहिस्राव के कारण उदयपुर जिले के बिछरी गांव तथा उसके आस-पास के अन्य गांवों में कुओं का पानी प्रदूषित हो गया है। केन्द्र सरकार ने प्रतिवादी उद्योगों को निर्देश दिया है कि वे मल-जल हटाने सहित अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अपेक्षित लागत जमा करें। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का विस्तार

3663. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का विशेष रूप से केरल में विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) केरल में भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान भण्डारण गोदामों का विस्तार करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

तथापि, भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव है कि वार्षिक योजना, 1997-98 के दौरान केरल में निम्नलिखित 3 केन्द्रों पर नए गोदामों का निर्माण शुरू किया जाए :—

1. अराकुलम (इदुक्की)	5000	टन
2. मीनानगडी (वायनाड)	5000	टन
3. पायानूर	25000	टन (गैर सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली)

यूरिया की बिक्री

3664. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरिया के उत्पादकों तथा आयातकर्ताओं द्वारा इसकी बिक्री तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यूरिया की कीमत में हाल ही में 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप इस पर दी जाने वाली राजसहायता में सरकार द्वारा कितनी अनुमानित बचत किए जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) यूरिया के सांविधिक मूल्य में वृद्धि करने के लिए निकट भविष्य में एक प्रस्ताव की प्रत्याशा में संशोधित मूल्य पर किसानों को यूरिया की कम बिक्री करने की सम्भावना को देखते हुए उत्पादकों द्वारा 19.2.97 से अस्थाई रूप से बिक्री रोक दी गई थी। यूरिया के मूल्य में 10% वृद्धि होने के परिणामस्वरूप 21.2.97 से यह रोक हटा दी गई थी।

(ग) 1997-98 में 210 लाख मी॰ टन की पुर्वानुमानित खपत के आधार पर यूरिया राजसहायता मेंलगभग 714 करोड़ रुपए की लागत होगी।

उग्रवादी दलों पर प्रतिबंध

3665. श्री राम नाईक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने बड़े उग्रवादी दलों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने दो प्रमुख विद्रोही ग्रुपों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

3666. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम जनता के प्रयोग की आवश्यक वस्तुओं की देश-भर में एक समान मूल्य पर आपूर्ति करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केन्द्रीय सरकार आम उपभोग की छः आवश्यक वस्तुओं यथा गेहूं, चावल, लेबी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल तथा सॉफ्ट कोक की वसूली करती है और उनकी आपूर्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को करती है ताकि एक समान मूल्यों पर सारे देश में उनका वितरण किया जा सके। इन वस्तुओं को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है।

एन॰ पी॰ के॰ पोषकतत्वों का असंतुलित प्रयोग

3667. श्री सुशील चन्द्र : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जगह मिट्टी में एन॰ पी॰ और के॰ पोषक तत्वों का असंतुलित प्रयोग बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के खरीफ और रबी की फसलों के दौरान एन॰ पी॰ के॰ की वास्तविक खपत कितनी थी;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य-वार एन॰ पी॰ और के॰ की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों को वास्तव में इनकी कितनी पूर्ति की गई; और

(ङ) कृषि क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। फास्फेटयुक्त तथा पौटाशयुक्त उर्वरकों के विनियंत्रण के बाद एन॰ पी॰ के॰ अनुपात बढ़ गया है।

(ख) खरीफ तथा रबी 1996-97 के दौरान एन॰ पी॰ के॰ की अनुमानित खपत निम्नवत है :—

लाख टन

	एन॰	पी॰	के॰	कुल
खरीफ	53.74	16.02	6.63	76.39
रबी	58.74	21.07	8.02	87.83
कुल	112.48	37.09	14.65	164.22

(1996-97)

(ग) फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के विनियंत्रण के बाद विभिन्न सराज्यों के लिए केवल यूरिया की मांग का ही आकलन किया जाता है। राज्रूवार जानकारी विवरण-I में दी गई है।

(घ) फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के विनियंत्रण केबाद, केवल यूरिया की सप्लाई से संबंधित जानकारी ही उपलब्ध है। यूरिया की सप्लाई के बारे में राज्यवार जानकारी विवरण-II में दी गई है।

(ङ) कृषि मंत्रालय द्वारा चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज जैसी फसलों के संबंध में फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार, समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण, प्रमाणित बीजों तथा उन्नत फार्म उपस्करों के विवरण के लिए सहायता पोषक तत्वों के समेकित तथा सन्तुलित उपयोग के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रम पंचायतों को पुरस्कार संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य कार्यक्रम जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है, वे हैं :—गहन कपास विकास कार्यक्रम, गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास से संबंधित कार्यक्रम तथा विशेष पटसन विकास कार्यक्रम/पोषक तत्वों के संतुलित अनुप्रयोग में सुधार करने के लिए फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत संबंधी योजना भी चलाई जा रही है। इनके अलावा, उर्वरकों के सन्तुलित तथा समेकित उपयोग तथा प्रौद्योगिकी मिशन एवं जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से भी सूक्ष्म पोषक तत्वों कार्बनिक खाद तथा जैव उर्वकों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के लिए यूरिया की मांग का राज्यवार आकलन

(000 टन)

क्र॰ सं॰	राज्य	खरीफ 1996	रबी 96-97	कुल 1996-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	953.50	1,020.00	1973.50
2.	कर्नाटक	525.00	364.80	889.80
3.	केरल	69.17	63.70	132.87
4.	तमिलनाडु	390.00	505.00	895.00
5.	गुजरात	620.00	500.00	1120.00
6.	मध्य प्रदेश	620.00	686.00	1306.00
7.	महाराष्ट्र	1100.00	610.00	1710.00
8.	राजस्थान	450.00	650.00	1100.00
9.	हरियाणा	550.00	750.00	1300.00
10.	पंजाब	1075.00	1050.00	2125.00
11.	उत्तर प्रदेश	2070.00	3550.00	4620.00
12.	हिमाचल प्रदेश	30.00	22.00	52.00
13.	जम्मू व कश्मीर	70.00	42.00	112.00
14.	बिहार	660.00	650.00	1310.00
15.	उड़ीसा	340.00	175.00	515.00
16.	पश्चिम बंगाल	440.00	610.00	1050.00
17.	असम	35.00	33.00	68.00
18.	अन्य	96.47	99.28	195.75
	अखिल भारत	10094.14	10,380.78	20,474.97

विवरण-II

1996-97 के दौरान यूरिया की राज्यवार सप्लाई

(000 मीटरी टन)

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	खरीफ 1996	रबी* 1996-97	योग 1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1026.18	1019.25	2045.43
2.	कर्नाटक	547.10	348.15	895.25
3.	तमिलनाडु	356.61	485.56	842.17

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	565.12	450.09	1015.21
5.	मध्य प्रदेश	566.57	637.47	1204.04
6.	महाराष्ट्र	1093.07	517.33	1610.40
7.	राजस्थान	476.15	587.77	1063.92
8.	हरियाणा	545.80	632.93	1178.73
9.	पंजाब	963.58	885.92	1849.50
10.	उत्तर प्रदेश	2198.71	2282.16	4480.87
11.	बिहार	761.52	658.62	1420.14
12.	उड़ीसा	277.18	151.85	429.03
13.	पश्चिम बंगाल	424.62	567.10	991.72
14.	असम+उ०पू० राज्य	99.18	65.43	164.61
15.	अन्य	168.60	160.30	328.90
	कुल	10069.99	9449.93	19519.92

*28.2.97 की स्थितिनुसार

दिल्ली दुग्ध योजना

3668. श्री अमर राय प्रधान : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घर-घर वितरण करने हेतु चौकीदारों, विधवाओं और अन्य लोगों को बल्क दूध प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम और शर्त क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूध की कालाबाजारी खुलेआम और वह भी दिल्ली दुग्ध योजना के सम्बद्ध अधिकारियों के देख-रेख में हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन श्रेणियों के लोगों को दूध की आपूर्ति बंद करने और सम्पूर्ण पूर्ति को आम जनता के उपयोग हेतु किसी निकटवर्ती बूथ में पहुंचाने के विषय में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) होम डिलीवरी कार्ड शारीरिक रूप से अपंग, विधवाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को जारी किए गए हैं जिनकी आय 300/- रुपये प्रतिमाह से कम है।

(ग) और (घ) नए होम डिलीवरी कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। "ब्लैक मार्किट" करने वाले कार्डधारकों को उनके कार्ड रद्द करके दंडित किया जाता है। डिपो के जो कर्मचारी कदाचार के मामलों में पकड़े जाते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। होम डिलीवरी कार्डधारकों तथा डिपो एजेंटों पर सतर्कता को सुदृढ़ बनाया गया है।

दुग्ध क्रांति

3669. श्री ए. सी. जोस : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध क्रांति का विस्तार केरल में सभी जिलों में कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक किन-किन जिलों को शामिल नहीं किया गया; और

(ग) केरल सरकार को 1995-96 और 1996-97 के दौरान उक्त योजना के लिए कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) केरल में, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, अल्लेपी, पथनामथिता, कोट्टायम, एर्णाकुलम, इदुकी तथा त्रिचूर जिलों में क्रियान्वित किया गया है। इसके अलावा, कन्नूर, कोझीकोड, मालापुरम, पालघाट, विनाद तथा कासरकोड जिलों में डेयरी विकास के लिए स्विस सहायता से एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) 1995-96 तथा 1996-97 में ऑपरेशन फ्लड तथा स्विस सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत केरल को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

लाख रुपये में (अनन्तिम)

		1995-96	1996-97
(i)	ऑपरेशन फ्लड-3	401.16	54.43
(ii)	स्विस सहायता प्राप्त उत्तरी केरल डेयरी परियोजना	109.89	200.62

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल जातियां

3670. श्री आर. बी. राई : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को नेपाली/गोरखा के विभिन्न समुदायों से अनुसूचित जनजाति की सूची में उन्हें शामिल किए जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी अनुसूचित जाति की

सूची में शामिल किए जाने, हेतु कुछ जातियों की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जनजातियों की सूची में तमांग, लिम्बू, किराती, खम्बू (राय) तथा गुरंग (गोरखा) को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों की सूची में हेला, बाल्मिकी, बंसफोर तथा चैन समुदायों को शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल ने सिफारिश की है।

(ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन के लिए ऐसे दावों के साथ ये विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

पर्यावरण आयोग का गठन

3671. श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पर्यावरण आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत ऋषिकेश में सुधार

3672. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी के कूड़ा-करकट को गंगा की मुख्य धारा, भागीरथी में फेंका जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है और गंगा सफाई योजना के अन्तर्गत ऋषिकेश के ऊपरी भागों में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) नगर पालिका, टिहरी एवं गढ़वाल से प्राप्त सूचना के अनुसार टिहरी के कूड़ा-करकट को कूड़ा-करकट यार्ड में रखा जाता है तथा इसे भागीरथी में नहीं फेका जाता है। टिहरी के अपशेष जल का निपटान सेप्टिक टैंकों या सोख्ता गड्ढों में किया जाता है। नए टिहरी टाउनशिप के सीवेज के स्थाई निपटान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत ऋषिकेश के ऊपरी क्षेत्र में स्थित 8 शहरों के लिए प्रदूषण निवारण कार्य संस्वीकृत किए हैं, ये शहर हैं : जोशीमठ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, श्रीनगर, देवप्रयाग तथा उत्तर-काशी।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल सीमा पर राष्ट्रविरोधी और तस्करी सम्बन्धी गतिविधियां

3673. श्री विजय पटेल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी तथा तस्करी संबंधी गतिविधियों को रोकने हेतु संयुक्त सर्वेक्षण अभियान आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सभी सीमा चौकियों को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा संबंधित राज्य सरकारों से, राज्य पुलिस की विशेषरूप से तैनात टास्क फोर्स की सहायता से सीमा पर गश्त गहन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पूरी सीमा पर आसूचना संग्रहण सुदृढ़ किया गया है तथा विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय लाया गया है।

2. भारत और नेपाल के सीमावर्ती जिलों के जिला पदाधिकारियों के बाद लाभकारी सूचना का आदान-प्रदान तथा स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित बैठकें की जा रही हैं। हाल ही में महामहिम नेपाल सरकार ने घुसपैठ/तस्करी की गतिविधियों जैसी सीमा-पार गतिविधियों से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत-नेपाल संयुक्त वर्किंग ग्रुप हेतु एक सेवानिवृत्त मंत्रिमंडल सचिव के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एक टीम के गठन की घोषणा की है। भारत ने भी गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक टीम गठित की है। इस ग्रुप की पहली बैठक जल्द होने वाली है।

[हिन्दी]

दीक्षित एवार्ड

3674. चौधरी रामचन्द्र बेंदा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 दिसम्बर, 1996 के "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि उनके मंत्रालय के माध्यम से "दीक्षित एवार्ड" के अनुसार दो राज्यों (हरियाणा और दिल्ली) के बीच एक समझौता हुआ था और इस समझौते के अनुसार यमुना नदी में बहाव की दिशा में परिवर्तन करने

के लिए इसके तट से लगी हुई भूमि के मामले में कतिपय नियमों का पालन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच उत्पन्न हुए किसी नए विवाद का भी समाचार प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। इस अवार्ड की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) दीक्षित अवार्ड के अनुसार, अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद, कुछ प्राइवेट पार्टियों ने दीक्षित अलार्ड को चुनौती देते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं। यह मामला न्यायाधीन है।

विवरण

हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा विवाद में

1. 17 मई, 1974 को मेरे साथ हुई एक बैठक में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात पर राजी हुए कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर मैं विवचान करूं और यह कि मेरा फैसला दोनों पार्टियों को स्वीकार्य होगा। इस बैठक में आगे इस बात पर भी सहमति हुई कि पंचाट के प्रयोजन के लिए दोनों राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाने वाले अधिकारियों और मेरे द्वारा नामित किए जाने वाले अधिकारियों के बीच संयुक्त विचार-विमर्श किया जाएगा और नामित किए जाने वाले अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण सीमा के प्रश्न पर विचार किया जाएगा और उसके बाद मामला मुझे प्रस्तुत किया जाएगा।

2. श्री के० वी० के० सुन्दरम, गृह मंत्रालय के सलाहकार को मैंने, दोनों राज्य सरकारों द्वारा नामित किए गए अधिकारियों के साथ बैठक करने और संयुक्त विचार-विमर्श करने के लिए नामित किया। सलाहकार द्वारा ये विचार-विमर्श पूरे किए गए और उन्होंने, दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए विवरणों, मानचित्रों और अन्य दस्तावेजों के साथ अपनी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की।

3. मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद मैं निम्नलिखित निर्णय देता हूं :

निर्णय

1. एक ओर से हरियाणा के अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों के बीच की सीमा और दूसरी ओर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा तो पहले से ही निर्धारित है और इसकी अवस्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं है।

2. दोनों ही पक्षों ने एक ओर से हरियाणा के करनाल और सोनीपत जिलों के बीच की सीमा और दूसरी ओर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों की सीमा के रूप में यमुना नदी की घटती-बढ़ती रहने वाली गहरी जल धारा को मान्य किया है। आज के बाद यह सीमा, इस नदी की वर्तमान गहरी जल धारा रेखा की मानी जाएगी जैसी कि भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा नवम्बर, 1974 दिसम्बर, 1974 तथा जनवरी, 1975 के महीनों के दौरान सत्यापित और निश्चित की गई है। इस बात पर दोनों ही राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की सहमति है और प्रत्येक पक्ष से एक पर्यवेक्षक लेकर भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा नदी का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

3. एक ओर से हरियाणा के गुड़गांव जिले और दूसरी ओर से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों के बीच की सीमा, आज के बाद, नीचे विनिर्दिष्ट लाइन पर निर्धारित की जाएगी :—

(i) यह रेशा उस स्थान से शुरु होगी जहां पर बसंतपुर के निकट उत्तर पश्चिम सीमा को मौजूद गहरी जल धारा रेखा काटती है और फिर उक्त सीमा के साथ-साथ उस स्थान तक आगे बढ़ती जाएगी जहां यह रेखा यमुना नदी के उत्तरी किनारे को पार करती है जैसाकि भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराए गए 1971-72 के यमुना नदी के सर्वेक्षण में निर्धारित किया गया था।

(ii) उसके बाद यह उक्त उत्तरी किनारे के साथ-साथ चलती हुई बसंतपुर और सालारपुर के बीच की सीमा से मिलने वाले बिन्दु तक जाती है, सालारपुर की सीमा के साथ-साथ, असालतपुर की पूर्वी सीमा, वाड़ासिया की उत्तर-पूर्वी सीमा, किरावली की उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं, लालपुर की उत्तरी सीमा, महाबतपुर की उत्तर और पूर्वी सीमाओं, मुजुम्माबाद की पूर्वी सीमा, चाक, फुलेरा सहित राजपुर कलां की पूर्वी और उत्तरी सीमाएं, मीरपुर की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं, चिराय की पूर्वी सीमा, अकबरपुर की पूर्वी सीमा, मोजामाबाद-मज़ार शेखपुर की पूर्वी-सीमा, मांझावाली की पूर्वी सीमा, गढ़ी बेगमपुर की पूर्वी सीमा, दलालगढ़ की दक्षिणी-पूर्वी सीमा, शाहजहांपुर की पूर्वी सीमा, ललितपुर की पूर्वी सीमा, परसरामपुर उर्फ दुलाहपुर की पूर्वी सीमा, माकनपुर की पूर्वी सीमा, वलीपुर की उत्तर की उत्तर-पूर्वी सीमा, शेखपुर की पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा, बहरामपुर की उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा तथा नेगलिया की उत्तर पूर्वी सीमा उस स्थान तक जहां यह वर्तमान गहरी जल धारा रेखा से मिलती है।

(iii) इस बिन्दु से यह वर्तमान गहरी जल धारा रेखा के साथ-साथ बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश की ओर नेगलिया, झुप्पा, बाधपुर कलां, बाधपुर खुर्द, सोलहरा, भोलरा, दोस्तपुर गुरवाड़ी और चंढास, यमुना नदी की पुरानी मुख्य जल धारा के जंक्शन तक, तथा आमतौर पर जैर नाले के रूप में जारी जाने वाली नदी की शाखा अथवा जलमार्ग तक और फिर महोली की वर्तमान दक्षिणी सीमा तक वर्तमान गहरी जल धारा रेखा तक जाती है।

व्याख्या

इस पैराग्राफ में :—

(क) सब पैरा (1) अथवा (2) में नामित किसी गांव की सीमा

का मतलब उस गांव की सीमा के संदर्भ के रूप में होगा जैसा कि 1943 में पूरे किए गए गुड़गांव जिले के सेटलमेंट में पता लगाया है और नक्शे में दर्शाया गया है।

(ख) उप पैरा (2) के अन्त में और उप पैरा (3) के शुरू में वर्तमान शहरो जलधारा रेखा के संदर्भ का अर्थ जमुना नदी की पुरानी मुख्य धारा से संबंधित गहरी जल धारा के संदर्भ में रूप में लगाया जाएगा जैसा कि भारतीय सर्वेक्षण द्वारा माह जनवरी, 1995 में सत्यापित और निर्धारित किया गया है।

(iv) एक तरफ से हरियाणा के गुड़गांव जिले तथा दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बीच की सीमा पहले से ही निर्धारित है जिसकी अवस्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

ह०

(उमा शंकर दीक्षित)

14.2.1975

(सत्यापित प्रति)

दिल्ली के मुख्य मंत्री का कैंप कार्यालय

3675. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने नेताजी नगर के एक पार्क में कैंप ऑफिस बनाये जाने के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति के दुरुपयोग संबंधी कथित आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय आयोग गठित किये जाने हेतु दिसंबर, 1996 को निर्देश जारी किये थे;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) रिट याचिका सं० 4677/85 (एम० सी० मेहता बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में आई ए० सं० 34 से 6 दिसम्बर, 1996 के अपने निर्णय के द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय ने तीन विद्वान वकीलों के एक ग्रुप को, संदर्भाधीन पार्क का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) सरकार को रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जानकारी नहीं है क्योंकि यह रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने प्रवेश द्वार गिरा दिया था और एक चारदीवारी बनाकर पार्क का उपयोग केवल मनोरंजनात्मक गतिविधियों तक सीमित कर दिया।

[अनुवाद]

केरल से विधेयक

3676. श्री पी० सी० थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा पारित उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन विधेयकों की स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) राज्य विधान सभा द्वारा यथापारित और केरल के राज्यपाल द्वारा सुरक्षित केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि अन्तरण पर प्रतिबंध और अन्य संक्रामणित भूमि की बहाली) संशोधन विधेयक, 1996 और केरल राजस्व उन्मूलन बोर्ड विधेयक 1996, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को प्राप्त हो गए हैं।

(ख) केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि अंतरण पर प्रतिबंध और अन्य संक्रामणित भूमि की बहाली) संशोधन विधेयक, 1996 पर सरकार ध्यान दे रही है। केरल राजस्व उन्मूलन बोर्ड विधेयक, 1996 पर संबंधित मंत्रालय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। राज्य सरकार से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

अस्पृश्यता कानून का दुरुपयोग संबंधी कानून

3677. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में अस्पृश्यता संबंधी कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा इस कानून के अंतर्गत बहुत सारे निर्देश, उच्च जाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्यों के बीच लंबित सीमा विवाद

3678. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास समाधान के लिए लंबित पड़े कुछ

राज्यों के सीमा विवाद संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के सीमा विवाद सरकार के पास किन-किन तारीखों से लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन विवादों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-विवाद लंबित हैं :—

(i) महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद।

(ii) पंजाब-हरियाणा-हिमाचल प्रदेश सीमा विवाद।

(iii) शाखा मोची गांव को लेकर उड़ीसा-पश्चिम बंगाल सीमा विवाद।

(iv) कण्णगी मंदिर को लेकर तमिलनाडु-केरल सीमा विवाद।

(v) उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद।

ऊपर क्रमांक (iii) पर उल्लिखित विवाद के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद, कण्णगी मंदिर की ठीक-ठीक अवस्थिति के बारे में है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद और पंजाब-हरियाणा-हिमाचल प्रदेश सीमा विवाद तो क्रमशः 1956 में राज्यों के पुनर्गठन और 1966 में समेकित पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद से ही लंबित हैं। जहां महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद, कुछ सीमावर्ती गांवों के बारे में परस्पर विरोधी राज्यक्षेत्रीय दावों से संबंधित है वहीं पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद का संबंध, चंडीगढ़ का हस्तांतरण पंजाब को किए जाने और चण्डीगढ़ के बदले कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रों का हस्तांतरण, पंजाब से हरियाणा को किए जाने से है।

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद, दोनों राज्यों के बीच कुछ गांवों का हस्तांतरण/पुनर्हस्तांतरण किए जाने की प्रक्रिया में इन गांवों का नाम बदले जाने के कारण हैं।

जहां केन्द्र सरकार ने समय-समय पर इन विवादों को सुलझाने में मदद करने के प्रयास किए हैं वहीं तत्वतः यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है कि वे अपने मतभेद आपस में मिलजुलकर सुलझा लें। केन्द्र सरकार, इस संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों को हर संभव सहायता सहर्ष प्रदान करेगी।

बालकों का शोषण

3679. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1997 के "दि टाईम्स ऑफ इंडिया" में "दि पिपुल ट्रेड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वृद्धाश्रम तथा अनाथालय

3680. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत वृद्धाश्रमों तथा अनाथालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इसमें कितने वरिष्ठ नागरिकों तथा अनाथ बच्चों को रखा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में और अधिक वृद्धाश्रम तथा अनाथालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रासायनिक उर्वरकों का आयात और निर्यात

3681. श्री थावरचन्द गोहलोत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995, 1996 और 28 फरवरी, 1997 तक रासायनिक उर्वरकों का आयात-निर्यात किये उर्वरकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितना आयात करने का निर्णय लिया गया है और किन उर्वरकों का आयात करने का निर्णय लिया गया है और यह आयात किन देशों से किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि में कितनी मात्रा में उर्वरकों का निर्यात किया गया है और यह निर्यात किन देशों को किया गया था ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) भारत द्वारा आयात किए जा रहे तीन प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डी॰ ए॰ पी॰) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) में से केवल यूरिया मूल्य वितरण और संचलन नियंत्रण के अधीन है और इसका आयात सरकारी खाते में किया जा रहा है। यूरिया की मात्रा तथा उन देशों के नाम जिनसे 1994-95 से 1996-97 के दौरान यह आयात किया गया था, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

चूंकि यूरिया तथा डी॰ ए॰ पी॰ जैसी प्रमुख उर्वरकों की मांग सामान्यतः स्वदेशी उत्पादन से अधिक होती है, अतः इन उर्वरकों के समग्र उत्पादन को घरेलू खपत हेतु नियत किया जाता है। तदनुसार, निर्यात-आयात नीति में उर्वरकों को निर्यातों की नकारात्मका सूची में रखा गया है। घरेलू मांग की तुलना में पर्याप्त अधिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों को एस॰ एस॰ पी॰ के निर्यात की अनुमति दी गई है। अपवादिक मामलों में भूटान तथा नेपाल की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यूरिया के निर्यात की अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्यात की गई प्रमुख उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार है :—

(लाख टन में)

उर्वरक	1994-95	1995-96	1996-97 (फरवरी, 97 तक)	देश
यूरिया	0.014	0.25	0.10	भूटान तथा नेपाल
डीएपी	—	0.80	—	नेपाल
एसएसपी	3.39	1.88	1.19 (अनंतिम)	बंगलादेश

विवरण

1994-95 से 1996-97 (फरवरी, 1997 तक) तक यूरिया के देश-वार आयात दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा लाख मी॰ टन में)

क्र॰ सं॰	देश	1994-95	1995-96	1996-97 (फरवरी, 97 तक)
1	2	3	4	5
1.	बंगलादेश	0.87	1.35	1.44
2.	बुलगारिया	0.21	0.73	—
3.	सी आई एस	11.29	12.79	6.84
4.	क्रोशिया	—	1.07	—
5.	जर्मनी	—	0.42	—
6.	इण्डोनेशिया	1.02	1.36	—
7.	कुवैत	3.07	2.64	3.86
8.	लीबिया	2.00	3.70	2.14
9.	कतार	2.80	2.37	2.95
10.	रोमानिया	0.99	3.56	1.60
11.	सऊदी अरेबिया	4.23	4.92	2.98
12.	यू ए ई	2.22	2.43	1.47
13.	पाकिस्तान	—	0.48	—
		28.70	37.82	23.28

(अनुवाद)

अपराध दण्ड संहिता, 1973 में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने संबंधी योजना

3682. **श्री भक्त चरण दास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपराध दंड संहिता, 1973 में "पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना" समाविष्ट करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग ने उक्त धारा को समाविष्ट करने के लिए क्या कारण दिए हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, हां। श्रीमान्।

(ख) विधि आयोग ने अपनी 154 वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि अपराध के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति से संबंधित मौजूदा उपबंध की कमजोरियों के मद्देनजर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नई धारा 357-क शामिल की जाए।

(ग) मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

भारत की सीमावर्ती भूमि पर छापे

3683. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत की सीमावर्ती भूमि पर छापे मारे जाने की कोई घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबद्ध अवधि के दौरान दो अवसरों पर, पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा

के पार असफल छापे मारे। ये घटनाएं जुलाई, 1994 और मई, 1995 में घटीं।

(ग) चौकसी रखी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

लघु और सीमान्त किसान

3684. प्रो॰ प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

डॉ॰ महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में लघु और सीमान्त किसानों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि संगणना, 1990-91 (अद्यतन) के अनुसार देश में छोटे तथा सीमान्त किसानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(संख्या हजार में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सीमान्त जोत संख्या	छोटे जोत संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5211	1972
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	17
3.	असम	1521	560
4.	बिहार	10193	1438
5.	गोवा	58	8
6.	गुजरात	924	915
7.	हरियाणा	622	304
8.	हिमाचल प्रदेश	532	166
9.	जम्मू एवं कश्मीर	902	197
10.	कर्नाटक	2262	1586
11.	केरल	5016	280
12.	मध्य प्रदेश	3136	1917
13.	महाराष्ट्र	3275	2728
14.	मणिपुर	69	49
15.	मेघालय	50	51
16.	मिजोरम	29	23
17.	नागालैंड	13	21
18.	उड़ीसा	2118	1035
19.	पंजाब	296	204
20.	राजस्थान	1517	1019
21.	सिक्किम	26	11
22.	तमिलनाडु	5848	1275
23.	त्रिपुरा	217	69
24.	उत्तर प्रदेश	14819	3118
25.	पश्चिम बंगाल	4639	1107
26.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	2	2
27.	चंडीगढ़	1	नगण्य
28.	दमन एवं दीव	.3	नगण्य
29.	दादर एवं नगर हवेली	6	4
30.	दिल्ली	26	8
31.	पांडिचेरी	26	5
32.	लक्षदीप	6	नगण्य
	अखिल भारत :	63389	20089

डेरी विकास परियोजनायें

3685. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार के बरौनी और वैशाली में स्थापित की जाने वाली डेयरी विकास संबंधी परियोजनायें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् उनके मंत्रालय में लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) वैशाली के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बरौनी के लिए प्राप्त प्रस्ताव की जांच पड़ताल की गई तथा राज्य सरकार को सूचित किया कि बरौनी दुग्ध परिसंघ, "सहकारिताओं को सहायता" नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम के तहत विचार के लिए एक प्रस्ताव बनाए।

[अनुवाद]

आपराधिक घटनाएं

3686. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1997 को "दैनिक भास्कर" में "वर्जिनिटी टेस्ट ऑफ गर्ल्स नाउ कम्स अंडर द परव्यु ऑफ एन॰ एच॰ आर॰ सी॰" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) "लड़कियों का कौमार्य परीक्षण अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार में" शीर्षक से 2 जनवरी, 1997 के दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशित नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तारीख 12.12.1996 के पायोनियर में "डिग्निटी ऑफ टेस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर इस घटना को स्वयं संज्ञान में लिया और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर उनसे रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें जब कभी भी प्राप्त होंगी तो उनके आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों का "बैक लॉग"

3687. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे की रिक्तियों के बैक लॉग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैक लॉग को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है अथवा चलाये जाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कितने बैक लॉग को निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कृषि और सहकारिता विभाग, इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, स्वायत्त निकायों आदि में इस सभय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के 52 पद रिक्त हैं। अब तक, विशेष भर्ती अभियान को शुरू करने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के 5 पद भरे गए हैं।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग ने, इस विभाग, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, स्वायत्त निकायों आदि में उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों की रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है।

(ग) भर्ती करने वाली एजेंसियों से समय पर सिफारिश प्राप्त करने में कठिनाइयां तथा पुलिस से चरित्र पूर्ववृत, जाति अथवा चिकित्सा प्रमाण-पत्रों जैसे अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की कमी के कारण पिछली बहुत सी रिक्तियों को भरने में देरी हुई है। पदो को तेजी से भरने के लिए समय-समय पर विभिन्न भर्ती एजेंसियों को स्मरण कराया जा रहा है।

[हिन्दी]

पशुपालन का विकास

3688. श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा :

क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में पशुपालन विकास की विशाल संभावनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके उपयोग किये जाने के संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार में पशुपालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन ओर डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पशुपालन और डेयरी विभाग पशुपालन विकास की क्षमता का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से 11 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाता रहा है। इन योजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) ये (ङ) राज्य में किसी पशुपालन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य के दो कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के विकास की अनुसंधान आवश्यकताओं को देख रहे हैं।

विवरण

पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं की सूची केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार और संतति परीक्षण कार्यक्रम।

2. आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

3. पशु प्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना।

4. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

5. व्यावसायिक दक्षता विकास।

6. बूचड़खानों/पशु शव उपयोग केन्द्रों तथा प्राथमिक निस्त्वचन यूनिटों में सुधार/उनकी स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता।

7. प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण।

8. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

9. राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा उत्पादन कार्यक्रम और खरगोश विकास कार्यक्रम।

10. भारवाही पशुओं का विकास।

11. एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय मत्स्यन संस्थान

3689. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के मालरसे में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि एवं (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने कोई औपचारिक प्रस्ताव तो नहीं भेजा था, लेकिन अखिल कनार्टक मछुआरा परिषद् का, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) की एक शाखा, कर्नाटक में माल्पे में खोलने संबंधी अनुरोध अग्रेषित किया था। चूंकि सिफनेट की नयी शाखाएं खोलने के बारे में आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं था, अत: प्रस्ताव पर कार्रवाई संभव नहीं हो सकी।

[हिन्दी]

गंगा नदी में प्रदूषण

3690. डॉ॰ रमेश चन्द तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उनेक उद्योगों द्वारा गंगा में अपने बहिस्राव डाले जाने से गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों के नाम क्या है;

(ग) सरकार ने गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए इन उद्योगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने उद्योगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले 34 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों का अभिनिर्धारण किया गया था। इनमें से 22 उद्योग कानपुर में स्थित हैं जिनसे अधिकांश नदी प्रदूषित हो रही थी।

(ग) एवं (घ) इन सभी उद्योगों को बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इसके परिणामस्वरूप इस समय 14 इकाइयों में बहि:स्राव उपचार संयंत्र संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं तथा 6 इकाइयों को अपने उपचार संयंत्रों में सुधार करने के निर्देश दिए गए थे। शेष 14 इकाइयों को जो उचित उपचार व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहीं, बंद करा दिया गया है।

[अनुवाद]

काजू प्रसंस्करण इकाइयां

3691. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी काजू प्रसंस्करण इकाइयां हैं और ये कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ख) इनकी क्षमता उपयोगिता कितनी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) फिलहाल देश में 825 काजू प्रसंस्करण एकक कार्य कर रहे हैं। स्थानवार आंकड़े इस प्रकार हैं :

राज्य	प्रसंस्करण एककों की संख्या
केरल	271
कर्नाटक	58
गोआ	57
महाराष्ट्र	49
तमिलनाडु	209
आंध्र प्रदेश	103
उड़ीसा	33
पश्चिम बंगाल	45

(ख) प्रसंस्करण एककों द्वारा उपयोग की क्षमता पर कोई शासकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन कच्चे अनुमान के अनुसार इन प्रसंस्करण एककों के उपयोग की कुल क्षमता प्रतिवर्ष 7.0 लाख मीटरी टन कच्चे काजू की गिरी है।

घुसपैठ

3692. श्री संतोष मोहन देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तट रक्षक बल ने देश में गुजरात और अन्य राज्यों में समुद्री मार्ग में पाकिस्तानी एजेंटों की घुसपैठ का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सीमा सुरक्षा बल और भारतीय तटरक्षक बलों ने कुल कितने घुसपैठियों का पता लगाया;

(ग) समुद्री और भू-मार्ग से घुसपैठ रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या घुसपैठिए नेपाल, बंगलादेश और पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो घुसपैठ को रोकने के लिए क्या निवारक उपाए किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) तटरक्षक को गुजरात के समुद्री मार्ग से किसी प्रकार की घुसपैठ का पता नहीं चला है। तथापि, सीमा सुरक्षा बल ने भारत-पाक, भारत बंगलादेश और भारत-म्यांमार सीमाओं पर घुसपैठियों को रोका/पकड़ा है, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं :

(i) सीमा निगरानी चौकियों के बीच दूरी कम करने के लिए विस्तार योजना के तहत अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई हैं और तैनात की गई हैं।

(ii) गश्त/नाकाओं को बढ़ाया गया है/गहन किया गया है।

(iii) जीपें और मोटर-साइकिलें उपलब्ध करा कर सीमा गश्त गहन कर दी गई हैं।

(iv) घोड़ों, ऊंटों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर, गश्त लगाई जा रही है।

(v) निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(vi) सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए दूरबीनें, धूप के चश्मों, ट्विन टैलिस्कोप, पी॰ एन॰ वी॰ दूरबीनें और हैण्ड-हैल्ड सर्च लाइट्स उपलब्ध कराई गई हैं।

(vii) सीमा पर बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था की जा रही है/की गई है।

(viii) गहन चौकसी के लिए आसूचना तंत्र को सतर्क किया गया है।

(ix) तट रक्षक/भारतीय नौसेना तटीय क्षेत्रों की गश्त लगा रही है तथा राज्य पुलिस और सीमा शुल्क विभाग भाड़े के ट्रालर्स के माध्यम से उथले जल में गश्त लगा रहे हैं।

(x) पाकिस्तान, बंगलादेश और नेपाल को सरकारों के साथ भी इस मामले को विभिन्न अवसरों पर उठाया गया है।

विवरण

सीमा सुरक्षा बल द्वारा रोके गए/पकड़े गए व्यक्ति

	1994	1995	1996
1	2	3	4
भारत-पाक सीमा			
जम्मू और कश्मीर	654	1156	860
पंजाब	1938	728	166
राजस्थान	3255	1662	1053
गुजरात	63	72	232
जोड़ :	5910	3618	2311
भारत-बंगलादेश सीमा			
पश्चिम बंगाल	17665	13215	10323
असम	396	391	391
मेघालय	364	440	529
मिजोरम	14	17	14

1	2	3	4
त्रिपुरा	1649	951	896
जोड़ :	20088	15014	12153
भारत-म्यांमार सीमा			
मणिपुर	365	105	36
नागालैंड	1	5	7
जोड़ :	366	110	43

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं हेतु धनराशि

3693. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री के॰ परसुराम :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1996 में आई विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान, ओला दृष्टि आदि के कारण हुए नुकसान के संबंध में ज्ञापन देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें राज्य-वार हुए जान, पशुधन, फसलों, आवासों, तथा क्षेत्रों के नुकसान का ब्यौरा दिया गया है; और

(घ) इन राज्यों को राहत तथा पुनर्वास हेतु अब तक राज्य-वार कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) स्थापित पद्धति के अनुसार, भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में हुई क्षति के संबंध में राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त करती है। राज्य सरकारें आपदा राहत कोष के आबंटन का उपयोग करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास उपाय करती है। उनसे उस गंभीर आपदा की स्थिति में ही भारत सरकार को विस्तृत ज्ञापन भेजने की अपेक्षा की जाती है जिसके लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई हो।

(ग) और (घ) 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के लिए 17 राज्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए थे। इन राज्यों में 1996-97 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों तथा घरों को हुई क्षति, मानव जीवन तथा पशुधन की हानि प्रभावित क्षेत्र और आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश से निर्मुक्त की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

	उस राज्य का का नाम जिससे ज्ञापन प्राप्त हुआ	आपदा	क्षति की सीमा					केन्द्रीय अंश में दी गई सहायता	
			मृत व्यक्ति (संख्या)	मृत पशु (संख्या)	प्रभावित क्षेत्र (लाख है॰ में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख है॰ में)	क्षतिग्रस्त मकान (सं॰)	सी॰ आर॰ एफ॰ (रु॰ करोड़ में)	एन॰ एफ॰ सी॰ आर॰ (रु॰ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	बाढ़/ चक्रवात	1685	66694	22.51	22.47	71.40	93.14	142.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	15	1256	0.07	0.06	330	5.28	3.00
3.	असम	बाढ़	38	—	5.75	2.00	7848	37.51	21.00
4.	बिहार	बाढ़	207	66	11.29	7.14	66955	38.97	7.00
5.	गुजरात	बाढ़	117	1962	22.31	4.28	54575	104.70	—
6.	हरियाणा	बाढ़	19	544	0.86	0.23	12314	18.79	—
7.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	45	2250	3.20	2.58	5774	20.21	10.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	जम्मू व कश्मीर	बाढ़	58	9534	0.58	0.46	24521	14.78	—
9.	कर्नाटक	बाढ़	244	5254	0.83	0.83	135462	31.39	—
10.	केरल	बाढ़	159	—	0.46	0.39	18729	41.55	—
11.	मध्य प्रदेश	बाढ़/सूखा	48	344	0.14	0.14	7075	38.31	—
12.	उड़ीसा	सूखा	—	—	—	20.53	—	36.76	50.00
13.	राजस्थान	बाढ़	138	6438	10.88	2.10	119241	134.28	—
14.	सिक्किम	बाढ़	9	—	—	—	20	3.53	5.52
15.	तमिलनाडु	बाढ़/ चक्रवात	210	2826	3.28	3.28	700718	44.51	25.00
16.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	352	1279	11.24	6.78	70858	93.84	—
17.	पश्चिम बंगाल	बाढ़	48	84	0.83	0.83	203987	38.49	—

उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं

3694. श्री सोहन बीर :

श्री हरपाल सिंह साथी :

श्री ओमपाल सिंह निडर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए अपराधों का अपराध-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को बंदी बनाया गया; और

(ग) राज्य में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चालू वर्ष (15.2.1997 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत हुए अपराधों से संबंधित उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :

अपराध	संख्या
1	2
1. डकैती	144
2. लूटपाट	506
3. हत्या	928
4. सेंधमारी	1346
5. फिरौती के लिए अपहरण	27
6. राहजनी	15
7. कुल भारतीय दंड संहिता अपराध	18050

जनवरी, 1997 के दौरान विभिन्न निषेधात्मक धाराओं के अंतर्गत 31,144 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 1.2.1997 से विभिन्न मामलों में वांछित 11,998 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू पाने तथा कानून एवं व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हाल ही में बताई गई कार्य योजना कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को सूचित की गई है।

[अनुवाद]

राज्यों को स्वायत्तता

3695. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री तारीक अनवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को स्वायत्तता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सरकार ने केवल "राज्यों को स्वायत्तता" के मुद्दे पर ही विचार करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, अंतर-राज्यीय परिषद् ने 15.10.1996 को हुई अपनी बैठक में अन्य के साथ-साथ, यह सिफारिश की कि इस परिषद् की एक स्थायी समिति होनी चाहिए।

स्थायी समिति की प्रथम बैठक 15 जनवरी, 1997 को हुई थी। इस स्थायी समिति ने निम्न मुद्दों पर विचार किया :

(i) केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों, विशेष रूप से, केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों के अंतरण पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों को पुनरीक्षा करना एवं इन्हें अद्यतन बनाना। (सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का अध्याय - X)

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में अपेक्षित परिवर्तनों की जांच करना (सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का अध्याय-VI)

इस समिति को इन दो मुद्दों पर अभी अपने मतों को अंतिम रूप देना है समिति में लिए गए निर्णयानुसार इन दोनों मुद्दों पर राज्य सरकारों तथा स्थायी समिति के सदस्यों के मत प्राप्त हो गए हैं और उनका संकलन कर लिया गया है। इस मामले पर स्थायी समिति की अगली बैठक, जो जल्द बुलाई जाने वाली है, में विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

3696. श्री अमर पाल सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री डी॰ पी॰ यादव :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत किए गए दावों का कितना वर्ष-वार और राज्य-वार भुगतान किया गया है;

(ख) राज्य-वार किसानों को दी जाने वाली राशि अब तक कितनी बकाया है;

(ग) शेष राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक बकाया राशि का भुगतान कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहत् फसल बीमा योजना के तहत किए गए स्वीकार्य दावों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य-वार स्वीकार्य दावों की बकाया राशि का विवरण निम्नवत् है :

(लाख रुपये में)

क्र॰ सं॰	राज्य	धनराशि
1.	गुजरात	16.35
2.	मध्य प्रदेश	795.32
3.	महाराष्ट्र	39.34
4.	तमिलनाडु	681.91
5.	पश्चिम बंगाल	321.04

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों से एक तिहाई अंश न प्राप्त न होने के कारण स्वीकार्य दावे लंबित हैं। ज्यों ही राज्य सरकारो का अंश प्राप्त होगा, स्वीकार्य दावों का निपटान कर दिया जाएगा।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहत् फसल बीमा योजना के तहत भुगतान किए दावों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र॰ सं॰	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97*
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1713.93	482.91	2569.00	1859.72	
2.	असम	4.73	0.15	1.18	0.66	
3.	बिहार	1495.31	108.24	35.30	343.89	
4.	गोवा	0.20	0.06	0.69	0.12	

1	2	3	4	5	6	7
5.	गुजरात	87.50	16239.76	450.84	8422.20	
6.	हिमाचल प्रदेश	5.07	3.02	0.89	0.00	
7.	कर्नाटक	534.22	282.58	108.88	367.82	
8.	केरल	21.07	47.94	314.45	24.92	
9.	मध्य प्रदेश	273.25	43.18	3.67	0.00	
10.	महाराष्ट्र	130.63	92.33	743.17	1366.51	
11.	मेघालय	0.95	0.40	1.16	0.22	
12.	उड़ीसा	467.30	116.85	902.03	759.30	
13.	तमिलनाडु	306.92	1244.87	184.43	54.56	
14.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.45	0.00	
15.	प० बंगाल	53.32	120.22	130.05	0.00	
16.	अ० व नि० द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.	पांडिचेरी	1.10	42.78	0.00	0.00	
	योग :	5095.50	18825.29	5446.19	13199.92	

*उपज के आंकड़ों की प्राप्ति के बाद ही वर्ष 1996-97 के लिए दावे निश्चित किए जाएंगे।

मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान की जानकारी

3697. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की जानकारी देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) भारतीय मौसम विभाग आकाशवाणी से दिन में चार बार क्षेत्रीय भाषाओं में नियमित प्रसारण हेतु मछुआरों के लिए बुलेटिन जारी करता है। चक्रवात अथवा अवदाब के समय इन बुलेटिनों में निम्नलिखित जानकारी होती है : (i) इनकी स्थिति तथा चलने की दिशा; (ii) तेज हवाओं तथा समुद्र की स्थिति से संबंधित मौसम; (iii) मछुआरों को समुद्र में न जाने संबंधी सलाह। मानसून के दौरान जब 45 कि० मी० प्रति घंटे से अधिक तेज हवाओं, खराब मौसम, ऊंची लहरों तथा समुद्र खराब होने की आशंका हो, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता से आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मत्स्यन नौकाओं में नौका से तट के बीच संचार सुविधा की स्थापना, सुरक्षा उपकरणों, जीवन रक्षक उपायों तथा चुनिंदा लाभानुभोगियों हेतु आउट बोट मोटरों संबंधी एक पाइलट परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है।

समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा हेतु संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के प्रदर्शन के लिए महासागर विकास विभाग द्वारा तट से मत्स्यन नौकाओं के बीच संचार व्यवस्था संबंधी एक योजना शुरू की गई है, जिसका कार्यान्वयन आठवीं योजनावधि के बाद किया जाएगा।

[अनुवाद]

काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य

3698. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध शिकारियों द्वारा 1995 और 1996 के दौरान इक्यासी गैंडों का शिकार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अभयारण्य में वन्य जीवों की रक्षा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में गत तीन वर्षों के दौरान अवैध शिकारियों द्वारा मारे गए तथा स्वाभाविक रूप से मरे अन्य वन्य जीवों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) 1995 और 1996 के दौरान 53 गैंडे चोरी छिपे शिकार करने वालों द्वारा काजीरंगा में मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के अनुसार कई संरक्षण कैम्प स्थापित किए गए हैं और सशस्त्र होम गार्डों एवं विभागीय स्टाफ के द्वारा रात और दिन नियमित गश्त की जाती है। बेतार संचार, नौकाओं और वाहनों का प्रयोग तथा सूचना देने वालों को प्रोत्साहन का भुगतान करके सूचना एकत्र करना, ये अन्य कार्यनीतियां हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान में चोरी-छिपे शिकार की समस्या से निपटने के लिए अपनाई गई हैं।

(घ) वन्यजीवों के संबंध में सूचना जो कि प्राकृतिक कारणों से मर जाते हैं, मंत्रालय द्वारा संकलित एवं मिलान नहीं की जाती है तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध शिकार के पता लगाए गए मामलों की संख्या के बारे में विभिन्न राज्यों एव संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चोरी-छिपे शिकार के मामले

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	18	40	50
2.	*असम	76	34	48
3.	बिहार	48	03	उपलब्ध नहीं
4.	गोवा	01	09	01
5.	हरियाणा	842	533	287
6.	हिमाचल प्रदेश	04	06	04
7.	*केरल	164	207	35
8.	महाराष्ट्र	108	99	102
9.	मणिपुर	01	01	08
10.	मेघालय	02	05	08
11.	मिजोरम	07	15	26
12.	नागालैंड	शून्य	शून्य	01
13.	उड़ीसा	96	103	उपलब्ध नहीं
14.	पंजाब	369	368	247
15.	तमिलनाडु	23	30	21
16.	राजस्थान	75	82	107
17.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
18.	त्रिपुरा	01	शून्य	01
19.	*उत्तर प्रदेश	788	583	255
20.	पश्चिम बंगाल	07	05	06
संघ राज्य क्षेत्र				
चंडीगढ़		शून्य	शून्य	शून्य
दादर और नगर हवेली		शून्य	शून्य	शून्य
दमन और द्वीप		शून्य	शून्य	शून्य
*दिल्ली		20	33	61
पांडिचेरी		शून्य	शून्य	शून्य
कुल :		2650	2156	1268

*कैलेन्डर वर्ष के अनुसार

उत्प्रवासियों को गैर कानूनी ढंग से जहाज पर ले जाना

3699. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्प्रवासियों को अवैध ढंग से जहाज पर यूरोप ले जाने वाले एक संगठित गिरोह का हाल में ही पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए ग्रीस की सरकार से इस मामले पर बात की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) भारत से उत्प्रवासियों को अवैध ढंग से जहाज द्वारा यूरोप ले जाने की घटना, 24/25 दिसम्बर, 1996 के बीच की रात को माल्टा-सिसिली मार्ग में गहरे समुद्र में 170 भारतीय युवकों के डूब जाने की धटना के आधार पर प्रकाश में आई। मामले की जांच का कार्य दिनांक 17.1.97 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत केन्द्रीय जांच ब्यूरों

को सौंप दी गई। दुर्घटना में जीवित बचे उन 22 युवकों जो 27.1.1997 को सहर हवाई अड्डे, मुंबई, पर पहुंचे थे, के कथनों के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले पर आगे कार्य करना शुरू किया। के० जा० ब्यूरो द्वारा की गई जांच के आधार पर, इस मामले में अब तक 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, एथेन्स स्थित हमारे मिशन ने ग्रीस की सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया था जिसने, दुर्घटना में जीवित बचे युवकों के साथ हमारे राजदूत की भेंट सहित, अपना सहयोग दिया, जिसने दुर्घटना के अन्य सभी पहलुओं की जांच करने में इंटरपोल के साथ संपर्क करने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मदद की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियुक्त व्यक्तियों से बड़ी मात्रा में अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए हैं।

तिलहन की खेती वाला क्षेत्र

3700. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कुल कितने भू-क्षेत्र में तिलहन-वार तिलहन की खेती की जा रही है;

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलना में तिलहन-वार और वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है/गिरावट आई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तिलहन खेती क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) तिलहन की खेती के तहत वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए राज्यवार तथा तिलहनवार क्षेत्र तथा 1993-94 एवं 1994-95 की तुलना में 1995-96 में क्षेत्र में हुई प्रतिशत वृद्धि/कमी का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार 1990-91 से तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत किसानों को प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, आधारभूत ढांचे के विकास, कृषि उपस्करों के वितरण, स्प्रिंकलर सैटों, जिप्सन/पाइराइट्स, राइजोबियम कल्चर एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के अलावा अग्रणी प्रदर्शिनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण एवं कृषक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

वर्ष 1994-95 तथा 1993-94 की तुलना में 1995-96 के दौरान तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुमान।

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			1993-94 तथा 1994-95 की तुलना में 1995-96 में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)	
	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
फसल - मूंगफली					
आंध्र प्रदेश	2351.8	2176.0	2209.3	−6.1	1.5
बिहार	5.1	4.7	4.8	−4.0	2.1
गोवा	1.1	1.1	1.2	9.1	9.1
गुजरात	2053.0	1989.3	1902.9	−7.3	−4.3
हरियाणा	2.3	2.4	2.1	−8.7	−12.5
हिमाचल प्रदेश	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
कर्नाटक	1243.3	1200.0	1178.4	−5.2	−1.8
केरल	12.4	16.5	16.5	33.1	0.0

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	276.8	266.2	280.9	1.5	5.5
मेघालय	659.0	602.6	511.0	−22.5	−15.2
नागालैंड	0.5	0.5	1.0	100.0	100.0
उड़ीसा	100.0	87.3	91.1	−9.0	4.4
पंजाब	10.0	8.0	9.0	−10.0	12.5
राजस्थान	287.4	249.9	214.7	−25.3	−14.1
तमिलनाडु	1158.3	1079.9	1116.1	−3.6	3.4
त्रिपुरा	2.3	2.0	1.5	−34.8	−25.0
उत्तर प्रदेश	138.6	136.2	138.5	−0.1	1.7
पश्चिम बंगाल	17.5	23.4	22.9	30.9	−2.1
पांडिचेरी	2.3	2.1	2.2	−4.3	4.8
अखिल भारत:	8322.2	7848.6	7704.6	−7.4	−1.8
फसल - अरण्ड					
आंध्र प्रदेश	259.6	270.7	262.6	1.2	−3.0
असम	1.8	1.7	1.7	−5.6	0.0
बिहार	1.1	0.9	0.9	−18.2	0.0
गुजरात	312.2	382.6	388.1	24.3	1.4
कर्नाटक	22.3	22.5	23.7	6.3	5.3
मध्य प्रदेश	5.6	4.7	3.6	−35.7	−23.4
महराष्ट्र	7.9	9.3	9.1	15.2	−2.2
उड़ीसा	25.6	26.4	27.6	7.8	4.5
राजस्थान	15.0	25.1	38.6	157.3	53.8
तमिलनाडु	33.1	35.1	50.6	52.9	44.2
उत्तर प्रदेश	0.1	0.1	नगण्य	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
अखिल भारत :	684.5	779.2	806.6	17.8	3.5
फसल - रामतिल					
आंध्र प्रदेश	18.9	20.3	19.1	1.1	5.9
बिहार	30.2	27.6	26.7	−11.6	−3.3

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	42.4	39.9	39.1	−7.8	−2.0
मध्य प्रदेश	220.4	218.9	219.0	−0.6	0.0
महाराष्ट्र	86.5	73.7	76.8	−11.2	4.2
उड़ीसा	193.9	204.4	210.6	8.6	3.0
पश्चिम बंगाल	6.4	6.8	6.8	6.2	0.0
दादर व नगर हवेली	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
अखिल भारत :	598.8	591.7	598.2	−0.1	1.1
फसल - सीसेमम					
आंध्र प्रदेश	184.0	174.3	195.8	6.4	12.3
अरुणाचल प्रदेश	1.1	1.4	1.4	27.3	0.0
असम	14.7	15.8	15.7	6.8	−0.6
बिहार	24.8	18.4	17.2	−30.6	−6.5
गुजरात	257.8	260.9	249.7	−3.1	−4.3
हरियाणा	3.4	3.2	3.2	−5.9	0.0
हिमाचल प्रदेश	6.5	6.2	6.2	−4.6	0.0
जम्मू व कश्मीर	8.0	7.8	7.8	−2.5	0.0
कर्नाटक	109.6	111.5	108.1	−1.4	−3.0
केरल	7.3	7.9	7.3	0.0	−7.6
मध्य प्रदेश	234.9	190	209.4	−10.9	10.2
महाराष्ट्र	274.6	249.9	194.8	--29.1	−22.0
मणिपुर	0.6	1.7	1.7	183.3	0.0
मेघालय	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0
मिजोरम	4.3	4.5	4.4	2.3	−2.2
नागालैंड	1.5	1.5	1.0	−33.3	−33.3
उड़ीसा	96.7	70.3	68.3	−29.4	−2.8
पंजाब	18.3	17.6	22.7	24.0	29.0
राजस्थान	524.7	408.5	329.4	−37.2	−19.4
तमिलनाडु	129.4	127	163.5	26.4	28.7
त्रिपुरा	3.2	3.2	2.7	−15.6	−15.6

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	195.6	178.7	195.6	0.0	9.5
पश्चिम बंगाल	114.9	108.8	108.8	−5.3	0.1
पांडिचेरी	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0
अखिल भारत :	2217.4	1970.5	1916.2	−13.6	−2.8
फसल - सोयाबीन					
आंध्र प्रदेश	4.5	6.2	6.1	35.6	−1.6
अरुणाचल प्रदेश	2.0	2.2	2.6	30.0	18.2
गुजरात	18.2	19.9	12.9	−29.9	−35.2
हिमाचल प्रदेश	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0
कर्नाटक	35.1	53.8	41.2	17.4	−23.4
मध्य प्रदेश	3415.0	3225.0	3703.8	28.5	14.8
महाराष्ट्र	501.7	560.5	635.4	26.6	13.4
मेघालय	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0
मिजोरम	1.3	1.3	0.9	−30.8	−30.8
नागालैंड	4.0	4	4.0	0.0	0.0
उड़ीसा	0.9	0.1	0.0	−100.0	−100.0
राजस्थान	345.5	403.3	427.7	23.8	6.1
सिक्किम	3.6	3.9	3.8	5.6	−2.6
उत्तर प्रदेश	36.3	35.2	44.8	23.4	27.3
पश्चिम बंगाल	0.5	0.6	2.3	360.0	283.3
अखिल भारत :	4370.5	4317.9	4887.2	11.8	13.2
फसल - सूरजमुखी					
आंध्र प्रदेश	389.6	402.6	372.1	−4.5	−7.6
बिहार	5.6	10.7	8.0	60.0	−25.2
हरियाणा	40.0	34.4	50.0	25.0	45.3
कर्नाटक	1469.3	839.5	1013.7	−31.0	20.8
मध्य प्रदेश	18.4	13.0	12.4	−32.6	−4.6
महाराष्ट्र	571.5	510.1	496.3	−13.2	−2.7
नागालैंड	2.5	1.5	2.5	0.0	66.7

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	5.6	1.9	2.3	−58.9	21.1
पंजाब	85.0	95.0	103.0	21.2	8.4
राजस्थान	4.8	3.7	3.1	−35.4	−16.2
तमिलनाडु	39.9	45.0	56.4	41.4	25.3
उत्तर प्रदेश	35.9	39.5	37.3	3.9	−5.6
पश्चिम बंगाल	0.3	0.4	0.4	33.3	0.0
अखिल भारत :	2667.8	1997.3	2157.5	−19.1	8.0
फसल - कुसुम					
आंध्र प्रदेश	25.4	35 3	19.3	−24.0	−45.3
बिहार	0.5	0.6	0.5	0.0	−16.7
कर्नाटक	175.0	262.7	178.2	1.8	−32.2
मध्य प्रदेश	4.6	2.3	3.4	−26.1	41.7
महाराष्ट्र	584.4	485.4	478.6	−18.1	−1.4
उड़ीसा	3.2	4.4	3.8	18.7	−13.6
अखिल भारत :	793.1	790.8	683.8	−13.8	−13.5
फसल - रेपसीड तथा सरसों					
आंध्र प्रदेश	4.0	2.7	2.5	−37.5	−7 4
अरुणाचल प्रदेश	19.9	2.1	21.1	6.0	0.5
असम	279.4	281.5	279.0	−0.1	−0.9
बिहार	108.2	105.1	105.8	−2.2	0.7
गुजरात	374.6	389	368.1	−1.7	−5.4
हरियाणा	579.0	580	581.0	0.3	0.2
हिमाचल प्रदेश	9.6	10.2	10.2	6.2	0.0
जम्मू व कश्मीर	63.1	54.2	54.2	−14.1	0.0
कर्नाटक	5.6	5.3	5.1	8.9	−3.8
मध्य प्रदेश	697.4	665.1	736.5	5.6	10.7
महाराष्ट्र	13.4	14	10.0	−25.4	−28.6
मणिपुर	3.6	2	2.0	−44.4	0.0
मेघालय	6.8	6.8	6.8	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	2.2	2.2	2.4	9.1	9.1
नागालैंड	11.7	8.7	8.0	−31.6	−8.0
उड़ीसा	96.7	29.5	23.7	−75.5	−19.7
पंजाब	63.0	88	93.0	47.6	5.7
राजस्थान	2401.0	2280.2	2809.3	17.0	23.2
सिक्किम	4.6	4.9	5.8	20.8	18.4
तमिलनाडु	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0
त्रिपुरा	9.0	7.9	7.6	−15.6	−3.8
उत्तर प्रदेश	1146.8	1115.5	1140.9	−0.5	2.3
पश्चिम बंगाल	380.9	377.7	377.7	−0.8	0.0
दिल्ली	7.8	7.8	7.8	0.0	0.0
अखिल भारत :	6289.4	6060.2	6659.4	5.9	9.9
फसल - अलसी					
आंध्र प्रदेश	7.9	11.5	6.6	−16.5	−42.6
असम	9.1	9.6	9.6	5.5	0.0
बिहार	68.4	60.7	59.3	−13.3	−2.3
हिमाचल प्रदेश	3.5	3.6	3.6	2.9	0.0
जम्मू व कश्मीर	1.3	1.1	1.1	−15.4	0.0
कर्नाटक	24.3	29.5	25.1	4.6	−14.9
मध्य प्रदेश	450.2	463	463.2	−2.9	0.1
महाराष्ट्र	145.9	154.5	143.2	−1.9	−7.3
नागालैंड	0.8	0.8	1.0	25.0	25.0
उड़ीसा	30.6	31.2	35.6	16.3	14.1
पंजाब	0.2	0.6	0.6	20.0	0.0
राजस्थान	32.5	17.8	16.2	−50.2	−9.0
उत्तर प्रदेश	166.4	150.2	161.1	0.3	0.3
पश्चिम बंगाल	12.3	13.7	13.7	11.4	0.0
अखिल भारत :	953.4	947.8	940.1	−1.4	−0.8

[हिन्दी]

हरित भूमि की अवैध बिक्री

3701. डॉ॰ बलिराम : पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की विभिन्न सड़कों के दोनों ओर की हरित भूमि की भूमाफिया द्वारा अवैध बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामलों में अतिक्रमण को हटाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में भूमाफिया द्वारा हरित भूमि के अतिक्रमण पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कल्याण योजनाएं

3702. श्री नीतीश कुमार भारद्वाज

श्री मुरलीधर जेना :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश में विभिन्न कल्याण योजनाओं पर अब तक वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कल्याण योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान दिया गया है;

(ग) निकट भविष्य में कितनी नई योजनाएं शुरू की जायेंगी; और

(घ) क्या बिहार के लिए कोई नई विशिष्ट योजना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) निम्नलिखित नई योजनाओं को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है :

(1) आदिम जनजातियों का विकास

(2) कम साक्षरता पॉकेटों/जिलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा संस्थान।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय अनुसूचित जाति विकास निगमों को निर्मुक्त केन्द्रीय हिस्सा

(रुपए लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आंध्र प्रदेश	682.68	409.00	875.52	577.33	575.67	(262.67 1994-95 एरियर के रूप में)
2.	असम	171.02	22.89	22.10	24.02	30.74	
3.	बिहार	76.89	85.25	113.52	NIL	57.64	
4.	गुजरात	56.69	100.07	96.07	17.82	15.00	
5.	हरियाणा	57.65	106.54	169.31	75.31	49.00	
6.	हिमाचल प्रदेश	34.30	46.63	53.43	40.43	70.14	
7.	जम्मू और कश्मीर	82.08	37.65	61.00	86.47	44.00	

1	2	3	4	5	6	7	
8.	जम्मू और कश्मीर	99.00	107.80	212.35	300.21	585.31	(485.31 1994-95 एरियर के रूप में)
9.	केरल	115.18	88.87	124.20	79.20	84.13	
10.	म॰ प्र॰	89.24	24.00	57.65	51.88	44.19	
11.	महाराष्ट्र	51.83	81.92	138.16	56.97	600.00	
12.	उड़ीसा	23.41	31.22	59.22	28.82	96.05	
13.	पंजाब	163.20	252.96	14.13	28.82	69.20	
14.	राजस्थान	35.22	19.22	18.60	9.80	74.95	
15.	तमिलनाडु	97.99	122.44	318.50	186.54	268.96	(133.96 1994-95 एरियर के रूप में)
16.	त्रिपुरा	24.00	10.60	9.60	—		
17.	उत्तर प्रदेश	356.38	211.93	238.77	282.32		
18.	प॰ बंगाल	384.00	288.93	206.56	233.29	254.43	(214.43 1994-95 एरियर के रूप में)
19.	चंडीगढ़	26.68	4.59	4.80	4.32	24.00	
20.	दिल्ली	90.25	40.04	57.65	62.45	96.07	
21.	पांडिचेरी	28.22		21.13	4.80	9.60	
22.	गोवा	—	—	49.96	13.45	13.45	
23.	दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली	—	—	17.75	17.75	37.47	
	कुल योग :	2746.05	2200.07	2934.00	2200.00	3100.00	

सफाई कर्मचारियों तथा उसके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बार व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र॰ सं॰	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2.00	2.55	4.59	0.625	—
2.	असम	0.125	2.02	—	—	—
3.	बिहार	3.50	3.13	—	—	—
4.	गुजरात	2.50	1.86	2.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7
5.	हरियाणा	1.50	1.76	7.14	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	0.60	2.53	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	0.025	1.00	—	—	—
8.	कर्नाटक	1.75	3.99	—	4.00	—
9.	केरल	0.25	0.30	—	—	—
10.	म० प्र०	4.00	13.36	12.26	15.89	20.18
11.	महाराष्ट्र	3.70	6.59	3.78	5.00	5.80
12.	उड़ीसा	3.50	0.58	1.19	—	2.56
13.	पंजाब	3.50	0.58	—	—	2.55
14.	राजस्थान	4.75	1.01	2.27	—	6.86
15.	तमिलनाडु	5.00	0.80	—	2.44	13.85
16.	उ० प्र०	8.00	14.94	37.63	45.05	38.16
17.	प० बंगाल	2.00	3.63	—	—	—
18.	दिल्ली	3.75	0.05	—	—	—
19.	पांडिचेरी	0.025	0.05	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	0.11	—	—
21.	मेघालय	0.025	—	—	—	—
	कुल :	50.50	60.73	70.97	73.005	89.96

पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	480.63	636.06277	1077.365	1440.612	2980.339
2.	असम	17.06	218.98079	Nil	314.885	625.985
3.	बिहार	102.562	799.184	590.144	451.00	Nil
4.	गोवा	0.01	0.44	1.46	0.90	0.40
5.	गुजरात	291.27	310.87	357.951	767.239	762.75
6.	हरियाणा	31.68	63.16	68.00	75.49	70.70

1	2	3	4	5	6	7
7.	हिमाचल प्रदेश	—	0.296	3.272	3.8352	14.83
8.	जम्मू और कश्मीर	0.77	18.132	33.754	62.39	79.83
9.	कर्नाटक	223.95579	463.86824	1077.436	830.997	1078.82
10.	केरल	109.734	24.952	106.764	510.646	41.294
11.	मध्य प्रदेश	377.8395	53.8105	474.76	725.23	820.89
12.	महाराष्ट्र	350.792	887.837	1240.04	2084.482	2557.20
13.	मणिपुर	23.08	37.73	59.47	115.56	227.78
14.	मेघालय	0.61921	34.242	74.279	143.275	96.60
15.	मिजोरम	—	62.1484	164.35	142.40	122.40
16.	नागालैंड	102.37	120.00	60.00	—	243.427
17.	उड़ीसा	55.30	56.21	385.74	313.559	741.291
18.	पंजाब	29.44	19.492	120.878	73.80	237.05
19.	राजस्थान	264.768	241.92	348.02	311.68	665.40
20.	सिक्किम	0.74	—	—	—	—
21.	तमिलनाडु	263.32	458.30	736.98	778.17	693.00
22.	त्रिपुरा	45.435	42.146	54.944	82.181	82.358
23.	उत्तर प्रदेश	700.00	700.00	350.00	386.9588	1669.82
24.	पश्चिम बंगाल	7.04	146.395	73.20	—	635.286
25.	अंडमान एवं निकोबार	—	1.15	1.30	0.75	1.28
26.	दमन और दीव	0.8045	1.3603	2.562	1.60	2.64
27.	दादर नगर हवेली	1.00	1.84	3.13	4.06	5.68
28.	दिल्ली	11.00	6.303	—	—	—
29.	पांडिचेरी	3.78	7.91	10.56	11.30	26.03
30.	गुवाहाटी प्रोजेक्ट	5.00	5.00	3.00	2.00	3.00
	कुल	3500.00	5419.74	7479.359	9635.00	14485.63

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना

पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (रुपए लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	77.015	20.515	83.68	85.43312	71.98363
2.	असम	13.00	—	—	—	—
3.	बिहार	20.1635	5.97811	65.80839	22.00	—
4.	गुजरात	25.4725	14.376	14.5725	44.959	335.13975
5.	हरियाणा	12.9183	48.5388	14.568	14.53864	54.81581
6.	हिमाचल प्रदेश	—	7.63125	4.40225	3.50775	2.00
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	6.28825	0.708
8.	कर्नाटक	1.00	5.5055	1.862	0.83237	5.0355
9.	केरल	11.3875	4.582	1.902	—	—
10.	मध्य प्रदेश	98.7377	207.9293	168.963	121.765	153.105
11.	महाराष्ट्र	14.72	5.431	20.03675	29.702	28.2695
12.	मेघालय	0.225	—	—	—	—
13.	उड़ीसा	1.305	5.32358	6.00945	2.00	2.48293
14.	पंजाब	20.27	105.13136	32.976	—	33.73866
15.	राजस्थान	35.692	68.237	30.087	37.774	63.82
16.	सिक्किम	—	—	—	0.55	0.50
17.	तमिलनाडु	5.16	19.94075	7.32375	57.28025	32.05125
18.	त्रिपुरा	9.416	12.5536	12.70775	12.1135	12.7765
19.	उत्तर प्रदेश	49.7875	78.53075	80.33175	166.3125	68.13497
20.	पश्चिम बंगाल	3.73	1.436	3.01325	1.00	—
21.	अंडमान निकोबार	—	1.75	0.405	0.10	—
22.	दिल्ली	—	25.28	12.60	19.128	27.4385
	कुल	400.00	638.67	561.24884	625.28438	892.00

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक की योजना
के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12.59	2.00	70.50	43.39	73.80
2.	असम	0.33	0.30	5.78	3.00	3.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
4.	बिहार	7.50	2.00	9.91	16.99	5.00
5.	गुजरात	1.58	0.30	0.05	10.61	7.33
6.	गोवा	0.50	0.32	0.251	0.17	0.39
7.	हि० प्र०	0.45	0.45	0.61	0.38	1.53
8.	हरियाणा	1.27	1.92	5.85	3.00	3.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.77	0.80	0.13	1.59	2.91
10.	कर्नाटक	4.49	5.13	4.87	9.52	10.19
11.	केरल	5.92	1.00	13.58	7.00	7.56
12.	महाराष्ट्र	2.00	3.00	20.49	35.54	29.22
13.	मध्य प्रदेश	1.95	24.37	36.90	42.14	33.87
14.	मिजोरम	—	—	—	—	—
15.	मणिपुर	1.00	1.99	0.72	0.35	—
16.	उड़ीसा	1.00	0.30	8.86	10.16	11.01
17.	पंजाब	0.60	0.10	2.66	4.33	4.33
18.	राजस्थान	1.00	2.50	10.00	15.00	9.97
19.	तमिलनाडु	9.60	1.50	29.48	31.74	40.40
20.	त्रिपुरा	0.80	0.99	1.03	0.87	0.25
21.	उत्तर प्रदेश	2.00	11.49	103.09	54.00	15.00
22.	प० बंगाल	0.28	0.50	2.98	1.50	—
23.	अंडमान निको०	0.15	—	—	—	—
24.	चंडीगढ़	0.30	1.50	0.25	—	—
25.	दिल्ली	—	4.26	2.49	3.69	3.99

1	2	3	4	5	6	7
26.	दमन एवं दीव	—	—	0.38	0.22	0.28
27.	पांडिचेरी	0.60	0.60	1.72	1.00	0.25
28.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	0.84
	कुल	56.23	67.32	332.581	296.19	264.12

अनुसूचित जातियों के लिए लड़कियों के लिए होस्टल की योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	150.00	102.75	310.31	489.68	200.85
2.	असम	7.00	—	—	9.00	9.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
4.	बिहार	72.98	25.28	40.44	—	—
5.	गुजरात	11.88	—	15.06	—	14.13
6.	हरियाणा	—	3.64	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	5.00	8.31	—	2.10	—
8.	कर्नाटक	85.94	19.24	3.09	64.39	37.50
9.	केरल	20.00	4.92	25.03	—	23.51
10.	महाराष्ट्र	16.18	—	56.43	—	—
11.	मध्य प्रदेश	207.26	134.52	0.64	—	—
12.	मणिपुर	1.25	0.98	2.32	6.54	—
13.	उड़ीसा	25.00	40.00	38.76	41.40	49.59
14.	पंजाब	1.00	—	1.00	3.30	3.00
15.	राजस्थान	3.47	—	5.05	—	12.78
16.	सिक्किम	8.56	—	—	—	—
17.	तमिलनाडु	32.47	80.88	50.55	—	100.00
18.	त्रिपुरा	4.00	—	1.68	3.59	24.00
19.	उत्तर प्रदेश	51.35	76.36	15.77	—	31.82
20.	पश्चिम बंगाल	25.11	36.13	33.87	—	58.70
21.	पांडिचेरी	20.22	—	—	—	—
	कुल	748.67	533.00	600.00	620.00	564.88

अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए लड़कों के लिए होस्टल की योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे।

(रुपए लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	270.42	32.18	181.98	--	198.90
2.	असम	7.00	—	—	—	9.00
3.	बिहार	311.96	40.78	70.77	—	—
4.	गुजरात	60.66	—	39.50	—	65.16
5.	हरियाणा	—	3.64	—	—	1.82
6.	जम्मू और कश्मीर	5.00	—	0.145	—	3.15
7.	कर्नाटक	142.05	101.10	108.68	174.25	324.45
8.	केरल	10.05	4.12	6.925	—	—
9.	महाराष्ट्र	24.35	—	68.24	—	93.83
10.	मध्य प्रदेश	—	101.84	—	—	216.30
11.	मणिपुर	1.25	2.51	2.04	—	—
12.	उड़ीसा	15.00	30.00	34.00	35.60	25.29
13.	पंजाब	1.50	2.50	2.50	2.70	2.00
14.	राजस्थान	7.58	—	2.52	—	220.01
15.	सिक्किम	8.56	—	—	—	—
16.	तमिलनाडु	40.44	60.66	43.63	17.0305	100.00
17.	त्रिपुरा	4.90	—	5.00	0.47	6.00
18.	उत्तर प्रदेश	75.83	101.10	60.66	—	66.93
19.	पश्चिम बंगाल	13.93	19.60	23.37	—	134.01
20.	पांडिचेरी	1.00	—	—	—	—
21.	चंडीगढ़	—	—	—	—	15.00
	कुल	1002.43	500.00	650.00	230.05	1482.85

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	23.68	17.88	3.00	40.25	55.41
2.	असम	0.57	0.50	0.62	—	1.93
3.	बिहार	7.50	2.00	8.57	1.70	2.96
4.	गुजरात	4.38	3.05	5.53	5.62	6.22
5.	गोवा	0.82	0.15	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1.29	1.00	1.00	—	—
7.	हरियाणा	3.24	2.92	3.56	2.74	2.52
8.	जम्मू और कश्मीर	2.00	0.50	0.50	—	—
9.	कर्नाटक	2.07	13.25	2.43	11.71	2.91
10.	केरल	1.46	3.08	6.96	2.16	15.65
11.	महाराष्ट्र	2.21	1.00	1.00	5.44	6.80
12.	मध्य प्रदेश	22.29	8.30	10.16	8.63	9.27
13.	मणिपुर	—	0.25	0.25	—	—
14.	मेघालय	0.25	0.50	0.50	—	—
15.	नागालैंड	—	—	0.60	—	—
16.	उड़ीसा	0.58	1.50	1.50	—	—
17.	पंजाब	8.26	11.77	9.99	25.59	13.92
18.	राजस्थान	15.27	16.12	22.94	4.60	—
19.	तमिलनाडु	4.00	2.00	2.00	—	—
20.	त्रिपुरा	2.96	0.90	6.39	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	17.35	26.22	21.49	22.16	17.03
22.	पश्चिम बंगाल	0.63	0.50	0.50	—	—
23.	दिल्ली	*				
24.	अरुणाचल प्रदेश	7.95	47.56	28.74	53.58	70.74
	कुल	128.76	160.95	138.23	*7.54	205.36
					191.72	

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का कौशल उन्नयन की योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	92-93	93-94	94-95	1995-96	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	—	0.97	—	—	—	—
2.	असम	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	—	—	—	—	—	—
4.	हरियाणा	1.52	2.90	2.90	2.90	3.20	48
5.	हि० प्र०	0.56	1.00	1.10	21.03	0.32	23
6.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश	—	—	—	20.95	—	—
8.	उड़ीसा	—	—	3.92	21.07	17.85	-
9.	पंजाब	—	—	—	3.75	—	—
10.	राजस्थान	4.74	4.11	5.85	8.33	—	164
11.	तमिलनाडु	—	—	—	31.82	—	—
12.	त्रिपुरा	0.54	1.57	—	0.84	0.09	9
13.	उत्तर प्रदेश	11.40	5.35	—	4.93	—	366
14.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	2.18	—	—
15.	केरल	—	—	—	—	—	—
16.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.69	1.37	—	0.71	—
17.	कर्नाटक	—	4.45	—	2.20	—	—
	कुल	18.76	22.04	15.14	100.00	22.17	610

वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	90.20	46.50	91.02	121.12	36.675
2.	अरुणाचल प्रदेश					
3.	असम					2.50
4.	बिहार	16.95	15.00	26.50		116.00

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा			0.05		0.25
6.	गुजरात	33.21	78.335	92.745	112.11	268.045
7.	हरियाणा	1.85	6.05	5.215	4.818	4.716
8.	हिमाचल प्रदेश	1.30	1.04	1.00	1.00	1.50
9.	जम्म व कश्मीर					
10.	कर्नाटक	149.63	22.352	148.87	139.815	158.515
11.	केरल	1.625	7.685	19.99	25.074	35.368
12.	मध्य प्रदेश	89.445	101.00	16.75	204.52	194.62
13.	महाराष्ट्र	1.54	35.247	96.147	10.52	124.36
14.	मणिपुर					
15.	मेघालय					
16.	मिजोरम				4.20	
17.	नागालैंड					
18.	उड़ीसा	3.65	3.00	2.00	2.00	5.00
19.	पंजाब	9.375	12.00	13.40	33.50	20.45
20.	राजस्थान	14.00	49.03	51.00	39.88	57.50
21.	सिक्किम					
22.	तमिलनाडु	43.69	90.605	69.365	70.34	82.54
23.	त्रिपुरा					
24.	उत्तर प्रदेश	128.08	66.00	49.598	178.513	399.431
25.	पश्चिम बंगाल	15.455	4.41	4.40	5.15	
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह					
2.	चंडीगढ़					
3.	दादर व नगर हवेली			5.00	8.22	14.92
4.	दिल्ली					
5.	दमन व दीव					0.10
6.	लक्षद्वीप					
7.	पांडिचेरी	9.41	11.746	13.14	13.93	14.35
	कुल	609.41	550.00	706.19	974.71	1536.84

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों (1991-92 से 1995-96 तक) के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को निर्मुक्त अनुदान के परिमाण का ब्यौरा

(रु॰ लाख में)

		विशेष संघटक योजना को निर्मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता				
क्र॰ सं॰	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	2217.72425	1937.61	2416.06	3255.36	3245.41
2.	असम	190.83483	189.44	220.51	273.34	22.65
3.	बिहार	2197.37940	2096.54	2327.11	—	—
4.	गुजरात	666.64363	908.53	796.82	956.68	278.90
5.	गोवा	2.60924	2.64	2.86	3.95	2.09
6.	हरियाणा	537.60287	398.20	424.53	538.05	623.00
7.	हि॰ प्र॰	203.07126	502.69	699.54	195.72	193.63
8.	जम्मू और कश्मीर	79.82053	66.79	76.33	100.00	83.77
9.	केरल	381.89985	502.74	402.84	508.81	492.73
10.	कर्नाटक	1485.71552	1310.06	1282.71	1873.76	2350.09
11.	म॰ प्र॰	1705.34466	1839.09	2803.81	2097.57	2425.33
12.	महाराष्ट्र	1316.13422	1698.92	1562.79	1575.89	1745.47
13.	मणिपुर	5.46924	7.42	5.56	6.09	5.90
14.	उड़ीसा	1021.78487	1323.38	1075.66	1332.84	1311.82
15.	पंजाब	625.94256	625.32	875.92	1626.72	571.68
16.	राजस्थान	1150.43683	1162.90	1829.89	886.37	1828.26
17.	सिक्किम	2.85924	3.21	3.06	4.22	3.57
18.	त्रिपुरा	42.81696	57.38	58.85	100.97	72.26
19.	तमिलनाडु	1778.85250	1911.34	1879.11	2655.66	2803.55
20.	उ॰ प्र॰	4844.77202	5495.07	5933.29	6297.51	5839.03
21.	प॰ बं॰	2382.01552	2669.54	2322.75	2813.37	2955.22
22.	चंडीगढ़	9.23000	9.44	12.39	17.40	14.86
23.	दिल्ली	134.36000	148.60	184.76	244.42	231.16
24.	पांडिचेरी	12.90000	13.15	14.81	19.31	19.62
	कुल	22896.22000	24880.00	27211.96	27385.00	27500.00

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी विकास के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का विवरण

(रु॰ लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस॰सी॰ए॰	अनुच्छेद 275 (1)	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	अनुसंधान और प्रशिक्षण	तिलहन व तेल	गैर-सरकारी संगठन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आ॰ प्र॰	1529.34	117.99	31.305	49.00	—	5.00	50.00	3.01
2.	अ॰ प्र॰	—	—	—	28.175	—	—	—	33.41
3.	असम	1077.61	81.21	16.00	16.00	—	16.05	—	27.06
4.	बिहार	3211.19	215.85	68.82	—	—	9.25	—	10.80
5.	गुजरात	1870.90	180.12	30.13	17.16	—	2.25	—	0.48
6.	हि॰ प्र॰	421.71	7.32	—	—	—	0.22	—	—
7.	जे॰ एंड के॰	245.90	6.84	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	253.24	67.80	6.125	—	—	—	—	0.15
9.	केरल	133.27	9.69	1.00	23.58	38.38	12.00	—	15.12
10.	म॰ प्र॰	6835.01	445.24	—	35.00	—	13.20	26.20	0.98
11.	महाराष्ट्र	1825.21	214.38	32.50	39.75	190.00	5.80	—	17.74
12.	मणिपुर	388.40	14.40	7.82	1.37	—	10.00	—	21.57
13.	मेघालय	—	39.96	—	—	—	—	—	31.27
14.	मिजोरम	—	17.16	6.125	6.125	—	—	—	—
15.	नागालैंड	—	24.18	—	—	—	—	—	1.31
16.	नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	47.60
17.	उड़ीसा	3298.65	219.70	37.427	10.98	20.00	3.51	40.30	4.29
18.	राजस्थान	1679.23	155.37	36.75	—	—	5.24	—	9.45
19.	सिक्किम	60.93	2.70	—	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु	281.77	19.32	12.25	7.58	—	11.54	—	3.63
21.	त्रिपुरा	430.35	21.69	4.96	15.00	8.00	0.14	—	—
22.	उ॰ प्रदेश	58.40	8.64	—	—	—	5.22	—	1.22
23.	प॰ बंगाल	1271.66	114.06	14.03	14.94	—	5.48	33.00	20.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	99.00	—	—	—	—	—	—	—
2.	दादर व नगर हवेली	—	—	4.48	11.41	—	—	—	—
3.	लक्षद्वीप	—	—	—	22.05	—	—	—	—
4.	दमन व दीव	11.00	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	24982.85	2000.00	305.722	298.12	256.38	105.00	150.00	250.00

राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों के अनुसार दी गई अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता उपर्युक्त निर्मुक्ति में शामिल है।

आदिवासी विकास प्रभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण

(रु॰ लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	तिलहन और तेल	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसंधान और प्रशिक्षण	गैर-सरकारी संगटन	एस॰टी॰डी॰ सी॰सी॰	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आ॰ प्र॰	1529.34	233.22			35.00	33.48	14.78	4.81	2.96	10.00	1863.59
2.	अ॰ प्र॰		32.40							57.89	.	9029
3.	असम	1077.61	160.80	16.38	16.00				10.70	20.75		1302.24
4.	बिहार	3175.25	427.20				17.39		9.82	23.30	50.00	3702.96
5.	गुजरात	1855.84	356.40	18.21	23.00	25.00		26.10	2.19	2.77		2309.51
6.	हि॰ प्र॰	403.39	14.40						0.31			418.10
7.	जे॰ एंड के॰	296.14	56.40									352.54
8.	कर्नाटक	327.42	133.98							10.39		471.79
9.	केरल	207.23	19.20	21.42	15.87	39.73			8.00	18.57		330.02
10.	म॰ प्र॰	6785.01	880.80	83.07	63.74		26.52		28.28	7.89	51.00	7026.31
11.	महाराष्ट्र	1815.21	423.96						11.87	35.48	24.00	2310.52
2.	मणिपुर	383.41	28.38						6.60	18.65		437.04
3.	मेघालय		79.20							34.52		113.72
4.	मिजोरम		34.02					14.78				48.80
ı5.	नागालैंड		48.00							2.09		50.09
16.	नई दिल्ली									44.39		44.39
17.	उड़ीसा	3378.03	434.78	35.58	30.00	42.00	33.04		3.22	22.82		3979.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	राजस्थान	1679.46	307.64	24.50	10.11				4.58	10.91	30.00	2067.20
19.	सिक्किम	60.93	5.22									66.15
20.	तमिलनाडु	270.72	38.40	6.12	6.74	24.69		1478	9.44	9.11		380.00
21.	त्रिपुरा	414.94	42.78	8.00	18.38	10.00			0.69	7.19		501.98
22.	उ॰ प्र॰	58.40	17.22	6.12	15.16	23.58			3.46	1.94		125.88
23.	प॰ बं॰	1171.67	225.60	30.60	24.26		39.57	29.56	1.03	23.38	35.00	1580.67
सं॰ रा॰ क्षेत्र												
1.	दादर व नगर हवेली				43.74							43.74
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप	86.13										86.13
3.	दमन व दीव	23.87										23.87
	कुल	25000.00	4000.00	250.00	267.00	200.00	150.00	100.00	105.00	355.00	200.00	30627.00

आदिवासी विकास प्रभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण

(रू॰ लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275 (1)	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षणिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसंधान और प्रशिक्षण	गैर-सरकारी संगठन	एस॰टी॰डी॰ सी॰सी॰	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आ॰ प्र॰	1593.22	437.25	53.11	30.74	34.50	5.28		5.66	10.74	25.00	2195.50
2.	अ॰ प्र॰		60.75						0.57	71.89		133.21
3.	असम	1087.57	301.50						12.10	20.65		1421.82
4.	बिहार	3497.39	801.00						12.71	31.64		4342.74
5.	गुजरात	2234.77	668.25	19.51	39.23		25.32	3.46	0.55	4.33		2995.42
6.	हि॰ प्र॰	755.03	27.00						0.27			782.30
7.	जे॰ एंड के॰	518.60	105.75		5.97							630.32
8.	कर्नाटक	439.76	251.25						0.27	19.44		710.72
9.	केरल	167.25	36.00	20.00	20.00	47.10	4.93	14.53	7.85	19.70	41.00	378.36
10.	म॰ प्र॰	8117.65	1651.50	27.03	39.28		35.20	44.34	23.35	15.86	60.00	10014.21
11.	महाराष्ट्र	2234.35	795.00			69.42	6.33		23.75	42.63	53.00	3224.48
12.	मणिपुर	417.12	53.25	10.11	10.11				3.50	1.05	10.00	505.14
13.	मेघालय		148.50	9.80	9.80					52.34	15.00	235.44
14.	मिजोरम		63.75									63.75
15.	नागालैंड		90.00							1.08		91.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	नई दिल्ली									29.80		29.80
17.	उड़ीसा	3603.23	815.25	77.24	29.40	16.20	31.75	70.03	3.73	43.38	50.00	4740.21
18.	राजस्थान	2664.68	576.75	12.25	36.75		16.19	44.34	5.57	10.49	61.40	3428.42
19.	सिक्किम	73.67	9.75									83.42
20.	तमिलनाडु	214.05	72.00			34.65		4.73	7.39	12.20		345.02
21.	त्रिपुरा	372.37	80.25	7.31	18.38	10.00			6.30		35.00	530.11
22.	उ. प्र.	69.22	32.25	3.65	3.65	40.68			4.98	1.28		155.71
23.	प. बंगाल	1319.06	423.00	23.74	26.40			8.57	0.93	14.74		1816.44
संघ राज्य क्षेत्र												
1.	दादर व नगर हवेली											
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	77.22										77.22
3.	दमन व दीव	28.29										28.29
	कुल	29484.60	7600.00	263.75	269.71	252.55	125.00	190.00	119.98	403.24	350.40	38959.13

आदिवासी विकास प्रभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275 (1)	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षणिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसंधान और प्रशिक्षण	गैर-सरकारी संगठन	एस.टी.डी. सी.सी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आ. प्र.	1947.10	460.50	50.00	58.47	66.80	2.01		16.98	9.18		2611.04
2.	अ. प्र.		60.00							83.40		143.40
3.	असम	1112.67	315.00		16.00				12.55	25.94		1482.16
4.	बिहार	1748.70	725.25				4.85	44.34	10.63	34.99		2568.76
5.	गुजरात	2491.56	675.00	4.73	6.44		24.25	21.60	6.16	2.36	30.00	3262.10
6.	हि. प्र.	450.57	24.00						0.21			474.78
7.	जे. एंड के.	550.63	95.25		86.02							731.90
8.	कर्नाटक	409.03	210.00			67.50			0.63	22.16		709.32
9.	केरल	126.30	35.25	20.00	20.00				10.00	28.11	36.00	275.66
10.	म. प्र.	7535.72	1687.50	115.83	16.90		52.30		13.09	3.91	124.00	9549.25
11.	महाराष्ट्र	2196.34	801.75			1.76		54.12	24.30	56.97	30.00	3165.24
12.	मणिपुर	432.81	69.00						2.00	3.98	10.00	517.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	मेघालय		166.50	11.00	11.00					48.63	15.00	252.13
14.	मिजोरम		72.00									72.00
15.	नागालैंड		116.25							64.36		180.61
16.	नई दिल्ली											0.00
17.	उड़ीसा	3956.55	771.00	44.00	36.00	60.00	64.99	88.68	8.59	52.87	75.00	5157.68
18.	राजस्थान	2202.79	600.00			24.50	48.19		6.14	11.37	30.00	2922.99
19.	सिक्किम	7510	9.75									84.85
20.	तमिलनाडु	256.88	63.00					10.05	7.12	12.89		349.94
21.	त्रिपुरा	480.1	93.75	19.44	29.17	19.44			10.41	4.22		656.44
22.	उ. प्र.	70.41	31.50							3.25		105.16
23.	प. बंगाल	1335.83	417.75					6.22	1.19	27.62		1788.61
संघ राज्य क्षेत्र												
1.	दादर व नगर हवेली			37.00								37.00
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	85.50										85.50
3.	दमन व दीव	35.50		3.00	26.82	10.00		13.18				88.50
	कुल	27500.00	7500.00	305.00	306.82	250.00	196.59	238.19	130.00	496.21	350.00	37272.81

आदिवासी विकास प्रभागों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण

(31.3.1996 तक)

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275 (1)	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षणिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसंधान और प्रशिक्षण	गैर-सरकारी संगठन	एस.टी.डी.सी.सी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आ. प्र.	2140.32	460.50	91.00	92.63	72.17	2.49	64.34	25.54	27.01	90.00	3066.00
2.	अ. प्र.	–	60.00	–	–	–	–	–	–	84.50	–	144.50
3.	असम	1545.19	315.00	3.03	–	–	–	64.90	17.77	15.10	–	1960.99
4.	बिहार	274.22	725.25	–	–	–	1.82	–	14.73	35.30	50.00	1101.32
5.	गुजरात	3060.26	675.00	–	–	–	22.51	52.31	0.14	1.08	–	3811.30
6.	हि. प्र.	541.62	24.00	6.50	–	–	–	–	0.28	–	–	572.40
7.	जे. एंड के.	756.64	95.25	24.05	12.70	–	–	–	–	10.82	–	899.46
8.	कर्नाटक	659.99	210.00	–	–	–	–	–	–	15.80	–	885.79
9.	केरल	181.20	35.25	–	–	–	2.75	–	11.25	29.42	57.00	316.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	म॰ प्र॰	9579.66	1687.50	—	—	99.45	30.44	44.34	22.21	12.54	57.00	11533.14
11.	महाराष्ट्र	2930.82	801.75	—	—	—	0.68	—	—	40.73	75.00	3848.98
12.	मणिपुर	574.53	69.00	—	—	—	—	—	0.49	3.06	8.00	655.08
13.	मेघालय	—	166.50	13.75	13.75	—	—	—	—	68.91	—	262.91
14.	मिजोरम	—	72.00	—	—	—	—	—	—	—	—	72.00
15.	नागालैंड	—	116.25	—	—	—	—	—	—	1.96	—	118.21
16.	नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	36.76	—	36.76
17.	उड़ीसा	4958.10	771.00	65.93	46.62	70.00	68.67	—	12.90	70.64	—	6063.86
18.	राजस्थान	2819.04	600.00	66.74	—	—	20.64	—	7.93	10.79	—	3525.14
19.	सिक्किम	100.19	9.75	—	—	—	—	—	—	—	—	109.94
20.	तमिलनाडु	274.44	63.00	—	—	—	—	—	16.54	17.81	—	371.79
21.	त्रिपुरा	564.97	93.75	19.44	38.38	38.38	—	59.12	8.27	1.46	63.00	886.77
22.	उ॰ प्र॰	104.08	31.50	—	—	—	—	—	1.12	6.19	—	142.89
23.	प॰ बंगाल	1763.21	417.75	19.57	115.92	—	—	—	10.83	40.12	—	2367.40
संघ राज्य क्षेत्र												
1.	दादर व नगर हवेली	—	—	40.00	45.00	—	—	—	—	—	—	85.00
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	112.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.21
3.	दमन व दीव	59.31		20.00	—	—	—	—	—	—	—	79.31
	कुल	33000.00	7500.00	370.00	365.00	280.00	150.00	285.00	150.00	530.00	400.00	43030.01

वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक नशीली दवा दुरुपयोग निवारण और रोकथाम की योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों-राज्यवार को सहायता अनुदान के माध्यम से व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु॰ लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	1.87	1.13	1.14	7.34	10.5
2.	आ॰ प्र॰	2.70	6.58	6.60	15.07	14.8
3.	बिहार	32.31	42.20	81.50	122.60	103.56
4.	गोवा	6.57	1.37	4.91	10.51	6.41
5.	गुजरात	29.30	23.09	45.95	43.75	33.55
6.	हरियाणा	45.70	30.44	48.98	92.87	46.69
7.	जम्मू व कश्मीर	5.40	2.72	3.39	9.38	6.13

1	2	3	4	5	6	7
8.	कर्नाटक	4.80	7.12	18.40	19.33	19.66
9.	केरल	22.30	23.93	63.83	82.88	83.56
10.	मध्य प्रदेश	30.72	15.62	14.39	31.63	21.67
11.	महाराष्ट्र	26.86	30.61	47.85	63.88	55.69
12.	मणिपुर	38.69	49.63	94.14	127.36	86.72
13.	मेघालय	2.49	1.13	Nil	2.00	3.37
14.	मिजोरम	18.04	15.84	29.60	43.83	29.64
15.	नागालैंड	15.53	16.99	8.20	26.62	13.38
16.	उड़ीसा	16.67	24.77	50.46	52.36	60.20
17.	पंजाब	4.49	30.48	39.37	43.17	37.98
18.	राजस्थान	46.98	52.96	72.30	70.95	45.26
19.	सिक्किम	0.47	0.71	1.53	4.52	0.56
20.	तमिलनाडु	27.53	24.17	35.90	69.37	90.70
21.	त्रिपुरा	4.24	8.18	1.27	7.10	1.90
22.	उत्तर प्रदेश	43.09	101.78	122.13	153.73	133.76
23.	प० बंगाल	44.38	30.03	69.99	116.68	80.90
संघ राज्य क्षेत्र						
24.	चंडीगढ़	0.58	3.11	5.20	9.31	8.37
25.	दिल्ली	61.51	80.43	65.15	108.81	105.89
26.	पांडिचेरी	2.21	1.23	1.19	2.43	2.52

वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को संगठनात्मक सहायता की योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों-राज्यवार के माध्यम से व्यय की गई राशि को दर्शानेवाला विवरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.96	0.50	2.50	3.00	1.00
2.	असम	1.44	—	—	1.50	—
3.	बिहार	0.50	—	—	—	—
4.	गुजरात	5.39	1.70	5.00	3.89	3.93

1	2	3	4	5	6	7
5.	हरियाणा	0.50	—	—	0.96	1.00
6.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	0.02
7.	कर्नाटक	0.59	0.50	0.75	1.41	0.50
8.	केरल	2.85	0.65	3.60	3.75	3.00
9.	मध्य प्रदेश	1.50	—	0.78	1.28	1.14
10.	महाराष्ट्र	4.61	1.00	3.70	4.25	2.00
11.	मणिपुर	0.48	—	—	—	0.50
12.	उड़ीसा	1.38	—	1.43	2.64	2.00
13.	पंजाब	0.50	—	—	—	—
14.	राजस्थान	3.72	1.31	2.59	2.37	1.40
15.	तमिलनाडु	0.79	—	1.50	0.25	0.25
16.	उत्तर प्रदेश	0.50	—	—	0.39	—
17.	पश्चिम बंगाल	4.41	2.45	7.26	5.08	5.24
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	दिल्ली	4.05	1.67	3.52	3.07	4.50

वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना के लिए निर्मुक्त (राज्यवार) अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	***	***	0.62	22.17	21.08
2.	असम	***	***	—	3.08	3.46
3.	गुजरात	***	***	8.05	22.92	25.04
4.	कर्नाटक	***	***	6.44	22.09	17.06
5.	केरल	***	***	—	1.85	3.37
6.	मध्य प्रदेश	***	***	—	9.23	16.38
7.	महाराष्ट्र	***	***	17.11	44.42	20.09
8.	मणिपुर	***	***	—	5.54	3.70
9.	मिजोरम	***	***	—	1.23	—

1	2	3	4	5	6	7
10.	उड़ीसा	***	***	—	1.23	6.76
11.	राजस्थान	***	***	—	2.47	6.78
12.	तमिलनाडु	***	***	20.65	42.37	19.04
13.	उत्तर प्रदेश	***	***	12.33	22.65	14.80
14.	प॰ बंगाल	***	***	27.72	76.96	91.96
15.	दिल्ली	***	***	18.22	23.53	34.96
	कुल	***	***	111.14	301.74	284.48

*** यह योजना वर्ष 1993-94 के दौरान आरंभ हुई।

वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक वयोवृद्धों के कल्याण की योजना के लिए निर्मुक्त (राज्य वार) अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु॰ लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5.73	26.50	60.84	145.52	180.26
2.	असम	—	0.75	2.10	2.35	2.79
3.	बिहार	0.20	0.36	4.50	3.35	4.47
4.	गुजरात	—	—	0.97	3.35	1.74
5.	हरियाणा	2.03	3.60	5.37	10.76	13.25
6.	हिमाचल प्रदेश	—	0.15	0.37	1.25	1.67
7.	कर्नाटक	—	2.53	3.08	11.00	20.08
8.	केरल	0.47	0.23	—	4.77	4.63
9.	महाराष्ट्र	4.40	2.69	4.17	7.17	7.21
10.	मध्य प्रदेश	0.84	4.34	1.44	9.71	10.71
11.	मणिपुर	2.04	5.85	22.73	17.45	26.72
12.	उड़ीसा	8.38	21.25	41.10	63.84	69.94
13.	पंजाब	—	0.13	0.73	0.60	1.51
14.	राजस्थान	2.61	2.45	2.17	4.56	—
15.	तमिलनाडु	6.93	13.45	43.04	57.34	84.09
16.	त्रिपुरा	2.29	5.86	7.27	16.31	22.39
17.	उ॰ प्रदेश	0.59	5.94	49.61	79.82	90.72

	2	3	4	5	6	7
18.	प॰ बंगाल	14.61	32.52	51.95	82.91	93.29
19.	दिल्ली	12.74	13.32	4.37	5.75	5.72
20.	पांडिचेरी	—	1.95	—	0.62	6.86
	कुल	63.86	148.87	305.62	528.50	637.05

वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक किशोर सामाजिक कुसमंजन का निवारण तथा नियंत्रण की योजना के लिए निर्मुक्त (राज्यवार) अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु॰ लाखों में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8.36	12.59	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	7.90	—	—	—
3.	असम	0.31	0.47	10.47	10.00	1.63
4.	बिहार	6.75	10.16	—	—	—
5.	गोवा	0.54	23.81	27.99	—	0.81
6.	गुजरात	39.87	40.63	—	7.93	—
7.	हरियाणा	0.54	1.32	1.32	4.83	—
8.	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.07	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	80.29	52.35	—	—	—
11.	केरल	28.39	5.48	—	28.18	8.49
12.	म॰ प्रदेश	32.99	86.98	—	100.71	—
13.	महाराष्ट्र	69.51	104.75	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	0.98	1.96	1.02	2.78	2.81
16.	मिजोरम	0.25	1.99	0.48	26.68	2.87
17.	नागालैंड	—	3.39	1.41	3.89	2.59
18.	उड़ीसा	17.58	1.80	0.55	1.61	—
19.	पंजाब	30.38	9.31	23.58	15.65	3.20
20.	राजस्थान	4.65	4.65	1.97	2.23	—

1	2	3	4	5	6	7
21.	सिक्किम	—	1.71	0.21	—	—
22.	तमिलनाडु	55.05	52.70	—	—	0.77
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	10.60	60.02	—	45.15	—
25.	प. बंगाल	47.55	54.23	41.61	50.38	46.76
26.	पांडिचेरी	0.50	0.76	—	—	—
	कुल	446.67	539.00	110.61	300.02	69.93

वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक भिक्षावृत्ति निवारण की योजना के लिए निर्मुक्त (राज्यवार) अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	***	—	—	3.00	9.00
2.	दिल्ली	***	4.46	0.53	10.26	0.13
3.	गुजरात	***	8.68	—	—	—
4.	कर्नाटक	***	3.52	—	35.20	—
5.	मध्य प्रदेश	***	—	3.52	—	—
6.	महाराष्ट्र	***	—	—	4.55	13.05
7.	प. बंगाल	***	3.34	3.14	1.97	—
8.	तमिलनाडु	***	—	16.05	—	—
	कुल	***	20.00	23.24	54.98	22.18

***यह योजना वर्ष 1993-94 के दौरान आरंभ हुई।

वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक समाज रक्षा सेवाएं प्रदान कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के लिए निर्मुक्त (राज्यवार) अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	***	1.80	2.53	11.77	23.11
2.	प. बंगाल	***	0.33	0.72	3.20	7.42
3.	दिल्ली	***	6.72	6.33	6.33	6.33
	कुल	***	8.13	9.58	21.30	36.86

*** पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान शिशु गृह योजना तथा बी सी ए अनुदान सामान्य सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत खर्च की गई अनुदान की राशि को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	अन्त:देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृह योजना	दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बी॰ जी॰ ए॰ (सामान्य सहायता अनुदान)
1991-92	—	342. लाख
1992-93	6.52 लाख रुपये	3.40 लाख
1993-94	39.80 लाख रुपये	6.86 लाख
1994-95	51.34 लाख रुपये	5.93 लाख
1995-96	63.51 लाख रुपये	4.39 लाख

पिछले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

	उसके शुरू होने से योजना वार अनुदान						(रु॰ लाख में)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना (आरंभ होने से)				एन एम एफ सी		बहु क्षेत्रीय योजना विकास
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1994-95	1995-96	1995-96
आंध्र प्रदेश		7.06	14.00	20.20		98.00	2.00
असम			3.34				
बिहार			15.01	15.09			
गुजरात		3.02	5.46				1.00
हरियाणा						93.44	1.00
जम्मू और कश्मीर		2.23	2.34			77.13	
कर्नाटक			2.34	2.10	253.43	23.65	3.00
केरल		8.18	5.99		327.14		5.00
मध्य प्रदेश		4.32	7.85	5.01		136.29	1.00
महाराष्ट्र		1.35	9.52	9.30	582.95		2.00
मणिपुर			1.50	1.41			
उड़ीसा				5.55			
पंजाब						91.69	
राजस्थान		4.25	3.33	2.70			1.00
तमिलनाडु	1.10	3.20	3.41	6.57	464.00		
उत्तर प्रदेश	0.75	6.52	34.84	35.60	1376.40	93.18	13.00
प॰ बंगाल							9.00
दिल्ली	2.82	9.82	41.22	34.35		-	

कल्याण मंत्रालय

एच० डब्ल्यू-I अनुभाग

सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांगों को सहायता की योजना के अंतर्गत कार्यान्वियन एजेंसियों को स्वीकृत सहायता अनुदान

क्र० सं०	राज्य का नाम	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8.50	8.04	8.43	66.91	13.82
2.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2.00	—	1.00
3.	बिहार	13.51	14.36	44.00	19.00	29.45
4.	गुजरात	17.00	21.80	26.00	56.94	44.85
5.	हरियाणा	5.75	6.50	8.00	8.00	10.00
6.	कर्नाटक	6.00	3.75	21.00	63.25	—
7.	केरल	1.00	—	0.37	4.73	3.00
8.	मणिपुर	1.00	1.25	—	—	—
9.	मध्य प्रदेश	10.20	10.25	5.25	19.25	23.63
10.	महाराष्ट्र	23.00	23.75	29.46	56.75	14.78
11.	उड़ीसा	12.00	15.36	78.00	50.60	13.38
12.	पंजाब	1.00	1.25	0.62	—	41.34
13.	राजस्थान	51.50	61.70	127.12	222.00	136.00
14.	तमिलनाडु	18.50	23.72	31.12	93.52	40.40
15.	उत्तर प्रदेश	437.50	442.50	451.75	693.67	537.00
16.	पश्चिम बंगाल	36.30	12.70	47.50	65.97	96.21
17.	चंडीगढ़	15.25	25.35	32.85	40.40	—
18.	गोवा	0.30	0.50	0.36	0.70	0.35
19.	दिल्ली	41.25	25.80	87.91	55.81	61.72
				10,01.74	15,17.50	10,66.93
लाभार्थियों की सं०		40000	45000	57000	85000	70000
सहायता प्रदान किए गए संगठनों की संख्या		59	61	65	77	78

विकलांगों के लिए योजनाएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		निर्मुक्त राशि (रु० लाख में) 1991-92	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में) 1992-93	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में) 1993-94	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में) 1994-95	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में) 1995-96
1		2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	71.27	133.12	99.40	279.08	432.27
2.	असम	1.72	1.11	0.51	5.81	3.76
3.	बिहार	24.89	45.65	27.50	49.79	60.72
4.	गोवा	5.24	5.08	4.84	6.65	7.47
5.	गुजरात	34.00	19.20	22.42	32.74	28.49
6.	हरियाणा	7.47	10.19	—	15.87	14.96
7.	हिमाचल प्रदेश	2.90	11.75	—	26.28	15.36
8.	जम्मू और कश्मीर	3.17	5.00	3.48	4.45	3.08
9.	कर्नाटक	57.80	124.09	114.25	207.43	216.68
10.	केरल	47.25	69.21	59.71	138.95	158.33
11.	मध्य प्रदेश	9.01	5.95	15.54	8.71	1.87
12.	महाराष्ट्र	—	8.37	79.66	106.40	80.61
13.	मेघालय	60.90	112.12	2.98	4.98	4.25
14.	मिजोरम	5.22	3.24	—	2.16	3.04
15.	पंजाब	—	0.49	—	13.89	13.91
16.	उड़ीसा	13.17	13.05	10.64	31.71	37.97
17.	राजस्थान	2.06	12.29	22.74	36.47	38.05
18.	तमिलनाडु	17.59	18.16	70.73	146.20	99.59
19.	उ० प्र०	30.87	53.28	152.87	237.17	639.17
20.	प० बंगाल	82.98	122.00	273.24	166.34	174.54
21.	त्रिपुरा	80.72	95.34	3.11	7.75	1.79
22.	चंडीगढ़	1.57	0.79	1.16	0.90	2.38
23.	दिल्ली	1.84	1.12	107.29	159.45	149.74
24.	पांडिचेरी	71.70	88.96	—	2.50	—
25.	मणिपुर	0.78	—	8.30	17.61	17.98

[हिन्दी]

राजीव पर्यावरण परियोजना

3703. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव पर्यावरण परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य से चुने गए जिलों के नाम क्या हैं और इसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) राजीव पर्यावरण परियोजना में जिस बात पर जोर दिया गया है वह यह है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की चल रही सभी योजनाओं तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वित और गहन तरीके से क्रियान्वयन किया जाए ताकि पांच वर्ष की समयावधि में उनका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देने लगे। इस परियोजना के अंतर्गत चयनित जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी हैं। परियोजना के तहत पृथक से धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

पर्यावरण और पारि-विकास कार्यक्रम के लिए चयनित 50 जिलों की राज्यवार सूची

क्र॰ सं॰	राज्य	जिले	जिले का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	पूर्वी गोदावरी, चिंतुर, तथा विशाखापटनम्
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	डिबांग वैली
3.	असम	1	उत्तरी कचार
4.	बिहार	3	सिंहभूम, धनबाद तथा हजारी बाग
5.	गुजरात	3	जूनागढ़, पंचमहल तथा बलसाद
6.	गोवा	1	उत्तरी गोवा
7.	हरियाणा	1	अम्बाला
8.	हिमाचल प्रदेश	3	कांगड़ा, चम्बा, तथा कुल्लू
9.	जम्मू और कश्मीर	1	ऊधमपुर
10.	कर्नाटक	3	बेल्लैरी, कोलार, तथा हसन
11.	केरल	2	पालघाट, मालापुरम
12.	मध्य प्रदेश	4	जबलपुर, शाहदोल, छिंदवाड़ा, झबुआ
13.	महाराष्ट्र	2	जलगांव तथा यवतमाल
14.	मेघालय	1	पश्चिम खासी पहाड़ियां
15.	मिजोरम	1	ऐजवाल
16.	मणिपुर	1	इम्फाल
17.	नागालैंड	1	कोहिमा

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	2	गंजम तथा कालाहण्डी
19.	पंजाब	1	गुरूदासपुर
20.	राजस्थान	4	डूंगरपुर, जोधपुर, उदयपुर, तथा झालावाड़
21.	सिक्किम	1	उत्तरी सिक्किम
22.	तमिलनाडु	3	मदुरै, उ० आरकोट तथा नीलगिरि
23.	त्रिपुरा	1	उ० जिला
24.	उत्तर प्रदेश	4	अल्मोड़ा, झांसी, मिर्जापुर तथा रायबरेली
25.	पश्चिम बंगाल	2	पुरूलिया तथा बांकुरा
		50	

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाएं

3704. **श्री डी॰ पी॰ यादव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों की निगरानी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1996-97 में इन कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(च) वर्ष 1997-98 के लिए कितनी राशि मंजूर किए जानी की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :

(1) आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना, 24000/- रुपए प्रति वर्ष की आय सीमा वाले अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह के लिए वर्ष 1992-93 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना सितम्बर, 1994 में 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ की गई जिसमें से केन्द्र सरकार का शेयर 125 करोड़ रुपए है। यह निगम अल्पसंख्यकों में से उन पिछड़े वर्गों को रियायती ब्याज दरों पर स्वरोजगार के अवसर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा से दोगुना नीचे है, जो वर्तमान दर पर 22,000/- रुपए प्रति वर्ष है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम पूरे देश में अपनी योजनाएं राज्य माध्यम एजेंसी के द्वारा कार्यान्वित करता है।

(3) बहु-क्षेत्रीय विकास की योजनाओं की यह स्कीम पूरे देश में स्थित 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में महिलाओं सहित अल्पसंख्यकों द्वारा स्पष्ट रूप से किए जा रहे आर्थिक कार्यकलापों की पहचान के उद्देश्य से ऐसी कार्यकलापों को चलाने के लिए अपेक्षित ऋण, प्रौद्योगिकीय, प्रशिक्षण और विपणन समर्थन के लिए अपेक्षाओं के मूल्यांकन से तथा उन उपायों के लिए जिनके द्वारा इनका प्रबंध किया जा सकता है, के उद्देश्य से वर्ष 1995-96 के दौरान शुरू की गई।

(4) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम : इस योजना को वर्ष 1993-94 में शैक्षिक रूप से उन पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जहां प्रारंभिक शिक्षा के लिए समुचित प्रावधान नहीं है आधारभूत शैक्षिक तथा अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी। आठवीं योजना अवधि में 16.27 करोड़ रुपए के आबंटन में से इस योजना के अंतर्गत 8.97 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

(5) मदरसें तथा मकतबों का आधुनिकीकरण : यह योजना अतिरिक्त विषयों जैसे कि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि के अतिरिक्त विषयों को शुरू करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करके मदरसें के छात्रों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करने के लिए है। आठवीं योजना में 1.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में इस स्कीम में 1.72 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया।

(ग) तथा (घ) जी हां। इन योजनाओं की मानीटरिंग राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

(ङ) और (च) :

(रू० लाख में)

	योजना का नाम	वर्ष 1996-97 के व्यय की गई राशि	1997-98 के दौरान स्वीकृत राशि
1.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व-कोचिंग	1.62	राज्य वार मंजूरी नहीं है। तथापि, वर्ष 1997-98 के लिए 250.00 करोड़ रू० स्वीकृत किए गए हैं
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम	2297.10	राज्य वार मंजूरी नहीं है। तथापि, वर्ष 1997-98 के लिए 1800 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
3.	बहु-क्षेत्रीय विकास योजना	15.60	राज्य-वार मंजूरी नहीं है। तथापि, इस योजना के लिए वर्ष के दौरान 628 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
4.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम	38.66	राज्य-वार मंजूरी नहीं है। तथापि, वर्ष 1997-97 के लिए 1000 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
5.	मदरसें तथा मकतबों का आधुनिकीकरण	9.42	राज्य-वार मंजूरी नहीं है। तथापि, वर्ष 1997-98 के लिए 700 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

सहकारिता आंदोलन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3705. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में सहकारिता आंदोलन को सहायता पहुंचाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सिक्किम में ऐसी कितनी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) राज्य को पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष योजनावार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सहकारिता आंदोलन की सहायता के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं का ब्यौरा दशनि वाला विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं को सिक्किम में लागू किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता की मांग की जाए।

(ग) आई० सी० डी० पी० योजना के तहत, वर्ष 1991-92 के दौरान 3.30 लाख रुपये तथा वर्ष 1993-94 के दौरान 82.36 लाख रुपए मुहैया कराये गये।

विवरण

संलग्नक :

1. गैर अतिदेय कवर करने वाली योजना
2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजना
3. भूमि विकास बैंकों के ऋण-पत्रों में निवेश
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
5. वृहत फसल बीमा योजना
6. महिला सरकारी समितियों को सहायता
7. कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समितियों को सहायता
8. चुने हुए जिलों में समेकित सहकारी विकास
9. विपणन प्रसंस्करण भंडारण के लिए सहकारी समितियां तथा अल्प-विकसित राज्यों में सप्लाई
10. सहकारी उत्पादकों की कताई मिलों की अंशपूंजी भागीदारी
11. सहकारी चीनी मिलों में अंशपूंजी भागीदारी।

ध्वनि प्रदूषण

3706. श्री के० पी० सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन शहरों और कस्बों का पता लगाया है जहां ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां कितना ध्वनि प्रदूषण है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई औपचारिक अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन शहरों और कस्बों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) यह देखा गया है कि भारत के बड़े शहरों में शोर के स्तर में वृद्धि हा रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 18 प्रमुख शहरों में शोर प्रदूषण का सर्वेक्षण किया है। ये शहर हैं-अहमदाबाद, औरंगाबाद, बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मंगलौर, मुंबई, बड़ोदरा, तथा विशाखापटनम्। अध्ययनों से पता चला है कि औद्योगिक क्षेत्रों में शोर का स्तर आमतौर पर निर्धारित सीमाओं के भीतर है किंतु कतिपय वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों में यह निर्धारित मानकों से अधिक हो जाता है। इन शहरों में बढ़ रहे शोर का मुख्य कारण मानव कार्यकलाप और वाहन-यातायात है।

(ङ) शोर प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

— शोर प्रदूषणा को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जिसमें 1987 में संशोधन किया गया है, में शामिल किया गया है। विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रों (आवासीय, वाणिज्यिक तथा शांत क्षेत्र) के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिवेशी मानवक अधिसूचित किए गए हैं।

— आटोमोबाइल्स, घरेलू उपकरणों तथा निर्माण उपकरणों के लिए उनके निर्माण चरण के दौरान शोर सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

— केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों तथा आटोमोबाइल्स को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य-संहिताएं तैयार की हैं। इनमें जन-सम्बोधन प्रणाली, वायुयान संचालन, रेल संचालन, निर्माण कार्यकलाप तथा आतिशबाजी शामिल है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे संगत स्थानीय कानूनों के तहत इन कार्य-संहिताओं को अमल में लाए।

— सरकारी-और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से शोर-प्रदूषण के प्रभावों के बारे में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र

3707. श्री दत्ता मेघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा होने के कारण महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त स्थान कौन-कौन से हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में औसत कितनी वर्षा रिकार्ड की गई है और इस वर्ष कितनी वर्षा हुई है;

(ग) कम वर्षा के कारण फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है; और

(घ) उपर्युक्त सूखाग्रस्त इलाकों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 1996 के दौरान कम वर्षा होने के कारण इस राज्य के 6 जिलों में 1906 गांव विभिन्न स्तर पर सूखे से प्रभावित हुए हैं। जिले तथा प्रभावित गांवों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र॰ सं॰	जिला	प्रभावित गांवों की संख्या
1.	रायगढ़	2
2.	धुले	89
3.	अहमदनगर	150
4.	भण्डरा	1097
5.	चन्द्रपुर	355
6.	गढ़चिरोली	213
	कुल :	1906

(ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रभावित जिलों में हुई सामान्य और वास्तविक वर्षा से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं :

क्रम संख्या	जिला	सामान्य वर्षा (मि॰ मी॰ में)	वास्तविक वर्षा (मि॰ मी॰ में)
1.	रायगढ़	3293.1	2590.4
2.	धुले	660.9	646.6
3.	अहमदनगर	438.1	529.7
4.	भण्डरा	1280.4	790.4
5.	चन्द्र पुर	1179.5	767.2
6.	गढ़चिरोली	1345.3	989.9

(ग) वर्षा के अपर्याप्त रहने के कारण 1906 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक की फसल हानि हुई है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन जल आपूर्ति के लिए 30.00 करोड़ रुपए और चारा आपूर्ति के लिए 65.00 लाख रुपये का आबंटन किया है।

[अनुवाद]

ब्लू लाइन ड्राइवरों द्वारा लापरवाही पूर्ण ड्राइविंग

3708. श्री राम सागर : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 7, 8 और 9 दिसम्बर, 1996 के "द पाइनियर" में दिल्ली पुलिस की कथित मिली भगत से निजी बसों को अनुशासनहीन ढंग से चलाये जाने के संबंध में प्रकाशित समाचारों का अवलोकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस की इस सांठ-गांठ का सरकार को पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ब्ल्यू लाइन बस चालकों में यातायात संबंधी अनुशासन लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार ने "द पायनियर" के 07 और 08 दिसम्बर, 1996 के अंक में प्रकाशित समाचार को देखा है।

(ख) और (ग) ऐसे दृष्टांत हैं जहां व्यक्तिगत रूप से यातायात पुलिस कार्मियों का कदाचार में संलिप्त पाया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने कार्मिकों के बीच एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जिसके फलस्वरूप, यातायात पुलिस के 161-कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है जबकि अन्य 202 अधिकारियों को असंवेदनशील यूनिटों में स्थानांतरित किया गया है।

(घ) वर्ष 1996 के दौरान रैड/ब्लू लाइन बसों को अनुशासन में रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 5053 बसें जब्त की गई, 2804 चालकों को गिरफ्तार किया गया तथा 343 परमिट निलंबित किए गए। यातायात का उल्लंघन करने पर चालान किए गए मामलों की संख्या 1,37,404 थी। इन प्रयासों का रैड/ब्ल्यू लाइन बसों की दुर्घटनाओं की संख्या पर बहुत अधिक असर पड़ा। वर्ष 1995 की तुलना में, वर्ष 1996 की दुर्घटना दर में 33.88 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

मालभाड़े की पूर्ण प्रतिपूर्ति

3709. श्री चन्दूभाई देशमुख : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य एजेंसी को खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए नामित/बस डिपो घोषित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे नामित/बेस डिपुओं की घोषणा के आधार पर पूर्ण माल-भाड़े के दावे की प्रतिपूर्ति का निपटान किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक गुजरात राज्य के लिए नामित/बेस डिपुओं की घोषणा नहीं की है जिसके कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के दावों का वर्ष 1986-87 से निपटारा नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों को नामित डिपुओं से खाद्यान्नों की आपूर्ति करनी होती है। यदि भारतीय खाद्य निगम नामित डिपुओं से खाद्यान्नों की आपूर्ति करने में असमर्थ होता है तो राज्य सरकारें रेल भाड़े और अग्रेषण प्रभारों के प्रतिपूर्ति का दावा करने की हकदार होती है यदि यह दूरी 14 किलोमीटर से अधिक होती है।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम ने फरवरी, 1996 में गुजरात सरकार को घोषित किए गए नामित डिपुओं की सूची दी है। चूंकि गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 90 प्रतिशत दावें रेल भाड़े और अग्रेषण प्रभारों की प्रतिपूर्ति की शर्तें पूरी नहीं करते थे इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से अनुरोध किया गया है कि वे नामित किए गए डिपुओं के अलावा डिपुओं से उठाए गए स्टाक के संबंध में दावें प्रस्तुत करें।

हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वहन की गई हानि

3710. श्री बी॰ प्रदीप देव : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड के कुछ एकक, उनके निष्पादन के सुधार के लिए किए गए निरंतर प्रयासों और इस प्रयोजनार्थ काफी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद भी वर्ष 1991-92 से घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन एककों के नाम क्या हैं और वर्ष 1996-97 के दौरान प्रत्येक एकक को कितनी हानि हुई;

(घ) सरकार द्वारा हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या निरंतर घाटे में चल रहे एककों को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड की कुछ यूनिटों को 1991-92 से लगातार हानि हुई है। हानि का मुख्य कारण पुरानी मशीनरी, बिक्री कर में छूट उपलब्ध न होना और अतिरिक्त कर्मचारियों का होना है।

(ग) 1996-97 (जनवरी 97 तक) के दौरान हानि उठाने वाले यूनिटों और उनके द्वारा उठाई गई हानि के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

यूनिट	हानि (लाख रु० में) (अनन्तिम
दिल्ली	148.56
कानपुर	241.13
अमृतसर	183.49

(घ) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड/धातु एवं खनिज व्यापार निगम/राज्य व्यापार निगम के साथ विलय के प्रयास किए गए पर इनमें से कोई भी संगठन विलय के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ। 24.20 करोड़ रु० का निवेश करके हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन में आधुनिकीकरण के एक प्रस्ताव को कार्यरूप नहीं दिया जा सका क्योंकि इसके लिए अपेक्षित निधि प्राप्त नहीं की जा सकी। इस समय, कानपुर और अमृतसर वनस्पति उत्पादक यूनिटों के 9 करोड़ रु० के व्यय से आधुनिकीकरण की योजना भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (आई सी आई आई) को उनकी अनुशंसा हेतु भेजी गई है।

(ङ) और (च) उच्चतम न्यायालय के एक आदेश, जिसमें इसे एक प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग कहा गया था, के अनुसरण में दिल्ली वनस्पति उत्पादक यूनिट को 30.11.1996 से बंद कर दिया गया है। इस समय किसी अन्य यूनिट को बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन

3711. श्री नवल किशोर राय :

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :

क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1997 के "ट्रिब्यून" में "इंडिया सेट फार टॉप स्पॉट इन मिल्क प्रोडक्शन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कया अन्य देशों की तुलना में भारत में और अधिक दुग्ध उत्पादन की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्रति पशु दुग्ध उत्पादन का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत और अन्य देशों में दुग्ध उत्पादन का पशु-वार औसत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्व के कुछ चुने हुए दुग्ध उत्पादक देशों की तुलना में भारतीय दुधारू पशुओं की औसत उत्पादकता कम है। वर्ष 1994 के लिए उत्पादन से संबंधित खाद्य और कृषि संगठन के अनुमानों के अनुसार, भारत में प्रति गाय प्रतिदिन औसत उत्पादकता 2.70 किलोग्राम है जबकि विश्व औसत 5.60 किलोग्राम है। तथापि, भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कारण यह उत्पादकता बढ़ रही है।

(ङ) भारत तथा कुछ महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादक देशों में औसत दुग्ध उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत तथा अन्य चुने हुए देशों में औसत दुग्ध उत्पादन - 1994

देश	गाय दुग्ध उत्पादन (000 मी० ट०)	औसत उत्पादन (कि० ग्रा०/वर्ष)	भैंस दुग्ध उत्पादन (000 मी० ट०)
1. कनाडा	7700	6077	—
2. संयुक्त राज्य अमरीका	69682	7277	—
3. यू० के०	15005	5506	—
4. फ्रांस	24935	5314	—
5. भारत	30000	984	31211
6. पाकिस्तान	4100	891	12021
7. चीन	5600	1545	2100
8. मिस्र	995	675	1580
9. विश्व	458645	2034	48190

स्रोत : खाद्य और कृषि संगठन की प्रोडक्सन ईयर बुक - 1994

कृषि संबंधी बुनियादी सुविधा विकास कार्यक्रम

3712. डॉ॰ ए॰ के पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि संबंधी बुनियादी सुविधा विकास कार्यक्रम कब से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है;

(ग) दिसम्बर, 1996 तक इस कार्यक्र से लाभान्वित हुए किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) कृषि संबंधी बुनियादी सुविधा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) ग्रामीण अवसंरचना विकास कोर्ष का गठन अप्रैल, 1995 में किया गया था।

(ख) इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पनधारा प्रबंध, बाढ़ रक्षक योजनाओं और ग्रामीण सड़क और पुलों जैसी अन्य प्रकार की ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य स्वाधीकृत निगमों को ऋण देना है।

(ग) और (घ) ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के जरिए वित्त पोषित चालू परियोजनाओं के पूरा होने के बाद 1755 लाख श्रम दिवसों के ग्रामीण रोजगार का सृजन करते हुए लगभग 22.89 लाख है॰ में सिंचाई क्षमता सृजित करने की आशा की जाती है और यह 2712 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त उत्पादन करने में सहायक होगी।

(ङ) ग्रामीण अवसंरचना I और II के क्रियान्वयन में मिली सफलता और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 25,00 करोड़ रुपए की निधि से वर्ष 1997-98 के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष-III शुरू करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

व्यक्तियों का वन भूमि का आबंटन

3713. श्री हरिन पाठक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वन भूमि के विकास हेतु निजी निकायों तथा व्यक्तियों को इसे आबंटित कर रही है अथवा आबंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर भूमि आबंटित की जाती है तथा इस संबंध में नियम क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात तथा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में किन-किन निजी निकायों तथा व्यक्तियों को ऐसी वन भूमि आबंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) वन भूमि का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता। तथापि, राज्य सरकारों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके अंतर्गत बने नियमों और दिशा निर्देशों के तहत वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए अंतरण करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

दिल्ली पुलिस की समस्याएं

3714. श्रीमती वसुंधरा राजे :

डॉ॰ कृपासिन्धु भोई :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सरकार दिल्ली पुलिस की समस्याओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी समस्याएं विशेषरूप से आवास की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस कार्मिको को ऐसी किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है सिवाए इसके कि आवास की कमी है। पुलिस आवास हेतु योजना-सहायता प्रदान की जा रही है। एक पुलिस आवास निगम स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

गेहूं के मूल्य में वृद्धि

3715. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं का उपयोग करने वाले राज्यों ने गेहूं की कीमत खुले बाजार के बिक्री मूल्य के बराबर निर्धारित किए जाने पर कड़ी आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गेहूं के मूल्य में की गई वृद्धि की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या गेहूं उपभोग करने वाले राज्यों को कोई प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (च) कुछेक उपभोक्ता राज्यों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए 4.2.1997 से प्रभावी मूल्यों की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि इनमें संशोधन किया जाए। गेहूं की खुली बिक्री के 4.2.1997 और 10.3.1997 को संशोधित किए गए मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित मूल्य

दर रु०/प्रति टन

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	4.2.1997	10.3.1997
1	2	3	4
1.	गुवाहाटी	7500	6500
2.	मुंबई	7400	6450
3.	नागपुर	7400	6400
4.	इंदौर	7200	6250
5.	ग्वालियर	6000	5550
6.	रायपुर	7400	6400
7.	अहमदाबाद	7300	6350
8.	सूरत	7300	6350
9.	कटक	7400	6450
10.	भुवनेश्वर	7400	6450
11.	पटना	6500	5900
12.	कलकत्ता	7400	6450
13.	सिलीगुड़ी	7400	6450
14.	दिल्ली	5000	5000
15.	चंडीगढ़	4900	4900
16.	लखनऊ	5400	5300
17.	कानपुर	5400	5300
18.	रांची	7000	6200
19.	मद्रास	7800	6700
20.	कोयम्बटूर	7800	6750
21.	मदुरै	7800	6750
22.	कोचीन	7900	6800
23.	त्रिवेन्द्रम	7900	6800
24.	हैदराबाद	7500	6500
25.	विशाखापटनम	7500	6550
26.	बंगलौर	7700	6700
27.	मैसूर	7700	6700
28.	बेलगाम	7700	6650
29.	जयपुर	5200	5150
30.	शिमला	5031	5050
31.	जम्मू	5200	5100
32.	श्रीनगर	5300	5150
33.	वाराणसी	6000	5650
34.	बरेली	5000	5000

[हिन्दी]

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लागू करना

3716. श्री सुरेन्द्र यादव :

श्री नीतीश कुमार :

श्री के० कंडासामी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी तक शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां इस योजना को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किए जाने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24.4.1997 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया है और इस संबंध में जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों को भी सभा

पटल पर रख दिया गया है तदनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों की पहचान करने, उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करने और लाभ-भोगियों को संतोषजनक और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्नों की सुपुर्दगी के लिए सभी प्रबंध करने को कहा गया है। जैसे ही कोई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस कार्य को पूरा कर लेगा वैसे ही वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने लगेगा। अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने इस कार्य को पूरा करने की रिपोर्ट नहीं दी है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्कीम पहली जून, 1997 से पूरे देश में लागू हो जाएगी।

[अनुवाद]

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

3717. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में से किसी को विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी परियोजना-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता से कोई सामाजिक वानिकी कार्यक्रम नहीं चलाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि मंत्रियों का सम्मेलन

3718. श्री मोहन रावले : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 फरवरी, 1997 को नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें और सुझाव क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) जी, हां। कृषि नीति संकल्प के मसौदे तथा उससे संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए राज्यों के कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन 19 फरवरी, 1997 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में कृषि नीति संकल्प मसौदे का सामान्यतः समर्थन किया गया। सम्मेलन में दिये गये सुझावों को देखते हुए मसौदा संकल्प को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उरुग्वे दौर समझौते के अंतर्गत कृषि आयात

3719. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आयात की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में भारत ने कतिपय देशों के साथ कृषि संबंधी उत्पादों पर द्विपक्षीय टैरिफ संबंधी वार्ता शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने कृषि संबंधी उरुग्वे और वार्ता में यह संकेत दिया था कि समझौता शुरू हो जाने पर समझौते के अंतर्गत यह प्राथमिक कृषि उत्पादों पर आयात टैरिफ 100 प्रतिशत की दर से, प्रसंस्कित उत्पादों पर 150 प्रतिशत की दर से तथा खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत की दर से प्रभावित करेगा;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते को भारत कितना कार्यान्वित कर पा रहा है;

(घ) क्या विदेशों के साथ कृषि आयात उच्च टैरिफ संबंधी वार्ता सफल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत ने प्राथमिक उत्पादों के लिए 100% संसाधित उत्पादों के लिए 150% तथा खाद्य तेलों के लिए 300% की दर पर सामान्य रूप से अपना कृषि प्रशुल्क निर्धारित किया है फिर भी, कुछ कृषि मदें ऐसी हैं जिनके लिए गैट संबंधी विगत विचार-विमर्श के दौरान शून्य/न्यून प्रशुल्क तय किया गया था।

(ग) से (ङ) कृषि आयात शुरू करने के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के साथ परामर्श को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

स्प्रिंकलर सेटों का वितरण

3720. श्री चिंतामन वानगा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 हेतु तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेटों के वितरण हेतु कोई योजना लागू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है; और

(घ) सहायता प्रदान करने का स्वरूप क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन

उत्पादन कार्यक्रम (ओ॰ पी॰ पी॰) तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन॰ पी॰ डी॰ पी॰) के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान जल का किफायती उद्योग तथा सिंचाई की न्यूनतम भूमि कटाव प्रणाली के लिए किसानों को स्प्रिंकलर सेटों का वितरण करना घटक है।

(ग) राज्य-वार कुल लाभार्थियों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, वर्ष 1996-97 के दौरान, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित स्प्रिंकलर सेटों के वितरण के वास्तविक लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) दोनों योजनाओं के अंतर्गत, छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिला किसानों को 25,000/- रुपये प्रति हैक्टे॰ अथवा प्रति हैक्टे॰ लागत की 90 प्रतिशत राजसहायता, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। महिला किसानों के मामले में, वित्तीय सहायता केवल उन्हीं के लिए स्वीकार्य है जिनके नाम राज्य के भू-राजस्व रिकार्ड में भू-स्वामी के रूप में दर्ज है और यदि उस रिकार्ड के अनुसार वह एक संयुक्त स्वामिनी है, तो राजसहायता उसके हिस्से की भूमि तक के लिए प्रतिबंधित है।

किसानों के अन्य वर्गों के लिए 25.000 रु॰ प्रति है॰ अथवा प्रति हेक्टेयर स्प्रिंकलर प्रणाली की लागत का 70 प्रतिशत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

1996-97 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ॰ पी॰ पी॰) तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन॰ पी॰ डी॰ सी॰) के तहत स्प्रिंकलर सेटों के वितरण के लिए वास्तविक लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण (राज्य-वार)

क्रम सं॰	राज्य	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत वास्तविक लक्ष्य (संख्या)	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत वास्तविक लक्ष्य (संख्या)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4880	240
2.	विहार	400	240
3.	गुजरात	1600	240
4.	हरियाणा	640	80
5.	जम्मू व कश्मीर	—	16
6.	कर्नाटक	800	400
7.	मध्य प्रदेश	4960	1360
8.	महाराष्ट्र	3200	800
9.	मणिपुर	160	—
10.	उड़ीसा	400	400
11.	राजस्थान	4960	1280
12.	सिक्किम	—	144
13.	तमिलनाडु	800	—
14.	त्रिपुरा	—	1200
15.	उत्तर प्रदेश	2400	—
	कुल :	25200	6400

[हिन्दी]

पशुधन की हानि

3721. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक गुजरात में विशेषकर इसके जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की कितनी हानि हुई है;

(ख) गुजरात सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान किस प्रकार की सहायता मांगी गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दिए जाने का विचार है तथा इस प्रयोजनार्थ सहायता के रूप में राज्य को कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

क्लीनिकल ड्रग ट्रायल्स

3722. श्री नामदेव दिवाके : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1997 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "गवर्नमेंट कंसिडर्स प्रपोजल टू अलाव कनकंरट क्लीनिकल ड्रग ट्रायल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) औषध उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए/विचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) औषध क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्यान्वयनाधीन कार्य-योजना के क्या परिणाम निकले और 1997-98 के लिए औषध क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में कितनी धनराशि निवेश किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) समवर्ती रूप से नए औषधों के क्लिनीकल प्रायेगिक जांच की अनुमति देने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिलहाल उपभोगता लाभ के हित में साथ-साथ क्लिनिकल प्रयोगिक जांच के अनुमोदन के लिए भारत में प्रचलित बीमारियों के लिए विदेश में आविष्कृत नई औषधों की जांच की जा सकती है।

जहां तक कैंसर रोधी तथा अन्य जीवन रक्षक औषधों का संबंध है, औषध सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1990 के अंतर्गत औषध नियमावली में व्यवस्था है कि स्थानिक क्लिनीकल प्रायोगिम जांच के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि औषध ऐसी प्रकृति की हो कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी जनहित में ऐसी अनुमति प्रदान करने का निर्णय अन्य देशों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ले सकता है। फेफड़ों के कैंसर के उपचार के लिए कैंसर रोधी औषध गेमसाइट का अनुमोदन देश में कैंसर विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित था।

(ग) और (ङ) औषध उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए तथा औषध क्षेत्र में आर एंड डी संवर्धन के लिए नीतियों के लिए उपाय सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" में दिए गए हैं, जिसकी प्रति संसद ग्रंथागार में उपलब्ध है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप भेषज उद्योग के विकास में बनावटी अड़चने दूर हुई हैं और इन के कारण इस क्षेत्र में आर एंड डी के महत्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न हुई है।

साफी नदी

3723. **श्री तारिक अनवर** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिहार में साफी नदी में आर्सेनिक और मर्करी के प्रतिशत स्तर में अत्यधिक वृद्धि को रोकने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उपलब्ध सूचना के अनुसार साफी नदी में आर्सेनिक और मर्करी प्रदूषण अनुज्ञेय सीमाओं के अंदर था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जैव विविधता संबंधी योजना

3724. **श्री अनंत गुढे** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडियन एक्सप्रेस" 28 फरवरी, 1997 को "नो कन्सेसस ऑन टेकलिंग जैनेटिक स्मगलिंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा समाचार में की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उस समाचार में उठाए गए मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में जैव विविधता की सुरक्षा के लिए व्यापक कानून बनाए जाने के संबंध में गत चार वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उक्त समाचार देश के जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने से संबंधित है। फरवरी, 1994 में जैव-विविधता पर कन्वेंशन का भारत द्वारा अनुसमर्थन करने और इस कन्वेंशन का पक्षकार बनने के तुरंत बाद पर्यावरण एवं वन मंत्री ने जैव विविधता के संबंध में व्यापक विधान बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस विधान के मुख्य उद्देश्य में एक मुख्य उद्देश्य देश के जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमत करना होगा। जैव विविधता एक व्यापक विषय होने के कारण, विभिन्न स्टैक होल्डरों संबंधित विभागों, मंत्रियों, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों इत्यादि से सलाह-मशविरा करना आवश्यक था। इसलिए इस संबंध में इनके साथ चर्चा की गई। जैव-विविधता से किसी भी तरह जुड़े सभी विद्यमान विनियमों का विश्लेषण और जांच करने की भी आवश्यकता थी। इसलिए अब यह कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसके साथ-साथ विदेशी व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 के तहत भारत के जैव-संसाधनों के निर्यात को विनयमित करने के लिए अंतरिम उपाय करने की दिशा में काम किया। यह कार्य अंतर मंत्रालय समूह के माध्यम से किया गया था जिसमें गैर-सरकारी संगठन और विशेषज्ञ भी इसके सदस्य के रूप में शामिल थे। इस समूह द्वारा तैयार किया गया सार्वजनिक सूचना का मसौदा उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि व्यापार की दृष्टि से इसके कुछ निहितार्थ हैं और इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयां हैं। जनवरी, 1997 में इस विषय पर अंतर मंत्रालय सलाह-मशविरा करने के बाद व्यापक विधान बनाने का कार्य तेजी से किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपराध

3725. श्री मंगल राम प्रेमी :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूट तथा अपहरण के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) राजमार्ग पर लूट तथा अपहरण के मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाए किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में भुखमरी का उन्मुलन

3726. श्री के. प्रधानी :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में भुखमरी दूर करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 के वित्तीय वर्ष के लिए इस संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(घ) क्या देश में अब भी कुछ ऐसे सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं जहां सरकार द्वारा अपर्याप्त उपाय न किए जाने के कारण लोगों के भूख से मारे जाने के समाचार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन कमियों को दूर करने तथा पूरे देश में भुखमरी समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनसंख्या को भुखमरी से मुक्त रखने की बुनियादी नीति में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बढ़े हुए उत्पादन के माध्यम से खाद्यान्नों की बेहतर उपलब्धता,

(ii) खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाये रखना और पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करना,

(iii) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के जरिए समाज के कमजोर वर्गों की क्रय शक्ति में सुधार करना।

(ग) बजट अनुमान 1997-98 में निम्नलिखित परिव्ययों का प्रस्ताव किया गया है :

(i) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के लिए :	9096/-	करोड़ रु.
(ii) खाद्य और चीनी पर सब्सिडी के लिए :	7500/-	करोड़ रु.
जोड़ :	16596/-	

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के भागों में सूखे की अलग-अलग स्थितियां हैं। इन राज्य सरकारों से भुखमरी से हुई किसी भी मौत के बारे में निश्चित रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है कि वह उड़ीसा के कुछेक भागों में सूचित की गई भुखमरी से हुई मौतों के संबंध में जांच करें। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

औषधीय पौधे

3727. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) औषधीय पौधे कितने प्रकार के हैं और किन-किन राज्यों तथा उन्हें राज्यवार किन-किन स्थानों पर उगाया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा अंतमूल, सतावरी, मुसाली, चिरैटा और गुग्गल इत्यादि जैसे औषधीय पौधों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। औषधीय पौधों की खेती के लिए केन्द्र सरकार की दो मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं :

मंत्रालय का नाम	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (भारतीय औषधीय और होम्योपैथी प्रणाली विभाग)	औषधीय पौधों की कृषि-तकनीकों और खेती के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता पहले औषधीय पौधों के विकास और खेती के लिए केन्द्रीय योजना के रूप में जानी जाती थी।	योजनाओं में औषधीय पौधों की खेती के लिए कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है और औषधीय पौधों की खेती के लिए सरकार की अर्द्ध सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं के लिए सहायता मुहैया कराया जाता है।
पर्यावरण और वन (राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड)	औषधीय पौधों सहित गैर इमारती लकड़ी के वन उत्पादों का संरक्षण और विकास	योजना में अवकृमित वन क्षेत्रों और इसके आसपास के क्षेत्रों पर औषधीय पौधों सहित पौधे उगाने के लिए राज्य सरकारों को निधियां मुहैया कराई जाती हैं।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित ऑल इंडिया कोआर्डिनेटिड प्रोजेक्ट ऑफ इथनोबायोलोजी के अंतर्गत किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में औषधीय उद्देश्यों के लिए लगभग 7500 प्रजातियों के पौधों का उपयोग किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में इनका वितरण किया जाता है।

(ग) अंतमुल, सतावारी, मुसाली, चिरैटा और गुग्गल आदि जैसे औषधीय पौधों की प्राथमिकता के आधार पर खेती और विकास के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित पौधों की सूची में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

यू॰ एच॰ एफ॰ डिजीटल ट्रेकिंग सिस्टम

3728. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च सुरक्षा युक्त दिल्ली पुलिस नेट के लिए यू॰ एच॰ एफ॰ डिजीटल ट्रेकिंग सिस्टम खरीदने का है;

(ख) क्या इस संबंध में गठित खरीद संबंधी उपसमिति ने यह खरीद न करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो खरीद संबंधी उपसमिति की सिफारिशों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

3729. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से बनी नयी पर्यावरण विकास परियोजना को लागू किये जाने के कारण कर्नाटक के नागर होल राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों में से अधिकांश अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति हैं; और

(ग) यदि हां, तो विस्थापित वनवासियों के उचित पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) कर्नाटक में नागर होल राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक परियोजना के कार्यान्वयन के कारण स्थानीय लोगों का विस्थापन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सेंट्रल स्टेट फार्म, अरलाम

3730. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल स्टेट फार्म, अरलाम ने किसी बैंक से कोई ऋण/अग्रिम राशि प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में इस फार्म पर कितनी धनराशि बकाया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय राज्य फार्म, अरलाम ने किसी भी बैंक से कोई ऋण/अग्रिम नहीं लिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मत्स्यन विकास एजेंसी योजना

3731. डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा प्रायोजित मत्स्यन विकास एजेंसी योजना का आधा खर्च स्वयं वहन करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) मछुआरा विकास एजेंसियों के माध्यम से ताजे पानी में मछली पालन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, सभी विकासात्मक कार्यकलापों जैसे नए तालाब बनाना, तालाबों तथा टैंकों की मरम्मत, प्रथम वर्ष के आदानों (मत्स्य बीज, आहार, उर्वरक, खाद आदि) बहते पानी में मछली पालन, एयरेटरों, समेकित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज हैचरियों, मत्स्य आहार मिलों, इंक्रीमेंटल स्टाफ के वेतन, वाहनों की लागत, मछुआरों के प्रशिक्षण पर किए जाने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकारें 50:50 आधार पर वहन करती हैं। भारत सरकार का यह निर्णय है कि वह केवल विकासात्मक लागत का हिस्सा ही वहन करेगी। अत: भारत सरकार द्वारा बेस स्टाफ के वेतन, वाहनों के रखरखाव तथा कार्यालय व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाती।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में एफ० एफ० डी० ए० (एस) को दी गयी केन्द्रीय सहायता 100 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

वनरोपण

3732. **डॉ० प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संरक्षित वन भूमि के एक बड़े भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) वन आरक्षित भूमि के कुछ भाग पर लोगों ने अवैध कब्जा किया है। वन भूमि पर अवैध कब्जों के बारे में ब्यौरे संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रभागीय स्तर पर रखे जाते हैं। भारत सरकार ने वन भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में बताया गया है कि वन भूमि पर अवैध कब्जों में वृद्धि होती रही है तथा इस प्रक्रिया को रोकना होगा तथा इसको रोकने के बारे में कारगर कदम उठाए गए हैं।
2. वन नीति में यह भी प्रावधान है कि वनों के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए।
3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि पर अवैध कब्जों को एक अपराध घोषित किया गया है।
4. राज्य सरकारें तथा राजस्व अधिकारी अवैध कब्जों को खाली कराती हैं।

[हिन्दी]

बाघ और आतंक

3733. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कानपुर, उत्तर प्रदेशम में बाघ के आतंक की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति इनके शिकार बन चुके हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार इस तरह की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन संबंधी कार्यशाला

3734. **श्री भक्त चरण दास** :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वन संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें वन अधिकारियों तथा कुछ प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने मसौदा वन विधेयक में वन संरक्षण तथा विभिन्न समुदायों के पारंपरिक अधिकारों में संतुलन स्थापित करने का अनुरोध/सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो कार्यशाला में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) वनों के संरक्षण एवं जनजातियों के पारम्परिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिभागियों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे।

(ग) मुख्य सुझाव इस प्रकार है :

— "वनों" की कानूनी परिभाषा होनी चाहिए।

— संशोधित अधिनियम में सभी केन्द्रीय और राज्य वन कानूनों का संकलन होना चाहिए।

— संयुक्त वन प्रबंधन नियमों को नए अधिनियम में शामिल करना चाहिए।

— वन क्षेत्र को आरक्षित/अधिसूचित या अनारक्षित/अधिसूचना रद्द करने में, वनों में और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की समस्याओं पर मुख्य तथ्य के रूप में विचारा करना चाहिए।

— अधिकारों को निपटाने के लिए समय-सीमा होनी चाहिए और यह वन क्षेत्रों की वहन क्षमता पर आधारित होनी चाहिए।

— अनारक्षण और अनाधिसूचना के प्रस्तावों को सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों से गठित सांविधिक समितियों द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

— वाणिज्यिक और कृषि वानिकी को नए कानूनों द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

— वन अधिकारियों को और अधिक प्रत्यक्ष नीति निर्माण की शक्तियां दी जानी चाहिए।

— जैसाकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अनुसमर्थन किया गया है, नए वन कानूनों का भारत के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध पत्र में शामिल किया जाना चाहिए।

— फ्रन्टलाइन स्टाफ जैसे कि वन सुरक्षाकर्मी जोकि कानूनों के प्रवर्तन के लिए मूल अधिकारी है, को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(घ) वन विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा गठित समिति को भेज दिया गया है।

गेहूं के खरीददार

3735. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर-सरकारी खरीदारों को बड़े पैमाने पर गेहूं की खुली बिक्री की जाती है;

(ख) यदि हां, तो दस बड़े खरीददारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं के लिए 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की छोटी थैलियों में बिक्री करने का सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री : (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं जारी करने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध समय-समय पर प्रति खरीदार प्रति मास निर्धारित किए गए हैं। तथापि, ये प्रतिबंध इस योजना के अधीन सितम्बर, 1996 तक और नवम्बर, 1996 की एक अवधि में कैप भण्डारण से गेहूं जारी करने के लिए लागू नहीं थे।

चूंकि जिस अवधि के लिए यह सूचना मांगी गई है वह सूचित नहीं की गई है इसलिए इसे बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली में गेहूं और गेहूं के उत्पादों की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा करते समय, दिल्ली में सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार के जरिए 64/- रुपए प्रति पैकेट के निर्धारित मूल्य पर 10 किलोग्राम के पैकेटों में होलमीट अगमार्क गेहूं के आटे का वितरण करने के लिए एक योजना 9.12.96 से शुरू की गई थी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों से भी 9.12.96 को अनुरोध किया गया था कि वे उपभोक्ताओं को होलमील आटा तुरंत उपलबध कराने के लिए इसी प्रकार की योजना (एं) शुरू करें। केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के खुदरा आउटलेटों को भारतीय खाद्य निगम से खरीदे गए गेहूं की 10 किलों की बोरियों में बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

[हिन्दी]

तस्करी और घुसपैठ की घटना

3736. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार तस्करी और घुसपैठ की कितनी घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सीमा पर सुरक्षा पट्टी के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई तस्करी और घुसपैठ के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं :

(i) सीमा निगरानी चौकियों के बीच दूसरी कम करने के लिए

विस्तार योजना के तहत अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई हैं और तैनात की गई हैं।

(ii) गश्त/नाकाओं को बढ़ाया गया है/गहन किया गया है।

(iii) जीपें और मोटर-साइकिलें उपलब्ध करा कर सीमा गश्त गहन कर दी गई हैं।

(iv) घोड़ों, ऊंटों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर गश्त लगाई जा रही है।

(v) निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(vi) सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए दूरबीनें, धूप के चश्मों, ट्विन टैलिस्कोप, पी॰ एन॰ वी॰ दूरबीनें और हैण्ड-हैल्ड सर्च लाइट्स उपलब्ध कराई गई है।

(vii) सीमा पर बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था की जा रही है/की गई है।

(viii) गहन चौकसी के लिए आसूचनी तंत्र को सतर्क किया गया है।

(ix) तट रक्षक/भारतीय नौसेना तटीय क्षेत्रों की गश्त लगा रही है।

(x) पाकिस्तान और बंगलादेश की सरकारों के साथ भी इस मामले को विभिन्न अवसरों पर उठाया गया है।

(ग) एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

तस्करी और घुसपैठ के ब्यौरे

	1994		1995		1996	
	निषिद्ध माल की तस्करी (करोड़ रुपयों में)	घुसपैठ	निषिद्ध माल की तस्करी (करोड़ रु॰ में)	घुसपैठ	निषिद्ध माल की तस्करी (करोड़ रु॰ में)	घुसपैठ
	1	2	3	4	5	6
भारत-पाक सीमा						
जम्मू (भा॰ सी॰)	11.17	515	27.70	985	1.95	815
पंजाब	20.08	1938	34.27	728	1.20	166
राजस्थान	100.55	3255	6.69	1662	2.65	1053
गुजरात	1.35	63	0.29	72	0.22	232
जोड़	133.15	5771	68.95	3447	6.02	2266
भारत-बंगलादेश सीमा						
प॰ बंगाल	31.42	17665	66.96	13215	32.07	10323
असम	2.33	396	2.32	391	3.80	391
मेघालय	1.41	364	2.51	440	1.59	529
मिजोरम	0.07	14	0.02	17	0.01	14
त्रिपुरा	5.76	1649	5.07	951	6.39	896
जोड़	40.99	20088	76.88	15014	43.86	12153
भारत-म्यांमार सीमा						
मणिपुर	3.19	365	1.80	105	1.09	36
नागालैंड	0.05	1	—	5	0.02	7
जोड़	3.24	366	1.80	110	1.11	43

विवरण-II

(ग) पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी करने की व्यवस्था के संबंध में हुई प्रगति।

भारत-पाक सीमा

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

पंजाब

पंजाब में, 451 कि॰ मी॰/465 कि॰ मी॰ में बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था काय कार्य मई, 1988 में शुरू किया गया था तथा नवम्बर, 1993 में पूरा किया गया। कुछ खाली जगहों, जहां नदीय/निचला क्षेत्र होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका था, को छोड़कर, संपूर्ण सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था का काम कर लिया गया है।

राजस्थान

कुल 1035 कि॰ मी॰ की सीमा में से 720 कि॰ मी॰/739 कि॰ मी॰ में बाड़/ तेज रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है इसके अलावा, जैसलमेर क्षेत्र में 312.60 कि॰ मी॰ सीमा के साथ-साथ बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था के कार्य को मंजूरी दे दी गई है इसमें से 145 कि॰ मी॰ चौथे चरण में 31.12.1997 तक, 131 कि॰ मी॰ में पांचवें चरण में 31.12.1998 तक तथा शेष भाग में छठे चरण में 31.12.1999 तक कार्य पूरा किया जाएगा।

जम्मू

जम्मू में 180 कि॰ मी॰/195 कि॰ मी॰ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बाड़ लगाना/तेज रोशनी करने संबंधी योजना मार्च, 1995 में अनुमोदित की गई थी तथा कार्य शुरू भी किया गया था परंतु पाकिस्तान द्वारा भारी गोला-बारी करने के कारण उसे जुलाई 1995 में रोकना पड़ा था। बाड़ लगाने के कार्य को पुनः शुरू करने संबंधित मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है परंतु किसी समय सीमा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पूर्वी सीमा पर बाड़ लगाना

28 फरवरी, 1997 तक सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में हुई प्रगति

	संस्वीकृत	पूर्ण हुई	जो अभी पूरी की जानी है
			(दूरी कि॰ मी॰ में)
पश्चिम बंगाल	507.000	356.180	150.820
असम	158.000	125.540	32.460
मेघालय	231.000	170.710	60.290

कृषि संबंधी समिति

3737. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए डॉ॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया था;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख को तथा समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कम उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए तरीकों का सुझाव देने के लिए 21 अगस्त, 1996 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसे 15 अक्टूबर, 1996 को डॉ॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन की अध्यक्षता में पुनः गठित किया गया था।

(ख) से (घ) समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है। फिर भी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए पार्ट रिपोर्ट नं॰ 1, 15 फरवरी, 1997 को प्रस्तुत कर दी गई है।

[अनुवाद]

नेफेड में अनियमितताएं

3738. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री नाम देव दिवाथे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा की गई जांच में पंजाब में मौलगढ़ में एक करोड़ रुपये की लागत से कीनू और माल्टा के लिए वैक्सिंग ग्रेडिंग संयंत्र की स्थापना में नेफेड के प्रबंधकों को अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हो, तो ये अनियमितताएं किस प्रकार की थी;

(ग) क्या नेफेड को वर्ष 1995 में सेना खरीद संगठन (ए॰ पी॰ ओ॰) को छह हजार टन दालों की आपूर्ति में बोली आमंत्रण के मानदंडों को नजर अंदाज करने की अनियमितता का भी दोषी पाया गया है;

(घ) क्या जांच पैनल द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों, होटल बिलों और इन अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ आने वाले परिचरों के मजदूरी बिलों

में भी लाखों रुपये की अनियमितता पाई गई है;

(ङ) क्या नेफेड को उदारता से दान देने, कतिपय व्यक्तियों को महंगे उपहार देने, विज्ञापन देने में अनियमितताएं बरतने और निदेशकों को वास्तविकता से अधिक यात्रा भत्ता देने का भी दोषी पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो नेफेड के दोषी प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी अनियमितताओं से बचने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक उपाए किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ) कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर अन्य बातों के अलावा, सेना क्रय संगठन को दालों की सप्लाई, होटल के बिलों के भुगतान पर हुए व्यय, मजदूरी बिलों कुछ व्यक्तियों को दान एवं उपहार, विज्ञापन जारी करने संबंधी अनियमितताओं एवं........निदेशक मंडल के सदस्यों के यात्रा भत्ते संबंधी व्यय से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(च) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में घुसपैठ

3739. श्री सोहन बीर : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में घुसपैठों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) राज्य में घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली यातायात पुलिस के विरुद्ध आरोप

3740. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 दिसम्बर, 1996 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सकोप्स मेक हे व्हाइल, किलर्स स्टाक रोड्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार ने 22 दिसम्बर, 1996 को द हिन्दुस्तान टाइमस में प्रकाशित प्रश्नगत समाचार देखा है।

(ख) ऐसे दृष्टान्त हैं जहां व्यक्तिगत रूप से यातायात पुलिस कार्मियों को कदाचार में संलिप्त पाया गया लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं है कि कोई संगठित मिली-भगत है। अकेले 1996 के दौरान, दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 6 लाख से अधिक ट्रकों का चालान किया गया जो वर्ष 1995 के दौरान किए गए चालानों की संख्या से लगभग दुगुनी है। इसके अतिरिक्त दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने कार्मिकों के बीच एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया, जिसके परिणाम-स्वरूप 161 यातायात पुलिस कार्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अन्य 202 अधिकारियों का स्थानान्तरण ग़ैर संवेदनशील यूनिटों में किया गया।

[हिन्दी]

नौंवी पंचवर्षीय योजना में मात्स्यिकी विकास

3741. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौंवी पंचवर्षीय योजना में मात्स्यिकी विकास हेतु कोई विशेष प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में अब तक इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इस संबंध में प्रत्येक राज्य की उपलब्धि क्या रही है; और

(ङ) बिहार राज्य में मात्स्यिकी विकास हेतु क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) "मात्स्यिकी" राज्य का विषय है तथा मात्स्यिकी के विकास के लिये योजनाओं के निरूपण से संबंधित मामले राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आते हैं फिर भी, भारत सरकार मात्स्यिकी के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा मात्स्यिकी के विकास से संबंधित योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) मात्स्यिकी के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के मामले में विभिन्न राज्यों को पहले से ही कोष का आबंटन नहीं किया जाता है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों तथा संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। मात्स्यिकी से संबंधित योजनाओं के मामले में 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान तथा 1996-97 में जब तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई धनराशि का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए मत्स्य उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) बिहार में मात्स्यिकी के विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

(i) ताजा जल मत्स्य संवर्धन का विकास

(ii) अंतर्देशीय मत्स्य विपणन को मजबूत बनाने के लिए सहायता।

(iii) मछुआरों का कल्याण।

(iv) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त झींगा तथा मत्स्य संवर्धन परियोजना।

(v) अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास।

विवरण-I

मात्स्यिकी योजनाओं के लिए निर्मुक्त किया गया राज्यवार कोष

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	निर्मुक्त धनराशि			
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 से 10.3.97 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	76.81	382.00	359.78	242.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.00	22.00	—	26.00
3.	असम	84.45	45.95	26.20	55.98
4.	बिहार	72.75	51.00	54.10	19.25
5.	गुजरात	397.98	509.15	692.94	656.04
6.	गोवा	7.45	4.00	5.19	16.95
7.	हरियाणा	104.00	28.20	66.25	15.00
8.	हिमाचल प्रदेश	7.11	5.10	32.21	2.13
9.	जम्मू व कश्मीर	27.00	32.02	44.40	42.61
10.	कर्नाटक	188.51	394.75	268.24	81.59
11.	केरल	1000.13	1388.56	963.34	857.64
12.	मध्य प्रदेश	122.50	125.34	201.04	170.13
13.	महाराष्ट्र	184.91	334.15	316.47	336.79
14.	मणिपुर	7.00	13.11	44.87	28.02
15.	मेघालय	1.00	23.96	56.00	2.00
16.	मिजोरम	8.00	36.00	5.93	14.50
17.	नागालैंड	2.00	18.00	33.00	60.00
18.	उड़ीसा	614.51	299.84	183.81	308.71
19.	पंजाब	27.00	77.15	51.50	42.00

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	38.09	52.50	34.00	21.09
21.	सिक्किम	1.00	3.00	5.00	2.00
22.	तमिलनाडु	877.33	1067.21	1055.13	202.48
23.	त्रिपुरा	24.71	62.48	23.52	25.35
24.	उत्तर प्रदेश	235.37	260.38	213.00	249.78
25.	पश्चिम बंगाल	271.21	414.06	589.74	480.80
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6.08	2.75	5.34	0.02
27.	दमन व दीव	8.38	13.72	13.42	41.74
28.	लक्षद्वीप	0.80	0.43	0.83	0.88
29.	पांडिचेरी	54.65	207.00	127.96	105.75

विवरण-II

1993-94 से 1995-96 तक तथा 1996-97 में अब तक मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(000 मी॰ टन)

क्र॰	राज्य/संघ शासित	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97*
सं॰	क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	290.00	321.37	315.00	345.39	350.00	355.96	381.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	1.70	1.70	1.80	2.00	1.85	2.00
3.	असम	143.00	151.65	145.00	153.00	152.00	155.06	171.00
4.	बिहार	175.00	200.71	202.00	195.37	202.00	239.68	244.00
5.	गोवा	108.00	105.44	116.00	101.90	116.00	87.82	93.00
6.	गुजरात	652.00	684.86	639.00	715.36	705.00	660.00	696.00
7.	हरियाणा	23.00	22.58	25.00	24.13	27.00	28.01	30.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.50	6.63	6.50	5.29	6.70	5.94	7.00
9.	जम्मू व कश्मीर	17.00	14.50	17.00	16.10	16.50	16.52	20.00
10.	कर्नाटक	250.00	249.15	270.00	244.04	260.00	304.87	300.00
11.	केरल	574.00	604.69	628.00	596.56	675.00	582.14	635.00
12.	मध्य प्रदेश	57.00	54.53	57.00	80.18	55.00	91.28	90.00
13.	महाराष्ट्र	484.62	433.62	490.00	446.88	465.00	464.00	488.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मणिपुर	11.50	11.51	12.00	12.01	12.00	12.50	12.86
15.	मेघालय	3.79	3.98	4.00	3.96	4.20	3.58	5.00
16.	मिजोरम	3.80	2.50	2.50	2.00	3.00	2.50	3.00
17.	नागालैंड	2.00	1.82	2.00	2.50	2.540	3.00	5.15
18.	उड़ीसा	231.00	232.28	220.00	257.66	248.00	258.04	258.56
19.	पंजाब	17.00	19.00	22.00	24.00	25.00	26.00	30.00
20.	राजस्थान	12.00	12.22	13.00	13.97	15.00	12.40	15.10
21.	सिक्किम	0.01	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.14
22.	तमिलनाडु	422.00	424.92	460.00	438.50	472.00	448.00	480.00
23.	त्रिपुरा	27.00	24.50	30.00	25.10	27.00	25.71	27.00
24.	उत्तर प्रदेश	125.00	132.37	120.00	139.90	140.00	145.70	148.00
25.	पश्चिम बंगाल	780.50	806.00	795.00	820.42	841.00	893.00	869.00
26.	संघ शासित क्षेत्र/ अन्य	154.90	121.73	157.20	122.43	128.20	125.78	129.19
	कुल :	4572.00	4644.36	4750.00	4788.55	4950.00	4949.39	5140.00

व्यापार नीति

3742. चौधरी रामचन्द्र बैंदा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने, किसानों को लाभकारी मूल्य देने, विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी व्यापार नीति को तर्कसंगत बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) उदारीकरण व्यवस्था में, व्यापार नीति की समीक्षा एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश तथा किसानों और उपभोक्ताओं के भी हितों की रक्षा करना है। व्यापार नीति का उद्देश्य अधिकतम विदेशी विनियम अर्जित करना तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है, तथापि, इस बात को मद्दे नजर रखते हुए कि जन-उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जाए।

निरीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण, न्यूनतम निर्यात मूल्य को खत्म करने तथा चुनी हुई मदों पर गुणवत्ता प्रतिबंधों, रियायती अनुदान ऋण का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन विकास, निर्यात उन्मुख इकाइयां/कृषि क्षेत्र के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की योजना के तहत उपलब्ध लाभों का विस्तार, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50 प्रतिशत बिक्री की अनुमति, उन्नत पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण, अभियायन, क्रेता-विक्रेता बैठकों की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी सहित कृषि और सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाए किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कश्मीरी मूल के पाकिस्तानी नागरिकों को वीसा दिया जाना

3743. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीरी मूल के कितने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत के लिए वीसा प्रदान किया गया है;

(ख) क्या उन्हें कश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्र चिन्हों तथा राज्य चिन्हों का प्रयोग

3744. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संप्रतीक और नाम (अनुसूचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्र चिन्हों तथा भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों द्वारा राज्य चिन्हों का प्रयोग निषेध है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के बड़े पैमाने पर उल्लंघन किए जाने की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो कया ऐसे उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महिला स्वैच्छिक संगठन

3745. श्री डी॰ पी॰ यादव : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय कोष से सहायता प्राप्त करने वाले महिला स्वैच्छिक संगठनों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए इन महिला स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) गत वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गन्ने का न्यूनतम निर्धारित मूल्य

3746. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 45.90 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने संबंधी प्रधान मंत्री के प्रस्ताव को उनके मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस समय लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजकिन वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चीनी के वितरण में सब्सिडी कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य 10.2. 1997 से 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय किया है।

खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत खाद्य तेलों का आयात

3747. श्री वी॰ प्रदीप देव : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान "खुला सामान्य लाइसेंस" के अंतर्गत कितनी मात्रा में खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान खाद्य तेलों के आयात के लिए क्या रियायतें दी गई थीं ?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) इस समय खुले सामान्य लाइसेंस के तहत नारियल के तेल, ताड़ तेल आर बी डी ताड़ तेल ओर आर बी डी ताड़ स्टीरियन को छोड़कर सभी खाद्य तेलों के आयात की अनुमति है। खुले सामान्य लाइसेंस के तहत खाद्य तेलों के आयात के लिए कोई अधिकतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस के तहत खाद्य तेल के आयात पर शुल्क को 1996-97 के बजट में जुलाई, 1996 में 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है।

विदेशी निवेश

3748. डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल :

श्री दिलीप संघानी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1991 से कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी स्वीकृत की गई तथा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं में समुद्री मत्स्यन की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में ये परियोजनाएं लगाई गई है तथा आगामी दो वर्षों में लगाई जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1991 से अब तक सरकार द्वारा अनुमोदत कृषि (जिसमें बागवानी, पुष्प कृषि, मात्स्यिकी और कृषि मशीनरी शामिल है) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं की कुल संख्या इस प्रकार है :

1991	1992	1993	1994	1995	1996
11	24	42	66	135	67

(ख) और (ग) तटवर्ती मात्स्यिकी क्षेत्र (क्षेत्रिक सागर) के विकास के लिए अब तक सरकार द्वारा ऐसी किसी परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया है जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल हो।

मत्स्य उत्पादन

3749. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8वीं योजनावधि के लिए मछली और अन्य समुद्री उत्पादों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त योजनावधि में कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) क्या आठवीं योजनावधि में सरकार ने मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) मछली और अन्य समुद्री उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(च) नौवीं योजनावधि के लिए क्या विस्तृत योजना बनाई गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अंतर्देशीय तथा समुद्री कवच व फिन मछली के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा इनके वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख मीटरी टन)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उत्पादन
1992-93	42.30	43.65
1993-94	45.72	46.44
1994-95	47.50	47.89
1995-96	49.50	49.49
1996-97	51.40	*

*वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों के लिए निर्धारित लक्ष्य योजना के पहले चार वर्षों में पर्याप्त रूप से हासिल कर लिए गए है जैसा कि नीचे दिये गए ब्यौरे से स्पष्ट है :

(मात्रा लाख मी॰ टन में)

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1992-93	1.95	1675	2.09	1769
1993-94	2.08	1825	2.44	2504
1994-95	2.17	2008	3.07	3575
1995-96	3.50	4262	2.96	3501
1996-97	3.26	3850	*	

*वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(ङ) ताजा तथा खारा जल में मत्स्य पालन का विकास, तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास, मत्स्यन बंदरगाहों तथा मत्स्य अवतरण केन्द्रों जैसी अपेक्षित अवसंरचनाओं का निर्माण, पर्याप्त ऋण का प्रावधान तथा मानव संसाधनों का विकास करके भारत सरकार द्वारा मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों के उत्पादन तथा मछुआरों और मत्स्य उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उपाए किये गये है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मात्स्यिकी तथा मत्स्यन पालन के विकास के लिए बहुत सी केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने तथा आयात करने वाले देशों द्वारा लागए गये मानकों को पूरा करने के लिए समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रसंस्करण सुविधाओं का परिमार्जन करने तथा प्रसंस्करण फैक्टरियों में आवश्यक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए उपाय किए गए है ताकि सहायता, आदि प्रदान करके गुणवत्ता के मानकों को पूरा किया जा सके।

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के ब्यौरा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रोजेक्ट टाइगर

3750. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचालन समिति की बैठक फरवरी 1997 में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस परियोजना निमत्त दी गई केन्द्रीय राशि को रोक रखा है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) बाघ परियोजना क्षेत्रों के प्रबंधन, प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बाघ परियोजना की संचालन समिति की बैठक 31 जनवरी, 1997 को हुई थी। समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

1. क्षेत्रीय स्तर पर निधियों के आसान और तीव्र प्रवाह के लिए वित्तीय प्रक्रिया की पुन:संरचना।
2. वाणिज्यिक वित्तीय गतिविधियों से बाघ वासस्थलों को दूर रखना।
3. विभिन्न बाघ संरक्षण गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता में वृद्धि।
4. बाघों और बाघ रिज़र्वों के संरक्षण प्रयासों के लिए पूर्ण सहायता देने हेतु राज्य सरकारें के संबंधित प्राधिकारियों से सम्पर्क करना।
5. बाघ रिज़र्वों में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती और विद्यमान रिक्तियों को भरना।

(ग) और (घ) फील्ड स्तर पर केन्द्रीय निधि का प्रवाह में राज्यों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण हुआ। मंत्रालय में उपलब्ध रिकोर्डों के अनुसार दोषी राज्य असम, बिहार और उड़ीसा हैं जिनसे अनुरोध किया गया है कि निधियां तत्काल रिलीज की जाएं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने स्मरण करने के बावजूद भी केन्द्रीय सहायता की रिलीज की गई पहली किस्त के प्रति पेंच और ताडोवा बाघ रिजर्वों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास

3751. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की साकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष 1995-96 के दौरान दी गयी वित्तीय सहायता क्या है; और

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने नये छात्रावासों का निर्माण किया गया और परियोजना के लिए कितनी सहायता प्रदान की गयी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों के लड़कों तथा लड़कियों के होस्टलों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों की 50:50 के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तद्नुसार इस मंत्रालय ने वर्ष 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को अनुसूचिज जातियों के लड़कों के 11 होस्टलों के लिए 66,93,099 रूपए की तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के 5 होस्टलों के लिए 31,81,817 रूपए की वित्तीय सहायता का केन्द्रीय हिस्सा निर्मुक्त किया है। अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों के होस्टलों के लिए 1995-96 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गई।

पलामू बाघ सुरक्षित क्षेत्र

3752. श्री मोहन रावले : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "पलामू टाइगर रिजर्व, ए डेन ऑफ क्रिमिनल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तरोत्तर रूप से खराब होती जा रही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) जी, हां। पलामू बाघ रिजर्व क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति की रिपोर्ट मिली है, जिसके लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि रिजर्व के फील्ड निदेशक को जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाए जाएं। मामलों के हल के लिए बाघ संकट सेल के सदस्यों वाली एक टीम और पटना में प्रशासनिक प्राधिकारी भी इस माह रिजर्व का दौरा कर रहे हैं।

यूरिया की कीमत

3753. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरिया की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप अन्य सभी खाद्यान्नों की कीमतों में भी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या नई दिल्ली में 19 फरवरी, 1997 को हुए राज्य कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में विषय पर चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) जी, हां। यूरिया के मूल्य में 21.2.97 से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नियंत्रण मुक्त फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर दी जा रही रियायत में 1.4.97 से वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है जिससे यूरिया के मूल्य में हुई वृद्धि को निष्प्रभावी किया जा सकेगा। अतः यूरिया की कीमतों में हुई मामूली सी वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन की लागत में बढ़ोत्तरी होने की संभावना नहीं है।

कृषि नीति संकल्प के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए 19.2.197 को राज्यों के कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में, इस बात पर पुनः बल दिया गया कि सरकार किसानों को उचित मूल्य पर तथा उनके सन्निकट गुणवत्ता वाले आदानों जैसे कि बीज, उर्वरक, कृषि उपस्कर तथा मशीनरी, की पर्याप्त मात्रा में तथा समयपूर्वक आपूर्ति करने के लिए प्रयासरत् रहेगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं/ बालिकाओं में निरक्षरता

3754. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां साक्षरता प्रतिशत नाममात्र है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं/महिलाओं के लिए कोई विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की तारीख से इस पर अब तक खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध ने प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) अनुसूचिज जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं में नाममात्र की साक्षरता वाले जिलों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) से (च) बहुत कम साक्षरता स्तरों वाली अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 1996-97 से प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है। यह योजना उन 48 जिलों में लागू है जिनमें 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की दर 2 प्रतिशत से कम है। इन जिलों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु संबंधित जिला परिषदों को 100% सहायता अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 60.00 लाख रू॰ का बजट प्रावधान है और संबंधित जिला परिषदों को 16 आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए अब तक 22.68 लाख रू॰ सहायता अनुदान दिए गए हैं।

अनुसूचित जनजाति लड़कियों में साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर की स्थापना 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है यह योजना स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह योजना उन 48 जिलों में लागू है जिनमें 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर 2% से कम है। इस योजना के अंतर्गत कुछ आदिम जनजाति समूह भी शामिल हैं जिनकी पहचान सामान्यतः बहुत कम महिला साक्षरता वाले समूहों के रूप में की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2600 अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लाभार्थ कुल 52 शैक्षिक परिसरों को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94 से इस योजना के अंतर्गत बजट आबंटन और व्यय इस प्रकार दिए गए हैं :

(रू॰ करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन	व्यय
1993-94	1.25	1.25
1994-95	1.85	1.9659
1995-96	1.50	1.50
1996-97	2.00	0.5956

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

2 प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता वाले 48 जिलों की सूची (1981 की जनगणना)

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	साक्षरता
1	2	3
बिहार		
1.	गिरिधी	1.18
2.	दरभंगा	1.79

1	2	3
3.	मुजफ्फरपुर	1.74
4.	हजारीबाग	1.73
5.	गोपालगंज	1.64
6.	गया	1.61
7.	पुर्निया	1.52
8.	पालामु	1.29
9.	पश्चिम चम्पारन	1.24
10.	पुरबा चम्पारन	1.24
11.	नवादा	1.18
12.	मधुबनी	1.09
13.	सहरसा	1.07
14.	सोमढ़ी	0.89
मध्य प्रदेश		
15.	गुना	1.91
16.	सतना	1.90
17.	छतरपुर	1.83
18.	पन्ना	1.46
19.	राजगढ़	1.29
20.	शहाजापुर	1.28
21.	रेवा	1.14
22.	सिधी	0.58
राजस्थान		
23.	सिकार	1.95
24.	गंगानगर	1.92
25.	भरतपुर	1.85
26.	टोंक	1.82
27.	पाली	1.82
28.	सवाई माधोपुर	1.68
29.	भिलवाड़ा	1.31
30.	चुरू	0.91
31.	नागपुर	0.75
32.	जैसेलमेर	0.62
33.	जालौर	0.51
34.	बाड़मेर	0.51
उत्तर प्रदेश		
35.	देवरिया	1.93
36.	राय बरेली	1.92
37.	ललितपुर	1.77
38.	सीतापुर	1.64
39.	बादांयू	1.62
40.	प्रतापगढ़	1.61
41.	बांदा	1.50
42.	बाराबंकी	1.48
43.	खेरी	1.43
44.	मिर्जापुर	1.41
45.	बस्ती	1.39
46.	सुल्तानपुर	1.14
47.	गोंडा	0.85
48.	बेहराइच	0.78

विवरण-II

2 प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता वाले जिले-1981 की जनगणना के अनुसार

क्र० सं०	राज्य	जिला	साक्षरता दर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	0.73
		महबूबनगर	1.19
		मेडाक	1.31
		आदिलाबाद	1.62
		करीमनगर	1.61

1	2	3	4
		वारंगल	1.39
		नालगोंडा	1.02
2.	बिहार	पश्चिम चम्पारन	1.21
		पुर्निया	2.00
3.	गुजरात	कच्छ	1.44
		बनासकांथा	1.84
4.	मध्य प्रदेश	मुरैना	0.46
		शिवपुरी	0.20
		गुना	0.25
		छतरपुर	0.39
		पन्ना	0.77
		सतना	0.62
		रीवा	0.43
		सिधी	0.54
		रतलाम	0.99
		देवास	0.87
		राजगढ़	0.94
		शाहदौल	1.34
		झाबुआ	1.65
		धर	1.19
		वेस्ट निमार	1.82
		ईस्ट निमार	1.93
		सेहोरे	1.05
		रायसैन	1.32
5.	उड़ीसा	कोरापुत	1.65
6.	राजस्थान	टोंक	0.67
		पाली	0.45
		जालौर	0.09
		सिरोही	0.58
		भीलवाड़ा	0.45
		उदयपुर	0.68
		चित्तौड़गढ़	0.40
		बुंदी	0.91
		अलवर	1.54
		सवाई माधोपुर	1.35
		जयपुर	1.67
		दुर्गापुर	1.31
		कांसवाडा	1.07
		झालावर	1.57
7.	उत्तर प्रदेश	खेरी	0.70
		बेहराइच	0.61
		गोंडा	0.32
8.	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट केमेंग	1.01

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

3755. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कृषि विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत किन-किन जिलों को लाया गया है; और

(ग) इन योजनाओं पर अनुमानत: कितना व्यय किया गया है और इन योजनाओं के लए विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार क्या निष्कर्ष परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में चल रही कृषि विकास संबंधी केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I, विवरण-II तथा विवरण-III में दिया गया है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि राज्यों को उपलब्ध

करायी जाती है जो उसे क्रियान्वयनकारी एजेंसियों को दे देते हैं। अतः इस योजना में कवर किए गये जिलों की सूची दर्शाना संभव नहीं है।

(ग) 1993-94 से 1995-96 के दौरान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश राज्यों को क्रमशः 259 करोड़ रुपए, 165 करोड़ और 300 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है ताकि वे अपने फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बनाये रखें तथा उसमें वृद्धि कर सकें। 1992-93 तथा 1995-96 के दौरान प्रमुख फसलों का उत्पादन और उनकी प्रति हेक्टेअर उपज को दशनि वाला एक विवरण IV संलग्न है।

विवरण-I

महाराष्ट्र में चल रही केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र० सं०	योजनाओं के नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—मोटे अनाज
2.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का विकास
3.	गहन कपास विकास कार्यक्रम
4.	राष्ट्री दलहन विकास परियोजना
5.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
6.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
7.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
8.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित प्रयोग
9.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग का विकास
10.	जैव उर्वरकों के विकास और प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना
11.	समेकित बीज विकास योजना
12.	प्रमुख अभिज्ञात सब्जी फसलों के उत्पादन के लिए प्रमाणित बीजों सतत आपूर्ति
13.	समेकित कीट प्रबंधों के अंतर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
14.	कीटनाशी अधिनियम के क्रियान्वित के अंतर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
15.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा
16.	देश में किसानों का आवागमन
17.	कृषक वैज्ञानिक अंतःक्रिया
18.	कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण
19.	राज्य भू उपयोग बोर्ड
20.	नदी घाटी के परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
21.	मधुमक्खी विकास
22.	औषधि एवं सुगंधित पौधों का विकास
23.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग
24.	वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास
25.	मशरूम का विकास
26.	उष्णकटिबंधीय शुष्क समशीतोष्ण अंचलों के फलों के समेकित विकास
27.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम
28.	मूल एवं कंद फसलों का विकास
29.	पान बेल का विकास
30.	सब्जियों का विकास
31.	समेकित मसाला विकास
32.	खारा पानी मत्स्य फार्म विकास एजेंसियां
33.	तटीय समुद्रीय मात्स्यिकी विकास
34.	समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियम
35.	मत्स्य फार्म विकास एजेंसियां
36.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
37.	एल० डी० पी० के डिबेंचरों में निवेश
38.	समयबद्ध रिपोटिंग योजना
39.	फसल सांख्यिकी में सुधार
40.	फल, सब्जियों एवं छोटी फसलों का फसल अनुमान सर्वेक्षण/मैदानी अध्ययन
41.	पशु संगणना
42.	कृषि संगणना

विवरण-II

मध्य प्रदेश में चल रही केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्रम सं०	योजनाओं का नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम विकास—चावल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—मोटे अनाज
3.	गन्ना आधारित फ़सल का सतत विकास
4.	गहन विकास कार्यक्रम
5.	दलहन विकास परियोजना
6.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
7.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
8.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
9.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित प्रयोग
10.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग का विकास
11.	जैव-उर्वरकों का विकास तथा प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना
12.	समेकित बीज विकास योजना
13.	प्रमुख अभिज्ञात सब्जी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन का सारणीकरण
14.	समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के अंतर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
15.	कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
16.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण का बढ़ावा
17.	देश में किसानों का आवागमन
18.	कृषक वैज्ञानिक अंत:क्रिया
19.	राज्य भू-उपयोग बोर्ड
20.	नदी घाटी परियोजनाओं में स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
21.	बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
22.	क्षारीय मृदा का सुधार
23.	मधुमक्खी पालन का विकास
24.	औषधिक एवं सुगंधित पौधों का विकास
25.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
26.	वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
27.	मशरूम का विकास
28.	उष्णकटिबंधीय शुष्क समशीतोष्ण अंचलों के फलों का समेकित विकास
29.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम
30.	कंद एवं मूल फसलों का विकास
31.	पान बेल का विकास
32.	सब्जियों का विकास
33.	समेकित मसाला विकास
34.	प्रशिक्षण एवं विस्तार
35.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी
36.	मत्स्य विकास फार्म एजेंसियां
37.	अंतर्देशीय मत्स्य विपणन
38.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
39.	एल० डी० पी० के डिबेंचरों में निवेश
40.	गैर अतिदेय कवर योजना
41.	कृषि ऋणस्थिरीकरण
42.	महिला सहकारी समितियों को सहायता
43.	समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना
44.	फसल सांख्यिकी में सुधार
45.	पशुधन संगणना
46.	कृषि संगणना

विवरण-III

उत्तर प्रदेश में चल रही केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्रम सं०	योजनाओं का नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—चावल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—गेहूं
3.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
4.	गहन विकास कार्यक्रम
5.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम
6.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
7.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
8.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
9.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
10.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित प्रयोग
11.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग का विकास
12.	जैव-उर्वरकों का विकास तथा प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना
13.	समेकित बीज विकास परियोजना
14.	प्रमुख अभिज्ञात सब्जी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन का सारणीकरण
15.	समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के अंतर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
16.	कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
17.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा
18.	राज्यों में किसानों का आवागमन
19.	कृषक वैज्ञानिक अंत:क्रिया
20.	कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण
21.	राज्य भू-उपयोग बोर्ड
22.	नदी घाटी परियोजनाओं में स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
23.	बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
24.	क्षारीय मृदा का सुधार
25.	मधुमक्खी पालन का विकास
26.	औषधिक एवं सुगंधित पौधों का विकास
27.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
28.	वाणिज्यिक कृषि पुष्प का विकास
29.	मशरूम का विकास
30.	उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म समशीतोष्ण अंचलों के फलों के समेकित विकास
31.	मूल एवं कंद फसलों का विकास
32.	पान बेल का विकास
33.	सब्जियों का विकास
34.	समेकित मसाला विकास
35.	प्रशिक्षण एवं विस्तार मात्स्यिकी
36.	अंतर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी
37.	मत्स्य फार्म विकास एजेंसियां
38.	अंतर्देशीय मत्स्य विपणन
39.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
40.	एल० डी० पी० के डिबेंचरों में निवेश
41.	गैर अतिदेय कवर योजना
42.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि
43.	महिला सहकारी समितियों को सहायता
44.	कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता
45.	समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना
46.	फसल सांख्यिकी में सुधार
47.	फल एवं सब्जी, छोटी फसलों पर फलस अनुमान सर्वेक्षण
48.	पशुधन संगणना
49.	कृषि संगणना

विवरण-IV

प्रमुख फसलों के उत्पादन और उपज के अनुमान

उत्पादन : 000 टन
उपज : किग्रा०/है०

ब्यौरा	मध्य प्रदेश		महाराष्ट्र		उत्तर प्रदेश	
	1992-93	95-96	92-93	95-96	92-93	95-96
चावल						
उत्पादन	5283	5705	2364	2563	9709	10408
उपज	1024	1104	1532	1689	1773	1867
गेहूं						
उत्पादन	5243	6468	798	898	19834	22203
उपज	1438	1614	1174	1275	2226	2453
मोटे अनाज						
उत्पादन	3466	2502	9054	6546	4167	4081
उपज	945	801	1088	845	1352	1317
दलहन						
उत्पादन	2898	3102	1829	1661	2527	2252
उपज	611	604	546	503	865	770
कुल खाद्यान्न						
उत्पादन	16890	17777	14045	11668	36238	38943
उपज	979	1020	1011	879	1777	1886
कपास						
उत्पादन	353	422	1808	2799	14	15
उपज	128	134	124	155	184	177
गन्ना						
उत्पादन	1324	2023	30854	46656	102929	119830
उपज	33964	39980	76408	80442	55413	60692
तिलहन						
उत्पादन	3583	4901	1772	1981	1202	1469
उपज	745	870	685	775	705	855

मदर डेयरी की फसलों और सब्जियों के बिक्री केन्द्र

3756. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1997 के दौरान दिल्ली में मदर डेयरी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा खोले गये फल और सब्जियों के बिक्री केन्द्रों/उप-केन्द्रों की संख्या क्या हैं और कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ऐसे बिक्री केन्द्र/उप-बिक्री केन्द्र कहां-कहां पर हैं जहां बिना मुद्रक वाली तुला मशीन भेजी गई हैं; और

(ग) ऐसे बिक्री केन्द्रों/उप-बिक्री केन्द्रों पर मदर डेयरी द्वारा मुद्रक कब तक प्रदान किये जाने का संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) दिल्ली में जनवरी, 97 के दौरान फल तथा सब्जी की 7 खुदरा दुकानें खोली गईं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

दुकान संख्या	स्थान
630	ब्लाक जी, विकासपुरी
633	ब्लाक ए-1, पंखा रोड, जनकपुरी
699	सैक्टर-18, रोहिणी
073	ब्लाक-जे॰ के॰ एल॰, सरिता विहार
079	एम॰ बी॰ रोड, तिगड़ी
632	ब्लाक सी 2-सी, जनकपुरी
629	जूपीटर अपार्टमैंट्स, विकासपुरी

(ख) उक्त सभी 7 दुकानों को प्रिंटर सहित वजन मशीनें दी गई हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सहायता राशि में कटौती

3757. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सहायता राशि में कटौती किए जाने संबंधी कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों, जिनका 220.45 करोड़ रुपये बकाया है, के योजना परिव्यय से धनराशि की कटौती करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों पर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ङ) क्या अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राज्यों को और समय दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) पूर्वोत्तर राज्यों को राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। इनके अलावा, इन राज्यों को लघु बचत ऋण भी मिलते हैं। ऋण भारत सरकार को वापस करना होता है। 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण 4780.87 करोड़ रुपए है जिनमें 892.62 करोड़ रुपए 1996-97 के दौरान देय है। ये ऋण राज्यों द्वारा सामान्य रूप से चुकाये जाते हैं। कुछ मामलों में ये ऋण केन्द्रीय सहायता की राशि से समायोजित किए जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने, राज्य सरकारों के परामर्श के साथ निश्चित करके, संबंधित राज्य सरकारों को देय योजना सहायता राशि विनियोग के द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देय सभी बकाया की वसूली हेतु एक प्रस्ताव की स्वीकृति दी है इस वास्ते विद्युत मंत्रालय के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि (31.12.96 की स्थिति के अनुसार) 356.66 करोड़ रुपए है तथा रेल मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय के संबंध में (30.11.96 की स्थिति के अनुसार) 0.27 करोड़ रुपए है।

भूटान से आए शरणार्थी

3758. **श्री आर॰ बी॰ राई॰** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल से जबरन निकाले गए सैकड़ों भूटानी शरणार्थियों, जो वापस अपने घरों को जाना चाहते थे, को पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले के सीमा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूरिया का उत्पादन

3759. **श्री के॰ प्रधानी** :

श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में यूरिया के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा वास्तविक रूप से कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में यूरिया की मांग और उपलब्धता के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन से किन तथ्यों का पता चला;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में यूरिया की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यों की तुलना में यूरिया का वार्षिक उत्पादन निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	यूरिया का उत्पादन (000 मी० टन)	
	लक्ष्य	वास्तविक
1992-93	13486.3	13122.9
1993-94	14065.0	13148.3
1994-95	14707.1	14202.0
1995-96	15378.9	15819.7
1996-97	16273.2	15544.3 (प्रत्याशित)

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण के लिए प्रारंभिक तैयारी के संदर्भ में दो वैकल्पिक परिदृश्यों में यूरिया की मांग और उपलब्धता का निम्नलिखित अनुमान किया गया है।

उत्पाद के रूप में यूरिया की मांग-आपूर्ति अंतर का अनुमान

परिदृश्य 1 : यूरिया के मूल्य में कोई संशोधन न मानते हुए

(लाख टन में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति	अंतर
1996-97	219.00	163.60	55.40
1997-98	230.00	174.93	55.07
1998-99	249.00	187.76	61.24
1999-00	273.00	206.57	66.43
2000-01	299.00	253.63	45.37
2001-02	326.00	260.89	65.11

परिदृश्य 2 : यूरिया के मूल्य में संशोधन को मानते हुए

(लाख टन में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति	अंतर
1996-97	209.00	163.60	45.40
1997-98	211.00	174.93	36.07
1998-99	218.00	187.76	30.24
1999-00	225.00	206.57	18.43
2001-01	235.00	253.63	−18.63
2001-02	245.00	260.89	−15.89

(घ) और (ङ) 24 जुलाई, 1991 को जारी औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए अब किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक/सहकारी इकाइयों ने यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई है :

(i) विद्यमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्राफिटिंग/पुनरुद्धार,

(ii) नेफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करके तथा विद्यमान संयंत्रों तथा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में डूएल फ्यूल/फीडस्टाक सुविधाएं लगाकर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं को दूर करना तथा

(iii) प्रचूर और सस्ते कच्चे माल वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना।

निजी क्षेत्र के उद्यमियों ने भी स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने निवेश प्रस्ताव बनाए हैं।

वन भूमि को गैर-वन-भूमि में बदलना

3760. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री हंस राज अहीर :

श्री आनन्दराव बिठोबा अडसूल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राज्य सरकार को पांच हेक्टेयर भूमि से अनाधिक वन भूमि को गैर वन भूमि में बदलने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या पांच से बीच हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन भूमि में

बदलने के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृति देने बारे में उसे शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध भी प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) भारत सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अंतरण के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में राज्य सरकारों की शक्तियां प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) मुख्य वन संरक्षक को शक्तियां प्रत्योजित करने का संशोधन इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

जाली डिग्रियां

3761. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1997 में चन्द्र शेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से जाली डिग्री दिये जाने के एक गिरोह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

पशुओं की चीर-फाड़ को रोकने के लिए कम्प्यूटर

3762. श्री भक्त चरण दास : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का विचार स्कूलों में पशुओं की चीर-फाड़ को रोकने के लिए कम्प्यूटरों का एक सोफिस्टीकेटिड सॉफ्टवेयर मॉडल शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्प्यूटरों के कब तक चला दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त मसलों की राज्य सरकार के साथ भी चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कोई अन्य कल्याण बोर्ड गठित किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बोर्ड के मुख्य कार्य क्या-क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) स्कूलों में पशुओं की चीर-फाड़ को रोकने के लिए कम्प्यूटरों का एक सॉफ्टवेयर मॉडल आरंभ करने के लिए भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड ने राज्य सरकारों की सिफारिश की है।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि इस उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है, अभी तक कम्प्यूटरों को चलाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं।

(घ) अधिकतर राज्यों एवं केन्द्रीय शिक्षा बोर्डों ने संकेत दिया है कि संसाधनों की कमी और कम्प्यूटर उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण वे शीघ्र ही कम्प्यूटरों को चलाने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि चीर-फाड़ के द्वारा प्राप्त किए हुए बहुमूल्य अनुभव को कम्प्यूटर मॉडल से पूरी तरह नहीं बदला जा सकता।

(ङ) और (च) 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जीवजन्तु कल्याण के लिए 24 राज्य सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। इन बोर्डों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : जीवजन्तु कल्याण से संबंधित सभी मामलों में राज्य सरकारों को परामर्श देना, संबंधित राज्य में जीवजन्तु कल्याण संगठनों की गतिविधियों को गाइड करना और यदि संभव हो तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, जीवजन्तु कल्याण से संबंधित कानूनों को लागू करने में भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड के साथ सम्पर्क बनाए रखना और जानवरों को अनावश्यक कष्ट एवं कठिनाइयां पहुंचाने के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देना।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चीनी मिलें

3763. डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में चीनी मिलों को नियमों की अवहेलना करने के कारण बंद करने का नोटिस जारी किया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उनकी प्रतिक्रिया जानने के पश्चात् कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रतलाम जिले में स्थित चीनी मिल को बहिस्त्राव तथा उत्सर्जन के निर्धारित मानदण्डों

के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपाए न करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत बंद करने का नोटिस दिया है। उद्योग ने सूचित किया है कि वह बहिस्त्राव शोधन संयंत्र लगाने और उसे चालू करने की प्रक्रिया में लगा है और मई/जून 1997 के अंत तक यह पूरी हो जाएगी।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चूंकि पहले ही कार्रवाई कर चुका है अत: इस स्थिति में सरकार का आगे और कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

[अनुवाद]

नाम/चित्रात्मक निरुपण का उपयोग

3764. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे नाम अथवा चित्रात्मक निरुपण क्या है जिनका उपयोग संप्रतीक और नाम (अनुसूचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है;

(ख) यह प्रन्षिेध किस तारीख से लागू है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस प्रावधान के उल्लंघन की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उल्लंघन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जिन चित्रात्मक निरुपणों का उपयोग निषिद्ध है उनके नामों को संप्रतीक और नाम (अनुसूचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 की अनुसूची में दर्शाया गया है। जिन तरीख़ों से इन्हें निषिद्ध किया गया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

अनुसूची

क्र० सं०	मद	जिस तारीख से निषिद्ध है
1	2	3
1.	संयुक्त राष्ट्र संगठन का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।	
2.	विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम, संप्रतीक अथवा आधिकारिक मुहर।	
3.	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज	
4.	भारत सरकार अथवा किसी राज्य का नाम, संप्रतीक अथवा आधिकारिक मुहर या कोई अन्य अधिकार चिह्न अथवा ऐसी किसी सरकार या ऐसी किसी सरकार के विभाग द्वारा प्रयुक्त शस्त्र के ऊपर का कोट।	1.9.1950
5.	सेंट जॉन एम्बुलेन्स एसोसिएशन (इंडिया) तथा सेंट जॉन एम्बूलेन्स ब्रिगेड (इंडिया) का संप्रतीक, जिसमें चार मुख्य कोणों में आभूषित आठ नोक वाला एक श्वेत क्रांस का आकार है तथा जिसके वृत्तपाद पर एकांतर पर दक्षिणोन्मुख सिंह तथा एक दक्षिणोन्मुख अरण्याश्व है, चाहे उक्त आकार संकेन्द्रित वृत्तों अथवा अन्य सजावटों या अक्षराकनों में आवृत्त हो या न हो, शामिल है।	
6.	राष्ट्रपति, राज्यपाल (सदरे रियासत) अथवा भारतीय गणतंत्र या भारतीय संघ का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।	
7.	कोई नाम जिससे निम्नांकित संकेत मिलता हो या संकेत परिकल्पित किया जा सकता हो : (1) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का संरक्षण, अथवा (2) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत सरकार द्वारा गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम अथवा निकाय से संबद्ध हो।	
8.	संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृत संगठन का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।	
9.	राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, का नाम उनका चित्रमय निरुपण	1.9.1950
9 (क)	महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी या भारत के प्रधान मंत्री का नाम या चित्रमय निरुपण अथवा "गांधी" "नेहरू" या "शिवाजी" शब्द केवल कलेन्डरों में उनके चित्रमय प्रयोग के सिवाय जहां केवल कलेन्डरों के विनिर्माताओं व मुद्रकों का नाम दिया जाता है और कलेन्डरों का प्रयोग वस्तुओं के	8.4.1970

1	2	3
	विज्ञापन के लिए नहीं किया जाता है। (अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1503 तारीख 8 अप्रैल, 1970 द्वारा निविष्ट)	
10.	सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित पदक, बिल्ले या अलंकरण अथवा ऐसे पदकों, बिल्लों या अलंकरणों के लघु रूप या प्रतिकृति (या ऐसे पदकों, बिल्लों या अलंकरणों के नाम अथवा उनके लघु रूप या प्रतिकृति)	
11.	अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का नाम, संप्रतीक या आधिकारिक मुहर।	
12.	"इंटरपोल" शब्द जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों हेतु पुलिस संगठन का एक अभिन्न अंग है।	1.9.1950
13.	विश्व मौसम-विज्ञान संगठन का नाम, संप्रतीक अथवा आधिकारिक मुहर।	
14.	ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नाम व संप्रतीक।	
15.	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नाम संप्रतीक व अधिकारिक मोहर।	
16.	"अशोक चक्र" या "धर्म चक्र" का नाम अथवा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी विभाग की आधिकारिक मुहर या संप्रतीक में प्रयुक्त अशोक चक्र का चित्रण निरुपण।	
17.	संसद अथवा किसी राज्य की विधान सभा अथवा उच्चतम न्यायालय अथवा किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा केन्द्रीय सचिवालय, अथवा किसी राज्य सरकार के सचिवालय अथवा किसी अन्य सरकारी कार्यालय का नाम अथवा उपर्युक्त किन्हीं भी संस्थाओं द्वारा अधिकृत किसी भवन का चित्रमय निरुपण।	1.9.1950
18.	रामकृष्ण मठ और मिशन का नाम और संप्रतीक, जिसमें पानी पर तैरता हुआ हंस, जिसके सामने की ओर कमल का फूल है और पृष्ठभूमि में निकलता हुआ सूर्य है, जो कि संपूर्णत: वन्य सर्प द्वारा घिरा हुआ है तथा "तन्नोहरा प्रचोदयात" शब्द निचले भाग में अध्यारोपित है। (दिनांक 4 अगस्त, 1973 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2356 द्वारा निविष्ट)।	4.8.1973
19.	श्री शारदा मठ और राम कृष्ण शारदा मिशन, जिसमें पानी पर तैरता हुआ एक हंस (दाहिनी और उन्मुख) जिसमें सामने की ओर कमल का एक फूल और पृष्ठभूमि में उभरता हुआ सूर्य है तथा जो सम्पूर्णत: वन्य सर्प (जिसके दाहिनी और निचले हिस्से की ओर तन्नोहरा प्रचोदयात शब्द अध्यारोपित है।) (दिनांक 11 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना सं॰ का॰ आ द्वारा निविष्ट)	11.9.1973
20.	"भारत स्काउटस् और गाइड्स" का नाम संप्रतीक सहित। (दिनांक 10 जुलाई, 1974 की अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ द्वारा निविष्ट)	10.7.1974
21.	अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का संप्रतीक सहित नाम जो कि पांच आपस में गुंथे हुए छल्ले हैं। (18 अगस्त, 1978 की अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 2457 द्वारा निविष्ट)।	18.8.1978
22.	राष्ट्रीय युवा संप्रतीक का नाम और संप्रतीक जो कि काले और सफेद रंग में है और जिसमें एक घेरे के अंदर सामने की ओर देखते हुए युवाओं-पुरुष तथा महिला-के पार्श्व चित्र हैं। दोनों चेहरे दाईं और मुड़े हुए हैं और पुरुष के चेहरे का पार्श्व चित्र काला है तथा स्त्री के चेहरे के पीछे की ओर स्थित है। स्त्री के पार्श्व चित्र का पीछे का हिससा विपरीत दिशा में उड़ते हुए एक कपोत, जिसका पिछला भाग घेरे से बाहर है और जो पत्ती के साथ एक टहनी लिए हुए हैं, की पूंछ और पंख बनाता है। कपोत का पार्श्व चित्र सफेद रंग में है और महिला के पार्श्व चित्र का बकाया स्थान क्षैतिज काली रेखाओं से ढका हुआ है। पुरुष चेहरे के काले पार्श्व चित्र तथा घेरे के बीच का स्थान भी काली क्षैतिज रेखाओं से ढका हुआ है। कपोत के पार्श्व चित्र तथा कपोत के बाईं ओर के घेरे के बीच स्थान भी काला है। पत्ती और टहनी काली हैं। कपोत की एक आंख एक बिंदु की तरह दिखाई गई है। (23 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 373 (अ) द्वारा निविष्ट)।	23.6.1986

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मूल्य वृद्धि का प्रभाव

3765. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली चीनी, चावल तथा गेहूं में मूल्य वृद्धि से खुले बाजार में भी इन वस्तुओं की कीमत तथा आपूर्ति पर असर पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने इन वस्तुओं की कमी तथा मूल्य वृद्धि को गंभीरता से लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) 1.2.94 से बढ़ाए गए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य अभी भी लागू हैं। सरकार द्वारा घोषित की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन संशोधित निर्गम मूल्य अभी तक किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू नहीं किए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य 10.2.97 से 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10.50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिए गए हैं।

सरकार के पास चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। खुले बाजार में चीनी की विवेकपूर्ण निर्मुक्तियां कर मूल्यों को नियंत्रित रखा गया है।

जहां तक चावल का संबंध है, इसकी उपलब्धता और मूल्य स्थिति सामान्य बनी हुई है। 1996-97 मौसम के हाल ही के महीनों में गेहूं की कृत्रिम कमी देखी गई थी।

सरकार ने 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में बिक्री योजना के लिए अधिक आबंटन करने, लाइसेंसिंग और स्टाक रखने की सीमा लागू करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के उपबंधों के अधीन जमाखोरों और चोर बाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने सहित अनेक कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

बहुमूल्य पत्थरों का खनन

3766. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के संरक्षित वनों, विशेषकर जनजाति बहुल क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीमती पत्थरों के अवैध खनन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसे कीमती पत्थरों के अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, गुजरात द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार धानपुरा वन सर्वेक्षण संख्या 339 और 257 से एक बहुमूल्य वालस्टोनाइट खनिज के अवैध उत्खनन के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सचित किया है कि इस मामले की जांच राजस्व तथा वन अधिकारियों ने की है। उन्होंने पाया कि दो पट्टेधारक जिन्हें ग्राम धानपुरा के राजस्व सर्वेक्षण संख्या 255/2 में चूना पत्थर उत्खनन के लिए पट्टे मंजूर किए गए थे, ने जनवरी, 1993 के दौरान सर्वेक्षण संख्या 339 के 0.03 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अवैधरूप से खनन किया।

(ङ) इस बारे में गुजरात के वन विभाग ने निम्नलिखित कार्रवाई की है :

1. 12 ट्रक खनिज खनिज और 20 टन खजिन पाउडर जब्त किया गया।
2. अपराधी और वन प्रभारी के फारेस्ट के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। यह भी सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा कार्रवाई करने के बाद अवैध खनन का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। यह मामला न्यायालय में लंबित है।

[अनुवाद]

हथियारों का गिराया जाना

3767. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्म्स इंटेलीजेंस विंग ने चेतावनी दी है कि कुछ उग्रवादी संगठनों द्वारा पुरुलिया में हथियार गिराने की घटना की तरह ही अन्य स्थानों पर हथियार गिराए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या प्रस्तावित उपायों से भारत में पर्यटकों का आगमन प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) उस क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र पर समस्त उपलब्ध संसाधनों के साथ उच्च स्तरीय चौकसी रखने के लिए मुख्यालय, पूर्वी वायुसेना कमान को निदेश दिए गए हैं।

(ii) सीमा पर स्थित सेना की सीमा चौकियों को कहा गया है कि वे, एच० एफ० नेट पर किसी भी वायुयान के संचलन की रिपोर्ट मुख्यालय, पूर्वी वायुसेना कमान को दें। मुख्यालय, पूर्वी वायुसेना कमान, समन्वयक एजेंसी है।

(iii) महानिदेशक, नागरिक उड्डयन को सूचित किया गया है कि इस क्षेत्र में पूर्व सूचना के बिना उड़ान भरने वाले सभी विमानों के साथ बहुत सावधानी बरतनी है। ऐसे संचलनों से मिलने वाले किसी भी प्रकार के संदेहास्पद संकेतों की सूचना तुरंत ही समस्त संबंधित एजेंसियों को देनी होगी।

(iv) अनिश्चित अंतरालों पर, दिन में दो बार, कम से कम एक घंटे की अवधि के लिए क्षेत्र की टोह लेने और गश्त लगाने के लिए हैलीकॉप्टरों को लगाया गया है।

(v) सीमा के साथ लगे पूरे क्षेत्र में चौकसी बरतने के लिए सेना को सतर्क कर दिया गया है।

(vi) म्यांमार/नागालैंड सीमा पर स्थित असम राइफल्स की सीमा चौकियों को चौकसी बरतने के लिए सावधान कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

3768. श्री शिवराज सिंह :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे हैं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में अपराध दर सर्वाधिक और न्यूनतम है इन अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, यह ब्यूरो अपने वार्षिक प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अपराध संबंध आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करता है। इसकी नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 1994 की है। अपराध दर और अपराध की घटनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में उपलब्ध हैं।

राज्यों में, अपराध की दर राजस्थान में सर्वाधिक तथा पंजाब में न्यूनतम है। संघ शासित क्षेत्रों में, अपराध दर दिल्ली के मामंले में सर्वाधिक तथा लक्षद्वीप के मामले में न्यूनतम है।

"लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अधीन राज्य सरकारों की पुलिस के आधार-भूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, सहायता करती रही है। इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और पंजाब को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई गई है :

राज्य	वर्ष (रुपये लाखों में)		
	1993-94	1994-95	1995-96
राजस्थान	105.02	224.92	77.46
पंजाब	38.09	84.65	84.65

उपर्युक्त योजना के अधीन उन संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिन्हें केन्द्र द्वारा, अन्यथा, सहायता दी जाती है।

विवरण

	अपराध	अधिकतम अपराध दर		न्यूनतम अपराध दर		अधिकतम अपराध दर		न्यूनतम अपराध दर	
		राजस्थान		पंजाब		दिल्ली		लक्षद्वीप	
		घटना	दर	घटना	दर	घटना	दर	घटना	दर
(i)	हत्या	1499	3ण2	662	3.1	492	4.6	0	.0
(ii)	हत्या के प्रयास	1761	3.7	399	3.1	479	4.5	0	.0
(iii)	हत्या की श्रेणी में न आने वाला मानव वध	124	.3	99	.5	84	.8	0	2.0
(iv)	बलात्कार	1042	2.1	118	.5	309	2.9	0	.0
(v)	अपहरणं और व्याहरण जोड़	2531	5.4	220	1.0	1055	10.0	0	.0
(क)	महिला और लड़कियां	2110	4.5	133	.6	713	6.7	0	.0
(ख)	अन्य	421	.9	85	.4	342	3.2	0	.0
(ग)	डकैती	88	.2	10	.0	19	.2	0	.0
(vi)	डकैती के लिए तैयारी करना और एकत्र होना	8	.0	15	.1	14	.1	0	.0
(vii)	लूटपाट	1137	2.4	46	.2	377	3.6	0	.0
(viii)	सेंधमारी	8327	17.6	989	4.6	1660	15.7	3	5.0
(ix)	चोरी	15517	32.8	1275	6.0	13490	127.4	20	33.3
(x)	दंगे	18741	39.7	7	.0	172	1.6	8	13.3
(xi)	आपराधिक विश्वासघात	846	1.8	147	.7	578	5.5	1	1.7
(xii)	बेइमानी	5549	11.7	532	2.5	1383	13.1	0	.0
(xiii)	जालसाजी	287	.6	11	.1	99	.9	0	.0
(xiv)	भा॰ द॰ स॰ के॰ मामले	75602	160.0	6120	28.7	18012	170.1	20	33.3
(xv)	भा॰ द॰ सं॰ के तहत कुल संज्ञेय अपराध	133019	281.5	10631	49.9	38223	360.9	52	86.7

टिप्पणी : दर = जनसंख्या के प्रति लाख (1,00,000) पर अपराध की घटनाएं। घटना — घ 1 दर = दर

[अनुवाद]

पुरुलिया में शस्त्र गिराए जाने का मामला

3769. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री अनिल बसु :

श्री के॰ डी॰ सुल्तानपुरी :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरुलिया में शस्त्र गिराए जाने के मामले में और क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या पिछले माह मुंबई में सहारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किसी अमरीकी पासपोर्ट धारक मार्टिन कोनार्ड स्किन्डर को गिरफ्तार किया गया था जिस पर किम डेवी का घनिष्ट सहयोगी और पुरुलिया शस्त्र

मामले में संलिप्त होने का संदेह है;

(ग) यदि हां, तो इस में उनके द्वारा क्या-क्या बातें बताई गई; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है लातविया एवं बुलगारिया को भेजे गए अनुरोध पत्र की निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। डेनमार्क तथा युनाइटेड किंडम को भेजे गए अनुरोध पत्र का निष्पादन हो गया है तथा कई अन्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों को अनुरोध पत्र निष्पाअन हेतु भेजे गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि श्री मार्टेन कोनराड स्नेडर जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है, को 17.1.1997 को सहारा आप्रवासन पुलिस, मुंबई एयरपोर्ट द्वारा रोका गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, पुरुलिया में हथियार गिराने के मामले में उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध में होने के बारे में अभी तक कोई सबूत उपलब्ध नहीं है।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में सभी उचित कार्रवाई कर रही है।

सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण

3770. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, महोदया।

(ख) आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी, शस्त्रों, वाहनों, एयर विंग तथा सीमा/तटीय गश्त के लिए प्रशिक्षण कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ परीक्षण किए जाते हैं तथा सीमा सुरक्षा बल को इसके कार्य हेतु आधुनिक और फिट बनाए रखने के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं।

ब्लैक वीड्स

3771. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में जंगलों, कृषि तथा परती भूमि के बड़े भाग में ब्लैक वीड्स हैं जिसके परिणामस्वरूप यह किसानों, चाय उत्पादकों तथा वनवालों को अभिशाप सिद्ध हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त पहाड़ी क्षेत्रों से ब्लैक वीड्स को साफ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कानपुर में पनाकी पावर हाउस

3772. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पनाकी पावर हाउस से निकलने वाले धुएं तथा राख से इस पावर हाउस के दस किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन को गंभीर खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) कानपुर के पनाकी पावर हाउस के आस-पास रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के बारे में कोई ठोस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार पावर हाउस द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की समस्या से अवगत है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण की समस्या को रोकने के वास्ते आवश्यक उपाय करने के लिए पावर हाउस को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं :

1. निलंबित कणिकीय पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स की समुचित रूप से स्थापना और संचालन।
2. कम राख की मात्रा वाले लाभकारी/मिश्रित कोयले के प्रयोग के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करना।
3. फ्लाई ऐश को इस्तेमाल में लाना।
4. ओपैसिटी मीटरों की स्थापना और उनका समुचित संचालन सुनिश्चित करना।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की मानीटरन की जा रही है।

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय विलय का प्रभाव

3773. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पाद पेटेन्ट के अभाव में भारतीय भेषज उद्योग पर विश्व स्तरीय विलयन और खरीदारी की होड़ के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है और सन् 2000 तक कितने उत्पादों का पेटेन्ट कर दिया जाएगा; और

(ग) भेषजीय उत्पादनों की निर्माण लागत तथा अनुसंधान और विकास संबंधी लागत में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) अभी तक सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) सन् 2000 तक पेटेन्ट किए उत्पादों की संख्या आर॰ एंड डी॰ प्रयासों के प्रतिफल पर निर्भर करेगा।

(ग) अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए है जिसे विश्व व्यापार परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए अधिक महत्व दिया गया है। अतः सामने आयी चुनौतियों में व्यापाक आर॰ एंड डी॰ प्रयासों के माध्यम से सतत् स्वदेशी उद्योग और प्रपुंज औषध उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे लागत प्रभावी बनाना शामिल है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की योजनाओं के अधीन आर॰ एंड डी॰ कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता, सहयोगात्मक अनुसधान सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ के विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा शुरू किए गए है तथा आर॰ एंड डी॰ उन्मुख वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना कुछ ऐसे कदम हैं जो आर॰ एंड डी॰ को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन

3774. श्री विजय पटेल :

डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में आपूर्ति किए जाने वाले चावल और गेहूं की दरों में कमी की घोषणा कर दी गई; और

(ख) यदि हां, तो अब उन राज्यों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना किस तरह से कार्यान्वित की जाएगी ?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं का अंतिम खुदरा मूल्य निर्धारित नहीं किया है और भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय निर्गम मूल्य के निर्धारण के संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् निर्धारित किया जाएगा।

(ख) माननीय प्रधानमंत्री ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरंभ किए जाने के संबंध में 24.2.97 को लोकसभा में एक वक्तव्य दिया है और इस संबंध में जारी किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के तरीके को बताने वाले विस्तृत दिशा निर्देशों को सदन के पटल पर भी रख दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वर्गीय प्रोफेसर ताकड़ावाला की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित "गरीबों के अनुपात और उनकी संख्या के आकलन के संबंध में विशेषज्ञ दल" के तरीकों को अपनाकर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा निकाले गए अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों की पहचान करें।

तदनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से नीचे के लाभभोगियों की पहचान करने, उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करने और लाभभोगियों को संतोषजनक और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने हेतु सभी प्रबंध करने के लिए कहा गया है। जैसे ही कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस कार्य को पूरा कर लेगा, यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करना शुरू कर सकता है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्कीम देशभर में पहली जून, 1997 से लागू हो जाएगी।

पशुचारा उद्योग

3775. श्री अनंत गुढे : क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1997 के "इकोनॉमिक टाइम्स" में "स्ट्रिन्जेंट कंट्रोल्स हिंडर ग्रोथ ऑफ लाइवस्टॉक फीड इंडस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना विकास संबंधी अनुमानों के अनुसार पशु चारा उद्योग के तेजी से विकास हेतु किए गए/विचाराधीन नई नीति संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ग) पशुधन आहार उद्योग के विकास को संवर्धित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) कुक्कुट आहार निर्माण को (सिवाय पैलेट फार्म के) जिसे अभी तक लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है, अनारक्षित किया जा रहा है।

(ii) एक तरह के पशु आहार को तैयार करने की प्रणाली जो केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 कि तहत आती है, जो उत्पाद शुल्क से बराबर पूरी छूट दी जा रही है।

(iii) एमिनो एसिड जैसे आहार अवयवों के आयात को सीमा शुल्क में रियायत दी जाती है।

[हिन्दी]

ट्रिपल सुपर फास्फेट

3776. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को "ट्रिपल सुपर फॉस्फेट" उर्वरक की सप्लाई की जा रही है;

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य को कुल कितने "ट्रिपल सुपर फॉस्फेट" उर्वरक की सप्लाई की गई है;

(ग) ऐसे प्रत्येक राज्य को इस पर राजसहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है; और

(घ) किन-किन संस्थानों अथवा संगठनों के माध्यम से इन राज्यों को इस की सप्लाई की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश में ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का उत्पादन नहीं किया जाता है तथा किसी भी राज्य को इसकी आपूर्ति नहीं की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वित्त विकास निगमों की स्थापना

3777. श्री भक्त चरण दास :

श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इन निगमों की शक्तियों, क्षेत्राधिकार और कार्य-अवधि सहित मार्ग निदेश क्या है; और

(ग) ये दोनों निगम कब तक अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(1) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में दिनांक 24 जनवरी, 1997 को स्थापित किया गया जिसका मुख्यालय फरीदाबाद (हरियाणा) में है।

(2) सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को गठित किया है। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में 24 जनवरी, 1997 से निगमित किया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है।

(ख) (1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(2) जहां तक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम का संबंध है मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति/निगम के उद्देश्य विवरण I और II के रूप में संलग्न हैं। इसके क्षेत्राधिकार के संबंध में, निगम के संगम ज्ञापन में यह व्यवस्था है कि कंपनी शुरू के वर्षों के दौरान केवल ऐसे सफाई कर्मचारियों, जो सफाई कर्मचारी हैं, या उनके आश्रितों तक को सहायता करने के कार्य को सीमित रखेगी और सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को व्यापक रूप से शामिल कर लिए जाने के पश्चात् अपने कवरेज का विस्तार सभी अन्य सफाई कर्मचारियों तक करेगी तथा यह कि, यदि अन्य बातें समान रहें तो यह कंपनी महिला सफाई कर्मचारियों के आर्थिक विकास तथा पुनर्वास को प्राथमिकता प्रदान करेगी। इस आयोग के प्रचालन के लिए कोई अवधि नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम अगले वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान कार्य करना आरंभ करेगा।

विवरण-I

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम

1. सफाई कर्मचारियों के लाभ के लिए आर्थिक विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
2. सफाई कर्मचारियों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्वरोजगार उद्यमों का बढ़ावा देना।
3. सफाई कर्मचारियों तथा सफाई कर्मचारियों के वर्गों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य आय सृजक योजनाओं/परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिमों द्वारा, ऐसी आय तथा/अथवा आर्थिक मानदंडों जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं के अध्यधीन, सहायत प्रदान करना।
4. संबद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ सहयोग में सफाई कर्मचारियों को रियायती वित्त प्रदान करना।

5. स्नातक तथा उच्च स्तरों पर व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सफाई कर्मचारी समुदाय से छात्रों को ऋण का विस्तार करना।

6. सफाई कर्मचारी समुदाय द्वारा स्थापित सेवा यूनिटों तथा उत्पादन के उचित और कुशल प्रबंध के लिए सफाई कर्मचारी समुदाय वाले लोगों के तकनीकी तथा उद्यमीय कौशल को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना।

7. सफाई कार्य करने के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रौद्योगिक उन्नयन तथा अन्य सामान्य सुविधा केन्द्रों का बढ़ावा देना।

8. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्राधिकृत राज्य माध्यम एजेंसियो के जरिए निधियों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की प्रणाली पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना। सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम उपर्युक्त संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त करेगा तथा इन संगठनों के माध्यम से वितरण के लिए लाभग्राहियों को ऋण तथा सीमांत धन स्वीकृत करेगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राधिकृत राज्य वित्त एव विकास निगमों/बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों को समन्वित तथा मानीटर भी करेगा।

9. तैयार सामानों के विपणन में स्वनियोजित व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूहों अथवा सफाई कर्मचारियों के पंजीकृत कारखानों/कंपनियों/सहकारिताओं की सहायता करना और कच्चे माल की खरीद में सहायता करना।

10. सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक विकास तथा पुनर्वास के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता करना।

विवरण-II

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम

इस निगम के उद्देश्य इस प्रकार है :

1. विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

2. विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए स्व-रोजगार तथा अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना।

3. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आय तथा/अथवा आर्थिक मानदंडों के अध्यधीन विकलांग व्यक्तियों या विकलांग व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ऋणों एवं अग्रिमों के माध्यम से सहायता प्रदान करना।

4. देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए चुनिन्दा मामलों में सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से रियायती वित्त मंजूर करना। राज्य स्तर पर भारत सरकार द्वारा इस कंपनी को मंजूर की गई बजट सहायता की सीमा तक।

5. विकलांग व्यक्तियों को स्नातक और उच्च स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

6. उत्पादन इकाइयों के समुचित और प्रभावी प्रबंधन के लिए विकलांग व्यक्तियों के तकनीकी और उद्यमीय कौशलों के उन्नयन में सहायता प्रदान करना।

7. विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिए उनके समुचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, सामान्य सुविधा केन्द्रों, तथा अन्य अवसंरचनात्मक कार्यकलापों की स्थापना करना।

8. राज्य स्तरीय संगठनों को विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा वाणिज्यिक वित्त पोषण प्राप्त करने अथवा पुनर्वित्त पोषण के माध्यम से सहायता करना।

9. विकलांगों के लिए राज्य वित्त निगमों अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत तदनुरूप निगमों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित बोर्डों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से निधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की तरह एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम वित्तीय सहायता के लिए उपर्युक्त संगठनों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करेगा और लाभग्राहियों में इन संगठनों के माध्यम से संवितरण के लिए ऋण और सीमांत ऋण मंजूर करेगा। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम अपने द्वारा वित्त पोषित प्राधिकृत राज्य वित्त एवं विकास निगमों/बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्याक्रमों का समन्वय और मॉनीटर भी करेगा।

10. स्व नियोजित व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह अथवा पंजीकृत फैक्टरियों/कंपनियों/विकलांग व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं को उनके द्वारा तैयार माल के विपणन में सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की खरीद में सहायता देना।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति ने आज आयोजित की गई अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(एक) कि 18, 19 और 20 मार्च, 1997 को भोजनावकाश नहीं होगा ताकि आवश्यक सरकारी कार्य के निपटान के लिए और अधिक समय उपलब्ध कराया जा सके;

(दो) 18 मार्च, 1997 को 1800 बजे तक निम्नलिखित तीन विधेयकों का निपटान किया जाए :

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1997

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) विधेयक, 1997, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

(ग) ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) विधेयक, 1997, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

इन तीनों विधेयकों पर चर्चा आज 6.00 म॰ प॰ तक समाप्त हो जानी है। आज की कार्य-सूची में दर्ज कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे चर्चा 1800 बजे आरंभ की जायेगी और 2200 बजे तक जारी रहेगी :

(क) वर्ष 1997-98 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(घ) वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(तीन) 19 मार्च, 1997 को सामान्य बजट और संबंधित मदों पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी और वित्त मंत्री 1700 बजे अपना उत्तर देंगे।

1800 बजे से निम्नलिखित विधेयकों पर निपटान हेतु विचार किया जायेगा।

(क) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1997

(ग) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 राज्य सभा द्वारा यथापारित।

(घ) पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1997, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

(चार) 20 मार्च, 1997 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाने संबंधी नियम 184 के अधीन पेश किया गया प्रस्ताव लिया जायेगा और उसी दिन, जैसा आवश्यक हों, देर रात तक बैठकर उसका निपटान किया जायेगा।

(पांच) 21 मार्च, 1997 को कोई ऐसा कार्य जिसका निपटान न हुआ हो और तत्पश्चात् सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी।

मैं आशा करता हूं कि सभा सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : महोदय आपने कहा, "विचार किया जा सकता है" यह विकल्प क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें सरकार दलों के साथ निपटना चाहेगी। इसीलिए मैंने इसे जानबूझ कर इस प्रकार रखा है।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वर्ष 1997-98 के लिए कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगे

अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुंबई के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा

कल्याण मंत्री श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वर्ष 1997-98 के लिए कल्याण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1675/97]

(2) (एक) अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुंबई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुंबई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्क रण)

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1675/क/97]

वर्ष 1997-98 के लिए डाक विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगें

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : मैं 1997-98 के लिए

डाक विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1676/97]

वर्ष 1997-98 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगें

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : महोदय मैं श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य की ओर से वर्ष 1997-98 के लए इस्पात मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1677/97]

नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखितपत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1678/97]

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1679/97]

(5) गुजरात राज्य बीज निगम, गांधी नगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित 9 महीने की अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1680/97]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 1995-96 की कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1681/97]

(ख) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1682/97]

(8) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1683/97]

(10) कृषि मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1684/97]

भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 1996 भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखा हिन्दुस्तान वैजीटेबिल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण समीक्षा

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : महोदय, मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें संशोधन नियम, 1996 जो 18 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 45 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1685/97]

(2) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित 9 महीने की अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1686/97]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान वैजीटेबिल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वैजीटेबिल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1687/97]

वर्ष 1997-98 के लिए गृह मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगे (खंड I तथा II)

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1997-98 के लिए गृह मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (खंड-I) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1688/97]

(2) गृह मंत्रालय (विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र) के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों, (खंड-II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1689/97]

भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और इसे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1690/97]

(3) (एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1691/97]

(5) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1692/97]

वर्ष 1997-98 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगे, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा और इसे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): महोदय, मैं श्री मोहम्मद सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1997-98 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1693/97]

(2) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1694/97]

(4) (एक) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना-स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवाएं मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना-स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवाएं मद्रास के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना-स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवाएं मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1695/97]

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा और इसे सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 1696/97]

अपराह्न 12.06 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महा सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1997 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 13 मार्च, 1997 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1997 को जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 13 मार्च, 1997 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालय नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक सं०-2, 1997 को जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 13 मार्च, 1997 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था वापस इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.07½ बजे

लोक लेखा समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) न्यूयार्क में स्थायी मिशन के लिए भवन के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 111वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(2) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 107वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

नई खोज अनुज्ञापन नीति (एन ई एल पी)

[अनुवाद]

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मान्य सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि सरकार ने पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए एक नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का हाल ही में अनुमोदन कर दिया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि पेट्रोलियम उत्पादों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हम आयातों पर अत्याधिक निर्भर हैं और आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर 50 प्रतिशत से कम है। मांग और आपूर्ति के वर्तमान अनुमान स्तर पर अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भरता का स्तर और घटकर लगभग 35 प्रतिशत तक रह जाने की संभावना है। यह आसानी से समझा जा सकता है कि देश में अन्वेषण क्रियाकलाप के स्तर में वृद्धि करने के लिए ठोस उपाय करना आवश्यक है, ताकि नई खोजें की जा सके और आने वाले वर्षों में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में भारी वृद्धि की जा सके।

इस समय भारत की गिनती कम अन्वेषित क्षेत्रों में होती है और इसका कूप घनत्व प्रति हजार वर्ग किलो मीटर, जो विश्व के न्यूनतम कूप घनत्वों में से एक है। 26 तलछटीय बेसिनों में से केवल 6 का ही अन्वेषण हो पाया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि अन्वेषण प्रयासों में व्यापक वृद्धि करनी है, तो पूंजीगत निवेश के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी और इसलिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों के प्रयासों में वृद्धि करने के अतिरिक्त, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र की ओर अधिक प्रोत्साहन देना होगा।

सरकार ने इन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का अनुमोदन कर दिया है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) ओ एन जी सी और ओ आई एल नामक सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम कंपनियों को वही राजकोषीय और ठेका निबंधन प्रदान करके "लेवल प्लेइंग फील्ड" उपलब्ध कराना होगा, जो निजी कंपनियों को उपलबध है। अन्य बातों के साथ-साथ इसका तात्पर्य यह होगा कि ओ एन जी सी और ओ आई एल सहित तेल कंपनियों को नई नीति के तहत प्रदान किए गए ब्लाकों में की गई खोजों के लिए तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। तथापि, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस हासिल करने के लिए वर्तमान समय में नामांकन आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने की बजाय, उन्हें निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

(2) नई नीति के तहत अन्वेषण ब्लाक मुक्त रकबा प्रणाली के आधार

पर आबंटित किए जाएंगे, जिसका अर्थ यह है कि कंपनियां किसी भी समय अन्वेषण ब्लाकों के लिए आवेदन कर सकती हैं और उन पर आवश्यक रूप से केवल बोली दौरों के समय आवेदन करने का बंधन नहीं होगा।

(3) इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश पूंजी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक नए व्यापक राजकोषीय पैकेज का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस पैकेज की कुछ विशेषताओं की पहले ही घोषणा कर दी है। इस पैकेज में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(क) भूस्थित क्षेत्रों के कलिए 12.5 प्रतिशत की दर से और अपतटीय क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से रायल्टी का भुगतान।

(ख) अपतटीय क्षेत्र में रायल्टी का आधा भाग, भली भांति अन्वेषण न किए गए बेसिनों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के अर्जन, अपस्ट्रीम क्षेत्र में संख्या भवन निर्माण आदि में निवेश अवसरों को बढ़ाने जैसे अन्वेषण से संबद्ध क्रियाकलापों को बढ़ावा देने और उनका वित्तपोषण करने के लिए एक हाइड्रोकार्बन विकास निधि में जमा कराया जाएगा।

(ग) गहरे समुद्र और सीमवर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रथम 7 वर्षों के लिए, 400 मीटर बाथीमीटरी से अधिक गहरे समुद्री क्षेत्रों के अपतटीय क्षेत्रों के लिए रायल्टी आधी दर से वसूल की जाएगी।

(घ) नई नीति के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लाकों के लिए उपकर भुगतान पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है।

(ङ) नई नीति के अंतर्गत अन्वेषण और दोहन संबंधी पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए अपेक्षित सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान से ओ एन जी सी और ओ आई एल को भी छूट दी जाएगी ताकि ओ एन जी सी और ओ आई एल को ऐसी निजी कंपनियों के समस्तर पर लाया जा सके जिन्हें यह सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है।

(च) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पेट्रोलियम के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया जाना है तथा इस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र में स्थित क्षेत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने के बाद सात वर्षों के लिए कर छूट की घोषणा पहले ही कर दी है।

(छ) इस क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रथक पेट्रोलियम कर संहिता लागू की जानी है।

नई नीति की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) ओ एन जी सी और ओ आई एल के माध्यम से राजकीय भागीदारी की कोई अनिवार्यता नहीं होगी तथा यह निजी कंपनियों पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि वे ऐसा करने की इच्छुक हों तो वे इन कंपनियों के साथ कार्यनीतिक सहयोग स्वयं करें।

(2) नई नीति के अंतर्गत ब्लाकों में खोजे गए कच्चे तेल और गैस का घरेलू बाजार में विपणन करने के लिए संविदाकारों को स्वतंत्रता होगी।

(3) नई नीति के अंतर्गत हस्ताक्षर, अन्वेषण अथवा उत्पादन बोनसों की कोई अदायगी नहीं की जाएगी।

(4) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क/क्षेत्र किरायों के भुगतान से छूट होगी।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं, यहां जो कुछ भी घोषणा की गई उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इसका कुछ अंश माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी था। लेकिन मुझे दो बातों के लिए खेद है। पहली तो यह कि इसे उस समय लाया जा रहा है जब हम इस पर समुचित चर्चा नहीं कर सकते। यह राष्ट्रीय हित अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सही मायने में यह कुछ राष्ट्रीय ऊर्जा का हिस्सा है जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

दूसरा पहलू यह है कि पेट्रोलियम नीति के बारे में की गई पूरी घोषणा में बचत के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है - यह बहुत बड़ी कमी है। जो भी परिवर्तन किए गए हैं वे इस बात से जुड़े हैं कि कैसा वित्तीय परिवर्तन किया जाएगा, किस प्रकार का अन्वेषण संबंधी परिवर्तन होगा इत्यादि। यह अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन ऊर्जा के मामले में बचत का भाव पैदा करना, जो एकल ऊर्जा अवधारणा का हिस्सा है, वह भी यहां अनुपस्थित है। ये हमारे लिए चिंता के विषय हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, इस प्रकार की नीति की घोषणा का देश की अर्थव्यस्था पर गंभीर असर पड़ता है। बजट सत्र के बीच का अवकाश जो 21 मार्च से शुरू होने वाला है उसके पहले समय कतई नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि तेल अन्वेषण नीति के बारे में इस सदन में पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक हफ्ते से गन्ना किसानों की समस्याओं पर बोलना चाह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। हमने भोजनावकाश स्थगित का दिया है। हमने शून्य काल को स्थगित नहीं किया है। आप चिंता न करें। आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश में बिजली संकट के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सबको चांस मिलेगा, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

हम आपको मौका देंगे। पहले उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : मुझे बोलने के लिए कहा गया है। कृपया मुझे बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

महोदय, उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक बहुत ही गंभरी घटना हुई है जहां 'मदरसन सिस्टम्स लिमिटेड' नामक फैक्टरी में पुलिस घुस गई। इस फैक्टरी में लगभग 1000 श्रमिक काम करते हैं जिसमें से 700 महिला श्रमिक हैं। उन्होंने इन श्रमिकों को प्रबंधन के साथ सांठ-गांठ करके मारा-पीटा...*(व्यवधान)* मुझे कहने दिया जाए।

अपराह्न 12.13 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, आप जा रहे हैं। गन्ना किसान मर रहा है, उसे गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : चांस सबको मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। कृपया मुझे बोलने दीजिए...*(व्यवधान)* इस माह की 13 तारीख को एक बहुत ही गंभरी घटना हुई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 'मदरसन सिस्टम्स लिमिटेड' नामक एक फैक्टरी है जिसमें सैकड़ों महिला श्रमिक और अन्य श्रमिक काम करते हैं। ये श्रमिक एक यूनियन बनाने का प्रयास कर रहे थे। वे इसका पंजीकरण कराना चाहते थे। लेकिन प्रभावशाली प्रबंधन उन्हें पिछले एक वर्ष से अपना पंजीकरण कराने से रोकने में सफल हो रहा था। अब वहां कुछ मुद्दे थे। श्रमिक कुछ लाभों की मांग कर रहे थे।

अत: इस यूनियन को अपने औकात याद दिलाने के लिए प्रबंधन ने लगभग 40 नेताओं को निलंबित कर दिया। उन्हें निलंबित कर दिया गया और उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी गई। तब सभी श्रमिक जो एकजुट थे, ने उनका साथ दिया और इस महीने की 14 तारीख को धरने पर बैठ गए।

फैक्टरी में प्रात: 9 बजे से काम शुरू होता है और 10 बजे रात्रि तक चलता है। इसलिए वे 9 बजे से धरने पर बैठ गए। रात्रि के 9 बजे के लगभग कुछ पुलिसकर्मी जिसमें एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, फैक्टरी में पहुंचे और कुछ गुण्डा तत्वों की मदद से उन लोगों, गरीब श्रमिकों को, जो कि शांतिपूर्वक फैक्टरी के प्रांगण में बैठे थे, पीटना शुरू कर दिया। कई महिलाओं को लूट लिया गया और उनके हैण्ड बैग छीन लिए गए। उन्होंने महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस कर्मियों ने यह कहते हुए बत्ती बुझा दी कि "देखें हमें कौन पहचान पाता है।" लेकिन इस पर भी उन श्रमिकों ने थाना प्रभावी एस० एच० ओ०, कुछ पुलिसकर्मियों और अन्य को पहचान लिया। उन्होंने कुछ पुलिकर्मियों व अन्य के जिन्होंने उन्हें पीटा था के सही-सही नाम भी बताए।

महोदय, ये कार्यरत महिलाएं निस्सहाय हैं। उनमें से कई हमारे राज्य केरल की हैं, जबकि उनमें से कुछ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी हैं। उसमें पूरे भारत की महिलाएं हैं। कल ही मुझे इस घटना का पता चला जबकि इनमें से एक के माता-पिता मुझ से मिले और इस क्रूर घटना के बारे में बताया। एक महिला श्रमिक के बच्चे के तीन दांत टूट गये तथा वह भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गई है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

महोदय, इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई क्योंकि इस घटना में पुलिसकर्मी शामिल थे। यहां तक कि स्थानीय पुलिस ने भी शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया। इस शिकायत का संज्ञान न लेते हुए उन्होंने शिकायत पत्र को लेने से भी मना कर दिया। तब वे श्रमिक नोएडा के पुलिस अधीक्षक के पास गए। लेकिन अब पुलिस अधीक्षक ने भी उनकी इस शिकायत को दर्ज नहीं कराया।

महोदय, कल जब मैंने यह पाया कि स्थिति अत्यंत दयनीय है तब मैं गृह मंत्री के पास गया। लेकिन श्री इन्द्रजीत गुप्त के उपलब्ध न होने के कारण मैंने गृह राज्य मंत्री श्री डार से भेंट की।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. सी. थामस : जी हां महोदय।

आज मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को लगभग सभी श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षर किया गया शिकायतनामा दे रहा हूं।

महोदय, इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि वहां पुलिसकर्मियों के द्वारा कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। यह एक क्रूर कृत्य है, यह महिला विरोधी कृत्य है, यह एक घिनौना कृत्य है मुझे यह कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि उन श्रमिकों ने अपनी शिकायतों में विशेषकर यह कहा है कि कंपनी के चेयरमैन ने ऐसा संकेत दिया कि वह बहुत ही उच्चपदस्थ अधिकारी का रिश्तेदार है। वे कहते हैं कि यह अधिकारी राज्यपाल हैं, वह राज्यपाल से संबंधित है। वे यही कहते हैं।

महोदय, यह सत्य है कि वहां घोर अव्यवस्था और अनाचार है। इसलिए तत्काल ही कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि वहां 700 महिलाएं

बैठी हुई है और उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं, एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि उनकी शिकायत को दर्ज किया जाए और तत्काल तथा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, 8 मार्च को हमने 'महिला दिवस' मनाया और 14 मार्च को महिलाओं पर यह प्रहार हुआ। काम करने वाली महिलाओं के ऊपर यह प्रहार किया गया है।

यदि देश में कहीं अन्यत्र यह घटना घटित होती तो लोगों को मुअत्तल कर दिया गया होता। यहां कंपनी के प्रबंध निदेशक और पुलिस के कुछ गुण्डों से सांठ-गांठ करके यह कुकृत्य किया है।

महोदय, गृह मंत्री स्वयं भी श्रमिक संघ के नेता हैं। वह भी महिलाओं का समर्थन करते हैं। वह यहां उपस्थिति हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पर कुछ कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पुन्नानी) : महोदय, गृह मंत्री को इस पर वक्तव्य अवश्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जी हां, गृह मंत्री को इस पर वक्तव्य अवश्य देना चाहिए क्योंकि यह काफी गंभीर मामला है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : गृह मंत्री को सदन में यह बताना चाहिए कि वह कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली और नोएडा में इस तरह की घटनाएं बराबर घट रही है। मजदूरों को पीटा जाता है और मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाता है। प्रशासन मैनेजमैंट के लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह गंभीर मामला है गृह मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वह इस पर कुछ कहें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को लेकर सदन के सदस्य काफी चिंतित हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : जी महोदय, हम लोग ऐसा ही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य देने पर सहमत हैं। उन्हें घटना का ब्यौरा प्राप्त करने के बाद वक्तव्य तैयार करने में समय लगेगा।

श्री पी॰ सी थामस : कंपनी के चेयरमैन ने अपनी बंदूक से हवा में गोली चलाई है और कहा है कि वह ऐसा कर सकते हैं, कोई भी उनसे पूछने नहीं जा रहा है क्योंकि उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त है। वह यही कह रहे थे।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : वक्तव्य उपयुक्त समय पर आना चाहिए। वक्तव्य आज अवश्य आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह संभव हो तो हम आज ही वक्तव्य के लिए कह सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सुनिए। कृपया आप गृह मंत्री को सुनिए, वह अपनी बात कहने के लिए खड़े हैं। कम से कम उनकी बात को सुनिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य ने जिस घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह अत्यंत ही हृदयविदारक घटना है। क्या मुझसे अभी तत्काल ही वक्तव्य देने की अपेक्षा की जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिना किसी जांच-पड़ताल के अब और बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हुए ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि आपको वक्तव्य तैयार करने के लिए समय दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वक्तव्य तैयार करने में समय लगेगा, इसका अर्थ यह है कि मैं निश्चित रूप से तत्काल ही स्थिति का पता करने का प्रयास करूंगा और यह सोचूंगा कि प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तथ्यों का पता कर सकते हैं।

श्री पी॰ सी थामस : आप या नहीं तो कम से कम कल अवश्य ही।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया ?... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम हमने नोट किया हुआ है।

श्री येल्लैया नंदी : हमारे यहां बिजली का बहुत संकट है। तीन घंटे तक हमने यहां घेराव किया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी (निज़ामाबाद) : यह पहला अवसर है जबकि एक उपेक्षाकारी राज्य सरकार के किसानों ने आत्महत्या की है और यह सिलसिला चलता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलंदशहर) : गन्ना गुड़ की फैक्टरियों में नहीं जा पा रहा है क्योंकि गुड़ के भंडारण की क्षमता पर ढाई सौ क्विंटल की पाबंदी लगी हुई है। सरकार चीनी मिल-मालिकों से मिली हुई है। उनका गन्ना सस्ता खरीदवाने की इनकी चाल है। गन्ना किसानों का वहां पर शोषण हो रहा है। मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि गुड़ के भंडारण पर ढाई सौ क्विंटल की जो सीमा लगा रखी है, इसको फ्री किया जाए। गुड़ के एक्सपोर्ट पर पाबंदी न लगाई जाए।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बात न करें। कृपया सदन की गरिमा को बताए रखें।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : गन्ना किसानों का पूरा गन्ना मिलों द्वारा लिया जाए या वह मिल अपना गुड़ बना सकें और गुड़ का भाव बाजार से ठीक मिले, ऐसी व्यवस्था किसानों के लिए करना जरूरी है। गुड़ के भंडारण पर जो सीमा लगा रखी है, उसको उठाया जाए और जिन किसानों को पेमेण्ट अभी तक मिलों द्वारा नहीं किया गया है, पिछले साल का भी अभी बकाया रह गया है, इस साल का पूरा बकाया रह गया है, उनके पेमेण्ट की व्यवस्था की जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि क्योंकि यहां राज्यपाल शासन है, केन्द्र सरकार की सीधी जिम्मेदारी है कि गन्ना किसानों के शोषण को रोकने के लिए शीघ्र से शीघ्र कदम उठाए जाएं।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मुझे भी इसी पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बहुत दिनों से परेशान हैं। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात हो गई है।

श्री विनय कटियार : गुड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। थोड़े दिन बाद मज़दूर भी नहीं मिलने वाले हैं जिससे खेतों में किसान गन्ना जलाने के लिए मजबूर हो जाएगा। वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है इसलिए भारत सरकार वहां पर ठीक व्यवस्था करें जिससे किसानों का बकाया रुपया उनको मिल सके।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवानन्द एच॰ कौजलगी (बेलगाम) : मैं कर्नाटक के बेलगाम में उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 'मराठा लाइट इन्फैन्ट्री रेजीमेंटल सेंटर' के सैनिक कमांडो ने पुलिस और रेल कर्मचारियों की पिटाई की। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है अब समय आ गया है जबकि सैनिक कमांडों के गुण्डा गतिविधियों से पुलिस को संरक्षण दिया जाए।

हालांकि सैनिक कमांडों ने पुलिस और रेल कर्मचारियों की पिटाई की है तथापि, यह दुर्भाग्यजनक है कि सैनिक कमांडों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर में लिखा हुआ नहीं पढ़ना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शिवानन्द एच॰ कौजलगी : अतएव, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अपराधी सैनिक कमांडों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस तथा रेल कर्मचारी को संरक्षण मिलना चाहिए और तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच के लिए भेजना चाहिए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि माननीय गृह मंत्री के द्वारा इस संबंध में वक्तव्य दिया जाए।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उधर की साइड वालों को बाद में बुलवाऊंगा।

[अनुवाद]

आपको जल्द ही मौका दिया जाएगा। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 50 साल के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली घटना है कि गन्ने का दाम 72 रुपये तय करने पर भी प्राइवेट सैक्टर की चीनी मिलों ने दाम देने से इंकार कर दिया है। दूसरी बात यह है कि इसके पूर्व प्रधान मंत्री जी ने गन्ने के बारे में सवाल किया था, प्रधान मंत्री जी ने वाजपेयी जी के सवाल के जवाब में कहा था कि एक महीने के अंदर गन्ने के दाम का भुगतान हो जायेगा। मान्यवर, मैं जहां से चुनकर आता हूं वहां पर नौ चीनी मिलें हैं जिनमें से दो चीनी मिलें भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन हैं और दो प्राइवेट सैक्टर में हैं, शेष मिलें चीनी निगम की हैं। यहां पर आश्चर्य इस बात का है कि कुछ मिलें 72 रुपये दाम दे रही हैं, प्राइवेट सैक्टर में दाम देना शुरू ही नहीं हुआ। वहां पर हजारों लोग जेल में गये हैं, परसों भी लोग जेल में गये हैं। भारत सरकार की जो चीनी मिलें हैं उनके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा था और प्रधान मंत्री जी ने अपने खाद्य मंत्री द्वारा जवाब दिलवाया है और आखिर में यह लिख दिया है, मैं समयाभाव के कारण पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, जहां तक कानपुर शूगर वर्क्स लिमिटेड, बी॰ आई॰ सी॰ समूह के अधीन चीनी मिलों का संबंध है, मामला वस्त्र मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। यह प्रधान मंत्री जी का जवाब है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि नए सीजन में चीनी मिलों पर 20 करोड़ रुपया बकाया है और पुराना बकाया

चीनी मिलों पर आठ करोड़ रुपये बकाया है यानी 28-29 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। किसान मर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। वहां पर आंदोलन हो रहा है किसान जेल जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमारे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि चीनी का दाम बढ़ा है। मैं सारे देश का उदाहरण नहीं दे रहा हूं मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कंक्लूड कीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : उत्तर प्रदेश के मध्य में इसके पहले चीनी गत वर्ष 881 रुपए प्रति क्विंटल बिकती थी। लेकिन उसके दाम 113 रुपये बढ़ा दिये गये, अब वह 994 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 938 रुपये प्रति क्विंटल चीनी बिकती थी उसमें 100 रुपये दाम बढ़ा दिये, अब वह 1038 रुपये बिक रही है। पश्चिम में 892.62 रु० बिकती थी अब वह 981.81 रुपये बिक रही है 89.19 रुपये इसमें बढ़ा दिये हैं। इस प्रकार हम मिलमालिक को करोड़ों रुपया गत वर्ष से अधिक मिल रहा है और वहीं पर किसानों को उतना भी दाम नहीं मिल रहा है जो गत वर्ष था। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारत सरकार या प्रधान मंत्री जी जवाब दें कि कपड़ा मंत्रालय के अधीन जो बकाया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

आप मेरी बात सुन लीजिए, जीरो ऑवर में यह जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब यहीं दिया जाए। नियम 377 का जवाब मिलता है, लेकिन बाद में मिलता है।

श्री राम नगीना मिश्र : उपाध्यक्ष जी, आप जवाब दिलवाइये।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जी हां, मैंने श्री येल्लैया नंदी का नाम पुकारा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्र जी, आप बैठ जाइये। जी हां, मैंने श्री येल्लैया नंदी का नाम पुकारा है। माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : आप सरकार से जवाब दिलवाइये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी और को भी अपनी बात कहने दीजिए, आपने अपनी बात कह ली है।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाएं। आप अपनी बात कह चुके हैं। मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लए बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

आप औरों को भी अपनी बात कहने दें।

श्री येल्लैया नंदी : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में बिजली का संकट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कृपया अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने दें।

श्री जी० ए० चरण रेड्डी : आपको अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है। हमारे साथ ही आपको भी सहानुभूति होगी।...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदय, हम लोगों ने भी सूचना दे दिया है। हमें भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

देखिये अगर यही सिचुएशन रहती है तो हमें संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि जीरो ऑवर रखें या नहीं रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : हम जब भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की हालत देखकर बहुत दुख होता है...*(व्यवधान)*

श्री जी० ए० चरण रेड्डी : हमें भी कुछ कहने दीजिए, हम भी किसानों की बात करने वाले हैं...*(व्यवधान)*

श्री येल्लैया नंदी : हम यहां कोई साहूकारों की बात करने नहीं बैठे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी० ए० चरण रेड्डी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। श्री येल्लैया नंदी कृपया अपना वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : उपाध्यक्ष जी, मैं आज एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे आंध्र प्रदेश में बिजली का भारी संकट है जिसके चलते राज्य के तमाम कृषकों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई हैं, वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, आत्म-हत्या करने के अलावा उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है...*(व्यवधान)*

आपको क्या मालूम है, आप मेरे साथ मेडक चलिए...*(व्यवधान)* आप क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : माननीय विद्युत मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : उपाध्यक्ष जी, आप इन्हें बैठने के लिए कहिए। यह कोई तरीका नहीं है। हमें भी बोलने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन का समय वेस्ट कर रहे हैं। इतनी देर में दो माननीय सदस्य और बोल लेते। आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नंदी के वक्तव्य के अतिक्ति और कुछ भी नहीं रिकार्ड किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : उपाध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को बोलने के लिए कहिए...*(व्यवधान)* यह गलत तरीका है...*(व्यवधान)* आप इन्हें बैठने के लिए कहिए। अगर आप नहीं कहेंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.33 बजे

इस समय श्री येल्लैया नंदी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीटों पर जाएं।

अपराह्न 12.33¼ बजे

इस समय श्री येल्लैया नंदी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

श्री येल्लैया नंदी : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, उन्हें बैठने के लिए कहिए...*(व्यवधान)* दुगैया नहीं मरा। वहां मंत्री का घेराव किया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि वह राज्य सरकार से बात करेंगे और समस्याओं को निपटाएंगे। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है वह सबको मालूम है। वहां किसानों को विद्युत विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसलिए वह कह सकते हैं कि वह राज्य सरकार से बात करेंगे और इस समस्या को निपटाएंगे। यह किसानों की समस्या है। वहां उन्हीं की पार्टी न कि कोई दूसरी सत्ता में है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाराधन राय।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री येल्लैया नंदी : वहां नौ घंटे की बजाए दो घंटे ही बिजली दी जा रही है...*(व्यवधान)* आप इनसे पूछिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हाउस को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। कृपया आप इनको बैठाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया उन्हें सुनिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): अनरेबल डिप्टी स्पीकरण सर, आंध्र प्रदेश के सांसदों का जो आवेदन पत्र बिजली की शार्टेज के बारे में पावर मिनिस्टर के नाम आया था।

[अनुवाद]

हम केवल एन० टी० पी० सी० को ही एक निश्चिम मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करते हैं। निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके हम मामले की जांच करेंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी नहीं शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मामला समाप्त हो गया है। कृपया पहले बैठ जाइये। मैंने केवल श्री हाराधन राय को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप हाराधन राय जी के बाद बोल लीजिए।

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, पूर्व रेलवे के दो सौ विक्रेता लंबे समय से स्थायी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1990 में इन विक्रेताओं की चिकित्सीय जांच की गई थी। परंतु उन्हें स्थायी करने मे विलम्ब के कारणों का पता नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बिना किसी अधिक विलंब के उन्हें स्थायी बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं ताकि इन निर्धन विक्रेताओं को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी आंध्र प्रदेश के बिजली के संकट के बारे में बोल रहा हूं। वहां स्थिति ठीक नहीं है। मैं पहले आपको मिसाल देता हूं कि बिजली का संकट आंध्र प्रदेश में और विशेषकर तेलंगाना के अंदर नौ जिलों में है जिनमें मेढक, करीमनगर, अदिलाबाद, निजामाबाद आदि बहुत सी जगह है जहां कि किसानों का आंदोलन हुआ। किसानों ने किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया। उनका वहां पर आपके जनता दल से भी कोई सरोकार नहीं हैं। महबूब नगर में एक ऐसी पार्टी को उन्होंने कायम किया है और वहां पर टी० डी० पी० और उसके बाद कांग्रेस आदि सभी दलों के लोगों ने धरना दिया है। मेढक डिस्ट्रिक्ट जहां से मैं आता हूं, वहां से पहले इंदिरा जी रहनुमा थीं। वहां पर दुर्गैया नाम का किसान ने, बिजली नही आने से, मोटर से, लो-वाल्टेज के कारण स्यूसाइड किया,...*(व्यवधान)* बड़े शर्म की बात है।...*(व्यवधान)* इस तरह से किया गया। उस रास्ते में जो गुजर रहा था उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर धारा 307 का एम्पोज किया गया।...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां किसान बिजली न देने की वजह से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे लेकिन वहां की सरकार ने धारा 307 को एम्पोज करने का काम किया।...(व्यवधान) उस सरकार के आने के बाद वहां एक किलोवाट बिजली का उत्पादन तक नहीं किया गया।...*(व्यवधान)* यह बड़े शर्म की बात है।...*(व्यवधान)* आज हर जगह प्रदर्शन हो रहा है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री येल्लैया नंदी : करीमनगर जिले में...*(व्यवधान)* वहां मच्छर मारने वाली दवा पी ली।...*(व्यवधान)* आपका इस तरह का व्यवहार करना गलत है।...मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उनको पांच लाख रुपए की ग्रांट दें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : येल्लैया जी, आपको एक मिनट कहा था लेकिन आप दस मिनट तक बोल चुके हैं। अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री येल्लैया नंदी : मैं कहना चाहता हूं कि धारा 307 का एम्पोज किया गया है, उसको विदड्रा किया जाये।...*(व्यवधान)* अगर इस सरकार की नीति इस तरह से रही।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जेना जी, कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येल्लैया, आपने अपनी बात कह दी। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाइये। कृपया इस तरफ के सदस्य भी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइये।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला उठाना चाहती हूं। लगता है कि स्त्रियों की नियति इस देश में हमेशा ही खराब रही है। जब कभी भी स्त्रियों से संबंधित मसला इस सदन में भी उठा है तो उस पर केवल चर्चा हो कर रह जाती है। 1994 में इसी प्रकार स्त्री को जन्म लेने से ही वंचित किया जाता था, को लेकर प्री नेटल डायग्नोस्टिक के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने पूरा विचारा करके व संपूर्ण हिन्दुस्तान में घूमकर, सबसे चर्चा करके इसे बंद करने के लिए एक एक्ट भी बनाया था। उस एक्ट में प्रावधान था कि आगे जाकर इस प्रकार के केसेज नहीं हों। गर्भ में हाने वाली हत्या बंद हो। इस दृष्टि से इस पर एक सैंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड भी बनाथा गया था। इसका एक्ट में प्रावधान था। उस प्रावधान के अंतर्गत लोकसभा से तीन सदस्य उस बोर्ड में लेने के लिए तय किये गये थे। गयी लोकसभा में सदस्य मनोनीत हुए थे जिसमें मैं भी एक सदस्य थी। लेकिन 1994 से सैंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बनाने के लिए किसी भी सरकार ने दखल तक नहीं दिया। एक बार फिर 1996 में यह लोकसभा बनने के बाद भी इस सैंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के लिए यहां से लोकसभा के दो सदस्य मनोनीत हुए। मुझे उसमें फिर मनोनीत किया गया लेकिन आज तक इस बोर्ड का गठन नहीं हुआ। जब मैंने दो-तीन बार इस प्रश्न को उठाया तो मुझे बोर्ड के गठन की सूचना प्राप्त हुई। लेकिन 1994 के बाद इस बोर्ड की एक भी बैठक तक नहीं हुई। इतना अहम मसला, जिसके लिए ज्वाइंट कमेटी तक बनी लेकिन लगता है कि महिला की नियति चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे अत्याचार का मामला हो, इस देश में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार, चाहे उसके जन्म से लेकर मामला हो, उस पर कोई भी विचार करने के लिए तैयार नही हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी इसमें दखल दें और इस सैंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की तुरंत बैठक हो। स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए सभी लोगों ने जो सहानुभूति जताई थी, उस पर वास्तव में कार्य प्रारम्भ हो।

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : उपाध्यक्ष जी, हम लोगों का भी व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर रूलिंग दी जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रेलवे संरक्षण बल एसोसिएशन को मान्यता देने के संबंध में सदन में पूर्णत: सर्वसम्मति है। वर्ष 1986 में इस एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी गई थी। इसके संयुक्त सचिव श्री यू॰ एस॰ झा अनिश्चित भूख हड़ताल पर हैं। तीन त्रर्ब पूर्व इस सदन तथा विपक्ष के नेता ने यह मांग रखी थी कि आर॰ पी॰ एफ॰ अधिनियम में संशोधन से पूर्व रेलवे संरक्षण बल एसोसिएशन को जो मान्यता दी गई थी, उसे पुन: जारी किया जाए।

मैंने एक गैर-सरकारी विधेयक रखा था। भूतपूर्व रेलमंत्री श्री पी॰ के॰ जाफर शरीफ द्वारा दृढ़ आश्वासन दिए जाने पर मैंने वह विधेयक वापिस ले लिया था। उन्होंने सदन को आश्वासन दिलाया था कि वह आर॰ पी॰ एफ॰ की धारा 15 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। 1986 में आर॰ पी॰ एफ॰ सशस्त्र बल में परिवर्तित कर दिया गया था हमने तब उसका कड़ा विरोध किया था। परंतु अधिनियम में संशोधन करके एसोसिएशन को दी गई मान्यता रद्द कर दी गई थी। वे उसे पुन: जारी कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम भी इसी के लिए कह रहे हैं।

जब पिछले शासक दल कांग्रेस (इ) के दो सदस्यों - सर्वश्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम और हरीश रावत ने सदन के भीतर धरना दिया था तो संपूर्ण सदन ने उनकी मांग का समर्थन किया था। तब, भूतपूर्व रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र ने, श्री चन्द्रशेखर के प्रधानमंत्री काल के दौरान यह घोषणा की थी कि सरकार ने आर॰ पी॰ एफ॰ एसोसिएशन को मान्यता देने का फैसला किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बता समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य सभी मेरी बात से सहमत होंगे।

इस सबसे बावजूद, मामला अभी भी लंबित पड़ा है। गृह मंत्री ने भी एक बैठक की। मैं उसमें उपस्थित था। रेल मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री भी वहां उपस्थित थे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : हमने सबने समर्थन किया था।

श्री बसुदेव आचार्य : जब सारा सदन एकमत है तो मेरे विचार से आर॰ पी॰ एफ॰ एसोसिएशन को मान्यता देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री, गृह मंत्री तथा विधि मंत्री से इस संबंध में कोई पहल करने तथा आर॰ पी॰ एफ॰ एसोसिएशन को मान्यता देने का आग्रह करता हूं। मैं विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी आग्रह करता हूं कि वह मेरी मांग का समर्थन करें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष जी, श्रीमती रीता वर्मा और मैंने विशेषाधिकर की सूचना लिखकर दी थी। अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम आज रूलिंग देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब अभी देंगे। मेरी जानकारी में नहीं है, उनके पास है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे आज देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको बोलने के लिए एलाउ किया है. उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उनको बोलने दीजिए। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारियों को अपनी एसोसिएशन बनाने का अधिकार देने का मुद्दा कई बार सदन में उठाया जा चुका है। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मांग का समर्थन किया है। रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारी रेल कर्मचारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि आप भी इसका समर्थन करते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जी हां, महोदय। आर० पी० एफ० अधिनियम की धारा 10 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 3(7) के अनुसार वे रेल कर्मचारी सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 301, आर० पी० एफ० अधिनियम की धारा 9, रेल कर्मचारी आचार संहिता, 1966 तथा रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील, नियम, 1968 के अनुसार ये सब प्रकार का कार्य करने वाले सिविल कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त, आर० पी० एफ० कर्मचारियों के संबंध में लागू होने वाले और भी कई नियम बनाए गए हैं। अत: उन पर भी वही नियम लागू होते हैं जो अन्य रेल कर्मचारियों पर लागू होते हैं। उन्हें अपनी एसोसिएशन बनाने के अधिकार से वंचित रखने का कोई उचित कारण नहीं है। पहले भी कई बार यह मांग उठाई गई है। वर्ष 1985 से पूर्व, एक दशक से अधिक समय तक उनकी एसोसिएशन थी। इसलिए अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाए। उन्हें कानून और व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। वे कोई पुलिस बल या देश की सीमाओं पर नियुक्त सेना नहीं है। वे विशेष रूप से रेल संपत्ति की रक्षा करने के लिए नियुक्त हैं। वे रेल कर्मचारी हैं तथा उन्हें एसोसिएशन बनाने का अधिकार होना चाहिए। मैं सरकार से, माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थिति हैं, तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बिना किसी और विलम्ब के उन्हें अपनी एसोसिएशन बनाने का मूलभूत अधिकार प्रदान किया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट जरा उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल लेना।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं है। अब हो गया, इसको सारा हाउस सपोर्ट कर रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस इश्यू पर नहीं है। हां, नाम है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय बसुदेव आचार्य जी ने उठाया है इस सवाल पर इस सदन में आम राय रही है, लेकिन उसके अनुकूल कार्रवाई नहीं हुई है। गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। आर० पी० एफ० को जो अर्धसैनिक बल का दर्जा दिया गया, उससे संबंधित कानून को समाप्त कर दिया जाये, रिपील कर दिया जाये और रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के जो लोग हैं, उसके सदस्य हैं, उनको यूनियन बनाने की छूट होनी चाहिए और इनको रेलवे के नियंत्रण में रखना चाहिए।

इनके कार्यक्षेत्र का भी विस्तार होना चाहिए। सिर्फ ये माल की रक्षा करते हैं, आज जो ट्रेन में डकैती होती है, उस ट्रेन की रक्षा के लिए भी इनका डिप्लायमेंट होना चाहिए और गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनको भी इसमें इनीशिएटिव लेना होगा। आर० पी० एफ० जो अब अर्धसैनिक बल बन गया है, तब इनको इनीशिएटिव लेना होगा। जब ये तमाम लोग इस तरफ थे तो उन्होंने इस मांग का समर्थन किया था, आज उस तरफ हैं, निर्णय ले सकते हैं। रेल मंत्री पर छोड़ने से यह काम नहीं चलेगा, इसलिए जो कुछ भी बसुदेव आचार्य जी ने कहा है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोकमहत्व के विषय में बोलना चाहता है। सैण्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर सलैक्टिड ढोरी कोलियरी है, वहां पर कोल हैंडलिंग प्लांट है, आज ढाई वर्ष से 162 मजदूर जो कि प्लांट बनने से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है जब कि इसी प्रकार कठारा कोलियरी में सैलरी पोंड 200 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे, उनका स्थायीकरण किया गया है, वहीं जरांडी साइडिंग में भी जो 150 से अधिक खाली लोडर मजदूर थे, उनका भी स्थायीकरण किया गया है, अत: आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सलैक्टिड डोरी कोल हैंडलिंग प्लांट में जो मजदूर कार्यरत हैं, उनका स्थायीकरण किया जाये। और उनसे झाड़ी सफाई या अन्य कार्य के बजाय सरकार द्वारा निगत कार्य ही लिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास 43 नाम हैं, पहले शर्मा जी को बोलने दें।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाबे डिप्टी स्पीकर जी, आप स्वयं जम्मू-कश्मीर के हालात से बखूबी वाकिफ हैं। वहां कम से कम दो लाख पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। इनके नाम वहां के रोजगार दफ्तर में दर्ज है। इनमें कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, कई ग्रेजुएट्स हैं, कई पी० एच० डी० किए हैं और कई मैट्रिकुलेट हैं। जम्मू-कश्मीर में कोई बड़ी फैक्टरी नहीं है, न ही वहां कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और न ही भारत सरकार की सेवाओं में हमारे नौजवानों को पूरा हिस्सा मिला है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में जो अफरा-तफरी है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं इसलिए उनको भारत की फोर्सेज में, पैरामिलिट्री में और जो दूसरे सरकार के विभाग हैं या अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें रोजगार देने के लिए कोई स्पेशल कार्यवाही करें।

अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी की जम्मू-कश्मीर शाखा ने एक साल पहले सोशल वेलफेयर मिनिस्टरी को प्रपोजल दिया था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं उनको हम आई॰ ए॰ एस॰ और आई॰ पी॰ एस॰ की परीक्षा के लिए कोचिंग देना चाहते हैं। वह प्रपोजल यहां पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसको माना जाए ताकि वहां के बच्चे भी आई॰ ए॰ एस॰ और आई॰ पी॰ एस॰ की परीक्षा में हिस्सा लें और मुल्क की सेवा कर सकें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार से कहें कि अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी के प्रपोजल को भारत सरकार मंजूरी दे।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आज से चार दिन पूर्व भागलपुर जिले में चार विदेशी नागरिक ट्रैव्लर्स चैक भुनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आए। वहां के कर्मचारियों को उसमें कुछ त्रुटि दिखाई दी। जब वे छानबीन करने लगे तो दो विदेशी बैंक के बाथरूम में खिड़की से भाग गए। दो आदमी गिरफ्तार किए गए। पता चला कि वे आई॰ एस॰ आई॰ के खुफिया एजेंट हैं। बिहार में जाली नोट और जाली ट्रैव्लर्स चैक्स तथा आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि नेपाल से सटा हुआ हमारा जितना भी इलाका है, वह आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र बन गया है। हमने गृह मंत्री जी से भी निवेदन किया था, बिहार सरकार ने भी प्रतिवेदन दिया है और उसमें बताया है कि वहां आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं वह पूरा इलाका संवेदनशील हो चुका है। इससे हम सब चिंतित हैं। बिहार में जिस प्रकार से आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वहां की स्थिति जम्मू-कश्मीर और पंजाब से बदतर हो सकती है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि बिहार में आई॰ एस॰ आई॰ की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घगामी योजना तैयार की जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : संयुक्त राष्ट्र अमरीका में एक बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। उस देश में रह रहे कई हजार भारतीयों को नए आप्रवास कानून के खतरे का सामना करना पड़ रहा है जो कि बहुपार्श्ववाद की भावना तथा मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह कानून एक ऐसे देश में बनाया जा रहा है जहां दिन प्रतिदिन मानवीय अधिकारों पर जोर दिया जाता है। स्थिति यह है कि इस नए आप्रवास कानून से वहां रह रहे भारतीयों उनकी आय यदि एक निश्चित राशि से कम है तो वे अपनी पत्नियों और माता-पिता को वहां ले जाने के कानूनी अधिकार से वंचित हो जाएंगे। एक तरफ तो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलने, आयात शुल्क कम करने पर जोर दे रहा है तथा अमरीका जैसे विकसित देश वस्तुओं के निर्बाध आदान-प्रदान की मांग कर रहे हैं, परंतु वे व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की अनुमति नहीं देते।

अपराह्न 1.00 बजे

वे व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमारे अपने व्यवसायी, कर्मचारी समस्त विश्व में कार्यरत हैं। बहुत से लोग संयुक्त राष्ट्र में हैं। वे वहां कठोर परिश्रम कर रहे हैं। वे अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। परंतु इस नए आप्रवास कानून के अनुसार वे अपनी पत्नी अथवा माता-पिता को वहां नहीं ले जा सकेंगे। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की स्थिति में विरोधाभास है। एक ओर तो वे हमें व्यापार करने और आयात शुल्क कम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं और दूसरी ओर वे हमारे लोगों को वहां पर मुक्त रूप से जाने, कार्य करने तथा अपनी पत्नी व माता-पिता को ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं विदेश मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह यह मामला संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ उठाएं ताकि वहां रह रहे हजारों लोगों को नए आप्रवास कानून के अंतर्गत कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कल रात के TV और ऑल इंडिया रेडियो तथा आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में छपे एक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

इस सदन के एक भूतपूर्व सदस्य, शैलेन्द्र महतो, ने अपने ब्यान में कहा है कि जेल जाने के बाद मेरे ऊपर धर्म का इतना प्रभाव हुआ है कि मैं सच बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई, 1993 को अविश्वास प्रस्ताव पर नरसिम्हा राव जी के पक्ष में वोट डालने के लिए कुछ लोगों को 50-50 लाख रुपए दिए थे। सारा किस्सा उन्होंने ब्यान किया है। कोर्ट का मामला अलग है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं। मैंने इस संबंध में मैं प्रिवलेज मोशन दिया है। मामला बहुत गंभीर है।

[अनुवाद]

श्री शैलेन्द्र महतो, श्री बूटा सिंह और श्री पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव का आचरण सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रिवलेज मोशन दिया है, तो फिर इंतजार कीजिए।

श्री सत्य पाल जैन : नरसिम्हा राव और बूटा सिंह जी द्वारा पैसा देने का मामला है।

[अनुवाद]

वह एक अलग बात है मैं शून्यकाल में भी इसे उठाऊंगा।...*(व्यवधान)* इनका आचारण सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं इससे संसद की समग्र रूप से और संस्था के रूप में गरिमा कम हुई है।

[हिन्दी]

इस संबंध में मैंने लिख कर दिया है। मेरी डिमांड है कि यह मामला प्रिवलेज कमेटी को रैफर किया जाए। वहां उन सबके कंडक्ट की स्टडी करके एग्जैम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। इस सदन का अपमान जनता की निगाह में हुआ है। उन्होंने पाप किया है, उनको पनिशमेंट दी जाए।

मैंने इस संबंध में प्रिवलेज मोशन दिया है, कृपया आप उस पर रूलिंग दें।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है। यह उनका हक बनता है और आपने उन्हें अनुमति दी है।

लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उसे यहां उठाना उचित नहीं हैं। निःसंदेह उन्होंने तथ्य बताएं हैं। लेकिन कृपया उसे यहां मुद्दा न बनावें। किसी ने वक्तव्य दिया है। आप उसकी जांच करेंगे और तत्पश्चात् उसे सही पाये जाने की स्थिति में ही संसद की भूमिका सामने आयेगी। यह आरोप उनके कथित वक्तव्य पर आधारित है...*(व्यवधान)*। मैंने व्यवधान पैदा नहीं किया। क्या मैंने आपके लिए व्यवधान पैदा किया ? आपने जो भी बोलना चाहा मैंने आपको अनुमति दी।

मेरा एक मात्र कहना यही है कि यह वक्तव्य वैसे व्यक्ति द्वारा दिया गया जो मामले का सरकारी गवाह बन गया है। अब उनके वक्तव्य की जांच उचित अधिकारी द्वारा की जाएगी, और यदि उन्होंने जो कुछ कहा है उस आधार पर निर्णय लिया जाता है तो उससे उस समय जो स्थिति पैदा होनी होगी वह होगी, अभी नहीं। अत: इसे सभा की कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पवन सिंह घाटोवार।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : मैंने कहा कि संसद कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, बोलिए।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक अति गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

गत वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में जातीय संघ हुए थे जहां हजारों गांव जला दिए गए थे, हजारों लोगों की जाने गईं और एक लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ली थी। वे अभी भी शरणार्थी शिविरों में रुके हैं। मैंने इस विषय को सदन में उठाया है।

अब, पांच सौ लोग भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे क्या हैं ? उनकी मांग है कि उनके जानमाल की रक्षा की जाए और शरणार्थी शिविरों, में समुचित भोजन की व्यवस्था की जाए। शरणार्थी शिविरों में लोगों के मरने की खबरें हैं। वहां उनके बच्चों के मरने की खबरें हैं। पता नहीं, सरकार ने ऐसे विषय पर सदन में अब तक कोई वक्तव्य क्यों नहीं दिया जो हजारों लोंगो के मृत्यु तथा गांवों के जलाये जाने से जुड़ा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह जो कुछ हो रहा है उसके लिए मुझे खेद है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह एक अति मानवीय मसला है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की है। उनका कहना है कि इसमें वित्तीय कठिनाइयां हैं। हमने केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। उस कैम्प में काफी लोगों को रखा गया है। वहां लोगों को शिविरों में रखा जा रहा है। वे बाहर नहीं जा सकते। ऐसा करने पर उन्हें गोली से भून दिया जाता है। जो लोग खेती करने बाहर निकले उन्हें गोली से मार दिए जाने की काफी घटनाएं हुईं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है यह काफी गंभीर मामला है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिविरों में रहने वाले लोग जीवित रह सकें और वहां अधिक लोगों की भीड़ न हो। लोगों का स्वतंत्रतापूर्वक आना-जाना भी सुनिश्चित किया जाना जाहिए।

महोदय, इन शिविरों में पेय जल, भोजन तथा दवाओं का कोई प्रावधान नहीं है। इन शिविरों में काफी लोगों के मरने की खबर है। माननीय गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उन्हें इस समस्या पर गौर करने तथा उचित कदम उठाने का अनुरोध करूंगा ताकि जिन लोगों के संबंधियों की जाने गई हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके। वहां एक संसदीय दल भी भेजा जाना चाहिए। जो यह सुनिश्चित करे कि इस तरह का जातीय संघर्ष फिर से न होने पाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह गंभीर मामला है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अब हम नियम 377 के अधीन विषयों पर चर्चा करेंगें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कल कर लेंगे, कल हो जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। सब को एक ही दिन में तो टाइम नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप तय कर लीजिए कैसे करना है। एक समय में एक ही माननीय सदस्य को टाइम मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जितनी देर शोर मचाते हैं उतनी देर में चार माननीय सदस्य और बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले माननीय गृहमंत्री जी को बोलने दें।

गृहमंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इन शरणार्थी शिविरों में एक शिष्टमंडल को भेजे जाने के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं ताकि वह उन लोगों की स्थिति को स्वयं देख सकें जिनके बारे में माननीय सदस्य ने बताया कि उन लोगों की स्थिति भयावह है।

उन शिविरों में शिष्टमंडल अवश्य जाए और वहां से लौट कर सही और विस्तृत ब्यौरा दें। हम इसकी व्यवस्था करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सदस्य वहां जाना चाहते हैं वे भी अपनी इच्छा व्यक्त करें। हम शिष्टमंडल का गठन कर उसे वहां भेजेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन विषयों को लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पून्नानी) : महोदय, मद संख्या 14. ... का क्या होगा....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सी मद संख्या 14 ?

(व्यवधान)

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : मैं आज की कार्यसूची की मद संख्या 14 के बारे में कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे हम नियम 377 के अंतर्गत विषयों के बाद लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अंतर्गत विषयों पर चर्चा की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रूल 377 के बाद हो जाएगा।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : इसके बाद लिया जाएगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप रुकिए, मैं चेक करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का डायरेक्शन है कि इसको बाद में लेंगे, पहले नियम 377 ले लो।

[अनुवाद]

मैं उनके निर्देश पर कार्य कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मैंने शून्य काल के लिए सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो सूचना मैंने दी है उसे आज के लिए स्वीकृत किया गया है अथवा उसे कल विचार के लिए लिया जाएगा ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी जो रह गए हैं उनको कल लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मुझे मद संख्या 14 की संवैधानिक वैधता के बारे में कुछ कहना है कि क्या इसे नियम 377 के अंतर्गत लिए जाने वाले विषयों से पहले विचार के लिए लिया जाएगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह 377 के पहले नहीं है।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा : यह 377 के पहले है...*(व्यवधान)* आज की कार्य सूची में मद संख्या 14 का स्थान नियम 377 के अंतर्गत लिए जाने वाले विषयों से पहले है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो नियम 377 होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि इसे नियम 377 के अंतर्गत विचार हेतु लिए जाने वाले विषयों से पहले लिया जाएगा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या इसे नियम 377 के तत्काल बाद लिया जाएगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय से विचार विमर्श करूंगा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, कुछ निर्देश अवश्य दिए जाने चाहिए क्योंकि इस पर विचार किया जाने वाला है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

अपराह्न 01.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश बैस (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० जिसे बी० आई० एफ० आर० ने बीमार उद्योग घोषित कर दिया, जिसका मुख्य कारण प्रबंधकीय कुव्यवस्था एवं दोषपूर्ण नीतियां हैं। जिसक कारण सी० सी० आई० के करीब 8000 कर्मचारियों सहित 30,000 लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

विगत तीन वर्षों में संयंत्रों के रख-रखाव, बिजली बिल एवं कर्मचारियों को वेतन के रूप में पति इकाई 50 लाख की दर से 5 करोड़ माहवार व्यय किया जा रहा है।

सरकार को प्रबंधन में आमूल परिवर्तन कर सरकारी ऋण का ब्याज करीब 200 करोड़ रुपया माफ कर ब्याज करीब 200 करोड़ के सरकारी ऋण को इक्यूटी में बदल कर इस सरकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाए।

[अनुवाद]

(दो) पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : वर्ष 1947 में देश के विभाजन के तत्काल बाद पाकिस्तानी छापामारों तथा सैन्यबलों में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र पर हमला कर वहां काफी बड़े क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था। उस युद्ध के दौरान लगभग 34,000 परिवार पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर हो गए। तब से उन शरणार्थियों को पुनर्वास नहीं दिलाया जा सका है। उनके निम्न मांगें अभी भी केन्द्र सरकार द्वारा पूरे किए जाने हैं।

मेरी केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों से ही यह प्रार्थना है कि वे उनकी मांगों को पूरा करें जो निम्नलिखित हैं :

1. प्रत्येक परिवार को एकमुश्त 25,000 रुपये प्रदान किए जाएं जैसा कि उन शरणार्थियों के प्रतिनिधियों तथा पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ था।

2. इन लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित 5,000/- रुपये प्रति कैनाल के हिसाब से निर्धारित मूल्य पर कम भूमि आबंटित किए जाने के बदले में बाजार कीमत पर मुआवजा दिया जाए।

3. पाक अधिकृत कश्मीर में छोड़ी गई संपत्ति के दावों को रजिस्टर करने के लिए तुरंत कार्यवाही किया जाए।

4. उनकी कालोनियों। बस्तियों को मौलिक सुविधा सम्पन्न मॉडल टाउनों। गांवों के रूप में विकसित करने हेतु कदम उठाना और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए।

(तीन) पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र में पेय जल योजनाओं के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : मैं सदन का ध्यान पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में पेय जल की भारी कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार को इस बारे में अनेक अभ्यावेदन दिए गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रयोजनार्थ 4,66,00,000/- रुपये (चार करोड़ और छयासठ लाख रुपये) की राशि मांगी है। चूंकि सरकार को कोयला खानों से काफी आमदनी हो रही है और प्रधानमंत्री ने देश को यह आश्वासन दिया है कि पेय जल को प्राथमिकता दी जाएगी, अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि वह उक्त राशि निर्गत करे ताकि पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों मे पेय जल आपूर्ति संबंधी योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

(चार) केरल और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे के लिए पंडियार-पुन्नमपूझा नदी परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता।

***श्री एम॰ रामनाथन (कोयम्बटूर)** : पंडियार तथा पुन्नमपूझा दो नदियों हैं जिनका उद्‌गम तमिलनाडु के नीलगिरि पहाड़ियों से होता है इन नदियों का पानी केरल होते हुए अरब सागर में गिरता है और इसका उपयोग नहीं हो पाता है। यदि इन दोनों नदियों के पानी को लींक नहर के माध्यम से जलाशय में एकत्रित किया जाए तो इससे जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है और कई एकड़ भूमि सिंचित करने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। यह परियोजना काफी समय से लंबित पड़ी है।

बारिश के मौसम के दौरान इन नदियों से लगभग 500 टी॰ एम॰ सी॰ पानी बिना उपयोग के समुद्र में प्रवाहित हो जाता है।

यदि उस पानी को उपयोग किये जाने हेतु चैनल बना दिया जाए तो कोयम्बटूर, अविनाशी तथा पालादम की हजारों एकड़ बंजर भूमि सिंचित की जा सकती है। इन क्षेत्रों के लोगों को पेयजल भी मयस्सर नहीं है। इससे उस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अत: पंडियार-पुन्नमपुझा परियोजना, जो काफी उपयोगी परियोजना है उसका कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

इस परियोजना के तहत जल के बंटवारे के संबंध में तमिलनाडु तथा केरल के बीच हुई कई दौर की वार्ताओं का अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह पंडियार पुन्नमपुझा परियोजना के कार्य का शीघ्र कार्यान्वयन करे ताकि इससे तमिलनाडु तथा केरल दोनों राज्यों को ही लाभ मिल सके।

(पांच) देश में भूमिहीन बेरोजगार लोगों को फालतू भूमि का आबंटन करने की योजना का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री रामसागर (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, देश में विभिन्न भागों में ऊसर, बंजर, उबड़-खाबड़ और पठारी भूमि पर्याप्त मात्रा में पड़ी है। अपना देश कृषि प्रधान होने के नाते ग्रामीण क्षेत्र के आम लोगों को खेती करने का अच्छा ज्ञान तो है लेकिन उनके पास भूमि नहीं है और ऐसे तमाम लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। यह बात सत्य है कि तमाम लोगों को भूमिहीन होने पर पट्टे की जमीन दी गई है। यदि देश की फालतू जमीन जो कृषि कार्य में नहीं आ रही और कृषि योग्य है, यदि खेतिहार बेरोजगार मजदूरों की भू-सेना गठित करके, इसे समतल करा कर लोगों में वितरित कर दी जाए तो इससे एक ओर जहां देश में कृषि उत्पादन शक्ति बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर तमाम खेतिहर मजदूरों को इस योजना से पूरा लाभ मिलेगा। भू-सेना गठित करके तमाम फालतू जमीन को खेती लायक बना कर किसानों में वितरण कराने का कार्य पूर्व में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। आज इसकी आवश्यकता पूरे देश में करने की है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाए।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

अपराह्न 1.18 बजे

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिककरण अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय दूरसंचार और विनियामक प्राधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश और संबंधित विधेयक संबंधी मद संख्या 18 और 19 को एक साथ लेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर्डिनैन्स, 1997 जिस भावना से लाया गया है, उसका मैं यहां विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें जो कमियां हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार द्वारा बार-बार आर्डिनैंस निकालना मुनासिब नहीं है। माननीय जेना साहब बैठे हुए हैं। मैंने कल भी प्रार्थना की थी कि अध्यादेश निकालने की प्रवृत्ति को छोड़ना बहुत आवश्यक है।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, आइटम नंबर सोलह का क्या हुआ ? उसमें पहले मेरा नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बाद में लेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अध्यादेश का विरोध करता हूं लेकिन बिल की भावना का यहां स्वागत करता हूं। 1994 में नेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी बनाने की बात तय हुई थी। उसमें कहा गया था कि मार्च 1997 तक एक करोड़ टेलीफोन लग जाएंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी भी मानते हैं कि अभी तक आधे टेलीफोन भी नहीं लगे हैं। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपया आपको चाहिए था। यह कहां से आएगा, इन सारी बातों का लेखा-जोखा भी कहीं पर नहीं किया गया है। आप ये अथॉरिटी बनाते, उसके पहले ही

बाहर से जो कंपनियां आसानी से टेलीफोन लगा देंगी, उनको आपने बुलाया जिसको प्राइवेटाइज़ेशन भी कहते हैं। उन कंपनियों के आने के बाद आपने अर्थॉरिटी नहीं बनाई। पहले आपको अर्थॉरिटी बनानी चाहिए थी और फिर इसमें जो प्राइवेट कंपनियां आना चाहती हैं उनको आने देते तो आपके एक साथी, जिनका नाम मैं क्वोट कर रहा हूं, सुख राम जी पर जो बीती, वह नहीं बीतती। लेकिन आपने इस प्रकार से ठीक नहीं किये। इस बारे में आप ठीक से विचार करें। पहले अर्थॉरिटी बनाते और बाद में प्राइवेट कंपनियों को बुलाते तो मुनासिब होता। इसी प्रकार से 1995 में अभी तक एक लाख पिचासी हजार गांवों में टेलीफोन लगाने वाली बात कही है, लेकिन माननीय मंत्री जी हरियाणा, पंजाब या राजस्थान, किसी भी राज्य में देखें तो एक तिहाई टेलीफोन भी अभी तक नहीं लगे हैं। जिस दिन इन टेलीफोन्स का उद्घाटन हुआ था, तो आप वहां बात कर आए, आपके पूर्व मंत्री राजेश पायलट जी बात कर आए और उसके बाद टेलीफोन खराब हो गए। मुश्किल से कोई गांव भाग्यशाली होगा जहां टेलीफोन चालू हो। गांवों में टेलीफोन बिल्कुल खराब हालत में पड़े हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट बेकार पड़े हुए हैं। खंभे वहां जरूर खड़े हुए हैं और उसके साथ ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। जिस दिन उद्घाटन हुआ, उस दिन टेलीफोन चालू थे मगर उसके बाद टेलीफोन खराब हैं। गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था कब ठीक होगी ? आप हिन्दुस्तान को अमेरिका और इंग्लैण्ड से टेलीफोन द्वारा जोड़ना चाहते हैं, पर आप हिन्दुस्तान के शहरों को गांवों से जोड़ने की सुविधा तो दीजिए। कहीं पर इमरजेंसी हो जाए, किसी की बहू बीमार हो जाए तो वे गांव से शहर में बात तो कर सकते हैं। उसको एस० टी० डी० फेसेलिटी ठीक से मिल जाए तो वह गांव शहरों से जुड़ जाएंगे। हमारे यहां जी० एम० अरोड़ा थे। उन्होंने कहा कि हमने गांवों के सारे टेलीफोन ठीक कर दिये हैं। मैंने उनको कहा कि सच-सच बताओ।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : हमने इस संबंध में मौखिक आदेश हर जी० एम० को दिलवाए हैं कि माननीय सदस्यों को सूचित करें कि कितने फोन सही हैं और कितने खराब है जिससे आपके द्वारा हमें सही सूचना मिल जाए और जो आप कह रहें हैं, आपकी भावना से हम पूरी तरह सहमत हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सहमत हैं इसलिए आप कृपा करके उनको ठीक कराएं। पहले आप इस अर्थॉरिटी को बनाते और उसके बाद आप लिबरलाइज़ेशन करते तो ठीक होता। इसलिए जिस भावना से आप इस अध्यादेश को लाए हैं, आपकी भावना तो सही है लेकिन अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति का मैं विरोध करता हूं। गांवों के टेलीफोन पर खास ध्यान दें। शहरों के लिए आप कहते हैं कि 197 नंबर पर फोन कीजिए। उस पर बहुत मधुर आवाज आती है, कभी गीत की आवाज आती है मगर 197 नहीं मिलता है। 197 नंबर मिल जाया करे तो अच्छा रहेगा। लगातार फोन एंगेज रहता है तो गुस्सा आ जाता है।...*(व्यवधान)* रासा सिंह जी मुझे फोन कर रहे थे पर फोन नहीं मिला। मैं इनके घर गया तो मैंने देखा कि उनका टेलीफोन टूटा हुआ था। मैंने पूछा कि यह कैसे हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं आपको फोन कर रहा था। 197 भी बहुत देर तक नहीं मिला तो इन्होंने फोन तोड़ दिया। इसलिए रासा सिंह जी भी अपनी बात कहेंगे। जब 197 नहीं मिलता है तो आदमी को गुस्सा आ जाता है। मंत्री जी की बात अलग है। ये करेंगे तो फट 197 मिल जाएगा क्योंकि बेनी प्रसाद जी बोल रहे हैं। 197 भी आपसे घबराता है। इसलिए टेलीफोन की व्यवस्था को आप सुधारें। जयपुर में आपने सारी लाइनें खोद दी हैं। जयपुर शहर में हमने सड़कें बनाई थीं, सारी सड़के खोद दी हैं। हमने पूछा कि क्यों खोदी हैं तो उन्होंने कहा कि केबल डाला जायेगा और केबल डालकर 31 मार्च 1997 तक जयपुर शहर में जितनी भी ओ० बीज० है उन सबको क्लियर कर दिया जायेगा। अब आपने मुझे टेलीफोन विभाग का जवाब दिया है, उसमें सन् 1999 वाली बात की है कि 1999 में सारी ओ० बीज० क्लियर होंगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जितनी भी सड़कें खोद डाली हैं उनकी मरम्मत नहीं होती है। अब वर्षा आ रही है, लोग गड्ढों में गिरेंगे। इसलिए जिन सड़कों को आपके विभाग ने तोड़ा है उन सड़कों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित भी करिये, आपकी 197 की सेवा भी ठीक हो और लोगों को टेलीफोन भी मिल जाए, मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है। इससे जुड़ी हुई एक और छोटी सी बात टेलीफोन एडवायजरी कमेटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कल परसों वह हमारे पास फार्म ले आये। आपने कहा कि इन पांच के अलावा आप बात बता दो। जब आपको टेलीफोन एडवायजरी कमेटी बनानी है तो कम से कम उसमें आप मेरा नाम तो भिजवा सकते थे। आपको तो मालूम ही है कि मैं जयपुर शहर से सांसद हूं। या आपको लगता है कि दोबारा चुनाव हो जायेंगे। उसमें सांसदों का नाम है ही नहीं। इसलिए आपको अपने विवेक से यह करना चाहिए कि जो भी जहां से सांसद निर्वाचित हुआ हो, उसका नाम रखें। आपने चार-पांच नाम तो भिजवा दिये लेकिन मेरा नाम नहीं रखा। उसमें किसी कोयले वाले का कोई रोटी बनाने वाले का, कोई चाय वाले का नाम भिजवा दिये यह बड़े आश्चर्य की बात है। तो मेरा कहना यह है कि जहां भी आप टेलीफोन एडवायजरी कमेटी बनायें चाहे वह राज्य की हो या शहर की हो उसमें सांसद का नाम भी होना चाहिए। किसी राज्य की कमेटी में एक सांसद का नाम नहीं होगा तो क्या किसी धोबी या मोची का नाम होगा ? तो इन सारी बातों पर आप थोड़ा विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : धोबी या मोची की बात करके आप उनको डीग्रेड मत करिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चुनाव लड़ने में भार्गव धोबी होता है, भार्गव डाकोत होता है। तो आप को मेरा भार्गव के मालिक हैं, आप मुझे बताइये मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे डाकोत या धोबी बता दिया। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप राज्य या शहर की जो टेलीफोन एडवायजरी कमेटी बनाये तो उसमें सांसद का नाम आपको भेज देना चाहिए। मैं पुन: इस अध्यादेश का विरोध कर रहा हूं और जिस भावना से आप बिल लाये हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। जब आप अपना वक्तव्य देंगे, तब बतायें कि जो टेलीफोन एडवायजरी कमेटी आपने बनानी चाहिए थी, जैसे 1994 में नेशनल टेलीकम्युनिकेशलन अर्थॉरिटी बनानी थी, यह आपने क्यों नहीं बनाई। इसके बनाने में क्यों देर है ? आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया जितने एक करोड़

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

टेलीफोन 1997 तक लग जाने चाहिए थे और 1995 में 1,85,137 टेलीफोन लगने चाहिए थे, उसमें से आधे से भी कम लगे हैं। ऐसी आज खराब हालत क्यों है। आप इन गांवों के सारे टेलीफोन कब तक ठीक करवा देंगे, इस बारे में आप निश्चित रूप से अपनी बात कहेंगे। पुनः एक बार फिर मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और जिस प्रकार से आप अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था भी करेंगे, इसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दूर-संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

"कि दूर-संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आप इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे या फिर आखिर में आप जवाब दे दीजिएगा, आप नोट करते जाइये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, पहले माननीय मंत्री जी अपनी बात कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसलिए पूछा है कि यह शायद कुछ और कहना चाहें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने तो अध्यादेश का विरोध किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपने तो विरोध किया है।

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, क्या मैं इसमें हस्तक्षेप कर सकता हूं ? क्या आप सरकारी विधेयक ले रहे हैं या अभी भी सांविधिक संकल्प पर ही चर्चा करा रहे हैं ? मैं सरकारी विधेयक में संशोधन पेश करना चाहता हूं। मुझे अपने संशोधनों को पेश करने का समय कब मिलेगा ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ये आइटम नंबर 18 तथा 19 हैं, दोनों इकट्ठे लिए जा रहे हैं, यह गवर्नमेंट बिजनेस है।

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : क्या आप उन संशोधनों को पेश करने की अनुमति अभी देंगे या बाद में देंगे ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको बोलना है तो आप लिखकर दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री के॰ पी सिंह देव : महोदय, यदि सरकारी कार्य प्रारंभ होता है तभी मैं अपने संशोधन पेश कर सकता हूं। मैं श्री भार्गव के संकल्प पर संशोधन पेश नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको अमेंडमेंट मेव करना है तो क्लॉज के ऊपर करें।

[अनुवाद]

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी पिछड़े देश के तीव्र विकास के लिए संचार एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है, चाहे वह सड़क यातायात हो, दूर संचार हो, रेल यातायात हो, वायु यातायात हो या जल मार्ग। राष्ट्रपति केनेडी ने एक बार कहा था कि अमरीका में सड़कें बहुत ही अच्छी हैं लेकिन यह इसलिए नहीं है कि अमरीका एक धनी देश है बल्कि इसके विपरीत अमरीका अपनी अच्छी सड़कों के कारण ही धनी व संपन्न है।

इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मौलिक आधारभूत संरचना का स्थान पहले आता है और यदि मौलिक आधारभूत संरचना का प्रावधान कर दिया जाए तो संपन्नता इसके पीछे स्वयंमेव आ जाती है। आधुनिक काल में, मैं समझता हूं कि दूर संचार, सड़क और रेल यातायात से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उन्नति और विकास का समस्त आधार सूचना है। लेकिन संभवतः पूरे विश्व में भारत का स्थान खराब संचार सेवाओं वाले देशों में सबसे अग्रणी है मैं इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सिर्फ एक आंकड़ा दूंगा। वर्ष 1992 तक थाइलैंड में प्रति सौ व्यक्तियों में 2.4, मलेशिया में प्रति सौ व्यक्तियों में 9, जापान में प्रति सौ व्यक्तियों में 44, अमरीका में प्रति सौ व्यक्तियों में 54 और भारत में प्रति सौ व्यक्तियों में मात्र 0.6 के पास टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध थी। इससे स्पष्ट है कि विश्व के कुछ विकासशील और पिछड़े देशों से भी बराबरी करने के लिए हमें अपना कितना पिछड़ापन दूर करना होगा। टेलीफोन कनेक्शन पाने की प्रतीक्षा सूची में 31 मार्च, 1996 को 14 मिलियन से भी ज्यादा व्यक्ति सूचीबद्ध थे। हम न सिर्फ टेलीफोन कनेक्शन देने में पीछे चल रहे हैं बल्कि दूर संचार विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहद घटिया है।

महोदय, 'सेंटर फोर मानिटरिंग इंडियन इकोनामी' नामक एक संस्था है। उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और यह रिपोर्ट दी कि 'कॉल सक्सेस

रेट' की दृष्टि से दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में वर्ष 1994-95 के दौरान भारी गिरावट आई थी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि किए गए कॉलों की संख्या, और वैसी कॉलों की संख्या जो अपने उद्देश्य में सफल हुई, का अनुपात बहुत ही खराब रहा और गुणवत्ता में प्रतिदिन गिरावट आ रही थी।

महोदय, पिछले दो दशकों में दी जा रही दूर संचार सेवाओं में भारी परिवर्तन आया है। पिछले दो दशकों में दी जा रही दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और विस्तार में एक तरह से क्रांति ही आ गई है। हाल ही में, यहां अमरीका से श्री बिल गेट आए थे और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्यों को यह मालूम होगा। महोदय, हम दी जा रही 'इंटरनेट और ई-मेल' सेवाओं के बारे में जानते हैं। एक दिन मैं विमान से यात्रा कर रहा था। मेरे बगल में एक अमरीकी बैठा हुआ था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा लेकिन उसने मुझे बताया कि अमरीका में अब किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए चेक प्रणाली नहीं है। यदि टेलीफोन या बिजली का बिल चुकाना हो या किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन करना हो तब चेक नहीं जारी किए जाते हैं। इसके लिए बैंक को 'ई-मेल या इंटरनेट' पर संदेश भेज दिया जाता, जिसकी बैंक पुनः पुष्टि करता है और लेन-देन पूरा हो जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितने धन की बचत होगी। निःसंदेह इसके लिए हमें एक लंबा सफर तय करना होगा। 'इंटरनेट और ईमेल' को शुरू करने में संभवतः काफी समय लगेगा। लेकिन यह एक अवधारणा है जिस पर हमें अभी से ही सोचना शुरू करना होगा।

महोदय, पिछली सरकार 1994 में बहुत ही देर से सचेत हुई और राष्ट्रीय दूर संचार नीति बनाई गई और इसकी घोषणा कर दी गई। इस नीति के लक्ष्यों में से एक यह भी था कि मार्च 1997 तक दस मिलियन नए कनेक्शन देने हैं। 1994 की राष्ट्रीय दर संचार नीति के तहत जो दूसरा विकासात्मक सुधार घोषित किया गया वह था 60,000 करोड़ रु० तक सरकार की पूर्ण वित्तीय सहभागिता। अब इसे कागज पर लिख देना तो बहुत ही आसान है कि हम लोग यह करेंगे और हम लोग वह करेंगे। लेकिन यह वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था किए बिना असंभव है। मैं समझता हूं कि सरकार को ईमानदार होना चाहिए—निःसंदेह, मैं इस सरकार की नहीं, पिछली सरकार की बात कर रहा हूं — कि उनके पास जितना धन हो उतने की ही विकासात्मक योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए। वर्ष 1997 तक 10 मिलियन कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी कि जबकि मैं नहीं समझता कि इसमें से 50 प्रतिशत भी अब तक लगाये जा चुके हैं। मेरे पूर्व सहकर्मियों ने कहा है कि इनमें से जो ग्रामीण स्तर पर लगे हैं उनकी सेवा तो बेहद खराब है। मैं समझता हूं कि पिछली सरकार ने ही 'एम ए आर आर' उपकरण का प्रयोग शुरू किया था। मुझे ठीक से पता नहीं है कि इसका क्या अर्थ है यह एम ए आर आर उपकरण, जोकि मेरी समझ में गांवों को बेतार दूरसंचार से जोड़ता है, एक भी गांव में काम नहीं कर रहा है और सरकार ने इस पर जो धनराशि खर्च की है वह बहुत ही ज्यादा है। शायद आज इन टेलीफोनों में से 10 प्रतिशत भी काम नहीं कर रहे हैं। गांवों में 'एरियल' लगे हैं, खंभे गड़े हुए हैं लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे की जांच-पड़ताल करें और देखें कि वह स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। जो धन इसमें लगाया गया वह तो डूब ही गया। लेकिन क्या आप इस से कुछ लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं ? वे चीजें अभी भी खड़ी हैं। वे किसी के काम की नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या हम अभी भी 'एम ए आर आर' प्रणाली पर निर्भर हैं या कोई नये प्रकार का उपकरण आ गया है। लेकिन पिछली सरकार ने गांवों में जो उपकरण लगाए थे वह निश्चित तौर पर संतोषजनक नहीं थे। यह मैं अपने अनुभव से और पक्के तौर पर कह रहा हूं।

फिर 1994 की राष्ट्रीय दूर संचार नीति में भी दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के गठन की परिकल्पना की गई है जिसके लिए ही माननीय मंत्री जी आज इस विधेयक को लेकर आए हैं।

1994 की राष्ट्रीय दूर संचार नीति की घोषणा करके उदारीकरण के द्वार भी खोज दिए गए हैं। लेकिन पिछली सरकार के लिए यह बिल्कुल सामान्य बात थी, उनकी यह आदत हो गई थी कि वे सदैव उल्टी गंगा बहाते थे।

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : आपको यह नहीं भूलना चाहिए आप भी पिछली सरकार के विशिष्ट सदस्य थे।

कर्नल राव राम सिंह : मैं पिछली सरकार का सदस्य था लेकिन मैं अपने आपको विशिष्ट सदस्य नहीं कह सकता। निश्चय ही मैं सदस्य था। लेकिन मैं समझता हूं कि उस सरकार में मुझसे एक सदस्य की अपेक्षा फजूल से सदस्य का व्यवहार किया गया था। निःसंदेह, मेरे विशिष्ट सहकर्मी और मैं स्वयं, जैसा कि मैं समझता हूं एक ही तरह के थे। जिस तरह से मुझे फजूल समझा जाता था उसी तरह से उन्हें भी फजूल समझा जाता था।

इसमें उल्टी गंगा बहाने से मेरा क्या अभिप्राय था ? मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा। एक घर में डाकू आता है और सब कुछ लूटकर ले जाता है। फिर गृह स्वामी रखवाली करने वाले कुत्ते ले आता है और कहता है कि वह अगली बार डाकुओं को घर में प्रवेश नहीं करने देगा क्योंकि उसने डाकुओं को पकड़ने के लिए दो अलसेसियन कुत्ते लाकर बांध दिये हैं।

दूर संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना पहले देखरेख करने वाले प्राधिकरण के रूप में होनी चाहिए थी और तदोपरांत उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी ताकि लेन-देन लाइसेंसों और अन्य बातों पर रोक तथा संतुलन बनाए रखा जा सके। जैसा कि मेरे माननीय सहकर्मी ने कहा, यदि वैसा होता तो मेरे माननीय पूर्व-सहकर्मी श्री सुखराम आज एक दुखी व्यक्ति नहीं होते। यदि उस विनियामक प्राधिकरण का गठन पहले हो जाता तो देश का करोड़ों-करोड़ रुपया बच गया होता।

खैर, देर आए दुरुस्त आए। मुझे वर्तमान माननीय मंत्री जी को इस समय यह विधेयक लाने के लिए अवश्य बधाई देनी चाहिए। यह देर से भले ही आया है लेकिन वह इसे ले अवश्य आए हैं। निःसंदेह मैं

[कर्नल राव राम सिंह]

'अध्यादेश राज' के पक्ष में नहीं हूं तथापि सभी सरकारें इसका प्रयोग करती हैं। न सिर्फ यह सरकार बल्कि सभी सरकारें 'अध्यादेश राज' का प्रयोग करती हैं। मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा क्यों है ? यह जनवरी में जारी किया गया था जबकि बजट सत्र फरवरी में शुरू हो रहा था। यह विधेयक पिछले तीन वर्षों में पेश नहीं किया गया। यदि यह अध्यादेश एक महीने पहले प्रख्यापित नहीं किया गया होता तो आसमान नहीं फट पड़ता। यह अध्यादेश संसद के बजट सत्र के 15-20 दिन या एक महीना पहले प्रख्यापित किया गया। सरकार इसके लिए प्रतीक्षा करके फिर सही ढंग से विधेयक को पेश करती।

मैं समझता हूं कि विधेयक को पहले ही स्थायी समिति के पास भेजा जा चुका था। मैं पुन: माननीय मंत्री की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने स्थायी समिति की सिफारिशों को हूबहू स्वीकार कर लिया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नि:संदेह, एक या दो सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और मैं इस पर सहमत न होने के कारण समझता हूं। इसमें एक कारण यह था कि विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष और नियंत्रक प्राधिकारी होने के लिए न्यायालय को पूर्णाधिकार पत्र देना पड़ता। न्यायिक सक्रियता बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि यह सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, भले ही वह पहले की सरकार हो या यह सरकार हो। वे उस पर निश्चित तौर पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। लेकिन उन्हें निरंकुश सत्ता देना ठीक नहीं होता। मैं समझता हूं कि इस प्रणाली को चुन कर मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया है। भूतपूर्व-न्यायाधीश या भूतपूर्व-मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होगा जो कि मैं समझता हूं कि पर्याप्त प्राधिकारी है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इन विधेयकों का निर्माण नौकरशाह करते हैं। वे इसे मंत्री के समक्ष पेश करते हैं तथा नौकरशाह पर सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभुत्व बना रहे। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता कि इस इस विनियामक प्राधिकरण में सचिव या अपर सचिव का सदस्य के रूप विशेष उल्लेख क्यों किया गया है। इस प्राधिकरण का सदस्य तो उपभोक्ताओं, उद्योगों तकनीशियनों, और तकनीकीविदों को होना चाहिए। मेरे विचार में, मुझे लगता है कि नौकरशाह लालफीताशाही को जन्म देंगे, वह एक बाधक होगी और उसे इस प्राधिकरण का सदस्य बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। इस प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नौकरशाह सिर्फ बाबू राज को शाश्वत बनाए रखेगा जो ब्रिटिश शासकों द्वारा छोड़े गए तौर तरीकों को बनाए हुए हैं। यह बाबू राज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह अपना जाल सर्वत्र फैला रहा है।

पुराने दिनों में यह कहा जाता था कि आई॰ ए॰ एस॰ अधिकारी सरकार में अग्रणी भूमिका निभाता है लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि उनकी यह अग्रणी भूमिका अब गौण हो गई है। अब उनकी अग्रता नहीं बची है। जितनी ही जल्दी हम इस व्यवस्था में बदलाव करें और जितनी जल्दी हम इन नौकरशाहों को महत्व देना बंद कर दें, जो कि हम आप दे रहे हैं तो उतनी ही जल्दी हमारा देश एक बेहतर रहने योग्य जगह बन जाएगा। मैं यह कह सकता हूं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनियामक प्राधिकरण के गठन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मुझे इस बात का कोई कारण समझ में नहीं आता है कि क्यों विधेयक में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार का सचिव या अपर सचिव जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, प्राधिकरण का सदस्य बनेगा। क्यों ? क्यों नहीं आर्मी जनरल को प्राधिकरण का सदस्य बना दिया जाता है ? क्यों नहीं भारतीय वायु सेना के मार्शल को प्राधिकरण का सदस्य बना दिया जाता है ? संचार सेना और वायु सेना के प्रमुख अंग है। एक सचिव या अपर सचिव को सदस्य क्यों होना चाहिए ? सचिव या अपर सचिव को शायद वहां नोट लेने के लिए बैठा दिया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि हम लोग सचिव और अपर सचिव को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप सेवानिवृत्त जनरल को या सेवानिवृत्त वायु सेनाध्यक्ष को सचिव या अपर सचिव के स्थान पर प्राधिकरण का सदस्य बना सकते हैं।

जैसा कि मैं कह रहा था, यह अत्यंत आवश्यक है कि इसमें उपभोक्ता को स्थान दिया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसे इसी तरह से विशेषरूप से शामिल किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम दो तथा अधिक से अधिक छह सदस्यों का प्रावधान करके इसकी गुंजाइश कर दी गई है। मैं समझता हूं कि इसे और संकुचित करना चाहिए। सरकार को सीधे यह कहना चाहिए कि इसमें चार सदस्य होंगे या छ: सदस्य होंगे। लेकिन प्राधिकरण में न्यूनतम चार और अधिकतम छ: सदस्य हो सकते हैं ऐसा करके बहुत ज्यादा की गुंजाइश कर दी गई है। मैं समझता हूं कि न्यूनतम दो की संख्या कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगी।

अब मैं उद्योग के सदस्यों की बात उठाता हूं। देश में औद्योगीकरण की गति तेज हो रही है इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि इस प्राधिकरण में उद्योगों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए जाएं। मुझे विश्वास है कि इस प्राधिकरण में तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया जाएगा।

इस विधेयक को पढ़ने के बाद भी अन्य बातें भी मुझे स्पष्ट नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूर संचार विभाग इस प्राधिकरण के अधीन होगा या यह प्राधिकरण स्वंत्र प्राधिकरण होगा। क्या दूर संचार विभाग इस प्राधिकरण के नियंत्रण में होगा ? ये ऐसी बातें हैं जिनको विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। अन्यथा दोहरे नियंत्रण से अव्यवस्था का जन्म होता है और दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण और दूर-संचार विभागों के बीच क्या संबंध होगा इसको स्पष्ट करना चाहिए।

मैं नहीं जानता हूं कि क्या सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों के लिए कोई प्रावधान किया गया है। क्या वे इस प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं ? यदि दूर-संचार विभाग या किसी अन्य संबंधित विभाग द्वारा अपराध किए जाते हैं तो क्या यह प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आएगा या नहीं ? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं और यदि मैं गलत नहीं हूं तो शुल्क निर्धारण—आंतरिक

और बाह्य—का अधिकार इस प्राधिकरण को दे दिया गया है। यह एक अच्छा कदम है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह पारदर्शिता के संबंध में है। इसमें इस बात का कहीं पर उल्लेख किया गया है 'हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निष्पादन में पारदर्शिता बनाई रखी जाए।' मैं समझता हूं कि इस विषय पर थोड़े और विस्तार में जाने की जरूरत थी। यह कहना बहुत ही आसान है कि पारदर्शिता का पालन किया जाए। लेकिन इस विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे है ? क्या विनियामक प्राधिकरण की बैठकें सार्वजनिक रूप से होंगी ? क्या इन बैठकों में पत्रकारों और जनता को भाग लेने की अनुमति होगी या उनकी बैठकें सार्वजनिक नहीं होगी ? इस प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता लाने को सुनिश्चित करने के लिए अन्य कौन से उपाए किए जाएंगे ? मैं समझता हूं कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण का कामकाज बहुत ही पारदर्शी हो।

नि:संदेह, मैं एक और बात पर जोर देना चाहूंगा—यह इससे संबंधित नहीं है—यह संसद सदस्यों के उनके निर्वाचन क्षेत्र की दूर-संचार परामर्शदात्री समितियों में मनोनयन के बारे में है। उन निर्वाचन क्षेत्रों में जो भी दूर-संचार परामर्शदात्री समितियां हों, मैं समझता हूं कि उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य को स्वत: ही उस क्षेत्र के दूर-संचार परामर्शदात्री समिति में मनोनीत कर दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से यह व्यापक विधेयक पेश करने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं प्रख्यापित अध्यादेश का विरोध करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने सदन में जो विधेयक पेश किया है उसके लिए वह सदन की बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि जिस मंशा से इस विधेयक को लाया गया है वह पूर्णतया पूरी होगी।

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, संचार के क्षेत्र में 1885 से 1997 तक हमने 112 वर्षों का सफर तय किया है। हम लोगों ने टेलीग्राफ अधिनियम से आरंभ किया और अब हम विनियामक अधिनियम बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने 1885 में कांग्रेस के साथ शुरूआत की और यह 1997 है।

महोदय, कांग्रेस की सरकार ने 1994 में एक नीति लाने का विचार किया था जिसका नाम राष्ट्रीय दूर-संचार नीति था। इस नीति का उद्देश्य यह था कि टेलीफोन और दूर-संचार उपकरण सबको उपलब्ध हों; भारत के सभी गांवों में एक ही प्रकार की टेलीफोन सेवा हो; जो विश्वस्तरीय हो; किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत न रहे; विवादों को सही और प्रभावशाली तरीके से तथा तत्काल निपटाया जाए और दूर-संचार के उपकरणों के उत्पादन में उचित मापदंड हों। और अंतिम लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण लक्ष्य था विनियामक कार्यों को उपभोक्ता सुविधाओं और हितों से संबंधित प्रावधानों से अलग करना। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि दूर-संचार विभाग उपभोक्ता सुविधाएं देने वालों में प्रमुख संगठन होगा और इसके अतिरिक्त उपभोक्ता सुविधाएं देने वाले कई और भी होंगे जिनमें निजी पार्टियां भी शामिल होंगी। इस प्रकार, यह नीति थी जिस पर 1994 में विचार किया जा रहा था।

अब हम इस विधेयक तक पहुंच चुके हैं जिसका नाम भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण है। इसे केवल दिखावे की वस्तु ही नहीं रहना चाहिए, इसे बाद की अवस्था में अपने निर्णयों को लागू करने के सिलसिले में उपभोक्ताओं सहित किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं हरेक व्यक्ति को सचेत करता हूं कि इस अधिनियम को सोच विचार कर बनाना चाहिए और इसे ठीक से कार्यान्वित करना चाहिए। हमारे यहां पेजर, सेल्यूलर फोन, ई-मेल, डाटा कम्यूनिकेशन, और इसी प्रकार की अन्य संचार सुविधाएं हैं। इनके लिए कई विनियमनों, लाइसेंसिंग और सामंजस्य की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि इस अधिनियम को लाया गया है। मुझे खुशी है कि यह अधिनियमन कल के पर्यावरण अधिनियमन की तरह नहीं है। कल जो अधिनियमन हुआ उसे स्थायी समिति को नहीं भेजा गया था और उसमें बहुत सारी खामियां थीं।

आज, यहां पर जो अधिनियमन है वह कतिपय प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है। स्थायी समिति ने इस विधेयक में किए गए प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन किया है। लेकिन मैं खेदपूर्वक कहता हूं कि सरकार ने इस अधिनियमन में स्थायी समिति के सभी सुझावों को शामिल नहीं किया। जब मैं इस अधिनियम की धाराओं पर आऊंगा तो मैं एक-एक करके बताऊंगा। लेकिन इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले स्थायी समिति के सुझावों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए था।

जैसा कि आप जानते हैं, टेलीफोन हमारे लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर रहा है। कई लोगों को कई वर्षों से टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिला है। जब उन्हें टेलीफोन कनेक्शन मिलता है तो उन्हें उसके लिए अत्यधिक राशि देनी होती है। कुछ समय या कुछ दिनों तक टेलीफोन का प्रयोग नहीं होने पर भी बढ़ा हुआ बिल देना होता है। इस प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। बढ़ा हुआ बिल आता है, टेलीफोन कनेक्शन बिना कारण काट दिए जाते हैं और टेलीफोन को एक स्थान से दूसरे जगह 'शिफ्ट' करने में काफी समय लग जाता है। घटिया सेवा, बढ़ा हुआ बिल और गलत लेखा प्रणाली उपभोक्ताओं के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है। इन कठिनाइयों से पार पाना होगा। यह इस विनियामक प्राधिकरण के द्वारा हो सकता है जो जल्द ही अस्तित्व में आ रहा है।

जहां तक इस विनियामक प्राधिकरण के गठन का संबंध है मुझे कुछ शंकाएं हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इस प्राधिकरण में हमें न्यायाधीशों और सरकारी सेवकों को नियुक्त करने की सनक क्यों है। आज श्री बिल गेट्स का मुद्दा लें। भारत में भी श्रीबिल गेट्स जैसा आदमी हो सकता है जो दूर-संचार विशेषज्ञ या इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में विशेषज्ञ हो सकता हो। लेकिन इस विधेयक में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि इस प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सके। जैसा कि कर्नल राम सिंह ने पूछा है, इसमें सरकारी सेवकों और न्यायाधीशों को सदस्य के रूप में क्यों रहना चाहिए नि:संदेह धारा 6 में सचिवों या अपर सचिवों और उसी रैंक के व्यक्तियों का प्रावधान

[श्री अनादि चरण साहु]

है। मुझे विश्वास है कि उसी रैंक के किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। मैं इसे मेरे माननीय मित्रों की सूचना के लिए पढ़ता हूं :

"......सरकार के अपर सचिव और सचिव या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी समान पद पर तीन वर्षों के लिए।" मुझे विश्वास है कि इस प्राधिकरण के सभी सदस्य भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव होंगे। राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी इसमें नहीं लिया जाएगा क्योंकि इस प्राधिकरण में जाने के लिए उसके पास केंद्र सरकार तक पहुंच नहीं होगी।

मेरे सुझाव में इन प्रावधानों को बदल देना चाहिए। हमें अवश्य ही उस विशेष क्षेत्र की पर्याप्त जानकारी रखने वाले प्रबुद्ध व्यक्ति को ही सदस्य नियुक्त करना चाहिए। अन्यथा यह भी अन्य सरकारी सेवा या सरकारी विभाग की तरह हो जाएगा। इन उपबंधों का अधिनियमन करते समय इसे ध्यान में रखना होगा।

इसके अतिरिक्त भी एक अन्य कठिनाई है। अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्षों तक अपने पद पर रहेगा। अध्यक्ष के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन सदस्यों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह अपनी सेवानिवृत्ति के पांच वर्षों के बाद भी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस विधेयक में आयु सीमा निर्धारित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि सेवा कर रहे सदस्यों को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा संकेत दिया गया है कि सेवा कर रहे अधिकारी को यदि सदस्य नियुक्त किया जाता है तो उसे प्राधिकरण के सदस्य के रूप में योगदान देने से पहले पद त्याग करना होगा। सेवा में लगे लोगों को क्यों लिया जाए ? उसे क्यों सारी सुविधाएं दी जाएं ?

अपराह्न 2.00 बजे

वह एक दिन दूर-संचार विभाग में सचिव होगा और दूसरे ही दिन वह प्राधिकरण और दूसरे ही दिन वह प्राधिकरण का सदस्य बन जाएगा। वह सचिव के रूप में किए अपने कृत्यों की पुष्टि करने का प्रयास करेगा। ऐसा हो सकता है कि उसने कोई आदेश दिया हो क्योंकि दूर-संचार विभाग कई प्रावधानकर्त्ताओं में से एक है। वह आज और कल कुछ उपलब्ध करा सकता है और प्राधिकारण के सदस्य के रूप में वह उस आदेश की पुष्टि कर सकता है। यह ठचित नहीं है। मेरा विनम्र विचार यह है कि सेवा कर रहे किसी भी अधिकारी को इस प्राधिकरण में नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। पुन: मैं यह दोहराना चाहूंगा कि न्यायाधीशों या सिविल सेवकों को नियुक्त करना हमारी सनक हो गई है। मैं इन विषयों पर अधिक नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन सेवा कर रहे किसी भी अधिकारी को प्राधिकरण में नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। हर हाल में सेवा कर रहे अधिकारी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्थायी समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। इसने सुझाव दिया था: सेवा उपलब्ध कराने वालों की गतिविधियों के सभी पहलुओं की सूचना प्राप्त की जाए, *किसी भी स्रोत से सूचना और सलाह प्राप्त करे और यदि आवश्यक समझें तो यह अपनी ओर से अन्य किसी विषय की जांच करे, जो इस मामले में जनहित से संबंधित हो।* यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह भी उपलब्ध है : 'सुविधाओं, प्रचालकों/सेवा उपलब्ध कराने वालों के लेखा और रिकोर्डों का निरीक्षण करना' यदि हम स्थायी समिति के इन सुझावों को क्रियान्वित करें तो प्राधिकरण को अधिकार प्राप्त होंगे। आज इस प्राधिकरण को अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्राधिकरण सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध कराने वालों को लेखा और रिकार्डों, दस्तावेजों और संगत प्रपत्रों को पेश करने के लिए आदेश या अनुदेश दे सकता है। यदि ये कागजात नहीं पेश किए जाते हैं, यदि फर्म इन कागजातों को पेश नहीं करती है तो प्राधिकरण अधिक से अधिक यह कर सकता है कि यह खंड 20 के अनुसार दो लाख का या खंड 29 के अनुसार एक लाख का जुर्माना कर दें। खंड 20 और खंड 29 के अनुसार, यदि प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो सिर्फ जुर्माने का ही प्रावधान है। प्राधिकरण किसी को भी खोजबीन, निरीक्षण या दस्तावेजों को जब्त करने के लिए नहीं भेज सकता। यदि यह नहीं किया जाता है तो बाजार में विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, फर्म या निगमित निकाय अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाएंगे और वे अपने पास के दस्तावेजों से प्राधिकरण को अवगत नहीं कराएंगे। मेरा सुझाव है कि खण्ड 20 जो कि धारा 20 बन जाएगा और खण्ड 29 जो धारा 29 बन जाएगा, में संबंधित व्यक्तियों के लिए कारावास की सजा का अवश्य प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद के अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने यहां कारावास की सजा का प्रावधान नहीं किया है। स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि कारावास की सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि इसे क्यों हटा दिया गया। स्थायी समिति की सिफारिशों को नहीं माना गया है। अब मेरा विनम्र निवेदन यह है कि चूंकि अधिनियमन में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है इसलिए नियमों में कुछ किया जा सकता है और नियम संसद के सामने पेश किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम उन विषयों को शामिल कर सकते हैं जो कि विधेयक के निर्माताओं से छूट गए हैं। यह बहुत अच्छा है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत प्रदान किए गए विशेषाधिकार धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। हम निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। एक बार जब हम निरीकरण की ओर उन्मुख हो जाएं तो हमें इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इक्कीसवीं सदी में यह प्राधिकरण किस प्रकार की समस्याओं को सामना करेगा। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें भारतीय तार अधिनियम की धारा 18 और 19 की धारा के भाग 3 पर विचार किया जाना चाहिए था कि इन्हें किस प्रकार से बनाया जाये तथा उन्हें बनाने का क्या उद्देश्य था। चूंकि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। अत: दूर संचार विभाग, प्रयोक्ताओं सेवा उपलब्ध कराने वालों के बीच काफी विवाद रहेगा। नियम कठोर होने चाहिए तथा प्रयोक्ताओं और सेवा उपलब्ध कराने वालों के साथ-साथ गैर-प्रयोक्ताओं प्रयोक्ताओं के बीच के विवाद को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अपराह्न 2.05 बजे

(श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए*)

धारा 18 और धारा 19 में गैर-प्रयोक्ताओं का भी उल्लेख है...*(व्यवधान)* इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियम बनाते समय इन तीनों पहलुओं अर्थात् प्रयोक्ताओं, गैर-प्रयोक्ताओं और सेवा उपलब्ध कराने वालों को एक साथ रखा जाना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय दूर संचार विनियमन प्राधिकरण (टी॰ आर॰ ए॰ आई॰) द्वारा दरों का निर्धारण किया जाना है। इसकी व्यवस्था धारा 11 की उप-धारा 2 के अंतर्गत की गई है। दरों को सदन के सामने प्रस्तुत किया जाना है। यह स्थायी समिति की सिफारिश है। मैं नहीं जानता कि उस कानून में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। ऐसा हो सकता है कि भारतीय दूर संचार विनियमन प्राधिकरण अचानक दरों में वृद्धि का विचार बना ले। आज यदि आप 100 रु॰ प्रति टेलीफोन की दर से शुल्क ले रहे हैं तो कल को भारतीय दूर संचार विनियमन प्राधिकरण आपको यह दर 1000 रु॰ तक बढ़ाने के लिए कह सकता है। प्रयोक्ता अथवा उपभोक्ता कैसे वह भुगतान करेगा ? इसलिए भारतीय दूर संचार विनियमन प्राधिकरण द्वारा दरों में वृद्धि करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, इस बात का उल्लेख किया गया है कि विवादों का निर्णय करने के लिए दो सदस्य होने चाहिए। यदि दोनों सदस्यों की सहमति नहीं होती तो तीसरा सदस्य उसे सुलझाएगा। इसका मतलब है कि आप इसे उलझा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आरंभ में ही तीन सदस्य होने चाहिएं। पीठासीन अधिकारी द्वारा उन तीन सदस्यों का चुनाव किया जाना चाहिए तथा दो सदस्यों द्वारा विवाद सुलझाने तथा आवश्यकता पड़ने पर तीसरे सदस्य द्वारा विवाद सुलझाने की अपेक्षा अधिक लोगों द्वारा विवाद सुलझाया जाना चाहिए। इससे प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। मेरा कहना यह है कि तीन सदस्य होने चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि कोई शिकायतें रहेंगी तो तीन सदस्य होने चाहिए। यह कहने की बजाय कि अब आपके पास दो सदस्य हैं तथा यदि उनकी आपस में सहमति नहीं होती तो तीसरे सदस्य द्वारा मामला सुलझाया जाएगा, सभापति को तीन सदस्यों की समिति का गठन करना चाहिए तथा बहुमत से यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा इससे प्रयोक्ता तथा सेवा उपलब्ध कराने वालों के लिए बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सेवा उपलब्ध कराने वाले को अनेक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसमें लगे समय की पूर्ति जल्दी नहीं हो सकेगी। इसलिए, आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि समिति में तीन सदस्य होने चाहिए। इसीलिए स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि प्राधिकरण में न्यूनतम पांच सदस्य तथा अधिकतम सात सदस्य होने चाहिए। मैं नहीं जानता कि सरकार ने दो सदस्यों और छ: सदस्यों के बीच की संख्या अर्थात कम से कम दो सदस्य और अधिक से अधिक छ: सदस्य को उचित क्यों माना। स्थायी समिति ने सोचा होगा कि शिकायतों का निपटान करने के लिए उप-समिति का गठन करने हेतु और सात के बीच सदस्यों की संख्या उपयुक्त रहेगी। इसलिए नियम बनाते समय भी यही विचार ध्यान में रखना चाहिए। नियम 36 के अंतर्गत नियम बनाए जाएंगे। इसलिए इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कानून लागू होने से पहले नियम अवश्य बन जाने चाहिए। नहीं तो इस विनियमन प्राधिकरण के विभिन्न पहलुओं को लागू करना अत्यंत कठिन होगा। चूंकि और समय नहीं है इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा। धन्यवाद

श्री वी॰ वी॰ राघवन (त्रिचूर) : महोदय मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि स्थायी समिति द्वारा विधेयक की जांच की गई है। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझावों को संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री को सभी सुझावों को संशोधित विधेयक में शामिल करने के लिए बधाई देता हूं।

दूर संचार हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य कड़ी है। जहां तक देश की सुरक्षा का संबंध है, यह क्षेत्र असुरक्षित है। इसलिए, मैं सरकार को सतर्क करता हू कि निजीकरण करते हुए हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। संपूर्ण प्रणाली का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। हमारे करोड़ों लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी की जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वे सुविधाएं उन्हें अवश्य उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।

परंतु यहां पर मुझे सरकार को इस बात से सतर्क करना है कि आधुनिकीकरण तथा सार्वभौमिकता के लिए प्रयास करते हुए हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए तथा इस विभाग को उपनिवेशी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए।

विभाग का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। मेरे विचार में अब समय आ गया है कि राज्यों में दूरसंचार मुख्य महाप्रबंधकों तथा जिलों के महाप्रबंधकों को अधिक अधिकार तथा धन दिया जाए। हमारा अनुभव है कि दिल्ली में शक्ति का अवांछित केन्द्रीयकरण विभाग के सुचारु कार्यकरण में एक प्रमुख बाधा है। छोटी-मोटी बात के कारण विकासात्मक गतिविधियों में रुकावट आ जाती है।

मुख्य महाप्रबंधकों और अन्य महाप्रबंधकों को अत्यंत आवश्यक विकासात्मक गतिविधियों के लिए सामान लेने तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी केन्द्रीयकृत प्रणाली पर निर्भर करना पड़ता है। इस केन्द्रीयकरण के कारण टेलीफोन कनेक्शन लेने वालों की प्रतीक्षा सूचियां बड़ी संख्या में बकाया पड़ी रहती हैं। केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही टेलीफोन संबंधी दो लाख आवेदन बकाया है। माननीय मंत्री जानते है। कि केरल में हमें टेलीफोन कनेक्शन की कितनी अधिक आवश्यकता है हमारे काफी लोग विदेशों में कार्यरत हैं तथा देश के लिए अत्यंत मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग अपने परिजनों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। यहां तक कि ओ॰ वाई॰ टी॰ श्रेणी के आवेदन भी चार पांच वर्षों से बकाया पड़े हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह केरल के मामले में विशेष ध्यान दें क्योंकि हम खाड़ी तथा अन्य देशों में कार्यरत लोगों के माध्यम से बहुत सी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। अत: यदि आप मुख्य महाप्रबंधकों तथा महाप्रबंधकों को अधिक अधिकार धन तथा सामग्री दें; तो मेरे विचार से, यह प्रतीक्षा सूची लंबी नहीं रहेगी।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है, गत नौ वर्षों

[श्री वी॰ वी॰ राघवन]

से सलाहकार समिति कार्य नहीं कर रही है। यह पुनर्गठित नहीं की गई है। प्राधिकारियों द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भेजने के लिए कहा गया था, और कुछ महीने पहले हमने कुछ नाम भी भेजे थे। परंतु अभी भी समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। चूंकि समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। चूंकि समिति कार्य नहीं कर रही है, अत: 'सार्वजनिक बूथ प्राप्त करने के लिए भी आवेदन बकाया पड़े हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। हमने माननीय मंत्री को कई बार अभ्यावेदन दिया है क्योंकि संसद सदस्यों को सलाहकार समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। उनसे विचार विमर्श नहीं किया जाता है। मैं नहीं जानता कि दूरसंचार विभाग सांसदों से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वे वास्तव में हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन अत्यंत आवश्यक है यदि ऐसा हो जाए, तो उपभोक्ताओं को जिन समस्याएं का सामना करना पड़ता है, उन्हें अभ्यावेदित कर सकते हैं।

जब यह भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण कार्य करना शुरू करेगा, तो मैं नहीं जानता, कि भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण दूरसंचार विभाग और (डी ओ टी) में क्या संबंध होगा। जब दोहरी शक्तियां होंगी तो मामले और जटिल हो जाएंगे। चूंकि यह बात विधेयक में स्पष्ट नहीं की गई है, अत: इसे स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। अत: राज्य स्तर तथा जिला स्तर के कार्यों के लिए शक्तिया देना, शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण, धन उपलब्ध कराना तथा प्रशासकीय स्वीकृति देना समय की सबसे बड़ी मांग है, और उपभोक्ताओं को न्याय देने के लिए ये कार्य अवश्य किए जाने चाहिए। लंबी बकाया पड़ी प्रतीक्षा सूची माननीय मंत्री तथा विभाग दोनों के लिए प्रश्न चिन्ह हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में दो लाख से अधिक आवेदन बकाया पड़े हैं। राजकोश को राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह एक व्यावसायिक क्षेत्र है। यदि आप अधिक नियमित रूप से और शीघ्रता से कनेक्शन देंगे तो आपको आय होगी। जहां तक बकाया प्रतीक्षा सूची का संबंध है, एक समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसके अंदर टेलीफोन कनेक्शनों की बकाया प्रतीक्षा सूची के सभी उम्मीदवारों को कनेक्शन दे दिए जाएं। ऐसी समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि इससे विभाग और उपभोक्ताओं को सहायता मिलेगी।

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं गिरधारी लाल भार्गव जी द्वारा इस अध्यादेश के निरनुमोदन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, सर्वप्रथम मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं सरकार की हमेशा इस प्रकार की प्रवृत्ति रही है कि जब उसकी संसद का सामना करने की स्थिति न बने, तो अध्यादेश के जरिये यह अपना काम चलावे। यह कोई पहला मामला नहीं है। इस प्रकार के अध्यादेश कई बार पहले भी प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस बार तो अध्यादेशों की शृंखला प्रस्तुत हुई है। चाहे फिर विद्युत के मामले में हो, राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में हो, या फिर रिजर्व बैंक के मामले में हो। हरेक मामले में सरकार अध्यादेश के जरिये अपना काम चलाना चाहती है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति इस अध्यादेश की भी है। जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि पहले इस प्रकार का विधेयक लाया गया था जिसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं का विश्वस्तरीय बनाना था। लोक सभा से पारित किया था और राज्य सभा में जाने के बाद उस पर राज्य सभा ने अपनी कुछ टिप्पणियां की थी। उसके बाद फिर से यहां पर उस विधेयक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार की उपेक्षावृत्ति के कारण उसको समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। और लोक सभा में वह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उसके बाद फिर से एक 27 जनवरी 96 को अध्यादेश प्रस्तुत होता है लेकिन उसका अनुमोदन भी समय पर संसद के द्वारा नहीं होता है और वह निरस्त हो जाता है। उसके बाद फिर अध्यादेश 27 मार्च 96 प्रस्तुत किया गया और उसकी भी अवधि समाप्त हो गयी। माननीय सभापति महोदय, यह तीसरा अध्यादेश है जो 25 जनवरी 97 को प्रख्यापित हुआ और इस रूप में आज यह प्रस्तुत हुआ है। सभापति जी, इस प्रकार की वृत्ति को रोका जाना चाहिए। अगर इस प्रकार की आवश्यकता थी और जिस आवश्यकता को संचार की स्थाई समिति ने भी सरकार को आगाह किया था कि यदि उन्हें इस प्रकार की आवश्यकता है तो तत्काल इस प्रकार का विधेयक लाने का प्रयत्न करें, जो एक समेकित विधेयक हो, कम्प्रैहसिव विधेयक हो तथा जिसमें सारी बातों का समावेश किया जा सके। मैं उस स्थाई समिति के अंश यहां उद्धृत करना चाहूंगा। जो स्थाई समिति की रिपोर्ट 20.11.96 को प्रस्तुत हुई उसके पैरा 13-14-15 का मैं उल्लेख कर रहा हूं।

[अनुवाद]

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना में पहले ही एक साल का विलंब हो चुका है, समिति यह सिफारिश करती है कि इसे जल्द से जल्द स्थापित किया जाए और इसमें किसी भी तरह छ: महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।"

उन्होंने साफ कहा है कि 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। काफी डिले हो चुका है। मैं समझता हूं कि इसी के कारण इस प्रकार के रिमार्क स्थाई समिति ने न दिए होते तो यह अध्यादेश भी नहीं आते और न विधेयक लाने की स्थिति यहां होती। इसके बाद मैं इसका 14वां खंड पद रहा हूं।

[अनुवाद]

"आगे, समिति यह चाहती है कि कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टरों की भांति ही भारतीय दूर-संचार नियामक प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर रखे जाने के संबंध में उचित विनियमनों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आपसी समझौतों, टाइप स्वीकृति को मान्यता दिए जाने इत्यादि संबंधी विवरण को उक्त रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।"

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1985 तथा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 में अनेकों बार संशोधन किए गए। इन दोनों अधिनियमों में सरकार द्वारा लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है जो इन दो अधिनियमों के प्रावधानों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता पर विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जहां इस प्रकार का समेकित विधेयक लाए हैं, जिस के बारे में स्थायी समिति ने संकेत दिया, उनके अनुसार अधिनियम के कुछ प्रावधानों में अभी भी संशोधन करने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की जरूरत है। आशा है आप उन पर विचार करेंगे और इस प्रकार का समेकित विधेयक लाने का प्रयास करेंगे। मैं इस विधेयक की कुछ धाराओं का यहां सामान्यतः उल्लेख करना चाहूंगा। आपने धारा 25 में कहा है कि नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा। हमेशा हर विधेयक में इस प्रकार की धारा या इस प्रकार का प्रावधान किया जाता है लेकिन कभी भी इस धारा का कोई पालन नहीं करता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इसमें अवधि बताई गई है, जिस में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, जो दो वर्ष के भीतर किया जाना हो तो आप उसे करें, संसद के समक्ष रखें ताकि संसद में उस पर विचार हो सके अत्यथा आपको भी अधिकार नहीं रहेगा। इस पर आगे ध्यान दिलाते हुए निवेदन करना चाहूंगा भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश है, जो इसके द्वारा निरस्त किया जाना है, इसके अंतर्गत जो कुछ प्रावधान रखे गए हैं—चाहे अध्यक्ष की शक्तियां हों चाहे सदस्यों की शक्तियां हों, सदस्यों का नामांकन हो या फिर अध्यक्ष का नामांकन हो, इसके लिए जो समय-सीमा निर्धारित की गई है और उसके साथ में जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह बहुत अधिक है। इसके बारे में एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता है। इस आयु सीमा को कम किया जाना चाहिए। इसमें 65 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। मैं समझता हूं कि उसको कम करना चाहिए ताकि, योग्य, दक्ष और अनुभवी, जिनमें काम करने की स्फूर्ति हो, प्रेरणा हो, उनको इसमें लाया जा सके। जो अच्छे अधिकारी हैं उनको इसमें लाने से रोका गया है। जो सरकारी नौकरी में हैं वे नौकरी में रहते हुए इसमें नहीं आ सकते। उन्हें पहले अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं है। वैसे आप अधिकारियों को डैपूटेशन में तो लेते ही हैं।

महोदय, यह प्राधिकरण एक स्वतंत्र निकाय है। इसको जानते हुए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे कि उनकी सेवाओं का समय पर उपयोग किया जा सके। इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। दूर-संचार के क्षेत्र में जितने क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, वे स्वागत योग्य हैं। दूर-संचार के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं और कुछ होने जा रहे हैं। हमारे तमाम देशों के साथ अनुबंध हुए हैं। लगभग 67-68 देशों के साथ हमारा ग्लोबल तालमेल बना है। जिस प्रकार का परिवर्तन इस पूरे क्षेत्र में होने जा रहा हैं और जो सुविधाएं मिलने जा रही हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जैसा कि कहा गया है।

[अनुवाद]

"यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए तथा कारोबार के लिए अच्छी खबर है। यह दुनिया के आम लोगों के लिए अच्छी खबर है जो टेलीफोन का उपयोग करते हैं अथवा करना चाहते हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने रेडियो को बताया...."

[हिन्दी]

यह उन्होंने बताया भी है। जब ग्लोबल टेलीकॉम ट्रीटी के जरिए बातचीत हुई थी, उस समय भी इस प्रकार की स्थिति बनी थी। हम एक अच्छा कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वह और आगे बढ़े जिससे जनता को अधिकाधिक सुविधाएं मिलें और जनता उनका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। आज इस क्षेत्र में विश्वव्यापी परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार की सुविधाएं तेजी से बढ़ रही है, सभी को उनका लाभ मिले। इस दृष्टि से आप इसे प्रभावी बनाने की चेष्टा करें। ये सब कहने के लिए इतना ही समय पर्याप्त है। मैं फिर से इन बातों के संक्षेप में कहते हुए कि जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें कहीं-कहीं पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। आशा है आप उन पर पुनर्विचार करेंगे। कुछ अच्छे कदम उठाने के प्रति मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप अध्यादेश लाने की वृत्ति को समाप्त करें। भविष्य में ऐसी वृत्ति न बने कि अध्यादेश लेकर यहां आना पड़े। मैं ऐसा समझता हूं कि एक अच्छी बात पर सारा सदन सहमत होगा। दूर-संचार के क्षेत्र में हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। हम आगे छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें सफलता मिले। इतना ही कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को पूर्व अध्यक्षों तथा अन्य लोगों द्वारा पूर्व में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश जारी करने से परहेज करना चाहिए। परम्परा तो यह होनी चाहिए कि विधेयक सदन में सीधे ही लाया जाए। अति विशिष्ट परिस्थिति में जब दूरसंचार नीति की घोषणा की गई तब इस सदन में यह मांग उठाई गई कि उक्त नीति के सभी पहलुओं पर पूर्ण चर्चा की जाए। वर्ष 1994 से लेकर अब तक अनेक घटनाएं हुईं। कतिपय बड़े घोटाले हुए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ, इत्यादि। देश के दृष्टिकोण में भी काफी परिवर्तन हुआ है। देश के दूर-दराज इलाकों में टेलीफोन व्यवस्था की कमी, इसको मांग तथा पूर्ति के अंतर को पाटने की भरसक आवश्यकता, संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए देश में तत्काल एक समुचित दूर संचार नीति बनाये जाने की आवश्यकता है।

हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने दूरसंचार व्यवस्था के महत्व को समझा है, हाल ही में दूरसंचार को आधारभूत ढांचे का एक हिस्सा माना गया है। इसे ढांचागत सुविधा की सूची में शामिल किया गया है। अब दूरसंचार के क्षेत्र में कुछ और सुविधाएं आ जाएंगी जो पहले नहीं थी। मैं उक्त नीति के विस्तार में नहीं जा रहा। हम लोगों को इस नीति में किए गए कुछ प्रावधानों के बारे में घोर आपत्ति थी। लेकिन जब विनियमन का प्रश्न उठा तो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा यह सलाह दी गई कि विनियामक प्राधिकरण को गैर-सांविधिक के बजाए सांविधिक बनाया जाए। अंततः सरकार द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया।

[श्री रूप चन्द पाल]

मुझे खुशी है कि उक्त विधेयक को स्थायी समिति के समक्ष भेज दिया गया था और सरकार ने समिति की अधिकाश प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मुझे तीन-चार बातें समझ में नहीं आईं। उदाहरण के लिए, इस के गठन, और सभापतियों एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यता के संबंध में स्थायी समिति ने यह सुझाव दिया था कि सभापतियों को नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर समिति की सिफारिशें प्राप्त कर ली जाएंगी। समिति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, संचार मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, तथा राज्यसभा के उप-सभापति के नाम थे। विधेयक में इस चीज को नहीं रखा गया है। चयन के मामले में स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया जा सकता था। इससे प्राधिकरण को कुछ हद तक अधिक विश्वसनीयता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही अवश्य मिलती। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह समिति की प्रमुख सिफारिशों पर पुनः विचार करे क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार के प्राधिकरण अन्य कई लोगों द्वारा खोले जाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं।

मुझे बताया गया है कि प्रस्तावित प्रसारण विधेयक में एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किए जाने का भी सुझाव है। प्रवर समिति सरकार को अपनी सिफारिश देगी और उसी के आधार पर उक्त स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाएगी।

ऐसा भी प्रस्ताव किया जा रहा है कि मंत्री तथा सरकारी सचिवों का दबदबा उक्त स्वतंत्र निकाय में बना रहे। उदारीकरण के नाम पर कई क्षेत्रों में सरकार की भूमिका कम की जा रही है। लेकिन यहां एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां हम पाते हैं कि स्थायी समिति द्वारा सभापति तथा अन्य सदस्यों के संबंध में की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें यह खतरा है कि ऐसा दूसरों द्वारा भी किया जा सकता है। टी॰ आर॰ ए॰ आई॰ के मामले में देश यह अपेक्षा करता है कि ऐसी निकाय में महत्वपूर्ण लोगों के चयन तथा नियुक्ति के मामले में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

जहां तक वेतन, भत्ते तथा अन्य शर्तों का संबंध है, स्थायी समिति की सिफारिश यह थी कि सभापति के पद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष रखना चाहिए, और सदस्यों का दर्जा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए। इन सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव जिसे सरकार द्वारा न जाने क्यों स्वीकार नहीं किया गया और मंत्री महोदय से अपेक्षा है कि वह उत्तर देते समय इसे स्पष्ट करेंगे, वह प्राधिकरण के कार्यकारों तथा कार्यकलापों से जुड़ा है।

नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले उपकरण की स्वीकृति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि घटिया व कम-गुणवत्ता वाले उपकरणों के मामले में बडे-बड़े घोटाले होते हैं। माननीय कर्नल राव राम सिंह ने एम॰ ए॰ आर॰ आर॰ तथा वैसी सभी चीजों के बारे में इस बात को काफी अच्छे ढंग से उधृत किया था। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कुछ सरकारी उपक्रम अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध करने में सक्षम है।

मैं आपको संक्षेप में एक उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरणार्थ, 'सी-डाट' यह ऐसा संगठन है जो स्वीचिंग प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराता रहा है और जिस पर आज का ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क मुख्य रूप से आश्रित है। इसकी उपेक्षा की गई और वहां से योग्य लोगों को निजी आपरेटरों द्वारा प्रलोभित कर लिया गया। इसके बावजूद भी यह 40,000 लाइन वाली प्रणाली स्थापित करने में सफल रहा जिसका उद्घाटन पिछले दिन बंगलौर में किया गया। हमारा अपना सरकारी उपक्रम आई॰ टी॰ आई॰ भी अच्छे गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराने में सक्षम है। उन्हें पर्याप्त आर्डर नहीं मिल रहे हैं जिसकी बदौलत उनका अस्तित्व बना रह सके। दो साल पहले तक यह मुनाफा कमा रहा था। लेकिन उन्हें आर्डर नहीं मिले। उपकरण की स्वीकृति के बारे में ऐसा हो सकता है कि निजी आपरेटर आवश्यक निर्देशों का पालन न करें और वे कम गुणवत्ता वाले उपकरण की आपूर्ति कर सकते हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि स्थायी समिति की इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

सेवा देने वालों द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के संबंध में मुझे आश्चर्य है कि इसे क्यों स्वीकार नहीं किया गया। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे। तीसरी बात यह कि सार्वधिक सेवा की शुरुआत तथा विभिन्न सेवा उपलब्ध कराने वालों द्वारा प्राप्त की गई सेवा की गुणवत्ता भी स्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गई एक अति महत्वपूर्ण सिफारिश है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस सभी चीजों पर प्रकाश डालें। आज का युग सूचना क्रांति, दूर संचार प्रसारण, कम्प्यूटर का है। ये सभी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। विकसित देशों मे इन से जुड़ी प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए केबुल मोडेम को लें। ब्रिटेन में केबुल का दूरसंचार के लए काफी उपयोग हो रहा है।

'इंटरनेट' से समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। कई सरकारों को यह सोचना है कि इससे पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए अपने विनियम कैसे तैयार करें। आने वाले दिनों में हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

लेकिन मेरा सुझाव है कि सरकार इस मामले में एक व्यापक विधेयक लाये। जिसमें संचार से जुड़े सभी पहलू सम्मिलित हों। दूरसंचार क्षेत्र में उभरती स्थिति को संचालित करने के लिए केवल एक प्राधिकरण का बनाया जाना काफी नहीं है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मेरा सरकार से कहना यह है कि इसे स्थायी समिति द्वारा की गई अनेक प्रमुख सिफारिशों पर फिर से विचार करना चाहिए।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अधिष्ठाता महोदय, भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक को सदन में लाने के लिए मंत्री जी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अभी काफी बिल पास करने हैं। जब आपने स्वागत कर दिया, धन्यवाद दे दिया, फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सुझाव हों तो उन्हें बताइये।

श्री रामसागर : आधुनिक युग में, दूर-संचार देश के विकास की कड़ी में एक आवश्यकता बन गई है। इस विधेयक के अंतर्गत जो स्थाई समिति बनाई गई है, जैसा आपको मालूम है और जानकारी है, उसमें सभी दलों के माननीय सदस्य होते हैं ताकि वे उसमें अपने-अपने सुझाव दे सकें। इसके अलावा जो परामर्शदात्री समिति है, उसमें भी सभी दलों के माननीय सदस्यों को व्यापक रूप से शामिल करके इस बात की कोशिश की गई है कि दूर-संचार सेवा को ठीक करके कैसे अधिक से अधिक लोगों तक यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

जब मैं आज देश में दूर-संचार व्यवस्था को देखता हूं तो मुझे वे दिन याद आ जाते हैं, जब मैं उत्तर प्रदेश असैम्बली में एक विधायक था। उन दिनों सभी सदस्यों को यह सुविधा दी गई थी उनके निवास-स्थान और कार्यालय दोनों जगहों पर टेलीफोन उपलब्ध कराया जाएगा परंतु हमारा आवास इंटीरियर या ग्रामीण अंचल में होने के कारण, वहां कोई टेलीफोन लाइन नहीं थी, जिससे हमें निवास-स्थान पर यह सुविधा नहीं मिल पाई। सभी ग्रामीण अंचलों में एक जैसी स्थिति थी। पिछले 2-3 सालों में देश में टेलीफोन सेवा का जिस गति से विस्तार हो रहा है, हर तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और गांव के स्तर पर टेलीफोन लग चुके हैं। मुझे उस समय बहुत खुशी हुई जब यहां भारतीय जनता पाटी के एक माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव ने कहा कि जयपुर में कोई ऐसी सड़क नहीं बची है जिसके किनारने खुदाई करके टेलीफोन की लाइनें न बिछाई जा रही हों। मैं समझता हूं कि इन दिनों माननीय संचार मंत्री जी के नेतृत्व में, जिस गति से देश के कोने-कोने में, ग्रामीण अंचलों में टेलीफोन सेवा का विस्तार हो रहा है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सभी जगह टेलीफोन ठीक काम कर रहे हैं जबकि हालत यह है कि कहीं ठीक से नहीं चलते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे ऐसा कहां कह रहे हैं। उनका कहना है कि सभी जगह टेलीफोन केबल बिछाई जा रही है।

श्री रामसागर : मैंने पहले ही अनुरोध किया कि जो विधेयक हमारे सामने आया है, उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं और हमारे माननीय मंत्री जी ने, मुझे याद है, पिछले दिनों स्वयं इस सदन में उठकर कहा था कि यद्यपि मैं टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने का प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन अभी तक इस सुविधा से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे देश में जो एन्टेना के जरिए टेलीफोन चलते हैं लेकिन जो टेलीफोन बैटरी सिस्टम से चलते हैं, वे अक्सर खराब रहते हैं।

महोदय, गांवों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाइनमैन और वर्कमैन या जो इंचार्ज रखे गए हैं उनकी संवाएं अभी बहुत अच्छी नहीं हैं क्योंकि जो उपभोक्ता है, अगर उनके टेलीफोन खराब हो जाते हैं या कनेक्शन खराब हो जाते हैं या टेलीफोन लाइन खरबा हो जाती है, तो उनको कई-कई दिन तक वे बना नहीं पाते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सब की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, जैसा मैंने अनुरोध किया, बहुत सारे सुझाव इस बारे में दिए गए हैं, चाहे फिर वे सुझाव संसद की स्थाई समिति में दिए गए हों या मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में दिए गए हों, मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं कि जो भी सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से दिए गए हैं उनको भी इसमें शामिल करें और जो भी सुझाव अब इस बहस के समय दिए जा रहे हैं उनको भी इसमें शामिल करें और जो दूर-संचार व्यवस्था है, वह देश के लिए कैसे लाभकारी होगी और देश के विकास में सहायक होगी, इस बारे में अच्छे से अच्छा प्रयास करें।

अंत में, मैं मंत्री महोदय, को इस क्रांतिकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने और इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करके, टेलीफोन व्यवस्था को देश के लिए उपयोगी बनाने और उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक बनाने का प्रयास जारी रखेंगे, इस आशा के साथ धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (थाणे) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सांसदों को टेलीफोन के बिलों का भुगतान नहीं करना होता है, लकिन मुझको बराबर बिल आता है और फोन पर सूचना दी जाती है कि टेलीफोन बिल जमा करो वरना आपका टेलीफीन काट दिया जाएगा। अब जब ये विभाग आपस में एक दूसरे से बात करके बिलों का भुगतान भी नहीं ले सकते हैं और संसद को उसका बिल भुगतान करने के लिए भेज देते हैं, तो आप स्वयं अनुमान लगाइए कि विभागों में आपस में ही कितना कम्युनिकेशन गैप है और जब इन शासकीय विभागों में भी परस्पर सूचना को लेने-देने का अभाव है, तो देश की क्या स्थिति होगी, इसका भी आपको अनुमान हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : धन्यवाद महोदय। ऐसा कानून बनाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। यह हर तरह से प्रशंसनीय है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दूर-संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को संचालित करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है। इस पहल के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

तथापि मुझे इस बात का खेद भी है कि इस तरह के अच्छे विधेयक को सीधे संसद में प्रस्तुत करने के बजाए अध्यादेश के रूप में लाया गया है। मुझे यह समझ में नहीं आया कि इन मुद्दों को थोड़े समय और रुक कर इस सत्र के दौरान ही संसद में क्यों नहीं पेश किया जा सका।

दलील यह दी गई कि 'यह अति तत्काल विषय था'। यदि यह इतना ही जरूरी था तो इसे गत सत्र के दौरान ही लाया जा सकता था। इसके लिए सत्र के बीच के अवकाश की अवधि को ही क्यों चुना गया और राष्ट्रपति जी को वैसे समय में अतिरिक्त कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी जब वे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त थे। मैं समझता हूं कि 21 अप्रैल बल्कि 9 मई के पहले सरकार को अपना मन बना लेना चाहिए और इस सत्र के लिए जो भी जरूरी विधेयक है उसे सत्र के दौरान पेश करना चाहिए न कि 9 मई तथा अगले सत्र के बीच अध्यादेश जारी करना चाहिए।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अच्छी बातें जल्दबाजी में ही की जाती हैं।

श्री सुरेश प्रभु : हां, लेकिन उन्हें यह जल्दबाजी सत्र के दौरान करना चाहिए, अन्यथा हम लोगों की तो कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। हम लोग उस विधान को घर पर पढ़ सकते हैं।

महोदय, मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं और यह भी समझता हूं कि यह अध्यादेश अथवा विधान मूलरूप से 1994 में लागू की गई दूर-संचार नीति की उपज हैं हालांकि इसकी पहले भी आवश्यकता थी जब दूर-संचार नीति हमारे दूर-संचार क्षेत्र की आधारशिला थी। वर्ष 1994 की नीति में जैसाकि दूर-संचार क्षेत्र में जुड़ी किसी भी नीति में होना चाहिए। हमारा मुख्य ध्यान उपभोक्ता पर होना चाहिए जो दूर-संचार विभाग अथवा सेवा प्रदान करने वाली अन्य एजेंसियों से सेवा प्राप्त करता है।

महोदय, हमारे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए हम प्रौद्योगिकी आने की भी अनुमति दे रहे हैं जिससे लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधा और बेहतर हो सकेगी। लेकिन जब हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो हमें कुछ अन्य क्षेत्र अथवा अन्य हित की बातों पर भी विचार करना चाहिए। वह हित हमारा राष्ट्रीय हित है।

मैं सोचता हूं कि अभी हाल ही में जो हमने बहु-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं उससे देश को कैसे लाभ मिलेगा। जबकि संसद में अभी इस पर बहस किया जाना शेष है। हमारे दूर-संचार मंत्री के विदेश पर होने के दौरान उनके अन्य साथियों ने सदन में उत्तर देते हुए बताया कि उक्त समझौता राष्ट्र के हित में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद अकेला ही यह निर्णय ले सकता है कि कौन सी बात देश हित में है विशेषतौर पर वैसी स्थिति में जब इस मुद्दे पर संसद में चर्चा भी नहीं हुई हो। मैं समझता हूं कि सदन में इन मुद्दों पर चर्चा करने का उपयुक्त समय आ गया है।

अतः मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक बार फिर संसद के प्रति जवाबदेही बनती है। वर्ष 1994 की नीति के अनुसार हमें इसे पुनः संसद के समक्ष पेश करना चाहिए और बहुपक्षीय समझौते के सभी पहलुओं को सामने रखना चाहिए और आपको यह बताना चाहिए कि इससे देश को लाभ कैसे होगा। ऊरुग्वे राउंड कांफ्रेंस के दौरान हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 'गेट' (जनरल एग्रीमेन्ट आन ट्रेड एण्ड सर्विसेज) पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहते थे।

सभापति महोदय : हम झुके नहीं।

श्री सुरेश प्रभु : यह सेवा विश्व के कुल व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा है। हम यह कर रहे हैं कि आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं वे देश हित में नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। अतः अब हमें यह एकाएक कैसे महसूस हुआ कि यह देश हित में है ? क्या यह इसलिए हो रहा है चूंकि हम इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई हम पर दबाव डाल रहा है ? इसकी जानकारी संसद को होनी चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि जब वे उत्तर दें तो वे इस घोषणा की पूरी विषय वस्तु को संसद के समक्ष रखें और बताएं कि इससे देश के हित में हम सबों को कैसे लाभ पहुंचेगा।

महोदय, इस प्राधिकरण की विषय वस्तु को काफी सोच विचार के बाद तय किया गया है। इस निकाय में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व होने जा रहा है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। यह ठीक है। लेकिन उपभोक्ताओं के हितों का क्या होगा ? क्या इस निकाय में उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व होगा या नहीं ? इसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, जीवन के हर क्षेत्र के विख्यात व्यक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व होने जा रहा है लेकिन उपभोक्ताओं के निकाय, टेलीफोन प्रयोगकर्त्ताओं के विशेष प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस पर विचार करें क्योंकि किसी भी नीति का महत्वपूर्ण स्तम्भ उपभोक्ता ही है। इसका लक्ष्य उपभोक्ता है। उसके हितों का कैसे संरक्षण किया जाता है ? वास्तव में यही हम लोग जानना चाहते हैं। यह आवश्यक भी है कि क्योंकि खण्ड 14 (1) में आपने यह व्यवस्था की है कि इसे सेवा उपलब्ध कराने वालों और उपभोक्ताओं के ग्रुप के विवाद ही सौंपे जाएंगे। इस प्रकार एक उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से विधेयक या विधायन के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के सम्मुख संभवतः प्रस्तुत नहीं हो सकता है। उसे उपभोक्ता ग्रुप के माध्यम से ही जाना होगा। इसलिए हम लोग पहले ही उपभोक्ताओं के ग्रुप के रूप में राज्य के बारे में सोच रहे हैं जो कि अपनी शिकायतों को एक पीड़ित पार्टी के रूप में इस निकाय को भेज सकता है और मैं समझता हूं कि यदि मामला यह है तो इस निकाय में उपभोक्ताओं के ग्रुप का कुछ प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब हम उपभोक्ताओं के इस ग्रुप को निकाय मानने का प्रयास कर रहे हैं जो उस तरह के अपील को पीड़ित पार्टी के रूप में भेज सकता है तो क्या सरकार उपभोक्ताओं के ऐसे ग्रुप के गठन को प्रोत्साहित कर रही है ? इस देश में उपभोक्ताओं के ग्रुप जैसा कोई संगठन नहीं है। मैं एक टेलीफोन उपभोक्ता हूं। हम सभी संसद सदस्य टेलीफोन उपभोक्ता हैं। लेकिन इस देश में टेलीफोन उपभोक्ता संसद सदस्यों का कोई निकाय नहीं है। उड़ीसा के टेलीफोन उपभोक्ताओं का कोई निकाय नहीं है और महाराष्ट्र के टेलीफोन उपभोक्ताओं का भी कोई निकाय नहीं है। क्या सरकार इस तरह के निकायों के गठन को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है ? क्या आप ऐसे निकायों का वित्त पोषण करने जा रहे हैं ? क्या आप उन्हें अनुदान देने जा रहे हैं ? मेरे विचार में यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि 'सेबी' अधिनियम के तहत निवेशकों के निकाय के गठन का प्रावधान है और 'सेबी' अनुदान देकर इनको प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे पूरे देश में ऐसे निकायों के गठन को प्रोत्साहित करें और इस प्रकार के विनियमों के द्वारा उनकी गतिविधियों को राजसहायता भी प्रदान करें। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तो कैसे उपभोक्ताओं का ग्रुप अस्तित्व में आएगा और उनके सामने आने वाले समस्याओं की अपील वे कैसे करेंगे ?

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : इसे मुफ्त सेवा प्रदान करने वाला उपभोक्ता मंच होना होगा।

श्री सुरेश प्रभु : इसके बहुत सारे प्रावधान हैं लेकिन मैं समझता हूं कि एक से छोड़कर हम लोगों को वास्तव में इससे कोई शिकायत नहीं है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। हम लोग पहले ही इस निकाय के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि जनहित के अंतर्गत कई कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। किसी भी सरकार के कार्यकरण के लिए जनता का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

जनहित और आम नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के बीच विनिमय जरूरी है। क्या एक नागरिक जिसकी गोपनीयता, जिसे अपने फोन को किसी के द्वारा टेप नहीं किए जाने संबंधी अधिकार है, का यदि इस प्रकार से हनन होगा तो वह इस निकाय में अपील करने पर विचार कर सकता है ? क्या जनहित को सर्वोच्च माना जाएगा ? ऐसा इसलिए कि दूर-संचार विभाग यह कह सकता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष का टेलीफोन जनहित में टेप कर रहे हैं। एक नागरिक की नागरिक स्वतंत्रता का हम किस प्रकार संरक्षण करने जा रहे हैं ? अभी तक ऐसा करने के लिए कहीं भी कोई मंच नहीं है। सिर्फ संसद में ऐसे कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं और यदि उन्होंने किसी का फोन टेप करने को कहा है, तो मंत्री से त्याग पत्र देने को कहा जा सकता है। लेकिन यह मंत्री के आदेश के बिना भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस प्रकार के निकाय की स्थापना करने जा रहे हैं तब नागरिक स्वतंत्रता और जनहित के बीच विनिमय कैसे हो सकता है जबकि इस निकाय के द्वारा इनके संरक्षण की बात कही गई है ? यह ऐसा मामला है, जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि मंत्री जी हमें जानकारी देना पसंद करेंगे।

इस विधेयक की धारा 14 के बारे में जो विभिन्न विवाद उठाए गए और जो उठाए जा सकते हैं उनमें से एक है सेवा उपलब्ध कराने वालों के बीच राजस्व का बंटवारा।

निःसंदेह दूर-संचार विभाग सेवा उपलब्ध कराने वाला एक निकाय होगा। मुझे विश्वास है कि दूर-संचार विभाग को निश्चित तौर पर इसके प्रचालन क्षेत्र में लाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इसके सही तरह से वास्तविक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि कहीं भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन प्रचालनों का निर्णय कौन करेगा? क्योंकि जिस चीज के बारे में हम निर्णय कर रहे हैं वह लाभ का बंटवारा है। लेकिन इस लाभ की मात्रा कितनी होनी चाहिए ? यह फैसला कौन करने जा रहा है कि सर्वाधिक भाग कौन सा हो जिसे प्रभारित किया जाए ? क्योंकि आज ये दरें सरकार द्वारा निर्धारित हैं। टेलीफोन की दरें प्रशासनिक कार्रवाई के द्वारा बढ़ाई जाती हैं। इन पर संसद तक में बहस नहीं होती है। अभी हम एक अलग निकाय की स्थापना करने जा रहे हैं। इसलिए राजस्व के उस पहलू का निर्णय उस निकाय के द्वारा हो सकता है। लेकिन विभिन्न सेवा प्रचालकों द्वारा प्रभारित राजस्व का निर्धारण कौन करेगा ? यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समुचित स्पष्टीकरण जाना जरूरी है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हमें विभिन्न सेवा उपलब्ध कराने वालों के बारे में भी जानकारी देंगे।

अब मैं इस मसले पर वापस आते हुए कहूंगा कि यह विधायन अत्यंत ही प्रशंसनीय है। आप नई तकनीकी ला रहे हैं। इसलिए विभिन्न प्राधिकरणों के नियमन की आवश्यकता है। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या होगा जो गांवों में रहते हैं और जो टेलीफोन की संवाएं प्राप्त करने के लिए वास्तव में जोरदार मांग कर रहे हैं ? हम लोग कई नए-नए आविष्कारों के बारे में सुन रहे हैं जो न केवल शहरों बल्कि महानगरों तक ही सीमित रह जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को इनमें से कोई सेवाएं नहीं मिल रही है सिवाय इसके कि उन्हें इन सेवाओं के बारे में समाचार पत्रों से जानकारी मिल जाती है। एक निकाय जिसे नियमन के लिए गठित किया गया है वह जनहित में यह कैसे सुनिश्चित कर सकेगा कि दूर-संचार के 'नेटवर्क' का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों तक भी हो ? क्या इस निकाय को, जो कि एक सांविधिक निकाय है, आदेश देने का अधिकार है ? दूर-संचार विभाग को अपने कार्यक्रम को इस प्रकार से बांटना होगा कि ग्रामीण इलाके और शहरी क्षेत्र, दोनों को समुचित महत्व प्राप्त हो। क्या कोई सामाजिक दायित्वों का ख्याल रखेगा जबकि हम निजी प्रणालियों पर विचार का रहे हैं जो कि निजी प्रचालकों के लिए वास्तविक प्रोत्साहक होगा। कैसे हम लोग निजी निकाय और सामाजिक दायित्व तथा अन्य बातों में, जो कि मुझे विश्वास है कि मंत्री जी बताएंगे, संतुलन स्थापित करने जा रहे हैं।

एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियमन (एम॰ आर॰ टी॰ पी॰) भी नियंत्रण के लिए संभवत: एक विनियामक निकाय बनने जा रहा है साथ ही मैं पूछना चाहता हूं कि एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ के उपबंधों का पालन किया जा रहा है या नहीं। क्या दूर-संचार विभाग एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ की देखरेख के अधीन होगा ? क्या इसका वास्तविक अभिप्राय यही है ? क्या जनता का कोई सदस्य कह रहा है कि प्राधिकरण द्वारा वसूला जा रहा है शुल्क एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ के प्रावधानों से प्रचालित है और क्या हम लोग अपील कर सकते हैं ? क्या दूर-संचार विभाग एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ के प्रावधानों के अनुसार स्वयं को वैसे न्यायिक जांच-पड़ताल के लिए प्रस्तुत करेगा या नहीं ? यह एक ऐसी बात है जिसे माननीय मंत्री जी को निश्चय ही हमें बताना चाहिए।

पारदर्शिता का पहलू साझा न्यूनतम कार्यक्रम के सिद्धांतों में से एक है और हर जगह हमें इस पारदर्शी प्रचालन से पाएंगे पता चलेगा कि सरकार इस दिशा में क्या करने का प्रयास कर रही है। इस निकाय का वार्षिक प्रतिवेदन संसद के सामने रखा जाना है। संसद को इन प्रतिवेदनों को मद्दे नजर रखते हुए उसे जांच-पड़ताल का अधिकार है। हम लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या कोई प्रावधान है—यह प्रावधान नहीं बल्कि व्यवहार है—कि विभिन्न स्थानों, जिलों में टेलीफोन अदालतें काम कर रही हैं जिसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता और सेवा उपलब्ध कराने वाले के विवादों को सुना, हल किया और निष्पादित किया जा सकता है। इस विधायन में ऐसी टेलीफोन अदालतें सांविधिक स्थान नहीं लेंगी और हम लोग टेलीफोन अदालतों को उपभोक्ता शिकायत निराकरण फोरम का अंग बना सकते हैं ताकि जो उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उठाना चाहते हैं वे टेलीफोन अदालत के सामने उपस्थित हो सकें जिसे सांविधिक अधिकार भी होगा और उन्हें वैसे प्राधिकार द्वारा वास्तव में स्वीकार किया जाएगा।

श्री के॰ पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

जब 1994 में दूर-संचार अपील प्राधिकरण की घोषणा को गई थी तो चारों ओर यह शंका व्यक्त की जा रही थी कि दूर-संचार विभाग अपनी परिधि में अन्य कई उपभोक्ता मंत्रालयों को भी समेट लेगा लेकिन जब प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था तो इन मंत्रालयों से परामर्श नहीं किया गया था। यह 1994 में हुआ था और उन मंत्रालयों ने सरकारी तौर पर भी मैं यह तो नहीं कहूंगा कि शिकायत की थी लेकिन तत्कालीन मंत्री और भारत सरकार को पत्र तक भी नहीं लिखे थे।

इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा अध्ययन कराए गए जो विशेषकर राष्ट्रीय दूर-संचार नीति 1994 के प्रभाव, इलेक्ट्रानिक मीडिया और 'सूचना सुपर हाइवे' से संबंधित थे। सूचना सुपर हाइवे आज के समय की आवश्यकता है और यह भारत में एक अमरीकी व्यवसायी द्वारा लाया जा रहा है जिसे खुद भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग, दूर-संचार विभाग, अंतरिक्ष विभाग और गृह मंत्रालय कर सकते थे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1994 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। आकाशवाणी के महानिदेशक इसके अध्यक्ष थे दूरदर्शन के इंजीनियर इन चीफ, आकाशवाणी के इंजीनियर इन चीफ, आकाशवाणी के अनुसंधान और विकास विशेषज्ञ और लेफ्टीनेंट जेनरल के बलराम, थल सेना के उपाध्यक्ष जो सिग्नल कॉर्प्स से॰ थे उस समय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए राष्ट्रीय दूर-संचार नीति के लक्ष्य क्या थे ? इनके मूल उद्देश्यों का दूर-संचार विनियामक विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया जा चुका है। यह एक वर्ष से अधिक समय के बाद आ रहा है। मुझे इस बात की आशा थी कि यदि यह सरकार कुछ टिप्पणियों पर गौर से ध्यान दें और यदि बेहतर ढंग से सलाह मशविरा करे तो पिछली सरकार, जिसमें मैं कर्नल राम सिंह शामिल थे और जिसकी कर्नल राम सिंह ने आलोचना की है, की खामियों को दोहराने से यह सरकार बच जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए पिछली सरकार और इस सरकार में बहुत फर्क नहीं है।

13 मई, 1994 को घोषित की गई दूर-संचार नीति का मूल उद्देश्य प्रत्येक के लिए दूर-संचार की सेवाएं पहुंचना था। सरकार का 1997 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का उद्देश्य है—हम लोग 1997 में हैं इस लक्ष्य वर्ष तक सभी गांवों को टेलीफोन उपलब्ध करा देना, निजी उद्यमियों के लिए मूल सेवाओं को खोल देना, जिससे दूर-संचार विभाग के भार को कम किया जा सके और मूल्य संवर्द्धित सेवाओं जैसे रेडियों पेजिंग, इलेक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, ऑडियो टेक्स्ट सेवाएं, वीडियो टेक्स्ट सेवाएं, टेली-कांफ्रेंस, और विश्वस्तीय सेल्युलर मोबाइल फोन को देश में 1996 तक निजी क्षेत्र की भागीदारी से उपलब्ध कराना था। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इसे निगमित किया है। मैं इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा कि यह निश्चय ही 1994 के दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण में बेहतरी है। उस समय यह अनुमान किया गया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 लाख अतिरिक्त लाइनें उपलब्ध करा दी जाएगी; सेवा सर्वव्यापी होगी; इसे उचित मूल्य द्वारा सबकी पहुंच तक पहुंचाया जा सकेगा तथा भारतीय तकनीकी को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश भी बढ़ाया गया। वर्ष 1998 तक एक करोड़ 58 लाख टेलीफोनों की अनुमानित मांगों को पूरी करने के लिए 23,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी और अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए नई दूर-संचार नीति निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर देती है। नई दूर-संचार नीति इन मूल्य संवर्द्धित सेवाओं को समग्र निवेश के माध्यम से विस्तारित करेगा। इसलिए इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उपभोक्ताओं के हितों के सवंर्द्धन और संरक्षण और समुचित स्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी जिसके बारे में मेरे मित्र, जो मुझसे पहले बोल चुके हैं, पर्याप्त रूप से कह चुके हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इसके बाद सरकार भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण लाई है। इसका आशय विनियामक कार्यों को सेवा उपलब्ध कराने के कार्यों से अलग करना है जैसा कि विश्व में अन्यत्र भी हो रहा है।

अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद विनियामक प्राधिकरणों के स्वरूप का भी इस विभाग ने अध्ययन किया है। उसी आधार पर भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण को संचार मंत्रालय के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में रखने का फैसला किया गया है जो इस विनियामक प्राधिकरण को असीमित शक्तियां देने का विचार रखता है। इस प्रकार आरोपी, जूरी और न्यायाधीश एक ही-अर्थात् संचार मंत्रालय होंगे। इसलिए 1994 में प्रस्तावित विनियामक प्राधिकरण को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के महानिदेशक की विनियामक शक्तियां दी गई थीं।

अपराह्न 3.01 बजे

(श्री पी॰ एम॰ सईद *पीठासीन हुए)*

अब हम एक प्राधिकरण की बजाय दो प्राधिकरणों के बारे में बात कर रहे हैं और इसे 15 मार्च, 1997 के इस विधेयक में भी शामिल किया गया है इसलिए इसमें कोई बेहतरी नहीं है। अब हमें प्रस्तावित विनियामक प्राधिककरण की संरचना, गठन और शक्तियों के बारे में विचार करना चाहिए। इसमें सिर्फ दो सदस्य हैं—सदस्य (वित्त) और सदस्य (दूर-संचार) और एक अध्यक्ष। इसका एक सचिवालय होगा जिसमे काम करने के लिए संचार मंत्रालय या केन्द्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम की संगत विभाओं से लोग लिए जाएंगे और इसमें 52 कर्मचारी एवं भारत सरकार के सचिव स्तर के तीन अधिकारी —एक भारत सरकार का अपर सचिव स्तर का अधिकारी, तीन संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी तथा एक उप सचिव और एक अवर सचिव स्तर का अधिकारी होगा। मैं नहीं जानता कि यह नौकरशाहों—जैसा कि मेरे मित्रों ने भी कहा है—और न्यापालिका के सदस्यों के लिए, जो अपने जीवन की सर्वोत्तम सेवा कर चुके हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं—के लिए पुनर्वास केंद्र है अथवा

नहीं। यदि यह पुनर्वास केंद्र है तब तो हम बहुत ही अच्छे प्राधिकरण को प्रोन्नत कर रहे हैं तथा संसद में अच्छे विधेयक को पारित कर रहे हैं क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास पर आज किसी का ध्यान नहीं है। पचास लाख भूतपूर्व सैनिकों का ख्याल आज न तो केंद्र या किसी राज्य या किसी अन्य व्यक्ति को है। यहां तक कि पांचवें वित्त आयोग ने भी उन्हें चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से भी बदतर बना दिया है।

इसके बाद इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रभाव आता है। हम लोग इलेक्ट्रानिक मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं ? आज हमारे दैनिक जीवन में ऐसा प्रतीत होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है और आज सूचना हाइवे' यथार्थ बन चुका है। सूचना हाइवे क्या है ? क्या यह विभिन्न मीडिया जैसे कोएक्सियल केबल, आप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव लिंक, रेडियो और टी॰ वी॰ प्रसारण, उपग्रह के हजारों नेटवर्कों का संग्रह है और यह देशव्यापी और विश्वव्यापी शैक्षिक, औद्योगिक और सरकारी संस्थाओं में व्यक्तिओं, कम्प्यूटरों और सूचना स्रोतों को जोड़कर एक प्रकार का आधारभूत संरचना उपलब्ध कराता है।

मेरे मित्र, श्री रूपचंद पाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मुझसे जुड़े रहे हैं और वह साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा विकासशील देशों की आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर सूचना सुपर हाइवे के द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के पापी इरादे से अवगत हैं। हम क्या चाहते थे ? हम लोग इस सूचना सुपर हाइवे का प्रयोग ग्रामीण पिछड़ों, गरीब बहुसंख्यकों को सामाजिक अधिकार दिलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं ताकि वे बराबरी के माहौल में स्पर्धा कर सकें।

सूचना हाइवे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को बदल सकता है और गैर-महानगरीय ग्रामीण जीवन को विशेष रूप से पुनरज्जीवित कर सकता है। चूंकि ऊपर उल्लिखित मीडिया, जो सूचना हाइवे बनाते हैं, के पास देश में वृहत् अन्तर्निहित-आधारभूत संरचना पहले ही है तथा एकीकृत सूचना नेटवर्क बनाने के लिए इन्हें एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है जोकि दो मार्गीय बल, परस्पर प्रभावशील सूचना का पोषण करता है।

मैं एक रुचिकर मामला उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी उस समय विभाग के मंत्री नहीं थे। संचार मंत्रालय ने इसे एक वर्ष तक दबाए रखा और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को अनुमति प्रदान नहीं की जिसने देश के संसाधनों का निवेश किया था और जिसके पास एफ॰ एम॰ रेडियो पेजिंग शुरू करने के लिए अतिरिक्त 'स्पेक्ट्रम बैंड' भी था।

संचार मंत्रालय के अधिकारियों ने यह सोचा कि इस एकाधिकार को सबसे बड़े एकाधिकारी, संचार मंत्रालय के पास ही बना रहना चाहिए। लेकिन सत्य तो यह है कि आज दूर-संचार और दूर-दर्शन के बीच अत्यधिक समरूपता है।

महोदय, आप उस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। संभवत: राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के बीच एक विरल काल्पनिक रेखा है जिन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय को बांट रखा है। अन्यथा, उन्हें एक ही मंत्रालय के अधीन होना चाहिए था और संचार मंत्री को ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय की देखरेख करनी चाहिए। वास्तव में प्रथम संचार मंत्री सरदार पटेल के पास सूचना और गृह विभाग, दोनो थे। उन दिनों प्रसारण मंत्रालय नहीं बना था। इसलिए प्रसारण मंत्रालय को आज संचार मंत्रालय के साथ होना चाहिए और इसीलिए सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय ने तत्कालीन सरकार—पहले से पहले वाली सरकार—को यह सुझाव दिया था कि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में रक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और इलेक्ट्रानिक्स विभाग को भी शामिल किया जाए। फिर यदि उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए भारत सरकार को नहीं फटकारा होता कि एयरवेब्स (वायु तरंग) सरकारी संपत्ति नहीं है बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है। यही विनियामक प्राधिकरण इस प्रकार का प्रतिनिधित्व रहने पर प्रयोगकर्त्ताओं के हितों का ध्यान रखा होता और यह विस्तृत आधार वाला विनियामक प्राधिकरण होता जो वस्तुनिष्ठ, स्वतंत्रा और निष्पक्ष होता।

वायरलेस अधिनियम और टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार आज दूर-संचार विभाग वायरलेस परामर्शदाता के माध्यम से लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी है। अब सरकार भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण बनाने जा रही है जिसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। हम जानते हैं कि अमरीका का स्वातंत्र्य संग्राम बोस्टन टी पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं के मुद्दे पर हुआ था—हम लोग इतिहास को भी विस्मृत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अमरीकियों से बहुत सी बातें और खास कर सूचना सुपर हाइवे, इंटरनेट इत्यादि के बारे में सीख रहे हैं। अब बिल गेट्स और रुपर्ट मरडौक यहां आ रहे हैं, नोबेल और बैरन आ रहे हैं तथा उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। लेकिन हम इतिहास से शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं।

फिर, विभिन्न सेवा प्रदान करने वालों के बीच तकनीकी योग्यता को सुनिश्चित करना, प्रचालकों के बीच प्रभावशाली अंतर्क्रिया को सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखना, दक्षता को बढ़ावा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को संरक्षित करना, राजस्व के बंटवारे के तरीके को ढूंढ़ना, अलग-अलग दूर-संचार सेवाओं के मूल्य निर्धारण की सिफारिश करना और मानक स्थापित करना, ये सभी उद्देश्य अत्यंत ही सराहनीय हैं। लेकिन क्या हम इन उद्देश्यों को भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण में पाते हैं ? इसलिए इस विशेषज्ञ दल ने इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रभावों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि दूर-संचार सेवाओं की तकनीकी आवश्यकताएं एवं प्रणाली अन्य संचार सेवाओं जैसे प्रसारण, नागर विमानन, विदेश संचार और पुलिस तथा रक्षा संचार से विशेषकर अलग हैं। ये सभी सेवाएं अपने विशेष क्षेत्राधिकार के लिए अलग से विकसित की गई हैं और इनका प्रबंध भी अलग है।

महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हरियाणा के चरखी-दादरी में आकाश में वायुयानों के टकराने की घटना में 396 लोग मारे गए गए थे और क्षेत्राधिकार संबंधी संदिग्धता के बारे में इसी सदन में चर्चा हुई थी। रक्षा प्राधिकारी नागर विमानन प्राधिकारियों पर आरोप लगा रहे थे और नागर विमानन प्राधिकारी रक्षा प्राधिकारियों पर आरोप लगा रहे थे। इस सदन में पिछले ही सत्र में इस पर चर्चा हुई थी। इसलिए,

[श्री के॰ पी॰ सिंह देव]

अलग-अलग संगठनों का अलग-अलग क्षेत्राधिकार होना चाहिए। अन्यथा, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए अलग-अलग संचार सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि दूसरी संचार सेवाओं का विकास अवरुद्ध न हो और अन्य सेवाओं के 'रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम' को बाधा नहीं पहुंचाते हुए सेवाओं के विस्तार की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि अन्य क्षेत्रों को भी लाभ हो।

महोदय, अब मैं उस बात की ओर वापस लौटता हूं जिसमें माननीय मंत्री जी के मंत्रालय ने आकाशवाणी की उस फाइल को एक वर्ष तक दबाए रखा जिसमें वह बिना एक पैसा खर्च किए एफ॰ एम॰ रेडियो पेजिंग सेवा शुरू करना चाहता था क्योंकि 'टेलीटेक्स्ट' के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, दोनों के पास अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध।

आकाशवाणी को मंत्री के हस्तक्षेप के बिना यह अनुमति नहीं मिलती। मैं अपने पूर्व सहयोगी श्री सुखराम को बधाई देना चाहूंगा। उन पर भले ही कुछ भी आरोप लगाया गया हो लेकिन श्री सुखराम ने एक बैठक की और उसे सुलझाया और एक महीने के अंदर आकाशवाणी एशिया का एफ एम रेडियो पेजिंग सेवा शुरू करने वाला पहला संगठन बन गया। दूर-संचार विभाग का रेडियो पेजिंग कितना सफल है यह मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसलिए किसी को भी विस्तार करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अंतरिक्ष, रक्षा और गृह मंत्रालय के मामले में भी यही बात है। महोदय आप गृह मंत्री भी थे। आप जानते हैं कि हर छोटी-छोटी बात के लिए आपको वायरलेस परामर्शदाता के पास जाना पड़ता है। क्योंकि, हर चीज केन्द्रीकृत है। हम लोग सरकारिया आयोग, विकेन्द्रीकरण पंचायती राज, राम राज्य, महात्मा गांधी के स्वप्न, राजीवगांधी के स्वप्न के बारे में बात करते हैं लेकिन हम हर जगह केन्द्रीयकरण चाहते हैं और वह है प्रजातांत्रिक केन्द्रीयवाद। महोदय, प्रसारण जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है। पंडित नेहरू ने हम ने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को संबोधित करते हुए कहा था, "हमारे यहां औद्योगिक क्रांति नहीं होने का एक ही कारण था, और वह यह नहीं था कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे या हमारे पास मानव संसाधनों की कमी थी या अमरीकी, चीनी, जापानी या जर्मन से हमारा बुद्धि विवेक घटिया था बल्कि इसका कारण था संचार का अभाव और मीडिया में आधारभूत संरचना की कमी थी" जर्मनी और जापान के पास आंतरिक संसाधन नहीं हैं जर्मनी के रूहर तथा जापान के हिरोशीमा और नागासाकी की तरह हम बमबारी से बर्बाद नहीं हुए। जब भारत से अंग्रेज गए तो यहां स्टर्लिंग अधिशेष की बहुतायत थी। लेकिन आज जर्मनी और जापान सिर्फ संचार और प्रौद्योगिकी की वज़ह से हम सब की अपेक्षा इतनी तरक्की कर गए हैं अभी हम चीन से भी पीछे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाएं।

यह प्रसारण ग्राहकों को मुफ्त संदेश भेजता है और इसमें साथ ही साथ उपभोक्ताओं का चयन करके संबोधित करने की भी क्षमता है। इसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपग्रहीय और भू-क्षेत्रीय दोनों प्रकारों के आंकड़ों को रखने की अथाह क्षमता है। जिनका सूचना पहुंचाने, आंकड़ा प्रसारण, टेलीटेक्स्ट, टेली-सॉफ्टवेयर, रेडिया टेक्स्ट और रेडिया पेजिंग जैसी सेवाओं को देने में प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रसारण प्रौद्योगिकी की प्रगति और अपनी आधारभूत संरचना के जरिए अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने की प्रसारण सेक्टर की क्षमता को देखते हुए, इलेक्ट्रानिक मीडिया को बिना अनुमति लिए मूल्य संवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी आधारभूत संरचना के इस्तेमाल की अनुमति मिलनी चाहिए।

महोदय, आपको यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन जिसका 17 क्षेत्रीय चैनलों का विस्तृत नेटवर्क है, के माध्यम से सभी पुस्तकालयों को आम जनता के लिए इंटरलिंग इंटरकनेक्ट और नेटवर्क बनाने की योजना बनाई थी। 'डिजिटल कम्प्रेशन वीडियो प्रौद्योगिकी' के होने से इसके पास 85 चैनल होते, लेकिन उन्हें उतना बजटीय समर्थन नहीं है जितना कि श्री राम विलास पासवान को है, इसलिए वे पूरे देश को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। आपको इसकी भी जानकारी होगी कि सभी कृषि विश्वविद्यालयों और सभी बड़े अस्पतालों को 'इंटरलिंक' करना था और इसका लाभ आम लोगों को मिलता। आप देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक जिलाधीश के कार्यालय में लगाए गए एन आई सी एन टी (निकनेट) को आप इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इन सबों को रोकना पड़ेगा क्योंकि सारे प्राधिकार और शक्तियां दूर-संचार विभाग के हाथों में हैं। लेकिन ज्यादा अधिकार और शक्तियों के साथ और ज्यादा जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भी जरूरत होती है। क्या हम इस विनियामक प्राधिकरण में यह पाते हैं ? संसद की क्या शक्तियां हैं ? संसदीय जांच-पड़ताल क्या है ? न्यायाधीश, जूरी और आरोपी एक हैं और वह है—दूर संचार विभाग।

उनके पास कुछ सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप-निदेशक हैं और इस पिरामिडनुमा संरचना में 52 अधिकारी हैं।

महोदय, मुझे याद है कि 1984 में भूतपूर्व सैनिकों संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। वास्तव में इन सुझावों में से एक सुझाव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की तरह भूतपूर्व सैनिक आयोग के गठन के बारे में था जो सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी हो। लेकिन जो हुआ वह यह था कि रक्षा मंत्रालयम में अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव और एक पिरामिडनुमा संरचना बन गया। आज स्थिति यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्रालय ने भी भुला दिया है।

मैं इसे छोड़कर सिफारिशों पर आता हूं। इस विशेषज्ञ दल की क्या सिफारिशें थीं ? कई विशेषज्ञ अभी भी सरकारी सेवा में हैं और उनमें से कई अभी भी सरकार के सलाहकार हैं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : परंतु आपने यह सुझाव नहीं दिया कि इन सचिवों और अतिरिक्त सचिवों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए।

श्री के॰ पी॰ सिंह॰ देव : उनसे छुटकारा कौन पाना चाहता है ? कृपया ऐसा मत करिए। रूस को भी—जो कि आपको परामर्श देता है, कठिनयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने उनसे छुटकारा पाया था।

"विशेषज्ञ दल का विचार है कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा घोषित

राष्ट्रीय दूर-संचार नीति, 1994 का लक्ष्य देश में दूरसंचार सेवाओं को सुधारना, 1997 तक मूल सेवाएं उपलब्ध कराना तथा मूल्य बर्धित सेवाओं का अधिक गति से विस्तार करना है, अन्य प्रयोक्ताओं तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया जैसी सेवा उपलब्ध कराने वालों पर होने वाले इसके प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, मुझे आशा है कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं वह सही नहीं है क्योंकि ऐसा विचार 1994 में किया गया था। मुझे आशा है कि आपके मंत्रालय के पास, चाहे आप मंत्री थे या नहीं, उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय था। सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रसारण प्रौद्योगिकी के विकास, आंकड़ा प्रसार तथा मूल्य संवर्धित सेवाओं पर भी विचार नहीं किया गया।

महोदय, कृपया घण्टी मत बजाइये। मुझे पांच-छ: संशोधन प्रस्तुत करने हैं। मैं अब उन संशोधनों को ही प्रस्तुत करने जा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा। यह कोई आम विधान नहीं है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है। इसलिए, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि श्री नरसिम्हा राव की सरकार थी या श्री देव गौड़ा की सरकार, दोनों ही सरकारों ने अधिनियम प्रस्तुत करना उचित समझा। अत: इसके महत्व को स्वीकारने के संबंध में दोनों समान हैं।

प्रौद्योगिकियों का तीव्र विकास हो रहा है तथा दूर-संचार प्रसारण एक वास्तविकता बनती जा रही है जिसमें कम्प्यूटर के साथ-साथ आंकड़ों संबंधी तकनीक भी उपलब्ध रहती है। माननीय मंत्री, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे पूर्वपूर्वी आदरणीय श्री उपेन्द्र ने भी श्री वी० पी० सिंह को पत्र लिखकर कहा था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को समाप्त किया जाना चाहिए—सूचना विभाग गृह मंत्रालय को तथा प्रसारण विभाग संचार मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए। उनके अनुवर्ती के रूप में मुझे भी प्रधानमंत्री को यह लिखने का अवसर मिला था। यह देखने योग्य होगा कि संचार कार्य संचार विभाग द्वारा बेहतर किया जाता है अथवा दूर-संचार मंत्रालय द्वारा।

'रेडियो फ्रीकुएंसी स्पेक्ट्रम' को कार्यकुशलता पूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है तथा उसका प्रयोगं प्रसारण मीडिया के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, दूर-संचार नीति में यह उल्लेख भी होना चाहिए कि आबंटित प्रसारण स्पेक्ट्रम के प्रभावपूर्ण उपयोग के द्वारा किसी भी क्षेत्र में मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसके विषय में मैं पहले ही विस्तृत वर्णन कर चुका हूं।

दूर-संचार विनियमन प्राधिकरण एक सांविधिक संस्था होनी चाहिए तथा इसका गटन कानूनी रूप से किया जाना चाहिए ताकि भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण के निर्णय को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं जिसका माननीय मंत्री ने इस कानून में ध्यान रखा है। इसके अतिरिक्त यह महानिदेशक (दूर-संचार) की समानांतर संस्था नहीं बल्कि एक मात्र विनियमन संस्था होनी चाहिए। वर्तमान विनियमन प्राधिकरण में आपने 1885 के बेतार अधिनियम तथा महानिदेशक (दूर-संचार) को रखा है, जोकि पुन: एक समानांतर संस्था है। इसमें कुछ भी न होते हुए भी, यह उसके कार्यकरण को प्रभावित नहीं करेगा। माननीय मंत्री, एक ही कार्य करने के लिए दो प्राधिकरण हो जाएंगे। कभी-कभी दो विरोधी उद्देश्यों के लिए दोहरे निर्णय हो जाएंगे। अंतत:

[हिन्दी]

रेगुलेटरी अथारिटी आप ही को बनाया है।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : एक ही है।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : हम चाहते हैं कि केवल एक ही विनियमन प्राधिकरण हो—चाहे भारतीय दूर-संचार विनियमन प्राधिकरण हो या महानिदेशालय (दूर-संचार)।

[हिन्दी]

यदि आप जवाब देंगे तो स्पष्टीकरण दे देंगे।

सभापति महोदय : वे तो जवाब देंगे। आप जरा स्पीड में खत्म कीजिए।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : क्या आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं ?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री के० पी० सिंह देव : आप नौसेना में हमारे 'सीनियर अंडर आफिसर' रह चुके हैं। यदि आप मुझे कहेंगे तो मैं तत्काल बैठ जाऊंगा।

महोदय, भारतीय दूर-संचार विनियमन प्राधिकरण द्वारा विनियमन संबंधी कार्यों के अतिरिक्त उसे लाइसेंस जारी करने के अधिकार भी दिए जाने चाहिए। आगे कहा गया है :

"भारतीय दूर-संचार विनियमन प्राधिकरण की संरचना में अन्य क्षेत्रों से भी सदस्य सम्मिलित किए जाने चाहिए जैसे कि प्रसारण में एक स्थायी सदस्य, सूचना और प्रसारण, रक्षा, रेलवे, नागर विमानन, गृह, दूर-संचार विभाग तथा इलेक्ट्रानिक से छ: पदेन सदस्य होने चाहिए। इलेक्ट्रानिक मीडिया, सुरक्षा, रेलवे तथा नागर विमानन जैसे संगठनों में दूर-संचार संबंधी प्रमुखों को भी सभापति तथा सदस्य नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। यह कहकर कि सभापति को भारत सरकार में सचिव के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, सभापति और सदस्यों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करना अपने आपको धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। इसका अभिप्राय देश में इस क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम योग्य व्यक्तियों की योग्यता पर विचार न करना मात्र है।"

हम अपने आप को केवल एक वर्ग तक सीमित कर रहे हैं जो

[श्री के॰ पी॰ सिंह देव]

कि योग्य हो सकते हैं। सचिव तथा अतिरिक्त सचिव कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि केवल उन्हीं की बुद्धि कुशाग्र होती है। आज सरकार से बाहर तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भी उतने ही कुशाग्र बुद्धि वाले लोग हैं। कुछ लोग तो अन्य देशों जैसे अमरीका, जर्मनी, इग्लैण्ड, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा को अपनी योग्यता से समृद्ध कर रहे हैं। उनमें से कुछ सीनेटर हैं। उनमें से भारतीय भी हैं। कुछ लोग जिन्हें कार्यशाला सहायक के योग्य भी नहीं समझा गया था, उन्हें वहां पर 'नोबल प्राइज' मिला। उदाहरण स्वरूप में डॉ॰ हरगोबिन्द खुराना, डॉ॰ जयन्त नारलेकर और डॉ॰ चन्द्रशेखर नामों का उल्लेख कर सकता हूं।

इसमें आगे कहा गया है :

"सचिवालय का आकार छोटा होना चाहिए जिसमें कम्प्यूटरों और दूर-संचार सेवओं जैसी आधुनिक मूलभूत सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। तथा, सर्वोत्तम योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए, सचिवालय में कर्मचारी सरकारी संगठनों, सार्वजनिकों क्षेत्रों से युक्त विज्ञापनों के द्वारा या तो प्रतिनियुक्ति पर अथवा ठेके के आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए।

एक वैज्ञानिक कक्ष भी दूर-संचार प्राधिकरण का भाग होना चाहिए जिसका कार्य सभापित को सीधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना हो। बेतार योजना तथा समन्वय कक्ष जिसके द्वारा संचार के विभिन्न प्रयोक्ताओं के लिए स्पेक्ट्रम के आबंटन का उत्तरदायित्व है, नियंत्रण भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। परंतु दूरसंचार प्राधिकरण को प्राथमिक द्वारा किया जाना चाहिए। परंतु दूर-संचार प्राधिकरण को प्राथमिक रूप से संचार मंत्रालय के माध्यम से श्री प्रधानमंत्री और संसद को रिपोर्ट देनी चाहिए।"

ये सुझाव सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। लोक शिकायतों और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए उचित मंच न होने पर एक 'ओम्बड्समैन' अथवा लोकपाल जैसे प्राधिकारी की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था। यदि माननीय मंत्री हमें इस बता से आश्वस्त कर दें कि उन्होंने इन सब बातों का ध्यान रखा है, तो हम इस कदम का अत्यंत हर्षपूर्वक समर्थन करेंगे।

मै अपने संशोधनों के बारे में बाद में बोलूंगा। इसीलिए मैंने कुछ संशोधनों की सूचना दी है। मैं उन्हें उपयुक्त समय पर प्रस्तुत करूंगा। परंतु उस कारण से तो मैंने चार या पांच संशोधनों की सूचना दी है। मैं गहराई में इसलिए गया क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट शायद माननीय मंत्री के ध्यान में नहीं लाई गई। जब से उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है तब से इन्होंने अपने आपको एक सक्रिय मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं उनके लिए शुभकामना करता हूं। मुझे आशा है कि वह इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे।"

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, हमने इस विधेयक के लिए एक घण्टे का समय निर्धारित किया था। परंतु लगभग ढाई घण्टे का समय इसमें व्यतीत हो गया है। अभी तीन वक्ताओं को बोलना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मेरे साथ थोड़ी देर और सहयोग कीजिए। माननीय मंत्री, आप कितना समय लेना चाहेंगे ?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन् जितना आप कहेंगे, उतने कम समय में मैं उत्तर दे दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्री राजीव प्रताप रूडी को बोलने के लिए बुलाता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, टेलीकॉम एथॉरिटी बिल पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आमतौर पर विभिन्न विषयों पर तैयार होकर आता हूं लेकिन समय का अभाव बने रहने के कारण बोलने से वंचित रह जाता हूं। मैं इस विषय पर संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। 90 करोड़ लोगों का जो देश हो, वहां हम पिछले पांच वर्षों से देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में आने-जाने के लिए सड़क तक की व्यवस्था नहीं है। वहां दूरभाष लोगों से संपर्क साधने का एक बड़ा और सरल माध्यम है। एक अंग्रेजी में कहावत है।

[अनुवाद]

"सूचना शक्ति है।" आज, हमारे देश में दूर-संचार तथा सूचना प्राप्त करना पुनः एक शक्ति तथा राष्ट्र की जागरूकता की सूचक है।

[हिन्दी]

महोदय, टेलीकॉम एथॉरिटी बिल जिस पर आज हम विचार-विमर्श कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को वाच-डॉग की तरह काम करना है। और एक तरफ जहां देश में साधनों का अभाव दिखाई देता है तो इस बिल के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं कि जो प्राइवेट सैक्टर्स हैं, वे देश में इनवैस्टमेंट लायें और वह राशि जो सरकार प्राप्त करे, उसका दूर देहाती क्षेत्रों में दूर-संचार प्रभाव बढ़ाने के लिए और देश में दूर-संचार सुविधायें बढ़ाने के लिए उपयोग हो। हमारा देश इतना बड़ा है लेकिन राशि का अभाव है। मैं समझता हूं कि इस बिल का जो उद्देश्य है, दूर-संचार विभाग की गतिविधियों में जो रुकावट दिखाई देती है, सर्विसेज सैक्टर की जो परिभाषा है उससे यह विभाग बाहर निकलकर जाना चाहता था। टेलीकॉम अथॉरिटी के तहत निजी संस्थायें इस देश में आ रही हैं, इन पर एक प्रकार से अंकुश या समन्वय स्थापित करना या सहयोग देना या कस्टमर सर्विसेज को सहूलियतें देना है।

सभापति महोदय, हम कल इस सदन में नेशनल एनवायरमेंट अपीलाट अथारिटी बिल पर चर्चा कर रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज़ को चेयर परसन बनाना था और एक आई॰ ए॰ एस॰ पदाधिकारी को उसका वाइस चेयरमैन बनाने की बात थी। वैसा ही प्रावधान इस बिल में भी है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज़ को मुख्य स्थान पर बैठाना है। जिस तरह पूरे विश्व में हर क्षेत्र में जिस तरह से विकास कार्य

हो रहे हैं, वैसा यहां नहीं क्योंकि यहां तो केवल 2-3 श्रेणी के व्यक्ति हैं जो हर काम करने के लिए सक्षम हैं। यहां भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज़ों को कुर्सी पर बैठा दिया जाये या अवकाश प्राप्त जजेज को यह काम दे दिया जाये या किसी कमिशन को चलाना है, तो किसी अवकाश प्राप्त जज को बैठा दो। हमारा 90 करोड़ का देश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई श्रेणियों के लोग हर क्षेत्र में रहते होंगे जिनमें टैक्नोक्रेट्स, साईंटिस्ट्स, डॉक्टर्स हैं लेकिन हमारे देश में इनका कोई महत्व नहीं दिखाई देता। हमारे यहां मात्र नेताओं का महत्व है या फिर उससे जुड़े हुए जज या उसके बीच में एक्जीक्यूटिव्स हैं। इसके अलावा इस देश में किसी और की कोई भूमिका नहीं रहती है।

सभापति महोदय, हमें तो अब लगता है कि संविधान की रक्षा करने के लिए या संविधान बचाने के लिए जजेज की आवश्यकता होगी और फिर उसके बाद यदि अवकाश मिले तो ऐसी संस्थाएं बनाकर रखी जाऐं जहां इनको विराजमान कर दें ताकि इस देश में सब कुछ ठीक से चलता रहे। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए। इस देश में और हुनर वाले लोग भी हैं तथा कार्य करने वाले हैं। इस सदन में पहले भी कई बिल आये हैं और आने वाले समय में भी आते रहेंगे और फिर सरकारें आई और सरकार बदलती रहती हैं लेकिन जो बिल आयेंगे उनमें भी यही प्रावधान किया गया है जो विचारणीय बिंदु है। श्री के० पी० सिंहदेव सूचना और प्रसारण मंत्री रहे और सब विभागों के साथ रहते हुए विश्लेषण किया है। मैं एक छोटे से मुद्दे पर आना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मंत्री जी इस विभाग के लिए नये हैं। मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूं क्योंकि मैंने इनकी कार्य शैली देखी है फिर भी यह जरूर कहूंगा कि इनके इस विभाग में आने से पहले यह विभाग विवादों से घिरा हुआ था और पूरा राष्ट्र ख्याति प्राप्त हो गया था उस परिस्थिति में इनके लिए काम करना कठिन हो गया था। इन्होंने इस थोड़ी अवधि में संयम बरतते हुए अपने विभाग में नियंत्रण कर लिया होगा तथा देश को परिणाम देने की स्थिति में भी होंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं। इनके विभाग में आने के बाद एक लक्ष्य रखा था। उस समय टैलीकाम रैग्युलेटरी अथारिटी की बात चलने लगी। विदेशी पूंजी आने से समन्वय बढ़ने लगा तथा टैलीकाम सर्विसेज में सैलूलर सर्विसेज की बात भी होने लगी। स्वाभाविक रूप से इससे राजस्व में वृद्धि होने लगी। हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। पहले आठवीं योजना में 7.5 मिलियन था, उसको बढ़ाकर 10 मिलियन तक पहुंचाने की बात हो गई। मैं समझता हूं कि 15.8 मिलियन लाइंस के आस-पास हमारी क्षमता पहुंच जाएगी। आठवी योजना में 3,60,000 गांवों में दूरभाष की सुविधा पहुंचा देंगे। उसके बाद आठवीं योजना में तय किया गया कि 1997 के अंत तक हम पूरे देश में एक-एक गांव में टैलीफोन पहुंचा देंगे। यह संभवतः नहीं हो पायेगा क्योंकि इसके लिए साधन का अभाव है। आप राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए आप महसूस करते होंगे कि एक ही घर में बार-बार तीन-चार नामों पर टेलीफोन लगाते हैं और टेलीफोन का उपयोग करते हैं। सरकारी मिलीभगत से और विभाग की मिलीभगत से डेढ़-दो लाख रुपये बिल कर देते हैं और फिर फोन कटवा देते हैं। उसी प्रकार से बड़े-बड़े अफसरों के घर में, बड़ी-बड़ी कंपनियों में लाखों रुपये के बिल आते हैं और माननीय मंत्री जी का कहीं बयान था कि दो हजार करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। सरकार को ऐसे अपव्यय पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और साथ-साथ सरकार की नीयत यह नहीं होनी चाहिए कि सरकार बिज़नेस करे। सरकार को चाहिए कि प्रबंधन का काम करे, साधन जुटाने का काम करे और यह काम जो सुविधाओं को पहुंचाने का है, नीति-निर्धारण करे कि हम देहातों की तरफ इतनी पूंजी निवेश करेंगे। देहातों को आप विकास की श्रेणी से जोड़ना चाहते हैं। वहां जो रेट्स ऐप्लीकेबल हैं, मैंने पिछले दिनों मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया था। इनके यहां पर कनसेप्ट है एच डी सी सी और एच आर सी सी। यह सब डिवीजन में लगे टेलीफोन और सब डिवीजन के भीतर लगे हुए टेलीफोन का है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि पटना से सोनपुर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। उसे आप लोकल एक्सचेंज मानते हैं लेकिन दो प्रखंडों के बीच में जो दो डिफरेण्ट सब डिवीजन में हैं, उसको एसटीडी में मानते हैं जिसकी दूरी सिर्फ दस किलोमीटर है। उसको भी लोकल कॉल माना जाना चाहिए। इस तरह का रेशनलाइज़ेशन पूरे देश में लाना बहुत जरूरी है। आपने जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि यह सराहनीय है। इसमें कमियां हो सकती हैं लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथारिटी का जो क्षेत्र है, इसमें कम से कम राजनैतिक हस्तक्षेप हो और डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन्स के साथ जो समन्वय है, उसमें यह परिभाषित नहीं है कि इसमें कौन सुपीरियर है और विभाग की क्या रूपरेखा होगी, विभाग का क्या काम होगा। कहीं न कहीं आपस में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि देहाती क्षेत्रों में जो दूर संचार की बात करते हैं, एम० पी० प्राथमिकता आधार पर आपने जो टेलीफोन गांवों में दिये हैं, मैं देखता हूं कि पिछले वर्ष जुलाई में मैंने जिन टेलीफोन्स के लिए लिखकर दिया था वह देहात में अभी तक नहीं लग पाए क्योंकि मेटीरियल का अभाव है। मुझे इसलिए आश्चर्य होता है। पटना दूर संचार केन्द्र में जो पटना मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय है, वहां स्टोर्स विभाग में टेलीफोन इश्यू करने के लिए पैसे लिये जाते हैं। अगर आप 3000 टेलीफोन सेट इश्यू कराना चाहते हैं तो 10 रुपये प्रति फोन के हिसाब से स्टोर्स के इंचार्ज को देना पड़ेगा। अगर विभाग का आदमी जिले से महाप्रबंधक कार्यालय में टेलीफोन सेट लेने या तार लेने आता है तो उसको विभाग में पैसा देना पड़ता है। वह पैसा कंज्यूमर्स से वसूल हो जाता है। दस दिन कंज्यूमर को दौड़ाएंगे और कहेंगे कि फोन लगाने में यह कठिनाई है। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इतने बड़े देश में जहां दूर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है और विशेषकर आपके जैसे व्यक्ति के लिए मैं समझता हूं कि यह कठिन तो है लेकिन इस बिल के माध्यम से टेलीकोम रेगुलेटरी अथॉरिटी के माध्यम से विदेशी कंपनियों को लाकर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक साधन जुटाएं और उसका उपयोग करें। साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि देहाती क्षेत्रों में कम दाम पर अच्छी सहूलियत देश के लोगों को दूरभाष के माध्यम से दी जा सके। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। यह जो टेलीकोम रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल लाया गया है, स्पिरिट ऑफ दि बिल तो अच्छी है लेकिन जहां तक इसके काम करने

[श्री पी॰ नामग्याल]

का ताल्लुक है और जो आप मैम्बर्स अपाइंट करने जा रहे हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्पिरिट से आपने इस बिल को बनाया है, मुझे नहीं मालूम कि आप इसको इफेक्टिवली इम्पलीमेंट कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि इसमें आपने चेयरमैन और मैम्बर्स को अपाइंट करने के जो रूल्स बनाये हैं, उनमें यह कहा गया है कि चेयरमैन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट के जज होने चाहिए और जो मैम्बर्स हैं उनके लिए भी आपने क्वालीफिकेशन प्रेस्क्राइब की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अथारिटी आप बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि कल भी एक एनवायरनमेंट अथॉरिटी का बिल आया था, उसमें भी सारे रिटायर्ड जजों को रखने का प्रोविजन था। अभी श्री के॰ पी॰ सिंहदेव जी ने भी कहा मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आपने इसमें ऐसे लोगों को रीहैबिलिटेट करने का प्रावधान किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी जो अथारिटीज बनने जा रही है ये रिटायर्ड लोगों के लिए एक टाइप का, मैं इसे ह्यूमैन गोशाला कहूंगा, वे चाहे जूडीशियरी के हों, चाहे कोई और सर्विस के हों, उनको रीहैबिलिटेट करने के लिए आपने एक तरीका निकाला है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : राजनीति में सेवा निवृत्ति की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी॰ नामग्याल : पोलिटीशियन्स के लिए तो गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि कई बॉडीज के एम॰ पीज॰ एसोसिएट किये जाते हैं। लेकिन यह एक ऑफिस ऑफ प्रोफिट है इसलिए कोई एम॰ पी॰ या स्टेट लेजिस्लेचर का आदमी इसमें मैम्बर नहीं बन सकता है। मैं। यह कहना चाहता हूं कि यह टैक्नीकल महकमा है। आजकल साईंस इस कदर एडवांस हो गया है तो आपको इसमें ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर पायें। आपने इसमें जो क्वीलीफिकेशन रखी है उसमें ऐसे लोग नहीं आ पायेंगे जो इंजीनियरिंग साइड से हों या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स हों। मैं यह समझता हूं कि इसमें यह फिक्स नहीं होना चाहिए कि एडीशनल सेक्रेटरी के स्टेट्स का आदमी होना चाहिए, उससे आप यह जो बॉडी बनाने जा रहे हैं जो आप जिस स्पिरिट से बनाना चाहते हैं, ठीक ढंग से नहीं चला पाएंगे।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि ऐसी बॉडी के बनाने से जो बड़े-बड़े शहर, मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं उनके लिए फायदा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर तवज्जह देना ही चाहते हैं तो रूरल एरियाज, ट्राइबल एरियाज और पहाड़ी एरियाज में दीजिए, जहां पर कम्युनिकेशन जिंदगी का एक मौजूं बना हुआ है ट्राइबल एरियाज गर्मियों में बाढ़ आ जाने की वजह बंद हो जाते हैं। या सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, उन्हें आप कैसे कैटर करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसका प्रोविजन इस बिल में होना चाहिए। ऐसे एरियाज में टेलीफोन सिस्टम स्पेशली प्रोवाइड करने के लिए इस अथारिटी को डयरैक्टिव देना चाहिए, उन्हें तरजीह दी जानी चाहिए। इस वक्त कोई तरजीह नहीं मिलती। पहाड़ी इलाकों में, रूरल एरियाज में आपके जितने छोटे-छोटे एक्सचेंज बने हैं, गांवों में बने हैं, खींच-खांच कर वे उसी एरिया को सर्व कर पाते हैं, बाकी एरिया नैग्लैक्ट रह जाता है। जब श्री सुख राम जी हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, जो आज भी इस हाउस के एक मैम्बर हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया लेकिन बाकी जगहों पर जितना काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

मैं मंत्री जी, आपसे निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप ऐसा मत करिए। जितने हमारे देश में ऐसे एरियाज हैं, जैसे अंडमान-निकोबार आइसलैंड हैं, लक्षद्वीप आइसलैंड हैं, दमन-दीव का इलाका है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एरियाज हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम से ऐसे बहुत से एरियाज कट-ऑफ रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे एरियाज को आप तरजीह दें। यहां उस तरह की प्रौब्लम नहीं है क्योंकि यहां रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल है, एयर है, जबकि उन एरियाज में नहीं है।

इसलिए मंत्री जी से मेरी यही गुजारिश है कि वे यहां उठकर हमें एश्योरैंस दें, अथॉरिटी तो खैर बनेगी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस बिल की स्पिरिट अच्छी है लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपसे एक एश्योरैंस चाहूंगा कि जिन एरियाज के बारे में मैंने मैंशन किया है, उनका आप खास ख्याल रखेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ, जो बिल हाउस में लाया गया है, मैं उसका इस कंडीशन पर समर्थन करूंगा कि आप हमारे दूरदराज के एरियाज का खास ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।

شری پی۔ نامگیال (لداخ): مانئیے چیئر مین صاحب، میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ یہ جو ٹیلیکوم ریگولیٹری اتھارٹی بل لایا گیا ہے اس کی اسپرٹ آف دی بل تو بہت اچھی ہے لیکن جہاں پر اس کے کام کرنے کا تعلق ہے اور جو آپ ممبرس اپائنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس اسپرٹ سے آپ نے اس بل کو بنایا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کو افیکٹیولی امپلیمینٹ کر پائیں یا نہیں کیونکہ اس میں آپ نے چیئرمین اور ممبرس کو اپائنٹ کرنے کے جو رولز بنائیں ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ چیرمین کے لئے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ریٹائر جج ہونے چاہئیں اور جو ممبرس ہیں ان کے لئے بھی آپ نے کوالیفکیشن پریسکرائب کی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اتھارٹی آپ بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ کل ہی ایک انوائرمینٹ اتھارٹی کا بل آیا تھا اس میں بھی سارے ریٹائرڈ ججوں کو رکھنے کا پرویزن تھا۔ ابھی شری کے۔ پی۔ سنگھ دیو جی نے بھی کہا میں ان کی بات سے سہمت ہوں کہ آپ نے اس میں ایسے لوگوں کو ری ہیبیلٹیڈ کرنے کے لئے کیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی جو اتھارٹیز بننے جا رہی ہیں یہ ریٹائرڈ لوگوں کے لئے ایک ٹائپ کا میں اسے ہیومین گوشالہ کہوں گا وہ چاہے جیوڈیشری کے ہوں چاہے کوئی اور سروس کے ہوں ان کو ری ہیبیلٹیڈ کرنے کے لئے آپ نے ایک طریقہ نکالا ہے۔

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): There is no retirement age in polities. So we can talk about it.

شری پی نامگیال: پولیٹیشنس کے لئے تو گنجائش ہونی بھی نہیں چاہیئے کیونکہ کئی

باڈیز کے ایم۔پیز ایسوسی ایٹ کئے جانے ہیں۔ لیکن اتھارٹی آفس آف پروفٹ ہے اس لئے کوئی ایم۔پی۔یا اسٹیٹ لیجیسلیچر کا آدمی اس میں ممبر نہیں بن سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل محکمہ ہے۔ آج کل سائنس اس قدر ایڈوانس ہو گئی ہے تو آپ کو اس میں ایسے لوگوں کو رکھنا چاہئیے جو اس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر پائیں۔ آپ نے اس میں جو کوالیفکیشن رکھی ہے اس میں ایسے لوگ نہیں آپائیں گے جو انجینیرنگ سائڈ سے ہوں یا ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرس ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ فکس نہیں ہونا چاہئیے کہ ایڈیشنل سکریٹری کے اسٹینس کا آدمی ہونا چاہئیے اس سے آپ یہ جو باڈی بنانے جا رہے ہیں اور آپ جس اسپرٹ سے بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ڈھنگ سے نہیں چلا پائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی باڈی بنانے سے جو بڑے بڑے شہر میٹروپالیٹن سیٹیز ہیں ان کے لئے فائدہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جنتا کے فائدے کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں تو رولر ایریاز اور پہاڑی ایریاز میں دیکھئے جہاں پر کمیونکیشن زندگی کا ایک موضوع بنا ہوا ہے کیونکہ وہاں ٹرائبل ایریاز میں گرمیوں میں باڑ آجانے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں یا سردیوں میں برف باری کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے رولر ایریاز ہیں انہیں آپ کیسے کینر کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پرووبزن اس بل میں ہونا چاہئیے۔ ایسے ایریاز میں ٹیلی فون سسٹم اسپیشلی پرووائڈ کرنے کے لئے اس اتھارٹی کو ڈائرکٹر دینا چاہئیے۔ انہیں ترجیح دی جانی چاہئیے۔ اس وقت کوئی ترجیح نہیں ملتی۔ پہاڑی علاقوں میں رولر ایریاز میں آپ کے جتنے چھوٹے ایکسچینج لگانے کا پلان ہو کھینچ کھانچ کر وہ اسی ایریا یعنی شہروں کے آس پاس سرو کرپاتے ہیں باقی گاؤں کا ایریا نیگلیٹ رہ جاتا ہے۔ جب شری سکھ رام جی ہمارے کمیونیکیشن منسٹر تھے جو آج بھی اس ہاؤس کے مبر ہیں انہوں نے ہماچل پردیش کے لئے بہت اچھا کام کیا لیکن باقی جگہوں پر جتنا کام ہونا چاہئیے تھا وہ نہیں ہوا۔

میں منتری جی، آپ سے نویدن کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ ایسا مت کریئے جتنے ہمارے دیش میں دور دراز ایریاز ایسے ہیں جیسے انڈومان نیکوبار آئس لینڈ میں لکشدیپ آئس لینڈ میں رمن دیو کا علاقہ ہے ناگالینڈ میزورم اروناچل پردیش اور لداخ کے ایریاز کو آپ ترجیح دیں۔ یہاں اس طرح کی پرابلم نہیں ہیں کیونکہ یہاں روڈ ٹرانسپورٹ ہے ریل ہے جبکہ ان ایریاز میں ایسی سہولیات(facilities) نہیں ہیں۔

اس لئے منتری جی سے میری یہی گذارش ہے کہ وہ ہمیں ایشورینس دیں اتھارٹی تو ضرور بنے گی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس بل کی اسپرٹ اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایشورینس چاہوں گا کہ جن ایریاز کے بارے میں میں نے مینشن کیا ہے ان کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہئیے۔ ان چند شہروں کے ساتھ جو بل ہاؤس میں لایا گیا ہے میں اس کا اس کنڈیشن پر سمرتھن کروں گا کہ آپ ہمارے دور دراز کے ایریاز کا خاص خیال رکھیں گے۔ شکریہ

श्रीमती रजनी पाटिल (बीड) : महोदय, अब हम 21वीं सदी में प्रवेश करने वाले हैं और दूर-संचार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण माध्यम है मेरे विचार से इस माध्यम को काफी सबल तथा त्रुटि रहित होना चाहिए। इस समय, हमें यह सोच विचार करना चाहिए कि यह माध्यम संतोषजनक है अथवा नहीं। कम से कम ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्र में लोगों का इस सिलसिले में उत्तर नकारात्मक ही होगा।

मैं महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र की हूं। मेरा जिला प्रवासियों के जिले के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष मेरे जिले से कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में लाखों लोग पलायन कर जाते हैं। वे सब गन्ने की कटाई करने वाले मजदूर हैं। प्रवास के दौरान गांवों में अपने लोगों के साथ संपर्क करने का उनके पास एक मात्र साधन दूर-संचार है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार की व्यवस्था इतनी खराब है कि उनके लिए टेलीफोन द्वारा संपर्क करने के बजाए व्यक्तिगत रूप से आना ज्यादा सरल है।

पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक टावर टेलीफोन दिया था जो अधिकांश गांवों में खराब पड़ा है। लगभग 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन खराब है। दूसरी बात यह कि कई गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने की मांग की गई है। उन लोगों ने दूर-संचार विभाग में शुल्क पहले ही जमा करा दिया है। लेकिन विभाग द्वारा एक ही उत्तर दिया जाता है :

"सी-डाट मशीनरी केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हो सकी है, अत: नये टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगाये जा सकते।" वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं। नये टेलीफोन एक्सचेंज के लिए लंबी लाइन, लगी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार व्यवस्था का यथार्थ यही है।

दूर-संचार की दुनिया में 'विडियो कन्फ्रेन्सिंग' सबसे नवीनतम व्यवस्था है। दूर-संचार के माध्यम से अब बातचीत के दौरान एक दूसरे को देखा भी जा सकता है। मुंबई जैसे महानगर में उक्त व्यवस्था का तेजी से प्रसार हो रहा है। मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में इस विडियो कन्फ्रेन्सिंग का बड़ा महत्व है। इसके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा दिल्ली में बैठकर ही बिहार के 'रैला' को संबोधित कर सकते हैं।

मेरा कहना यह है कि सरकार को विडियो कन्फ्रेन्सिंग के लिए आई॰ एस॰ डी॰ एन॰ लाइने उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उक्त तकनीक का व्यापक प्रसार हो सके।

मैं दूसरे कारणों के लिए भी दूर संचार विभाग की प्रशंसा करना चाहती हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने सही ही कहा कि हम संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बिना किसी संकल्प अथवा विधेयक के ही इस विभाग में 33 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं नियोजित हैं।

मै भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण का समर्थन करती हूं। लेकिन इस संबंध में सभी सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए।

[श्रीमती रजनी पाटिल]

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सर, मेरा नाम तो सूची के अंदर था।

सभापति महोदय : आपका नाम है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : यदि मेरा नाम है, तो मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : सिर्फ आपका ही नाम नहीं है और भी नाम हैं।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सर, मेरा नाम तो आफीशियल लिस्ट में है।

सभापति महोदय : आफीशियल लिस्ट में तो चार नाम हैं।

(व्यवधान)

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सर, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। मैं अपने प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। राजस्थान के बारे अभी तक प्राइवेट पार्टीज को डिपो वगैरह देने के बारे में जो निर्णय होना था, जो प्रस्ताव था वह अभी तक नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नांडीज (नालन्दा) : मैं भाषणा नहीं दूंगा। मैं केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मुझे भी बोलने की आज्ञा मिलनी चाहिए। मैं भी अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है। आपको भी समय देंगे। आप ऐसे क्यों परेशान होते हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक की धारा 11 और सब-क्लाज 3 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित के विरुद्ध कृत्य नहीं करेगा।"

[हिन्दी]

आगे धारा 25 में आपने फिर यह बात कही है। मगर यह कुछ और बात लिखी है। मुझे खुशी है कि यह बात इसमें लिखी है। इन सब चीजों की डैफीनेशन कौन तय करेगा कि कौन सी डीसेंसी की चीज है और कौन सी पब्लिक मारेलिटी की बात है ? विशेषकर वहां, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ? जब पहली बार यह टेलीकाम का काम विदेशी हाथों में देने का प्रश्न आया था, तो मैंने इस सदन के भीतर और बाहर, यह चीज उठाई थी। इसलिए आपके दिमाग में वह कौन सी दृष्टि है जिससे आप यह तय करेंगे, उसको आप सदन में स्पष्टरूप से रखिए।

दूसरी बात, मैं आपका ध्यान पेज नंबर पांच के क्लाज 30 (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें आपने लिखा है :

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकेगी जिन्हें वह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में आवश्यक समझे।"

[हिन्दी]

हम यह मानकर चलते हैं कि आज तक भारत में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम यह मानकर चलते हैं कि किसी भी सार्वजनिक जीवन के विभाग में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। आपके पीछे सीक्रेट्स एक्ट था और आपके कानून थे और कुछ न हो तो दीवारें थीं जो आपकी नौकरशाही की खड़ी की हैं। जो हर चीज को छिपाने का काम करती हैं। जब आप बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं तो ट्रांसपेरेंसी होगी तो उस ट्रांसपेरेंसी को व्यवहार में उतारने का आपके पास कौन सा ठोस सुझाव है। जब तक वह स्पष्ट नहीं होगा, कल से इस शब्द पर लड़ाई होगी। आपका नौकरशाह आपको कहेगा।

[अनुवाद]

महोदय, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है।

[हिन्दी]

और हम कहेंगे झकमारी करके आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप इस फैसले पर आ गये। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कौन सा विचार आपने मन में रखकर इसको लिखा है।

सभापति महोदय : यह आखिरी मुद्दा है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : नहीं, अभी दो सवाल और हैं। जो कि बहुत रेलीवेंट सवाल है। तीसरा मुद्दा एकाउंट्स के बारे में है।

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक्

विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों, का अनुदान, जा अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों और प्रशासनिक व्ययों के लिए, जिनके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय या उनके संबंध में वेतन, भत्ते और पेंशन है, अपेक्षित है, दे सकेगी।"

[हिन्दी]

आप क्या कंसौलीडेटेड फण्ड से निकालने वाले हैं या उसके बाहर से निकालने वाले हैं। अगर कंसौलीडेटेड फण्ड से है तो फिर आपने इसे बहुत स्पष्ट क्यों नहीं कहा ? उसको कहना ज्यादा उचित होगा।

[अनुवाद]

"संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग" लेकिन सभी विनियोग विधि के निमित्त होते हैं।

[हिन्दी]

लेकिन कंसौलीडेटेड फंड से पैसा आयेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने सैक्शन 21 में कहा है :

[अनुवाद]

आप भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि की स्थापना करेंगे।

[हिन्दी]

कंसौलीडेटेड फंड से रुपया लेकर आप इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, उस पर विवाद भी है। आगे आप कहते हैं कि उस फंड में ग्रांट्स के अलावा, चूंकि ऊपर धारा 21 में ग्रांट्स की बात है तो 22 में आप कह रहे हैं कि ग्रांट्स, फीस एंड चार्जेस, अब फ़ीस एंड चार्जेस करना है तो आपने इस अधिकार को कहां पर लिया है। यह मैं इसमें देख नहीं पाया हूं। इस पूरे विधेयक को मैंने पढ़ा है, बहुत गहराई में नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी पढ़ा है। लेकिन आप कहां फीस जुटाने जा रहे हैं, कहां चार्जेस जुटाने जा रहे हैं, वह मेरी नजर में नहीं आया। उसका खुलासा यहां पर होना चाहिए। चूंकि आप पैसा लेने जा रहे हैं, कहां से लेने जा रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है आखिरी दो मुद्दे एक-एक वाक्य के हैं। मैं धारा 31 की ओर आपको ले जाता हूं जहां आपने

[अनुवाद]

"जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है वहां विभाग का प्रधान अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती है।"

आगे उनके मालूमात के बिना किसी और ने अपराध किया है तो उसको सजा देने की बात आपने इसमें लिखी है। अब मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा है कि अगर उसके हाथ के नीचे के आदमी के चलते कुछ अपराध हुआ है तो उस आदमी पर आक्षेप होगा। जो भी सजा देनी है, सजा के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। लेकिन सजा वगैरह आप देंगे। मगर उस अधिकारी के डिपार्टमैंटल हैड को यदि उसके ऊपर के अधिकारी ने अलिखित आदेश दे दिया, जैसा कि सरकार में होता है जो भी अपराध कराना चाहते हैं, वे दूसरों से कराए जाते हैं। मंत्री भी कराते हैं, बड़े अधिकारी भी कराते हैं। अगर यहां पर उस डिपार्टमैंटल हैड के ऊपर के आदमी ने कोई आदेश दे दिया, मैं जानता हूं कि मंत्री आप नहीं देंगे। लेकिन आपके बाद कोई और होगा, आपके बगल में बैठने वाला कोई और वहां पर होगा। जो आदेश इस प्रकार के आयंगे इसमें कौन सा इलाज होगा।

सभापति जी, इस कानून में अगर डिपार्टमैंटल हैड को जेल जाना पड़ा या दंड भरना पड़ा और ऊपर वाला उनसे कोई गलत काम कराते हैं तो उस पर उसे आपने कोई भी प्रोटैक्शन नहीं दिया है। अंतिम वाक्य यह है कि इसमें आपने यह लिखा है, जब आप फंड बनाने जा रहे हैं, आप लेवी वसूल कर रहे हैं, चार्जेस वसूल कर रहे हैं तो फिर आपने खुद को वैल्थ टैक्स, इन्कम टैक्स, इन्कम प्रॉफिट और ग्रेन्स, इस पर

[अनुवाद]

"प्राधिकरण अपने व्युत्पन्न धन, आय, लाभ या अभिलाभ की बाबत धन-कर, आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा।"

[हिन्दी]

यह कैसे आपने लिखा है। अगर मुनाफा बनायेंगे, पैसा कमायेंगे, दौलत जमायेंगे तो सरकार को अन्य कंपनियां जैसे पैसा देती हैं वैसे आपको भी देंगी। इसलिए यह बहुत ही गलत कदम लिखा है क्योंकि वह पैसा आप क्या करेंगे क्योंकि आप केवल अथारिटी हैं। उसके साथ जुड़ा 33 है। यह मेरा अंतिम वाक्य है।

[अनुवाद]

"प्राधिकरण, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा...."

[हिन्दी]

और यह बहुत खतरनाक चीज यहां पर है। सभापति जी, आप भी जरा सुन लीजिए।

[अनुवाद]

"प्राधिकरण, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में बिनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का (अध्याय 4 के अधीन विवाद को तय करने और धारा 36 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा।"

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

तो किनको आप कौन से अधिकार देने की सोच रहे हैं, सरकार के किसी विभाग के लिए, किसी निजी ठेकेदार के लिए, किसी सरकारी डिपार्टमैंट के लिए, किसी नये कारपोरेशन के लिए, यानि अभी आपने अपने बच्चे इसमें पैदा करने की तैयारी कर दी। वे ठेकेदार हो सकते हैं, वे अंदर के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं। हम इस पर भी कुछ स्पष्ट मंत्री जी से सुनना चाहते हैं।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मान्यवर सभापति जी, मैं दो-तीन बिन्दु ही आपके सम्मुख कहना चाहूंगा। मैं भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1997 का तो हार्दिक स्वागत करता हूं, लेकिन इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह जो लिब्रलाइजेशन के बाद में प्राइवेट कंपनियां आयेंगी और उनको कांट्रैक्ट्स या लाइसेंस वगैरह दिये जायेंगे, शहरी सेवाओं के अंदर तो वे बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि बहुत कमाई होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर केवल उनको 10 परसेंट का काम दिया गया है और अगर 10 परसेंट का काम भी वह पूरा नहीं कर पायेंगी, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि जब उत्तर दें तो बताने का कष्ट करें कि जितनी भी प्राइवेट कम्पनीज़ हैं, जिनको प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जायेगा, उनको नियंत्रण में रखा जायेगा, इधर अभी तक तो सारी जिम्मेदारी डी॰ ओ॰ टी॰ की थी, शहर की भी और गांव में भी पूरी जिम्मेदारी थी और हम भी उनको कह सकते थे। इन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर आपका कितना अधिकार रहेगा कि वे केवल शहरी क्षेत्रों के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकेगी और सरकार के वायदे के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर उपभोक्ताओं को टेलीफोन प्रदान करना है, वह दे सकेगी। इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करने का कष्ट करें।

पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि उनके ऊपर आपका अंकुश नहीं रहेगा और वे बाद में कुछ कह सकते हैं, मना कर सकते हैं। फिर वे ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित हो जायेंगे और आज भी जैसी गांवों की स्थिति है, वह आपसे छिपी हुई नहीं है। जब दूरसंचार नीति बनी थी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, एक हजार रुपया आपने जमा करने के आदेश दे दिये, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने, किसानों ने और जो भी साधन संपन्न थे, उन्होंने जमा करा दिये। आज तक तीन-तीन, चार-चार साल हो गये, एक-एक जगह से 10-10, 12-12 15-15, 16-16, 25-25, 30-30, लोगों ने पैसे जमा करा दिये, आपका डिपार्टमैंट कहता है कि कम से कम 15 कनेक्शन होने चाहिए, तब तो हम एक्सचेंज स्थापित करेंगे। 15-16 भी जैसे-तैसे कर दिये तो भी कोई एक्सचेंज स्थापित नहीं किया जाता है। इसके बारे में स्थिति थोड़ी स्पष्ट करें।

दूसरी बात, इनकी क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन टेलीफोन की क्वालिटी घट रही है। अब सर्विसेज़ का एक्सटेंशन, विस्तार तो बहुत हो गया, लेकिन कर्मचारियों की, इंजीनियरों की, अधिकारियों की और लाइनमैनों की देखभाल करने वालों की जो संख्या बढ़नी चाहिए, उस संख्या में उस अनुपात में तनिक मात्र भी वृद्धि नहीं हुई है। परिणाम यह हुआ है कि सेवाओं का स्तर गिरता चला जा रहा है। पहले डाक तार की सेवाएं बहुत अच्छी मानी जाती थीं, पहले चोगा उठाते ही अच्छा उत्तर मिलता था, रैसपोंस मिलता था, अब तो कई दफा तो घंटी बजती रहती है या एन्गेज आता है या आता है कि अभी आप क्यू के अंदर हैं और फिर यह परिणाम होता है कि निराश होकर शिकायत भी करिये तो दूसरे तीसरे दिन कहते हैं कि शिकायत हमको नहीं मिली। शिकायत नंबर का भी पता नहीं लगता है। इसके बारे में प्राधिकरण तो बन रहा है, लेकिन चूंकि आपके विभाग से संबंधित है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी स्थिति स्पष्ट करें।

एक बहुत अहम् मुद्दा है। राजस्थान सर्किल को लिब्रलाइजेशन के अंतर्गत जिस कंपनी को दिया जाना था और जिनसे इनकी वार्ता चल रही थी, मीटिंग वगैरह चल रही थी, वे कोर्ट में चले गये और अभी तक उसको दिया नहीं है। परिणाम यह हुआ है कि और राज्यों की तुलना में राजस्थान दूर-संचार के क्षेत्र में वैसे ही पिछड़ा हुआ है, और भी पिछड़ा हुआ रह जायेगा। वह स्थिति कब तक सुधर पायेगी, कब तक उसका फाइनलाइजेशन होगा और उन कंपनियों को उनकी सीमा के अंतर्गत कार्य करने का कैसी आप उनसे आश्वासन वगैरह लेंगे ?

आई॰ टी॰ आई॰ का बैंगलौर के अंदर, कर्नाटक के अंदर सबसे पहला टेलीफोन का उद्योग था, सरकार उद्योग था, राष्ट्रीय उपक्रम था, सार्वजनिक उपक्रम था, लेकिन उनसे तो हम लेते नहीं हैं और कहीं ऐसी किसी दुकानों और कंपनियों से, जिनसे हम सस्ते के नाम पर लेते हैं वैसी कंपनियों को यहां बिना अपने राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान दिए हुए, या अपनी और बातों का ध्यान दिए हुए बढ़ावा दे रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

वह जो राष्ट्रीय उपक्रम है, उसकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। वहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं, करोड़ों रुपये की मशीनरी पड़ी है, उसका क्या होगा इसलिए इस पर भी मंत्री जी ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्र में जो खंभे लगाते हैं, 15-16 लोग इकट्ठे होकर एप्लाई भी कर देते हैं, आप उनसे एक हजार रुपया भी ले लेते हैं, लेकिन पांच-पांच साल तक वहां खंभे ही नहीं लगाते। कह दिया जाता है कि खर्चा बहुत आएगा, विभाग उसको नहीं उठा सकता। अगर विभाग नहीं उठा सकता तो फिर आप उनसे पैसा किस आधार पर लेते हैं। हमारे साथी कर्नल राव राम सिंह जी ने एम॰ ए॰ आर॰ आर॰ सिस्टम की बात कही। एम॰ ए॰ आर॰ आर॰ सिस्टम पहले लगा था। पंचायत मुख्यालय के ऊपर लगाया गया था कि अगर सरपंच न लेना चाहे तो कोई दुकानदार या सेठ ले सकता है। वहां डंडे तो खड़े हैं, बैटरियां और मशीनरीज खराब पड़ी है। अब आप सोलर का उपक्रम लगा रहे हैं। लेकिन बादल होने की स्थिति में या अन्य स्थिति में वह कैसे काम करेगा ?

अपराह्न 4.01 बजे

(**कर्नल राव राम सिंह** *पीठासीन हुए।*)

हम सांसद लोग जब भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो हमें टेलीफोन के बारे में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। पहले जो पंचायत मुख्यालय में सिस्टम लगाया गया है उसको सुधारने के लिए मशीनरी को बदला जाए और इसमें जो दोषी हैं उनकी जांच कराकर दंड दिया जाए। इसके साथ ही उसका आधुनिकीकरण

किया जाए तो इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे।

मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में टी॰ डी॰ एम॰ के अंतर्गत जयपुर से सी॰ जी॰ एम॰ के आदेश हुए और 12 अधिकारियों को तरक्की के नाम पर अन्य टी॰ डी॰ एम॰ क्षेत्र में भेज दिया। अभी तक नए अधिकारी नहीं आए। लाइनें खुदी पड़ी हैं, नई केबल बिछाई जा रही हैं। पांच-पांच हजार लाइनों के नए एक्सचेंज स्थापित हो रहे हैं। क्रासबार सिस्टम अलग से हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिकारी नहीं होंगे तो टी॰ डी॰ एम॰ में या अन्य क्षेत्रों में अधिकारी कैसे काम करेंगे। प्रतीक्षा सूची में जो लोग हैं, जिनका नंबर आ गया है, उनको निर्धारित समय में कैसे पूरा कर पाएंगे।

डिटीरिओरेशन इन टेलीफोन सर्विस, टेलीफोन की सेवाओं के अंदर निरंतर गिरावट आ रही है। उसका स्तर सुधारने के लिए आपको विशेष उपाय करने चाहिए। आप खुद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आप वहां की स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस बारे में पूरा ध्यान दें। संसदीय स्थाई समिति में विचार होकर भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक सदन के सामने आया है। जजेज हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष होंगे, ये चीजें इसलिए हैं कि हमारा जो यह निकाय है, वह स्वतंत्र हो, प्रभावी हो, सक्षम हो और कुछ कर सकता हो। जो बाकी पांच-छ: सदस्य होंगे वे चाहे दूर-संचार के क्षेत्र के हों, चाहे वित्त के क्षेत्र के हों, चाहे प्रबंधन के क्षेत्र के हों, उसके जानकार होंगे तो मैं समझता हूं ऐसी बॉडी का गठन अवश्य होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही उसका अध्यक्ष हो ताकि भली प्रकार से कार्य हो सके। अधिकारियों के बारे में जो पाबंदी लगाई है कि रिटायरमेंट के बाद जब तक दो-तीन साल पूरे न कर लिए हो, तब तक इसके अंदर स्थान नहीं पा सकेंगे, यह बहुत अच्छी बात रखी है।

हम सब मिलकर इसको पारित तो करेंगे ही, लेकिन जो सेवाओं में गिरावट आ रही है उसके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰ आर॰ दासमुंसी (हावड़ा) : महोदय, हमारे माननीय साथी श्री कल्पनाथ राय को कल सजा हो गई। मैं न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दे रहा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि वे निर्दलीय सदस्य हैं। वे किसी दल में नहीं हैं। संसदीय मामले के मंत्री को उनके परिवारजनों से अवश्य संपर्क करना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि क्या उन्हें किसी मदद अथवा उच्चतम न्यायालय में अपील करने में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यह सदन का कर्त्तव्य है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश आने तक अपने साथी की मदद की जाए।

मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे उनके परिवारजनों से संपर्क करें और उन्हें सभी प्रकार की मदद दें। मुझे यही कहना है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सभापति जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बहुप्रतीक्षित टी॰ आर॰ ए॰ आई॰ बिल के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम सब लोगों का सुझाव देने का कर्त्तव्य है और उसका हमारे माननीय सदस्यों ने पालन किया और साथ ही इस बिल की भावनाओं का स्वागत भी किया।

सबसे पहले अध्यादेश के बारे में आपत्ति उठाई गई कि इस संबंध में अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था। हम भी उन्हीं लोगों में से, जो इसके पक्ष में नहीं हैं और ज्यादा जीवन हमारा विरोध पक्ष में ही बीता है। यहां के लिए हम नए हैं, हम मंत्री जरूर हैं, लेकिन सबसे जूनियर हैं। इस बिल पर बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं।

श्री जी॰ एल॰ कनौजिया (खीरी) : थोड़ा देहातों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम बोल लें। आपको जो आपत्ति हो, उसका आप स्पष्टीकरण पूछ लें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी के लिए व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : कई दशकों तक हमें विधान सभा में सेवा करने का मौका मिला है, विरोध पक्ष के सदस्य के रूप में भी और सरकार चलाने के रूप में भी। अध्यादेश के पक्ष में हम कभी भी नहीं रहे। अध्यादेश के जरिए सरकार चलाना कोई स्वस्थ परंपरा नहीं हो सकती है। इस संबंध में जब से यह लोक सभा गठित हुई है, तब से बहुत लंबी-लंबी बहस इस पर चली है। हमने कौल-एंड-शकधर की किताब पूरी पढ़ी है।

श्रीमन् कहा गया कि 1994 में यह नई टैलिकॉम पालिसी एडाप्ट की गई थी और एडाप्ट करने के साथ ही साथ रैगुलेटरी-बाडी बना दी जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं, जो प्रारंभ में ही माननीय सदस्य, श्री भार्गव, ने आपत्ति उठायी। नॉन-स्टेचुटरी बाडी बनाने का प्रस्ताव आया, जिसको लोक सभा द्वारा पास कर दिया गया। राज्य सभा ने स्टेचुटरी बाडी बनाने का अपना सुझाव दिया। 1996 में पहला आर्डिनेंस आया और मार्च में दूसरा आर्डिनेंस आया तथा जून में हम लोग सरकार में आए। हमने उस आर्डिनेस को लैप्स हो जाने दिया और जुलाई में इस बाडी को बिल के रूप में सदन में प्रस्तुत किया। नवंबर में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें प्राप्त हुईं। उन सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद सरकार ने उन पर विचार किया और हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आईं। हमने सार्वजनिक रूप से भी कहा था कि हम अध्यादेश जारी नहीं करेंगे, हम बिल ही सदन में पेश करेंगे। लेकिन ऐसी कठिनाइयां आईं, जिनसे हमारे विभाग को क्षति पहुंच सकती थी। नवम्बर में हमको सिफारिशें प्राप्त हुईं जनवरी में मजबूरी में अध्यादेश जारी किया। अगर अध्यादेश जारी नहीं किया होता, तो जो बेसिक सैल्युलर टैरिफ फिक्स किया था, इस मामले में कोर्ट से स्टे मिल जाता और मामला टी॰ आर॰ ए॰ आई॰

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

को रैफर नहीं करते। अध्यादेश हमने बहुत मजबूरी में जारी किया। अध्यादेश जारी करने के हम व्यक्तिगत रूप से विरोधी हैं। सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार बहुत ही मजबूरी में करना चाहिए। अध्यादेश जारी करने के बारे में, जैसी कि भार्गव जी ने आपत्ति उठायी है, स्पष्टीकरण यही है कि हम खुद भी इसके पक्षधर नहीं है। किसी भी सरकार को काम-काज करने के लिए ज्यादा अध्यादेश नहीं जारी करने चाहिए।

सभी माननीय सदस्यों ने करीब-करीब इस बिल का स्वागत किया है। माननीय सदस्यों ने शिकायत जरूर की है कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को क्यों नहीं माना गया। स्टैंडिंग कमेटी ने 30 सिफारिशें की थीं और 30 में से 25 को हमने करीब-करीब मान लिया है। पांच सिफारिशों को कुछ विधि और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण नहीं मान पाए हैं। उसमें प्रमुख जो सिफारिश है, जिसमें सलेक्शन बोर्ड के चेयर परसन के लिए बात थी, उसको हमने नहीं माना है। उसमें सिफारिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस कमेटी के चेयरमैन हों। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी उसके सदस्य हों, हम भी उसके सदस्य हों, जो भी संचार मंत्री हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उसके मेम्बर हों। हम इस तरह की बहस भी आज सुन रहे हैं कि जिस सलेक्शन बोर्ड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो तो उनकी कंसलटेशन नहीं होगी। उनकी जो राय होगी वह एक तरह से कनकरेन्स कान्करेंट होगी। फिर हमने उसमें उसमें बड़ा लिमिटेड क्षेत्र रखा है, सीटिंग और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीटिंग और सर्विंग जस्टिस ऑफ सुप्राम कोर्ट, इसमें चेयर परसन के लिए बड़ा सीमित दायरा रखा गया है। हमने नहीं समझा कि इसके लिए बड़े सलेक्शन बोर्ड की कोई जरूरत है और फिर गवर्नमेंट को, जो लोकसभा या संसद के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है उसको शक की नजर से भी देखा जाना चाहिए। यह जो एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक शक की दृष्टि पैदा हो रही है उसमें शक पैदा करने की कोई बात नहीं हैं हम देश के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उन प्रतिनिधियों का जो बहुमत होता है उसको सरकार रिप्रजेंट करती है। उसको यदि यह अधिकार दे दिया गया है तो यह भी लोकतांत्रिक है और इसको हमने अगर आज के वातावरण में ज्यादा स्वस्थ्य माना इस सलेक्शन बोर्ड से ज्यादा अच्छा है कि हमारी सरकार या जो भी सरकार हो वह चेयर परसन का जो एक सीमित दायरा है, सिर्फ सीटिंग या जज को एपाइंट करने का, उसका वह इस्तेमाल करे।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत : महोदय, पारदर्शिता नहीं रह पाएगी।.. .*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उसमें जस्टिस ही होगा। मान लीजिए कि अगर हम सर्विंग जज को लेते हैं तो उसमें हमको चीफ जस्टिस से राय लेनी ही पड़ेगी, रिटायर को लेंगे तो हमारी राय चलेगी, सरकार की राय चलेगी लेकिन अगर सर्विंग जज को लेंगे तो चीफ जस्टिस से हमको राय लेनी पड़ेगी तो इसमें बड़ा लिमिटेड दायरा था। इसलिए हमने तकलीफ के साथ स्टैंडिंग कमेटी का पूरा आदर करते हुए इस सिफारिश को उसमें शामिल नहीं किया है। दूसरा, इस प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में सिफारिश थी कि जो भी सदस्य हो वह चेयर परसन की राय से एपाइंट किया जाए, इसको भी हमने नहीं माना है तो उसके भी एपाइंटमेंट का राइट सरकार के पास रखा गया है। हम समझते हैं बाकी हमारे सभी माननीय सदस्य इससे सहमत भी होंगे।

समिति ने एक सिफारिश यह की थी कि जो भी फैसला रेगुलेटरी बाडी का हो उसकी अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो। उसमें हमने कहा कि नहीं, पहले उसकी अपील हाई कोर्ट में हो और उसके बाद उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए लीगल एवेन्यू है। अगर उसको सीधे ही सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और वहां से अगर उसके पक्ष में कोई फैसला नहीं होता तो उसके बाद उसकी कोई वेल्यू नहीं रहेगी। इसलिए हमने उसमें यह आप्शन दे दी कि उसका फैसला पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हो। केवल पांचवी सिफारिश हमने नहीं मानी है और वह है प्राधिकरण को दूर-संचार की दरों के संबंध में पूर्ण अधिकार दिए जाएं।

इसमें यह था। लेकिन इसमें है कि जो भी दरें प्राधिकरण तय करे उसमें पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का राइट हो। पार्लियामेंट तो सुप्रीम है उसको हर तरह का राइट है। इसमें यह रखा गया है कि जो भी उसकी एनवल रिपोर्ट होगी वहीं पार्लियामेंट में टेबल होगी। जब पार्लियामेंट में टेबल होगी तो पार्लियामेंट के ऊपर वह रिपोर्ट जा ही नहीं सकती है। इसलिए इसमें हमने यह मुनासिब समझा कि इसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत है कि वह जो टेरिफ तय करे उसमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसको यहां पर हम समझते हैं कि डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। जब उनकी एनवल रिपोर्ट यहां पर ले होगी, पार्लियामेंट तो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सुप्रीम है, वह उस पर डिसकशन भी कर सकती है। उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट भी कर सकती है। हमारे कांस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट से ऊपर कोई भी नहीं है।

इसलिए इन पांच सिफारिशों को हमने नहीं माना है, 25 सिफारिशों को हमने करीब-करीब मान लिया है। इसलिए हम समझते हैं कि यह बिल डिलेड जरूर है लेकिन बहुत ही कम्प्रीहैंसिव बिल है। हमारे तमाम साथियों ने हमको इस बिल के बारे में जो अपने सुझाव दिए हैं वह तो करीब-करीब इसके सपोर्ट के संबंध में सुझाव दिए हैं। लेकिन जो वर्तमान सेवाएं हैं उनके बारे में शिकायतें जरूर मिलती हैं। हमको भी मिलती हैं और माननीय सदस्यों ने भी की हैं। हम भी वहीं से आते हैं जहां से सब लोग आते हैं। ग्रामीण सेवाएं संतोषजनक नहीं है इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन अभी जो रेगूलेटरी बॉडी बनेगी उसमें सरकारी सेवाओं में जो गिरावट है, उसके लिए जो जिम्मेदार होंगे, उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका प्रकट की थी कि इस तरह से दो बॉडी हो जाएंगी। एक डाट होगी और एक रेगूलेटरी बॉडी होगी। डाट भी इस रेगूलेटरी बॉडी के परव्यू में होगी। पनिश्मेंट भी इनको मिलेगा। जिस तरह से प्राइवेट ऑपरेटर होंगे उसी तरह से एक ऑपरेटर का दर्जा डाट का होगा। डाट के ऊपर भी वे नियम लागू होंगे जो प्राइवेट ऑपरेटर के ऊपर लागू होंगे। इसलिए हम समझते हैं कि शायद कुछ कानून का डर बढ़े और जो हम सब लोगों की मंशा है कि सेवाओं में सुधार हो, तो सेवाओं में सुधार होगा और होना भी चाहिए।

जो लोग विदेशी से हमें मिलने आते है। वे कहते हैं कि आपके यहां रेगूलेटरी बॉडी है या नहीं है, क्योंकि दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जहां रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। उदारीकरण शुरू होने से पहले रेगूलेटरी बॉडी हर जगह बनती है, हमारे यहां प्रोसेस शुरू हो गया है लेकिन रेगूलेटरी बॉडी अभी तक नहीं बनी है। यह बहुत डिलेड बिल है, इसके आने से विश्व-स्तर पर टेलीकम्युनिकेशन में जो उदारीकरण की नीति चल रही है उस पर प्रभाव पड़ेगा। हमने आडिनेंस जो कर दिया है उसका भी प्रभाव पड़ा है। कम से कम एक प्राइवेट ऑपरेटर ने एग्रीमेंट साइन कर दिया है और लाइसेंस फीस भी जमा कर दी है। इसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह डिलेड जरूर है लेकिन यह बहुत ही आवश्यक बॉडी है जिसके बारे में हम सब लोग विचार कर रहे हैं। चेयर-पर्सन के बारे में पांच साल का टर्म बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया था। लेकिन हमने जो कुछ किया है वह स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था कि 65 साल उम्र बहुत ज्यादा है और यह उम्र कम होनी चाहिए। हमने पहले बिल में इसे 62 साल ही रखा था लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश पर हमने यह उम्र 65 साल की है। यह ठीक इसलिए है कि सुप्रीम-कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की आयु 65 साल है। इसलिए 62 साल करने में दिक्कत आ सकती है।

जहां तक हमारे आदरणीय नेता जार्ज-फर्नांडीज साहब ने पारदर्शिता के बारे में कुछ सवाल उठाए हैं, तो अभी सरकार रूल बनाएगी और यह बॉडी अपने रेगूलेशन बनाएगी। हम आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उनसे कहेंगे कि जिस तरह की आपकी भावनाएं हैं उनको अपने रेगूलेशन में समाहित करने की कोशिश करें। जार्ज साहब ने ही फीस और दूसरे चार्ज लगाने की पावरन धारा 11(i) में जो कहा था वह दी गई है। यह रकम (टी॰ आर॰ ए॰ आई॰) फंड में चली जाएगी, कंसोलिडेट फंड से प्राप्त राशि इस फंड में जाएगी। ताकि प्राधिकरण के अधिकृत खर्चे पूरे हों। कंसोलिडेट फंड की राशि टैक्सों से प्राप्त होती है जिसमें से संसद द्वारा टी॰ आर॰ ए॰ आई॰ को रुपया भी दिया जाएगा।

इस तरह की जो प्रापर्टीज होती हैं, उन पर वैल्थ टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसमें टैक्स लगाने का प्रोविजन नहीं किया गया है।

इसी तरह से जार्ज साहब ने सॉवर्नेटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि इसको डेफाइन नहीं किया गया है। इसको अलग से डेफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारी कॉस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। उसमें आर्टिकल 19 है। वह इसी तरह से डिफाइन किया गया है। हमने उसी भावना से उसको इसमें रख लिया है।

श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर आशंका व्यक्त थी कि रिटायर्ड. ..*(व्यवधान)* मैं पहले अपनी बता कह दूं। आप बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे नेता रह चुके हैं। हमने अभी यील्ड नहीं किया।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं आपको टोक नहीं रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की थी कि रिटायर्ड अफसर रखने आवश्यक नहीं है।...*(व्यवधान)* हम उन्हें वरिष्ठ नेता मानते हैं। वह हमारे नेता रहे हैं। हमने इनसे राजनीति सीखी है। हमने जिन्दगी भर जिन्दाबाद के नारे लगाए। वह आज आपके साथ बैठे हैं, यह हम को तकलीफ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना उत्तर जारी रखें। माननीय सदस्यों की प्रत्येक टिप्पणी का उत्तर देना जरूरी नहीं है। आप अपना उत्तर जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि इससे रिटायर्ड अफसरों को एक तरफ से रीएम्पलायड किया जाएगा। यह बात खास तौर से हमारे आदरणीय सदस्य श्री पी. नामग्याल जी ने उठायी और इसके प्रति आशंका व्यक्त की। जब यह आध्यादेश जारी हुआ तो पहले जरूर उसमें गलती थी। बिल में सुधार कर लिया गया है। आफिसर्स के लिए क्वालिफिकेशन है और सैक्रेटरी और एडिशनल सैक्रेटरी के लिए तीन साल का एक्सपीरियेंस भी जरूरी है। इसमें आफिसर के अलावा बाहरी लोग जैसे कंज्यूमर अफेयर्स के लोग और दूसरे लोग सम्मिलित किए गए हैं। इसमें दूसरे लोग भी रखे जा सकते हैं। उसमें सिर्फ अफसरों को रखा जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अफसरों के अलावा बाहर के विशेषज्ञों को भी उसका मैम्बर बनाया जा सकता है।

श्री पी॰ नामग्याल (लद्दाख) : आपने जो क्वालिफिकेशन मैम्बर्स बनने के लिए रखी है, उसके अनुसार रिटायर्ड लोगों के अलावा बाकी के लोग नहीं आ सकते।

(شری پی نامگیال (لداخ): آپ نے جو کوالیفیکیشن ممبرس کے لئے رکھی ہے اس کے مطابق ریٹائرڈ لوگوں کے علاوہ باقی کے لوگ نہیں آ سکتے۔)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैंने यह बात क्लियर कर दी है। रिटायर्ड लोगों के अलावा दूसरे लोग भी आ सकते हैं। एक भी रिटायर्ड आदमी पर आप नजर रख सकते हैं। उसमें ऐसा प्रोविजन है कि उसमें कनसैंट लिया जाएगा। जो अध्यादेश जारी किया गया, यह बात सही है कि आप सब उससे सहमत नहीं थे। इसमें चीफ जस्टिस रिटायर्ड हाई कोर्ट के है, चेयरमैन है और दो और लोग हैं। वे आफिसर नहीं है। पहले जो आर्डिनैन्स इशू हुआ उसमें यह बात थी

[अनुवाद]

अध्यादेश में निहित है कि यह दो से कम तथा चार से अधिक नहीं होंगे।

[हिन्दी]

फिर इसको बढ़ा दिया

[अनुवाद]

दो से कम नहीं और छः से अधिक नहीं।

[हिन्दी]

ऐसा करके हमने उसका स्कोप बढ़ा दिया।

श्री नवल किशोर शर्मा (अलवर) : आपने स्कोप तो बढ़ा दिया है लेकिन क्या क्वालिफिकेशन चेंज की है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमने क्वालिफिकेशन ही चेंज नहीं की, उसका स्कोप भी बढ़ा दिया है। हमने कोशिश की कि इसमें कोई कमी न रह जाए। सुधार और विकास निरंतर एक प्रक्रिया है। हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं। हम कभी भी कोई संशोधन कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया व्यवधान पैदा नहीं करें। कृपया बैठ जाएं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवधान पैदा न करें। कृपया बैठ जाएं और व्यवधान पैदा न करें।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : हां, मैं बैठ रहा हूं। लेकिन मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ से बहस न करें। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा (अलवर) : मैं अध्यक्ष पीठ से बहस नहीं कर रहा। मैं केवल अपनी बात कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप व्यवधान पैदा करना बंद करेंगे ?

श्री नवल किशोर शर्मा : सभापति महोदय, मैं केवल अपनी बात कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे अप्रिय कदम उठाने पर मजबूर न करें। व्यवधान न करें।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं पहले ही चुप हो चुका हूं।

सभापति महोदय : मैं उम्मीद करता हूं कि श्री नवल किशोर शर्मा जैसे वरिष्ठ सदस्य अनुशासन का पालन करेंगे।

श्री नवल किशोर शर्मा : ठीक है। कोई विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सभापति जी, माननीय सदस्यों ने पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही है। हमारी भी यही प्राथमिकता है और मैं कोशिश करूंगा कि उन प्राथमिकताओं में और बढ़ोत्तरी हो। जब तक इस देश में पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास ईमानदारी से नहीं किया जायेगा, हम लाख यहां पर भाषण दे दें कि विश्व स्तर पर अपने देश को ले जा रहे हैं, नहीं ले जा पायेंगे। देश को आजाद हुए 50 साल हो गये। यदि इस देश को विकसित होना होता तो तभी हो गया होता। मैं ऐसे अविकसित क्षेत्र से आता हूं जहां की हालत दयनीय है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बंगाल तथा उड़ीसा जैसे प्रांत हैं जहां की आबादी पूरे हिन्दुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा है लेकिन विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं। इसके लिए दूर-संचार अथारिटी होनी चाहिए। इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। पिछली सरकार जो न्यू टैलीकाम पालिसी लाई थी, उस तरह की फैसिलिटी से यह जुड़ा हुआ है। सिर्फ दूर-संचार फैसिलिटी को बढ़ाकर सारे देश को विकास की ओर अग्रसर करना नामुमकिन होगा। हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए तथा सामाजिक स्थिति में सुधार आना चाहिए। हमारी सोच में सुधार आना चाहिए। साथ ही सांस्कृतिक परिवर्तन में सुधार आना चाहिए। तब टैलीकाम उसका सहयोगी बन जायेगा। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम से जितनी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन हो सकेगा, करने की कोशिश करेंगे। हमें इस बात की तकलीफ है कि हमारे रहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन का जितना सुधार होना चाहिए, वह नहीं कर पाये हैं।

पिछले दिनों इस सदन में प्रश्न काल में माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति की थी, वह ठीक थी और मैं उनसे सहमत भी हूं। तभी यह सिस्टम इंट्रोड्यूस । ा है और तब से लेकर जितनी वित्तीय और तकनीकी खामियां रहीं, उसकी जांच के लिए सी॰ बी॰ आई॰ को सुपुर्द कर दिया। हमारे विभाग के अधिकारियों ने यह सूचना दी थी कि 70 प्रतिशत टेलीफोन ठीक और 30 प्रतिशत खराब हैं। तभी इस सदन में हंगामा हो गया। हम तो वही जवाब देंगे जिसकी सूचना अधिकारी देंगे। यहां डैमोक्रेसी में मंत्री को उत्तर देना है और इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उस पर आप लोगों को संदेह हुआ और हमें खुद भी संदेह था। इसलिए हमने इंडेपेंडेंट जांच के लिए आर्डर कर दिया। उसमें हमारे विभाग को कुछ नहीं करना है। हमने तो यह आदेश दिया है कि हमारे अधिकारियों ने 70 प्रतिशत फोन ठीक होने की सूचना दी है, वह सही है या नहीं ? आखिर सदन की मर्यादा होती है। हमारा पार्लियामेंटरी सिस्टम नीचे जा रहा है जबकि इसको और ऊंचा ले जायें ताकि देश मजबूत हो और हम दुनिया के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र साबित हों। यह जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा देश भी विकास में सबसे आगे हो जाये। यह तभी हो सकता है जब हम हैल्दी डैमोक्रेसी अडाप्ट करें।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : कौन सी स्वतंत्र एजेन्सी इसकी जांच करेगी ?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हैदराबाद की इंडेपेंडेंट एजेंसी है जिसके लिए हमने आर्डर कर दिया है लेकिन उसमें सलेक्शन नहीं हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप उत्तर देने में कितना वक्त लेंगे ?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : माननीय सदस्यों की जो शंकायें थी उनका निदान करने की कोशिश की है। इस पूरे सदन ने इस टैलीकाम रैग्युलेटरी बॉडी का समर्थन किया है, मैं उसके लिए आभारी हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि इस बहु-प्रतीक्षित बिल को सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, मंत्री जी ने बहुत खुले और स्पष्ट रूप से प्राथमिकता के आधार पर अपना वक्तव्य दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। आपने स्वयं कहा है कि गांवों में टेलीफोन ठीक नहीं हैं। ये कब तक ठीक हो जायेंगे ? मेरा आपसे विरोध नहीं है, बिल से मेरा विरोध नहीं है। जैसे आप जार्ज साहब के भक्त हैं, मैं भी आपका भक्त हूं। आप यह बता दें कि गांवों के टेलीफोन कब तक ठीक हो जाएंगे। मैं तो लोगों को वही कहूंगा जो आप बताएंगे।

दूसरी बात जो समिति ने टेलीफोन्स के लिए कही है कि 1,85,137 टेलीफोन गांवों में लग जाएंगे। ये कब तक लगेंगे ? ये टेलीफोन गांवों में लगेंगे ही नहीं। आप कहें कि मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि इक्विपमेंट बड़े खराब हैं, सुखराम जी गड़बड़ कर गए। आप साफ-साफ कहें। आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। आप तो पहले भी इधर बैठते थे। आपको क्या कठिनाई है ? आप फिर इधर आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सीट परिवर्तन होगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप ठीक से बताएं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गिरधारी लाल जी, आप विषय पर बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर में सब सड़कें आपने खोद दी हैं। आप मेरे यहां आए तो देखें कि सब सड़कें तोड़ दी हैं। 31 मार्च, 1997 तक क्या सारी ओबीज़ जो आपने काट दी हैं, उन सबको टेलीफोन मिल जाएगा या नहीं या वह भी डेड रहेंगे ? यह मेरा तीसरा प्रश्न है।

चौथा सवाल यह है जिसके बारे में आपने स्वयं स्वीकार किया है कि टेलीफोन एडवाइज़री कमेटी नहीं बनी है। न स्टेट की बनी है और न सेन्टर की बनी है। राजेश जी मुझे जानते थे इसलिए मुझे सदस्य बना दिया। कम से कम स्टेट की कमेटी में सारे संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व कब तक हो जाएगा और जिलावार समितियों के संबंध में आप संसद सदस्यों का नाम कब तक देंगे ? अभी आपने पूछा है कि कौन सेठ हो सकता है, कौन व्यापारी हो सकता है, तो यह जो मुझे सोचकर ही बताना पड़ेगा। अगर हमने एक बनिये का नाम दे दिया तो दूसरे बनिये हमसे नाराज हो जाएंगे, दूसरे वकील, डॉक्टर हमसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं। आप यकीन करें मेरी भविष्यवाणी सच होगी।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : जिसके चुनाव होने वाले हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लोक सभा के। आप मान जाओ। उसको ज्यादा उलझाने से लाभ नहीं होगा। आप जानते हैं कि यह 15 पार्टियों की सरकार है जो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाओ। राम सागर जी जब से मुलायम सिंह जी की तरफ से बोलते हैं, तब से मैं उनको मुलायम सिंह जी मानता हूं। आप बिल्कुल मुलायम सिंह जी हैं। आपका उत्तर प्रदेश में बड़ा भारी नाम हैं और आपने वहां बड़ी वाहवाही लूटी है।

मंत्री जी यह बताएं कि ये कमेटीज़ कब तक बन जाएंगी ? राजस्थान में किस प्राइवेट कंपनी को आपने ठेका दिया है यह भी बताएं। आप यह कह दें कि चारों बातें जो भार्गव जी ने कही हैं, मैं इनसे बैठकर बात करूंगा। आप सच बोलें क्योंकि आप बहुत ईमानदार हैं और आप जैसा ईमानदार व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए कृपा करके ठीक बात बताएं। इतनी बात आप कह देंगे तो मैं अपना संकल्प वापस ले लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : उन्होंने उनसे विधेयक वापस लेने का अनुरोध नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सभापति जी, हमने मुनासिब नहीं समझा कि जो टी॰ ए॰ सी॰ कमेटी पहले से बनी हुई है, उसको डिसोल्व करके नई कमेटी बनाई जाए। उनका टेन्योर दो साल का होता है, जिनका टेन्योर पूरा हो जायेगा वे धीरे-धीरे हम गठित कर रहे हैं और पहली बार हमने हर माननीय सदस्य को बगैर पार्टी का भेद किए हुए उन्हें एक सदस्य नामित करने के लिए हमने उनसे सुझाव मांगे हैं...*(व्यवधान)* अगर हमने नहीं कहा तो हम हाऊस में कह रहे हैं, यह हमारा एश्योरेंस हो गया है। एक पी॰ सी॰ ओ॰ कमेटी होती थी, उस कमेटी में पहले गवर्नमेंट नोमिनेट करती थी, हमने डिसीजन लिया कि उसमें हम अपना नोमिनी नहीं रखेंगे, उसमें सिर्फ माननीय संसद सदस्य ही उसके सदस्य होंगे। अगर वे बैठक में नहीं जाना चाहते हैं तो अपने किसी नोमिनी को भेज देंगे और वही तय करेंगे कि एस॰ टी॰ डी॰ बूथ का अलॉटमेंट किस तरह से हो...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, जब पी॰ सी॰ ओ॰ की शुरूआत हुई थी तो एक फैसला लिया गया था कि 1991-92 में जितने टेलीफोन एकसचेंज की क्षमता होगी उसमें से 10-15 परसेंट या जैसा डिपेंड करेगा वह पी॰ सी॰ ओ॰ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देते रहें। अभी जो कमेटी बनी है इससे इसमें थोड़ा और ज्यादा नुकसान हुआ है और देश में जितने भी पी॰ सी॰ ओ॰ लग जाएं उतना ही फायदा है। ऐसे बहुत से भाई हैं जिनको टेलीफोन नहीं मिले, लेकिन पी॰ सी॰ ओ॰ बहुत बढ़े थे। इस कमेटी से पी॰ सी॰ ओ॰ ज्यादा लगाने में नुकसान हुआ है। इस कमेटी को आप भंग कर दें। इसमें ज्यादा करप्शन होता है। अगर सही माने में देखा जाए तो जितनी कमेटी बनती हैं, उतना करप्शन ज्यादा बढ़ता है। जो पहले एप्लाई करे उसको आप पी॰ सी॰ ओ॰ देते रहें। हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रखा था। उसमें अनइम्पलायड ग्रेजुएट्स हैंडीकैप्ड को देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : वह उसमें है।

श्री राजेश पायलट : लेकिन एक पी॰ सी॰ ओ॰ कमेटी सुखराम जी के जमाने में बनी थी उसको तो आप डिस्मैंटल कर दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : वह उस जमाने में थीं। अब तो सिर्फ माननीय संसद सदस्य ही इसमें रहेंगे, थोड़ा अफसरों पर भी कंट्रोल रहेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गिरधारी लाल जी क्या आपके सवाल का संतोषजनक जवाब आया है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मंत्री जी आपने उसमें नाम मांगे हैं, आपने उसमें एम॰ पीज॰ को नहीं रखा है।

सभापति महोदय : वह पहले की बात है। आज की बात वह यह कह रहे हैं कि संसद सदस्य खुद उसका मैम्बर बनेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पी॰ सी॰ ओ॰ वाली कमेटी में आपने किसी और आदमी का नाम मांगा है, उसमें एम॰ पी॰ मैम्बर नहीं रहेगा और अभी जैसा राजेश पायलट जी ने यह बात कही है कि वह कमेटी आप भंग कर दीजिए। आप टेलीफोन एडवायजरी कमेटी का आगे काम करने वाले हैं, मैं टेलीफोन कमेटी की बात कर रहा हूं। आप एडवायजरी कमेटी को लीजिए और बताइये कि उसमें शहर में किसको बनायेंगे, इतना बता दें।

सभापति महोदय : यह विषय रेगुलेटी अथॉरिटी से संबंधित नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम इनके सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यदि मंत्री महोदय कहें तो मैं इसे वापस ले लूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इतना सब कहने के बाद हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि भार्गव जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, मैं आपका और सदन का कहना मानता हूं और मैं इसे वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की सदन की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूर-संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित अथवा आनुषागिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-3

प्राधिकरण की स्थापना और निगमन

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 40

"छः सदस्यों" के लिए

"दस सदस्य जिनमें से पांच महिला सदस्य होंगे"।

महोदय, मंत्री जी के उत्तर के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि कार्य करने वाला स्वयं का, मूल्यांकन करने वाला नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अपने मूल वक्तव्य में कहा है, जूरी तथा न्यायाधीश दोनों ही आरोपी हैं। प्रयोक्ता मंत्रालय जैसे रक्षा, गृह तथा अंतरिक्ष आदि से आज तक विचार विमर्श नहीं किया गया। पूर्व सरकार ने वर्ष 1994 में उनसे विचार विमर्श नहीं किया और इस सरकार ने भी यही किया है।

अब यही संचार मंत्रालय अपनी ही गलतियों पर खुद ही फैसले लेगा। यहां राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अखंडता का प्रश्न उठता है। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह कह रहा हूं क्योंकि न तो रक्षा मंत्रालय और न गृह मंत्रालय का कोई प्रतिनिधित्व है। उस समय न्यायालय ने रक्षा, गृह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक विदेशी टेलीविजन

कंपनी के साथ सहयोग करने तथा 'अपलिंक' की सुविधा देने के लिए जोर दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की थी और न्यायालय ने इस पर जोर दिया था। डेढ़ वर्ष के बाद उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया लेकिन यह भी कहा कि वायु तरंग सार्वजनिक संपत्ति है। इसलिए मैं इस बात के प्रति संतुष्ट नहीं हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कुछ अफसर देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं और यह कि वे रक्षा, इलेक्ट्रानिक्स, अंतरिक्ष, गृह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय इत्यादि के हितों को देख सकते हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं इसे मतदान के लिए रखूं :

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : माननीय सदस्य ने जो आशंका व्यक्त की है, इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कोई भी इस तरह का बिल जब तैयार होता है तो उससे पहले इन सब विभागों से राय ली जाती है। सब विभागों से परामर्श के बाद ही, जब काम्प्रिहैंसिव रूप से बिल तैयार होता है तभी कैबिनेट उसे पास करती है, यह प्रोसीजर है।

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : संचार मंत्रालय कटघरे में होगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस चरण में संशोधन पर किसी बहस की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पर मतदान होगा।

श्री के॰ पी सिंह देव : महोदय, मैं मतदान पर जोर दूंगा।

सभापति महोदय : अब मैं श्री के॰ पी॰ सिंह देव द्वारा खंड-3 में किए गए संशोधन संख्या-1 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ किया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 5

सभापति महोदय : श्री के॰ पी॰ सिंह देव, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद अब मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ख़ंड 5 विधेयक का अंग बना।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 से 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 18

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 34

"तीस दिनों" के स्थान पर "पैंतालिस दिन" प्रतिस्थापित करें" (3)

सभापति महोदय : अब मैं श्री के॰ पी॰ सिंह देव द्वारा खंड 18 में संशोधन सं॰ 3 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ 7, पंक्ति 46 :

"एक लाख" के स्थान पर "पचास हजार" प्रतिस्थापित करें" (4)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल को सजग रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : नहीं महोदय, वे विरोधी संसद सदस्य के रूप में काम करने के अभ्यस्त हो रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब मैं श्री के० पी० सिंह देव द्वारा प्रस्तुत खंड 20 में संशोधन सं० 4 मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, बहुमत 'हां' वालों के पक्ष में है। मैं मतविभाजन की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्री कांत जेना) : महोदय, बहुमत 'न' वालों के पक्ष में है...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नांडीज : महोदय, बहुमत 'हां' वालों के पक्ष में है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, कृपया चुप न रहें। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से प्रभावित होने वाला नहीं हूं...*(व्यवधान)*

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, केवल संशोधन से पारित किया जाएगा। सरकार नहीं गिरेगी...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मंत्री जी हमेशा सदन से अनुपस्थित रहते हैं। मैं उनसे प्रभावित नहीं होने वाला...*(व्यवधान)* भला मैं उनसे प्रभावित कैसे हो सकता हूं ?

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, मत विभाजन की मांग करने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन मेरे द्वारा संशोधन को अस्वीकार किए जाने के पहले आपको इसकी मांग करनी चाहिए थी।

श्री जार्ज फर्नांडीज : नहीं महोदय, नियमों के अनुसार ही यह मांग की गई है।

श्री नीतीश कुमार : मैंने समय पर ही मत विभाजन की मांग की थी।

सभापति महोदय : आपने यह मांग दस सेकेण्ड के विलंब से की थी।

श्री जार्ज फर्नांडीज : नहीं महोदय, आपकी घोषणा के पहले ही कोई मतदान की मांग कैसे कर सकता है ? जब आपने कह दिया कि बहुमत 'ना' वालों के पक्ष में है उसके बाद हम मतदान की मांग कर सकते हैं...*(व्यवधान)* आपके द्वारा बहुमत 'ना' वालों के पक्ष में है यह कहे जाने के पहले संभवत: मैं मत विभाजन की मांग नहीं कर सकता था।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मुझे आपके मन की बात का पता कैसे चलेगा ? आपके कुछ कहने के पहले ही मैं मत विभाजन की मांग कैसे कर सकता हूं ?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन की भावना से आप सब भी उतने ही अवगत हैं जितना कि मैं हूं। आपने आम राय को महसूस किया होगा। *उस समय सत्ता पक्ष वालों ने इसे ऊंची आवाज में कहा था।* वे लोग तब पूरे जोर से चिल्ला रहे थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 से 40 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 से 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गए।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.50 बजे

राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था कि मद संख्या 32 को मद संख्या 19 के बाद विचार के लिए लिया

जाएगा। अत: अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 को विचारार्थ ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 जनवरी, 1997 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्याक 9) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। इस आर्डिनेंस का जैसा कि मैं प्रारंभ से कई अध्यादेशों का विरोध कर चुका हूं उसी प्रकार से इस आर्डिनेंस का विरोध करता हूं।

सभापति जी, इस आर्डिनेंस से संबंधित कौन से मंत्री हैं ?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भार्गव जी, एक साल हो गया है औरं आप अभी तक मंत्री जी को पहचान नहीं पाये हैं। व कोने में बैठे हुए हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि सरकार को बार-बार अध्यादेश निकालने की इस प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। मैं इस अध्यादेश का विरोध कर रहा हूं लेकिन जो बिल की भावना है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। बिल की भावना में मेरा कहीं भी विरोध नहीं है। जब क्लाज बॉय क्लाज होगी तब देखा जायेगा। आपको अध्यादेश नहीं निकालने चाहिए। इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 24 जनवरी को यह सत्र समाप्त हुआ था और 20 दिसम्बर को आहूत हुआ। इस छोटे से समय में 13 अध्यादेश निकालकर महामहिम राष्ट्रपति जी को एक वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको बार-बार कष्ट देना, मैं समझता हूं कि इस सरकार ने ठीक नहीं किया। जेना साहब आपने अच्छा नहीं किया। भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। हम तो आपको माफ कर देंगे लेकिन बार-बार उनको कष्ट देना ठीक नहीं है।

आपने पिछले सत्र में एक भी अध्यादेश नहीं निकाला और अब 24 जनवरी से 20 दिसम्बर के बीच 13 अध्यादेश निकाल दिए हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : आप हर स्टेचुटरी रेजोल्यूशन्स का विरोध कर रहे हैं। इसका क्या इलाज है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह मेरी किस्मत की बात है। आप बैठ जाइये। मैं आपका भी नाम दे दूंगा।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापति जी, लिस्ट ऑफ बिजनस में 15 नवम्बर पर मेरा नाम था। सुबह माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि 16 और 17 बाद में लिए जाएंगे। पहले 18 और 19 लिए जाएंगे। अब 18 और 19 तो हो गये हैं तो 16 और 17 की क्या पोजीशन है।

सभापति महोदय : स्पीकार साहब जब सुबह यहां बैठे हुए थे तो उन्होंने प्रश्न काल के बाद एनाउंस किया था कि रिजर्व बैंक वाला बिल कल लेंगे। आप शायद उस समय मौजूद नहीं थे। उन्होंने उसकी एनाउंसमैंट कर दी थी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से ये आर्डिनेंस नहीं निकालने चाहिए। अब यह सड़क परिवहन दिशा में परिवहन का मुख्य साधन है। इस आर्डिनेंस के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वर्तमान लंबाई 34,298 किलोमीटर है जो कि नेशनल हाइवे पर सड़क नेटवर्क का दो प्रतिशत है। नेशनल हाइवे के ऊपर 40 प्रतिशत यातायात गुजरता है। इस प्रकार से वाहनों की संख्या भी 1991 से 80 गुना बढ़ गई है यानी उसमें 5 गुना वृद्धि हो गई है। इसलिए नेशनल हाइवे और ज्यादा बनाये जायें। प्राइवेट कंपनियां या ठेकेदार जो बाहर से आ सकते हैं। उनको ठेका दिया जाएगा, वे नेशनल हाइवेज़ बनाएंगे और बनाने के बाद उनसे जो रायल्टी ली जायेगी, उनसे जो रकम ली जायेगी, कितनी रकम ली जायेगी, उस बात का माननीय मंत्री जी ने इस अध्यादेश में कहीं उल्लेख नहीं किया कि कितनी रकम लेंगे। दो रुपये लेंगे, चार रुपये लेंगे या पांच रुपये की फी ट्रक लेंगे, क्या-क्या लेंगे, वह बात आपने इसमें नहीं कही।

इसी तरह से आपने खुद ने माना है कि अपर्याप्त क्षमता है, कमजोर पेमेण्ट है, वाहन चालक की घटिया गुणता है, कमजोर और पुराने पुल बने हुए हैं और बिना पुल के रेलवे क्रासिंग हैं। सारी बातों को कहने के बाद इस पूरे बजट में केवल मात्र 75000 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा है, पर बजट में नहीं मांगा, बजट में प्रावधान नहीं है। 75000 करोड़ की इन्होंने यहां पर बात कही है ओर यह बात कहने के बाद भूमि अधिग्रहण जो हो जायेगी, किसी की भूमि ले ली जायेगी, उसको क्या कम्पेंसेशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें भी नहीं कही गई हैं। उसको भूमि उपलब्ध करा देंगे और वह काम करेगा।

अब मैं मूल बात पर आता हूं। मैंने प्रारंभ में कह दिया कि मैं इस अध्यादेश का विरोधी हूं। आपने रूल्स बनाये होंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ज्यों ही रूल्स बन जायेंगे, त्यों ही सदन की मेज पर रखे जायेंगे। माननीय मंत्री जी वे रूल्स कौन से हैं ? रूल्स यदि आपके नहीं बने तो फिर आपको अध्यादेश निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और आर्डिनेंस निकाल दिया तो आखिरकार 20 दिसम्बर को जब यह निकाला तो 20 दिसम्बर से लेकर दिसम्बर गया, जनवरी गई, फरवरी गई और मार्च जा रहा है तो कुछ न कुछ तो कार्यवाही की होगी, कहीं न कहीं तो आपने भूमि अधिग्रहण की होगी और कोई न कोई प्राइवेट कंपनी आपके पास आई होगी कि चलो हम सड़क बना देते हैं। न तो आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी आई, न आपने किसी सड़क का एक्वीजीशन किया, दोनों बातों को जब नहीं किया, रूल्स आपने बनाये नहीं तो फिर अध्यादेश निकालने की कहीं कोई आवश्यकता थी नहीं। फिर तो सीधे पार्लियामेंट के सामने आपको बिल लेकर आना चाहिए था, यह मेरा आपसे निवेदन है। यदि आप रूल्स लेकर आये तो आप मुझे बता दीजिए कि यह रही रूल्स की कापी। माननीय मंत्री जी बैठे

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

हैं, रूल्स इनके पास नहीं हैं। 75000 करोड़ रुपया कहां से आयेगा, यह बता दीजिए। 1997-98 के बजट में केवलमात्र 520.81 करोड़ रुपया माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है। तो 75000 करोड़ रुपया कहां से आयेगा, शेष रकम जो रह गई, वह आप कहां से इकट्ठी करेंगे, इन सारी बातों को आप हमें बताने का कष्ट करें।

इसके बाद प्राइवेट के प्रपोजल्स क्या हैं, पब्लिक से क्या चार्ज किया जायेगा, इन सारी बातों की ओंर आप नहीं आये हैं, मेरा मतलब है कि कितनी जमीन एक्वायर होगी, कितनों को आपने नोटिस दिया है ? ये सारी बातें कहने के बाद मेरा निवेदन करना है कि आज रोड्स की हालत बिल्कुल दयनीय है। आज जयपुर से दिल्ली के बीच में फोर लेन बन रही है, जयपुर से अहमदाबाद के बीच में बन रही है, जयपुर कोटा मुंबई के बीच में वन रही है और भरतपुर आगरा और लखनऊ के बीच में बन रही है। मैं और किसी की बात तो नहीं कहता हूं, लेकिन राजस्थान की बात मैं कह रहा हूं। राजस्थान में नेशनल हाइवेज सबसे ज्यादा हैं। अन्य प्रांतों मे नेशनल हाइवेज कम हैं, लेकिन राजस्थान को नेशनल हाइवेज को ठीक करने के लिए कम से कभ रकम दी जाती है। हरयिाणा को ज्यादा रकम दी जायेगी, पंजाब को ज्यादा दी जायेगी, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को और जहां पर आपके जो चहेते मुख्य मंत्री होंगे, उनको आप ज्यादा रकम देंगे, लेकिन राजस्थान को आप नेशनल हाइवेज को ठीक करने के लिए कम रकम देते हैं।...*(व्यवधान)* मैंने कह दिया न। मध्य प्रदेश को भी कम मिलती होगी।

आप यहां से धारूहेड़ा के बाद ज्यों ही राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे, वहां लिखा होगा कि राजस्थान आ गया, त्यों ही वहां गाड़ी खड़खड़ाने लगती है। मालूम पड़ता है कि ऊंट की सवारी पर हम बैठ गये। मिडवे के पास भी यह हालत है। आपके नेशनल हाइवेज की हालत कैसी है, उस संबंध में भी आपको विचार करना बहुत आवश्यक है। जगह-जगह खड्डे हो गये हैं और कहां पर बस कौन से खड्डे में गिरेगी, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, जयपुर जायेंगे कि नहीं जायेंगे, मैं समझता हूं कि यह भगवान की मर्जी पर है, आपकी मर्जी पर नहीं है। आप इस संबंध में भी विचार करें और राजस्थान को भी अन्य स्टेट्स को जितना पैसा देते हैं, उससे ज्यादा दें, क्योंकि नेशनल हाइवेज राजस्थान में सबसे ज्यादा हैं, यह आपके आंकड़े बता रहे हैं तो राजस्थान सरकार को आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसके बाद एक्सप्रेस हाइवे की बात है। मंत्री जी आपने भी शायद विदेश यात्रा की होगी, कभी इंग्लैंड, अमेरिका गए होंगे। वहां लोग कहते हैं कि यहां गाड़ियां 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। लेकिन हमारे यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक नहीं चल सकती। मैं समझता हूं कि वहां पर सड़कें अच्छी होने के कारण लोग गाड़ियों को तीव्र गति से चलाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। यह भारतवर्ष की दशा है। मैं कोई स्टेट हाइवे की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रिक्ट हाइवे की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल हाइवे की बात कर रहा हूं। *अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि 80 फीट चौड़ी सड़क होगी।* बीच में डिवाइडर होगा। हाई कोर्ट ने फैसला दिया और आपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रोडवेज से ले चलूंगा। आप देखना कि जयपुर शहर जब हम जाते हैं तो वहां नेशनल हाइवे के दोनों तरफ ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं और पक्के मकान बने हुए हैं। पहले तो आपने उनको तोड़ा नहीं, अब तोड़ रहे हैं, यह भी एक राष्ट्रीय नुकसान हुआ। इसलिए राजमार्ग पर जो पक्के मकान बनाए हुए हैं, ढाबे और रेस्टोरेंट हैं, उन पर भी विचार करें।

सभापति महोदय : आपने बहुत महत्वपूर्ण पाइंट्स रखे हैं, अब समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अभी करता हूं। आपने इस बिल में कोर्ट में जाने का अधिकार लोगों को नहीं दिया। कम से कम अपील का अधिकार तो देना चाहिए। सैंट्रल रोड फंड बना था। उसमें कितना पैसा जमा हुआ, कितना खर्च हुआ, उस संबंध में भी विचार करें। नेशनल हाइवे पर यदि ट्रक गिर जाए तो दो-दो दिन तक वह उसी हालत में पड़ा रहता है। सारा चक्का जाम हो जाता है। पहले इस पर चर्चा हुई थी और बताया गया था कि नेशनल हाइवे पर हर 20-30 किलोमीटर पर चौकियां बनेंगी और उनके पास क्रेन होगी, एम्बुलेंस होंगी। यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो प्राथमिक उपचार के नाते उसको उठाकर ले जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

अपराह्न 5.02 बजे

(**श्री नीतीश कुमार** *पीठासीन हुए।*)

आप इस पर विचार करें और इसी भावना से बिल लाएं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अध्यादेश लाने की जो प्रवृत्ति है, उसका विरोध कर रहा हूं। आप जो आर्डिनेंस लाए हैं तो अब तक पिछले छः महीने में कौन-कौन सी सड़कें एक्वायर की, कितना पैसा दिया, कितना टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, जनता से कितना पैसा वसूल करेंगे, इस संबंध में भी निश्चित रूप से उत्तर दें। आपकी आर्डिनेंस लाने की जो आदत है, उसको छुड़ाने के लिए मैं इस अध्यादेश का विरोध कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों का उत्तर देंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

जलभूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

महोदय, मैं वरिष्ठ सदस्य को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पुरजोर तरीके से तथा आक्रामक भाषा का उपयोग करते हुए इस अध्यादेश का विरोध किया है। लेकिन कुल मिला कर वे इस विधेयक के विरोध में नहीं

है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का जहां तक प्रश्न है मैं यह कहना चाहूंगा कि उन सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए ही मैं इस विधेयक को पारित करा रहा हूं।

वरिष्ठ सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या मैं विदेश गया हूं। अभी तक मुझे किसी भी दूसरे देश में जाने का मौका नहीं मिला है और यदि सरकार ने मुझे यह अवसर दिया तो मैं विदेश हो आऊंगा। भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश मुझे अभी तक विदेश जाने का मौका नहीं मिला है। मैं माननीय सदस्य के दृष्टिकोण को समझता हूं और मुझे इस बात का थोड़ा ज्ञान है कि वहां सड़कों का रख-रखाव कैसे किया जा रहा है। सदस्य महोदय ने मुझे इस पहलू की भी जानकारी दी थी। इसी के मद्देनजर मैं इस विधेयक को पेश कर रहा हूं और इससे यह बात सुनिश्चित होती है कि भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी सड़कें बनेंगी।

जो सदस्यगण मुझसे मिलने आए थे उनकी इच्छा थी कि एकल लेन को दोहरी लेन में बदला जाए तथा दो लेनों वाली सड़कों के स्थान पर चार लेनों वाली सड़कें बनायी जाएं। सभी लोग इस बात से अवगत हैं और मैं गत नौ महीने से यह कहता आ रहा हूं कि वित्त का अभाव है। बजट में की गई घोषणा के बाद थोड़ी राहत अतएव मिली है। मैं यह विधेयक इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपकी यह इच्छा है कि एकल लेन की जगह दो लेनों वाली सड़कें बनायी जाएं, दो लेनों वाली सड़कों की जगह पर चार लेनों वाली तथा चार लेनों वाली सड़कों के स्थान पर छः लेनों वाली सड़कें बनायी जाएं। सड़कों के इस विस्तार के लिए, मैं 10 एकड़, या 40 एकड़ अथवा 50 एकड़ भूमि नहीं ले रहा बल्कि सड़कों के दोनों तरफ मात्र तीन मीटर जमीन ही ले रहा हूं। इस प्रकार मैं सिर्फ लगभग तीन मीटर भूमि ले रहा हूं जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। आपने देखा होगा कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मैं इसके लिए संतोषजनक ढंग से अर्थात् बाजार दर के अनुसार मुआवजा दे रहा हूं। अतः इसमें हैरानी वाली बात कुछ भी नहीं है।

यह सही ही कहा गया कि यह विधेयक उन लोगों के लिए अवरोधक है जो न्यायालय नहीं जा रहे। यही असली रुकावट है। न्यायिक अधिकारी बस एक शब्द कहते हैं 'स्टे' और पूरी परियोजना वर्षों पीछे चली जाती है। मेरे पास सूची है और यदि सदस्य चाहें तो मैं यह उन्हें दे सकता हूं। उदाहरण के लिए पांच या दस या पंद्रह वर्षों पहले कोई भी योजना स्वीकृत हो गई होती और आवंटन भी हो गया होता लेकिन एक छोटी सी अड़चन के कारण भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए वह ,परियोजना अटक गयी। संबंधित व्यक्ति ने यदि स्थानीय मुंसिफ कोर्ट अथवा बड़े कोर्ट में जाकर 'स्थगन आदेश' अथवा निषेधाज्ञा' प्राप्त कर लिया तो वह स्थगन आदेश हमेशा के लिए लागू हो गया और हम काम आगे नहीं बढ़ा पाये।

उस अवरोध को हटाने के लिए हम इस विधेयक को ला रहे हैं। वरिष्ठ संसद महोदय ने ठीक ही कहा कि अब तक हम केवल 34,290 किलोमीटर ही इसमें शामिल कर पाये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 2 प्रतिशत है और कुल यातायात का 40 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा वहन कर रहा है।

ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई सूचना दे रहा हूं, मैं आपके अनुग्रह की मांग करता हूं। आपके सभी सुझावों को प्राप्त करने के बाद मैं आप सभी को संतुष्ट करूंगा। इस समय आवश्यकता है एकल लेन को दोहरी लेन, दोहरी लेन को चार लेनों वाली सड़कों में तथा चार लेनों वाली सड़कों को छः लेनों वाली सड़कों में बदला जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम सड़क के दोनों तरफ केवल तीन-तीन मीटर भूमि ले रहे हैं। इससे किसी संपत्ति अथवा व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होने वाला है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मेट्रो रेलवे निर्माण अधिनियम, 1978 के अनुसार किया जाएगा। इसमें कुछ भी अजूबा नहीं तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं जानते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि विधेयक को विचार के लिए लिया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 24 जनवरी, 1997 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्याक 9) का निरनुमोदन करती है।"

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर) : आदरणीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग कानून (संशोधन) विधेयक का कुछ आपत्तियों के अध्यधीन स्वागत है। गत 50 वर्षों के दौरान यदि आप विभिन्न सरकारों के व्यवहार और आचरण को देखें, तो पता चलता है कि इस मूलभूत ढांचे की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है।

महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है :

"राष्ट्रीय राजमार्गों में प्राइवेट विविधान का संवर्धन करने के लिए वातावरण तैयार करने, राजमार्गों के निर्माण की गति तेज करने और उनके समुचित प्रबंध में गत्यावरोधों को दूर करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, का संशोधन किया जाए।"

अतः इसका मुख्य मन्तव्य गैर-सरकारी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वातावरण तैयार करना है। जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्र की प्रगति के लिए सड़के एक मूलभूत आधार है। जो आकड़े मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने, जा रहा हूं, उससे पता चलता है कि अनुवर्ती सरकारों ने किस प्रकार इस क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा की है।

सड़कों से संबंधित कुल सार्वजनिक क्षेत्र योजना निवेश में प्रथम पंचवर्षीय

[श्री वी॰ धनंजय कुमार]

योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना तक निरन्तर गिरावट आई है। प्रथम पंचवर्षीय अवधि के दौरान, सड़क क्षेत्र के लिए 6.9 प्रतिशत निवेश किया गया तथा आठवीं पंचपर्षीय योजना के दौरान यह निरंतर घटकर तीन प्रतिशत रह गया है। हमारे देश में हमारे कुल सड़क नेटवर्क के अंतर्गत लगभग 2.7 मिलियन कि॰ मी॰ क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग बल्कि राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कों, कच्ची सड़कों, पंचायल सड़कों आदि को लिया जाता है। इसमें से, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा कहा गया, इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का कुल क्षेत्र मात्र 34,298 कि॰ मी॰ है। यह हमारे देश में सड़क नेटवर्क का 2 प्रतिशत भी नहीं बैठता। दूसरी ओर, जैसा कि उचित ही कहा गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग माल तथा यात्री ट्रैफिक का लगभग 40 प्रतिशत भार वहन करते हैं। सड़कों की वर्तमान स्थिति के अंतर्गत इसे बनाए रखना कहां तक संभव है ? अत: राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और क्षमता को यातायात के विस्तार तथा देश के समग्र आर्थिक विकास के अनुरूप बढ़ाना पड़ेगा।

महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। परंतु मैं उन पर विस्तार-पूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों के लाभ हेतु कुछ मुद्दे सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं ताकि हम सभी संयुक्त रूप से इस बात पर सकारात्मक विचार कर सकें कि इस क्षेत्र के अधिकाधिक निवेश कैसे आकर्षित किया जाए तथा कुल सड़क नेटवर्क, विशेषत: राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई तथा क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए।

राजमार्गों पर यातायात के आवागमन में बार-बार रुकावट आती है चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों का 20 प्रतिशत भाग अभी भी 'सिंगल लेन' सड़कों के रूप में ही है। हमारे पास बहुत कम संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनमें से भी 20 प्रतिशत 'सिंगल लेन' सड़कें हैं। इसके अतिरिक्त राज्य राजमार्गों का भी 75 प्रतिशत 'सिंगल लेन' सड़कों के रूप में है। अपर्याप्त सड़क सविधाओं, पटरियों, सघनता,खराब वाहन चालन, अधिक संख्या में रेलवे लेवल क्रासिंग, कमजोर और संकरे पुल तथा पुलिया, घने शहरी भाग, रास्ते के किनारों पर सफाई आदि की कमी तथा अपर्याप्त सड़क सुरक्षा उपायों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में समस्या और भी जटिल हो जाती है। इस सबके कारण सुरक्षा संकट पैदा होते हैं तथा यातायात की लागत बढ़ती है।

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान संरचना का विस्तार करके वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों की 20 प्रतिशत सड़कों को चौड़ी करके 'सिंगल लेन' से 'डबल लेन-किए जाने की आवश्यकता है; पचास प्रतिशत डबललेन सड़कों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और 36 प्रतिशत 'डबललेन' सड़कों को 'फोर लेन' सड़कों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूं, इसके साथ-साथ मुझे सरकार से पूरी सहानुभूति है कि उन्हें काफी मात्रा में धन की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार वर्तमान *राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य सड़कों के रख-रखाव के लिए सड़क नेटवर्क के विस्तार कार्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है यह अनुमान लगाया गया था कि 1996 से 2006 तक के दस वर्षों में कितना निवेश करना* पड़ेगा। इस विषय में एक अध्ययन किया गया था और यह कहकर इस संबंध में भारी चिंता व्यक्त की गई थी कि इस क्षेत्र के लिए किए गए निवेश में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। कुछ उपायों का सुझाव दिया गया है जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

सर्वप्रथम, निजी क्षेत्र की सहायता से सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने हैं, बाय-पास तथा स्थल सुधार के कार्य किए जाने हैं। इस संशोधन के द्वारा संसद सरकार को अधिक से अधिक निजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्राधिकृत करेगी ताकि वे निवेशियों के मन में विश्वास पैदा कर सकें। वे मूलभूत ढांचे के निर्माण या उसे मजबूत बनाकर राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में भाग ले सकते हैं।

राष्ट्रीय बचत योजना के नमूने पर एक राजमार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर बचत योजना स्थापित की जानी चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। क्या सरकार के पास ऐसा करने की इच्छा शक्ति, साहस और दृढ़ निश्चय है ? क्या वे इन्फ्रास्ट्रक्चर बचत योजना स्थापित करने के बारे में सोच सकते हैं ?

इसके अतिरिक्त, करों विशेषत: मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले करों से होने वाले राजस्व का एक बड़ा भाग तथा यातायात के लिए ईंधन सड़क विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इस समय स्थिति दयनीय है। श्री गिरधारी लाल भार्गव केन्द्रीय सड़क निधि का उल्लेख कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, केन्द्रीय सड़क निधि में प्रमुख योगदान पेट्रोल और डीजल के विक्रय पर लिए गए कर से आता है। तथा इस प्रकार से एकत्रित किया गया धन विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए उनकी खपत संबंधी अनुमानों के अनुसार उनमें वितरित कर दिया जाएगा। परंतु अभी तक सरकार आंखे मूंदे बैठी है। पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए कर से अर्जित धन को उन्होंने कभी नहीं खर्च किया। अतिरिक्त पूर्जों जैसे टायर आदि, मोटर वाहनों पर लगाए गए उत्पाद कर तथा बिक्री कर से इकट्ठे हुए राजस्व की थोड़ी सी राशि का सड़क क्षेत्र में निवेश किया जाता है।

समन्वित 'ट्रंक रोड' प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सड़क बोर्ड स्थापित करने के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास वे अधिकार हैं जिनके लिए उनसे मांग की जा रही है।

यह सिफारिश की गई है कि एक राजमार्ग नीति बनाई जाए और सरकार उसे लागू करे। मैं नहीं जानता कि क्या इस संबंध में सरकार के पास कोई नीति है। अन्यथा हमारे ट्रंक रोड नेटवर्क की स्थिति इतनी खराब न होती।

इसके अतिरिक्त 'टोल रोड' प्रणाली द्वारा वर्तमान राजमार्गों की 'फोर लेनिंग' की जाए।

अब कोई भी उन्हें रोकता नहीं है। वास्तव में इस सदन ने सड़कों के इस्तेमाल के लिए सड़क कर लगाने से काफी पूर्व सरकार को प्राधिकृत किया था। परंतु मैं समझ नहीं पाया कि सरकार उस अधिनियम के उपबंध लागू करने में गंभीर क्यों नहीं है। मैंने विगत में भी कई बार यह मुद्दा उठाया है। मेरा विचार है कि सरकार सड़कर कर अर्जित करने में सहायक नियमों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। जल-भूतल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस बात पर विवाद रहा है कि क्या एक निधि अलग से स्थापित की जाए और यह धन उसी में डाल दिया जाए अथवा इसे जल-भूतल मंत्रालय के लिए सामान्य बजटीय आबंटन को आकलित कर दिया जाए। अभी तक, इस विवाद के चलते, माननीय मंत्री उपबंधों को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। वह अपने अधिकारों का प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। माननीय मंत्री जी हम आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं, परंतु मैं नहीं जानता कि क्या आप इसे लागू करने में सफल होंगे।

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : विधेयक को लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए।

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : अधिनियमों को संशोधित करने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उन अधिकारों को जो आप को दिए गए हैं, लागू करने की इच्छा शक्ति तथा साहस नहीं रखते।

सर्वप्रथम, आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अब, इस बात का संशय व्यक्त किया जाने लगा है कि न जाने सरकार और कितनी देर तक टिके। लेकिन सरकार तो एक निरंतर विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है। सत्ता में यह दल हो या अन्य दल हो, यह दूसरी बात है।

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : विधेयक जिस उद्देश्य से लाया गया है वह पूरा होना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है।

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : महोदय, एक और सुझाव दिया गया है कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए व्यापक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की जानी होंगी। पिछले शासन में हमने समाचार पत्रों में बहुत बड़ा विज्ञापन देखा था कि हम देश के सभी महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने के लिए सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने जा रहे हैं। ये दिल्ली से बंगलौर या त्रिवेन्द्रम तक, दिल्ली से चेन्नई तक, दिल्ली से कलकत्ता तक, दिल्ली से मुम्बई तक बनाए जाने थे और इन्हें बहुत ही आकर्षक नाम जैसे 'महाबीर' आदि-आदि दिया गया। दूसरे नाम भी दिए गए थे जो मुझे याद नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में इस संबंध में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया गया गया। लेकिन मैं नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। क्या यह निजी पार्टियों, जिनसे निवेशी की उम्मीद की जा रही थी में विश्वास की भावना नहीं जगा सका या इस तरह के निवेश को आकर्षित करने के मार्ग में नौकरशाही रोड़े अटका रही है।

महोदय, ऐसी स्थिति होने पर भी मैं सिर्फ अपने राज्य की दुर्दशा को उजागर करने का प्रयास करूंगा और इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पिछले 25 वर्षों के दौरान कर्नाटक में—मुझे यह कहते हुए अत्यधिक दु:ख है — राज्य सरकारों द्वारा जो भी प्रस्ताव भेजे गए उन्हें ठंढे बस्ते में डाल दिया गया। कर्नाटक में 1970-71 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1269 कि॰ मी॰ थी। यह 1994-95 में बढ़कर 1996 कि॰ मी॰ हो गई। कुछ वृद्धि यही है। मेरे विद्वान वरिष्ठ सहकर्मी और मंत्री श्री बोम्मई भी हामी भर रहे हैं। जब वह मुख्य मंत्री थे, मैं जानता हूं कि जब भी उन्हें मौका मिलता था, तो वह दिल्ली आया करते थे। उन्होंने जल-भूतल परिवहन मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ भी बैठकें कीं। हम सभी यह तर्क देते रहे हैं कि हम अपना अंशदान देने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। आप कृपया योजना तैयार कीजिए। आप हमें इस राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की अनुमति दीजिए। नि:संदेह, हम लोग जानते हैं कि यह चरणों में होगा। यह धीरे-धीरे होगा। जिस समय आप एक राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हैं उसी समय राज्य राजमार्ग के कुल उन्नयन का काम शुरू नहीं हो जाता है। इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन यह निर्णय लेने के लिए आपमें इच्छाशक्ति और हिम्मत होनी चाहिए कि सड़क की इतनी लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला जाएगा और उतने समय में इसे बेहतर तथा उच्चस्तरीय बना दिया जाएगा। लेकिन इतना निर्णय भी नहीं लिया जा रहा है।

एक सर्वेक्षण के मुताबिक इस शताब्दी के अंत तक अर्थात् 2000 ई॰ तक कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3000 कि॰ मी॰ अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा कर्नाटक की गणना भी उत्तर-प्रदेश या बिहार के साथ सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में होने लगेगी। श्री राजेश पायलट जानते हैं कि जब वह जल-भूतल परिवहन मंत्री थे तब भी हम लोग यह मांग कर रहे थे। हम लोग यह कह रहे थे कि कर्नाटक में संभावना है, कर्नाटक विकास के मार्ग पर उन्मुख है, तथा हम लोग और आगे विकास करना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूं कि वह सिर्फ इस संशोधन की प्रतीक्षा न करें। इस संशोधन के माध्यम से आप कुछ और जमीन हासिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही आप नोटिस जारी करें वैसे मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण के लिए या नए राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए जिस जमीन की भी आवश्यकता हो, वह प्राधिकरण को सौंप दी गई समझी जाए। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। इसकी जैसी रूपरेखा तैयार की गई है वह सिर्फ भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को धोखा देने के लिए है। भू-अर्जन अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार भी भू-अर्जन के उद्देश्यों को किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है सिवाय इसके कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उसका विशिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उपयोग नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ यही है। भू-स्वामी को इसके क्षतिपूर्ति वाले भाग को ही चुनौती देने का अधिकार है। यदि दी गई क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं है तो वह इसे चुनौती दे सकता है और विधि द्वारा स्थापित न्यायालय से वह ज्यादा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। अन्यथा उसे अधिग्रहण के उद्देश्यों पर प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

जो भी हो, मंत्रालय ने यह सोचा कि उनके पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए। वे जेसे ही नोटिस जारी करेंगे, भूमि मंत्रालय के नियंत्रण में आ जाएगी ताकि वे सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य

[श्री वी॰ धनन्जय कुमार]

तत्काल शुरू कर सकेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और कुछ दो लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की योजना बनाई है। उन्होंने दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली-चेन्नई मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों का उल्लेख किया है। कृपया आप कन्याकुमारी से मुंबई जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर भी विचार कीजिए। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। राज्य में और विशेषकर मेरे दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलौर और बैन्दूर के बीच अनेक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। आपको आगे अधिग्रहण नोटिस जारी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। आप कृपया इस अनुरोध पर विचार कीजिए। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे छोटा है मंगलौर को राज्य की राजधानी बंगलौर से जोड़ता है। पूरे कर्नाटक में मंगलौर ही एकमात्र सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है और बंगलौर राजय की राजधानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 इन दो महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ता है। इसे और चौड़ा करने की जरूरत है।

सभापति महोदय : हम लोग जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : लेकिन इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें सिर्फ यही मौका मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें उस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि मुझे जब भी अवसर मिले मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर दूं।

इन सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि वे कृपया राज्य के प्रस्तावों पर, जिसके द्वारा हमने सड़क के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया है, दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति के साथ निर्णय करें ताकि हम आधारभूत संरचना को बेहतर बनाकर वास्तव में विकास के पथ पर जा सकें।

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं सदन का ध्यान 1988 के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक की ओर दिलाऊंगा जिसे मैंने पेश किया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अस्तित्व में आने से पहले प्रक्रिया यह थी कि केंद्रीय बजट से हम जो भी धनराशि देते थे वह राज्यों को चली जाती थी और राज्य लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और निर्माण करते थे। जब हम यह पूछते थे कि रुपया क्यों खर्च किया गया या क्यों नहीं खर्च किया गया या सड़कें क्यों खराब हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, तो यही उत्तर होता था कि, 'हम मामले को देख रहे हैं।' राज्य सरकारों के भेजे गए रुपये के लिए केंद्र के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। लेकिन जब मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकण के गठन का यह विचार किया तो राज्य सरकारों की ओर से कई आपत्तियां उठाई गईं। कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर ध्यान नहीं दे रहा था। हर राज्य इसका विरोध कर रहा था। उस समय कर्नाटक में श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री थे और श्री एस॰ आर॰ बोम्मई मुख्य मंत्री थे। उस समय हर कोई लोक निर्माण विभाग को पूरा-पूरा प्राधिकारी बनाए रखना चाहता था।

सभापति महोदय, मैं आपके राज्य में गया था। मैं पटना में एक जलसे में भाग लेने के सिलसिले में बिहार गया था। आयोजन में भाग लेने के बाद मैंने उनसे कहा, 'मुझे जल्दी है, मुझे शीघ्र ही हवाई अड्डे जाना है।' उन्होंने कहा 'हम आपको बाइपास सड़क से ले चलेंगे जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है।' मैंने उनसे कहा कि वही अच्छा रहेगा और वे मुझे बाइपास सड़क से ले गए मेरी बातों का यकीन कीजिए, यह ग्रामीण सड़क से भी खराब था। मैंने कहा, 'क्या मैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं या मैं किसी ग्रामीण सड़क पर हूं ?' उन्होंने मुझे बताया कि यह फलां-फलां राष्ट्रीय राजमार्ग का बाइपास है। मैं हवाई अड्डे पहुंच गया। वापस लौट कर मैंने अपने विभाग के सचिव को टेलीफोन करके बुलाया। मैंने कहा, 'यदि हम राष्ट्रीय राजमार्ग को इस तरह से रख रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि हम इस तरह से अपना रुपया बर्बाद कर रहे हैं।' फिर हमने सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा। हम लोगों ने सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वकालत की। हम लोगों ने उसी समय इस समस्या के बारे में सोचा था।

हम जब भी जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो यह राज्य सरकार से अधिग्रहण करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये समस्याएं आती हैं। लेकिन श्री वी॰ धनन्जय कुमार मेरी इस बात से असहमत हो सकते हैं कि कभी-कभी समस्याएं इतनी ज्यादा होती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा नहीं बन पाता है जबकि बाकी का हिस्सा विभाग के द्वारा बना दिया जाता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम इसे उस समय नहीं ला सके क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने कई एक आपत्तियां उठाई थीं। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विभाग के किसी भी मंत्री को यही कहना पड़ेगा जैसा कि मेरे साथी ने कहा। ऐसा धन के अभाव के कारण से है। वर्ष 1985 में जब मैं इस विभाग का प्रभारी मंत्री बना तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 32,000 हजार कि॰ मी॰ थी। इसमें जो भी वृद्धि हुई है वह इसी अवधि के दौरान हुई है। उसके बाद इसमें एक भी कि॰ मी॰ की और नहीं हुई है क्योंकि धन का अभाव था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं। हमने संसद में एक विधेयक पारित किया था कि ईंधन उपकर का पांच प्रतिशत सड़क पर खर्च किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह ऐसा कर सकेंगे। अन्यथा सड़कों की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं होगा और धन भी उपलब्ध नहीं रहेगा। यह संकल्प संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। हमने इसे दोनों सदनों में पारित कराया था। अब उन्हें इस पर जोर देना चाहिए। अभी तक हम ऐसा नहीं कर सके हैं। इसका मोटर-वाहन अधिनियम में उल्लेख है और इसमें कुछ नया नहीं है जिसके बारे में पूछा जाए।

सड़क क्षेत्र की उपेक्षा की जाती रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी, श्री कुमार ने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निवेश की दर 6.9 प्रतिशत से घट कर 3 प्रतिशत रह गई है।

श्री वी. धनन्जय कुमार : हमें राज्य सरकारों को भी, उनके द्वारा संग्रह किए जा रहे मोटर वाहन कर में से और ज्यादा निवेश करने के लिए कहना चाहिए।

श्री राजेश पायलट : जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। आपने यह कहा कि हम यह कर सकते हैं यदि हमारे पास ऐसा करने की इच्छा शक्ति हो। हमारे पास धन होना आवश्यक है यदि हमारे पास धन नहीं होगा तो हम परिणाम नहीं दे सकते हैं।

दूसरी बात जिसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा वह सड़कों के निर्माण से संबंधित है। हम सड़क के निर्माण कार्य का अत्यधिक मशीनीकरण कर सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा, जो भी रकम खर्च होगी वह उचित रूप से खर्च नहीं होगी। इसे शुरूआती दौर में राज्य सरकार द्वारा किया जाना था और अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाना है खैर जो भी हो, मैं वस्तुतः वर्तमान सरकार की बहुत ज्यादा आलोचना नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसे हमारे सरकार के काल में अर्थात् 1991-96 में हो जाना था। यह विधेयक 1988 में पारित हुआ था। मैं समझता हूं कि इसे 1993 तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका। हमें अध्यक्ष और अन्य अधिकारी नियुक्त करके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सक्रिय करने में पांच वर्ष का समय लगा। मुझे माननीय मंत्री जी पर आरोप लगाने का साहस नहीं है, लेकिन अब जो कुछ भी हो चुका है, यदि सड़कों के निर्माण के मशीनीकरण के लिए कुछ कदम उठाए जा सकें तो यह काफी अच्छा होगा।

मेरा दूसरा मुद्दा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता का है। हम लोगों ने निर्णय किया था कि पूर्व-अर्हता निविदाओं के लिए भी एक छोटी समिति होगी क्योंकि इसमें भारी पैमाने पर निवेश होने जा रहा है। यदि उस समय तक वहां पारदर्शिता नहीं होगी तो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। यह भी कहा गया था कि कई पार्टियों राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में प्रवेश की इच्छुक नहीं हैं। इसलिए, कतिपय आकर्षणों के बारे में भी सोचा गया था जैसे पथकर इत्यादि। हम लोगों ने निर्णय किया था कि जब भी ऐसे ठेके दिए जाएंगे तो एक छोटी पूर्व-अर्हता समिति इसकी जांच पड़ताल करेगी और यह इतना पारदर्शी होगा कि पूरा देश यह जान सकेगा कि 200 या 300 करोड़ रुपये की इस परियोजना को अमुक मापदण्डों पर अमुक को ठेके पर दिया गया है।

अगला मुद्दा राष्ट्रीय राजपथों पर गश्त लगाने का है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय राजपथों पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। हम लोग हर दिन समाचार पत्रों में दुर्घटनाओं और समुचित चिकित्सा सहायता की अनुपलब्धता के बारे में पढ़ते हैं। उस समय हम लोगों ने दो उपायों पर विचार किया था। एक था राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्ती दल का जिसके लिए हम प्रतिनियुक्ति पर लोगों को लेते। दूसरे, राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जा सकती थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त को ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। हम लोगों ने राजमार्गों के किनारे सुविधा की उपलब्धता के आधार के मापदंड पर पेट्रोल पंप दिए थे। चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध करायी जा सकती है। चूंकि संचार के क्षेत्र में काफी सुधार हो चुका है इसलिए इसे भी उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए यह एक पूरा पैकेज है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक पैकेज था जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक यात्रा मिल सके तथा वे दूसरों के साथ संपर्क में भी रहें।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बार पुनः अपील करता हूं कि वह पांच प्रतिशत उपकर पर अवश्य ही जोर दें। अन्यथा सड़क परिवहन क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से पीछे रह जाएगा और हम लोग सड़कों में सुधार नहीं कर सकेंगे।

सामान्यतौर पर यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रवेश द्वार होते हैं। आप मलेशिया जैसे देशों को देखिए, आप दक्षिण-पूर्व के देश, जैसे इंडोनेशिया जाएं, या आप फिलिपीन्स जैसे छोटे से देश में जाएं। इन देशों के राष्ट्रीय राजमार्गों में भी काफी सुधार हुआ है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था का भी इतना विकास हुआ है। इन दोनों का सीधा संबंध है। निःसंदेह, अच्छी सड़कें अर्थव्यवस्था के सुधार में कैसे मददगार होते हैं इस विषय पर मैं व्याख्यान नहीं देना चाहता हूं।

एक सर्वेक्षण किया गया था कि खराब सड़कों के कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है। सड़कों के खराब होने से ईंधन की खपत ज्यादा होती है और टायर भी जल्दी खराब होते हैं। उसी सर्वेक्षण के अनुसार हम प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में है।

जैसा कि हमारे सहयोगी श्री धनन्जय कुमार ने कहा कि इसे पूर्णतया सक्रिय और परिणामोन्मुख बनाना होगा। हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को भी अन्य देशों के राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह लगना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में तहे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा विधेयक पेश करने के कुछ उद्देश्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उचित माहौल बनाना और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना है।

महोदय, इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के जिक्र करने से पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्गों के बुरे हाल की ओर दिलाना चाहूंगा। पूरे देश में, राजमार्गों की दशा अत्यंत ही दयनीय है। लोग बसों से यात्रा करने में कतराते हैं क्योंकि इन बसों को राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए मैं इस सदन से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि राजमार्गों में सुधार के लिए वे आगे आएं। इस समय पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब है। इस विधेयक को पेश करते हुए माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि इसमें न्यायालयों का कोई प्रावधान नहीं

[श्री अजय चक्रवर्ती]

है क्योंकि न्यायालयों में मामलों के निपटारे में काफी समय लगता है और इस कारण लोगों को मामलों के निपटारे के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन न्यायालयों के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, इसके क्या कार्य होंगे और इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा—इन सभी चीजों को अधिसूचना के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि इस अधिसूचना की क्या स्थिति होगी। सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इस विधेयक या इस अधिनियम में इस वास्ते प्रावधान होना चाहिए कि मामले में मध्यस्थता की जा सके या यथासंभव जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके।

इसके लिए समय-सीमा होनी चाहिए अन्यथा यदि यह एक न्यायालय की तरह कार्य करेगा तो सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत निवारण और राहत के लिए पीड़ित व्यक्ति द्वारा दी गई याचिका वर्षों तक लंबित पड़ी रहेगी। इसलिए एक समय-सीमा होनी चाहिए और इसका विशेष उल्लेख होना चाहिए कि निर्धारित समय में मामले की मध्यस्थता की जाएगी।

मैं माननीय मंत्री जी का और इस सम्मानित सभा का ध्यान 'मध्यस्थ' के संबंध में किए गए अन्य उपबंधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सक्षम प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति मध्यस्थ के पास जाएगा। मध्यस्थ एक अपील प्राधिकरण की तरह कार्य कर सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि मध्यस्थ कौन होगा। इसका निर्णय केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके करेगी। सिर्फ एक ही मध्यस्थ क्यों होना चाहिए ? मध्यस्थों का एक बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए ? मध्यस्थों का बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है ? कम से कम तीन सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

इस विधेयक के एक अन्य उपबंध के अनुसार यदि किसी ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया या कोई सक्षम प्राधिकरण या केंद्र सरकार के पक्ष में अपने स्वामित्व को त्यागने से मना करता हो तो महानगरों के मामले में पुलिस आयुक्त तथा अन्य स्थानों के मामलों में जिला समाहर्त्ता उस जमीन को अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो धन की वसूली के तरीके को स्पष्ट करता हो। इसके संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है; इस मामले में स्पष्ट बात होनी चाहिए। इस विधेयक में इस बात की परिभाषा नहीं दी गई है कि 'स्वामी' किसे माना जाएगा। एक व्यक्ति जिसके नाम से जमीन है 'स्वामी' उसे माना जाएगा या वैसा व्यक्ति जो अवैध रूप से जमीन हथियाए हुए है उसे 'स्वामी' माना जाएगा ? इस विधेयक में इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

माननीय सदस्य श्री राजेश पायलट ने ठीक ही कहा कि राजमार्ग के क्षेत्र के लिए अधिक धन आबंटित किया जाना चाहिए और संसद को इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। राजमार्ग क्षेत्र की दशा अत्यंत ही दयनीय है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह आगे आएं और पहल करें ताकि इस क्षेत्र के लिए आबंटित धन बढ़ाया जा सके।

अंत में मैं इस सम्मानित सभा और माननीय मंत्री जी का ध्यान राजमार्गों की दशा की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने पहले ही उल्लेख किया है।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मामले की जांच पड़ताल के लिए आगे आएंगे और राजमार्गों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मक और उपयुक्त उपाय करेंगे। इसलिए मैं पुनः माननीय मंत्री जी के द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : आदरणीय सभापति जी, मुझे इस विधेयक के विरोध में कुछ नहीं कहना है इसलिए मुझे विधेयक का समर्थक माना जाए।

सभापति महोदय : यदि आपको इस विधेयक के विरोध में कुछ नहीं कहना है तो आप इस विधेयक का समर्थन कर सकते हैं और अपना स्थान ग्रहण करें ताकि दूसरे सदस्य बोल सकें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय यह सर्वथा अनुचित है। कृपया आप उन्हें कुछ समय खड़े रहने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

श्री सुब्रत मुखर्जी : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य और श्री राजेश पायलट के भाषण से राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब दशा का पता चलता है। इस संबंध में मैं एक मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहूंगा। अभी हम उदारीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम लोग निजी और विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं और यह परिवर्तन के साथ सह संबंधित है। हमारे देश में 80 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग पर निर्भर है। इसलिए हमें केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में ही नहीं बल्कि सड़कों के संपूर्ण संजाल के बारे में भी सोचना चाहिए।

सड़कों की खराब दशा के बारे में माननीय मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं। मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का और विशेषकर जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का ध्यान विशेषरूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 संभवतया आपके राज्य से भी गुजरता है।

सभापति महोदय : यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी गुजरता है।

श्री सुब्रत मुखर्जी : इसका एक भाग उत्तरी बंगाल से होकर गुजरता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तरी बंगाल की पूरी उपेक्षा की जाती रही है और दक्षिण बंगाल की तरह इसके साथ व्यवहार नहीं किया गया है। इसलिए यह उपेक्षित है और उसे पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 दोनों ही न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि इन पर अत्यधिक यातायात भी है। इसका ठीक से रख-रखाव नहीं हो पाता है क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को समुचित सहायता नहीं प्रदान करती है। इतना ही नहीं, रख रखाव की पूरी प्रक्रिया को ही बदल देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

जहां तक उत्तरी बंगाल का संबंध है, वर्षा के मौसम के बाद विभाग निविदाएं आमंत्रित करने, दरों की जांच इत्यादि की प्रक्रिया को अंतिम रूप देता है। इसके परिणामस्वरूप विभाग से काम का आदेश अप्रैल और मई में निकलता है और काम मानसून के समय किया जाता है। मानसून के समय उत्तरी बंगाल में भारी वर्षा होती है। इसलिए इस कार्य पद्धति के कारण कोई भी फलदायी परिणाम नहीं निकलता है। इसलिए पूरी कार्यपद्धति को बदलने की आवश्यकता है जिससे कि सभी कार्यों को बारिश के मौसम से पहले पूरा किया जा सके। इसी तरह से सड़कों का रख-रखाव भी किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 ढ़लकोला के पास मिलती हैं। इस सड़क पर चलने वाली गड़ियों को ढ़लकोला में बड़ी लाइन और छोटी लाइन के मुख्य रेलमार्गों को पार करना पड़ता है। इसलिए उस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को वहां तक ठहरना पड़ता है। इसलिए ढ़ेलकोला में रेलमार्ग को पार करने के लिए ऊपरि पुल की तत्काल आवश्यकता है। यह राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरि पुल का निर्माण करा सके। इसलिए मैं जल-भूतल परिवहन विभाग और रेलवे बोर्ड से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आएं जिससे कि वहां रेल लाइन के ऊपर एक ऊपरि पुल का निर्माण हो सके।

मैं भारत-बांग्लादेश सीमा के बारे में भी कहना चाहता हूं। राजमार्ग पर काम चल रहा है जहां तक भारत-पाकिस्तान सीमा का संबंध है, वहां रोशनी की व्यवस्था है। लेकिन भारत-बांग्लादेश सीमा पर रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल (इंदौर) : महोदय, देश के विकास में राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसा कि मेरे कई साथियों ने उल्लेख किया है, सड़कों की दशा अत्यंत ही खराब है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक विकास के पहलू पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। यह पिछले कई वर्षों से एक ही स्थान पर रुका हुआ है। पहले ठीक ही कहा गया कि 34,200 कि॰ मी॰ राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सड़कों की कुल लंबाई का मात्र दो प्रतिशत ही हैं।

नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के रख-रखाव, दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की पूर्ण उपेक्षा की गई है। इस स्थिति के कारण ही हम पाते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा है। सड़कों का निर्माण और रख-रखाव, दोनों ही मामलों में सड़कों की खराब गुणवत्ता के मद्देनजर हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है तथा गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसे समय पर करने की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि समय पर काम करने से बचत होती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। पहले ही कुछ वक्ताओं ने खराब सड़क के कारण अधिक सड़क दुर्घटनाओं और ईंधन की ज्यादा खपत के बारे में कहा है।

खराब सड़क होने के कारण यात्री और माल परिवहन दोनों में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, आंकड़े दर्शाते हैं कि सवारियों और माल की आवाजाही सड़क मार्ग से बढ़ रही है। पहली पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क पर किए गए निवेश में कमी आई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि सड़कों के इस पहलू पर कभी भी प्राथमिकता देकर विचार नहीं किया गया है हालांकि यह देश के विकास का महत्वपूर्ण साधन है।

महोदय, भूमि अधिग्रहण से निश्चय ही देश में सड़क संजाल को सुधारने और बढ़ाने में गति आएगी। लेकिन मुझे यह सुनकर वास्तव में आश्चर्य हुआ और मैं यह नहीं जानता कि एक राजमार्ग—राजमार्ग संख्या 4, जो मुंबई से बंगलौर तक जाता है—में अधिग्रहण का प्रस्ताव निजी जमीन के लिए है या सड़क के क्षेत्र में पड़ रहे जमीन के लिए है। इस पहलू को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि क्या सड़कों की लागत की क्षतिपूर्ति करने के लिए निजी जमीन को भी लेना पड़ेगा।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल : महोदय, मैं सवारी और माल परिवहन का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। माल और सवारी परिवहन का प्रतिशत वर्ष 1950-51 में क्रमशः 12 और 26 था। यदि इसकी तुलना करें तो अभी माल और सवारी परिवहन का प्रतिशत क्रमशः 53 और 59 है। मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक के सभी उपबंधों ठीक से और इच्छाशक्ति के साथ कार्यान्वित किया जाए तो यह देश में निश्चिततौर पर सड़क संजाल में सुधार लाने में सहायक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब क्या हमें इसे जारी रखना चाहिए ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया था कि हमें 6.00 बजे तक इस विधेयक पर अपनी चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए। 6.00 बजे से 10.00 बजे तक हम बजट पर सामान्य चर्चा कर सकते हैं। मेरा विचार है कि और एकाध घण्टे के अंदर हम दोनों विधेयक पारित कर देंगे और 7.00 बजे से बजट पर सामान्य चर्चा आरंभ कर सकेंगे। इसके साथ-साथ मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि आज सदन की बैठक देर रात तक चलेगी और माननीय सदस्यों, पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों के लिए रात के भोजन का प्रबंध कर दिया गया है।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया है।

सभापति महोदय : नहीं, मैंने आपको कोई अवसर नहीं दिया है। मैंने तो माननीय मंत्री को चर्चा का उत्तर देने के लिए बुलाया है। यदि हमें यह चर्चा आधे घण्टे के अंदर पूरी करनी है तो मैं आपको अब बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

(व्यवधान)

अपराह्न 6.00 बजे

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : अभी-अभी समाप्त हुई चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि सड़कों की स्थिति खराब है। तथापि, सदस्य इस बात पर भी सहमत हैं कि यह मेरे कारण नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मैं केवल एक हिस्सा हूं। अब, माननीय सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का उत्तर देना मेरी जिम्मेवारी है।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने विधेयक के प्रशंसनीय उद्देश्य, जिसके लिए यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, पर विचार किया है। माननीय सदस्य चाहते थे कि मैं कुछ मुद्दों पर ध्यान दूं। मेरे पूर्ववर्ती, माननीय मंत्री ने भी कुछ बातों की ओर इशारा किया है। मैं विशेष रूप से एक मुद्दा उठाना चाहता हूं जिस पर अभी भी मेरी मंत्रि मंडल के सदस्यों के साथ चर्चा चल रही है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, डीजल और पेट्रोल पर पांच प्रतिशत उपकर की व्यवस्था करने के बारे में इस सदन तथा राज्य सभा में आधे घण्टे की चर्चा हुई थी। चर्चा के उपरांत मैंने मंत्रिमंडल में जाकर यह आग्रह किया कि पांच प्रतिशत उपकर लगाया जाना चाहिए क्यों कि इससे मुझे अल्प बजटीय सहायता के अतिरिक्त लगभग 2000/- करोड़ रु. की राशि प्राप्त होगी। अत: मैं स्थिति को ठीक प्रकार से संभाल सकूंगा। मुझे ऐसा आभास था कि मैं कम से कम एक राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकता हूं।

माननीय सदस्यों ने यह कहकर चिन्ता व्यक्त की है कि राज्यों को उचित आबंटन नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें किसी राज्य से शिकायत है। आबंटन उनके द्वारा किए गए अंशदान के अनुरूप ही किया जाता है। जैसे वे अंशदान कर रहे हैं, वैसे ही वापिस ले रहे हैं। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। राज्य की विशालता को ध्यान में रखकर आबंटन नहीं किया जाता। अपने-अपने योगदान के अनुरूप वे वापिस ले लेते हैं। अत: आप यह कहकर कि हमारी कोई जवाब देही नहीं है, केन्द्र सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जो निधियों का इस्तेमाल किए बिना उसे वापिस लौटा रहे हैं। मैं सदन में उनका नाम नहीं बताना चाहता।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : कृपया उन राज्यों के नाम बता दीजिए ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि उन्हें आबंटित किया गया धन खर्च करना चाहिए।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : ऐसे एक या दो राज्य हैं। मैंने उन्हें बताया है कि यह वास्तविकता है। उन्होंने जाकर स्थिति स्पष्ट कर ली। वे अब इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, मैं इस विशेष कारण से उनके नाम नहीं बताना चाहता।

मैं अपने पास उपलब्ध सभी उपाय करा रहा हूं। मैं अभी भी धन के लिए कोशिश कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आप सबके समर्थन से मैं धन प्राप्त करने में सफल होऊंगा तथा आवश्यकतानुसार खर्च करूंगा। मैं अवसर के अनुसार जो भी आवश्यक होगा, करूंगा। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं सभी राज्यों के लिए यथासंभव अच्छा करूंगा। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए संशोधन वापिस लिए जाएं तथा विधेयक को पारित किया जाए।

श्री एन. के प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : मैं याचिका के संबंध में आपत्ति, सुनवाई और निपटान से संबंधित धाराओं 3सी (1), 3सी (2) और 3 डी के संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : यदि यह नियमों के अंतर्गत आता है तो हम इसे करेंगे।

सभापति महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 जनवरी, 1997 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री भार्गव, गाड़ी तो प्लेटफार्म से छूट चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं ? आपकी गाड़ी छूट गई है। सदन ने आपका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है। अब कुछ भी संभव नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कम से कम एक बार तो हमें सदन के प्रति सहृदय रहने के लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988, राज्यसभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : यह प्रश्न है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जी॰ वेंकटरामन टिंडिवनाम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सभापति महोदय, 6.00 बज गए हैं। अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की थी कि बजट पर सामान्य चर्चा 6.00 बजे आरंभ हो जाएगी। यदि आप बजट चर्चा को उपहास का रूप नहीं देना चाहते, तो आपको यह चर्चा आरंभ कर देनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री मुझे इस बात पर सहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विधेयक 15 मिनटों में पारित हो जाएगा। क्या सदन में पहले कभी हमारा ऐसा अनुभव रहा है ? कोई भी विधेयक दो घण्टे से कम समय में पारित नहीं होता। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि बजट पर चर्चा या तो अब शुरू कर देनी चाहिए और या फिर आज रात को आरंभ ही नहीं करनी चाहिए।

सभापति महोदय : हम इसे आधे घण्टे में पारित करने का प्रयत्न करते हैं। माननीय मंत्री ने सदन में यह कहा है और मैंने सदन की सहमति ली है।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में दिए गए विनिर्णय का क्या होगा ?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 6.08 बजे

ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मद संख्या 34 और 35 एक साथ लिए जाएंगे। श्री राम नाईक।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक10) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति जी, मैं ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) विधेयक, 1997 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ विधेयक का समर्थन करते हुए, उसके बारे में कुछ अपने विचार रखूंगा।

महोदय, विरोध करने की बात बार-बार हर अध्यादेश के समय में आ रही है। मुझे लगता है कि जब तक 13वां अध्यादेश इस सदन में पारित नहीं होगा, तब तक इस सरकार का अध्यादेश निकालने का कीर्तिमान स्थापित नहीं होगा। मैं आज लाइब्रेरी में यह जानने के लिए गया कि दो सैशन के बीच में इसके पहले ज्यादा से ज्यादा कितने अध्यादेश निकाले गए, तो पांच से लेकर दस से अधिक की जानकारी नहीं मिली।

[अनुवाद]

सरकार ने अध्यादेश जारी करने में एक नया रिकार्ड बनाया है। यह इस सरकार की उपलब्धि है।

[हिन्दी]

अब प्रश्न यह है कि इस आर्डिनेंस को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें जो अध्यादेश निकालने के कारण दिए हैं, उसमें यह कहा गया है कि 1988 में हकसर कमेटी नियुक्त हुई और इस कमेटी ने 1990 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में कुछ काम नहीं हुआ। फिर कुछ सांसदों ने, जिसमें मैं जानता हूं, जार्ज फर्नांडीज साहब हैं और मैं भी हूं, शिकायतें की। शिकायतों पर एडमिनिस्ट्रेटिव एन्क्वायरी हुई और फिर सरकार को ऐसा लगा कि इसके बारे में आर्डिनेंस निकालना चाहिए —ऐसा इसमें दिया है। यह जो 90 से आज तक बात चली थी पिछला जो विंटर सैशन था वह 22 दिसम्बर को समाप्त हुआ था। यह जो छः-सात साल से बात चल रही है तो क्या आप गत सैशन में इस प्रकार का विधेयक नहीं ला सकते थे ? मान लीजिए आपने छः-सात साल में कुछ काम नहीं किया। आप यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी। यह बात सही भी है लेकिन जो काम छः साल में नहीं हुआ, वह एक महीने और देरी से होता और इस सैशन में आप बिल लाते तो क्या नुकसान होने वाला था, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि क्या जल्दी थी, यह ख्याल नहीं आ रहा है तो कौन सी जल्दी थी वह आप कृपया बताइए। मेरे ख्याल में जो बात आ रही है वह यह है कि स्टैंडिंग कमेटी की जो पद्धति हम लोगों ने शुरू की है वह किसी न किसी कारण से वह शासन स्टैंडिंग कमेटी के विरोध में काम कर रही है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में नया बिल आएगा तो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। उसकी छानबीन अच्छे ढंग से होगी और फिर वह बिल सुधर कर आ सकता है लेकिन यह सरकार इस प्रकार से कोई सुधार करना ही नहीं चाहती है। हरेक बात अपने हाथ में रखना चाहती है और इस प्रोसेस में स्टैंडिंग कमेटी को बाइ-पास करके काम करने का अब सरकार का इरादा दिखता है

[श्री राम नाईक]

इसलिए मैं इस आर्डिनेंस की निंदा कर रहा हूं।

अब यह होने के बाद इस बिल के संबंध में मुझे कहना है कि 5 अगस्त, 1994 को इस संसद ने एक प्रस्ताव करके, कि ललित कला अकादमी की स्थापना होनी चाहिए, यह तय किया। फिर 11 मार्च, 1957, मतलब बराबर 40 साल पहले इस प्रकार की संस्था रजिस्टर हुई और उसके पहले जो सोचा गया था कि साहित्य कला है, शास्त्र है, विज्ञान है, इसके बारे में जितनी आटोनोमी ऐसी संस्थाओं को देनी चाहिए वे सारी देने के बाद दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उस आटोनोमी के अनुसार कला और साहित्य क्षेत्र में लोगों ने काम नहीं किया। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि 40 साल के ललित कला अकादमी के काम को एक दृष्टि से देखा जाए तो कलाकारों ने अपने ही नाम पर धब्बा लगाया है। पार्लियामेंट ने उनके बारे में जो विश्वास व्यक्त किया था वह विश्वास कलाकारों ने और कलाकारों के नेता कहलाने वाले लोगों ने खो दिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस-जिस ने इस प्रकार की कला अकादमी का नेतृत्व किया उनकी निन्दा करना आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि हमने विश्वास रखा और उन्होंने उस विश्वास के अनुसार काम नहीं किया, यह बहुत ही खराब हुआ। ऐसे लोग नियुक्त किए गए, जो साहित्य कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। अब चुनाव के जरिए क्या होगा ? जैसे चुनाव के जरिए और राजनैतिक क्षेत्रों में भी इस प्रकार की गलत बातें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कला अकादमी में भी उसी प्रकार की बात हुई और वहां भ्रष्टाचार, अनियमितता, डिसक्रिमिनेशन, ऐसी सारी बातें 15-20 साल से चल रही हैं और आज हम ऐसी स्थिति में आए हैं। जमाना हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करो, सरकार बराबर काम नहीं कर रही है इसलिए प्राइवेटाइजेशन करो। इसमें प्राइवेट लोगों ने बराबर काम नहीं किया। इसलिए इसका सरकारीकरण करो। इस प्रकार की बात लेकर ये आए हैं और यह उल्टी जो गंगा बह रही है, यह ज्यादा नहीं बहनी चाहिए, इस भूमिका में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी जो बात हुई है कि अकादमी चलाने वाले जो थे और जो असली कलाकार हैं, जिनको कला के क्षेत्र में लाने का काम करना चाहिए। नये-नये कलाकारों को यहां लाने का काम नहीं किया और उसके कारण कला अकादमी चलाने वाले जो अधिकार में बैठे हैं और जो कलाकर हैं उनमें एक बड़ी खाई पैदा हुई और अब यह खाई आगे चल कर कैसे पैदा न हो इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। अक्सर कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख मैंने किया, आबजेक्ट्स एंड रिजंस में भी दिया है।

जुलाई 1990 में यह हक्सर कमेटी की रिपोर्ट आई है लेकिन यह रिपोर्ट कॉनफिडेंशियल क्यों रही है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र की रिपोर्ट को सरकार ने कॉनफिडेंशियल रखा है। मैं मांग करता हूं कि इसको पब्लिश किया जाए।

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : पहले कॉनफिडेंशियल रखी थी अब पब्लिश की है।

श्री राम नाईक : वह पब्लिश नहीं की है।

सभापति महोदय : आपका भी नाम है, लेकिन आप अगर बीच-बीच में बोल लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि आपका विचार आ गया है।

श्री राम नाईक : यह रिपोर्ट हमने कहां से प्राप्त की यह अलग बात है, लेकिन बात ऐसी है कि

[अनुवाद]

जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

संसद को मालूम होना चाहिए, आम आदमी को मालूम होना चाहिए। उस रिपोर्ट में आज भी लिखा हुआ है "कॉनफिडेंशियल"। मेरी पहली मांग यह है कि जनता के लिए आपको यह रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : हक्सर समिति पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो स्थाई समिति बनी हुई है उसका मैं भी सदस्य हूं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसने क्या कहा है.....

सभापति महोदय : जोशी जी, आपका भी नाम है, इसलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री राम नाईक : दूसरी बात यह है कि आपने यह कहा है कि कुछ एम॰ पीज॰ ने पत्र लिखा, अखबारों में उसके विरोध में आया और फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वारी बैठाई। उसमें कई गलत बातें ख्याल में आईं कि तीन हजार किताबें नहीं मिल रही हैं, संग्रहणीय एग्जिबिट प्रदर्शनी के गुम हो गये हैं। यहां पर जानकारी लेने के बाद मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने जो रेंट देना है जो कि एक लाख से ज्यादा रेंट है वह भी नहीं दिया है। इतना ही नहीं अपने एग्जिबिट जो कई बार जापान और बंगला देश गये वे एग्जिबिट हिन्दुस्तान आए सामान्य जहाज से और उसके लिए एक लाख 40 हजार रुपये बंबई पोर्ट ट्रस्ट को डैमरेज देना पड़ा। फिर बंगला देश से जब एग्जिबिट वापस आए तो एक लाख दस हजार रुपये डैमरेज देना पड़ा। इस प्रकार की जो गलत बातें पर हुई है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वारी जो सरकार ने की है वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट भी हक्सर रिपोर्ट के साथ ही साथ आपको इस सदन के पटल पर रखनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के फंडों के बारे बारे में गलत बात की है। हमें केवल वह रिपोर्ट ही नहीं चाहिए बल्कि आपने क्या एक्शन लिया तथा उसमें रिक्मेंडेशन के बारे में क्या एक्शन है। जैसी एक्शन टेकन रिपोर्ट हम स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बारे में देते हैं उसी प्रकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट आपने तीन महीने के अंदर इस सदन को पेश करनी चाहिए ऐसी मेरी मांग है :

[हिन्दी]

यह दुःख और शर्म की बात है और यह उल्टी गंगा बहने वाली बात है लेकिन ऐसा करते समय यह कहा जाता है कि

[अनुवाद]

उपचार रोग से खराब नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

आज हम यह ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं लेकिन जो ब्यूरोक्रेट होगा उसे कला क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है यह भी बात होगी। आपने इसमें तीन वर्ष की उनकी कालावधि रखी है। आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ाने का भी प्रस्ताव होता है। मुझे लगता है कि

[अनुवाद]

उपचार रोग से खराब नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

इस प्रकार से खाई में से निकल कर दूसरी जगह पर जाना, यह बात नहीं होनी चाहिए। इस भूमिका में आपने एडमिनिस्ट्रेटर को सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें कला क्षेत्र के लोग हों और साथ ही साथ जिनको इन दोनों की जानकारी हो, ऐसा एक एडवाइजरी बोर्ड आपको बनाना चाहिए, यह भी मेरी मांग है। यह काम एक साल में करने की कोशिश की जाए, तीन साल की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

एक वर्ष के भीतर किसी भी संस्थान का पुनर्गठन कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है।

[हिन्दी]

ऐसा मुझे लगता है कि इस भूमिका में आपको कुछ करना चाहिए। ललित कला अकादमी के ठीक काम न करने का परिणाम क्या हो रहा है ? वहां एग्जीबिट्स को पांच हजार रुपए पुरस्कार दिए जाते हैं यह राशि बहुत समय पहले तय हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि पुरस्कार का जो एमाउन्ट है, वह कम से कम 25-50 हजार रुपए करना चाहिए। छोटा सा सर्टिफिकेट और पांच हजार रुपए, आने-जाने का खर्चा, यह कलाकार को मान्यता देने का उचित काम नही है। आप ऐसा मत करिए। इस भूमिका में आपको पुरस्कार की रकम बढ़ानी चाहिए। विदेशों में जो एग्जीबिट्स जाते हैं, वे भारतीयता का ठीक प्रकार से अभिव्यक्तिकरण करें, इसका आप ध्यान रखें लेकिन आज ऐसा काम नहीं हो रहा है। इसमें भी डिसक्रिमिनेशन और भ्रष्टाचार होता है और कहा जाता है कि यह मेरा है, अपना है। इस सारी भूमिका में आप आगे कोई काम करें। मंत्री महोदय को इसके बारे में उत्तर देना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारा गाड़ी के साथ बहुत ज्यादा संबंध है। ललित कला अकादमी की ट्रेन पटरी से नीचे उतरी है। उसे फिर पटरी पर लाने के लिए यह बिल अध्यादेश के रूप में लाया गया। उसको पटरी पर रखना और ठीक गति से आगे ले जाना महत्व का काम है। यह महत्व का काम आपको एक साल में करना चाहिए। यह आग्रह करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आर्डिनेंस निकालने का काम बंद करना चाहिए। इस भूमिका के साथ धन्यवाद।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक हित में सीमित अवधि के लिए ललित कला अकादमी के प्रबंधन का अधिग्रहण करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

महोदय, वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री राम नाईक ने मेरे कार्य को आसान बना दिया है क्योंकि उन्होंने सरकार द्वारा ललित कला अकादमी के अधिग्रहण के औचित्य की पृष्ठभूमि का वर्णन कर दिया है। इस अकादमी और अन्य अकादमियों की स्थापना कलाकारों को सहायता देने और प्रोत्साहित करने के महान उद्देश्य से की गई थी। हमने इन अकादमियों को स्वायत्तता दी थी ताकि वे स्वयं इसकी व्यवस्था करें तथा स्तर को बनाये रखें और सरकार को इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे स्वतंत्र होना चाहिए। इस महान उद्देश्य के साथ इस अकादमी की स्थापना की गई थी। शुरू के वर्षों में मुझे अवश्य कहना चाहिए कि पदाधिकारियों, चेयरमैन और सदस्यों ने कलाकारों की सर्वोत्तम सेवा की। उन्होंने उच्च स्तर को बनाये रखा लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई और इसलिए वर्ष 1988 में हक्सर समिति का गठन किया गया जिसने वर्ष 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों को, जहां तक ललित कला अकादमी का संबंध था अकादमी की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस पर अमल करने से इंकार कर दिया। इस दौरान वहां कुशासन पक्षपात, भाई-भतीजावाद का बोलबाला रहा। उन्होंने अपने संबंधियों को मदद पहुंचाई और मैं इस बात का अवश्य उल्लेख करूंगा कि समिति के चेयरमैन द्वारा स्वयं को पुरस्कार प्रदान करने का विरल उदाहरण भी देखा गया। वो अपने सगे संबंधियों को भी पुरस्कार दे रहे थे। धन का गबन हो रहा था। कलाकृतियों की चोरी हो रही थी।

जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला तब मुझे माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज और श्री चतुरानन मिश्र तथा कई अन्य संसद सदस्यों का पत्र मिला कि अकादमी का तत्काल अधिग्रहण कर लिया जाए। अकादमी की यूनियन ने इसके कार्य संचालन के बारे में मुझे बताया और साथ ही यह भी बताया कि संस्था कैसे बर्बाद हो रही है।

इसलिए मैंने यह उचित समझा कि तत्काल प्रशासनिक जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसे कराने के बाद लेखा परीक्षण भी कराया और जब मैंने इसकी रिपोर्ट देखी तो मैंने इसके तत्काल अधिग्रहण का फैसला किया। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। सिद्धांततः मैं श्री राम नाईक से सहमत हूं कि हमें अध्यादेश का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छः वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो हम एक महीने और इंतजार क्यों नहीं कर

[श्री एस॰ आर॰ बोम्मई]

सकते थे ? मैंने सोचा कि वे अकादमी की महत्वपूर्ण कलाकृतियों को एक महीने में हटा देंगे। इससे समस्या खड़ी हो सकती थी। इसलिए मुझे कार्यवाही करनी पड़ी। मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसे विषय को संसद को दरकिनार करते हुए सीधे स्थायी समिति के पास नहीं भेजा जा सकता है। तेजी से कार्यवाही की गई। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। संसद सदस्यगण मुझसे पूछ रहे थे कि इस संबंध में मैंने क्या कार्यवाही की है। उन लोगों का दवाब भी सही था, इसीलिए मुझे अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा।

अत: मैं अन्य सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि मुझे इसे लंबा खींचने की कोई नियत नहीं है क्योंकि ऐसा करना कष्टकारक है। अगर संभव हो सका तो मैं अकादमी को एक साल के अंदर पुनर्गठित करना चाहता हूं। मैं प्रशासनिक कार्य को इस अवधि से ज्यादा खींचना नहीं चाहता। जितनी जल्दी हो सके, संभव हुआ तो एक साल के अंदर ही मैं चाहूंगा कि उचित कार्यवाही हो और अकादमी का पुनर्गठन हो सके और यह कार्य करना शुरू कर दे।

दूसरी बात यह है कि मैंने राज्य सभा में पहले ही आश्वासन दिया है कि एक सलाहकार बोर्ड का गठन विचाराधीन है और वे ही लोग अकादमी की सलाहकार समिति के सदस्य बनाये जाएंगे जो प्रतिभावान, एवं योग्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 24 जनवरी, 1997 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित ललित कला अकादमी (प्रबंधन का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 10) को निरनुमोदित करती है।"

"कि लोक हित में सीमित अवधि के लिए ललित कला अकादमी के प्रबंधन का अधिग्रहण करने और उससे संबंधित तथा अनुषंगित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, हमारे माननीय मुख्य सचेतक श्री राम नाईक ने यह बात बिल्कुल ठीक कही है। मंत्री जी भी कह रहे हैं कि व्यवस्था में आर्डिनेंस किया है।

सभापति महोदय : आज आप भाषण देते थक नहीं रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अभी तो मैं बोल सकता हूं और रातभर जगना हो तो भी। पर यह अन्याय है। आपने बजट का समय 7 से 8 कर दिया और उसमें 2-3 आदमी रहेंगे। अब जेना साहब जो चाहें, जिस प्रकार से सदन को चलाना चाहें, मुझे कुछ नहीं कहना है और अफसोस की बात नहीं है।

सभापति महोदय : लेकिन आप ललित कला अकादमी पर कहिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हां, ललित कला की ही बात कर रहा हूं। यह अध्यादेश निकल गया...*(व्यवधान)* ललित कला की स्थापना 1954 में हुई...

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : इसके बारे में श्री राम नाईक ने डिटेल्स में कह दिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लेकिन इसमें जो गड़बड़ की है, वह तो सुन लें।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : नहीं, नहीं। डेट का सब डिटेल दे दिया है।

सभापति महोदय : कोई बात नहीं, आज जोशी जी को टाइम दीजिए।

डॉ॰ गिरिजा व्यास (उदयपुर) : सभापति जी, मेरा एक सुझाव है कि इस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। यह महत्व का विषय है। हम लोग यह व्यवस्था करें कि कोई भी दिन तय करके एक घंटे की चर्चा ललित कला अकादमी पर जरूर करें। यदि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करें तो ठीक है।

सभापति महोदय : बाद में समय मिलेगा या नहीं, अभी तो बिल आया है बोल लीजिए। अभी समय का सदुपयोग करें।

डॉ॰ गिरिजा व्यास : इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं कि अभी खत्म करें।

सभापति महोदय : आप एक घंटा चाह रहे हैं तो एक घंटा चर्चा चलेगी।

(व्यवधान)

डॉ॰ गिरिजा व्यास : फिर बाद में कर लेंगे।

सभापति महोदय : बीत गई सो बात गई। अभी समय है। बात कर लीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो सलाहकार समिति बनी है, उसने ललित कला अकादमी, नई दिल्ली में हक्सर कमेटी के सुझावों को नहीं माना। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री जी जो यहां विराजमान हैं, जिन प्रतिष्ठित कलाकारों की शंखू चौधरी और कृष्ण खन्ना और एस॰ भूषण को अकादमी सौंपने की बात करती है, उनके द्वारा वर्कशॉप स्टूडियों पिछले बीस वर्षों में अवैध कब्जा खाली कराने के लिए हक्सर कमेटी द्वारा जो सुझाव दिये गए, उस संबंध में चर्चा करनी चाहिए और राज्य सभा में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अकादमी प्रशासन का अधिग्रहण इसलिए किया गया है क्योंकि जांच करने पर 3000 से अधिक पुस्तकों में प्रिंटिंग कम पाई गई थी। यह मेरा पहला आरोप है।

सभापति महोदय : यह तो मंत्री जी ने खुद मान लिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान लिया है तो एक वर्ष में इसके

चुनाव करा दें। इसका गठन कर दें। इतनी बात यदि मान लेते तो झगड़ा नहीं होता।

सभापति महोदय : ठीक है। आपका सुझाव आ गया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप सभापति के आसान पर विराजमान हैं। आप मेरी मदद करिये। अकादमी के प्रशासन पर स्वायत्तता के दुरुपयोग का आरोप गलत लगाया गया है। और संक्षेप में मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री महोदय ने राज्य सभा में ध्यान दिलाया था कि नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधलियों के प्रमाण मिले हैं। जनसत्ता में 11.3.1997 को रिपोर्ट आई है और भी रिपोर्टें आई हैं। सांस्कृतिक विभाग के प्रशासन के पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की है, वह भी गलत है क्योंकि उसको कला क्षेत्र से संबंधित कोई भी अनुभव नहीं है जिसको आपने एडमिनेस्ट्रेटर मुकर्रर किया है। वह अभी ए॰ जी॰ आर॰ विभाग से पदमुक्त हुआ है और जबकि ललित कला अकादमी प्रशासन पर पदमुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पर लगाने का आरोप लगाया गया था, वही काम अब सांस्कृतिक विभाग कर रहा है। इन तीन कारणों से वह एडमिनिस्ट्रेटर बनने के काबिल नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर को हटाएंगे या नहीं, एक वर्ष में चुनाव कराएंगे या नहीं, यह भी मेरा आरोप है।

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अकादमी के सदस्यों द्वारा खोजे गए भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध धन के दुरुपयोग के तथ्य सांस्कृतिक विभाग द्वारा स्थापित विजिलेन्स कमेटी ने दबा दिये हैं जबकि उन भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों की सूची तथा प्रमाण विजिलेन्स अधिकारी के मांगने पर ललित कला अकादमी के प्रशासन ने लिखित रूप में दिये थे। पता नहीं, सांस्कृतिक विभाग किस प्रकार की पारदर्शिता का ढिंढोरा पीट रहा है अथवा लालफीताशाही के कृत्यों पर पर्दा डाल रहा है। इसलिए विजिलेन्स कमेटी की रिपोर्ट आपको सदन में रखनी चाहिए यह मेरा आपसे तीसरा निवेदन है।

चौथा निवेदन यह है कि अकादमी प्रतिवर्ष 93 संस्थाओं को अनुदान देती है। इस बार भी अकादमी ने उन संस्थाओं को अनुदान दिया था जिसका भुगतान उन संस्थाओं को न कर उससे फोटो मशीन और चार और चीजें खरीदी जा रही हैं जो कला पर खर्च किये जाने वाले पैसे का प्रशासन द्वारा सीधा दुरुपयोग है। जबकि ललित कला अकादमी में पहले से ही कई कंप्यूटर बिना प्रयोग के खाली पड़े हुए हैं। आप इसके मालिक हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ललित कला अकादमी में जिस भ्रष्ट फोटो ऑफिसर परमजीत सिंह को जाली फर्म से सामान खरीदने के जुर्म में पदमुक्त किया गया था, श्री डी॰ सेनगुप्ता उप सचिव प्रशासन, सांस्कृतिक विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इसके प्रशासक व संयुक्त सचिव अशोक वाजपेयी वापस लेकर उसको तुरंत अपने पद पर नियुक्ति दे रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की साधारण सभा तुरंत बुलाकर नये अध्यक्ष पैनल का चयन कराया जाए। अथवा जस्टिस खोसला समिति अथवा पी॰ एन॰ हक्सर के सुझावों के आधार पर मान्यता प्राप्त सभा द्वारा अतिशीघ्र निर्वाचन कराकर अकादमी में प्रजातांत्रित पद्धति की सुरक्षा की जाए जिससे कि भ्रष्ट कलाकारों को अकादमी में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का मौका न मिले। यह रिपोर्ट तीन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपी है और ये समाचार पत्र हैं नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा और टाइम्स ऑफ इंडिया।

इसलिए मेरा निवेदन है कि ललित कला अकादमी एक बहुत अच्छी संस्था है जिसका एक बहुत बड़ा नाम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इसकी बहुत चर्चा होती है। इसलिए कृपा करके यह अकादमी जो डूब रही है इसको चलाने के लिए आप एक वर्ष में कुछ करें। आप स्वयं मानते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक अयोग्यता है, तो ऐसे अयोग्य प्रशासन को आप वहां से हटाइये। उसके सारे चुनाव ठीक प्रकार से हों और अकादमी ठीक प्रकार से काम करे और जिन कर्मचारियों ने इसकी सेवा की है, आज वे दर-दर मारे-मारे फिर रहे हैं। यदि श्री जेना जी की सुबह कृपा हो जाती तो फिर मैं निश्चित रूप से इसकी जन्मपत्री खोलकर आपके सामने रखता, तो सभापति जी आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं लेकिन चूंकि अभी जल्दी है सात बजे यह होगा, आठ बजे यह होगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन जो बात मंत्री जी मैंने कही है कि आप ललित कला आकदमी को एक वर्ष में पुनर्जीवित करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जार्ज फर्नांडीज : सभापति महोदय, श्री राम नाईक ने आर्डिनेंस के बारे में जो बात कही है मैं उससे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यहां पर मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अध्यादेश के जरिये ललित कला अकादमी का मामला किसी एक निर्णायक स्थान पर लाकर पहुंचा दिया। 1995 के शुरू से हम इस संघर्ष में लगे हैं, संघर्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे एक मित्र श्री माधवराव सिंधिया, जो मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने इस सदन के बाहर कहा कि मैं इस विभाग का मंत्री हूं और यह मेरे विभाग की एक छोटी सी संस्था है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका। तो मैंने उनसे पूछा कि यहां पर इतनी चोरी और लूट हो रही है और ऐसे बहुत ही निकम्मे और नालायक लोग यहां पर बैठे हैं, सरकार के खजाने से इस संसद की सैंक्शन से गया हुए पैसे का गैर इस्तेमाल नहीं बल्कि सीधी लूट हो रही है और आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती तथा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और सारे सबूत दिये, कई सबूत बाहर सड़कों से भी लिये थे और कुछ ठोस सबूत भी थे, लेकिन ऐसे सबूत आपके मंत्रालय के पास ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से या ऐसी कोई भी रिपोर्ट तथा जानकारी जहां-जहां से भी वहां आयी थी, उस जानकारी के माध्यम से रिपोर्ट बनी थी। तो मैं आज मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और आपका अभिनंदन तथा धन्यवाद भी करता हूं कि यह सब ठीक है कि आपने ललित कला अकादमी को दुरुस्त करने की बात की है, लेकिन जिन लोगों ने यह चोरी की और इतनी लूट की ऐसे लोग आज भी आपके मंत्रालय में हैं, तो क्या ये वहां पर बैठे रहेंगे।

जिन्होंने अपना निकम्मापन साबित किया या जिन्होंने यह साबित किया कि हम भी उनके साथ मिले हुए हैं क्या आप उनकी खोज नहीं करेंगे

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

और अगर नहीं करेंगे और इसका जवाब नहीं दे पायेंगे तो फिर साल या दो साल बाद ऐसी स्थिति वहां पर दोबारा नहीं पैदा होगी, क्या ऐसा झुंड इस संस्था को अपने हाथ में नहीं लेगा। इसका क्या फायदा है। सभापति महोदय, क्योंकि यह बड़ी अजीब बात है कि वहां पर संसद की बात नहीं चलेगी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात नहीं चलेगी और एक और शब्द मैं कहना चाहूं तो शायद राष्ट्रपति की भी बात नहीं चलेगी। एक झुंड इस संस्था को चलायेगा और यहां तक लाकर पहुंचा देगा। मंत्री जी मैं आपसे अगस्त 1995 की बात कह रहा हूं। श्री माधवराव सिंधिया पत्र का उत्तर देते हैं और उसमें कहते हैं :

"मैं संस्कृति विभाग की विस्तृत टिप्पणी आपके अवलोकनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर रहा हूं"

मेरा द्वारा आवश्यक कार्यवाही...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उनके कमैंट्स क्या हैं — उनके कमैंट्स हैं कि मेरा आरोप है कि जब इतने बड़े-बड़े लोगों ने एक जमाने में इस संस्था के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, जैसे मुल्क राज आनन्द हैं, डी॰ पी॰ रायचौधरी हैं, मेंहदी नवाज जंग हैं, ऐसे लोग वहां बैठे थे जो पैसे की लूटपाट तो करते ही थे, किन-किन चीजों में लूटपाट की जाती थी — सैकेंड क्लास से जाना और ए॰ सी॰ क्लास का किराया वसूल करना — एक दो नहीं दर्जनों बार। इस तरह वहां जो लोगों का एक झुंड बैठा था, उसने सारा कब्जा अपने हाथ में ले रखा था। उस संस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा आदमी यहां नोयडा में रहता है लेकिन मीटिंग्स में आने-जाने के लिए वह हमेशा गोरखपुर से दिल्ली तक का किराया वसूल करता रहा, जबकि वह नोयडा में रहता है, उसका घर, दफ्तर और सब कुछ यहां नोएडा में है बेइमानी का यह भी एक तरीका है।

जब मैंने सरकार को लिखकर दिया कि देखिए किस तरह परिवार-वाद यहां चल रहा है तो उसके उत्तर में मंत्री जी मुझे लिखकर देते हैं :

[अनुवाद]

मार्च 1995 में प्रथम बार आयोजित राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शन में जूरी के सदस्यों तथा अधिकारियों के रिश्तेदारों को पुरस्कार दिए गए।

[हिन्दी]

ये सरकार के कमैंट्स, आपके मंत्रालय के कमैंटस मैं बता रहा हूं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में पांच पुरस्कार पाने वालों में से तीन जूरी के सदस्यों के तथा अकादमी के अधिकारियों के रिश्तेदार परिवार के सदस्य थे। ब्यौरा निम्नलिखित है :

श्रीमती चित्रानंद शर्मा — जूरी श्री ओ॰ पी॰ शर्मा की पत्नी

श्री अनिल कुमार शर्मा — उप सभापति श्री आनंद राव के राव

श्री भूपेश चन्द्र लिटिल — जूरी के सदस्य के श्री पी॰ सी॰ लिटिल पुत्र

[हिन्दी]

इनमें आनंद देव, जो सारी गफलत का मुखिया था — अनिल कुमार शर्मा, उसका लड़का है। यानी आपस में ही सब कुछ चलता रहा। यह मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण फोटोग्राफी एक्जीबीशन का दिया। इसके अलावा बहुत कुछ चला, जिसको सुनाकर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता क्योंकि इस सदन के पास समय नहीं है। लेकिन जब इतने सारे झंझट वहां चलते रहे, आपके पास यह जानकारी रही, आपके मंत्रालय का नोट है, इस सबके बावजूद आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? यदि आप कुछ नहीं कर पाए, आनन्द देव को अपनी जगह दिखाने का राष्ट्रपति जी को भी अधिकार नहीं था, लेकिन आप पुलिस में तो जा सकते थे क्योंकि आपके हाथ में सारे सबूत थे कि वहां पैसे की अफरा-तफरी हो रही है, लूट हो रही है, फर्जी वाउचर दिये जा रहे हैं और अलग-अलग तरीकों से पैसा लूटा जा रहा है। यह सब ऑडिट की रिपोर्ट में कहा गया है, अगर हमारी तरफ से कुछ होता तो मैं आपको पढ़कर सुनाता।

आपने तो यहां एक-दो बातें 4000 किताबों आदि के बारे में बताईं, लेकिन यह तो लाखों का मामला है, सिर्फ एक किताब का मामला नहीं है। पानी का टैंकर मंगवाने में भी पैसे की अफरा-तफरी हुई। पता नहीं टैंकर में पानी आता था या नहीं आता था लेकिन पैसा चला जाता था। ऑडिट रिपोर्ट में इस सबका जिक्र है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं।

अगर हम कहने जाएं तो एक-एक क्षेत्र में बहुत सी बातें हुईं, जब उन सबकी रिपोर्ट आपके पास, आपके मंत्रालय के पास थी, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आपके विभाग के अधिकारियों के दिमाग में पुलिस में शिकायत करने की बात क्यों नहीं आई। उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की ? उनको क्या मिलता था ? किसने उन्हें दबाकर रखा था ? उनकी क्या जिम्मेदारियां थीं ? वे अधिकारी किसलिए थे ? उनकी नौकरी की शर्तें क्या थीं ? विभाग के ऊपर निगरानी रखना किसका काम है ?

इसलिए सभापति जी, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस मामले को गंभीरतापूर्वक लें। आज इस विषय को जब उन्होंने हाथ में लिया है, वे इस एकाडेमी में कुछ दुरुस्ती करने जा रहे हैं, उसमें जाने से पहले, इसमें जहां-जहां भूलें रही हैं, ऐसी हर जगह को खोजें और उसकी दुरुस्ती करने के लिए कदम बढ़ाएं। इतना मैं जरूर चाहूंगा कि इस मामले पर पूरी बहस के लिए हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आपने इस बिल में तीन साल के लिए जो प्रावधान किया है, उसके आगे जाकर दो साल का प्रावधान किया है, इसे सालों तक आप मत ले जाइए बल्कि अगले साल भर के भीतर इस काम को पूरा करा दीजिए। सही लोगों के हाथ में यह संस्था जाए, इसके लिए जो भी कदम उठाने जरूरी हैं, उन कदमों को उठाया जाना चाहिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। एक बार आपको फिर धन्यवाद देते हुए, इस आशा के साथ कि इसमें फंसे जो तमाम लोग हैं, यदि उन्हें अदालतों के सामने लाने की जरूरत हो तो अदालतों के सामने आप लाइए, यदि सदन के सामने सारे इतिहास को

लाने की जरूरत हो तो सदन के सामने लाने की कृपा कीजिए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, मैं इस कानून का स्वागत करता हूं क्योंकि ललित कला अकादमी की समस्याओं तथा वहां की अनियमितताओं के संबंध में लिखने वालों में श्री जार्ज फर्नांडीज के साथ मैं भी हूं। मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के उत्तम आदर्श के साथ 40 वर्षों पहले स्थापित की गई ललित कला अकादमी में काफी अनियमितताएं हो रही हैं।

दुर्भाग्यवश, कई वर्षों से इस संस्था को ठीक ढंग से नहीं चलाया गया है और इसके कार्यकलाप की भर्त्सना न सिर्फ संसद के अंदर तथा बाहर—हर तरफ से की गयी है। इस संबंध में काफी लेख भी लिखे गये। देश के कतिपय प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रस्ताव दिए और संगठन की आलोना की। उन्होंने ललित कला अकादमी में कदाचार के मामले और फर्जी गतिविधियों के मामले उठाये थे।

यह एक शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है जिसकी स्थापना दृश्य कलाओं, पेंटिंग, ग्राफिक्स, वास्तुकला इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना संसद द्वारा एक संकल्प पारित करके की गई थी। अतः यह जरूरी है कि संसद तथा भारत सरकार संस्था के कार्यकलाप के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करे। यह बड़े दु:ख की बात है कि वास्तविक कलाकारों की उपेक्षा की गई और उन्हें ललित कला अकादमी की गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया।

अपराह्न 06.47 बजे

(श्री पी. एम. सईद *पीठासीन हुए)*

हम न सिर्फ ललित कला अकादमी को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में हैं बल्कि उच्च आदर्शों के साथ स्थापित की गई अन्य संस्थाओं को भी स्वायत्तता देना चाहते हैं। इन संस्थाओं का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किए जाने के बावजूद भी हम इन्हें पूर्ण स्वायत्तता दिये जाने के पक्ष में हैं। यदि ये संस्थाएं ठीक ढंग से कार्य नहीं करतीं तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करे और सुधार करे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार का हस्तक्षेप जारी रहे। यह केवल सीमित अवधि के लिए तथा सीमित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पहलू को ध्यान में रखेंगे। मैं यह भी कहूंगा कि पूरे प्रशासन को नौकरशाही को सौंप देने से भी लाभ नहीं होगा। पूर्व में हमें काफी अनुभव हो चुका है। निश्चय ही कदाचार व वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार द्वारा ललित कला अकादमी का अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन यह अल्प अवधि के लिए होना चाहिए और इसमें वास्तविक कलाकारों को फिर से लिया जाना चाहिए जो हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा आधुनिक कला को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसके अधिग्रहण की अवधि को विशेषरूप से उल्लिखित करना चाहिए और सभी बातों को ठीक करना चाहिए।

निश्चय ही, श्री पी॰ एन॰ हक्सर ने सामान्य परिषद्, कार्यकारी परिषद्, मतदाता सूची इत्यादि की पुन:संरचना के संबंध में अपनी रिपोर्ट में 33 सुझाव दिए हैं। सरकार ने श्री पी॰ एन॰ हक्सर द्वारा अग्रसारित 31 सुझावों में से 23 सुझावों को स्वीकार कर लिया है। मैं उन 31 सुझावों का उल्लेख करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ सुझाव ऐसे हैं जो संगठन को जीवंत तथा प्रभावी बनाने के लिए काफी महत्पूर्ण हैं। सरकार को मुझ से सहमत होना चाहिए। सरकार को विशेषरूप से विदेशों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों पर ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के बारे में काफी शिकायतें हैं। वास्तविक कलाकारों को उसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई और उनके मूर्तिकला तथा पेंटिंग को प्रदर्शित नहीं किया गया। पूर्व का अनुभव ऐसा ही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सर्वोत्तम स्तर बनाये रखा जाना चाहिए।

अतः इस पहलू पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा विदेशों में हमारी सांस्कृतिक विरासत की आलोचना होगी और देश की वास्तविक कला तथा संस्कृति प्रतिबिंबित नहीं हो पायेगी।

महोदय, जहां तक वर्तमान कलाकारों से उनके कला के नमूनों को खरीदने का कार्यक्रम है, इसकी काफी आलोचना हुई है और इस कार्यक्रम के बारे में भारी विवाद है। तरफदारी किये जाने के काफी आरोप लगे और सही वस्तुओं की खरीद नहीं की गई। मुझे पता नहीं कि मंत्री महोदय ने इस संबंध में श्री पी॰ एन॰ हक्सर के सुझाव को स्वीकार किया अथवा नहीं। सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए और श्री पी॰ एन॰ हक्सर द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और इस संबंध में सभी मामलों को सही करना चाहिए।

महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह संगठन 40 वर्षों से कार्य कर रहा है और कलाकारों की संख्या में वृद्धि हुई है। अतः जब सरकार इस संगठन का अधिग्रहण करेगी तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ललित कला अकादमी की गतिविधियों का विस्तार हो। कलाकारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा करना बहुत आवश्यक है।

महोदय, ललित कला अकादमी, मैक्समूलर भवन, जापानी फाउन्डेशन, ब्रिटिश काउंसिल इत्यादि के साथ सहयोग कर रही है ऐसी जानी मानी संस्थाओं के साथ काम करने से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद इस संगठन के स्वायत्त चरित्र को बनाये रखा जाना चाहिए। सरकार को इस संस्था से भ्रष्टाचार हटाने हेतु इनकी खामियों को जानना चाहिए और पूरी संस्था के कार्यकलापों में पारदर्शिता लायी जानी चाहिए। तभी हम कलाकारों में विश्वास पैदा कर सकते हैं और इस संस्था को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं।

श्री उधब बर्मन (बारपेटा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधान का स्वागत करता हूं क्योंकि ललित कला अकादमी का पूरा कार्यकलाप अनियमित

[श्री उधव बर्मन]

हो गया था। यह विधेयक एक अच्छी पहल है क्योंकि कभी-कभी मरीज को बचाने के लिए आपरेशन भी करना पड़ता है। ललित कला अकादमी का उद्देश्य हमारी सांस्कृति धरोहर को बढ़ावा देना, कलाकारों को प्रोत्साहित करना और अनेक जुड़ी हुई गतिविधियों यथा चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि को बढ़ावा देना है। हालांकि इस संगठन की स्थापना ऊंचे आदर्शों को लेकर की गई थी, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस संगठन में गुटों के बन जाने के कारण वे उद्देश्य उपेक्षित हो गए हैं और इसी के कारण यह संस्था हमारी संस्कृति, तथा देश के नौजवान कलाकारों को प्रोत्साहित करने जैसे उन आदर्शों को पूरा कर पाने में असक्षम रही है।

महोदय, मेरे सहयोगियों ने अकादमी के कुप्रबंधन के बारे में पहले ही विस्तार से बताया है। हालांकि इसका केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषण होता है लेकिन पैसे का दुरुपयोग होता है और इस संगठन में काफी भाई भतीजावाद हैं इसी कारण नौजवान कलाकार अलग-अलग पड़ रहे हैं। अत: अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के बजाए यह संगठन नये कलाकारों को हतोत्साहित कर रहा हैं इस विधान के अनुसार, मैं समझता हूं कि सरकार इस संगठन को और स्वस्थ, जीवंत तथा प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे संगठनों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। स्वायत्तता में कटौती नहीं की जानी चाहिए। दृश्य कला के क्षेत्र प्रसिद्ध व्यक्तियों की सेवा लेकर कला से जुड़ी गतिविधियों को विकसित किया जाना चाहिए। इससे युवा कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। काफी भ्रष्टाचार भी हैं लेकिन इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ताकि आने वाले सालों में इसे रोका जा सके। युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनमें विश्वास जगाने वाली गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके विश्वास को जगाना चाहिए जिससे अकादमी में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो। साथ ही साथ विद्यमान लोगों एवं कला क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध लोगों की सेवाओं का लाभ लिया जाना भी आवश्यक है। मैं समझता हूं कि देश तथा विदेशों में और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि युवा कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे विचार से इस संस्था की स्वायत्तता बनाये रखी जानी चाहिए। इसे सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने में अधिक समय नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके लिए जहां तक संभव हो, कम समय लगाया जाना चाहिए। इसके कार्यकलापों के संबंध में स्वायत्तता को बनाये रखा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कदम, उठाएगी। एक गुट है जो अपने प्राधिकारों का दुरुपयोग कर, भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि यह बिल पहले राज्य सभा में इंट्रोड्यूस हो गया और आपने बिल में जो तीन साल की कंडीशन लगाई थी, श्री के॰ आर॰ मल्कानी के आग्रह के कारण उसे एक साल के लिए स्वीकार करना पड़ा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप चुने हुए नुमाइंदों को हटा रहे हैं। इस संस्था में बड़ी मुश्किल से चुनाव हुआ है और वह भी ऐसा-वैसा नहीं हुआ, सारे हिन्दुस्तान के पांच सौ कलाकारों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों में भाग लिया, वोटिंग राइट देकर चुनाव करवाया। चुनाव के बाद उस चुनी हुई कमटी ने चेयरमैन के लिए तीन नाम प्रस्तावित किए। दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रपति जी के यहां तीनों नाम गए हुए हैं लेकिन उन नामों को आज तक स्वीकृति नहीं मिली है। वे नाम दो साल से पड़े हुए हैं। श्री आर॰ एन॰ मिर्धा का नाम आया तो वह एक बार में ही पास हो गया। यह पार्टी का व्यक्ति नहीं है, कलाकार है, इस नाते पार्टी के व्यक्ति को मौका न मिलकर कलाकार को मौका मिल गया। आपको राष्ट्रपति जी तक पहुंचकर यह काम करना चाहिए था कि उन कलाकारों की देखरेख के लिए एक चेयरमैन की नियुक्ति करते लेकिन वह भी इस ललित कला एकेडैमी में नहीं हुआ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, श्री जार्ज फर्नांडीज ने जो चार्ज लगाए हैं, वे सब अपराध किसने किए हैं? चुने हुए नुमाइंदों ने ? नहीं, चुने हुए नुमाइंदों को यह अधिकार नहीं था। वे तो प्रशासन पद कब्जा रहे थे। क्योंकि कलाकार बैठ गया इसलिए उनको कैसे फेल किया जाए, कैसे वे अनसक्सैसफुल हों, इस नाते उन्होंने षड्यंत्र करके आज इस प्रकार का बिल आपके माध्यम से प्रस्तुत किया है।

अपराह्न 7.00 बजे

हक्सर कमेटी की रिपोर्ट है, हक्सर कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो जब एच॰ आर॰ डी॰ समिति बनी हुई है तो उसके सामने यह हक्सर कमेटी की रिपोर्ट जानी चाहिए। थी। जब हक्सर कमेटी की चर्चा उस कमेटी ने की तो उसको भी ठीक प्रकार से ब्रीफ नहीं किया गया, उसको बरगलाया गया और उसके कारण आज हमको इस स्थिति में आना पड़ा कि चुने हुए लोगों की समिति को हम आज डिजोल्व कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके ऐसा मत कीजिए, जो आपने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि चोरों को दण्ड क्यों नहीं मिल रहा है ? चोरों को दण्ड दिया जाना चाहिए था, चोरों को दण्ड तो मिल नहीं रहा। जिन दो व्यक्तियों को आपने इस लॉ के तहत चेयरमैन नियुक्त किया है, इसमें यह तय है कि चेयरमैन वही व्यक्ति होगा जो कम से कम ललित कला अकादमी की थोड़ी तो जानकारी रखे, लेकिन जिसका कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा एकाउण्ट्स का आदमी उठाकर आपने चेयरमैन बना दिया, उसका ललित कला अकादमी से क्या वास्ता है। एक साल तक उसकी सारी गतिविधियां ठप्प होकर रह जायेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके कोई अच्छा चेयरमैन इस कमेटी के लिए चुनें। उस चेयरमैन ने जिन दो व्यक्तियों को सैक्रेटरी और डिप्टी सैक्रेटरी को

नियुक्त किया है, जिन पर चार्ज है, जिनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था, जार्ज फर्नांडीज जी ने जिन पर चार्ज लगाया है, ऐसे व्यक्तियों को वहां का सैक्रेटरी और डिप्टी सैक्रेटरी बना दिया है। अब कृपा करके उनको अपने घर भिजवाइये, जिन चोरों ने ललित कला अकादमी का सत्यानाश किया है, उनकी छुट्टी करिये और चुने हुए नुमाइंदों को तीन महीने के अंदर-अंदर आप वापस सत्ता संभलाइये। यही मेरा आपसे निवेदन है। वरना एक बहुत बढ़िया संस्था मृतप्राय हो जायेगी। जो राम निवास मिर्धा के नेतृत्व में जिस प्रकार की अच्छी संस्था थी, आज उसका सत्यानाश हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं उन मुद्दों में से किसी को भी नहीं दोहराऊंगा जिनका उल्लेख पहले कर दिया गया है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि कोंकण कला अकादमी के अध्यक्ष और अखिल भारतीय मराठी मंच फेडरेशन के उपाध्यक्ष के नाते मैं कलाकारों की उन कठिनाइयों को जानता हूं जिनका उन्हें किसी प्रकार की सहायता लेने, मान्यता प्राप्त करने, तथा यह पता करने के संबंध में परेशानी उठानी पड़ती है कि ललित कला अकादमी के अलावा कोई अन्य संगठन भी है या नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव प्राप्त हुआ है। मेरा आग्रह है कि इस एक वर्ष की अवधि में जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं, आप वास्तविक कलाकारों और ऐसे लोगों के बीच में अंतर सुनिश्चित करें जो कलाकार होने का दावा करते हैं तथा कलाकारों के नाम पर नेता बनने की कोशिश करते हैं। कृपया आप यह एक कार्य करने की कोशिश अवश्य कीजिए।

दूसरा मुद्दा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम उभरते हुए कलाकारों को कैसे आगे लाएं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं प्रथम संकल्प पढ़ रहा था, जो कि संसद में प्रस्तुत किया गया और यही वास्तविक उद्देश्य था जिसके लिए इस संगठन को स्थापित किया गया था।

तीसरा मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री ने पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि वह अधिनियम के उपबंधों का उपयोग इसे पांच वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहते। यदि यही मामला है तो आप इसे त्याग क्यों नहीं देते ? आप यह क्यों नहीं कहते कि एक वर्ष की अवधि के लिए ही यह लागू होगा। मेरा हार्दिक अनुरोध है कि कृपया आप ललित कला अकादमी के गलियारों से बाहर निकलकर जाइये और कलाकारों को अकादमी के निकट लाइये।

श्री एस. आर. बोम्मई : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं; वास्तव में सभी सदस्यों ने सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया है। वाद-विवाद से जो मुख्य मुद्दे उद्‌घाटित हुए हैं उनमें से प्रथम यह है कि किए गए अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज तथा अन्य सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है। मैं आपको यह आश्वासन देने के लिए तैयार हूं कि इस रिपोर्ट के आधार पर उन सभी के विरुद्ध जो किसी न किसी रूप में दोषी पाए जाते हैं, यथाशीघ्र उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : उनको तो आपने पद दे दिए हैं, जिन चोरों के लिए जार्ज साहब ने बात की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार से व्यवधान मत डालिये।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप अपने सदस्यों को नियंत्रित कीजिए। आप जब चाहे खड़े होकर इस प्रकार से कुछ भी नहीं बोल सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते और कृपया आप ऐसा मत कीजिए।

श्री एस. आर. बोम्मई : एक अन्य सुझाव यह दिया गया है कि हक्सर समिति की सिफारिशों और माननीय सदस्यों के सुझावों को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए तथा इसके साथ-साथ अकादमी के स्वरूप और चयन प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए।

मैं उनको आश्वासन देता हूं कि इसका स्वरूप लोकतांत्रिक होगा इसकी अध्यक्षता और प्रबंधन केवल कलाकारों के द्वारा ही होना चाहिए। यद्यपि यह एक शत प्रतिशत सरकारी वित्त पोषित संस्थान है तथापि इसे स्थापित करने का प्रशंसनीय उद्देश्य है उभरते हुए तथा वर्तमान कलाकारों को प्रोत्साहित करना। इस बात को ध्यान में रखते हुए अकादमी की संरचना में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।

एक अन्य प्रश्न उठया गया इस कार्य में कितना समय लगेगा ? मैं आपको पुन: आश्वस्त करता हूं कि यदि संभव हुआ तो मैं एक वर्ष के भतीर ये सभी कार्य पूरे कर दूंगा, परंतु एक वर्ष से अधिक समय नहीं लूंगा। परंतु मैं आप आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर सकता। तथापि, मैं वे आंकड़ें यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा...*(व्यवधान)*

भारत के सेवा निवृत्त उप लेखानियन्ता तथा महालेखा परीक्षक इसके प्रशासक हैं। मैं एक सेवा निवृत्त अधिकारी को नियुक्त कर रहा हूं। ..*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप ही प्रशासक का कार्य क्यों नहीं संभाल लेते ?

श्री एस. आर. बोम्मई : तब तो सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाएगा. ..*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : क्यों ?...*(व्यवधान)*

श्री एस. आर. बोम्मई : मेरे पास समय नहीं है। मुझे कलापूर्ण व्यवहार नहीं आता...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आपको जनता दल का नेतृत्व करने का व्यापक अनुभव है। क्या आप इसे नहीं संभाल सकते ?...*(व्यवधान)* यदि आप जनता दल के कार्य पांच वर्ष तक संभाल सकते हैं, तो आप ललित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

[श्री नीतीश कुमार]

कला अकादमी के कार्य आसानी से संभाल सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को चर्चा में उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए तथा चर्चा को यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : यदि मेरा मित्र तैयार है, तो मैं उसके नाम पर विचार करूंगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैने पहले कहा, सरकार एक सलाहकार समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है जिसमें कलाकार भी होंगे।

इन आश्वासनों के साथ मैं सभी सदस्यों से अपने-अपने संशोधन वापिस लेनें और सर्वसम्मति से विधेयक पारित करने के साथ-साथ इस संस्थान को आधुनिक बनाने में सहायता करने का आग्रह करता हूं।

मै। श्री राम नाईक से अपना सांविधिक संकल्प वापिस लेने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैं कोई लंबा भाषण करने वाला नहीं हूं। मंत्री जी ने काफी बातों का आश्वासन दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप करेंगे, रीकंस्ट्रक्शन में एक साल से ज्यादा समय नहीं होने देंगे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बारे में यदि वे हां कह दें तो मैं विदड्रा करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा था कि हक्सर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे और इसके बाद दोनों के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट सब्मिट करेंगे, यदि मंत्री जी वह करते हैं तो मैं इसको वापिस लेता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु : कृपया सलाहकार समिति के बारे में भी कुछ बताइये।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : उसके बारे में मैंने आपको पहले ही आश्वासन दे दिया है। जहां तक हक्सर समिति का संबंध है, वह संसद के सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई है। वह प्रकाशित कर दी गई है। जब वह माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती है तो वह कोई गुप्त दस्तावेज नहीं रह जाता। इसे पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मेरा विचार है कि आप इसे गुप्त रिपोर्ट के रूप में नहीं रखेंगे।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : यह गुप्त रिपोर्ट नहीं है।

श्री राम नाईक : यह एक गुप्त रिपोर्ट है। मैं यही कह रहा हूं।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : पहले यह गुप्त रिपोर्ट थी। चूंकि यह प्रत्येक सदस्य को वितरित कर दी गई है, अतः अब यह रिपोर्ट गुप्त नहीं है।

श्री राम नाईक : प्रशासकीय रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : उसे वितरित कर दिया गया है। यदि आपको चाहिए, तो मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। प्रत्येक सदस्य को वह उपलब्ध करा दी जाएगी।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, कृपया आप केवल प्रशासकीय रिपोर्ट के बारे में उत्तर दीजिए।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : प्रशासकीय रिपोर्ट के बारे में मैं विचार करूंगा कि क्या उसे प्रकाशित किया जाए या नहीं। परंतु की गई कार्यवाही की सूचना इस सदन को दे दी जाएगी।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना सांविधिक संकल्प वापिस लेने के लिए सदन की स्वीकृति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की स्वीकृति से वापिस लिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक हित में सीमित अवधि के लिए ललित कला अकादमी के प्रबंधन का अधिग्रहण करने और उसे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार प्रारंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : हमने कितनी अच्छी तरह से सहयोग दिया।

श्री एस॰ आर॰ बोम्मई : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 7.12 बजे

सामान्य बजट, 1997-98

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1997-98

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1996-97

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 22 से 25 पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री सनत मेहता अनुपस्थित

डॉ॰ गिरिजा व्यास

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ॰ गिरिजा व्यास (उदयपुर) : सभापति जी, आज बजट 1997-98 पेश हो गया है।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, बजट के साथ मजाक हो रहा है। शाम सात बजे के बाद चर्चा हो रही है और इतना महत्वपूर्ण बजट है।

सभापति महोदय : बी॰ ए॰ सी॰ में तय हुआ है और हम लोग डिसकस कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : रात के अंधेरे में बहस हो रही है।

सभापति महोदय : अंधेरे में ही काम करना पड़ता है।

डॉ॰ गिरिजा व्यास : सभापति जी, आम बजट 1997-98 सदन में पेश हो गया है। इसके साथ ही अनुमानों, कयासों और कल्पनाओं का तूफान थम गया। इस बजट में वित्त मंत्री के सामने कई समस्यायें थीं और उन्होंने बड़ी चतुराई से इन समस्याओं का यथोचित समाधान करते हुए मोर्चा सरकार के विभिन्न घटकों की भावनायें सुरक्षित रखीं। मैं इसलिए भी माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि पांच साल पूर्व की गई कांग्रेस की नीतियों को और मनमोहन सिंह जी के गणित का उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की।

माननीय सभापति जी, पिछले पांच साल में जी॰ डी॰ पी॰ ग्रोथ रेट एक परसेंट से सात परसेंट बढ़ा है। इन्फलेशन कम हुआ है। एक्सटर्नल एकाउन्ट्स, करन्ट और कैपिटल, दोनों में बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन गरीबी हटाओं के नारे को हम पूरा नहीं कर पाए। यह पहले भी था और अब भी है।

कर्मचारी वर्ग को आयकर राहत दे कर खुश कर दिया, व्यापारी वर्ग को आयात कर में छूट तथा निवेशकर्ताओं को कई सुविधाओं की घोषणाओं से संतुष्ट कर दिया। इस तरह प्रथम दृष्टया यह बजट 'सब को खुश करने वाला बजट' ही कहा जाएगा। इस बजट को पत्रों में भी कहीं कमाल का बजट कहा गया, तो कहीं घाटे की पूर्ति कैसे होगी, इस पर प्रश्नचिहन लगा दिया। जिस दिन मंत्री जी ने बजट पेश किया, उस दिन हिन्दुस्तान में एक नई गूंज करके सामने आई थी और फिर से हम लोग पांच वर्ष पूर्व स्थापित की गई नीतियों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। इस बजट की खास बातें इस प्रकार हैं—

श्री राम नाईक : लेकिन मनमोहन सिंह जी एग्री नहीं कर रहे हैं।

डॉ॰ गिरिजा व्यास : खास बातें हैं - काले धन की घोषणा की नई स्वैच्छिक योजना; सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अधिक स्वायत्तता; कैपिटल बोर्ड इन्डैक्स बांडों की शुरुआत; रुई और पटसन के अग्रिम सौदों की अनुमति; विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम विधेयक इस साल के उत्तरार्ध में पेश; तेल अन्वेषण और औद्योगिक पार्क भी आयकर कानून की धारा 80-i (क) में; नियुक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एक मार्च, 97 से भविष्य निधि में से अंशदान की दर 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत; विदेशी निवेश संस्थानों और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए नए प्रोत्साहन; नाबार्ड के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी, कपास और पटसन के लिए घरेलू वायदा बाजार फिर शुरू, लघु उद्योगों के लिए अधिक ऋण, उपक्रम पूंजी निधियों के लिए दिशा निर्देशों में ढील, पूंजी बाज़ारों के लिए सुधार के उपाय, प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए दुगना आबंटन, 1997-98 के लिए 2,32176 करोड़ रुपए की कुल खर्च का अनुमान, योजना के लिए 7858 करोड़ रुपए का रिकार्ड बजट, भारत को अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास, शुलक दरों में कटौती कर दिया गया। आयात एवं उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण उद्योगों के विकास का रास्ता खुलेगा। उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण चीजें सस्ती होंगी तथा मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकेगा, ये कयास मंत्री महोदय के बजट भाषण के बाद लगाए।

महोदय, एक बात समझ में नहीं आती है कि इतनी रियायतें देने के बाद चिदंबरम जी राजस्व घाटे को कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक सीमित कैसे रख पाएंगे ? मेरा मानना है कि वह सोचते होंगे कि शुल्क दरें घटाने से राष्ट्रीय आय बढ़ेगी एवं इस कारण बजट घाटा राष्ट्रीय

[डॉ॰ गिरिजा व्यास]

महोदय, सरकार की आर्थिक नीति का कोई भी केन्द्रीय बजट एक महत्वपूर्ण बयान होता है। हालांकि राजस्व पक्ष और व्यय पक्ष दोनों से वित्त मंत्री के हाथ दिन-ब-दिन अधिक बंधे रहने लगे हैं। इसलिए नीति स्वातंत्र्य नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में 1997-98 का बजट दो महत्वपूर्ण कसौटियों पर देखा जा सकता हैं पहला, क्या यह आर्थिक सुधारों के पूर्व निर्धारित रास्ते पर अर्थव्यवस्था को अग्रसर करता है ? दूसरे, क्या इसमें जो अंतर्निहित गणित है वह विश्वसनीय है ? यही मुख्य रूप से दो प्रश्न हैं। पहली कसौटी पर यह बजट निश्चित ही सार्थक प्रयास लगता है। हालांकि ऊपर से देखने पर अधिक सार्थक है लेकिन अगर इसकी पर्त खोले तो उतना सार्थक नजर नहीं आता। इसका सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वैयक्तिक आयकर पर सभी दरों में महत्वपूर्ण कमी। अधिकतम दर तीस प्रतिशत हो गई है। यह ऐसी अधिकतम दर है जो भारत को अन्य एशियाई देशों के समकक्ष ले जा सकेगी। कर सुधार के सिलसिले में यह लक्ष्य दीर्घकालिक था। यह रास्ता एक ही कदम में पूरा कर लेना साहसपूर्ण है लेकिन जोखिम भरा है। जोखिम इसलिए है क्योंकि यह उम्मीद है कि राजस्व घटेगा नहीं, इसलिए हम मंत्री महोदय, को बधाई देना चाहते हैं। इसी सिलसिले में प्रत्यक्ष करों का जो दूसरा पहलू है अर्थात् कारपोरेट टैक्स, इस पर से भी सरचार्ज हटा लिया गया है। और डिविडेंट पर दुहरा कर भी समाप्त कर दिया गया है। यह भी कर सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है इसी दिशा में सीमा शुल्क के सिलसिले में प्रयास किया गया है। विशेषतः अधिकतम दर या पीक रेट को चालीस प्रतिशत कर देना और अनेक वस्तुओं पर सीमा शुल्क की दरों में कमी करना भी एक सार्थक प्रयास है। लेकिन इन दोनों ही प्रयासों से जो शोर्टफाल टैक्स रेवेन्यू होगा उसका मंत्री जी के पास क्या जवाब है ? उदाहरण के तौर पर कारपोरेट टैक्स से 6.387 करोड़ का शोर्टफाल होगा। इंकम टैक्स से 7567 का और कस्टम ड्यूटी से 17,242 का, अर्थात् 21,196.75 का जो शार्टफाल है उसकी पूर्ति कहां से होगी। यह प्रश्न-चिन्ह हम सब लोगों के दिमाग में है इसलिए बजट का जो अंतर्निहित गणित है वह संदेहास्पद है। व्यय के संबंध में जो वित्तीय अनुशासन साथ-साथ होना चाहिए था वह दिखलाई नहीं पड़ता। ब्याज का भार लगभग 70 हजार करोड़ रुपए पहुंच रहा है। नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय अनुमानित है।

रक्षा बजट भी काफी बढ़ाया गया है जो बढ़ाना जरूरी भी था। इस तरह गैर योजना खर्च में काफी बढ़ोत्तरी स्पष्ट है। यह देखते हुए जो वित्तीय घाटे के संबंध में आकलन पेश किया गया है वह उम्मीद से ज्यादा भरा है। बजट में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कीमत में बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगेगा। अप्रैल-जून, 96 की तिमाही में मुद्रास्फीति की दर जो बढ़ी वह कैसे घटेगी और जो कीमतें 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी उनमें किस प्रकार से घटाव होगा, इस बात का मंत्री जी क्या जवाब देंगे?

यह प्रश्नचिन्ह भी हम लोगों के दिमाग में है।

माननीय सभापति जी, सवाल यह उठता है कि आम आदमी के लिए यह बजट है और मुझे मालूम है कि जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन टी॰ वी॰ के एक चैनल ने एक महिला से पूछा, जो चली जा रही थी, कि बजट से आपको क्या फायदा और नुकसान होगा। उसने आश्चर्य से टी॰ वी॰ कैमरे की ओर देखा था। उन्होंने फिर पूछा कि बजट समझते हो ? तब महिला ने कहा कि बजट का मतलब है महंगाई। आम आदमी के लिए बजट का मतलब महंगाई के रूप में 50 सालों से घोषित होता रहा है। इसलिए यह बजट सारे प्रयासों के बावजूद भी आम आदमी और गरीब तक पहुंच पाएगा या नहीं यह प्रश्नचिन्ह हम लोगों के दिमाग पर लगना स्वभाविक है।

जिन वस्तुओं पर उत्पाद दर कम की गई है उसका लाभ उत्पादक वर्ग तो अवश्य उठा लेगा पर उपभोक्ता वर्ग को यह लाभ मिल पाएगा, यह कहना मुश्किल है। न तो हमारे तंत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करे कि घटी हुई उत्पाद दर का लाभ आम उपभोक्ता को उपलब्ध हो सकेगा।

इंदिरा जी ने गरीबी हटाओं के नारे के साथ आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की और आम जनता ने उनको सिर-आंखों पर लिया। उनका प्रयास बाद तक कांग्रेस का प्रयास रहा। इस बजट को मंत्री महोदय ने पेश करते हुए निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान जरूर रखा कि गरीबों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए और यही बात मनमोहन सिंह जी ने हमेशा अपने बजट में कही थी। लेकिन देखने से लगता है कि गरीबी हटाओ के नारे तक ही हम रुक गये हैं और गरीबी हटाओ के मूल तंत्र तक हम नहीं पहुंच पाए हैं।

आम बजट होते हुए भी इसमें आम आदमी को कोई लाभ मिलता नजर नहीं आता। मसलन इसमें किसानों, महिलाओं, तथा बच्चों के लिए कोई उत्साहवर्द्धक प्रस्ताव नहीं है। एक बात निश्चित तौर पर उभरकर आई है और अर्थशास्त्रियों का भी कहना है कि बजट का सबसे खराब पहलू ढांचागत विकास के दायित्व से सरकार को बचाना है। महोदय, मैं इस पर बाद में आऊंगी लेकिन जो चीजें महंगी की गई हैं संयोगवश वे सब आम आदमियों के उपभोग की चीजें हैं। बाल पाइंट पेन, बीड़ी-सिगरेट, पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे, जेम, सॉस, सूप और धूप के चश्में आदि। सबसे ज्यादा वृद्धि लिफाफे के दाम में प्रस्तावित है यानी एकदम दुगुनी। एक रुपये की जगह दो रुपये। जबकि पोस्टकार्ड में दस पैसे तथा अंतर्देशीय पत्र में पच्चीस पैसे बढ़ाए गए हैं। डाक-सेवा शुल्क में पंजीकरण शुल्क आठ रुपये से बढ़ाकर दस रुपये करना प्रस्तावित है। डाक सामग्री तथा डाक-सेवा का उपभोग हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है इसलिए इनके महंगा होने से आम आदमी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आनुपातिक मूल्य वृद्धि सिद्धांत की दृष्टि से देखें तब भी लिफाफे का मूल्य एकदम दुगुना कर देना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत प्रतीत नहीं होता।

जो चीजें सस्ती की गई हैं उनका लाभ आम आदमी को मिलना संदिग्ध है क्योंकि उनके उपभोक्ता गिने-चुने हैं। मसलन आयातित घड़ियों के पुर्जों को ही लीजिए। कितने देशवासी आयातित घड़ियां बांधते हैं। कितने लोग एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं ? कितने घरों में चमकीली

टाइलें जड़ी हैं ? शहरी आबादी के मध्यमवर्गीय और संपन्न परिवारों को छोड़ दें तो कितने लोग सौन्दर्य प्रसाधनों का उपयोग करते हैं ? फिर उन चीजों के सस्ता कर देने की घोषणा मात्र से ही तो ये सस्ती नहीं हो जाएंगी और अगर हो भी जाएं तो मुट्ठी भर लोगों को राहत पहुंचा कर क्या वित्त मंत्री आम आदमी के प्रति न्याय कर रहे हैं ?

कर्मचारी वर्ग को बहुप्रतीक्षित आयकर राहत देकर खुश करने का प्रयत्न किया गया है। मैं इसे सराहनीय मानती हूं। कर्मचारी वर्ग को तो और तरीकों से भी राहत मिल जाती है - मूल्य सूचकांक बढ़ने के साथ उनके महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि से, अंतरिम सहायता से, वेतन आयोगों द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित वेतन-मानों से तथा अन्य अनेक प्रकार के भत्तों से मुट्ठीभर कर्मचारी वर्ग को दी जाने वाली राहत आम आदमी की राहत का कारण नहीं बन सकती। मंत्री महोदय को आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ नये आयाम ढूंढ़ने होंगे।

महोदय एक सामाजिक विकृति और उभरकर आएगी। नौकरी पेशा लोगों में अनुचित साधनों से धन कमाकर नौकरी पेशा लोगों से होड़ करने की भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पर कहीं न कहीं रोक लगाना बहुत जरूरी है। नौकरी पेशा लोग बढ़ी हुई आय स्रोतों से एक संकट का मुकाबला कर लेते हैं लेकिन असली गाज उन गैर नौकरी पेशा लोगों पर गिरती हैं जिन पर इन वस्तुओं और सेवाओं की दरकार समान रूप से ही हुआ करती है।

महोदय, देखने से, मंत्री महोदय के भाषण से और बाद में दिए गए इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि इनफ्लेशन नहीं बढ़ेगा लेकिन माइक्रो इकॉनामिक आउटलुक को देखें तो यह बजट निश्चित रूप से इनफ्लेशन को बढ़ाएगा।

माइक्रो एस्यूमशन है कि अगले वर्ष टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू पर 16-17 परसैंट वृद्धि होगी। इसका अर्थ इकॉनामिक ग्रोथ 7 या 8 परसैंट होगी। 16 हजार करोड़ रुपए के मॉनिटाइज़ेशन की बात है। केवल दो ही बातों से लगता है कि इनफ्लेशन बढ़ेगा एक रेल और माल भाड़े में वृद्धि और दूसरा ऑयल पूल डेफिसिट। महोदय, 8 परसैंट इनफ्लेशन रेट जो इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में उभर कर सामने आया था, वह भारत के सामने भयावह चेतावनी है। जो-जो देश आगे बढ़े, उनका इनफ्लेशन रेट केवल तीन परसैंट था। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार को इस बात का ध्यान देना भी पड़ेगा।

माननीय महोदय, यदि हम एशियन कंट्रीज की तुलना करें तो भारत इसमें बहुत पीछे है। सिंगापुर और मलेशिया में इकॉनामिक ग्रोथ आठ से दस परसैंट है। वह चीन और जापान में काफी बढ़ी हुई है। यदि ट्रांसपैरिटी से तरीके ढूंढे तो पॉल फ्रूगमैन ने जो बताया, वह भारत के परिपेक्ष्य से सही जान पड़ते हैं - पहला अधिकतम लोगों को नौकरी, दूसरा उत्पादन में अधिकता और तीसरा एक्सपोर्ट में बढ़ोत्तरी। इकोनामिक ग्रोथ आठ से दस परसैंट हो सकती है, यदि हम प्रॉयरिटी से एजुकेशन, एम्प्लायमैंट जिस में सोशल जस्टिस शामिल है, की तरफ ध्यान दें। एक्सपोर्ट प्रमोशन और इनफ्लेशन को कम करके हम तीन परसैंट तक पहुंचे, लेकिन इनफ्लेशन को तीन परसैंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी माननीय मंत्री महोदय को अपने मंत्रालय के सहयोग से लेनी पड़ेगी। आर॰ बी॰ आई॰ के गवर्नर इनफ्लेशन रेट छः से सात परसैंट मान रहे हैं। लास्ट सम्मर में यह 4.6 परसैंट से बढ़ कर आठ परसैंट पहुंच गई थी। यह इस बात का संकेत देती है कि कीमतों में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। मजे की बात यह है कि सरकार मुद्रास्फीति की दर थोक भावों के आधार पर मापती है जबकि मूल्य सूचकांक तथा खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अंतर है। इसको देखा जाना चाहिए। रुपए की गिरती कीमत और आय में कमी इनफ्लेशन रेट को बढ़ाएगी। इससे निश्चित रूप से मूल्य वृद्धि होगी। इनफ्लेशन रेट सात परसैंट के आसपास सरकार मान रही है, यदि निम्न कारणों को देखें जिस में रेल भाड़े की वृद्धि, पुराना सर्विस टैक्स कारगो, हायर प्राइस के फॉर्म में आने वाला है। जो पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनके दाम बढ़ने वाले हैं। पावर और सरफेस ट्रांसपोर्ट के दामों में जो बढ़ोत्तरी होगी, उन सब को देखते हुए लगता है कि इनफ्लेशन रेट दस परसैंट के अंक को पार कर जाएगा। केवल ऑयल पूल डेफिसिट ही बीस हजार करोड़ तक का हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार इनफ्लेशन को कैसे रोकेगी। यह माननीय मंत्री महोदय के सामने एक प्रश्न चिन्ह है ? इससे हम और हमारी पार्टी इसलिए चिंतित है कि नरसिंह राव जी और मनमोहन सिंह जी ने बहुत मेहनत करके इनफ्लेशन रेट को बहुत-बहुत कम कर दिया था। हम गरीबी हटाओं के उस नारे तक नहीं बल्कि गरीबी हटाओं के उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। आज यदि इनफ्लेशन रेट बढ़ता है तो हम लोग जहां पर पहुंचें थे, तो हम वहां से पीछे मुड़ जाएंगे।

इस बजट से एक बात उभर कर सामने आई कि उपभोक्तावाद की बढ़ोत्तरी मिलेगी। भारत में 25 परसैंट लोग उपभोक्तावाद के घेरे में हो सकते हैं। हमारे यहां 75 परसैंट लोग गरीब हैं। सीमा शुल्क में भारी कटौती से भारी उपभोक्ता सामान और भारतीय उद्योगों को खतरा पहुंचेगा।. माननीय महोदय को इस विषय पर भी सोचना चाहिए। महोदय, इनफ्लेशन बढ़ने के कारण सामाजिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और वे बढ़ी भी हैं।

सरकार का रवैया भी प्रागमैटिक नहीं लगता। सार्वजनिक वितरण एक्सपैंशन कार्यक्रम प्रागमैटिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। प्रोक्योरमेंट फरदर फूड इनफ्लेशन को बढ़ावा देगा जोकि गत वर्ष तक 30 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आने पर क्राइसिस बढ़ेगा और भोजना सामग्री में इनफ्लेशन बढ़ेगा। कीमतों का सीधा संबंध मांग और आपूर्ति के संतुलन से हैं। गेहूं का उत्पादन गत वर्ष घटा है जो हमारी चिंता का विषय है। एक चिंता का विषय यह भी है जो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि कृषि में हम लोगों ने आशातीत प्रगति नहीं की है। अनाज, दाल, कैश क्राप्स के कारण कुछ कृषकों को फायदा हुआ है लेकिन गेहूं का उत्पादन इस बार घटा है। मुद्रा का प्रसार कम हुआ है और आंतरिक एवं बाहरी कर्ज़ बढ़ा है। उत्पादन वृद्धि से मुद्रा प्रवाह की दर 5 से 6 प्रतिशत अधिक है जो खतरनाक है।

माननीय सभापति महोदय, बजट में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले जिससे कीमतों की बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगे। अप्रैल-जून, 1996 में मुद्रास्फीति

[डॉ॰ गिरिजा व्यास]

की दर 5 प्रतिशत से कम थी जो जुलाई में बढ़कर 8 प्रतिशत हो गई। तो किस अर्थ में यह कम हो गई ? ऐसा लगता है कि इस सिलसिले में निकट भविष्य में कीमतें बढ़ती रहेंगी और इसका मुख्य कारण लागत पक्ष पर दबाव होगा। एक ओर रेल किरायों और माल भाड़े में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और दूसरी ओर बहुत दिनों तक पैट्रोलियम प्राडक्ट्स की कीमतों को नहीं टाला जा सकता। जहां तक वित्तीय अनुशासन का संबंध है, एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि सरकार अब रिजर्व बैंक से तदर्थ ट्रेजरी बिल में कोई उधार नहीं ले सकेगी। इसके लिए हम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। यह कदम 2-3 साल से उठाये जाने की बात चल रही थी। इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा लेकिन दूसरी ओर साधनों की कमी को अब ब्याज पर उधार लेकर पूरा कर सकती है। सरकार को अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ेगा। इस कारण से बजट से ब्याज का भुगतान तेजी से बढ़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के ब्याज भुगतान से सरकार के सामने मुश्किल आयेगी।

जहां तक सामान्य व्यक्ति का प्रश्न है, उस पर अन्य कीमतों के साथ-साथ रेल किरायों और माल भाड़े का भार पड़ेगा, वह इससे कैसे उभर पायेगा, यह हमारे सामने प्रश्नचिन्ह है। मुद्रास्फीति की दर को कम करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बखूबी इस बजट को पेश करने की कोशिश की है। इसमें इनकी चतुराई के बजट के साथ-साथ बुद्धिमानी का बजट भी कह सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत एक्सपैंडिचर साइड में है। इस अर्थ में यह कमजोर बजट साबित हुआ है। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में सैंट्रल आउटले 10 हजार करोड़ रुपये है जो गत वर्षों से कम है। कृषि में 5 प्रतिशत, ग्रामीण विकास में, सिंचाई, विद्युत और ऊर्जा और परिवहन में बहुत कम है। मैं आंकड़े देने की जरूरत नहीं समझती लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कहना चाहती हूं कि जब हमारे विकास के साधनों पर खर्च केवल 6 प्रतिशत बढ़ेगा जबकि लागत पर बढ़ोत्तरी 13 प्रतिशत होगी तो आप समझ सकते हैं कि 7 प्रतिशत उसमें घटने की संभावना है।

सभापति महोदय, मंत्री जी ने सैवंथ सर्विसेज का जिक्र किया है। उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन दो हजार रुपये से तीन हजार रुपये करना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। दूसरी बात यह है कि जो राज्य पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं, यदि यह पैसा उनको जायेगा तो वे इधर-उधर लगा देंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सैवंथ सर्विसेज के विकास का जो पैसा है, उस पैसे की मानिटरिंग केन्द्र को करनी पड़ेगी अन्यथा या तो राज्य में वह वेतन देने में चला जायेगा या दूसरे कामों में जो सैवंथ सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आते हैं।

महोदय, मैं केवल दो उदाहरण देना चाहती हूं। हैल्थ जो मेडिकल ट्रेनिंग के अलावा है उस पर मंत्री महोदय ने केवल 753 करोड़ रुपये रखे हैं जो प्रति व्यक्ति 10 रुपये से भी कम है। शिक्षा में 4158 करोड़ रुपये हैं जो प्रति व्यक्ति 16 रुपये पड़ते हैं। इसीलिए शिक्षाविदों ने इस बजट को शिक्षा का विरोधी बताया है।

मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं कि कस्तूरबा गांधी योजना को लागू कर सरकार ने शैक्षोन्मुखी होने का प्रमाण दिया है विशेषकर बच्चों के क्षेत्र में, लेकिन कभी आप राजस्थान के गांवों में चले जाएं जहां पर महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत आज भी तीन-चार हैं वहां पर राज्य सरकार को पूरी तरह से यह सौंपना उचित नहीं है। मैं अपने इलाके के पास डूंगरपुर और सलूम्बर तथा जैसलमेर और बाड़मेर का उदाहरण देना चाहती हूं जहां दो प्रतिशत है। हमने शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के नाते कोशिश की थी कि हम वहां पर कुछ इनसेन्टिव दें लेकिन अभी आप यदि राजस्थान की साक्षरता की रिपोर्ट गंगा लें और किसी गांव में जाकर चुपचाप बैठ जाएं जहां सरकार ने सौ प्रतिशत साक्षरता के आंकड़े पेश किए हैं, वहां साक्षरता की दर आज भी 16-17 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ मजाक होगा यदि हम पूरी तरह से सरकार को यह योजना दे देंगे। इस पर केन्द्र की मानिटरिंग जरूरी है और महिलाओं की संस्थाओं को यदि कार्य दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यह योजना अधिक अच्छी तरह से लागू हो सकेगी।

महोदय, पिछली बार विभिन्न पार्टियों के घोषणापत्र में वायदा किया गया था कि सरकार सकल उत्पाद का छः फीसदी शिक्षा पर खर्च करेगी। इस बारे में मंत्री महोदय का क्या जवाब है ? लगता है कि शिक्षा पर काम करते-करते ऐसी स्थिति में हम आ गए कि शिक्षा सब लोगों के लिए और सर्वग्राह्य नहीं रह गई है। महोदय, यह तो मिला-जुला असर था। संतोष मोहन देव जी यहां बैठे हैं। हमेशा मजाक में हम कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बीच में बैठे हुए लोक की तरह है। न हम पूरी तरह से बजट का विरोध कर सकते हैं और न पूरी तरह से आपके बजट की तारीफ कर सकते हैं। यह बीच में रहने की हमारी मजबूरी है। मैंने जो खट्टा-मीठा अनुभव मुझे हुआ, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, उसको पेश करने की कोशिश आपके सामने की लेकिन एक बात सामने उतरकर आती है जिस पर मैंने शुरू में प्रश्नचिह्न लगाया था कि बजट घाटे को कैसे पूरा करेंगे। आपके टैक्सेज़ के फोर्मेशन के लिए पूरा हिन्दुस्तान आपका आभारी है, लेकिन घाटे की पूर्ति कैसे होगी, इस विषय पर आप निश्चित तौर पर सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम केवल पांच सेक्टर्स ले लें तो भी पर्याप्त होगा। उसमें पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर। 1981 से 1991 की ग्रोथ रेट आप देखें तो वह तीन से चार प्रतिशत है। फूडग्रेन्स की 2.9 प्रतिशत है। रेफॉर्म पीरियड में यह 3.4 प्रतिशत हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि प्री रेफोर्म और पोस्ट रेफोर्म में एग्रीकल्चर में कोई अंतर नहीं आया। अभी आपने दावा किया है कि तीन प्रतिशत एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगी लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका दावा है कि 1.2 से अधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। हमें गांधी दर्शन को पुनःस्थापित करना ही पड़ेगा। पिछली सरकार भी पांच सालों तक एक बात कहती रही कि हमें मध्यम मार्गी बनाना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं निकाल पाए। इसीलिए हम बीच में आ गए। मैं आज स्पष्ट तौर से इस देश के माध्यम से अपने दुख को

रख रही हूं। मैं मंत्री महोदय से और सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि गांधी कभी अप्रासंगिक नहीं हुए इसलिए उनको मानते हुए हमें गांधी दर्शन की पुनःस्थापना के लिए एक ऐसी इकोनॉमिक पोलिसी बनानी पड़ेगी जो एक तरफ तो रेफोर्म ओर लिबरलाइजेशन को लेकर चले, 21वीं सदी पर दस्तक दे और उसके लिए आपका बजट बहुत समीचीन है लेकिन दूसरी तरफ हमारे बजट को और हमारी जो बजटरी कार्यवाहियां हैं, उसको एग्रीकल्चर बेस्ड भी बनाना पड़ेगा। 27 प्रतिशत जी॰ डी॰ पी॰ की मांग पूर्ति कृषि से होती है। 67 परसेंट नेशनल वर्क फोर्स इसमें लगती है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इस क्षेत्र में अधिक कुछ नहीं हुआ, जब कि बहुत कुछ हो सकता था। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी का रुझान कृषि की तरफ है, इसके केवल कागजों पर या केवल अखबारी वाहवाही लूटने के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक नया गांधी दर्शन पुनः प्रारंभ करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय की इस बात के लिए तारीफ करूंगी कि उन्होंने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बढ़ाई है। डबल क्रेडिट फलो अब पाँच साल में किसान को मिलेगा लेकिन कुछ और नये प्रयास इसमें करने चाहिए और उसमें एक प्रयास यह है कि कृषि में गेहूं और चावल का भी एक्सपोर्ट अलाऊ करना पड़ेगा। आज भारत में गेहूं की कीमत विदशों से 12 प्रतिशत कम है और इसी तरह से चावल की कीमत 34 प्रतिशत कम है। यदि हमारा किसान एक्सपोर्ट करता है तो उसका फायदा होगा, उसे बैटर इंसेंटिव मिलेगा और नेशनल एक्सनेकर पर भी बर्डन कम होगा अर्थात् बफर स्टॉक कम होगा। इस दिशा में जब आप इतनी लंबी छलांग लगाने की बात कर रहे हैं तो इस पर भी एक छलांग लगा दीजिए, ताकि जो बड़े किसान हैं वे अधिक उत्पादन करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। यहां के लोगों को एक्सपोर्ट मिलने के बाद जैसा मैंने बड़े किसान के लिए कहा यहां के लोगों के पूर्ति के बाद इंसेंटिव के लिए उस पर सोचना चाहिए इस पर आप सब लोग बैठकर सोचें। आज जब बफर स्टॉक की बात होती है तब लगता है कि उस पर सोचा जाना चाहिए खास तौर से इसलिए कि जब हम 21वीं सदी पर दस्तक दे रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिए कॉटन के उत्पादन को बढ़ाकर आज भारत विश्व में बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में उभर सकता है। मोलेसिस और शूगर के संबंध में कुछ नई इंसेंटिव योजना सरकार को देनी चाहिए। क्योंकि पेट्रोल को नया आल्टरनेट देने के लिए भी मोलेसिस का प्रयोग हो सकता है। इस संबंध में भी सरकार से बात चल रही है। सभापति महोदय, उसका दूसरा साधन एक्सपोर्ट ग्रोथ है, जो 7 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत तक हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर 0.5 से 0.9 परसेंट तक था जनवरी 1996 में एक्सपोर्ट ग्रोथ गिरी जुलाई में 11.5 परसेंट से यह 6.02 हो गई थी। जी॰ सी॰ आर॰ की रिपोर्ट बहुत भयावह है। हमारा विश्व में जो पहले 45वां स्थान था वह अब 50वां हो गया है, 1994 में वह 35वां था और अब वह काफी घट गया है। इसलिए एक्सपोर्ट के लिए आपको एक नया आयाम ढूंढना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के खास साधन ग्रेनाइट, मार्बल, सिल्वर, कॉटन और जूट आदि हो सकते हैं। इन पर मंत्री महोदय अलग से विचार करें। क्योंकि केवल कुछ पर ही ध्यान दे दिया गया तो हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करके नया और अच्छा रेवेन्यू देश में बढ़ा सकेंगे। एक्सपोर्ट का जहां तक संबंध है वह 4.2 से बढ़कर 26.92 हो गया था, लेकिन स्लो डाउन के दूसरे दौर में भी इसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन एक्सपोर्ट की बढ़ोत्तरी से ही काम नहीं चलेगा। हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ को रेवेन्यू डेफिसिट के लिए बढ़ाना ही पड़ेगा। देश के विकास के लिए भी बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ानी पड़ेगी। कारपोरेट सरचार्ज 7.5 से एबोलिश किए जाने से इसमें काफी फर्क पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी के सामने टूरिज्म और मिनरल्स एंड माइन्स दो सैक्टर रखना चाहूंगी। मंत्री जी इन सैक्टरों को आप और ले लें तो हमें किसी भी प्रकार का डेफिसिट नहीं होगा टूरिज्म आर्थिक विकास के साधन के रूप में 1982 में पर्यटन नीति के रूप में उभर कर सामने आया। 1992 में इस पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनी। इसको इंडस्ट्री भी घोषित कर दिया गया। इससे क्षेत्र का विकास, नौकरियां, आर्थिक अर्जन आदि काम हो सकेंगे। 1994-95 की रिपोर्ट में इस पर जो अर्जित आय थी वह 7366 करोड़ थी, जो 1995-96 में बढ़कर करीब दस हजार करोड़ रुपये हो गई। लेकिन अभी भी टूरिज्म की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ अलग से मीटिंग करें क्योंकि न तो भारत को अब तक सैक्टर-वाइज बांटा गया है, न थीम-वाइज बांटा गया है और न विदेशों में पूरी तरह से इसके बारे में प्रचार किया गया है। विदेशी लोग यहां जो ख्वाब लेकर आते हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। चन्द फाइव-स्टार होटल भारतीय पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे सकते। यदि पर्यटन को हमने ठीक से बढ़ावा दिया तो विश्व में भारत नंबर वन पर आ सकता है और पर्यटन से हम लोग सबसे ज्यादा आय कमा सकते हैं। 1994-95 में टूरिज्म से रोजगार लगभग एक करोड़ रुपए के करीब था, जिसे और बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति और विस्तार की दृष्टि से भी टूरिज्म एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है।

अब मैं माइन्स एंड मिनरल्स पर आना चाहूंगी। वर्ष 1995-96 की रिपोर्ट के अनुसार 32,904 करोड़ रुपए हमने माइन्स एंड मिनरल्स के माध्यम से कमाए, जबकि इस वर्ष इसमें 11 परसेंट ग्रोथ का टार्गेट रखा गया है मैं समझती हूं कि इसे आसानी से बढ़ाकर 30 परसेंट किया जा सकता है लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों के साथ केन्द्र सरकार को वार्तालाप करना जरूरी है। साथ ही साथ सर्वे आदि में या एन्वायरनमेंट एककों के द्वारा जो प्रभावित होता है, उस पर भी सरकार विचार करे।

अब मैं अंतिम विषय पर आती हूं। मंत्री जी, आपने स्वयं को 10 नंबर न देकर, 7 और 8 नंबर के बीच में रखा है जो आपकी इस चेष्टा को दर्शाता है कि जहां इम्पर्फैक्शन है, वहां आपका पर्फैक्शन की तरफ बढ़ने का प्रयास है। माननीय मंत्री जी, आप चाहें कितने ही सुधार कर दें लेकिन जब तक लोगों के पेट में रोटी और जेब में पैसे नहीं होंगे, तब तक आपके सारे प्रयास निरर्थक सिद्ध होंगे। इसलिए प्रयास करने की जो पुरानी परम्परा आपको मिली है, उन्हीं प्रयासों को दोहराने की आप कोशिश करें क्योंकि जैसा एक शेयर में कहा गया है -

जब पेट में रोटी होती है, जब जेब में पैसे बजते हैं,
उस वक्त यह जर्रा हीरा है, उस वक्त यह शबनम मोती है।

इसे हकीकत में ढालने के लिए, आप गांधीवाद के दर्शन के आधार

[डॉ॰ गिरिजा व्यास]

पर 'गरीबी हटाओ' के नारे को साथ लेकर पुनः एक मध्यमवर्गीय बजट लेकर आएं और जो लोग रोजी-रोटी तथा पावर सैक्टर से छूटे हुए हैं, उन्हें देखने की कोशिश करें। इन चन्द सुझावों के साथ तथा कुछ अपने खट्टे-मीठे अनुभवों के साथ, मैं इस बजट का स्वागत करती हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : सभापति महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा शुरू करने के पहले मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं निर्धारित समय का पालन करूंगा।

सभापति महोदय : मैं केवल अंत में ही आपको सावधान करूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैंने अपनी पूरी बात अभी तक नहीं कही है। जैसे ही आप घंटी बजाएंगे मैं बोलना समाप्त कर दूंगा। इस पर मैं सहमत हूं लेकिन दूसरी शर्त यह है कि जब तक मैं बोलूं आप कृपया घंटी नहीं बजाएं।

सभापति महोदय : आप इन दोनों के बीच संतुलन कायम करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के भाग 'ख' का उल्लेख करते हुए, अपने भाषण का आरंभ करना चाहता हूं। इसका आरंभ इस प्रकार है :

"मैंने केन्द्र सरकार के कुल कर राजस्व को 15 से 16 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य स्वयं के लिए निर्धारित किया है और मुझे विश्वास है कि जो उपाय मैंने सुझाए हैं उनसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।"

महोदय, सबसे पहले मैं यह मानता हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार का होना जरूरी नहीं है और दूसरे इसके लिए वित्त मंत्रालय के सर्वोच्च पद पर बहुत ही योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के भाग 'क' के अंत में स्वयं कहा था कि यदि कुछ नहीं किया जाता, कोई नये कर प्रस्ताव नहीं किए जाते हैं फिर भी मौजूदा कर की दरों पर बिना किसी परिवर्तन के इस वृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में आंकड़े भी दिए हैं। उन्होंने पैरा ग्राफ 80 में कहा है कि : "कुल कर राजस्व वर्तमान कर निर्धारण की दरों पर आंकलित किया गया है," इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, "कर निर्धारण की वर्तमान दरें।" उन्होंने हमें 1,53,347 करोड़ रुपये का आंकड़ा प्रस्तुत किया है। केन्द्र का कुल राजस्व 1,13,094 करोड़ रुपये है। यह मौजूदा कर निर्धारण की दरों पर है। क्या आप जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है? अपने बजट भाषण के बाद उन्होंने 1,13,094 करोड़ रुपये के जगह 1,13,394 करोड़ रुपये की गणना की है अतः ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं प्रत्यक्ष करों में 600 करोड़ रुपये की छूट देकर 300 करोड़ रुपया एकत्र किया जाएगा और अप्रत्यक्ष कर के रूप में 900 करोड़ रुपये एकत्र किए जाएंगे जो कि सेवाओं पर उत्पाद कर के रूप में होगा, न कि वस्तुओं पर। इसलिए उन्होंने सिर्फ 300 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए इस स्वर्णिम सिद्धांत का परित्याग कर दिया कि प्रत्यक्ष कर ज्यादा और अप्रत्यक्ष कर कम होना चाहिए। निःसंदेह इनमें यह माना गया है कि राजस्व संग्रह के बारे में किए गए वक्तव्य सही हैं। लेकिन मुझे इसमें शंका है मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, क्योंकि वित्त विधेयक भी आने वाला है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बजट में प्राप्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं। प्राप्तियों में यदि आप निगम कर तथा आयकर को देखें तो एक बड़ा ही खतरनाक संकेत मिलेगा। पुनरीक्षित आंकलन मूल बजट आंकलन से अधिक है। मूल आंकलन 7652 करोड़ रुपया है और पुनरीक्षित आंकलन 8602 करोड़ रुपया है। लेकिन, कहीं कोई कमी अवश्य है जो अग्रिम कर वसूली से जुड़ी है ? अग्रिम कर वसूली क्या है ? अग्रिम कर वसूली अगले वर्ष की दर के आधार पर तय की जाती है। इस वर्ष के लिए पिछले वर्ष में ही की गई कमी इस बात से परिलक्षित होती है कि कर वसूली में कमी आई है। मैं मंत्री महोदय को इसे झुठलाने की चुनौती देता हूं। दूरदर्शन पर अपील की जाती है "कृपया अपना अग्रिम कर का भुगतान 15 मार्च अथवा 15 तारीख की रात तक अवश्य कर दें।" दूरदर्शन पर इस तरह का प्रचार आया। एक खूबसूरत और सुंदर सी दिखने वाली महिला अपने अधिकारी के पास पहुंच कर ऐसा कहती है। यथार्थ तो यह है कि उन सारी चीजों को इन पुनरीक्षित आंकलनों में शामिल कर लिया गया है।

निगम कर के लिए इस बात पर ध्यान दें। पुनरीक्षित आंकलनों में सामान्य आंकलन बजट अनुमान से बढ़ गया है। लेकिन अग्रिम कर वसूली के मामले में ऐसा नहीं है। यहां काफी कमी आयी है और एम॰ ए॰ टी॰ के बावजूद ऐसा हुआ है ? यह एक बात है। जब वे यह कहते हैं कि वे कम से कम 300 करोड़ रुपये तक और अधिक वसूल करेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि कर की दरों में कमी से उनका अनुमान गलत साबित हो जाएगा। क्या एक यही पहलू है ? मैं इसे विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि वित्त विधेयक में इस बारे में चर्चा होगी।

अब मैं दूसरे सूचक का उल्लेख करूंगा। गत वर्ष दो प्रतिशत विशेष सीमा शुल्क लगाया गया और उक्त राजस्व को ढांचागत विकास पर लगाया जाना था। इस प्रकार 1400 करोड़ रुपये कर की वसूली का अनुमान लगाया गया था और इस वर्ष के लिए उनका अनुमान 2,250 करोड़ रुपये का है ? इसका मतलब है कि आयत में वृद्धि करनी होगी। पूरे वर्ष के लिए 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान है लेकिन बजट प्रावधान पूरे वर्ष के लिए नहीं था।

अपराह्न 7.57 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

नौ महीने की वसूली का समायोजन किया जाना है। लेकिन इस आंकलन से पता चलता है कि आयात में 35 प्रतिशत के दर से वृद्धि होनी चाहिए ताकि कम किये गये सीमा शुल्क तथा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये दो सूचक हैं। चाहे तो आयात इतना अधिक होगा जिसे निर्यात आय तथा अन्य आय द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता अथवा

वसूली उस अनुपात में नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि 300 करोड़ रुपयों की उगाही का प्रयास भी काफी संदेहास्पद है। अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी कर के वर्तमान दरों के कारण सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।

मैं इस बात को अभी रखना चाहता हूं। मैं इसे शुरू करूंगा और इस विषय पर पुनः लौटूंगा। कर में रियायतें दी गई हैं, लेकिन इस पर भी मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। लेकिन कम से कम मंत्री महोदय के लिए एक त्रुटिहीन श्रोत है क्योंकि उन्हें काफी शानदार व्यक्ति माना जाता था। सी॰ आई॰ आई॰ सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री जान मेज़र से एक बड़ा ही बेहूदा प्रश्न पूछा गया, "भारत के वित्त मंत्री के लिए आपकी क्या सलाह है ?" वे बड़े ही विनीत तरीके से इस प्रश्न को टाल गए। हमारे उद्योगपति जिन्हें सम्मान का जरा भी बोध नहीं है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन वे क्या कहते हैं ? मैं इसी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास कर रहा हूं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की उम्मीद है, सामान्य स्थिति में इस वृद्धि को 15 प्रतिशत से 16 प्रतिशत आंका गया है जिसमें 7 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि दर का हिसाब रखा गया है। यह 8 से 9 प्रतिशत भी हो सकता है।

अपराह्न 8.00 बजे

इस संबंध में सामान्य वृद्धि 15 प्रतिशत से 16 प्रतिशत जिसे राजस्व वसूली का लक्ष्य माना गया है।

हम सभी को विदित है कि जान मेजर ब्रिटेन के एक ऐसे दल का नेतृत्व कर रहे हैं जो चुनाव में हारने वाला है। यूरोपियन यूनियन में औसत सरकारी व्यय का स्तर 1979 के सकल घरेलू उत्पाद के 44 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50 प्रतिशत हो गया। लेबर पार्टी के बारे में भी उनका कहना है — ठीक पिछली सरकार नहीं बल्कि उसके पहले की उनके दल की सरकार, जो एक तरह से पराजित हो गयी थी, और यह भाव उनके भाषण तथा 13 दिनों वाली सरकार को छोड़कर पूर्व सरकारों के इन विद्वान लोगों के भाषण से परिलक्षित होता है।

श्री जान मेजर लेबर पार्टी को चुनौती देते हैं। हारते हुए भी वे सरकारी खर्च को कम करने अथवा इसे सकल घरेलू उत्पाद से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वे लबर पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वे लोग इसमें वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं और हम हार जाते हैं। अगर वे इसमें कमी करते हैं तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह बहुत बड़ा अपशकुन है। अब प्रश्न यह है कि मैंने यह मुद्दा क्यों उठाया। जब मैं व्यय की बात पर आऊंगा तो इसका उत्तर भी दूंगा। जैसाकि सभी जानते हैं, शुरू में सभी लोग खुश होते हैं। 'सभी-लोग' का क्या मतलब है ? इसका मतलब है देश का एक प्रतिशत लोग। पहले, प्राप्तियों की बात लें। मैं अभी भी आयकर के बारे में आश्वस्त नहीं हूं। मुझे यकीन है कि उन्हें भी आंकड़े का पता नहीं है। आयकर विभाग के स्रोतों के अनुसार, जिसे बताने के लिए मैंने श्री वाजपेयी को उनके भाषण के दौरान टोका, इसका मतलब रिटर्न से है न कि वास्तविक भुगतानकर्ताओं से। निर्धारित जो आयकर विवरणीयां भरते हैं वे निश्चित तौर पर करों का भुगतान करते हैं। हम निगम कर के बारे में जानते हैं। आयकर रिटर्न भर दिए गए हैं। दो हजार कंपनियों द्वारा करों का भुगतान नहीं किया जाता। जब वे कर-जाल को फैलाने का प्रस्ताव करते हैं तो उनकी नजर इन कर का विवरण देने वालों की तरफ होती है। इस कर जाल में इतनी खामियां हैं कि करदाता इससे आराम से बच निकलेंगे। जो भी हो ये लोग खुश हैं। वे खुश हैं और फायदे में है। 10 लाख रुपये की आमदनी पर आयकर में 98,000 अथवा 1 लाख रुपये की कमी का बोनस है। इतना ही नहीं। यह केवल 1 लाख रुपये की बात नहीं है लाभांश कर को इस झूठी दलील के आधार पर वापस ले लिया गया है कि इसमें दोहरे कराधान की व्यवस्था है।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : यह झूठी दलील है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : बिल्कुल झूठी दलील। दुनिया में कहीं भी दो भिन्न-भिन्न आधारों पर दोहरे कराधान की व्यवस्था नहीं है। जहां तक निगम कर की बात है उन्होंने इसके बारे में 1.22 करोड़ रुपये का आंकड़ा दिया है। उसमें से 88 लाख रुपया निजी व्यक्तियों से लिया जाएगा और शेष निगमों से। ये दो भिन्न-भिन्न चीजे हैं। आप ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैंने निगम पर तथा निजी व्यक्तियों पर कर लगाया है। इसीलिए यह व्यवस्था शक्तिशाली देश अर्थात् अमरीका में भी व्याप्त है। लेकिन इसे स्वीकृति दी गई है। इसका क्या मतलब है?

पहले 2,000 रुपये के लाभांश तक कर नहीं लिया जाता था, इसमें उस बात का उल्लेख नहीं है। अब 10 लाख रुपये की आमदनी किसकी है ? निश्चय ही इसमें वेतनभोगी लोग नहीं आते। यदि सहमति हो गई तो सरकारी वेतन को अधिकतम 30,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। अतः 10 लाख रुपये की आमदनी दूसरे स्रोतों से होती है, हो सकता है इसी लाभांश से होती हो। अतः 10 लाख रुपये तक की आमदनी करने वाले व्यक्तियों की संख्या 12,000 से अधिक नहीं है। एक प्रतिशत लगभग 90 लाख अथवा 93 लाख होगा। इसमें केवल 12,000 लोग शामिल हैं— यह एक अति छोटा ग्रुप है। वह 5,000 रु॰ पर आ जाएगा क्योंकि उनकी आमदनी का मुख्यतः स्रोत वही है। उक्त कर जाल को विस्तृत किया जाना है। अधिक से अधिक लोग रिटर्न भरना चाहेंगे ताकि यह साबित हो सके उन्हें कर भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से संपन्न लोग खुश हैं।

अब देखना है कि वे अन्य लोग कौन हैं जो काफी खुश है ? ये वो आयातक हैंजो दूसरे देशों से सामान का हमारे देश में ढेर लगा देना चाहते हैं। वे बहुत खुश है बिना इस बात की परवाह किए कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इससे प्रसन्न होंगी क्योंकि सीमाशुल्क के थोड़ा ही ज्यादा होने के कारण उनका बाजार विस्तृत होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बड़ी मात्रा में बेची जाएंगी जिससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। इससे वे कंपनियां खुश होंगी।

इससे और किसे खुशी होगी? इससे और कौन प्रसन्न होगा? अनिवासी

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

भारतीयों पर लगने वाला पूंजी लाभ कर 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। क्यों ? हमें वित्त मंत्रालय से उलटा ही तर्क सुनने को मिला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पूंजी बाजार में पूंजी लाभ पर 10 प्रतिशत कर दिया जा रहा था जबकि अनिवासी भारतीय 20 प्रतिशत दे रहे थे। भारतीय भी 20 प्रतिशत कर देते हैं। इसलिए विदेशी संस्थागत निवेशकों पर कर की दर बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने की बजाए हम विदेशों में रह रहे अपने भाइयों के प्रति ज्यादा ही उदार है और इसलिए इसे घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है। इसलिए, वे बजट से खुश हैं।

विदेशी निवेशकों के खुश होने के कई कारण हैं। मैं थोड़ी देर बाद इस पर प्रकाश डालूंगा। अभी तत्काल, हम कह सकते हैं कि उन्हें हमारी नीतियों से खुश हाने की वजह है जिसके द्वारा सबसे पहले हमने 24 प्रतिशत पर सीमित किया और बाद में 40 प्रतिशत, फिर 51 प्रतिशत और फिर 74 प्रतिशत और अंत तक 100 प्रतिशत पर पहुंचा दिया।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामान की आपूर्ति और निवेश करने में सक्षम होने के कारण खुश होंगी। निःसंदेह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक में उनके प्रवक्ताओं ने पहले ही अपनी खुशी जाहिर कर दी है।

इसका एक दूसरा पहलू भी है। यह मान लिया गया कि इसमें कोई बात नहीं कि किसने कैसे अर्जित किया, या कैसे वह इसमें स्वयं को बचाता है, छूट की एक योजना आरंभ की गई है। वे इससे अत्यधिक खुश है, इसलिए नहीं कि उन्हें भुगतान करना पड़ेगा बल्कि इसलिए कि वे और ज्यादा कालेधन का सृजन कर सकेंगे। आप यह जानते हैं और आपमें से कुछ का इस ओर ध्यान गया होगा। यह अत्यंत रोचक है कि टेलीविजन पर अग्रिम कर अदा करने के लिए अपील की गई है। यह अत्यंत ही बेसुरी अपील है। लेकिन हमारी जनता इस पर अधिक शोर नहीं मचाती है। यह अपील इस कारण से आवश्यक थी कि यदि वे आज अग्रिम कर अदा करें तो उन्हें ऊंचे दर पर, जो 47 प्रतिशत है, कर का भुगतान करना होगा। यदि वे इसे अगले वर्ष छूट योजना के अंतर्गत अदा करें तो उन्हें सिर्फ 30 प्रतिशत कर अदा करना होगा। मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूं। वे 15 मार्च को अंतिम किस्त अदा करने से इंकार कर देंगे क्योंकि उन्हे 47 प्रतिशत कर नहीं देना पड़े और छूट की योजना का लाभ उठाकर 30 प्रतिशत ही अदा करें। यह इस वर्ष के लोगों के लिए है। दूसरों का क्या होगा ? इस कदम से उन लोगों को क्या संकेत जाता है जिन्होंने कालेधन का संग्रह कर लिया है और प्रत्येक वर्ष कालेधन का सृजन कर रहे हैं। उन्हें दो बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। एक तो यह है कि छूट की योजना अगले वर्ष फिर चलेगी। इस तर्क के साथ कि यह प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार होने वाला काम है तो मुझे विश्वास है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, छूट की योजनाएं आती रहेंगी।

दूसरा मुद्दा यह है कि अभी ज्यादा इकट्ठा कर लें क्योंकि यह वायदा किया गया है कि आने वाले वर्षों में करों में और कमी की जाएगी। यदि शुरू की गई इन योजनाओं से छूट योजना की अपेक्षा और ज्यादा कालेधन का सृजन होता है तो वह कह सकते हैं कि कहीं किसी ने उन्हें या किसी अन्य मंत्री को ऐसा करने का परामर्श दिया था।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : वे कोई और नहीं है। यह मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु का राष्ट्रीय विकास परिषद में दिया गया वक्तव्य है। वह यह बताने से क्यों कतरा रहे हैं? वह क्यों वे कोई और तथा कहीं अन्य स्थान पर आदि कह रहे हैं? वह इसकी आलोचना कर रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऐसा इसलिए कि मैं चाहता था कि वह ऐसा बोलें तथा और कुछ नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : वह इसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इतना साहस होना चाहिए कि वह यह कह सकें कि यह सुझाव मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु की ओर से आया था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हां, मैं ऐसा कहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : आप ऐसा कहें तो सही।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं चाहता था कि वह यह कहें। ..*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आप यही कहें। अभी भी वह उनके नाम और स्थान का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। आप इसे अभी बताएं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सत्य है और वह गलत था।

श्री पी. चिदम्बरम : आप यही कहें और नाम भी बताएं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं नाम पर नहीं जा रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : तब फिर आप क्यों 'किसी ने' तथा 'कहीं और' कहते हैं ?

श्री सुरेश प्रभु : श्री ज्योति बसु 'कोई व्यक्ति' नहीं हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं तर्क दे रहा था।

श्री पी. चिदम्बरम : आप पहले नाम और स्थान का उल्लेख करें और फिर दलील दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं चाहता था कि वे यह कहें।

श्री पी. चिदम्बरम : आप यह क्यों नहीं कह सकते ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऐसा इसलिए कि आपके पास बचाव का सिर्फ यही रास्ता है और आपकी दलील के समर्थन में कोई दूसरा तरीका नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : यही एक मात्र बचाव नहीं है। मैं इसका औचित्य सिद्ध करने को तैयार हूं और मैं ऐसा अपने उत्तर में करूंगा। मुझे एक साहसी संसद सदस्य द्वारा व्यक्ति का नाम और स्थान बताने की झिझक के प्रति आपत्ति है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे झिझक बिल्कुल ही नहीं है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : अभी भी आप यह बताने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उन्होंने कहा है कि यह श्री ज्योति बसु द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् में दिया गया वक्तव्य है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : इसे एक बार और कहें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यह सुझाव यदि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने दिया है। अपने दलील के आधार पर किसी को अपना जवाब देना चाहिए।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं आपकी दलीलों का उत्तर दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उससे मुझे सहायता मिलेगी। हमें इसका इंतजार रहेगा। अब मैं दूसरी दलील पर आता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : बजट पेश किए जाने के बाद क्या सी॰ पी॰ आई॰ (एम॰) में कोई बहस हुई थी जिसमें श्री ज्योति बसु ने भाग लिया था ? आपतो इस प्रकार के भ्रम से बच सकते थे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह समझने में आपकी सहायता करूंगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप अपना और अपनी पार्टी की सहायता करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं तब आपकी मदद करूंगा जब मैं आप पर दोषारोपण करने के काबिल हो सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : दूसरी बता जो मैं कहना चाहता हूं वह कर में कमी संबंधी दलील है।

यह कर घटाने का तरीका है। जैसा कि पता चला है। इसे मैंने अन्यत्र भी कहा है, लेकिन मुझे सदन में इसका उल्लेख करने दें।

मुझे यहां क्या दिया गया है ? मुझे विभिन्न देशों के आय कर की दर-सूची दी गई है। कर की अधिकतम दर के संबंध में—सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि कई को इसकी जानकारी नहीं है—ऑस्ट्रेलिया का उल्लेख किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कर की अधिकतम दर 47 प्रतिशत है न कि 30 प्रतिशत। कर की अधिकतम दर आस्ट्रिया में है जो 50 प्रतिशत है।

श्री संतोष मोहन देव : वहां कृषि को आय कर से छूट मिली हुई है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप आस्ट्रिया की कृषि के बारे में जानते हैं। मैं आयकर की बात पहले कर रहा हूं। निगमित आय कर की स्थिति भी इससे संभवतया अलग नहीं है।

बेल्जियम में कर की अधिकतम दर 55 प्रतिशत, डेनमार्क में 40 प्रतिशत, आयरलैण्ड में 48 प्रतिशत, इटली में 50 प्रतिशत, जापान में 50 प्रतिशत, नीदरलैंड में 60 प्रतिशत और स्पेन में 50 प्रतिशत है। नार्वे का आंकड़ा यहां नहीं दिया गया है।

ये कर की अधिकतम दरें हैं।

श्री संतोष मोहन देव : रूस और चीन में अधिकतम दरें क्या हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमारे लिए उनका अस्तित्व नहीं है।

इसलिए, इन देशों में यह दरें प्रचलित है। वास्तव में, ब्रिटेन में भी यही स्थिति है, जब वह कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न केवल भारत में बल्कि अन्य देशो में भी युद्धों के वित्त पोषण के प्रति रुझान रहा है, जिससे करों की दरें अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंच जाती हैं। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम लोगों के यहां जो कर हैं वह बलपूर्वक वसूला जाने वाला शुल्क है। यह 97 प्रतिशत था। उसके बाद इसमें कमी आने लगी। लेकिन आज बिल्कुल अलग तरह की दलील दी जा रही है। चूंकि वह जारी था, वह युद्ध के संकटकाल के लिए आवश्यक था। आज इन दलीलों के आधार पर यदि वित्त मंत्री कर नहीं लगाते हैं या यदि कर दरें बहुत कम नहीं हो तो वह करों की वसूली नहीं करेंगे। यहां पर इसका एक उदाहरण भी है। कम से कम एक देश ऐसा है जहां कर की न्यूनतम दर एक प्रतिशत और अधिकतम दर 13 प्रतिशत है। इसीलिए छूट की योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्ति सदैव इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि हमारा सुयोग्य वित्त मंत्रालय इस ओर उन्मुख हो गया इसलिए वह कालेधन के सृजन और संग्रहण की ओर उन्मुख होते हैं।

मैं सीमा शुल्कों के विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये शुल्क जारी रहेंगे। लेकिन कुछ सामान्य टिप्पणियां की जा सकती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भारतीय विदेश जाते हैं और सामान के साथ वापस लौटते हैं तो इससे आर्थिक कार्यप्रणाली को क्या लाभ पहुंचता है। यह एक भयावह कार्य है। विदेश जाना और संतुष्ट होकर वापस लौटना। इसलिए इसे 60 से घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। इस समय यह 210 प्रतिशत था, फिर 130 प्रतिशत हुआ, उसके बाद 80 प्रतिशत हुआ, फिर 60 प्रतिशत और अब इसमें और कमी की गई है। किसकी संतुष्टि के लिए यह कमी की गई है ? वह किसे कर के अंतर्गत लाना चाहते हैं ? उनके संतोष के लिए कोई भी व्यक्ति जो साल में एक बार विदेश के दौरे पर गया हो, कर के जाल में लाया जाए ? मैं नहीं जानता। वह अपने जाल को फैलाना चाहते हैं ताकि अधिक लोग एक साथ आने को प्रोत्साहित हों इसलिए माल असबाब पर कर की दर को घटा दिया गया है। और फिर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, कुछ प्रस्तावित शुल्क भयानक हैं। माननीय मंत्री जी ने किस चीज की जांच पड़ताल की है और कहां इसमें वृद्धि की है ?

मैं जानता हूं कि कई संसद सदस्य इससे प्रसन्न होंगे लेकिन क्यों ? ऐसा इसलिए कि सेल्युलर फोनों और पेजरों पर सीमाशुल्क 30

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निःसंदेह गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का उपकार करना है!...*(व्यवधान)* रंगीन टेलीविजन काफी लोकप्रिय हो चुका है। इसलिए इस पर से कर की दर 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

हम लोगों ने प्रदूषण विरोधी प्राधिकरण विधेयक पारित किया है। दिल्ली बहुत ही प्रदूषित नगर है। इसके बारे में किसे मालूम नहीं है। इसलिए अमीर लोग जिनके पास आधुनिक कारें हैं, वे गरीबों को और प्रदूषित नहीं करें, इसलिए 'कैटेलिटिक कन्वर्टरों' पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। क्या यह देश सेवा है ? अमीरों को प्रदूषण फैलाने की अनुमति नहीं है इसलिए यह छूट दी गई है।

अब मैं होटलों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अनुमति प्राप्त होटलों द्वारा विशिष्ट खाद्य पदार्थों के आयात पर सीमाशुल्क 50 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। संभवतः हम सभी लोग अपने प्रतिभावन वित्त मंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही आकर्षक है और हम लोग उनका फोटोग्राफ रखना चाहेंगे। इसलिए फोटोग्राफी के सामान पर से भी शुल्क घटा दिया गया है।...*(व्यवधान)*। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि यदि विकास होता है तो यह निर्धनों के लिए है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि उसमें फर्क करते हैं। उत्पाद कर के मामले में भी कई अजीबोगरीब बातें हैं। मुझे टैरिफ कमीशन का औचित्य समझ में नहीं आता। सीमाशुल्क की पूरी नई कर व्यवस्था को टैरिफ कमीशन को न भेजकर इस तरह से लागू करने की क्या हड़बड़ी थी ? उत्पाद शुल्कों के बारे में ऐसी बात नहीं है लेकिन टैरिफ कमीशन इसकी भी जांच पड़ताल कर सकता है। वे इसे इस दृष्टि से भी देख सकते हैं ताकि कुछ-कुछ संरक्षण भी मिलते रहें और स्पर्धा भी बनी रहे। यह एक कहानी है। ऐसा उत्पाद शुल्क के मामले में नहीं हुआ है। यह बहुत ही विचित्र बात है। मुझे उनका तर्क समझ में नहीं आता है। वह मुझे अवश्य ही उसके बारे में समझाएंगे। उत्पाद शुल्क की दर 8,13 और 18 है। इस बात में तर्क अवश्य होना चाहिए कि क्यों इन संख्याओं को पसंद किया गया और 10, 15 या 20 को पसंद नहीं किया गया। इसके पीछे कुछ तर्क अवश्य होना चाहिए। मैं इसकी तह तक नहीं पहुंच सका हूं। वह अवश्य ही इसे स्पष्ट करेंगे।...*(व्यवधान)*। ऐसे में लघु क्षेत्र ने भी यह शिकायत करनी शुरू कर दी है कि जिस प्रकार के शुल्कों को लगाया गया है उससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं आपको इसका कारण बताता हूं। लघु क्षेत्र में से कुछ तो 'मॉडवैट' का लाभ उठा सकते हैं जब कि बाकी को यह लाभ नहीं है। अब ऐसे क्षेत्रों में जिसमें 10 प्रतिशत श्रामिक और 90 प्रतिशत बाहर से लाए गए सामान का उपयोग होता है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि बड़ा उद्योग करो को देने की अपेक्षा 'मॉडवैट' देगा और उसे ज्यादा लाभ होगा। मान लीजिए उसे मॉडवैट ऋण 13 प्रतिशत या 14 प्रतिशत मिलता है और वह 8 प्रतिशत शुल्क अदा करता है। इसलिए किसी को यह हिसाब निकालना होगा जिन पर शायद उनका ध्यान नहीं गया है।

जहां तक लघु क्षेत्र का संबंध है हम लोग जानते हैं कि वहां अनारक्षण की नीति भी मौजूद है। मैं प्राप्तियों का सविस्तार वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि जब वित्त विधेयक पर विचार किया जाएगा तो हम लोग प्राप्तियों पर फिर बात करेंगे।

अब मैं व्यय का उल्लेख करूंगा। यह अत्यंत ही रोचक है। मैं समझता हूं कि मुझे नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र से शुरू करना चाहिए, जो कि अत्यंत ही रोचक है। योजना आयोग हमारा ध्यान उस तरफ आकृष्ट करता है जो आठवीं योजना के दौरान हो चुका है। कृषि की उपेक्षा हो रही है। यह एक आश्चर्यजनक कथन है। मुझे इससे आश्चर्य हुआ। आप पैरा 1.21 देखें। पिछले कई वर्षों से वास्तविक मूल्य पर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं ? शायद इस तरह के अहसासों ने पूर्व में रहे उनके विद्वान मंत्री को, तेरह दिनों को छोड़कर पुनः सोचने को उद्यत किया है।

रोजगार अवसरों के संबंध में योजना आयोग का दृष्टिकोण पत्र कहता है—

— एक बार फिर 15 का आंकड़ा आ गया है— अर्थात् वास्तविक अर्थों में 15 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। यह वास्तविक अर्थों में है न कि नाम मात्र के लिए, जैसा कि उन्होंने अपेक्षा की थी। और तब, निःसंदेह, वे आधारभूत न्यूनतम चीजों की दुर्बलताओं का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि आधारभूत क्षेत्र में, विशेषकर सिंचाई के क्षेत्र में सरकारी निवेश में कमी आ गई है। पुनः, वह कहते हैं कि रोजगार क्षेत्र में भी गिरावट आई है। मैं नहीं जानता कि उन्हें यह पता है या नहीं कि वेतन प्राप्त करने वाले लोग काफी कम है तथा अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा आकस्मिकता है। सामाजिक क्षेत्र के बारे में, निःसंदेह, हम सभी गरीबी रेखा के बारे में जानते हैं। इसमें वृद्धि हुई है या नहीं, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा तो यह है कि प्राक्कलन को संशोधित किया गया है और लगभग 35 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी रोखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : चटर्जी साहब कितना टाइम लेना चाहेंगे, 40 मिनट हो चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं समझता हूं कि यह तो लगभग आरम्भिक वाक्य है।

श्री पी. चिदम्बरम : उनके दल को कितना समय दिया गया है ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसीलिए पूछ रहा था।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं अब व्यय के बारे में चर्चा करूंगा।

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, उनके दल की ओर से संभवत: कोई अन्य सदस्य नहीं बोलेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे नहीं पता कि उन्हें क्यों परेशानी हो रही है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं परेशान नहीं हूं। इन्हें अपनी बात समाप्त करनी चाहिए क्योंकि और लोगों को भी बोलना है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

महोदय, राज्यों के हिस्सों में कमी की गई है, ऐसा उन लोगों ने पाया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी निवेश में कमी आई है। हमें इसी संदर्भ में प्रस्तावित व्यय के तौर-तरीकों का आंकलन करना है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि इससे सबक नहीं लिया गया है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हम लोग राज्यों का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्हीं के द्वारा इसकी शुरूआत की गई। इसके लिए हमें एन॰ टी॰ राम राव को याद करना चाहिए जिन्होंने दो रुपये प्रति किलो चावल देने की योजना शुरू की थी और जिसे सस्ती लोकप्रियता वाली योजना बताया गया था। लक्षित ग्रुप उसी अवधारणा की उपज है। जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आधे दाम अथवा उसी के लगभग दामों पर अन्न मुहैय्या कराने की व्यवस्था है।

यह भी सही है कि सामाजिक क्षेत्र में काफी कुछ दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह भी सही है कि त्वरित सिंचाई तथा त्वरित जलापूर्ति जैसे दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : चटर्जी जी, मैंने चैक-अप किया है कि आपकी पार्टी को केवल 26 मिनट मिले हैं। आप 40 मिनट बोल चुके हैं। ऐसे में आपकी पार्टी के किसी सदस्य को बोलने का चांस नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं इससे अवगत हूं। इसीलिए मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*। मैं उस बिंदु पर आ रहा हूं। मैं इस बात को जानता हूं। मुख्य बात यह है कि बजट के ये कुछ सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि ऐसा करने के लिए तथा व्यय का भुगतान करने के लिए बजट अनुमान 2,04,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,32,000 करोड़ रुपये हो गया है। मैं अगले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना करते समय इसकी संशोधित प्राक्कलन से तुलना करना नहीं चाहता हूं। ये तुलना करने योग्य नहीं हैं। आप बजट अनुमान तैयार कर सकते हैं और उसके बाद खर्च न करें और फिर भिन्न तरह का संशोधित प्राक्कलन तैयार करें। तुलना करने की चीज बजट प्राक्कलन है। इस दृष्टि से देखें तो ये त्वरित कार्यक्रम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखते। और जिस तरह से इसे दिया गया है उसका लाभ है। इस प्रक्रिया में क्या हुआ ? 8,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। रक्षा मद तथा ब्याज खर्च में 16,000 करोड़ रुपया रखा गया है। अतत अब क्या बचत है ? बजट प्राक्कलनों में 28,000 करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव है। उसमें से 16,000 करोड़ रुपया ले लिया गया है। वृद्धि केवल शेष के लिए है जो केवल 7 प्रतिशत है। विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो यह तत्काल पता चल जाएगा कि दूसरे क्षेत्रों में खर्चों में कटौती की जा रही है।

यही सत्य है और यही हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में भी, यदि हम आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि और राशि देने के लिए दो बातें हुई हैं। कुछ मामलों में इसमें वास्तविक रूप से कमी आई है, यह कम हुआ है। और यहां मेरी पहली बात युक्तिसंगत ठहरती है। सरकारी उद्यमों के लिए कम खर्च हुआ है।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बी॰ ए॰ सी॰ ने जनरल बजट पर डिसकशन करने के लिए जो समय निर्धारित किया है क्या उसको बढ़ाने का कोई फैसला हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : फिलहाल तो नहीं है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : अगर नहीं है तो सब लोग अपने-अपने समय पर बोलें। ऐसे में बाद वालों को बोलने का समय नहीं मिलता। आप हम पर तेजी करने लगते हैं और कहते हैं कि पांच मिनट में खत्म करिए। यह इस वजह से होता है कि माननीय सदस्य अपने-अपने समय पर नहीं बोलते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। हमारे समय में कटौती का कारण विधेयक है जिसमें डेढ घंटा लगा था। बजट पर चर्चा 6 बजे म॰ प॰ पर शुरू होनी चाहिए थी...*(व्यवधान)*। मैं एक ढांचागत क्षेत्र की चर्चा करूंगा। सिंचाई के लिए प्रावधान किया गया है लेकिन आश्चर्य की बात है कि रेलवे जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। मैंने रेल बजट पर हुई चर्चा का अध्ययन किया है। सही अर्थों में रेलवे में योजना व्यय में कमी की गई है। हम बिहार तथा उत्तर प्रदेश में रेल लूटपाट तथा रेल डकैती की बात करते हैं जहां प्रति व्यक्ति आय कम है। लोगों की शिकायत है कि रेल मंत्री ने बिहार के लिए अधिक प्रावधान किया है। मैं बिहार को ज्यादा देना पसंद करता क्योंकि हम रेलवे के माध्यम से, और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर दे तथा वहां आय में वृद्धि कर इस पर नियंत्रण कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी आप सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया अपने को उसी तक सीमित रखें। आपने निर्धारित समय से दोगुना समय ले लिया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं रेलवे का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यह भाग सामान्य बजट में उद्धृत है। यह यहां उद्धृत

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

है।...*(व्यवधान)* मैं इसपर इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि रेलवे को, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढांचागत क्षेत्र है, उसके हिस्से से वंचित किया गया है।

मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं लघु-उद्योग क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। हथकरघा तथा खादी पर दी जाने वाली राज सहायता में कमी आई है। खाद्य तथा उर्वरक पर दी जाने वाली राज सहायता में भी कमी की गई है जबकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी हमने अपनाया है। इसी संदर्भ में मैं श्री जॉन मेजर का उल्लेख कर रहा था। आप ज्यादा वसूली नहीं करेंगे तो ज्यादा व्यय भी नहीं कर सकते। आप इस पर बल दें लेकिन ऐसा दूसरी मदों की अवहेलना करके नहीं किया जाना चाहिए। यदि सरकारी व्यय सामान्य बजट के अनुपात में नहीं बढ़ता तो देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं रहेगा। रोजगार के संदर्भ में उन्होंने मूल्यों का प्रश्न उठाया था। मूल्यों का बढ़ना तो निश्चित है क्योंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में बाजार में उन वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अब मैं समाप्त कर रहा हूं। ऐसा करने से बाजार भाव बढ़ेगा जोकि थोक मूल्य सूचकांक से परिलक्षित होता है। यह दो अंकों से भी अधिक जा सकता है।

मुझे ऐसा लगता है कि बजट में पूरा ध्यान इस दलील को सुदृढ़ करने पर दिया गया है कि सरकार इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती, भारत के लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अतः बाहर के लोगों की मदद ली जानी चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अथवा विश्व बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता की जानी चाहिए।

आप पेट्रोलियम उत्पादों की तरह बजट का दृष्टिकोण देखें। आज यह कहा गया कि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है और हम इस क्षेत्र को खोल रहे हैं लेकिन इस बात के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया कि पेट्रोलियम खपत में कमी की जानी चाहिए जैसाकि सुझाव दिया गया कि एक दिन छोड़कर अथवा इससे अधिक के दौरान पेट्रोलियम की खपत कम हो। उन्होंने खपत कम करने की बात इसलिए नहीं कही क्योंकि पूरा जोर बाजार सृजित करने पर है ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिल सकें। यही पहलू बीमा क्षेत्र को खोले जाने से भी उजागर होता है। इसीलिए मेरा यह कहना है। कि इस बजट से, भले इसमें कुछ अच्छी बातें हों, देश की कमजोरी उजागर होती है और यह तर्क पुष्ट होता है कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मुझे अपना भाषण बजट के कुछ स्वागत योग्य परिवर्तनों के उल्लेख के साथ शुरू करने दें। मैं श्री निर्मल कांति चटर्जी के तुरंत पश्चात् बोल रहा हूं। इसलिए, मैं समझता हूं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे पहले 'अच्छा नहीं है' कहा गया है। मुझे महसूस होता है कि मुझे वित्त मंत्री को अवश्य ही बधाई देनी चाहिए।

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : आप बजट का समर्थन कर रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभु : मैं अभी उस चरण तक नहीं पहुंचा हूं। इसका समर्थन करने के लिए आपकी संख्या पर्याप्त है। आपको हमारे समर्थन की आवश्यकता क्यों है ?...*(व्यवधान)*।

सर्वप्रथम, कार्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर में कमी स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि परहेज इलाज से बेहतर है। जैसा कि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी कह रहे थे, यदि भविष्य में स्वैच्छिक घोषणा योजना नहीं लाना चाहते हैं तो यह श्रेयस्कर होगा कि अभी ही करों की दरों में कमी कर दी जाए और इसे युक्तियुक्त स्तर पर लाया जाए।

महोदय, एक समय ऐसा था जब कि लोगों को 97.75 प्रतिशत की दर तक सर्वाधिक व्यक्तिगत आयकर देना पड़ता था। वहां से हम अभी 30 प्रतिशत की घटी हुई दर तक पहुंच गए हैं और मैं वास्तव में वित्त मंत्री को इतना दृढ़ होने और नई चीज शुरू करने के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत आयकर और कार्पोरेट कर में इतनी छूट दी है। निःसंदेह, कार्पोरेट क्षेत्र के लिए कर की दरें अलग-अलग हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री को इन दरों में कमी करने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, दूसरी बात जिसकी मैं सराहना करना चाहता हूं वह है लाभांशों पर कर को समाप्त करना। इस उपाय को शुरू करते हुए उन्होंने कहा था कि वह विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि विवाद वास्तव में समाप्त हो गया है। शायद, श्री चटर्जी उस विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते थे कि क्या लाभांशों पर कर दोहरा कर है या नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि लाभांश प्राप्त करने वालों के मन में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह दोहरा कर था और मैं वित्त मंत्री को इस कर को समाप्त कर देने के के लिए बधाई देता हूं।

बजट में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कमियों को निकालना कठिन होगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वित्त मंत्री को अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है क्योंकि संसाधनों की अत्यंत कमी है एक ओर उन्हें वित्तीय संसाधनों की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और दूसरी ओर अनेक राजनैतिक दलों द्वारा उन्हें प्रभुर मात्रा में राजनैतिक सलाह दी जा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए, हो सकता है कि एक तो संसाधनों के अभाव के कारण वह बहुत चीजें नहीं कर सकें और दूसरे, परामर्श की अधिकता के कारण भी वे कुछ नहीं कर पाएं। इस स्थिति में शायद उन्हें कुछ ऐसी बातें भी करनी पड़ेंगी जिनके करने की अन्यथा जरूरत ही नहीं होती।

महोदय, अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत कमजोरी मैं देख रहा हूं, यदि उससे सदन को अवगत नहीं कराऊं तो मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। हम बहुधा इसका उल्लेख करते रहे हैं और वास्तव में हर व्यक्ति जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है, इसका उल्लेख अवश्य करता है। लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि हम इस समस्या का हल करने के लिए कम से कम एक कदम भी बढ़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। इस वर्ष ऋणों पर 1,42,632 करोड़ रुपये ब्याज के रूप

में देने हैं जबकि हमारी कुल राजस्व प्राप्ति 1,53,143 करोड़ रुपये हैं। इसलिए, वर्तमान रुझान के मुताबिक संभवतया वर्ष 1998-99 में या नहीं तो इसके अगले वर्ष निश्चित तौर पर ऋण पर ब्याज की अदायगी का उत्तरदायित्व राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होगा। मैं समझता हूं कि हम बहुत ही खतरनाक दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैं नहीं जानता हूं कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी।

श्री पी॰ चिदम्बरम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बाह्य ऋण से संबंधित पत्र सभा पटल पर रख दिया है।

श्री सुरेश प्रभु : मैं बाह्य ऋण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समग्र ऋण के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री पी॰ चिदम्बरम : कृपया एक मिनट रुकिए। जब आप ऋण पर ब्याज की अदायगी की बात करते हैं तो कृपया आप बाह्य ऋण संबंधी पत्र को भी पढ़ें। हम लोग किसी भी प्रकार के ऋण जाल में नहीं फंस रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मूल्यों में वृद्धि करके हम हमेशा ही अनुपात घटा सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, चाहे हम लोग ऋण जाल में फंस रहे हैं या नहीं, यदि आंकड़ों को हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस वर्ष 1,42.632 करोड़ की राशि रु॰ ऋण पर ब्याज के रूप में चुकानी है जबकि कुल राजस्व प्राप्तियां 1,53,143 करोड़ रु॰ दर्शाई गई है। यह बहुत चिन्तनीय है कि दोनों के मध्य अंतर सिर्फ 11,000 करोड़ रुपये का है। इसलिए, संभवतया, यदि अगले वर्ष नहीं तो उसके अगले वर्ष निश्चित रूप से हमें गंभीर समस्या का सामना करना होगा। मुझे इसी बात की आशंका है। मुझे बहुत खुशी है कि वित्त मंत्री इसके बारे में कुछ और समझते हैं तथा यह बहुत ही अच्छी बात है। यह बहुत ही चिन्तनीय मामला है कि कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 42 प्रतिशत जो कि 68,000 करोड़ रुपये है, ब्याज के रूप में चला जाता है और सरकार की आय का सिर्फ 58 प्रतिशत ही बाकी कार्यों के लिए शेष बच पाता है। इसमें से भी एक हिस्सा गैर-योजनागत व्यय जैसे राज सहायता और अन्य चीजों में चला जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यही सिलसिला चलता रहा तो विकासात्मक कार्यों के लिए कितना धन बचेगा ? यदि यही सिलसिला चलता रहा तो जो लोग कर देने जा रहे हैं वह यह महसूस करेंगे कि इसमें से कुछ भी विकासात्मक व्यय के रूप में उनके लिए खर्च नहीं होगा। इसलिए अत्यंत ही गंभीर समस्या उठ खड़ी हो सकती है और मैं समझता हूं कि यह हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जिस पर हमें विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महादेय : एक चीज आपकी नोटिस में लानी है। इस शेड्यूल के मुताबिक आपकी पार्टी को सिर्फ एक मिनट आलीटेड है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, आप इस समय सारणी की निरर्थकता की कल्पना कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने आपकी पार्टी को आबंटित समय से दोगुना समय लिया है। मैंने जिस तरह से आपको अनुमति दी थी, उसी तरह से मैं उनको भी अनुमति दे रहा हूं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, चूंकि आपने उन्हें अनुमति दी, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप मुझे भी अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, दूसरा चिन्तनीय विषय आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह कहा गया था कि आधारभूत ढांचों के क्षेत्र के लिए 200 बिलियन डालर के निवेश की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि आज के मूल्यों पर और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत ढांचे के क्षेत्र के लिए 200 बिलियन डालर का निवेश आवश्यक है और इसे अगले कुछ वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा।

महोदय, आपने आधारभूत ढांचे के क्षेत्र के वाणिज्यीकरण के लिए जिस समिति का गठन किया था, उसने भी आगामी पांच वर्षों के लिए इतनी ही रकम का अनुमान किया था। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी यह कहा गया है कि अगले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत आधारभूत ढांचे पर खर्च किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष हमने आधारभूत ढांचे में वास्तविक रूप से जितना निवेश किया है वह वस्तुतः हम सबों के लिए चिंता का कारण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वित्त मंत्री इस वर्ष के लिए 7 प्रतिशत वृद्धि दर की बात कह रहे हैं जो कि वास्तव में बहुत ही ज्यादा है। यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत करनी है तो इस वर्ष और आने वाले वर्षों में भी यदि आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बताए गए 2000 बिलियन डालर के अनुरूप निवेश नहीं करते हैं तो मुझे सचमुच पता नहीं कि हम इस खतरनाक स्थिति से कैसे बचेंगे।

दूसरी चिन्तनीय बात है प्रशासन का व्यय। हर वर्ष हमारा प्रशासन का खर्च बढ़ता जा रहा है और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेने के बाद यह और भी बढ़ जाएगा। आप प्रशासन के खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पिछले बजट में सिर्फ खर्च की बात कही गई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वर्ष भी हमने इस पर बिल्कुल ही नहीं सोचा है।

महोदय, दूसरा विषय इस वर्ष के दौरान रोजगार और नए रोजगारों के सृजन से संबंधित है। इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। भारत जैसे देश के लिए यह भी चिंता का एक क्षेत्र है जहां अन्य चीजों की अपेक्षा रोजगार पर ज्यादा जोर होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के आंकड़े देने के साथ, जो कि जरूरी है, हमें उस वर्ष के दौरान सृजित नए रोजगारों के बारे में भी वार्षिक योजना में आंकड़े देने शुरू करने चाहिए। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अर्थव्यवस्था की स्थित का आकलन उसी वर्ष में करें।

[श्री सुरेश प्रभु]

महोदय, इस वर्ष हमें उत्पादन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में जहां कि स्थायी रोजगार के अधिक अवसर हैं, और अधिक रोजगार पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र भी इसी बात पर जोर दे रहा है कि हमें एम॰ ए॰ जी॰ नौकरियां नहीं बल्कि उत्पादन संबंधी नौकरियों की आवश्यकता है। इसलिए निरंतरता के आधार पर अर्थव्यवस्था में कुछ स्थायी नौकरियों के अवसर पैदा किए जाने चाहिए जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इसलिए और भी महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि कि अब हम नौकरियों के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से स्वचालित संचालन व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, हो सकता है कि इससे नौकरियों के उतने नए अवसर पैदा न हों जितनी उनमें कमी हो। अतः मेरा विचार है कि इस प्रकार के आंकड़े देने की कोई आवश्यकता नहीं हैं

महोदय, सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत जिस एक और आश्वासन या मील-पत्थर की अपेक्षा है, वह है वर्ष 2005 तक गरीबी उन्मूलन। इस वर्ष के बजट में 2466 करोड़ रु॰ की राशि उपलब्ध करायी गई है। मेरे विचार से साझा न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे लोगों के आंकड़े जो इस वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं, वास्वत में चिंताजनक हैं और इस संबंध में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

महोदय, एक और चिंता का अन्य विषय है तेल पूल खाते में घाटा। परंतु मैं उसके लिए वित्त मंत्री को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जब यह सरकार सत्ता में आई तो तेल पूल खाता, पहले से ही घाटे में था जिसको पिछले कई वर्षों से पूरा नहीं किया जा रहा था। शायद समर्थन देने वाले दल चाहते हैं कि यह घाटा तत्काल पूरा नहीं किया जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि तेल पूल खाते में घाटा होने के समय तथा उसी कमी को पूरा किए जाने के समय के बीच कुछ अंतराल होना चाहिए। अतः मेरा विचार है कि वे समर्थन देने वाले दलों के परामर्श पर थोड़े और समय तक प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदय, अन्य चिंता का विषय है पूंजीगत व्यय में गिरावट। मेरा विचार है कि इसी कारण से उद्योग का मूल क्षेत्र संकट ग्रस्त है। महोदय, सीमेंट और इस्पात उद्योग गिरावट की तरफ जा रहे हैं और इसका कारण यह है कि गत कई वर्षों से सरकार के पूंजीगत व्यय में निरंतर गिरावट आ रही है। महोदय, पिछले बजट में भी इस बात का उल्लेख था कि 10 बिलियन डालर की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) किया जाएगा। इस वर्ष, मेरे विचार से हमने केवल लगभग एक बिलियन डालर से कुछ ही अधिक राशि प्राप्त की है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : हमारे पास दो बिलियन डालर से अधिक राशि है।

श्री सुरेश प्रभु : मेरा विचार है कि दो बिलियन डालर की राशि स्वीकृत की गई है, परंतु वास्तव में कितनी राशि मिली है ?

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं वास्तविक राशि की ही बात कर रहा हूं।

श्री सुरेश प्रभु : ठीक है, यह राशि दो बिलियन डालर की ही है। तो यह हमारे वास्तविक लक्ष्य का 20 प्रतिशत है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैंने कहा है कि 10 बिलियन डालर की राशि का लक्ष्य एक वर्ष में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी पर उड़ान भरने का प्रयत्न करने के समान है। आपको एक समय में केवल एक या दो कदम ही उठाने चाहिए। देश में विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह की दृष्टि से हमारी स्थिति पिछले वर्ष से बेहतर रही है, वास्तव में समस्या यह है कि विदेशी मुद्रा अन्तर्वाह को रोका कैसे जाए। 31 मार्च के बाद इस देश में विदेशी मुद्रा भण्डार उच्चतम सीमा को छू लेगा। अतः वास्तविक मुद्दा है आप एफ॰ डी॰ आई॰ कैसे प्राप्त करते हैं ? इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अधिक है। जी॰ डी॰ आर॰ भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। यह पिछले वर्ष से 50 प्रतिशत अधिक है।

श्री सुरेश प्रभु : मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं तो केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में बात कर रहा था।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा जी॰ डी॰ आर॰ के बारे में बात कर रहा हूं। जी॰ डी॰ आर॰ भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के समान ही है।

श्री सुरेश प्रभु : इसके बावजूद इसकी राशि दो बिलियन डालर से अधिक नहीं है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि दो बिलियन डालर से अधिक है, एफ॰ आई॰ आई॰ की राशि दो बिलियन डालर से अधिक है तथा जी॰ डी॰ आर॰ की राशि लगभग एक बिलियन डालर है।

मुझे याद पड़ता है कि इस वर्ष कुल विदेशी मुद्रा अंतर्वाह की राशि लगभग सात बिलियन डालर है। पिछले वर्ष हमारी विदेशी मुद्रा में तीन बिलियन डालर की कमी आई। इस वर्ष 31 मार्च तक हम चार बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित कर लेंगे।

श्री सुरेश प्रभु : तो आप यह दस बिलियन डालर की राशि काफी लंबी अवधि में प्राप्त करेंगे। इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि केवल मूल ढांचे के लिए ही दो सौ बिलियन डालर की राशि का निवेश आवश्यक है। अतः इसमें लंबा समय लगेगा।

श्री पी॰ चिदम्बरम : यह अच्छी चर्चा है। मेरी इच्छा है कि मैं भी इसमें भाग लूं। दो सौ बिलियन डालर विदेशी मुद्रा नहीं होगी। वह भारी पूंजी भारत में ही अर्जित की जाएगी। विदेशी पूंजी तो पर्याप्त भी नहीं है। यह हमारी आवश्यकता का केवल चौथा भाग है। इसलिए जब हम दो सौ बिलियन डालर की बात करते हैं तो इसका मंतव्य निवेश के लिए वांछित राशि को केवल करोड़ों में ही नहीं, बल्कि बिलियन डालरों में भी बताना होता है। कृपया राकेश मोहन की रिपोर्ट का अध्ययन करें। कोई नहीं कहता कि दो सौ बिलियन डालर की राशि विदेशों से प्राप्त की जाएगी। यह राशि भारत में ही अर्जित की जाएगी भारतीय

पूंजी बाजार ही इसे उपलब्ध कराएगा, भारतीय बचत इसे उपलब्ध कराएगी। हमें कम से कम विदेशी पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि इससे यहां प्रौद्योगिकी आती है।

श्री सुरेश प्रभु : मैं राकेश मोहन की रिपोर्ट "कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर" का अध्ययन कर रहा था।

महोदय, एक अन्य मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार जी॰ डी॰ पी॰ का छः प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसके विपरीत इस वर्ष शिक्षा के लिए 4,158 करोड़ रु॰ और स्वास्थ्य पर 755 करोड़ रु॰ की व्यवस्था की गई है। शायद न्यूनतम साझा कार्यक्रम का इशारा उपलब्ध कराए जा सकने वाले न्यूनतम धन के बारे में था। यह छः प्रतिशत नहीं बल्कि छः प्रतिशत से कम है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : जी॰ डी॰ पी॰ का छः प्रतिशत हिस्सा ही इस देश को शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। आपको उसमें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार का शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च शामिल कर लेना चाहिए। आपका लक्ष्य शिक्षा पर जी॰ डी॰ पी॰ का छः प्रतिशत खर्च करने का होना चाहिए। राज्य सरकारें भी शिक्षा पर धन खर्च कर रही हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, एक प्रकार से तो संयुक्त मोर्चा के घोषणापत्र में भी विभिन्न अनुपूरक जोड़े गए हैं। मेरे विचार से न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी कुछ अनुपूरक हैं।

श्री पी॰ चिदम्बरम : आपको इसे सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : आपको खुश होना चाहिए क्योंकि मंत्री महोदय आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभु : मुझे इसकी खुशी है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : आपकी जायज शंकाओं का निवारण करने के लिए मैं तैयार हूं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, दूसरा मुद्दा कर जाल को विस्तृत किये जाने के संबंध में है। निर्धारितियों की संख्या लगभग 13 मिलियन है जिसे 400 मिलियन तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हम हमेशा से यह कहते रहे हैं कि भारत में मध्यमवर्ग के लोगों की संख्या 400 मिलियन है जो संभवतः यूरोप की जनसंख्या के बराबर है। इसीलिए विदेशियों द्वारा हमारे देश में निवेश किए जाने की गुंजाइश है। यदि हमारे देश में वास्तव में वैसे लोग हों जो निर्धारिती हो सकते हैं तो शायद उन पर कर लगाये जाने का तथा उन्हें कर जाल के अंतर्गत लाने का यह अच्छा मापदण्ड है। अगर वह चार में से एक शर्त भी पूरा करता है तो उसे कर का भुगतान करना पड़े।

श्री पी॰ चिदम्बरम : यदि कोई व्यक्ति चार में से दो शर्तों को पूरा करता है तो उसे कर का भुगतान करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, यह अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वित्त मंत्री द्वारा किये गए हस्तक्षेप के समय को शामिल नहीं कर रहा हूं। आप पहले ही दस मिनट से अधिक ले चुके हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, हर सदस्य ने 40 मिनट, अथवा 45 मिनट अथवा एक घंटे का समय लिया है। मुझे कुछ और समय मिलना चाहिए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चह्वाण (कराड़) : आप शेष बात वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कह सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना है। मान लीजिए एक कृषक अपनी कृषि की आमदनी से उन चार में से दो शर्तों को पूरा करता है तो क्या उसे कर विवरणी भरनी पड़ेगी? वैसे तो उसकी आय पर कर नहीं लग सकता। तार्किक बात तो यह है कि कृषक सहित जो कोई भी चार में से दो शर्तों को पूरा करता है उसे कर का भुगतान करना चाहिए। लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं है। बजट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा प्रावधान करने का यही उपयुक्त समय है।

दूसरा क्षेत्र सहकारी क्षेत्र है जिस पर प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं गया है। सहकारिता से अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी॰) के प्रावधान को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी सहकारी समितियां हैं जहां सदस्य तथा सहकारी समिति के बीच आपकी ताल मेल की अवधारणा के बावजूद भी उनके द्वारा अर्जित लाभ पर कर लगाया जा रहा है। इसके अलावा संस्थाओं द्वारा सृजित धनराशि के निवेश किए जाने से उससे होने वाली आमदनी पर भी कर लगाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे।

महोदय, पिछली पंचवर्षीय योजना में सहकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं था; और संभवतः वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी उस संबंध में कोई चर्चा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि पंचवर्षीय योजना में सहकार के बारे में भी एक विस्तृत अध्याय का प्रावधान किया जाएगा जैसा प्रावधान प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही किया जाता था।

महोदय, तेहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संविधान संशोधनों से स्थानीय स्वशासन को एक विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। मेरे विचार से यदि हम यह चाहते हैं कि सहाकारी समितियां ठीक ढंग से कार्य करें तो उन सहकारी समितियों को भी इसी प्रकार के अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है।

मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का सही कार्य यह होना चाहिए कि मूल्यों पर नियंत्रण करे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करे तथा यह तय करे कि रुपए का मूल्य क्या होना चाहिए। यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक का होना चाहिए। इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व

[श्री सुरेश प्रभु]

बैंक के लाभ में से 6,000 करोड़ रुपया संचित निधि के लिए ऋण के रूप में लिया है।

दस्तावेजों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को 16,000 करोड़ रुपये का और घाटा सहना पड़ा है। मैं 16,000 करोड़ रुपये के आंकड़े यहां प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं एक बात और जानना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से राजकोष प्रपत्रों के माध्यम से नहीं बल्कि अर्थोपाय अग्रिम के रूप में ही ऋण लेने जा रही है। राज्य सरकारों को इस प्रकार का अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त हो रहा है। और इसमें चूक की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें एक रुपया भी अधिक निकालने की अनुमति नहीं देता। क्या यही नियम केन्द्रीय सरकार पर भी लागू होता है जबकि बैंक सरकार के बैंकर के रूप में काम कर रहा हो। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और तभी मुझे पता चल सकेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक को सही अर्थों में स्वायत्तता प्राप्त है अथवा नहीं।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी रुग्ण कंपनियों की बात कही गई है। एक प्रस्ताव में यह कहा गया था कि एस॰ आई॰ सी॰ ए॰ को पूर्णरुपेण पुनर्गठित किया जाएगा ताकि बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ ठीक ढंग से कार्य कर सके और लघु उद्योग क्षेत्र को रुग्ण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाया जा सके। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में इस संबंध में कुछ तत्काल किये जाने की आवश्यकता है ताकि रुग्ण कंपनियों में फंसी धनराशि उत्पादन क्षेत्र में आ सके। बैंक द्वारा अनुपयोज्य आस्तियां भी कम की जा सकती थीं।

जहां तक कृषि का संबंध है, इस वर्ष कृषि के बारे में सावधान किया गया है। गत वर्ष कृषि तथा सिंचाई के लिए 1242 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था जबकि वास्तविक रूप में 815 करोड़ रुपया ही प्रदान किया गया। वर्ष 1997-98 में इसमें कमी करते हुए 323 करोड़ रुपये का ही प्रावधान है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बारे में कुछ करेगी। बालिका शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने की योजना भी समाप्त हो गयी है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : नहीं वह कार्यक्रम अभी जभी जारी है। इसे रोका नहीं गया है।

श्री सुरेश प्रभु : दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचत में कैसे वृद्धि करेंगे ? निजी लोग तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा सर्वाधिक बचत की जा रही है। बचत में वृद्धि कैसे की जाए ? वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 200 बिलियन रुपये में से अधिकांश धन बचत द्वारा अर्जित किया जाएगा। घरेलू बचत कर्ताओं को, जिनके माध्यम से अधिकांश बचत होती है, कौन सा प्रोत्साहन दिया जा रहा है? वे लोग ही एफ॰ डी॰ आई॰ के देश में आने को टाल सकते हैं। उन्हें कैसे लाभ पहुंचेगा ? यदि आप एफ॰ डी॰ आई॰ तथा अन्य को इतना प्रोत्साहन देंगे तो घरेलू बचत के लिए कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैं वित्त मंत्री जी से इनके बारे में जानना चाहूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी के विचारार्थ तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक हमारे पास एक ऋण प्रतिदान निधि होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्राप्तियों को सीधे इसी निधि में जमा होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंशों की ऋण से विनिमय की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरा मुद्दा दूर-संचार शुल्क से संबंधित है। दूर-संचार शुल्क से सरकार को एक ही बार लाभ होता है। कतिपय क्षेत्रों में आप सरकारी एकाधिकार को छोड़ रहे हैं तथा उसके बदले में आपरेटरों (प्रचालकों) से आपको कुछ मुआवजा मिल रहा है। इस वर्ष दूर-संचार क्षेत्र से हमने लाइसेंस शुल्क के रूप में 3700 करोड़ रुपये ऋण लिया है। यदि ठीक-ठीक कहा जाए तो, सामान्य लेखा मापदंडों के मुताबिक भी यह राशि अप्रत्याशित आय ही है और इसे सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। इस धन के सदुपयोग की आवश्यकता है। चूंकि यह एक बार होने वाली प्राप्ति है इसलिए इसे विभाग के राजस्व व्यय के रूप में खर्च करने के बजाए कुछ ठोस कार्य पर खर्च किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की होने वाली एक बार की राजस्व प्राप्तियों के प्रयोग के संबंध में एक नीति बनाई जानी चाहिए।

हमारे पास पिछड़े क्षेत्र के लिए बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण पत्र होना चाहिए। साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार जैसा कि आपने पहले ही कहा है, देश के सौ सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान की जाएगी और इनके वास्ते आप कुछ धन का प्रावधान करने जा रहे हैं। इसलिए कई प्रकार के कार्यक्रम हैं। कुछ क्षेत्रों को कभी भी लाभ नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश पर सरकार का समुचित ध्यान नहीं है। हम लोग क्षेत्रों की पहचान ठीक से और उन्हें धन देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे विचार में इन क्षेत्रों की पहचान के लिए उपयुक्त योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।

अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचें पर अधिक निवेश की आवश्यकता है। वास्तव में, हम जब तक पिछड़े क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर नहीं कर लेते तब तक अन्य क्षेत्रों पर धन खर्च नहीं करना चाहिए। मुंबई के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता है। आप वास्तव में इसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मुंबई में पूरे देश के लोग रहते हैं। इसलिए मुंबई के विकास के लिए अधिक धन दिए जाने की जरूरत है।

महोदय, हम लोग लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त हो चुके हैं। कोई उद्योग कहां स्थापित होगा, अब इसका फैसला सरकार नहीं करती है। यदि आप उद्योगों को किसी पिछड़े स्थान पर जाने के लिए कतिपय वित्तीय लाभ नहीं देंगे तो वे इस प्रकार के स्थानों पर कभी नहीं जाएंगे।

अपराह्न 9.00 बजे

इसलिए मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह कम से कम इन विषयों पर ध्यान दें क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक अलग नजरिए तथा अलग वित्तीय नीति की आवश्यकता है। तभी हम उन क्षेत्रों में लोगों का जाना प्रोत्साहित कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सरदार सुरजीत सिंह बरनाला बोलेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : मैं आपके द्वारा श्री सुरजीत सिंह बरनाला को पुकारने के फैसले को स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे यह कहना है कि अभी तक हमारी पार्टी के 140 सदस्यों में से सिर्फ एक सदस्य ही बोले हैं। इसलिए, कृपया उसके बाद हमारी पार्टी के कम से कम दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दीजिए। ऐसा इसलिए कि कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी के अनुरोध को मान लिया था और मैंने श्री शरद यादव को बोलने दिया था जबकि उस समय मेरे पार्टी के सदस्य के बोलने की बारी थी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगली टर्न बी॰ जे॰ पी॰ की है बल्कि मैं उनसे पहले इनको बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : हमारी पार्टी की तरफ से भी एक बोला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : हमारी स्थिति क्या है ?...*(व्यवधान)*... बहुत हो गया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : हाउस कितने बजे तक चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : 10 बजे तक चलेगा।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, इसका धन्यवाद। फाइनेंस मिनिस्ट, साहब की स्पीच हमने बहुत ध्यान से सुनी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ चिदम्बरम : श्री संतोष मोहन देव, भाजपा के कितने सदस्यों ने भाषण दिया है ? उनके पक्ष से भी अभी तक सिर्फ एक सदस्य ही बोला है।

श्री संतोष मोहन देव : यदि भाजपा से भी सिर्फ एक ही सदस्य बोला है तो मैं सहमत हूं...*(व्यवधान)*...मेरे पास एक महिला सदस्य का नाम है जो बोलने की प्रतीक्षा कर रही हैं।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जो शब्दावली इस्तेमाल की गई वह बहुत बढ़िया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : सुनते-सुनते पात ही नही लगता कि किसके हक में जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने बहुत ही सौम्य और भ्रामक भाषा का प्रयोग किया है।

[हिन्दी]

किसके हक में जा रही है और किसके खिलाफ जा रही है। वह तो चलती रही। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होने के बाद बहुत शोर-गुल हुआ करता था। इमीजेट रिएक्शन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रो वीक बजट है, कुछ कहते हैं कि एंटी पुअर बजट है। कुछ कहते हैं कि एंटी फार्मर बजट है और कुछ कहते हैं कि प्रो॰ इंडस्ट्री बजट है।...*(व्यवधान)* ऐसी बातों को सुनने में नहीं आया है। एक बात जरूर हुई कि प्रो लिबरेलाइजेशन बजट है। यह बात उस दिन अक्सर सुनने में आई कि प्रो लिबरेलाइजेशन बजट है। यह तो सारी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है। प्रो लिबरेलाइजेशन तो कोई बुरी बात नहीं थी। इसके बाद भी ऐसा होता है कि बजट स्पीच के बाद अक्सर वोट क्लब पर कैम्प लगने शुरू हो जाते हैं कोई लाल झंडे वाला होता है तो कोई दूसरे झंडे वाला होता है। इस तरह बहुत से कैम्प लगते हैं। कई भूख हड़ताल पर बैठते हैं कि हमारा काम ऐसा नहीं है। बजट ठीक होना चाहिए। वह तो चलता रहता है। इस दफा यह सब हमें देखने में नहीं मिल रहा है। इस दफा लगता है कि कुछ लोगों ने इस बजट को एक्सैप्ट किया है।

मैं इसको और तरह से देख रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर का यह बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि 14 पार्टियां हैं। 14 पार्टियों की फिलोस्फी अलग है, सोच अलग है। कोई लैफ्ट को देखता है तो कोई राइट को देखता है। कोई मिड में रहता है। बड़ी मुश्किल बात थी और साथ में लेकर चलना था उन दो पार्टियों को जो बाहर से सपोर्ट कर रही है। उनको भी साथ लेकर चलना था तो मुश्किल काम था।

[अनुवाद]

श्री पी॰ षण्मुगम (वेल्लोर) : क्या वाद-विवाद दस बजे रात्रि के बाद भी चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : उनकी तारीफ करनी ही बनती है। उन्होंने यह काम बहुत बढ़िया किया है। इससे कुछ लोग तो खुश हुए हैं। स्टॉक मार्केट बहुत खुश है, कारपोरेट सैक्टर बहुत खुश है।

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

फॉरन इन्वेस्टमैंट भी बहुत खुश है।...*(व्यवधान)*

श्री वाजपेयी साहब की स्पीच भी मैंने सुनी। वे बहुत कटाक्ष नहीं कर सके जबकि वे कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ओपोजिशन में बैठकर कुछ न कुछ तो कहना ही होता है। हमारे पास डेपुटेशन तो आते ही रहते हैं। पहले आया करते थे कि यह बात करिये, वह बात करिये, इस दफा महज दो ही आये हैं। एक इंडक्शन फरनीशिस है। स्टील इंडस्ट्री

[अनुवाद]

यह दुधारी तलवार पर चलने के समान था और वह इस पर बड़ी सफाई से चले। मैं उन्हें इसका श्रेय देता हूं।

[हिन्दी]

वहां के लोग आये क्योंकि इंडक्शन फरनीशिस पर इंस्टाल कैपेसिटी ड्यूटी लगा दी। वे कहते हैं कि हमारा तो प्रोडेक्शन इतना होता ही नहीं है उसके बारे में शायद कुछ सोचना पड़ेगा कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर नहीं लगना चाहिए। जितना प्रोडक्शन है, उस पर लगे, ठीक लगे। उसे चैक कर लिया जाए। कोई तरीका बन सकता है। यदि वे इवेड करते हैं तो उसे ठीक ढंग से किया जा सकता है। एक साहब और आए, जिनका जिक्र वाजपेयी जी ने भी अपनी स्पीच में किया है कि आपने लड़ाई करवा दी है। जूट बैग्स और पौलीथिलीन बैग्स के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। उनका झगड़ा है। वे लोग भी हमारे पास आए थे। मैं यह इसलिए मैनशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी है। 1978 में जब मैं फूड मिनिस्टर था, उस वक्त प्रोक्योरमैंट का पीरियड आ गया, जैसे आज है। प्रोक्योरमैंट के लिए हमें गन्नी बैग्स चाहिए होते हैं। हमें 8 करोड़ बैग्स की जरूरत थी। हुआ यह कि उससे थोड़ा अरसा पहले बंगाल में जूट मिल में स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक लंबी चली गई। बहुत कोशिश के बावजूद भी स्ट्राइक खत्म नहीं हो रही थी। इसलिए जूट बैग्स नहीं मिल रहे थे। जितने हमें चाहिए थे उससे सिर्फ आधे ही हम जुटा सके। हमें 8 करोड़ बैग्स चाहिए थे लेकिन हमारे पास 4 करोड़ बैग्स ही आए। हम एकदम से बड़ी मुश्किल में फस गए कि क्या किया जाए। कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में बांग्लादेश से डिमांड आई कि हमें थोड़े चावल चाहिए। यह भी डिमांड आई कि राइस सीड्स चाहिए। हमारे पास था, हमने एकदम उनसे बात की कि आपको यह चाहिए तो हम दे सकते हैं लेकिन आप हमें जूट बैग्स दीजिए। ये चीजें तभी जाएंगी जब जूट बैग्स आने लगेंगे। हमें बांग्लादेश में जूट बैग मंगवाने पड़े। इसलिए मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जब किसी की मोनोपोली हो जाती है तो एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किसका फायदा है, किसका नहीं है। किसी काम में पोलीथिलीन बैग बढ़िया काम देते हैं, किसी में जूट बैग देते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं।

हमें कुछ शंका हुई वह यह कि यह बजट साइलैंट है। पैट्रोलियम प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा गया। सबको महसूस हो रहा है कि थोड़ी देर के बाद पैट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगे। उसका असर पड़ेगा। पैट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यह हमें लगता है। इन्फ्लेशन का भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्फ्लेशन भी होगा। इनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए प्रोवीज़न बहुत कम किया गया है। अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि इरीगेशन के लिए जितना चाहिए उतना नहीं है। पंजाब में बहुत देर से थीन डैम एक इरीगेशन प्रोजैक्ट चल रहा है। इरीगेशन भी है और उससे कुछ पावर भी जनरेट होना है। लेकिन वह डिले होता जा रहा है। शुरू में वह प्रोजैक्ट 84 करोड़ रुपये का था, आज 3000 करोड़ रुपये का हो गया है लेकिन मुकम्मल नहीं हो रहा है। राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे तो मैं पंजाब में था। मैं उनको वहां पर ले गया था। 1986 में फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया। 1-2 साल तो उसको पैसा मिला और बहुत प्रगति हुई। टनल बन गई और काम तकरीबन मुकम्मल हुआ है। वहां पर थोड़े पैसे की जरूरत है। उसको पैसा नहीं मिल रहा है। एक साल में पूरा पैसा मिल जाए तो पावर सैक्टर में उससे अगले साल इरीगेशन शुरू हो सकती है। एक साल और लग जाए तो पावर बननी शुरू हो सकती है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उनको इसके लिए प्रोवीजन करना चाहिए। हमारे यहां बिजली की बहुत जरूरत रहती है और सप्लाई पूरी नहीं है। हमारे यहां दो थर्मल पावर स्टेशन हैं - एक रोपड़ में है और दूसरा भटिंडा में है। दोनों के पास कोयला नहीं पहुंचता। हमको बार-बार यहां पर कोयले की बात करनी पड़ती है। जब 2-3 दिन का कोयला रह जाता है तो बड़ी मुश्किल से इधर-उधर से कोयला लेकर जाते हैं। वे दोनों पूरे चलें, उसके लिए भी कोई प्रोवीजन होना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि उसके साथ हमें अटॉमिक पावर प्लांट मिलना चाहिए। पंजाब की यह डिमांड बहुत देर से चली आ रही है कि हमको बहुत दूर से कोयला मंगाना पड़ता है इसलिए हमें अटॉमिक ऐनर्जी मिलनी चाहिए। हमें इस बात के लिए कोशिश करते हुए पंद्रह साल हो गए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हम समझते हैं कि पंजाब में किसी जगह अटॉमिक प्लांट लगे। साइट देख भी ली गई है लेकिन सैंक्शन रह जाती है। अभी बन नहीं रहा है। इसको करने की जरूरत है। एक बहुत जरूरी बात पंजाब के बारे में ही जनरल में कहूंगा। वह यह कि स्पेशल टर्म लोन की बात है, पंजाब में कुछ पैसे की कमी हो गई, जब पंजाब में यह आतंकवाद बढ़ा,

[अनुवाद]

पिछले 10 वर्षों में

[हिन्दी]

1985 से लेकर 1995 तक पंजाब के जिम्मे कर्जा होता चला गया, क्योंकि आतंकवाद के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती थी, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी, सब चीजों की जरूरत पड़ती थी। हम जो पैसा लेते थे, वह पैसा स्पेशल टर्म लोन के नाम पर दे दिया जाता था। वह बढ़ते-बढ़ते 31 मार्च, 1995 को 5600 करोड़ रुपये हो गया। उस पर और इंटरैस्ट पड़ जाता है। नरसिंह राव जी पंजाब में गये, उन्होंने कहा कि हां, यह

राइट ऑफ कर दिया जायेगा, लेकिन वह हुआ नहीं। उनके जाने के बाद महज 800 करोड़ रुपये छोड़ा गया, बाकी वैसे का वैसा खड़ा है। अब यह जो पंजाब की लड़ाई थी, यह कोई पंजाब का मसला नहीं था, यह तो नेशनल मसला था। यह लड़ाई एक प्रॉक्सी वार थी, जो दूसरी तरफ से एक्रास दि बोर्डर लोग कर रहे थे और उनके साथ पंजाब लड़ाई लड़ रहा था।

[अनुवाद]

लेकिन यह राष्ट्रीय समस्या थी। पंजाब पूरे राष्ट्र के लिए लड़ रहा था।

[हिन्दी]

सक्सेसफुली हम लड़ते रहे, बहुत कुरबानी की, बहुत जानी, माली नुकसान हुआ, हर किस्म का नुकसान हुआ। अब वह टर्म लोन इतना बड़ा हो गया कि वह पंजाब नहीं दे सकता। इसके लिए हम सरकार से बार-बार कहते हैं, थोड़े दिन हुए, तब भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, फिर एक डैपुटेशन हमारा भी मिला है। यह टर्म लोन राइट ऑफ होना चाहिए, पंजाब इसे दे नहीं सकेगा। पंजाब के पास बिल्कुल डवलपमेंट रुक जाता है, अगर वह यह पैसा देना शुरू कर दे।

अब फूड प्रोडक्शन की बात करना चाहता हूं। फूड प्रोडक्शन का बड़ा मसला खड़ा हो गया। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। दो मिलियन टन इसी साल में हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और यही हाल रहा तो फिर शायद हर साल करना पड़ेगा। जो इम्पोर्ट खत्म हो गया था वह फिर से हमको चालू करना पड़ेगा और इसमें इतना पैसा लग जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़े रह जाते हैं, वहां पर चलते रहते हैं और इससे कई मसले पैदा होते हैं। एक तो यह कि बाहर से हम खरीदते हैं, वह ज्यादा दाम का होता है। अब 622 रुपये क्विंटल का गेहूं बाहर से खरीदा जा रहा है। यहां पर 415 रुपये दे रहे हैं। उसकी लैंडिड कास्ट और बढ़ जायेगी, वह 675-680 रुपये के करीब हो जायेगा। 680 पर यहां आकर पोर्ट पर पड़ेगा। यहां के किसान को 415 रुपये देना चाहेंगे, मेरी फूड मिनिस्टर से भी यहां पार्लियामेंट में ही बात कही थी, इससे हमें ऐसा लग रहा है कि अगले साल के लिए प्रिक्योरमेंट हो नहीं सकेगा, बहुत कम हो जायेगा। इसलिए इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कोई इंसैंटिव आपको देना पड़ेगा, तब यह फार्मर प्रिक्योरमेंट में अनाज देगा, वरना देगा नहीं और प्रिक्योरमेंट कम हो जायेगा। इस पर अभी से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन में सीजन शुरू होने वाला है। पंजाब का अनाज मंडियों में आ जायेगा, हरियाणा का अनाज मंडियों में आना शुरू हो जायेगा। उसके लिए अभी से आपको कुछ सोचना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रिक्योरमेंट हो जाये। प्रिक्योरमेंट न होने की सूरत में देश को बहुत नुकसान होता है और बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए कोई इंसैंटिव देना चाहिए।

अभी यहां राइस के साथ भी ऐसा ही होता रहा। राइस की दो क्वालिटीज़ हैं, एक फाइन है, एक सुपरफाइन है। वही चीज हरियाणा में तो सुपरफाइन करके लिया जाता था, उसके लिए 20 रुपये ज्यादा दिया जाता था। पंजाब में वह राइस फाइन करके लिया जाता था, 20 रुपये हमें कम मिलते रहे। हम प्रोटैस्ट भी करते रहे, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। इससे हमारा 150 करोड़ रुपये साल का नुकसान हुआ। इसको चलते हुए तीन साल हो गये हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकला है। कई दफा ऐसा होता है कि पंजाब का किसान किसी न किसी तरह चोरी छिपे जाकर हरियाणा की मंडी में बेचते हैं, क्योंकि उसी अनाज के 20 रुपये ज्यादा मिल जाते हैं। फिर जब यह बहुत शोर हुआ, उस समय बराड़ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन दिनों में यहां सैण्ट्रल गवर्नमेंट में यह फैसला किया गया कि पांच रुपये बोनस देंगे। चलो पांच रुपये थोड़ा था, लेकिन पांच रुपये तो मिलना था, वह बोनस भी किसान को नहीं मिल सका, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बातें हैं, ये सारी ध्यान में रखने की हैं, क्योंकि फूड प्रोडक्शन अगर किसी कारण से कम हो जाये तो उस पर भी बहस हो रही थी, जबकि फर्टिलाइजर की बात चली थी, तब भी मैंने यह जिक्र किया था।

इसी तरह कॉटन की बात है। कॉटन की प्राइसेज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। 2200 रुपये कॉटन की प्राइस पिछले साल रही, इस साल भी शुरू-शुरू में उम्मीद थी कि थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन बाद में वह गिर गई ओर 1500 रुपये किसान को बेचनी पड़ी। इसके लिए कुछ बंदोबस्त नहीं हो रहा है। कॉटन कार्पोरेशन फील्ड में उस समय आया जब किसान मंडियों में अपना माल बेच चुका था। उस समय उसने काम शुरू किया, फिर निर्यात नीति बनाई कि हम यह करने वाले हैं। जबकि इसकी नीति पहले बनानी चाहिए कि इतना एक्सपोर्ट होगा और इतना कॉटन कार्पोरेशन या नैफेड या अन्य कोई एजेंसी खरीदने वाली है। उसके लिए समय पर मंडियों में जाएं, तभी कॉटन ग्रोअर को फायदा होगा।

शूगर केन का झगड़ा वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन पंजाब में कुछ ज्यादा ही है। हमारे यहां 20 चीनी मिलें हैं। छः प्राइवेट सेक्टर में है और 14 कोआपरेटिव सेक्टर में है। गन्ना किसानों का उन पर करीब 147 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। कुछ काम नहीं हो रहा है, लोग धरने पर बैठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहां फ्रूट प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन उसके प्रोसेसिंग की सुविधा नहीं है। राज्य सरकार करती है, लेकिन वह थोड़ा करती है। भारत सरकार को इस तरफ ध्यान देकर प्रोसेसिंग फैसेलिटी ज्यादा देनी चाहिए। पंजाब में अंगूर की फसल होती है। वह टेबल फ्रूट बनकर रह जाता है, उसकी बिक्री नहीं होती। कई बार वह खराब हो जाता है, खेत में ही खराब हो जाता है। कई बार तो हमारे यहां दो रुपये किलो अंगूर बिकता है। लोग रेहड़ियां ले जाते हैं और मंडियों में आकर बेचते हैं।

हमारे यहां पर एक मसला और खड़ा हो रहा है, वह रिवर वाटर का है। यह बहुत देर से चल रहा है। पंजाब में कैनाल के माध्यम से जितनी इरीगेशन चाहिए वह नहीं हो रही है। हमारे यहां 35 प्रतिशत कैनाल इरीगेशन है, बाकी सारी ट्यूबवैल से होती है। छोटा-सा राज्य है। लोग मजाक में उसे 'पंजाब सूबी' कहने लग गए थे। वहां आठ लाख पचास हजार ट्यूबवैल है। इससे वे बिजली भी बहुत खा जाते

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

हैं और ग्राउंड वाटर को भी बाहर निकाल रहे हैं। ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, उससे बड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं। कुछ एरिया ग्रे बनता जा रहा है। वहां पर आगे ट्यूबवैल नहीं लग सकते, क्योंकि पानी ही नहीं निकलेगा। यह इसलिए हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इरीगेशन ले लें। रिवर वाटर से उतनी नहीं मिल रही, जितनी मिलनी चाहिए। इसलिए हमने चैनल को पक्का किया। उसकी वजह से रीचोजिंग नीचे बंद हो गई है। इससे भी हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहां डेढ़ लाख के करीब डीजल से चलने वाले ट्यूबवैल हैं। उनको बिजली नहीं मिलती या कनेक्शन नहीं मिलता तो लोग डीजल से चलाते हैं। जब डीजल के भाव बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। पंजाब में गेहूं की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरे राज्यों से ज्यादा होती है, क्योंकि हम बढ़िया बीज डालते हैं, फर्टिलाइजर ज्यादा डालते हैं। इसीलिए हम बार-बार कहते रहे हैं कि किसी तरह से इसको देखें। किसान का जो काम है वह फायदेमंद नहीं रहा है। इसके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा इन बातों का ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री साहब कुछ हल निकालने की कोशिश करें।

श्री आई॰ डी॰ स्वामी (करनाल) : महोदय, सामान्य बजट पर मुझे बोलने का मौका प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हर बजट पर देश में हाय तौबा मचती है। इस वर्ष भी कुछ वैसे ही वक्तव्य दिये गये हैं। मुंबई के एक शेयर दलाल ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री को नोबल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यह समाचार पत्रों में भी आया था। उसी शहर के एक उद्योगपति ने यहां तक कहा कि वह इस बजट के लिए वित्त मंत्री को 10 में से 9.90 अंक देंगे।

यह सब इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री जी ने शेयरधारकों तथा व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छे प्रावधान किए हैं। सामान्यत: हर वित्त मंत्री यही करता है क्योंकि उसे उन लोगों की मदद चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि शेयर बाजार में यह जल्द ही महसूस किया जाएगा कि शेयरधारकों के लिए कुछ अच्छे प्रावधान करने मात्र से बजट अच्छा नहीं हो जाता; कम से कम भारत जैसे देश में तो ऐसा ही है जहां इन लोगों की संख्या बहुत कम है।

जब तक कुल अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता, तब तक निगमित आय का ज्यादा महत्व नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी का दावा है कि राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष में 5.9 प्रतिशत की तुलना में घटकर 5 प्रतिशत हो गया है, उनके अनुसार इसमें और गिरावट आएगी और आने वाले वर्ष में यह 4.5 प्रतिशत रह जाएगा। इससे शायद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक अथवा व्यापारिक समुदाय को लाभ मिलेगा। लेकिन सत्य तो यह है कि 65,000 करोड़ रुपये का घाटा जैसा कि बजट में दर्शाया गया है, अब तक का सबसे बड़ा घाटा है ? इस राशि में से 16,000 करोड़ रुपया करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाएगा। इसके पहले केन्द्र सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर करेंसी नोट कभी नहीं छापे गये। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री पी॰ चिदम्बरम : महोदय, कृपया मुझे बोलने दें। मैं समझता हूं कि अब 16,000 करोड़ रुपये के बारे में गलतफहमी दूर करने का समय आ गया है ? पहली बार हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए सरकार द्वारा उधार लिये जाने के कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक से मिलने वाले सहयोग को दर्शाया। इस आंकड़े को मौद्रिक घाटे के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी उधार कार्यक्रम को दिया जाने वाला यह सर्वाधिक सहयोगी है। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक की सरकार की ओर कुल ऋण के बराबर नहीं है जोकि मौद्रिक घाटे का एक भाग है। भारतीय रिजर्व बैंक का सरकार की ओर कुछ ऋण अधिक से अधिक 16,000 करोड़ रुपये होगा जिसमें भारतीय बैंक का खुले बाजार में कारोबार का हिस्सा शामिल नहीं है। अत: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तथा कर की दरों को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने यह घोषणा की है कि सरकार के उधार संबंधी कार्यक्रम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वाधिक समर्थन है।

यह कहना भी सही नहीं है कि 'मौद्रिक आंकड़ा' कभी ज्यादा नहीं रहा है। वर्ष 1995-96 में जो पिछली सरकार का अंतिम वर्ष था और जिस वर्ष का पूरा आंकड़ा उपलब्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकार की ओर ऋण का मौद्रिक आंकड़ा 19,855 करोड़ रुपये रहा है।

श्री आई॰ डी॰ स्वामी : आप इस वर्ष उससे थोड़ा पिछड़ रहे हैं।

श्री पी॰ चिदम्बरम : इस स्पष्टीकरण के बाद भी यदि आप कहते हैं कि हम पिछड़ रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने मेरे स्पष्टीकरण को नहीं सुना। 16,000 करोड़ रुपये का राशि सर्वाधिक सहयोग की वह राशि है जो उनके द्वारा दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की निबल उधार राशि वर्ष 1997-98 के अंत तक ही उपलब्ध हो पाएगी जब हमें भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार में कारोबार के बारे में जानकारी मिलेगी। उदाहरण के लिए वर्ष 1996-97 में परसों तक 'मौद्रेक घाटा' 6,000 करोड़ रुपये से कम था। यह मानने का कोई कारण नहीं था कि अगले वर्ष मौद्रिक घाटा 16,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसका पता अगले मार्च में ही लग सकेगा जब भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार में कारोबार के बारे में जानकारी मिल जाती है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के सरकार के उधार कार्यक्रम के लिए अधिकतम सहयोग को दर्शाने के लिए एक नये उपाय के रूप में शुरू किया है। इस प्रकार से 16,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा 'मौद्रिक घाटा' नहीं है। 'मौद्रिक घाटा' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाला कुल ऋण है जिसके बारे में आंकड़ा 1997-98 के अंत तक ही उपलब्ध हो पाएगा।

श्री आई॰ डी॰ स्वामी : 65,000 करोड़ रुपये के घाटे के बारे में क्या कहना है ?

श्री पी॰ चिदम्बरम : वह राजकोषीय घाटा है। सकल राजकोषीय घाटे में कमी आई तथा इसे और भी नीचे लाया जा सकता है। पूर्ण संख्या में कमी तभी आएगी जब राजस्व घाटे का निपटान कर दिया जाए। आज हम राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशतता के आधार पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब डॉ॰ मनमोहन सिंह ने कार्यभार संभाला था तो उस समय राजकोषीय घाटा

8.3 प्रतिशत था। जब उन्होंने कार्यभार छोड़ा तो राजकोषीय घाटा 5.5 प्रतिशत था। हमने इसे पांच प्रतिशत तक कम कर दिया है, और हमें विश्वास है कि इसे हम 4.5 प्रतिशत तक ले आयेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार चाहे जो भी आए, हम इसे घटाने में सक्षम रहेंगे।

श्री आई॰ डी॰ स्वामी : बहरहाल, मैं केन्द्रीय योजना परिव्यय के बजट प्राक्कलनों की बात कर रहा था। वर्ष 1996-97 में यह 87,000 करोड़ रुपये था। इसमें से 77,500 करोड़ रुपये खर्च हो गए और अधिशेष को बचत के रूप में दर्शाया गया है। एक के बाद एक क्षेत्र को न केवल चालू खाते में बल्कि पूंजीगत लेखे में भी उन्हें आबंटित की गई राशि को खर्च करने में परेशानी हुई। पैट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, ग्रामीण विकास, कृषि तथा विद्युत विभागों से जुड़ी योजनाओं में काफी कमियां हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि हमेशा संसाधनों की कमी की शिकायत करने वाला प्रशासन गत वर्ष बजट लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहा। इन बचत राशियों को कम घाटे के रूप में दर्शाया जाता है। कैसे ? बचत की गई राशि सकल घेरलू उत्पाद का एक प्रतिशत है और इसे 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता था। यह कभी 6 प्रतिशत हो सकती थी। लेकिन वह एक प्रतिशत कमी बजट दावे के अनुसार कम होकर पांच प्रतिशत हो गई। सही अर्थों में यदि एक प्रतिशत बचत को जोड़ दिया जाए तो घाटा 6 प्रतिशत जो जाएगा। बहुत मामलों में आबंटन आने वाले वर्षों में गत वर्ष की तुलना में कम है। उदाहरणार्था, केवल विद्युत क्षेत्र के लिए आबंटन 6,943 करोड़ रुपये अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 150 करोड़ रुपया कम था। वास्तविक रूप में यह उससे भी कम हो सकता है। यदि पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत संकट को दूर करना है तो विद्युत उत्पादन क्षमता को कम से कम 40,000 मेगावाट तक बढ़ाना पड़ेगा जिसमें से 30,000 मेगावाट बिजली सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत होगी। इसके लिए पांच वर्षों में 1,50,000 करोड़ रुपये अर्थात् प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ेगा। यह धनराशि कहां से आएगी ? इसे बजट में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। बजट में 7,000 करोड़ रुपये से कम का प्रावधान है। हमें 30,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

हरियाणा में भी हम पंजाब की तरह कुछ और संयंत्र चाहते हैं, जैसाकि श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने उल्लेख किया है। हमें और ज्यादा संयंत्रों की आवश्यकता है। हमारा छठा संयंत्र पानीपत में है जिसे चालू करने के लिए हमें लगभग 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमने माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया था। सभी संसद सदस्य उनके पास गए थे। हम लोगों ने हरियाणा में मद्य निषेध की नीति शुरू की है। वास्तव में यह हमारे देश के संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप भारत सरकार का कर्त्तव्य है। यदि ऐसा किया गया होता तो शायद हम इसकी मांग नहीं करते। हमने 600 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है क्योंकि हम अंततः इतनी बिजली का उत्पादन करेंगे। हम उड़ीसा से बिजली उधार लेते हैं। हम हिमाचल प्रदेश से भी बिजली उधार लेते हैं। लेकिन पारेषण लाइनों का भी आधुनिकीकरण किया जाना है। इसके लिए हरियाणा में हमें 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सिर्फ चार या पांच धान उगाने वाले जिले हैं मसलन, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल इत्यादि में हमें पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं विद्युत के उत्पादन की तो बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम हरियाणा जैसे छोटे राज्य में जहां का कुल बजट बहुत ही कम है, मद्य निषेध के खाते में 600 करोड़ रुपये का घाटा बहुत ही ज्यादा है। भारत सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी कि हमारी। एक अच्छे परिवर्तन के तौर पर जनता ने इस निर्णय की प्रशंसा की है। अपराधों में कमी आई है। मद्य निषेध के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। महिलाओं, वृद्ध पुरुषों और यहां तक कि नवयुवकों ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। हम लोग यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस छोटे से राज्य को कम से कम विद्युत के उत्पादन के लिए 600 करोड़ रुपये दिए जाएं।

बड़े स्तर पर भी, राजस्व व्यय को कम करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर बहुत ही कम प्रयास किया गया है। कैसे ? वर्ष 1990 से 1995 के दौरान जब कि नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी—जो श्री मनमोहन सिंह का दौर था—उसमें सरकारी खर्च बढ़कर 6 प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा हो गया था। लेकिन चालू समय में यह खर्च 13 प्रतिशत तक बढ़ गया है। और पूंजीगत व्यय में, जो कि वृद्धि से जुड़ा हुआ है, 19 प्रतिशत की गिरावट आ गई है। आश्चर्य नहीं कि बिजली और पैट्रोलियम उत्पादों में कमी आ गई है और आधारभूत संरचना के अधिकांश स्तरों पर भी इसकी कमी है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपयोगी क्षेत्र कृषि और लघु उद्योग हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था के आधार हैं तथा हमारी जनता को रोजगार देते हैं। हमारी श्रम शक्ति का 90 प्रतिशत इन्हीं में लगा हुआ है। इन दोनों क्षेत्रों में यदि वृद्धिरोध नहीं भी हुआ है तो भी ये स्थिर हो गए हैं। वर्ष 1990 के बाद से खाद्यान्न के उत्पादन में 1.7 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हो रही है जबकि जनसंख्या में 1.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो रही है। यह भारत जैसे देश के लिए अत्यंत ही खतरनाक है जहां आधी जनसंख्या को सिर्फ एक जून ही भोजन मिलता है। जैसा कि श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने बताया, हरियाणा राज्य और ज्यादा उत्पादन कर सकता है लेकिन पिछले वर्ष पूरे देश में उत्पादन में गिरावट आई है। हरित क्रांति के बाद हम देश की आत्म निर्भरता और निर्यात क्षमता के बारे में गर्व करते रहे हैं। लेकिन आज हम पुनः उसी स्थिति में हैं। हम लोग वापस उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से चले थे। खरीद मूल्य बढ़ाना चाहिए या अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों को कुछ बोनस दिया जाना चाहिए, जैसा कि कुछ राज्यों में दिया जा रहा है या जैसे कुछ राज्यों को खनिजों के लिए कुछ अन्य प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। हम गेहूं और चावल का उत्पादन कर रहे हैं, और चावल का मुख्यतः निर्यात कर दिया जाता है तथा विदेशों में काफी पसंद भी किया जाता है।

[श्री आई॰ डी॰ स्वामी]

महोदय, जहां तक लघु क्षेत्र के उद्योगों का प्रश्न है, मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण का खंड 'क' पढ़कर चकित रह गया कि 14 मदों को लघु क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। इस संबंध में कुछ सुझाव मिले थे। अनारक्षित मदों में क्या शामिल हैं? ये हैं - चावल मिलें, दाल, कुक्कुट दाना, सिरका, बिस्कुट, कृत्रिम शर्बत, आइसक्रीम, मोटर-गाड़ियों के विभिन्न कल-पुर्जे और पनारीदार कागज एवं पेपर बोर्ड। वित्त मंत्री कहते हैं कि इन कारोबारों में नए निवेश और नई प्रौद्योगिकी के आने की संभावना है। बिस्कुट और आइसक्रीम के लिए हमें नए निवेश और प्रौद्योगिकी की क्या जरूरत है ? इन्हें लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए छोड़ देना चाहिए। अन्यथा, लघु क्षेत्र के उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े उद्योग निगल जाएंगे, जैसे टाटा बिड़ला, इनका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। यदि इन बातों को होने दिया जाता है तो लघु क्षेत्र के उद्योग नष्ट हो जाएंगे और कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे।

मैं एक विशिष्ट उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे पिछले वर्ष भी बजट से पूर्व माननीय वित्त मंत्री को यह कहने का मौका मिला था। 'इंडियन वूलेन एण्ड शॉडी मिल्स एसोसिएशन' पिछले एक वर्ष से उत्पाद शुलक के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। 'शॉडी वूलेन यार्न' पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है। यह 'शॉडी यार्न' क्या है ? यह 'शॉडी यार्न' समाज के निर्धन वर्ग के लिए बनता है। देश में पानीपत ही एकमात्र स्थान है जहां 'शॉडी यार्न' की सैकड़ों छोटी-छोटी इकाइयां हैं और यह कंबलों के निर्माण में लगी हैं जो 50 रू॰ से 150 रू॰ के मूल्य के बीच बिकती है। यह आम आदमी और गरीब लोगों के लिए है। यह श्रम प्रधान उद्योग हैं। पिछले वर्ष सीमा शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया गया था लेकिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगा दिया गया।

महोदय, भ्रष्टाचार का भी उतना ही खतरा है। यह कोई आशंका या भय नहीं है बल्कि एक तथ्य है। जब जीर्ण-शीर्ण कपड़ों का आयात किया जाता है तो कई बार केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अधिकारी उन्हें यह कहते हैं कपास से बने सामान किसी भी तरह के उत्पाद शुल्क की अदायगी से मुक्त हैं लेकिन इन चीथड़ों में कृत्रिम यार्न और ऊनी यार्न ज्यादा होते हैं जबकि कपास के यार्न कम होते हैं, और इसलिए उन्हें शुल्क देना ही होगा। वे इस शुल्क से बचने के लिए वे घूंस देते हैं और इस प्रकार यह भ्रष्टाचार का स्रोत भी बन गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, पिछले वर्ष भी कुछ प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे भेंट की थी और मैंने उससे अनुरोध किया था कि वे इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन यह समस्या इस वर्ष भी बनी हुई है। लघु क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में यही सब हो रहा है।

मैंने पानीपत में केवल एक लघु उद्योग का उल्लेख किया है। वहां लघु उद्योगों में सैकड़ों मजदूर कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों में अधिक निवेश नहीं किया गया है लेकिन हजारों श्रामिक कार्यरत हैं। ऐसी सैकड़ों इकाइयां हैं।

अब मैं काले धन के स्वैच्छिक उद्‌घाटनों के बारे में कहूंगा। यह दिखावटी प्रतीत होती है। इस योजना को विगत में कई बार लागू करने की कोशिश की गई थी। जहां तक मुझे ज्ञात है, पिछली बार 1975 में इस विषय में प्रयत्न किया गया था। इससे क्या लाभ हुआ ? इससे कुल 1400 करोड़ रू॰ की आय हुई जो कि कालेधन की मात्रा के सामने नगण्य है। कर वसूली की लगभग 100,000 करोड़ रू॰ की वार्षिक राशि के मुकाबले बकाया कर की राशि तीन-चार गुना अधिक अनुमानित की गई है। यदि सरकार इस राशि का दस प्रतिशत भी प्रत्येक वर्ष वसूल कर सकती, तो वह बहुत बड़ी बात होती। मुझे तो आशंका है कि इतना भी नहीं हो पायेगा। इस योजना में साम तथा दण्ड का मिश्रण होना चाहिए। भारतीय उद्योगपतियों के विदेशी खातों में 100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत कालाधन जमा है। हमें वह धन अपने देश में लाने के प्रयास करने ही चाहिए। उस धन से ही हमारी विदेशी मुद्रा सात गुना बढ़ जाएगी और डेढ़ गुना विदेशी ऋण चुकाया जा सकेगा। माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए।

निजी आय कर और कार्पोरेट कर में कमी का स्वागत है। परंतु केवल सामूहिक आय में सुधार में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि नहीं होगी। इसके लिए आपको बजट घाटे पर नियंत्रण करने, कागज़ी मुद्रा के मुद्रण पर प्रतिबंध लगाने कृषि और लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान देने, आधारभूत ढांचे के लिए अधिक परिव्यय आबंटित करने और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का बड़े पैमाने पर सुधार करने की आवश्यकता है। इसकी अपेक्षा, मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री हमें वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए विदेशियों पर अत्यधिक निर्भर कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस पर अमल नहीं किया जाएगा।

इस संदर्भ में संपूर्ण बजट मुद्रा स्फीति बढ़ाने वाला, निर्धन विरोधी, जन विरोधी और कृषि विरोधी है। एक लाख सिंचित क्षेत्र के लिए 800 करोड़ रू॰ का विशेष व्यय चाहिए परंतु यह कम होता जा रहा है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि वास्तव में अत्यंत आकर्षक व सुंदर प्रतीत होती हैं। परंतु आप इंदिरा आवास योजना के लिए आबंटित कुल राशि तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या देखिए। मैंने अपने निर्वाचन में जाकर स्वयं देखा है कि एक गांव में तो एक भी घर नहीं है। यदि पंचायत द्वारा 150 नाम भेजे जाते हैं तो केवल एक मकान बनाया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि कुल आबंटित राशि बहुत ही कम है। जब तक इंदिरा आवास योजना अथवा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अधिक धन आबंटित नहीं किया जाता तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति में सुधार नहीं होगा।

1947 से पूर्व हम अपनी सभी असफलताओं, कमियों, गांवों में कठिनाइयों आदि के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराते रहे हैं।

[हिन्दी]

देहात सुधार का जो नारा महात्मा गांधी जी ने लगाया था, वह सपना

आज तक पूरा नहीं हो सका।

[अनुवाद]

यह इसलिए क्यों कि किसी ने भी ग्रामीण लोगों की चिंता नहीं की। यहां तक कि आज भी हम जहां कहीं भी जाते हैं, वहां पर एक छोटे नल, छोटी सड़क की आवश्यकता होती है, प्राथमिक स्कूल के उन्नयन की, एक छोटी डिस्पेंसरी की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों, आधी शताब्दी के बाद भी हम उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हम 1947 से पूर्व, इस राष्ट्र के लोगों के महान बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त की गई स्वतंत्रता से पूर्व कर रहे थे। दुर्भाग्यवश, ऐसा हुआ है, और इसके लिए आज हम अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते। अंग्रेज हम पर राज्य करने आए थे। वे विदेश से आए थे। उन्हें हमारे देश के नागरिकों से कोई प्रेम नहीं था। उनका हमारी ग्रामीण जनता से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कभी हमारी समस्याओं को नहीं देखा। परंतु पचास वर्षों के उपरांत भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है और 6,56,000 गांवों में अभी भी जल, सड़क, प्राथमिक स्कूल, डिस्पेंसरी आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सामाजिक क्षेत्र और आबंटनों के विषय में चर्चाओं से उनकी क्षुधा शांत नहीं होगी। आवश्यकता सामूहिक क्षेत्र ओर विशाल उद्योग क्षेत्र की ही नहीं बल्कि अधिक धन के आबंटन तथा अधिक बचत की है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम साहब ने वर्ष 1997-98 का जो बजट पेश किया है वह बहुत अच्छा बजट है और खास तौर से जो हमारे यहां बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए भी यह अच्छा है। श्री मनमोहन सिंह जी ने पहले बजट पेश किया था उसी लाइन पर इसमें कुछ अच्छी बातें आगे बढ़ायी हैं। चूंकि चिदम्बरम साहब शुरू से ही कांग्रेस के विचारों के रहे हैं, हम आज भी उनको कांग्रेस का ही मानते हैं चाहे वे कहीं पर भी रहें। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने जो यह बजट पेश किया है यह इस देश की उन्नति के लिए और खास तौर से इस देश की गरीब जनता के लिए यह एक अच्छा बजट है। इस बजट में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के लिए जो बुनियादी चीजें है और जिन सात चीजों के प्रावधान के लिए सी॰ एम॰ मीटिंग में बात कही गई थी और जो प्रावधान करने की बात कही गई थी, उसका भी कुछ मात्रा में इस बजट में समावेश किया गया है। लेकिन इस बजट के अंदर जो कर कम किये गये हैं, जो मध्यमवर्गीय लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको इससे राहत मिली है। लेकिन इसके अंदर बहुत सी खामियां भी बची हैं और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्री इस बजट के बारे में कह रहे हैं, देश के लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है। इस बजट में सरकारी साधनों से बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी दी गई है, जहां भी वह गरीब लोगों के लिए देनी आवश्यक थी, वहां पर उसका प्रावधान किया गया है, जो उचित है। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर भी सब्सिडी दी गई है जहां पर कि उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश खर्च भी बढ़ा है और बैंक और बीमा क्षेत्र में सुधार शुरू करने के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की दृष्टि से उसमें ख्याल नहीं किया गया है। बजट में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और बढ़ता ऑयल पूल घाटे पर उपेक्षा का रवैया रखा गया है। क्योंकि जो पैट्रोलियम ऑयल पूल है वह दिन व दिन बढ़ रहा है और देश की जनता को मालूम है कि इस देश में जो बेसिक चीजें हैं, उनकी कीमतें बढ़ते वाली हैं। रेल महंगी हुई है जब पैट्रोलियम की कीमत बढ़ती है तो सामान्य रूप से जो गांव, खेड़े में लोग रहते हैं, उनके लिए जो आवश्यक चीजे हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ती हैं। इसके बारे में भी यहां पर सोचना बहुत जरूरी है। पहले से पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने का इसमें दावा किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के अंदर जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए गेहूं, चावल और उनकी जरूरत की चीजों को आधी कीमत पर इस बजट में देने का फैसला किया गया है, यह भी बहुत अच्छी बात है। इसमें सरकार का करोड़ों रुपये खर्च होगा। लेकिन यह जो स्कीम है उसका लाभ गरीब लोगों को जाना चाहिए। हमने पूरे देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर सभी जगह देखा है कि इस स्कीम का फायदा जिन लोगों को मिलना चाहिए उनका आइडेंटीफिकेशन नहीं किया गया है। यह आइडेंटीफिकेशन कब होने वाला है, लोग आपकी ओर देख रहे हैं क्योंकि इस स्कीम की घोषणा से लोगों को बहुत राहत मिली है। जो लोग शहरों, गांवों और खेड़ों में गरीबी की रेखा से नीचे हैं, वे देख रहे हैं कि कौन से दिन, कौन से महीने में यह स्कीम चालू होने वाली है। स्टेट्स में वे कौन से लोग हैं जिनको इससे संबंधित कार्ड्स देने हैं, उनका आइडेंटीफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, इसका भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। पहली बजट ने शेयर बाजार की कमर तोड़ दी। दूसरे बजट में बहुत सी टैक्स में रियायतें दी हैं। लेकिन उसका फायदा इस देश में जो बेरोजगार लोग हैं उनको उपलब्ध होना चाहिए। उन सब लोगों को इसका क्या फायदा होने वाला है। हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बहुत सी कॉटन मिलें हैं।

हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पर कॉटन मिलें हैं। पिछली सरकार ने कहा था कि हम तमाम कॉटन मिलों का मौडर्नाइजेशन करेंगे, उनमें नई मशीने प्रोवाइड करेंगे, किसी तरह की कटौती नहीं करेंगे, लेकिन पूरे वर्तमान बजट में, उस 2500 करोड़ रुपए की योजना के लिए, जिसकी घोषणा तत्कालीन लेबर मिनिस्टर ने पिछली सरकार के समय की थी, आपने सिर्फ एक लाख रुपये रखे हैं, जबकि पूरे देश के स्तर पर इतना बड़ा प्रोग्राम टैक्सटाइल मिलों के लिए लागू करना है, उनका रि-आर्गेनाइजेशन करना है, मिलों में सुधार करना है। मैं समझता हूं कि यह प्रावधान कुछ भी नहीं है और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, इस विषय पर खास ख्याल करना चाहिए।

अन्न वितरण प्रणाली को सही रूप से लागू करने के लिए भी सरकार की तरफ से उचित नियंत्रण नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसका सारा फायदा ब्लैक-मार्केटीयर्स ले रहे हैं। जिन लोगों के लिए आपने सब्सिडी देकर यह व्यवस्था की थी, पहले तो उसके अंतर्गत अन्न का प्रोक्योरमैंट करना था, अनाज आपको कहां से मिलेगा, जैसा यहां अभी बरनाला जी ने कहा, यदि उतना आप नहीं करेंगे और योजना को शुरू

[श्री दत्ता मेघे]

करेंगे तो गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं दे पाएंगे और बीच के लोगों द्वारा इस योजना का दुरुपयोग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेट्स पर जो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके साथ-साथ गरीब लोगों के हित में जो स्कीम बनी है, उसमें आज बहुत भ्रष्टाचार होता है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। हमारी मांग है कि दोषी लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसा प्रावधान आपको करना चाहिए क्योंकि एक दिन, 15 दिन या एक महीने की सजा का प्रावधान करने से कुछ नहीं होता। जब बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है और कुछ लोगों द्वारा उसका दुरुपयोग होता है तो यह आवश्यक है कि दोषी लोगों को सख्त सजा दी जाए, ऐसा मेरा मानना है।

काले धन को बाहर निकालने के लिए आपने करों में शिथिलता देने की घोषणा वर्तमान बजट में की है, लेकिन हमें उस दृष्टि से भी देखना होगा कि कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी न करने पाए। इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हम चाहते हैं कि ब्लैकमनी बाहर आए। ऐसी घोषणा पहले भी हुई थी लेकिन लोगों ने उसका यह अर्थ लगाया कि जितना मर्जी ब्लैकमनी रखो, जब जरूरत होगी तो डिक्लेयर क. देंगे जिससे ब्लैकमनी फिर गायब होने लगी। मैं चाहता हूं कि आपने एक बार जो भी स्कीम लागू की, जिन लोगों के पास ब्लैकमनी है, यह स्कीम जब लागू होगी तब होगी, फिर भी इतना अवश्य है कि आपके डिपार्टमैंट ने पिछले 6-8 महीनों में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वे कितने ही बड़े लोग क्यों न रहे हों, इस देश में फैले भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत होती रही, कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ बिजिनैसमैन के द्वारा बहुत सी बातें लोगों के सामने आईं, पूरी तरह भ्रष्टाचार पर तो काबू हम नहीं पा सकते लेकिन कुल मिलाकर ब्लैकमनी रखने वाले लोगों से ब्लैकमनी को बाहर निकालने का काम आपके इंकम टैक्स डिपार्टमैंट को करना चाहिए और उन्होंने अच्छा काम किया भी है। मैं चाहता हूं कि ब्लैकमनी बाहर निकालने पर हमें पहले से ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कालाधन बाहर निकाला जा सके।

बजट में आपने सीमा-शुल्क में कुछ रियायत तो दी है लेकिन देश में जो छोटे उद्योग हैं, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है।

सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए रखे हैं और कहा है कि कुछ प्रावधान राज्य सरकारें भी करेंगी लेकिन उच्च शिक्षा के संबंध में, जितनी प्राइवेट संस्थाएं हमारे देश में हैं, उन्हें आप जो मदद दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि चाहे कोई प्राइवेट संस्था उच्च शिक्षा दे या किसी सरकारी कालेजों में शिक्षा दी जाए, उनका दर्जा बराबर होना चाहिए। हमारे देश में जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, जैसा अभी हमारी बहन गिरिजा व्यास कह रही थीं कि कुल महिलाओं में से केवल दो प्रतिशत ही पढ़ी-लिखी हैं, इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि प्राइमरी और उच्च शिक्षा के मद में सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा खर्च का प्रावधान किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप मदद नहीं करते हैं,. राज्य सरकारें मदद नहीं करती हैं लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं ऐसे कालेज चलाती हैं, वे अच्छे ढंग से लोगों को ट्रेंड कर पाएं, अच्छी शिक्षा दें, उस तरह की कोई योजना बनाना बहुत जरूरी है।

हमारे देश में मैडिकल कौंसिल है, डैंटल कौंसिल है, उन सबका कहना है कि गवर्नमेंट को उच्च शिक्षा के लिए जितना खर्च आता है, उतना तो कम से कम उन्हें दिया जाए। यदि उतना खर्च नहीं दिया जाता है तो उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी बराबर नहीं होगी। अगर कुछ बड़ी शिक्षण संस्थाएं बोगस काम करती हैं तो उन पर भी निगरानी रखनी आवश्यक है लेकिन जो संस्थाएं अच्छा काम करती हैं उन्हें तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कमजोर संस्थाओं को सक्षम बनाने की कोशिश होनी चाहिए और हर मामले को सुप्रीम कोर्ट पर नहीं छोड़ देना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव के हिसाब से ही हम चलेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए अच्छा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यदि सभी काम सुप्रीम कोर्ट करेगी तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी ? ऐसी स्थिति में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की तरफ आप ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। हर संस्था अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, उसके लिए उचित प्रबंध करने की आवश्यकता है।

गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं, उन्हें ऊपर उठाने की दृष्टि से हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अभी जैसा यहां कहा गया, बिल्कुल सही बात सामने आई कि जब भी हम गांवों में जाते हैं, मेरे क्षेत्र में 2000 गांव हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अभी तक किसी गांव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है और हम गांवों तक कोई सुविधा नहीं दे पाए जिसके कारण लोग हमें बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में हमसे बहुत लोग कहते हैं, कांग्रेस की बहुत टीका होती है लेकिन विधायकों का जो काम है, उसके बारे में जो कुछ होना चाहिए, उतना भी हम नहीं दे पाए। लेकिन जो 40 साल में नहीं हुआ वह एक या दो साल में कैसे हो सकता है। यह कोई जादू तो नहीं है। पालिटिकल बात छोड़कर जब हम बजट पर चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि वास्तव में हम लोगों को क्या देने वाले हैं और किन लोगों को इस बजट का फायदा पहुंचाने वाले हैं। इस बजट से बिजनैसमैन को फायदा पहुंचने वाला है। उससे आपको भी ज्यादा पूंजी मिलेगी, लेकिन आपको भी यह देखना है कि उस पूंजी का फायदा किसको मिलने वाला है। हमारा यह कहना है कि आपको यह देखना चाहिए कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा गरीब को मिले, आप इस बात को देखें।

हमने देखा है कि आपने इस बजट में राजस्व में बहुत कटौती की है। रियायतें देने से आय में 536 करोड़ रुपये की कमी होगी और इसी प्रकार से टैक्सों में और कमी करने के कारण आपकी आमदनी में 98 करोड़ रुपए की कमी होगी। कुल बजट में होने वाली आमदनी में तीन हजार करोड़ रुपए की कटौतियां की गई हैं। इसका मुख्य कारण संसाधनों और निवेश के जरिए धन का उपलब्ध न होना है। इसके कारण लक्ष्य के मुकाबले 5100 करोड़ की जगह पर 575 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। राजस्व बजट और पूंजी बजट में 2684 करोड़ रुपए की कमी होने वाली है। यह तो वह कमी है जो आपने रियायतें दी हैं, लेकिन केन्द्र सरकार के पास जो ज्यादा पैसा आने वाला है, वह गांवों में विकास

और ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए कैसे खर्च हो, इसके बारे में आप सोचें।

सभपति महोदय, हमारे देश में जो भी कर्जा मिलता है उसके ऊपर ब्याज का रेट बहुत ज्यादा है। हमारे यहां 17 या 18 प्रतिशत ब्याज का रेट है जबकि विदेशों में यह तीन-चार प्रतिशत है। जब तक आप ब्याज का रेट कम नहीं करेंगे तब तक कोई भी युवा आदमी, बेरोजगार आदमी, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है। इंडस्ट्री पनप नहीं सकती है। जो कमाई होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बैंक को ब्याज देने में चला जाता है और इस प्रकार से इंडस्ट्री बैठ जाती है। बैंक वाले जिस ढंग से काम करते हैं, वह भी इंडस्ट्री सिक होने का बहुत बड़ा कारण है। चेयरमैन साहब जरा सुनिए मैं आपको बैंक के बारे में अपना एक अनुभव बतलाता हूं। मैंने खुद देखा है कि बैंकों में किस कद्र भष्टाचार व्याप्त है। यह मेरा अपना उदाहरण है। पंजाब नेशनल बैंक की बात बताना चाहता हूं। मैं सदन में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन का नाम लेकर कहना चाहता हूं कि वहां से जो भी बड़े-बड़े लोन दिए जाते हैं उन सभी में परसेंटेज ली जाती है और वह परसेंटेज बोर्ड के सभी मैम्बरों में बांटी जाती है। जितने भी लोन दिए जाते हैं वे बिना परसेंटेज के नहीं दिए जाते हैं। मंत्री महोदय, मैं सदन में आपके सामने बोल रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि पिछले दो साल में जितने भी लोन दिए गए उन की जांच करवाएं कि वे किन-किन को दिए गए हैं और उनमें कितना धन पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन द्वारा लिया गया है, तब आपको इस बैंक के भ्रष्टाचार की असलियत का पता चलेगा। मैं खुद गया था। मुझसे भी उन्होंने कहा कि बिना परसेंटेज के लोग नहीं मिलेगा। मुझे यह देख और सुनकर आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से बैंक का चेयरमैन खुले और स्पष्ट रूप से सांसद के सामने परसेंटेज लेकर लोन देने की बात कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन की आवश्य जांच कराएं और यह भी देखें कि पिछले दो साल में किन-किन को कितने-कितने लोन दिए गए हैं। जब पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन एक सांसद के सामने परसेंटेज मांगकर लोन देने की बात कहने की जुर्रत कर सकता है, तो आप स्वयं अनुमान लगाइए कि आम आदमी की या गरीब की क्या हालत होती होगी। मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन की कितनी-कितनी प्राप्रर्टी कहां-कहां पर है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब हम किसी बात के बारे में पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए, ताकि आपको वास्तविकता का पता लग सके।

सभापति महोदय, हमने देखा है कि हमारे एरिया में जो कोल माइन्स हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। अब तो हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। इंदिरा जी ने कोल माइन्स का नेशनलाइजेशन किया था क्योंकि प्राइवेट लोग बराबर माइन का काम नहीं करते थे, मजदूरों को बराबर मजदूरी नहीं देते थे। कोल माइन्स का नेशनलाइजेशन होने के बाद बहुत फायदा हुआ। जो कोल माइन्स प्राइवेट लोगों के पास हैं, उनके पास उनको विकसित करने के लिए फंड्स नहीं है। उनके लिए आपने कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन उनमें कुछ प्राब्लम भी छोड़ दी हैं। लेकिन मैंने माइन्स में खासतौर से विदर्भ में देखा है कि काम ठीक नहीं हो रहा है। जब हम छोटे राज्य की मांग करते हैं, तो हमारे साथी कहते हैं कि आप विदर्भ की मांग क्यों करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे राज्य होने से ज्यादा विकास होता है और प्रशासनिक दृष्टि से काफी फायदा होता है। हमें तो विदर्भ राज्य मिला था। आज वे मांग कर रहे हैं विदर्भ राज्य की क्योंकि वहां पर बहुत पोटेंश्यल है। हमारे गांव खेड़े में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से लेकर अधिकारी तक कोई भी जाकर काम नहीं करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से बराबर नहीं होता है। प्रशासन दृष्टि से बराबर नहीं होता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने अच्छा डेवलपमैंट किया है। हर गांव की चीज मालूम है लेकिन महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। यू. पी. में उत्तराखंड की बात कही है और वह दे भी रहे हैं। इस देश के अंदर जब तक आप छोटे राज्य नहीं बनायेंगे तब तक सही मायने में गरीब आदमी, जो गांव में रहता है, जो किसान है, जो लेबर है, जो नौकरी मांगने वाला है, वहां की इंडस्ट्री है, उनको आप न्याय नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास पैसा कम और एरिया बड़ा रहता है। उस दृष्टि से हम लोगों को न्याय नहीं दे सकते। हम जो विदर्भ की मांग कर रहे थे, वे जायज हैं। हमारे विदर्भ को ही नहीं बल्कि पूरे देश में छोटे राज्य बनाने चाहिए जिससे देश के अंदर फायदा होगा। हमारे विदर्भ में नागपुर भी राजधानी है। वहां भी असेम्बली है। नागपुर राजधानी छोड़कर नई राजधानी बना ली गई जिससे नागपुर का महत्व कम हो गया। विदर्भ में खदानें, अच्छी जमीन, पानी आदि सब कुछ है। पूरा एक्सप्लायटेशन होता है। इस दृष्टि से इस देश के अंदर छोटे राज्य बनने चाहिए ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रियायत दे सकें। इसके लिए सैंट्रल गवर्नमैंट का ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है और लोगों का काम भी होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है।

आज इस देश में कृषि व उद्योग क्षेत्र में जो प्राब्लम है, वह रोजगार देने की प्राब्लम है। कोई भी आदमी चाहे वह झोंपड़ पट्टी में रहता हो, उसको हम रोजगार नहीं दे पाते। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत अच्छा सोचने वाले और अच्छा काम करने वाले अच्छे नेता हैं। उस दृष्टि से आप ऐसी कोई स्कीम निकालिये ताकि उनको रोजगार मिल सके।...*(व्यवधान)* हम तो सोच रहे हैं कि यह श्री मनमोहन सिंह जी से अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उससे हमें खुशी हुई है। यह नये आदमी हैं। यह अच्छा वित्त बजट देंगे।

मंत्री जी इनके बारे में कोई अच्छी योजना लाएं। आप उनसे काम करवाइये क्योंकि घर में खाली बैठकर उनको बड़ी परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी काम करे, जो मजदूरी करे, उसको आप पैसा दें लेकिन बिना काम के आप पैसा न दें हमारे महाराष्ट्र में रोजगार देने की योजना थी। जो आदमी काम करे उसे आप पैसा दें, बगैर काम के पैसा न दें।

आज हमारे देश में गांव से लेकर शहर तक जो बेरोजगारी है, उसको समाप्त करने के लिए आप एक योजना बनाइये। उनको पैसे दीजिए और वह भी उनको काम करने के बाद मिले। इसके लिए आपको बजट में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप काम

[श्री दत्ता मेघे]

देने की कोई योजना बनाइये।...*(व्यवधान)* हमने देखा था कि बजट में कुछ नहीं है। केवल बैंक के लिए यह काम नहीं छोड़िये।...*(व्यवधान)* उनको काम करने का मौका तो देना चाहिए। वे अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सब लोग बोलेंगे तो वे वैसा ही काम करेंगे।..*(व्यवधान)* आप उनको आठ दिन काम दीजिए, पन्द्रह दिन काम दीजिए लेकिन उनको काम में लाइये और स्वाभिमान से जीने का अधिकार इस देश में उनको होना चाहिए। इस बजट में कुछ नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि यह सरकार गांवों के लोगों की सुविधा के लिए खड़ी हो क्योंकि यह 13 पार्टियों की सरकार है। आज तक इतनी पार्टियों की सरकार नहीं बनी थी। यह सरकार अच्छा काम कर रही है। हमको उनकी मदद करनी चाहिए ताकि गरीबों का भला हो सके। उस दृष्टि से आपको काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एल॰ बालारमन।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 10.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 मार्च, 1997/28 फाल्गुन, 1918 (शाक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।